श माला, खंड 19, अंक 28

गुरुवार, 30 अगस्त, 2001
8 भाद्रपद, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ... 52
Date ... 12/6/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 28, गुरुवार, 30 अगस्त, 2001/8 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 541, 542 और 544	1–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 543 और 545 से 560	28–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 5622 से 5851	51–357
सभा पटल पर रखे गए पत्र	357–363
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	364
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन	
याचिका समिति	364
दसवां प्रतिवेदन	365
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	365
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	365
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन	366
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
तिरपनवां प्रतिवेदन	366
रेल मंत्रालय द्वारा आर्डर न दिए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण करने वाली कुछ इकाइयों को बंद किए जाने के बारे में	370–374
अमरीका में विशेष राजदूत (एम्बेसडर एटलार्ज) की नियुक्ति के बारे में	374–381

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित	
(एक) कम्पनी (संशोधन) विधेयक	395
(दो) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक	396–402
(तीन) विद्युत विधेयक	402–406
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न राज्य सभा के सभापति को भेजना	406–407
नियम 377 के अधीन मामले	407–416
(एक) महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	407
(दो) पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी और व्यास बेसिन में उत्पादित बासमती चावल को पेटेंट किए जाने की आवश्यकता	
श्री विनोद खन्ना	408
(तीन) आन्ध्र प्रदेश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडू	409
(चार) गुजरात के अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट संबंधी आवेदनों पर शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री शंकर सिंह वाघेला	410
(पांच) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास रूपला गावीत	410
(छह) स्वदेशी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सोयाबीन और पाम आयल के आयात पर सीमाशुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	411
(सात) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के उचित रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	411
(आठ) दमन जिले को तटीय विनियमन क्षेत्र श्रेणी (दो) के अंतर्गत शामिल किए जाने तथा दमन और दीव प्रशासन को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में आवश्यक संशोधन करने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल	412
(नौ) पश्चिम बंगाल में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मिनाती सेन	412

विषय कॉलम

(दस) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 413

(ग्यारह) बिहार में बेतिया- नरकटियागंज तथा भितहरवा के बीच के मार्ग को विशेष दर्जा देने तथा इसके उचित रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 413

(बारह) तमिलनाडु के रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिसिनल प्लांट फार्म स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा 414

(तेरह) उड़ीसा में महानदी में प्रदूषण रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 414

(चौदह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 415

(पन्द्रह) प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाये जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 415

सरकारी विधेयक–पारित

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 416–430

विचार करने के लिए प्रस्ताव 416

श्री अरूण जेटली 416, 429

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 417

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 419

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा 420

श्री सी. श्रीनिवासन 422

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 424

श्री रवि प्रकाश वर्मा 426

खंड 2 से 7 और 1 430

पारित करने के लिए प्रस्ताव 430

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक
और
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 431–479, 482–495

विचार करने के लिए प्रस्ताव 431

श्री अरूण जेटली 431, 476

विषय कॉलम

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा 439
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 441
श्रीमती मिनाती सेन 443
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 445
श्री शिवराज वि. पाटील 447
श्री धर्मराज सिंह पटेल 447
डा. ए.डी.के. जयशीलन 447
श्री एस. मुरुगेसन 450
श्रीमती रेनु कुमारी 451
श्री के.ए. सांगतम 454
श्री अनादि साहू 456
श्रीमती कान्ति सिंह 458
डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा 461
श्रीमती आभा महतो 465
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक 466
श्री ए. कृष्णास्वामी 469
श्री पी.सी. थामस 470
श्री के. फ्रांसिस जार्ज 471
श्री मोहन रावले 472
श्री हरीभाऊ शंकर महाले 473
श्री के.एच. मुनियप्पा 474
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 474

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 482
खंड 2 से 9 और 1 493
पारित करने के लिए प्रस्ताव 493

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 493
खंड 2 से 32 और 1 494
पारित करने के लिए प्रस्ताव 494

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 494
खंड 2 से 4 और 1 495
पारित करने के लिए प्रस्ताव 495

विषय	कॉलम
मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक	495, 505
विचार करने के लिए प्रस्ताव	506
श्री सीएच. विद्यासागर राव	505
खंड 2, 3 और 1	506
पारित करने के लिए प्रस्ताव	506
राज्य सभा से संदेश	480–482
भारतीय विश्व मामले परिषद् विधेयक	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	496–506
नियम 193 के अधीन चर्चा	
खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण गरीब लोगों के समक्ष आ रही गम्भीर समस्याएं	507–608
श्री बिक्रम केशरी देव	507
श्री शिवराज वि. पाटील	517
श्री रूपचन्द पाल	530
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	537
श्री चन्द्रनाथ सिंह	542
श्री खारबेल स्वाइं	552
श्री के.पी. सिंह देव	555
श्री ए.के.एस. विजयन	561
श्री प्रभुनाथ सिंह	563
श्री पी.एच. पांडियन	567
श्री प्रसन्न आचार्य	571
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	575
श्री राम प्रसाद सिंह	580
श्री रामानन्द सिंह	582
श्री जोवाकिम बखला	585
श्री भान सिंह भौरा	586
श्री के.एच. मुनियप्पा	587
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	588
श्री विष्णु पद राय	591
श्रीमती हेमा गमांग	592
डा. वी. सरोजा	592
श्री पुन्नूलाल मोहले	593
श्री शान्ता कुमार	593

लोक सभा

गुरुवार, 30 अगस्त, 2001/8 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे, सभा को श्री जी.के. मूपनार, राज्य सभा के वर्तमान सदस्य के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री मूपनार का 70 वर्ष की आयु में (थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् आज प्रात: चेन्नई में निधन हो गया। श्री मूपनार राज्य सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक थे। वह 1977, 1983, 1995 और 1998 में चार बार राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह 1989 से 1991 तक तमिलनाडु विधानसभा के भी सदस्य थे। श्री मूपनार एक कुशल सांसद थे और वह 1998 से रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। उन्हें एक संस्था के रूप में उचित ही वर्णित किया गया है और संसदीय कार्यवाही में उनका अत्यधिक योगदान रहा है। श्री मूपनार ने निर्धनों और दलितों के उत्थान के लिए अनवरत संघर्ष किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के प्रचार और प्रसार के लिए भी अथक प्रयास किया। इस विशिष्ट सांसद के निधन से उत्पन्न रिक्तता को भरना अत्यन्त कठिन है।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सी.एन.जी. की मांग

***541. श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अभी हाल में घोषणा की है कि राजधानी में सी.एन.जी. की बढ़ती मांग को पूरा करना उसके लिये संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजधानी में वाणिज्यिक वाहनों के लिये सी.एन.जी. के प्रयोग की अनिवार्यता हटाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाया गया है अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का सी.एन.जी. संकट से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(घ) सी.एन.जी. की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- 14 उच्चतर क्षमता वाले संपीड़कों के लिए आदेश दे दिए गए हैं जिनमें से 5 प्राप्त हो गए हैं और 9 वायुयान द्वारा लाए जा रहे हैं।
- सितम्बर, 2001 तक कुल सी.एन.जी. केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 80 केन्द्रों के निर्देश की तुलना में 87 कर दी जाएगी और मार्च, 2002 तक 94 कर दी जाएगी।
- मौजूदा 39 डाटर केन्द्रों का उन्नयन करके दिसम्बर, 2001 तक उत्तरोत्तर डाटर बूस्टर केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।
- 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धौला कुंआ को जी टी करनाल रोड के साथ जोड़ने वाली 23 कि.मी. लम्बी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है और इसके मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- इसके अलावा सी.एन.जी. वितरण सुविधा की सहस्थापना हेतु 50 खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहचान की गई है।

अनुबंध

1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029 में 14.08.2001 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों का ब्यौरा

न्यायालय से निम्नलिखित अनुरोध किया गया:

(क) निर्देश दिया जाए कि अब से आगे सी.एन.जी. बसों, टैक्सियों और तीन पहिया आटो रिक्शाओं का पंजीकरण, जिनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के 26 मार्च, 2001 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए पक्के आदेश निर्माताओं अथवा परिवर्तन एजेंसियों को दिए गए हैं, माहवार अनुसूचियों के अनुसार कराया जाए, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) तथा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) द्वारा आई.जी.एल. की सी.एन.जी. वितरण क्षमता के साथ पंजीकृत वाहनों की सी.एन.जी आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26 मार्च, 2001 के निर्देशों के अनुपालन हेतु 30 सितम्बर, 2001 के आगे भी समय देने की अनुमति दी जाए,

(ख) निर्देश दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26 मार्च, 2001 के निर्देशों के अनुरूप विशेष परिमिट न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा सी.एन.जी. बसों, तिपहिया आटो रिक्शाओं और टैक्सियों का पंजीकरण, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित बसों, तिपहिया आटो रिक्शाओं और टैक्सियों का पंजीकरण पूरा हो चुकने के बाद ही तब आरम्भ किया जाए तब कि पहले से पंजीकृत अथवा विशेष परमिटधारकों द्वारा पंजीकृत कराई जाने वाली बसों, टैक्सियों और तीन पहिया आटो रिक्शाओं की मांग से अधिक सी.एन.जी. उपलब्ध हो,

(ग) निर्देश दिया जाए कि अब से आगे किसी भी नए निजी (गैर-वाणिज्यिक) वाहन का पंजीकरण न किया जाए और मौजूदा निजी (गैर-वाणिज्यिक) वाहनों का परिवर्तन सी.एन.जी. विधि में करने की अनुमति जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा न दी जाए और आगे निर्देश दिया जाए कि नियत सी.एन.जी. केन्द्रों से सी.एन.जी. की आपूर्ति जी.एन.सी.टी.डी. के पंजीकरणकर्त्ता प्राधिकरण द्वारा कट आफ तारीख तक विधिवत पंजीकृत किए गए रूप में प्रमाणित निजी वाहनों को ही की जाए,

(घ) निर्देश/स्पष्टीकरण दिया/किया जाए कि नए चार स्ट्रोक के पेट्रोल से चलने वाले तीन पहिया आटो रिक्शा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 26 मार्च, 2001 के आदेश में "स्वच्छ ईंधन" बताए गए सीसा रहित निम्न बेनजीन पेट्रोल से चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में पंजीकृत किए जाएं/जा सकते हैं, और

(ङ) निर्देश दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26 मार्च, 2001 के निर्देशों के अनुपालन में पहले से चलने वाली अथवा चलाई जाने वाली सी.एन.जी. बसों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार शर्तों के अध्यधीन एन.सी.टी. में यात्री परिवहन की जरूरत पूरी करने के लिए भारत चरण-2 उत्सर्जन का पालन करने वाली डीजल बसों का पंजीकरण करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस संकट, जो लोगों को और विशेषरूप से मजदूरों को कष्ट और विपत्ति में डाल देगा, के पैदा होने से पहले दिल्ली में सी.एन.जी. की कमी का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तथापि, ऐसा करते हुए, आटो ईंधन के प्रयोग के सम्बन्ध में जनता में बड़े पैमाने पर फैले भय, आशंका और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार परिवहन में एकाधिक प्रकार के ईंधन के संबंध में एक विस्तृत नीति विवरण लगाएगी जिससे ईंधन की उपलब्धता, वाहनों में एकाधिक प्रकार के ईंधन के लिए प्रौद्योगिकीय सम्भाव्यता और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे?

श्री राम नाईक: महोदय, यह बात सच है कि दल्ली के लोगों को अत्यधिक असुविधा हुई है। हम उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त इच्छा के अनुसार सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 26 मार्च, 2001 को उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य आदेश दिया है। पहले के आदेश के अनुसार, सी.एन.जी. से केवल बसों को ही चलाया जाना था।

मार्च 2001 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सभी आटो, टैक्सी, आर.टी.वी., अन्य वाणिज्कि वाहनों में भी सी.एन.जी. का प्रयोग किया जाएगा और इसलिए, अगले चार या पांच महीने में प्रत्येक माह लगभग 2000 से 2500 नए आटो सड़क पर आ जाएंगे। 11,000 आटो के स्थान पर दिल्ली में अब आटो की संख्या 27,000 है। 30 सितम्बर से पहले सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। इस प्रकार इसमें कुछ गड़बड़ी रही है। हम उन्हें स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा करके दलगत

राजनीति से आगे जाना चाहता हूं। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ भी बैठकें की हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड के पास इस समय इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के 11 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य और चोट पहुंचेगी कि हमें बिजली नहीं दी जा रही है। यदि हमें बिजली नहीं मिली तो हमें वहां जनरेटर चलाने पड़ेंगे जब 20 से 22 घंटे जैनरेटर चलते हैं तो उनसे समस्याएं पैदा होती हैं। अंततः जैनरेटर केवल 6 से 8 घंटे तक ही काम करते हैं तथा इनके रख-रखाव और अन्य समस्याएं भी होती हैं।

लेकिन, जैसाकि मैंने उत्तर में दर्शाया है कि 14 अतिरिक्त शक्तिशाली कम्प्रेशर आ रहे हैं और उन्हें 30 सितम्बर से पहले स्थापित कर दिया जाएगा। इन्हें अर्जेंटीना और इटली से आयात किया जाना है। उनमें से पांच पहले ही पहुंच गए हैं और शेष 9 को भी ला रहे हैं। इन 9 में से पांच कल आ जाएंगे और शेष चार भी विमान की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। अब, हम 80 सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि हमारा 94 सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है लेकिन इन्हें स्थापित करने में कुछ समय लगेगा। यह एक नया प्रयोग है जिसे हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं- इसके स्थिरीकरण की आवश्यकता है और इसे करने के लिए सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, न्यायपालिका और कार्यपालिका में राज्य सरकार और भारत सरकार ने सी.एन.जी. को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। तथापि, आम आदमी अक्षुण्ण रूप से परेशान हो रहा है, मामले की सच्चाई यह है कि हमारे वाहनों में एक ही प्रकार का इंजिन लगा होता है जिससे सी.एन.जी. स्टेशनों पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। विश्व में कहीं भी केवल एक ही प्रकार के इंजिन वाले वाहन नहीं हैं। सभी जगह, आवश्यकता पूरी करने के लिए दो प्रकार के इंजिन वाले वाहन हैं।

दूसरे, क्या सरकार इस बात पर गौर नहीं करेगी कि खुदरा बिक्री केन्द्र जिन्हें दिल्ली में खोला जाना था अब तक नहीं खोले गए हैं? वे अब तक खोल दिए जाने चाहिए थे ताकि लोगों को सी.एन.जी. के लिए लगातार 33 घंटे तक लाइन में न लगना पड़े। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जैसाकि मुझे उनसे पता चला है उन्हें सी.एन.जी. की अनुपलब्धता के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह भारत सरकार के कार्यकरण की दु:खद छवि है।

श्री राम नाईक: महोदय, अकेले भारत सरकार को ही दोष क्यों दिया जाना चाहिए? यदि किसी को भी दोष दिया जाता है तो दोनों सरकारों को दोष दिया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियों में मैं विश्वास नहीं करता...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, दोनों सरकारों के बीच आम आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। मंत्री अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं।

श्री राम नाईक: महोदय, शुरू में ही कहा है कि मैं भी महसूस करता हूं कि दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है। मैं इससे सहमत हूं। इसमें कोई असहमति नहीं है। जोर आजमाइश के सम्बन्ध में, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, मैं दिल्ली सरकार के साथ इस मामले पर धैर्यपूर्वक चर्चा करने का प्रयास करता रहा हूं लेकिन कभी-कभी दिल्ली सरकार के मंत्री उत्तेजित हो जाते हैं। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अधिक कुप्रबंधन वाली योजनाओं में से एक है, यह समाप्त हो जाएगी।

श्री राम नाईक: महोदय, माननीय सदस्या अपने विचार रख सकती हैं, लेकिन मैं सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करूंगा। मुख्य प्रश्न ईंधन के एकमात्र प्रकार से सम्बंधित है। भारत सरकार इस बात से सहमत है कि दिल्ली में दो प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

मैं 1998 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात् अब तक हुए उन अभूतपूर्व बदलावों को सभा को बताना चाहता हूं। 1998 में जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था तो उस समय जिस डीजल की आपूर्ति की जाती थी उसमें 0.5 प्रतिशत सल्फर होता था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब, हम 0.05 प्रतिशत सल्फर की मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं जिसका मतलब है कि 1998 में आपूर्ति किए जाने वाले डीजल की तुलना में अब सल्फर केवल दसवां हिस्सा ही रह गया है। इस प्रकार, 1998 और 2001 के बीच स्थिति बदल गई है। इसलिए, हमने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि परिवहन की दोहरी ईंधन प्रणाली को स्वीकृति दी जानी चाहिए और मुझे आशा है कि उच्चतम न्यायालय गत तीन वर्षों में इस स्थिति में आए बदलाव पर संज्ञान लेगा और हमारी बात को मानेगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बोला है कि ग्रोइंग डिमांड को हम कैटर नहीं कर सकते। मैंने रिक्वैस्ट भी की है कि

[अनुवाद]

किसी नए वाहन को पंजीकृत न किया जाये।

[हिन्दी]

मेरा सवाल यह है कि

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्रालय बहुत बड़ा है और इसका अलग अनुसंधान और विकास विभाग है

जो बहुत विशाल है।

[हिन्दी]

जैसा कि मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बोला, कल भी मंत्री जी ने यह बात बोली थी कि यू.एस.ए. के न्यूयार्क में दो टाइप के फ्यूल हैं।

[अनुवाद]

एक सी.एन.जी. है और दूसरा अल्प सल्फर डीजल है।

[हिन्दी]

दो चीजों की कमी यहां लग रही है।

[अनुवाद]

पहला, अनुसंधान एवं विकास है और दूसरा संदर्शी योजना।

[हिन्दी]

ऐसा मंत्री जी ने अपने जवाब में बोला है कि 30 करोड़ रुपये की हम पाइपलाइन डालेंगे। मेरा सवाल है कि

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए आगामी पांच वर्षों के लिए सी.एन.जी. की मांग को पूरा करने के लिए हम किस तरह का अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: सभापति जी, यह बात सही है कि दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए और तात्कालिक भी होनी चाहिए। जहां तक तात्कालिक योजना का सवाल है, हमने सर्वोच्च न्यायालय को इससे अवगत कराया है कि उनका जो आर्डर है, उसके तहत जितने व्हीकल्स आयेंगे, उनको हम सी.एन.जी. दे पाएंगे, लेकिन अगर इससे अधिक मात्रा में वाहन यहां आते हैं तो उनको देने के लिए हमारे पास एडीशनल गैस नहीं है। आप भी जानते हैं, मराठी में कहावत है, मैं हिन्दी में रूपान्तरित करता हूं, मेरी हिन्दी अच्छी नहीं है कि कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में पानी कहां से आयेगा। हमारे पास अतिरिक्त सी.एन.जी. देने के लिए नहीं है, निकल नहीं रही है तो हम कहां से सप्लाई करेंगे, यह तो बेसिक आस्पैक्ट है। जो पर्सपैक्टिव प्लानिंग की बात है, इसका एक दूसरा पर्याय है। सी.एन.जी. का पर्याय लिक्वीफाइड नैचुरल गैस है। लिक्वीफाइड नैचुरल गैस इम्पोर्ट करने का हमने फैसला किया है, उसके लिए हम टर्मिनल तय करेंगे। पैट्रोमेट इंडिया के तौर पर पांच मिलियन मैट्रिक टन गैस आयेगी। उसके बारे में हमने कतार के साथ 25 साल का कांट्रैक्ट किया है।

[अनुवाद]

वर्ष 2003 के अंत तक उस टर्मीनल को स्थापित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

तो 2003 के बाद अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी, लेकिन उसकी कीमत आज जो गैस की कीमत है, उससे

[अनुवाद]

यह करीब $2^1/_2$ गुना ज्यादा होगा। लेकिन गैस तब उपलब्ध होगी, इस प्रकार की आज की स्थिति है और जो विद्यमान स्थिति है, उसमें हम लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुबोध मोहिते: मेरा सवाल यह था कि

[अनुवाद]

पांच वर्षों के बाद सी.एन.जी. की कितनी मांग होगी और मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। यही मेरा विशिष्ट प्रश्न था।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, पांच साल के बाद दिल्ली में कितने वाहन होंगे, यह दिल्ली सरकार को तय करना है। अब केवल सी.एन.जी. पर ही होंगे या नहीं होंगे, वह सरकार को तय करना है, सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है। इसके आधार पर पांच साल के बाद कितनी मांग होगी, यह कहना सम्भव नहीं है।

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि दिल्ली के अन्दर सी.एन.जी. के 87 फिलिंग स्टेशन बनने वाले थे, क्या उनकी तैयारी पूरी हो गई? उनको बनाने में सरकार के सामने क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनके पूरा होने की समय सीमा क्या है?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि 87 स्टेशन 30 सितम्बर से काम करना शुरू कर देंगे। मैंने उस सम्बन्ध में दिक्कतों के बारे में भी कहा कि जो कम्प्रेशर आने हैं, वे आएंगे तो लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन जैसी अन्य कठिनाइयों के बारे में भी मैंने बताया है। मैं आशा करता हूं कि वे भी दूर हो जाएंगी। सभी स्टेशन, पहली बार 87 स्टेशन, 30 सितम्बर से काम करने लग जाएंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मंत्री जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सक्षम मंत्री हैं। मैं जो उनसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उससे हमारे दोस्त को थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। आपने अपने जवाब में यह कहा कि अगर कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में कैसे आएगा। आपने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल में लाया जाए। आपने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को यह बताना है कि पांच साल के बाद दिल्ली में कितने वाहन होंगे और कितना फ्यूल लगने वाला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह काम सरकार का नहीं है? एक्जीक्यूटिव आर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमारे पास आ जाएंगे, पालिसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगी। अगर हम यहां कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि लोगों को तकलीफ हो रही है इसलिए आप गलत बोल रहे हैं तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? इस प्रकार के जवाब देकर कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डिसाइड होगा या दिल्ली सरकार तय करेगी, क्या यह सरकार नहीं जानती कि पांच साल के अंदर कितने वाहने आने वाले हैं और किस प्रकार का फ्यूल होना चाहिए? आपकी कोई प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग नहीं है, इससे तो यह बात निकलकर आ रही है। मुझे बड़ा दुख है, मैं इस हालत में आपको नहीं रखना चाहता, लेकिन इसीको कहते हैं नॉन-गवर्नेंस, इसी को कहते हैं एनएफीशेंट गवर्नेंस और इसी को कहते हैं ए गवर्नेंस विदआउट एनी विजन।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बैठे हैं। वह जवाब देंगे। वह नीति का पक्ष रखने में समर्थ हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं जानना चाहूंगा ऐसे प्रश्न भविष्य में निर्माण न हों, मंत्री जी का ही यह प्रश्न नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी एक्जीक्यूटिव की तरफ से और हम जो यहां बैठे हैं, उनकी तरफ से क्या होने जा रहा है?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे आप बूढ़ा मत बोलिए।

श्री राम नाईक: उनके मन में मेरे प्रति जितना आदर है, उससे कहीं ज्यादा मेरे मन में उनके प्रति है। माननीय सदस्य को यह मालूम है कि शहर की परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। इसलिए राज्य सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए। हमारा काम गैस देने के सम्बन्ध में है, उसके बारे में हमने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

श्री शिवराज वि. पाटील: पालिसी बनाना आपका काम है।

श्री राम नाईक: आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप क्या करें।

श्री राम नाईक: मैंने यह नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने यह कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। मैंने इतना ही कहा कि माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, यह भी उचित नहीं है। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है। 2025 तक क्या-क्या होना चाहिए, उसके हमने हाईड्रो कार्बन विजन-2025 बनाया है। उसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं। मैंने उसकी कापी सभी सदस्यों को दी है। आप चाहें तो मैं दोबारा आपको दे दूंगा। उसमें एक मुख्य बात यह है कि आटो फ्यूल किस दर्जे का हो, यह काम सुप्रीम कोर्ट या अन्य कहीं अटक न जाए, इस भूमिका में हमने एक आटो फ्यूल पालिसी बनाने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का फैसला किया है। डा. मशेलकर, आप सभी जानते हैं कि वे देश के एक काबिल अधिकारी हैं, उनके साथ अन्य वैज्ञानिकों को भी शामिल करके वह कमेटी बनाने का फैसला किया है। वह समिति देखेगी कि फ्यूल के बदले में कौन से एमिशन नार्म्स तय करने हैं। वे नार्म्स तय किए जाएंगे, तभी उसमें साइंटिफिक एप्रोच आएगी। अभी हम यह कह रहे हैं कि आप उस डुअल फ्यूल पालिसी जिसमें .05 प्रतिशत लो सल्फर डीजल है, उसको भी इस्तेमाल करें। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया में कहीं भी

एक भी वाहन सी.एन.जी. से नहीं चल रहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी हम बता रहे हैं क्योंकि उनके यहां केस चल रहा है। मैंने यह भी कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने दो दफा मीटिंग की है। हमारे जो मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के कारण जो एमीकसक्यूरी है, जो सालिसिटर जनरल फ्रेंड आफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको सारी जानकारी दी है और आज ही शाम को साढ़े पांच बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्री जी की मोटे तौर पर इस बारे में विचार करने के लिए, भविष्य में नीति निर्धारण करने के लिए मीटिंग बुलाई है। प्रधान मंत्री जी इसमें दखलअंदाजी दे रहे हैं, यह बात भी हमें समझनी चाहिए। इसके आधार पर भविष्य का रास्ता हम तय करेंगे लेकिन उसमें आपका सहयोग भी हम चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, अपनी पर्यावरणीय व्यवहार्यता के कारण देश में सी.एन.जी. प्रणाली की महत्ता बढ़ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की केरल में कोई सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र प्रणाली खोलने की योजना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, सी.एन.जी. का मतलब कम्प्रैस्ड नैचुरल गैस है। अभी इस समय पर केवल दिल्ली और मुम्बई में कुछ मात्रा में हम दे रहे हैं और इसलिए हमारे पास गैस उपलब्ध नहीं है। भविष्य में जैसे-जैसे गैस उपलब्ध होगी और एल.एन.जी. टर्मिनल बनेगा, वैसे दाभोल, गुजरात में एक टर्मिनल बन रहा है और दूसरा 2.5 का कोची में भी बन रहा है। वह जब भी बनेगा, तब उसका उपयोग किया जा सकता है। आज की स्थिति में परंतु कुछ देने जैसा अन्य शहरों के लिए अभी नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: एक बात बतानी रह गई है और यह महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने जो पूछा और मैं यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

सी.एन.जी. ही केवल स्वच्छ ईंधन नहीं है।

[हिन्दी]

यानी कि आज अनेक प्रकार के जो फ्यूल्स माने जाते हैं और इसलिए हमें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि यही सब रोगों का राम वाण है। अब जो फ्यूल .05 का हम चार महानगरों में दे रहे हैं, वह भी हिन्दुस्तान में तत्काल 6-8 महीने में देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष जी, गलती किसी की भी हो चाहे दिल्ली सरकार की हो या केन्द्र सरकार की हो, लेकिन यह सही है कि जनता पिस रही है और यह भी सही है कि दिल्ली सरकार की शुरू से ही जिम्मेदारी इसमें ज्यादा थी कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जाये। शिवराज पाटील जी ने ठीक कहा कि कई निर्णय सरकार को लेने चाहिए उन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट लेने में लगा है और पिछले कुछ सालों के अंदर पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली हैं। इस बात की चिंता चन्द्रशेखर जी और दूसरे सीनियर लोगों को एक साथ बैठकर करनी चाहिए क्योंकि वह अकेले नहीं कर सकते हैं और उनके सहयोग के बिना यह नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच वर्षों से हर पार्टी के प्रमुख नेताओं को, आपकी पार्टी के नेताओं को भी मैं कहता आ रहा हूं कि यह अतिक्रमण एक दिन संसदीय जनतंत्र को समाप्त कर देगा और इस पर कोई भी कदम उठाने के लिए किसी पार्टी का नेता तैयार नहीं होता। मैं अकेला आदमी हूं लेकिन आपको मालूम है कि मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं। मुझे दुख है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिवराज पाटील जी, आप माननीय मंत्री जी से जितना जवाब-तलब करें, लेकिन जिस तरह से वहां से निर्णय हो रहे हैं, उसको कोई भी मंत्री, कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती।

श्री राम नाईक: यह सवाल नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनका जो भी सुझाव है, उस पर हम विचार करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: मैंने माननीय चन्द्रशेखर जी का नाम इसीलिए लिया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, जब भी आपको मौका मिलता है आप समस्या खड़ी कर देते हैं।

[हिन्दी]

आप सप्लीमेंट्री इनसे पूछने की बजाए इनसे पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं सी.एन.जी. के साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या का हल कर रहा हूं और यह मामला आपकी तरफ इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा आशाएं हैं कि आप सब लोगों को...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: महोदय, सरकार कह रही है कि कुएं के अन्दर सी.एन.जी. नहीं है। वह हो भी नहीं सकती है, क्योंकि एक सीमा होती है, किसी भी चीज का उत्पादन मिलने के लिए। सरकार कहती है कि और सी.एन.जी. नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 0.5 अल्ट्रा-डीजल को नहीं माना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई अध्यादेश या कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या संसद के माध्यम से, ताकि यह समस्या हल की जा सके?

महोदय, इसी से संबंधित, एक छोटा दूसरा सवाल है - थ्री-व्हीलर, दिल्ली के अंदर यदि सी.एन.जी. और अल्ट्रा-डीजल पर चलेंगे, तो क्या केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार से बात करके दो किराए दिल्ली के अन्दर करेगी - मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सवाल पर भी प्रकाश डालें।

श्री राम नाईक: महोदय, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दे रहा हूं। आज भी जो टैक्सियां पैट्रोल और डीजल पर चलती हैं, उनके किराए अलग-अलग हो सकते हैं। सभी वाहन एक ही फ्यूल पर चलें, यह बात अपने आपमें ठीक नहीं है। सी.एन.जी. और डीजल से चलने वाले वाहनों द्वारा क्या किराया लेना है, क्या फैसला करना है, यह काम तो राज्य सरकार का है। इस पर विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य की बात सही है।

जहां तक उन्होंने आर्डिनेंस निकालने की बात कही है, तो उपाध्यक्ष महोदय, संसद का अधिवेशन चल रहा है, कैसे कोई आर्डिनेंस निकाला जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज वि. पाटील और अन्य द्वारा पूछे गए अधिकतर प्रश्नों को मैं तैयार कर रहा था। मैं पूरी तरह से श्री चन्द्रशेखर जी के साथ हूं कि सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। यह सभा भी सर्वोच्च है। इस पर विचार करने पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों, दोषी हैं। दोनों दलों के कुछ नेता सड़क पर जाकर लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। यही सही समय है जब केन्द्र और राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हमारा यह कार्यक्रम है जिसका वे अनुपालन करने जा रहे हैं और वे नीति के खिलाफ नहीं हैं। अब आगे इस तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अपने शपथ-पत्र में आप दोनों को ठोस कदम उठाने के बारे में बताना चाहिए। स्कूली बच्चों और आम लोगों को होने वाली परेशानी तुरन्त बंद होनी चाहिए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, पहले सवाल पर आधे घण्टे का समय दिया जा रहा है, तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, वह हम कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रैल में और 14 अगस्त को बता दिया है कि इस दिशा में और क्या कर सकते हैं। आपने जो भावना व्यक्त की है, दिल्ली के लोगों की तकलीफ को कम करने की दृष्टि से, उन बातों पर समुचित विचार करके निश्चित तौर पर हम निर्णय लेंगे। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री साहिब सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह सत्य है कि ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है और यह भी सच है कि बिजली देनी है, तो दिल्ली सरकार देगी और कहीं जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार देगी तथा दिल्ली में बसें कितनी चलनी हैं, तो दिल्ली सरकार बताएगी, लेकिन इन सबके बावजूद भी...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: सारा काम दिल्ली सरकार करेगी, तो केन्द्रीय सरकार क्या करेगी, यह भी बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री साहिब सिंह, आप भाषण नहीं दे सकते। कृपया आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: इन सबके बावजूद 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हुए। उसके बाद क्या दिल्ली सरकार ने अक्तूबर, 1998 से आज तक, जो सरकार इस वक्त काम कर रही है, क्या उस सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार को यह बताया कि कहीं पर कितनी आवश्यकता पड़ेगी और कितने डिपो खोलेंगे? कब बताया और वे कितने दिन में खोल सकते थे। क्या उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कोताही हुई है? क्या केन्द्र सरकार ने पूरी तरह से उसे समय पर खोल दिया है? उसके लिए कौन दोषी है?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, कौन दोषी है, यह कहने का मेरा अधिकार नहीं है। जनता और संसद तय कर सकती है कि इसमें कौन दोषी है। मैं यह जरूर करना चाहूंगा कि जो भी काम ऐसे समय पर केन्द्र सरकार से होना चाहिए, वे सारी बातें हम कर रहे हैं और जो राज्य सरकार से होना चाहिए वह हमारे ख्याल में आता है तो हम राज्य सरकार को भी बताते हैं। मुख्य मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वह आगे भी हमें सहयोग देंगे।...*(व्यवधान)* मैंने जैसे इलैक्ट्रीसिटी के बारे में बताया, वह काम हम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों द्वारा मिट्टी के तेल की बिक्री

***542. श्री मंजय लाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों को समानान्तर बाजार में अपना मिट्टी का तेल बेचने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार में मिट्टी के तेल की खुली उपलब्धता डीजल/पेट्रोल में इसकी मिलावट का एक कारण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कौन से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) गैर-सरकारी रिफाइनरी सहित किसी भी घरेलू रिफाइनरी को समानान्तर बाजार में अपने मिट्टी के तेल की बिक्री करने की अनुमति नहीं है मिट्टी के तेल को पेट्रोल तथा डीजल के साथ मिलाया जा सकता है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी कैरोसीन (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा प्रयोग पर प्रतिबंध) आदेश, 1993 के अनुसार मिट्टी के तेल को ईंधन या मोटर वाहनों में ईंधन के एक योगज के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध है।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट की जांच करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं यथा:

- केरोसीन का ब्ल्यू डाईंग तथा फरफर्ल डापिंग।
- खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल तथा डीजल की घनत्व जांच।
- खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नियमित/आकस्मिक निरीक्षण।
- मिलावट रोधी कक्ष की स्थापना तथा कक्ष के अधिकारियों को अधिकार देना ताकि वे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत तलाशी और कब्जा कर सकें।
- खुदरा बिक्री पर पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट जांच करने के लिए वर्ष 1999 से 2001 के दौरान चल प्रयोगशालाओं की संख्या 23 से बढ़ाकर 46 करना।

मिलावट करने के दोषी पाए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के खिलाफ डीलरशिप करार के अनुसार और/या विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश-2001 में यथा निर्धारित ढंग से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

राज्य सरकारों को खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करने के लिए तथा जहां कहीं किसी अनाचार/अनियमितता का पता चलता है तो दोषी डीलर के खिलाफ अनिवार्य वतु अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भी शक्ति प्रदान की गयी है।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आज राशन और कैरोसिन के अभाव में गरीबों के झोंपड़ों में चूल्हा नहीं जलता और अंधेरे में दीपक भी बुझे रहते हैं। सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है, वास्तविकता से परे हैं। सरकार ने डीजल/पेट्रोल के कैरोसिन मिलावट के संबंध में अनेकों उपाय बताए हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों दवा की गई, मर्ज बढ़ता गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी तेल के उत्पादकों द्वारा खुले बाजार में कैरोसिन तेल का मूल्य कम

एवं डीजल का मूल्य लगभग तीन गुना रहने के कारण विक्रेता डीजल एवं पैट्रोल में कैरोसिन तेल का मिलावट करके अधिक मुनाफा कमाती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों में तेल के रंग में अनिवार्य रूप से परिवर्तन करने के निर्देश देना चाहती है, जिससे मिलावट में कमी आ सके तथा जनता को लाभ मिल सके।

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो पेरलल मार्केट के तहत जो केरोसिन आता है, उसका है। लेकिन यह बात सही है कि पेरलल मार्केट से जो कैरोसिन आता था उसका उपयोग भी एडल्टरेशन के लिए किया जाता था। मैं आपको पेरलल मार्केट के तहत कितना कैरोसिन देश में आया, उसके दो-तीन साल के फीगर बताना चाहता हूं। 1998-99 में 1,644 हजार मीट्रिक टन आया। हमने पिछले दो साल में सख्ती से यह काम एडल्टरेशन के विरोध में चलाया, जब सन् 2000-2001 में पेरलल मार्केट में जो तेल आया वह, 16,00 टीएमीट से 308 तक नीचे आया है।

[अनुवाद]

आयातित मिट्टी के तेल को काफी कम कर दिया गया है। इसलिए हमने मिट्टी तेल पर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है। आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

मिलावट रोधी गतिविधियों के संबंध में हमने एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया है। राज्य सरकार भी सहयोग कर रही हैं। उसके अंतर्गत हमने कठोर कार्रवाई की है जिसके कारण मिलावट में कमी आई है। मैं नहीं कहता कि यह खत्म हो गया है।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल: उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि पैट्रोलियम और रसायन स्थाई समिति की मुंबई बैठक में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम, इंडियन आयल, भारतीय पैट्रोलियम एवं आई.वी.पी. के अध्यक्षों द्वारा मोबाइल जांच कमिश्नरी स्तर पर चलाने की बात कही थी। अगर कही गई थी तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही हुई है और सरकार द्वारा क्या समीक्षा की गई है? जांच के समय, जिन सांसदों के क्षेत्रों में जांच कमेटियां कम्प्लेंट होने पर जाएं, वहां आफिसरों पर चेक और बैलेंस रखने के लिए क्या वहां के सांसदों को भी रखने का सरकार प्रबंध करती है?

श्री राम नाईक: सभापति महोदय, यह बात सही है कि एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एडलट्रेशन को सख्ती से रोकने के लिए काम करने पर सहमति बनी थी। उसके बाद हमने कई उपाय किये। उसमें यह भी बात आई थी कि हमारे देश में चैकिंग करने के लिए लैब्रोरेट्रीज की संख्या कम है। मैंने जब इस मंत्रालय का चार्ज लिया उस समय देश में केवल 23 मोबाइल लैब्रोरेट्रीज थी इस प्रकार की चैकिंग के लिए लेकिन इस समय 46 हैं यानी डबल हो गयी हैं। हमारा टार्गेट इस साल तक इन्हें 50 तक करने का है और वह टार्गेट हम पूरा कर लेंगे। मेरा अनुरोध है कि सदस्यों को कहां और क्या गलती हो रही है वह बताना चाहिए, उसके आधार पर हम काम करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव: सांसदों को कोई पूछता नहीं है।

श्री राम नाईक: मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को जनता पूछती है और जनता से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई कमेटी बनाकर उस पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसलिए वह उचित नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी कहा कि सन् 1998 में 1000 मीट्रिक टन कैरोसीन अनियमित ढंग से आ रहा था।

श्री राम नाईक: अनियमित नहीं पैरलल इम्पोर्ट करने की सरकार ने पहले स्कीम बनाई थी, उसके लिए कोई इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं लगता था, उसके आधार पर वह आ रहा था। वह अनियमित नहीं था।

श्री चन्द्रशेखर: मुक्त व्यापार के जरिये से आ रहा था लेकिन क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अन्य तरीकों से भी इसमें बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा मिलावट बड़े पैमाने पर की जाती है और क्या उनको इस बारे में शिकायतें मिली हैं या नहीं। अगर मिली हैं तो उन बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध उन्होंने क्या कदम उठाये हैं?

श्री राम नाईक: आप उनका नाम लेते तो मैं आपको बता सकता था।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष जी, अगर मंत्री महोदय नाम चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि रिलाइन्स कम्पनी ने इम्पोर्ट किया था।

श्री राम नाईक: माननीय चन्द्रशेखर जी ने जो बताया और नाम लिया तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले की ड्राफ्टिंग में एक शब्द की गलती थी और उस गलती का लाभ लेकर लगभग 300 टन उन्होंने देश में ही वितरित किया। जब यह बात हमारे ध्यान में आई तो उसे हमने एग्जामिन किया और तुरंत जो कानूनी शब्द गलत था उसको सुधारा है और अब इस प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। कानून के तहत जिसने भी चार-पांच साल पहले ड्राफ्टिंग की उसके तहत यह हुआ। इसलिए कानून के तहत यह बात ध्यान में आई तो हमने तुरंत नियमों में परिवर्तन किया और वह अब रुक गया है।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, पेट्रोल और डीजल में मिट्टी तेल के मिलावट के मद्देनजर मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है जिससे मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर बेचा जा सके? यदि वे यहां बिना कर के बेचे जाते हैं तो क्या इससे समस्या का समाधान होगा?

श्री राम नाईक: मुझे खेद है, मैं प्रश्न को नहीं समझ पाया।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: यह समस्या डीजल और पेट्रोल में मिट्टी तेल के मिलावट के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए, क्या सरकार ने इसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इन सब चीजों का आयात करके और भारत में इसे लागत मूल्य पर बेचने हेतु कोई नीति बनाई है।

श्री राम नाईक: महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर काफी विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

वर्ष 1997 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मिट्टी तेल गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता है, इसलिए उस पर राजसहायता प्रदान की जाएगी और वह राजसहायता 33 प्रतिशत तक होगी। 1 अप्रैल, 2002 को प्रशासित मूल्य प्रणाली खत्म हो जाएगी। पिछले दो-तीन वर्षों में थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है। आज की स्थिति के अनुसार 33 प्रतिशत और वर्तमान राजसहायता के बीच अंतर केवल 1.20 रुपये है। यदि सभा इस बात पर सहमत है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं सभा की राय लूंगा और ऐसा अवश्य करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि इसका बोझ निर्धन लोगों पर पड़ेगा। इसलिए हम इस पर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, माननीय मंत्री ने यहा बात का उल्लेख किया है क आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मिट्टी तेल का प्रयोग कर रहा है। विशेष रूप से हमारे केरल में, मछुआरे मत्स्यन के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी तेल का प्रयोग करते हैं। माननीय मंत्री ने यहां कहा कि डीजल और पेट्रोल में मिट्टी तेल की मिलावट रोकने के लिए सरकार कुछ उपाय कर रही है। इससे तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से केरल में मिट्टी तेल की कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा मछुआरों के लाभ के लिए विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मिट्टी तेल की कृत्रिम कमी से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

श्री राम नाईक: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब दूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी एक तटीय क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। इसलिए, मुझे मछुआरों की समस्याओं की जानकारी है। मछुआरों के लिए पहने डीजल के विशेष पम्प प्रदान किया है। यह सही समय है जब उन्हें मिट्टी के तेल की जगह डीजल का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। तब, मूल्य में कुछ समानता होगी। यदि किसी खास क्षेत्र या शहर की कोई विशेष समस्या है और यदि माननीय सदस्य मुझे सूचित करते हैं, तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री पी.सी. थामस: आप इस समस्या से अच्छी तरह परिचित हैं...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: मैं जानता हूं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उस पर ध्यान न दें। वह बैठे हुए हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री एस. मुरूगेसन: महोदय, गांवों में मिट्टी का तेल निर्धन लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण ईंधनों में से एक है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है। वस्तुतः मिट्टी के तेल का प्रयोग डीजल और पेट्रोल में मिलावट के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार ने इस बारे में पहल की है और मिलावट पर नियंत्रण रखने और उसे रोकने के लिए कदम उठाए हैं पर मेरी राय में वे बिल्कुल निष्प्रभावी साबित हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री एस. मुरूगेसन: क्या सरकार, उठाए गए कदमों के अलावा, कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी?

श्री राम नाईक: हमें मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ना होगा। मैं ऐसा कर रहा हूं; माननीय सदस्यों को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। वस्तुतः मिलावट के खिलाफ सभी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत करनी होती है जो राज्य सरकारों के अधिकार में है। इसके अलावा, तेल कंपनियां हैं और केन्द्र में हमने हाल में मिलावटरोधी प्रकोष्ठ बनाया है।

इसे मुझे सभा को बताने दें। उन्होंने कहा कि यह प्रभावी नहीं था। यह आपके लिए प्रभावी नहीं भी हो सकता है पर मैं इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। गत वर्ष हमने 50 पम्पों की सेवाएं समाप्त की और ऐसा दुबारा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी करीब 250 पम्पों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब एम.पी. थे तो बहुत स्ट्रौंग सवाल पूछते थे लेकिन इन्हें जब से मंत्री पद मिला है, वह जनता की बातों को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: राजो सिंह जी, क्या आपका यही सप्लीमैंटरी है?

श्री राजो सिंह: जो इनफीरियर एरियाज हैं, आपने कहा है कि वहां मिलावट की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या 23 से बढ़कर 46 कर दी है। आप कृपया यह बताएं कि इसे कहां-कहां किया है? आपने स्वीकार किया है कि कैरोसिन आयल में मिलावट होती है। इसे गांव के गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे मित्र ने जो प्रश्न पूछा, उसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें माननीय सदस्य को रखा है या नहीं...

उपाध्यक्ष महोदय: राजो सिंह जी, आप अपना सप्लीमेंटरी पूछिये।

श्री राजो सिंह: मैं उसी बात को पूछ रहा हूं। माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां के लिए आपने जो जांच कमेटी बनाई है, जब भी जांच करने के लिये जाती है तो मिलीभगत होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह संसद को सूचित करके जायेगी जो उसे प्रमाणित करने के साथ उसे सुपरसीड कर सकेंगे?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, अगर ऐसा बताया जायेगा तो सरप्राइज रेड करने के लिये नहीं मिलेगा।

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष जी, सरप्राइज रेड होता ही नहीं। यह तो वही बात हुई कि जिस लड़के के साथ लड़की की शादी हो रही है, उससे ही परवेज है।

उपाध्यक्ष महोदय: राजो सिंह जी, आप पहले उत्तर सुन लीजिये।

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह कहा कि मैं जोरदार क्वश्चन पूछता था लेकिन मैं यह कहूंगा कि जोरदार उत्तर तो दिया जा रहा है। जो काम मुझे दिया गया है, वह मैं कर रहा हूं। मैंने यह भी मान लिया कि मिलावट बड़े पैमाने पर की जाती है और उसे रोकने के लिए केवल सराकरी यंत्रणा ही काफी नहीं है। इसके लिये पीपल्स एक्सपैक्ट मूवमेंट भी चलाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है और माननीय सदस्य बतायेंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे। यदि इसमें सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम जरूर काम करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार सरकार भी आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करती है। हम माननीय सदस्य की भावनाओं को बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे।

श्री अरूण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस पालिसी के मिसइंटरप्रीटेशन की वजह से इतनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति हुई है, उसमें कौन-कौन से लोग इनवाल्वड हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगी?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, यह सब देखने के बाद हमारे ख्याल में आया कि ड्राफ्टिंग में गलती है और उस गलती के कारण कोई लाभ ले रहा है। अब कानून के तहत वह अमेंडमेंट करके परिवर्तन कर लिया गया है और उसे रोक दिया है।

श्री अरूण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, फाल्टी कानून बनाने वाले जो लोग इन्वाल्ड हैं, क्या सरकार उसकी जांच करना चाहती है क्योंकि राष्ट्र को भारी क्षति हुई है?

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसी प्रक्रिया पहले हुई है।

श्री अरूण कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो कंटीन्युस प्रोसैस है कि जो गलती हुई है, वह आगे न हो, इसके लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अरूण कुमार कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी: महोदय, जहां तक डीजल और पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल की कीमतों में अंतर का प्रश्न है वह बहुत अधिक है इसलिए मिलावट होनी ही होनी है आप चाहे जो क्रियान्वयन प्रणाली लागू कर लें वह असफल हो जाएगी। मैं इसे इस प्रकार सिद्ध कर सकता हूं।

दूसरी ओर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय या सरकार किसी ऐसे तरीके पर विचार कर रही है जिससे

मिट्टी के तेल की मिलावट न की जा सके। आप ऐसा तरीका निकालिए, जिससे मिलावट संभव न हो अब वह चाहे अनुसंधान से हो या किसी अन्य तरीके से किया जाए। आप ऐसा उपाय खोजिए जिससे मिट्टी के तेल की मिलावट न की जा सके। आप कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया खोजिए तभी आप सफल होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी वैज्ञानिक प्रक्रिया खोजिए तभी आप सफल होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी वैज्ञानिक कार्यप्रणाली द्वारा ऐसा कोई तरीका खोजा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष जी, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उनका जिक्र प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है कि किन-किन तरीकों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। असली कारण प्राइस डिफ्रेंस से होता है। जो चोरी कर रहे हैं, उनको रोकने के लिये हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और सरकार की जो जिम्मेदारी है, वह हम कर रहे हैं।

देश में प्रसंस्कृत किए जाने वाले फल और सब्जियां

***544. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कितने प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया गया;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि उक्त प्रतिशत काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान फल एवं सब्जी का उत्पादन क्रमशः 120.94, 131.58 और 136.33 मिलियन टन था। लेकिन फल एवं सब्जियों की प्रसंस्करण योग्य किस्मों के अलग-अलग कुल उत्पादन के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। इसलिए उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच सटीक संबंध स्थापित करना कठिन है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 2% फल एवं सब्जियों को ही प्रसंस्कृत किया जाता है।

विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार, वर्तमान उद्योगों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास और गुणवत्ता नियंत्रण आदि के वास्ते वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2001-2002 के बजट में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों को 16% केन्द्रीय उत्पाद से छूट दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने नीति का एक प्रारूप भी तैयार किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, बुनियादी-सुविधाओं में महत्वपूर्ण अंतरों को भरने और खाद्य श्रृंखला के विभिन्न संघटकों के बीच संबंध (लिंकेज) स्थापित करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि देश में कितने प्रतिशत फल और सब्जियों का प्रोसेसिंग किया जाता है। सरकार का जवाब आया है कि मात्र दो प्रतिशत का किया जाता है। पूरे विश्व में भारत सबसे अधिक सब्जी और फल उगाने वाला देश है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके बारे में पिछले 11 अगस्त, 2000 को उस समय के कृषि मंत्री ने यह घोषणा की थी कि हम नेशनल फूड प्रोसेसिंग डेवलपमैन्ट एक्ट लाने जा रहे हैं। आज लगभग एक वर्ष का समय बीत गया है, सरकार नेशनल फूड प्रोसेसिंग डेवलपमैंट एक्ट सदन में कब लायेगी और इस संबंध में सरकार के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसके संबंध में आगे की कार्रवाई करने के बारे में सरकार का क्या विचार है। मंत्री जी कृपया इस बारे में बतायें।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह: माननीय सांसद ने सही कहा है कि यहां कुल फलों और सब्जियों का केवल दो प्रतिशत ही प्रसंस्कृत किया जाता है। वह नीति बनाई जा रही है, प्रारूप तैयार है। कुछ अन्य मंत्रालयों ने इस पर सुझाव दिए हैं।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हिंदी में है, माननीय मंत्री जी हिन्दी जानते हैं। यदि वे हिन्दी में उत्तर दें तो बड़ी कृपा होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वे अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। हिन्दी जानने के बावजूद भी वे अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: मैं जरूर हिन्दी में जवाब दे दूंगा, उसकी कोई प्राब्लम नहीं है। लेकिन अगर तमिलनाडु के मिनिस्टर होते और हिन्दी में पूछते तो प्राब्लम हो जाती, इसलिए उस पर इनसिस्ट मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अंग्रेजी में शुरू किया है, इसलिए अंग्रेजी में समाप्त कीजिए।

श्री अजित सिंह: मैं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में दूंगा। ड्राफ्ट पालिसी तैयार है, इसके ऊपर बहस होनी बाकी है। इसे कैबिनेट में पेश किया जाना है। यह मैं मानता हूं कि फूड प्रोसेसिंग हमारे यहां काफी लो है यह दो परसेन्ट ही है। इसे दस प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है और उसके लिए एक लाख चालीस हजार करोड़ के इनवैस्टमैन्ट की जरूरत है। हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग में बहुत समस्याएं है। चूंकि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसेलिटीज नहीं हैं। रॉ मैटीरियल की सफीशिएन्ट क्वान्टिटी नहीं है जो प्रोसेस किया जा सके और हमारे देश में प्रोसेस्ड फूड को खाने वाले बहुत लोग भी नहीं हैं। इसलिए यह अभी दो परसेन्ट ही है। पिछले तीन-चार साल में इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। इसका एक कारण यह भी है कि फ्रूट और वैजिटेबल्स का जो उत्पादन बढ़ा है, जो उसका प्रोसेस होता है, वह बढ़ा है। लेकिन यह दो परसेन्ट के करीब ही है।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड में जितना प्रोसेस्ड फूड खाया जाता है, वहां जितने फल और सब्जियां खाई जाती हैं, उससे अधिक भारत में नुकसान हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन प्रदेशों में फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। मैं विशेषकर बिहार के बारे में उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार में उत्तरी बिहार और मध्य बिहार में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है और वहां कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। वहां केवल एग्रीकल्चर पर ही सारी व्यवस्था बेस्ड है। क्या माननीय मंत्री जी उस जगह पर कोई फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने के लिए विशेष सुविधा देंगे। विशेषकर शीतगृह निर्माण का कोई पैकेज क्या वह बिहार को देने जा रहे हैं, मैं इसके बारे में उनसे जानकारी चाहूंगा।

श्री अजित सिंह: सरकार आर्थिक मदद करती है। सोलह फूड पार्क्स बनाने की परमीशन दी गई है जिसमें सरकार चार करोड़ रुपये तक ग्रान्ट के तौर पर देती है। बिहार में लीची एक ऐसा फल है जिसका प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि वहां से कोई प्रोपोजल आयेगा तो हम बिहार को जरूर प्राथमिकता देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बहुत मिठास भरा है। हम बहुत अन्नानास उगाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम मुवत्तुपुजा है। इस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। जहां तक उत्पादकता का संबंध है हमने बहुत उच्च स्तर को प्राप्त किया है और बहुत से युवा किसान खेतों में काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थामस, आपको अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री पी.सी. थामस: उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वे अन्नानास की बेहतरीन किस्म का अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं। मुम्बई में लारी की हड़ताल होने से या भारत के किसी भाग में और कोई भी हड़ताल होने से अन्नानास का मूल्य गिर जाता है। हमारे पास प्रसंस्करण की सुविधाओं का अभाव है।

मेरा प्रश्न फल प्रसंस्करण से संबंधित है। क्या मंत्री महोदय फलों और सब्जियों के लिए विशेषकर अन्नानास के लिए यदि संभव हो तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में या यदि संभव न हो तो भारत भर में कहीं भी कोई प्रसंस्करण इकाई लगाने पर विशेष ध्यान देंगे जिससे कि फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। मंत्री महोदय भी एक किसान हैं।

श्री अजित सिंह: महोदय, सरकार ऐसे किसी भी उद्यमी को बढ़ावा देगी जो अन्नानास या किसी भी अन्य फल के लिए फल -प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आएगा। हमने करावकाश दिया है। हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर से उत्पाद शुल्क हटा लिया गया है। माननीय संसद सदस्य ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से नवयुवक इस काम में इच्छुक हैं। मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे उन्हें समझाएं और इसके लिए तैयार करें कि वे कोई प्रस्ताव लेकर आगे आएं और सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी।

श्री पी.सी. थामस: वे इस सदन में कुछ अन्नानास मुफ्त में भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के प्रोडक्ट को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार ने एक बड़ी भारी योजना बनाई, ऐक्शन प्लान बनाया और उसी के परिणामस्वरूप इस बार बजट में एक्साइज ड्यूटी समाप्त की थी। जो एक्शन प्लान बनाया है कि इतने बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन बढ़ाना है और किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो वह योजना क्या है और वह टाइम बाउंड है या लंबी चलती रहेगी?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर भी संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री अजित सिंह: महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में पिछले बजट की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री अजित सिंह: फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण करने पर इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट है। शीतल पेयों पर विशेष उत्पाद शुल्क की दर 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दी गई है। राज्य द्वारा लगाए गए शुल्कों को ध्यान में रखते हुए आयातित शराब पर शुल्क उचित दर से लगाया गया...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: एक्शन प्लान बनाया है पहले।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह: हमने ये कदम उठाए हैं। आयातित वस्तुओं पर खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: यह तो बजट में है मैंने कह दिया है उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए जो कदम उठाने थे, वे क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह: खाद्य प्रसंस्करण विकास अधिनियम के अन्तर्गत दस साल का करावकाश दिया गया है। हम नए अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित कर रहे हैं। हम खाद्य उद्यानों (फूड पार्क) के विकास हेतु प्रमुख औद्योगिक निगमों की पहचान कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, फल-प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में मुख्य बाधा आधारभूत ढांचे के अभाव की है। मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों को उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं और इसके लिए अलग वातावरण निर्मित करने, किसानों को प्रौद्योगिकीय जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी सुविधाओं की जांच करेगी जिससे इस उद्योग का विकास हो सके? क्या सरकार किसानों को ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी?

श्री अजित सिंह: माननीय सासंद ने कहा कि मुख्य समस्या आधारभूत ढांचे के अभाव की है। रेफ्रीजरेटर वाले ट्रकों की कमी जिन क्षेत्रों में फलों का उत्पादन कम और खपत अधिक है वहां इन्हें पहुंचाने के लिए सड़कों का अभाव, शीत-श्रृंखला का अभाव, वर्गीकृत करने की सुविधाओं का अभाव आदि समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। इसके कारण, बर्बादी अधिक होती है। कृषि मंत्रालय राज्यों को इसके लिए विशेष रूप से धन उपलब्ध करा रहा है। समष्टि प्रबन्धन के अंतर्गत यदि वे ऐसा करना चाहें तो वे प्रत्येक समुदाय के लिए वर्गीकरण की प्रणाली बना सकते हैं। हम अनुदान दे रहे हैं। पहले इसके लिए ऋण दिया जाता था। अब हम शीत-श्रृंखला और शीतागार सुविधाओं के लिए अनुदान दे रहे हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा हम खाद्य उद्यानों (फूड पार्क) के लिए अनुदान दे रहे हैं। ऋण देने के बजाय हम प्रत्येक खाद्य उद्यान के लिए अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपये दे रहे हैं और ऐसे 16 मामलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

अत: सरकार उनकी सहायता करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आधारभूत ढांचे की समस्या के अतिरिक्त मांग की कमी, कच्चे माल की मौसमी उपलब्धता और बहुत कम लाभ की समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं भी वहां हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खतरनाक पुलों के स्थान पर नये पुलों का निर्माण

*543. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंग्रेजों द्वारा निर्मित ऐसे रेल पुलों की संख्या कितनी है जो अपनी निर्धारित समयावधि पूरी कर चुके हैं;

(ख) देश में खतरनाक बन चुके रेल पुलों की सूची क्या है; और

(ग) इन खतरनाक रेल पुलों के स्थान पर नये पुलों के निर्माण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) पुलों के पुनर्निर्माण संबंधी निर्णय उनकी केवल आयु की समाप्ति के आधार पर नहीं लिए जाते हैं बल्कि उनकी आयु एवं वास्तविक हालत और तकनीकी पहलुओं के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) 1.4.2001 तक देश में 515 खतरनाक पुल हैं। रेलवे-वार सूची निम्नानुसार है:-

रेलवे	खतरनाक पुलों की संख्या
मध्य	246
पूर्व	27
उत्तर	66
पूर्वोत्तर	25
पूर्वोत्तर सीमा	76
दक्षिण	5
दक्षिण मध्य	10
दक्षिण पूर्व	18
पश्चिम	42
कुल	515

(ग) पहचाने गए खतरनाक पुलों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन के काम को प्राथमिकता निरीक्षणों के माध्यम से उनकी वास्तविक हालत के आधार पर दी जाती है।

विशेष पर्यटन क्षेत्र को वित्तीय सहायता

***545. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में पता लगाए गए प्रत्येक स्थान के लिये अब तक कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन विकास में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके केरल में बेकल, महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग, तमिलनाडु में मामल्लापुरम, उड़ीसा में पुरी और दमन तथा दीव में दीव नामक 5 विशेष पर्यटन क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार है-

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशेष पर्यटन क्षेत्र	स्वीकृत राशि
केरल	बेकल	190.00
महाराष्ट्र	सिन्धुदुर्ग	302.70
तमिलनाडु	मामल्लापुरम	78.73
उड़ीसा	पुरी	167.21
दमन और दीव	दीव	41.07
	कुल	779.71

(ख) केरल में बेकल और महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग को छोड़कर अन्य तीन क्षेत्रों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने मास्टर प्लान/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और भूमि के अधिग्रहण तथा विशेष पर्यटन क्षेत्र के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के बारे में सम्बद्ध राज्यों से कहा है।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

***546. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिये पिछले वर्ष 600 करोड़ रुपए की लागत का कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) देश में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कपास का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(च) उक्त अवधि के दौरान कपास का देश-वार कितनी मात्रा में निर्यात और कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस आयात का घरेलू कपास उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(छ) इस संबंध में भारतीय कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने कपास के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए 566.5 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम—कपास प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी, 2000 से शुरू की है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन में चार उप मिशन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, उप मिशन-1, जिसमें अनुसंधान से संबंधित पहलू शामिल है, के कार्यान्वयन के लिए तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग विस्तार तथा विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित उप मिशन-2 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विपणन के आधारभूत ढांचे के सुधार से संबंधित उप मिशन-3 हेतु तथा जिनिंग/प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण से संबंधित उप मिशन-4 हेतु वस्त्र मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार के मंत्रीमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति तथा संबंधित सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक उप मिशन हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा उक्त स्कीम की नियमित समीक्षा की जा रही है। इन समितियों के अलावा कृषि आयुक्त, भारत सरकार जो मिशन निदेशक भी हैं, इस मिशन के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग कर रहे हैं। उक्त समीक्षाओं के आधार पर स्कीम में सुधार करने के लिए उसके प्रचालन दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(ङ) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कपास उत्पादन का राज्यवार विवरण संलग्न है (विवरण-I)। वर्ष 2000-2001 से संबंधित आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रमुख देशों से कपास के आयात और निर्यात का ब्यौरा संलग्न है (क्रमश: विवरण-II व III)। जहां तक कपास उत्पादकों पर कपास के आयात के प्रभाव का प्रश्न है, अब तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है, क्योंकि कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रहे हैं।

(छ) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन के अलावा सरकार द्वारा प्रति वर्ष कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं और मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में भारतीय कपास निगम के माध्यम से इसकी खरीद करने की गारण्टी दी जाती है। महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार खरीद स्कीम के अंतर्गत कपास की खरीद राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में मुख्य राज्यों में कपास उत्पादन

(उत्पादन 170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गाठों में)

राज्य	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	15.22	15.95
गुजरात	39.03	20.86
हरियाणा	8.73	13.09
कर्नाटक	9.77	7.6
मध्य प्रदेश	4.29	5.25
महाराष्ट्र	26.19	31.00
उड़ीसा	0.53	0.79
पंजाब	5.95	9.5
राजस्थान	8.72	9.84
तमिलनाडु	4.06	2.88
उत्तर प्रदेश	0.08	0.08
अखिल भारत	122.87	116.44

विवरण-II

प्रमुख देशों से वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भारत में कपास अवशिष्ट सहित कपास का आयात

आयातित मात्रा (मी. टन)

क्र.सं.	देश	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	13612	23208	29382
2.	बेनिन	2179	14501	24282

1	2	3	4	5
3.	बुर्किना फासो	1241	9919	7733
4.	मिस्त्र	7376	7908	8827
5.	जर्मनी	657	458	768
6.	इज्राइल	774	144	97
7.	आइवरी कोस्ट	976	18532	28775
8.	लातविया	2146	-	-
9.	रूस	1153	13439	8752
10.	सेनेगल	1082	969	1014
11.	दक्षिण अफ्रीका	1868	19453	6686
12.	सूडान	5712	1341	3115
13.	तुर्की	4212	17039	1375
14.	यू.के. (ब्रिटेन)	2142	701	118
15.	यू.एस.ए	3630	12866	14080

विवरण-III

भारत से वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान प्रमुख देशों को कपास अवशिष्ट सहित कपास का निर्यात

निर्यात की गई मात्रा (मी. टन में)

क्र.सं.	देश	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	बंगलादेश	1325	82	1601
2.	बेल्जियम	1344	1281	1210
3.	चीनी ताइपेई	8352	584	410
4.	चीन पी.आर.एफ.	2151	-	1062
5.	फ्रांस	845	913	1496
6.	जर्मनी	1842	616	1198
7.	हांगकांग	7576	141	1571
8.	इटली	4296	2862	5188
9.	जापान	5420	5471	4586
10.	नीदरलैंड	1493	220	90
11.	यू.के. (ब्रिटेन)	4234	2569	317

वस्त्र संबंधी मल्टी फाइबर समझौता

***547. श्री राम टहल चौधरी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 में मल्टी फाइबर समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय वस्त्र की संभावित प्रतिस्पर्धा का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मल्टी फाइबर समझौते की समाप्ति के बाद विश्व वस्त्र व्यापार में भारत का हिस्सा पर्याप्त रूप से बढ़े?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी, हां। हमारे वस्त्र और क्लोदिंग निर्यात पर कोटा पश्चात् नीति के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, मानव संसाधन विकास, नीतिगत समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि उद्योग कोटा पश्चात नीति के प्रतिस्पर्द्धी परिवेश का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हो सके।

सरकार ने परिवर्तनशील विश्वव्यापी परिवेश द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की स्थिति का जायजा लिया है और राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की घोषणा की है। नई नीति में घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की व्यवस्था है ताकि वह बढ़ रही विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने और वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सिले-सिलाए परिधान क्षेत्र के बुने हुए खंड का अनारक्षण उद्योग को इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमति देगा। राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए, एक ''वस्त्र पैकेज'' की घोषणा-पत्र क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2001-02 में की गयी थी। ''वस्त्र पैकेज'' के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:-

(1) सीमा शुल्क को 159 विशिष्ट वस्त्र तथा परिधान मशीनरी पर 15% से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, शटलरहित करघों सहित मशीनों की 12 महत्वपूर्ण मदों को भी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने तथा 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिकीकृत करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति प्रदान करने वाली सहायता आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत मशीनरी के लिए ह्रास भत्ते की दर बढ़ाकर 50% करदी गई है।

(3) 10 करोड़ रुपये का एक प्रावधान परिधान के उत्पादन और निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए बजट 2001-02 में उद्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, 15 करोड़ रु. का एक प्रावधान प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों पर महत्वपूर्ण अध्यसंरचना सुविधाओं के सुधार हेतु योजना के लिए किया गया है।

इसके अलावा, लगभग 600 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

कीटनाशकों के दुष्प्रभाव

***548. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) कृमिनाशियों के पंजीकरण की अनुमति देते समय कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति किसी फसल की कटाई से पहले अनुपालन करने के लिए खुराक, संख्या और प्रयोग विधि तथा प्रतीक्षा अवधि आदि निर्धारित करती है। पंजीकरण समिति की सिफारिशों के अनुरूप तथा अच्छी कृषि पद्धतियों का अनुसरण करने पर कृमिनाशियों का प्रयोग मानव स्वास्थ्य आदि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता।

रासायनिक कृमिनाशियों के अविवेकपूर्ण प्रयोग से कृमिनाशियों के प्रति कृमियों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, छोटी कृमियों का बड़ी कृमियों में बदलना खाद्य पदार्थों, चारे में विषाक्त कृमिनाशी अवशेषों का उच्च स्तर, जल, मृदा आदि में कृमिनाशी संदूषण जैसे बहुत से खराब प्रभाव पड़ते हैं।

कृमिनाशियों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं:-

(1) रासायनिक कृमिनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए संवर्धनात्मक, जैव विज्ञानीय और यांत्रिक विधियों तथा रासायनिक कृमिनाशियों के आवश्यकता आधारित प्रयोग सहित पारिस्थितिकी को पादप रक्षण के मुख्य घोषणा-पत्र और आधारभूत सिद्धांत के रूप में समेकित कृमि प्रबंध अपनाया गया है।

(2) समेकित कृमि प्रबंध की सीमा के अंतर्गत रासायनिक कृमिनाशियों के स्थान पर जैव नियंत्रक अभिकारकों तथा जैव कृमिनाशियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

(3) विस्तार कार्मिकों तथा किसानों को कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों के जरिए समेकित कृमि प्रबंध तथा कृमिनाशियों के सुरक्षित उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

(4) कृमियों के किफायती थ्रेशहोल्ड स्तर के आधार पर अंतिम विकल्प के रूप में समेकित कृमि प्रबंधन के अंतर्गत रासायनिक कृमिनाशियों के विवेकपूर्ण और आवश्यकता आधारित प्रयोग की सिफारिश की जाती है।

(5) विस्तार कार्मिकों एवं किसानों को समेकित कृमि प्रबंध तथा साथ ही कृमिनाशियों के सुरक्षित प्रयोग से संबंधित साहित्य निःशुल्क वितरित किया जाता है।

(6) खतरनाक कृमिनाशियों के प्रयोग की विशेषज्ञ समितियों/पंजीकरण समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विशेषज्ञ समिति/पंजीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर खतरनाक कृमिनाशियों के उत्पादन, प्रयोग आदि को समय-समय पर निषिद्ध/प्रतिबंधित किया जाता है।

[अनुवाद]

जल विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग

***549. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग पर एक "ब्लू प्रिन्ट" लाए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी, हां। विद्युत क्षेत्र विकास हेतु ''रूपरेखा'' तैयार की गयी है और देश में जल विद्युत विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा 1978-87 के दौरान किए गए अध्ययनों के आधार पर देश के बड़े/मध्यम स्तरीय स्कीमों से आर्थिक रूप से दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता 60% भार घटक पर 84044 मेगावाट के आसपास आंकी गयी है जो लगभग 150,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता के बराबर है। 1.8.2001 की स्थितिनुसार 60% भार घटक पर 14003.43 मेगावाट जल विद्युत शक्यता विकसित की गयी है और 5281.55 मेगावाट विकासाधीन है।

भारत सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। देश के विभिन्न भागों में लगभग 30,000 मेगावाट जल विद्युत विकसित करने के लिए भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जल शक्यता का बड़ा हिस्सा उत्तर-पूर्व, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में उपलब्ध है। उत्तर-पूर्व में सर्वाधिक गैर-संदोहित जल शक्यता उपलब्ध है। उत्तर-पूर्व में अन्य परियोजनाओं के अलावा सियांग एवं सुबानसिरी बेसिन (20700 मेगावाट) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

देश की व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) से कहा गया है कि वे देश के सभी गैर-विकसित जल विद्युत स्थलों के दर्जे का निर्धारण अध्ययन शुरू करें। के.वि.प्रा. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा नेशनल रिमोट संसिंग एजेंसी की सहायता से प्रथम चरण में कार्य आरंभ किए जाने वाली परियोजनाओं को अभिज्ञात करने हेतु बेसिन-वार अध्ययन शुरू किया है ताकि जल विद्युत विकास को उपयुक्त क्रम में शुरू किया जा सके। सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए हाल ही में तीन स्तरीय प्रक्रिया शुरू की है। क्षमता अभिवृद्धि में गति लाने हेतु जल विद्युत क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में भी वृद्धि की गयी है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

*550. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री विजय गोयल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक सुविधाएं देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये रेल किराए में रियायत लेने हेतु यात्रा के दौरान अपना आयु प्रमाण-पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) यात्रा के दौरान आयु प्रमाण-पत्र दिखाने में असमर्थ रहने पर दिये जाने वाले दंड का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) भारतीय रेलें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये निम्नलिखित हैं:-

(1) 60 वर्ष से ऊपर महिलाएं तथा 65 वर्ष से ऊपर पुरुषों को वरिष्ठ नागरिक रियायत के रूप में 30% की रियायत दी जाती है। यह रियायत मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी श्रेणियों के किरायों में तथा राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के किरायों में मान्य हैं।

(2) प्रमुख कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली वाले स्थलों पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से चिह्नित विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों के लिए आरक्षित काउंटरों पर सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(3) आरक्षण की मांग करते समय वरिष्ठ नागरिकों को नीचे की शायिका स्वतः आबंटित कर दी जाती है बशर्ते कि शायिका उपलब्ध हो।

(4) जिन वरिष्ठ नागरिकों को बुकिंग के समय नीचे की शायिका उपलब्ध न होने के कारण ऊपरी/बीच की शायिका आबंटित की जाती है तो गाड़ी में तैनात कंडक्टरों/चल टिकट परीक्षकों को प्राधिकार है कि वे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा नीचे की शायिका मांगने पर शायिका आबंटित कर दें बशर्ते कि नीचे की शायिका उपलब्ध हो।

(5) मध्य और पश्चिम रेलों की उपनगरीय गाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) इस समय, वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) रियायती टिकटों पर यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान अपनी आयु अथवा जन्मतिथि का प्रमाण रखना चाहिए ताकि किसी रेलवे अधिकारी द्वारा मांगने पर इस दस्तावेज को दिखाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी राजकीय संस्थान/एजेंसी द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेज मान्य हैं। इसके अलावा, पंचायत अथवा निगम अथवा नगरपालिका जैसे स्थानीय निकायों से जारी प्रमाण-पत्र अथवा कोई अन्य विश्वसनीय तथा मान्यता प्राप्त दस्तावेज भी वैध होते हैं। रियायत संबंधी सुविधा के दुरूपयोग से बचने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

(च) यात्रा के दौरान रियायत का उपयोग कर रहा वरिष्ठ नागरिक यदि अपनी आयु का प्रमाण नहीं दे पाता है तो उसे बिना टिकट यात्री माना जाता है और तदनुसार प्रभार लगाया जाता है।

किसानों के लिये विपणन सुविधायें

*551. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में किसानों द्वारा अपना उत्पाद बेचे जाने के लिये विपणन सुविधायें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को विपणन सुविधायें मुहैया कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) राज्य सरकारें अपने राज्य विनियमन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित विपणन यार्डों में किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए विपणन सुविधाएं प्रदान करती हैं। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में 34,598 थोक तथा ग्रामीण प्राथमिक मण्डियां हैं। इसके अलावा अनाज की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा विभिन्न राज्य एजेन्सियों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न मण्डियों तथा प्रमुख स्थानों पर खरीद केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। रबी तथा खरीफ विपणन मौसम, 2000-2001 के लिए क्रमशः 8110 तथा 6633 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास से संबंधित एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 1972-73 से 1991-92 तक कार्यान्वित की थी, जिसके अंतर्गत 3658 मण्डियों के विकास के लिए धनराशि मंजूर की गई।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत थोक मण्डियों, ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों के विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उक्त क्षेत्र में प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा।

कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस समिति की सिफारिशों की जांच तथा उनके कार्यान्वयन हेतु उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी कार्य दल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से भी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करके अपनी प्रतिक्रिया कार्य दल को भिजवाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

तेल और गैस उपयोग के लिये विनियामक प्राधिकरण

*552. **श्री डी.वी.जी. शंकर राव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में तेल और गैस उद्योग पर निगरानी रखने के लिये विनियामक प्राधिकरण का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विनियामक प्राधिकरण के कब तक गठित हो जाने की संभावना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि गैर-सरकारी और सरकारी उपक्रमों का जमाव केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे, बल्कि उचित आपूर्ति और वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से बिक्री केन्द्र खोले जाएं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) तेल क्षेत्र के पूर्णतः नियंत्रणमुक्त किए जाने से पहले सरकार की योजना विनियामक प्रक्रम स्थापित करने की है।

प्रस्तावित विनियामक प्रक्रम की शक्तियां, कार्य आदि को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

प्याज का अबाध निर्यात

***553. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्याज की निर्यात संभावना का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया जाएगा;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया;

(घ) क्या प्याज के अबाध निर्यात के अभाव में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) मध्य-पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की मंडियों में पर्याप्त मात्रा में प्याज निर्यात करने की क्षमता है। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने निर्यात हेतु प्याज की सीमा 5,00,000 मी. टन निर्धारित की है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.60 लाख मी. टन प्याज निर्यात की गई थी।

(घ) से (च) वर्ष 2000-2001 के दौरान 3.5 लाख मी. टन और 2001-2002 के दौरान अब तक 2.5 लाख मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने से प्याज के स्वदेशी मूल्यों के स्थायित्व, खेतों से प्याज की खरीद में वृद्धि तथा किसानों को उनके उत्पादों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

सरकार द्वारा तैयार की गई दीर्घावधिक निर्यात नीति का उद्देश्य उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है तथा साथ ही देश से लगातार प्याज उपलब्ध कराकर आयातकों में विश्वास पैदा करना है।

[अनुवाद]

चल स्टॉक का निर्यात

***554. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे मानक आमान (स्टेंडर्ड गेज) चल स्टॉक के निर्यात के लिये विदेशों में बाजारों का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाजार का कोई प्राथमिक आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे को विदेशों से निर्यात आदेश प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) जी हां। रेलवे अधिकारियों ने मानक आमान के बिजली रेल इंजनों के लिए स्विट्जरलैंड तथा डीजल बिजली रेल इंजनों के लिए ईराक का दौरा किया था। दौरों से पता चलता है कि मानक आमान के चल स्टॉक के निर्यात की काफी संभावना है। मानक आमान के चल स्टॉक के निर्यात के लिए रेलों को अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

रेलवे की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

***555. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी भूमि के वाणिज्यिक उपयोग संबंधी प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे की भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित प्रस्तावों पर फैसला न लिए जाने के कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। रेलें अपनी भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता पर विचार कर रही हैं।

2000-2001 के दौरान रेलों ने अपने भूमि संबंधी संसाधनों से 138 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कृतिक बल

***556. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित कृतिक बल को उसके द्वारा दूसरी और अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले ही भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल की दूसरी रिपोर्ट किस चरण में थी और इसको भंग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रथम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उसमें क्या सिफारिशें की गई थीं तथा उस पर यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है;

(घ) क्या कृतिक बल ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) 12 सितम्बर, 2000 को एक उच्च स्तरीय कृषि कार्य बल का गठन किया गया। कृषि कार्य बल से 28 फरवरी, 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। कृषि कार्य बल के अध्यक्ष के अनुरोध पर कार्य बल का कार्यकाल इस निदेश के साथ चार महीने अर्थात् 30 जून, 2001 तक बढ़ा दिया गया कि कार्य बल द्वारा अंतिम रिपोर्ट विस्तारित कार्यकाल के समाप्त होने के पहले अर्थात् 30 जून, 2001 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये। कृषि कार्य बल के अध्यक्ष के अनुरोध पर कृषि कार्य बल का कार्यकाल एक बार फिर से एक महीना बढ़ा दिया गया ताकि वह अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2001 तक प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। कृषि कार्य बल का दो बार का विस्तारित कार्यकाल 31 जुलाई, 2001 को समाप्त हो गया। कृषि कार्य बल के अध्यक्ष ने दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अपनी रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

कार्य बल की पहली रिपोर्ट मई, 2001 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की गई। प्रथम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का सार इस प्रकार है:-

* चूंकि स्वदेशी सहायता की हमारी बचनबद्धता बिल्कुल ही अनुमत्य सीमाओं के अधीन है, अतः हमारे तुलनात्मक लाभ में वृद्धि करने के लिए स्वदेशी सहायता बढ़ाने की काफी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुवीक्षण और अनुक्रिया की प्रभावी प्रणाली की भी तत्काल आवश्यकता है।

* राष्ट्रीय कृषि नीति जो सतत वृद्धि के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है, को आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्रियान्वित करना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

* अवसंरचना सृजन, पनधारा विकास राजसहायता प्राप्त आदानों, अनुसंधान विस्तार और जोखिम प्रबंध पर अधिक जोर देकर सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के विकल्प के विकसित किये जाने की भी आवश्यकता है।

* विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप जैव कृषि की क्षमता का दोहन, मूल्यवर्धन श्रृंखला तथा कटाई पश्चात् अवसंरचना का विकास करके भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि की जाए। स्वदेशी मंडियों में सुधार करने तथा व्यापार पर से प्रतिबंध हटाने की भी आवश्यकता है।

* उत्पाद की गुणवत्ता के मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार मानकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जानी चाहिए।

* भारत का वार्ता प्रस्ताव खाद्य और जीविका सुरक्षा के विषयों पर आधारित है। स्वदेशी नीति व्यवस्था में उत्पादन सहायता के समान प्रयासों से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव भारतीय कृषि को विकास और संपन्नता के उच्च स्तरों पर ले जायेगा।

विभाग ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए पहले से ही कई उपाय शुरू कर दिये हैं। यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि कृषि कार्य बल द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के कुछ विभागों/मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श तथा उनके समग्र क्रियान्वयत के लिए दीर्घावधिक समय सीमा की आवश्यकता होगी।

बंगलौर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर व्यापारिक बैठक

*557. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अपारंपरिक ऊर्जा व्यापारिक बाजार के विकास संबंधी कोई व्यापारिक बैठक पिछले वर्ष बंगलौर में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में पुन:प्रयोज्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम सुझाए गए; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। देश के दक्षिणी क्षेत्र के लिए बंगलौर में 7-8 सितम्बर, 2000 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग संघ (सी.आई.आई.) के माध्यम से भारत में अपारंपरिक ऊर्जा व्यापार/बाजार के विकास पर एक व्यापार बैठक का आयोजन किया गया था।

(ख) और (ग) बैठक में दिए गए मुख्य सुझावों में शामिल हैं:- अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए सब्सिडी तथा वित्तीय प्रोत्साहनों को जारी रखना, उत्पादों का मानकीकरण, निचले स्तर पर कुशलता का विकास करना, मानव संसाधन के विकास पर बल देना, अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं/प्रणालियों/युक्तियों के वित्त-पोषण में अधिक बैंकों को सम्मिलित करना और अपारंपरिक ऊर्जा व्यापार के संवर्धन के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। बैठक में रखे गए सुझावों की मंत्रालय ने सराहना की है और व्यापार विकास तथा निर्यात संवर्धन के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

रेल पथों का मानक आमान (स्टैंडर्ड गेज)

*558. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की सभी वर्तमान रेल पथों को मानक आमान (1435 किलोमीटर) में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मानक आमान के प्रयोग को कसौटी मानकर ही रेलवे में सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी की तरक्की हुई है;

(ग) क्या भारतीय रेलवे ने सर्वमान्य मानक आमान में परिवर्तन क्षमता की जानबूझकर अनदेखी की है;

(घ) यदि हां, तो रेलपथ आमान परिवर्तन योजनाओं में मानक आमान न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलपथ के आमान परिवर्तन की विद्यमान नीतियों की समीक्षा के लिये कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे एक बृहत् प्रणाली है जो बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन पर संचालित है। इस प्रणाली का मानक आमान में परिवर्तन न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है।

(ङ) मीटर लाइन और छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन उसकी अर्थक्षमता, परिचालनिक आवश्यकताओं, राष्ट्रीय तथा सामरिक महत्व और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर किया जाता है। किसी भी आमान परिवर्तन परियोजना की मामले-दर-मामले के आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विद्युत का अंतर-क्षेत्रीय निर्यात

*559. **श्री एन. जर्नादन रेड्डी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत के अंतर-क्षेत्रीय निर्यात को दो गुना करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत निर्यात को दोगुना करने की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की योजनाओं से कुछ राज्यों को लाभ होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में विद्युत संकट से निपटने के लिए सरकार का और कौन से कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1,00,000 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तथा 2011-12 तक एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के गठन के लिए समरूप पारेषण योजना हेतु एक संदर्शी राष्ट्रीय योजना तैयार की है। वर्तमान अंत:क्षेत्रीय पारेषण देयता लगभग 4800 मे.वा. है। राष्ट्रीय ग्रिड को और सशक्त करने के लिए उच्च क्षमता वाले लंबे एचवीडीसी संयोजक तथा ऐसी संयोजक तैयार किए गए हैं जिन्हें बड़ी परियोजनाओं के साथ चालू किया जाएगा।

निम्नलिखित अंत:क्षेत्रीय संयोजक पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत के अंतरण हेतु क्रियान्वयनाधीन है:

पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र:—

(1) बिहारशरीफ-सासाराम-इलाहाबाद 400 के.वी. डी./सी लाइन के साथ सासाराम में एचवीडीसी बैक-टू-बैक केन्द्र। इस लाइन को सारनाथ तक चार्ज किया गया है। इस सम्पूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2002 तक पूरा किए जाने की आशा है।

पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में:—

(1) 400 मे.वा. डी/सी राउरकेला-रायपुर पारेषण लाइन। परियोजना को अक्तूबर, 2002 तक पूरा किए जाने की आशा है।

पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में-

(1) तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाइपोल संयोजक जिसका कन्वरटर स्टेशन तालचेर और कोलार में है। इस परियोजना को जून 2003 तक पूरा किए जाने की आशा है। निम्नलिखित अंत:क्षेत्रीय संयोजकों की पावरग्रिड द्वारा पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत के अंतरण के लिए योजना बनाई गई है। योजना बनाई जा रही है:

पूर्वी क्षेत्र से उत्तर क्षेत्र में-

(1) 400 के.वी. डी/सी. मुजफ्फरपुर-गोरखपुर पारेषण लाइन के साथ ताला एचईपी पारेषण प्रणाली।

(2) सासाराम से सारनाथ तक 400 के.वी. की डी/सी लाईन के साथ बिहारशरीफ एवं सासाराम के बीच बैक-अप पारेषण।

(3) प्रस्तावित कहलगांव विस्तार (2×660 मेगावाट) एवं बाढ़ (3×660 मेगावाट) परियोजनाओं की निकासी प्रणाली के भाग के रूप में 765 के.वी. की पारेषण प्रणाली।

पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में—

(1) पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सशक्तिकरण कार्यों के साथ गजुवाका में दूसरा 500 मेगावाट एचवीडीसी माड्यूल।

कुल अंत:क्षेत्रीय विद्युत बिलियन क्षमता को 2006-07 तक बढ़ाकर 23,400 मे.वा. कर दिया जाएगा। अंतिम चरण में, एक सशक्त समकालित राष्ट्रीय ग्रिड की परिकल्पना की गई है ताकि प्रमुख विद्युत उत्पादन संसाधनों से विद्युत की निकासी की जा सके। इसके लिए घाटी-क्षेत्र में एक उच्च क्षमता पारेषण कोरीडोर का विकास तथा पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली 765 के.वी. लाइनों के एक रिंग की स्थाना करनी होगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रिड की अंत:क्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2012 तक बढ़कर लगभग 30,000 मे.वा. हो जाएगी।

(घ) सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है तथा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों में विनियामक आयोगों की स्थापना का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1998 में विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश पारित किया ताकि विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया जा सके तथा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता लाई जा सके।

(2) विद्युत मंत्रालय ने राज्यों को विद्युत क्षेत्र सुधार आरंभ करने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देने हेतु गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और उड़ीसा राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(3) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकारे गए मुख्य संकल्पों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* अगले 6 माह के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रभावी करना और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी तय करना।

* सभी उपभोक्ताओं की पूर्णत: मीटरिंग का लक्ष्य दिसम्बर, 2001 तक रखा गया है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

* वितरण का निजीकरण करके स्थानीय निकायों को स्थानीय वितरण हस्तांतरित करके पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन करके 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।

* विद्युत क्षेत्र में वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने में राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता होगी।

* वितरण में चालू प्रचालन कार्यों के 2 वर्षों में स्थिर होने तथा तत्पश्चात् सकारात्मक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

* अगले 6 माह में राज्य विद्युत विनियामक आयोग कार्य आरंभ कर देंगे और ये टैरिफ निर्धारित करेंगे। के.वि. आयोग और रा.वि.वि. आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों को पूर्णत: कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है, जब तक कि न्यायालय आदेश द्वारा इन पर रोग न लगे।

* बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता के अनुसार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

* केन्द्र और राज्यों द्वारा 10वीं योजना के परिव्ययों में वृद्धि के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी। निवेश हेतु प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाएगी, जो विशेषत: जल विद्युत परियोजनाओं और पिटहैड के ताप विद्युत उत्पादन हेतु सस्ती से सस्ती विद्युत उत्पादित करते हों। केविप्रा ने सन् 2012 तक 10,0000 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

* विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण हेतु एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण प्राथमिकता आधार पर करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में ऊर्जा कमी 7.8% थी, जबकि व्यस्ततमकालीन कमी 13% थी। विद्युत की उपलब्धता और विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार लाने तथा देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन।
2. मांगपक्ष प्रबंधन हेतु उपायों का संवर्धन।
3. पुरानी विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
4. अंतर्राज्यीय और अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ावा देना।
5. क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस टरबाइन विद्युत स्टेशनों का समन्वित परिचालन।
6. वोल्टता में सुधार लाने के लिए शंट कैपेसिटरों की स्थापना और विद्युत प्रणाली में पारेषण/रूपांतरण क्षमता की अभिवृद्धि।

विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत पर अधिकतम सीमा संबंधी नीति

***560. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत पर अधिकतम सीमा संबंधी नीति तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अद्यतन अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर आधारित एक परियोजना स्थापित किए जाने की संभावना है और इसके द्वारा प्रति मेगावाट विद्युत की लागत नई परियोजनाओं के लिए कसौटी होगी; और

(घ) इस नीति के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए विद्युत की लागत में कमी करने तथा विद्युत परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अंत:-अनुशासनिक दल (आईडीजी) का गठन किया। दल ने अप्रैल, 2001 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें दी हैं:

* परियोजना क्रियान्वयन चरण,
* पूंजीगत लागत का मानक-निर्धारण,
* विद्युत संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण,
* पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी,
* मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण।

सिपत, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा सुपर क्रिटिकल तकनीक के आधार पर पहली विद्युत परियोजना संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 660 मे.वा. प्रत्येक की तीन यूनिटें होंगी। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभिन्न पैकेजों को ठेका पर सौंपने के लिए एनटीपीसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) प्रक्रिया अपनाएगा ताकि विभिन्न सुविधाओं के लिए लागत इष्टतम हो। तदनुसार मुख्य संयंत्र उपस्कर की लागत को भावी परियोजनाओं का मानक लागत माना जा सकता है। हालांकि स्थल विशिष्ट होने

के कारण कोयला, जल एवं सिविल कार्य आदि जैसी अनुषंगी सुविधाओं की लागत में परिवर्तन हो सकता है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर क्रियान्वयन किए जाने हेतु एनटीपीसी की जिन अन्य नई विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है, उनकी लागत/मेगावाट स्थल की स्थिति, युनिट का आकार, ऑफ-साइट सुविधाओं एवं तकनीक आदि पर निर्भर करेगा।

एनटीपीसी द्वारा 10वीं योजना में 660 मे.वा. प्रत्येक की दो यूनिटों को तथा 11वीं योजना में तीसरी यूनिट (660 मे.वा.) को चालू करने की योजना है।

[अनुवाद]

डी.वी.सी. बोर्ड का हस्तांतरण

5622. श्री सईदुज्जमा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को रांची हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) झारखंड सरकार ने डीवीसी के मुख्यालय को रांची स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजा है क्योंकि डीवीसी का अधिकांश कार्यक्षेत्र झारखंड राज्य में आता है। इस मामले में डीवीसी के संघटक राज्य प. बंगाल सरकार के विचार मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

झूठे और भ्रामक विज्ञापन

5623. श्री मानसिंह पटेल:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार झूठे और भ्रामक विज्ञापन के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अनुसार महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण या निदेशक (अनुसंधान) के द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के आदेश एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) आयोग ने नहीं दिए हैं। फिर भी, बहुत सी अनुचित व्यापार प्रथा जांचों, जिनमें झूठे और भ्रामक विज्ञापनों की भी आने वाली शिकायतें शामिल हैं, पर आयोग द्वारा विचार किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनुचित व्यापार प्रथा जांचों की संख्या निम्नानुसार है:-

	1998	1999	2000
अनुचित व्यापार प्रथा जांचें (यू.टी.पी.ई.)	1328	1273	1332

इन मामलों की आयोग द्वारा जांच की जा रही है तथा विचार के विभिन्न स्तरों पर आयोग के समक्ष लम्बित हैं।

एम.आर.टी.पी. आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है।

बिहार को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

5624. श्री राजो सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार को प्रत्येक माह डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कितनी आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या इन मदों की आपूर्ति राज्य की मांग की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) बिहार राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र

की तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और एल.पी.जी. की माह-वार बिक्री संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) समस्त मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है। सार्वजनिक वितरण पद्धति के लिए मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है और इसे आबंटन के अनुसार ही जारी कया जाता है। सरकार द्वारा समानान्तर विपणन योजना (पी.एम.एस.) के तहत मिट्टी के तेल की बिक्री की भी अनुमति दी गई है ताकि पी.डी.एस. के तहत मिट्टी के तेल की की गयी आपूर्ति को संपूरक किया जा सके। घरेलू एल.पी.जी. की ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है और उनकी मांग पूरी की जाती है। फिलहाल ग्राहकों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है और मौजूदा बाजारों में मांग के अनुसार एल.पी.जी. कनेक्शन निर्बाध रूप से तत्काल आधार पर उपलब्ध है। सरकार द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा एल.पी.जी. के समानान्तर विपणन की भी इजाजत है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत
(केवल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बिक्री) (टी.एम.टी. में)

माह	एल.पी.जी.	एम.एस.	एच.एस.डी.	एस.के.ओ.
अप्रैल	14	17	168	73
मई	16	17	172	74
जून	16	15	143	75
जुलाई	15	15	149	75
अगस्त	17	16	130	75
सितम्बर	18	15	116	74
अक्तूबर	17	13	109	74
नवम्बर	14	15	145	73
दिसम्बर	19	15	157	75
जनवरी	19	15	142	75
फरवरी	17	16	141	75
मार्च	19	18	160	75
योग	200	186	1731	893

नोट : चूंकि नया राज्य झारखंड नवम्बर, 2000 में बिहार राज्य से बना था, इसलिए नवम्बर, 2000 के बाद के आंकड़ों में झारखंड राज्य की खपत भी शामिल है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

5625. श्री रामजी मांझी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्रीय भंडार में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सरकार के ध्यान में लाये गये मामलों की जांच केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों की कब तक जांच की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय को केन्द्रीय भण्डार के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें अन्य बातों के अलावा केन्द्रीय भण्डार की कार्यशैली एवं विभिन्न वस्तुओं की खरीद से संबंधित हैं। केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत दिनांक 8.8.2001 को केन्द्रीय भण्डार के निरीक्षण का आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार, निरीक्षण अधिकारी द्वारा एक माह के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस डीलरशिप का आबंटन

5626. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्तमान/पूर्व संसद सदस्यों और एम.एल.ए./एम.एल.सी. तथा उनके पति-पत्नियों के नाम से कितने रसोई गैस डीलरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): जिन व्यक्तियों को डीलर सलेक्शन बोर्ड (डी.एस.बी.) द्वारा चयनित किए जाने के बाद डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गई है उनके जन प्रतिनिधियों के साथ संबंधों या अन्य कनेक्शनों के बारे में न तो कोई सूचना एकत्र की जाती है और न ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैस की खोज में निवेश

5627. श्री अशोक अर्गल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने सरकार के निदेशक मंडल को सूचित किए बिना राजस्थान में गैस की खोज तथा निवेश के सम्भाव्य पहलुओं की जांच किये बिना भारी पूंजी निवेश की है;

(ख) यदि हां, तो कितना निवेश किया गया और परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इस निवेश से भारी नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राजस्थान में गैस के अन्वेषण और विकास प्रर सक्षम प्राधिकारी के विधिवत् अनुमोदन पर आयल इंडिया लिमिटेड ने 60.55 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के साथ कुल 391.17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी।

(ग) और (घ) मुख्यत: निम्नलिखित कारकों के कारण से आयल इंडिया लिमिटेड के राजस्व अनुमानों से कम रहा:

(1) डांडेवाला और तानोत क्षेत्रों से मिश्रित गैस का उष्मीय मान गरीब 4000-4100 प्रति किलो कैलोरी (के.कैल.) प्रति मान क्यूबिक मीटर (एस.सी.यू.एम.) रहा, जबकि तानोत क्षेत्र से 5600 किलो कैलोरी का अनुमान था।

(2) डांडेवाला क्षेत्र की खोज तथा बाद में गैस विश्लेषण से यह पता चला कि गैस में कार्बन डाईआक्साइड मौजूद है। पानी के साथ कार्बन डाईआक्साइड की मौजूदगी अधिक संक्षारक है, कंपनी को क्षेत्र में लगे उपकरण डिजाइन में प्रीमियम श्रेणी के स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हुए उसे उन्नत बनाना चाहिए था, परिणामत: लागत में कई गुणा वृद्धि हो जाती।

गैस का उपभोक्ता मूल्य 10,000 के.कैल. प्रति एस.सी.यू.एम. के उष्मीय मान के साथ संबद्ध है। 1.1.1996 से 30.9.1997 की अवधि के लिए, आयल इंडिया लिमिटेड को देय गैस का उत्पादक मूल्य 1650 रुपए प्रति हजार क्यूबिक मीटर पर निर्धारित किया

गया था जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति 10 प्रतिशत परिवर्तन के साथ एक प्रतिशत की वृद्धि की गुंजाइश है। उत्पादक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य में अंतर के लिए उत्पादक कंपनी के प्रतिपूर्ति दावों पर वर्तमान गैस मूल्य निर्धारण आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मांस का उत्पादन

5628. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस के उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गाय के मांस/बछड़े के मांस, मवेशी, भेड़ के मांस और चेवान (मत्स्य) के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वध किए गए प्रत्येक पशु प्रजाति का आयु वर्ग कितना है;

(घ) विश्व औसत की तुलना में इनके वध का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए मनुष्यों के संबंध में पशुओं का अपेक्षित अनुपात कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) वध किए गए पशुओं की प्रत्येक प्रजाति के आयु वर्ग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) मानव के संबंध में पशुओं की संख्या का अनुपात का पता नहीं लगाया गया है।

विवरण

मीट उत्पादन—1998 से 2000 - अखिल भारत

(000 टन)

वर्ष	गाय का मीट/बछड़े का मीट/मवेशी	भैंस का मीट	बकरे का मीट तथा मेमना	चेवान	सूअर की मीट	कुक्कुट मीट	कुल मीट
1998	1401	1380	226	462	542	540	4551
1999	1421	1410	228	466	560	559	4644
2000	1442	1421	229	467	560	575	4694

पशुधन तथा वध किए पशुधन का आंकलन - 1998-2000 (000 संख्या)

	भारत			विश्व		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7
गोपशु						
स्टॉक	212121	214877	218800	1338775	1340498	1350130
वध किए गए	13600	13800	14000	274642	274557	283661
% वध किए गए	6.4	6.4	6.4	20.5	20.5	21.0

1	2	3	4	5	6	7
भैंस						
स्टॉक	90909	92090	93772	160709	162599	164968
वध किए गए	10000	10220	10300	21033	21719	21977
% वध किए गए	11.0	11.1	11.0	13.1	13.4	13.3
भेड़						
स्टॉक	57100	57600	57900	1055175	1055906	1057908
वध किए गए	18800	19000	19100	477020	478256	486083
% वध किए गए	32.9	33.0	33.0	45.2	45.3	45.9
बकरी						
स्टॉक	121362	122530	123000	697966	711287	720008
वध किए गए	46200	46600	46700	294352	305962	308893
% वध किए गए	38.1	38.0	38.0	42.2	43.0	42.9

आई.सी.ए.आर. में प्रधान वैज्ञानिक पद के लिए पदोन्नति हेतु साक्षात्कार

5629. श्री चन्द्र प्रताप सिंह:
डा. बलिराम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल-मई 2001 के दौरान कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली ने वरिष्ठ वैज्ञानिक से प्रधान वैज्ञानिक (प्रोफेसर) पद पर पदोन्नति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के साक्षात्कार लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने वैज्ञानिकों के साक्षात्कार लिए गए और इनमें से कितने वैज्ञानिकों के पास पी.एच.डी. की डिग्री थी और पी.एच.डी. की डिग्री वाले तथा बिना पी.एच.डी. की डिग्री वाले कितने वैज्ञानिक पदोन्नत किए गए; और

(ग) नियुक्ति आदेश के आधार पर अब तक पी.एच.डी. और गैर पी.एच.डी. के अंतर्गत पदोन्नत वैज्ञानिकों का प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अनुसार एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को प्रधान वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा यदि उन्होंने—

1. 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, और

2. वह कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष निम्नलिखित में से कुछ के साथ स्वयं प्रस्तुत होते हैं:

(क) स्वमूल्यांकन रिपोर्ट (आवश्यक)

(ख) अनुसंधान

योगदान/पुस्तकें/लेख/प्रकाशित शोध-पत्र

(ग) अन्य कोई शैक्षणिक योगदान

वरिष्ठ वैज्ञानिक के तीन सर्वश्रेष्ठ लिखित योगदानों को (स्वयं के द्वारा निश्चित) चयन के लिए उपस्थित होने से पूर्व विशेषज्ञों के पास समीक्षा के लिए अग्रिम रूप से भेजा जाए।

(घ) सेमिनार/सम्मेलनों का विवरण जिनमें भाग लिया।

(ङ) अध्यापन/शैक्षणिक/पर्यावरण/संस्थानगत कार्पोरेट लाइफ के लिए योगदान।

(च) उक्त दिए गए विस्तार और खेत संबंधी क्रियाकलाप।

इस स्कीम में आगे यह भी प्रावधान है कि एस-2 ग्रेड के वैज्ञानिकों को जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पत्र संख्या 3-1/1992-कार्मिक-4, दिनांक 30 जुलाई, 1996 के द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिकों के रूप में पद नामित कर दिया था, वे प्रधान वैज्ञानिक के ग्रेड में प्रोन्नति के पात्र होंगे, यदि वे प्रधान वैज्ञानिक (प्रोन्नति) के लिए उपरोक्त दी गई पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

स्कीम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सूचना निम्नवत् है:-

1.	वैज्ञानिकों की कुल संख्या जिनका साक्षात्कार लिया गया	- 1625
2.	पी.एच.डी. डिग्री धारक वैज्ञानिकों की संख्या	- 1353
3.	पी.एच.डी. धारक श्रेणी के अंतर्गत प्रोन्नत वैज्ञानिकों की संख्या	- 1272
4.	गैर-पी.एच.डी. डिग्री धारक श्रेणी के अंतर्गत प्रोन्नत वैज्ञानिकों की संख्या	- 244

साक्षात्कार लिए गए कुल 1625 उम्मीदवारों में से 1353 उम्मीदवार पी.एच.डी. डिग्रीधारक थे तथा 272 गैर-पी.एच.डी. डिग्रीधारक थे। कुल 1516 उम्मीदवारों को प्रोन्नत किया गया था पी.एच.डी. डिग्रीधारक कुल 1353 उम्मीदवारों में से 1272 उम्मीदवारों को प्रोन्नत किया गया। गैर-पी.एच.डी. डिग्रीधारक 272 उम्मीदवारों में से 244 उम्मीदवारों को प्रोन्नत किया गया।

कुल प्रोन्नत किए गए उम्मीदवारों के आधार पर अर्थात् 1516 उम्मीदवारों में से पी.एच.डी. डिग्रीधारक और गैर-पी.एच.डी. डिग्रीधारक उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्रमशः 83.9 प्रतिशत तथा 16.09 प्रतिशत थी।

तथापि, पी.एच.डी. डिग्रीधारक उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार लिए गए तथा प्रोन्नति प्राप्त उम्मीदवारों में से कुल प्रोन्नत उम्मीदवारों का प्रतिशत 94 है। इस प्रकार गैर-पी.एच.डी. डिग्रीधारक विचारणीय उम्मीदवारों की प्रतिशतता तथा इनमें से प्रोन्नत उम्मीदवारों का प्रतिशत 89.7 है।

पोन्नानी, केरल में मत्स्य बंदरगाह

5630. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के मालापुरम जिले के पोन्नानी में नए मत्स्य बंदरगाह के लिए परियोजनाओं के शुरू होने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सी.आई.सी.ई.एफ.) बंगलौर ने परियोजना की संवीक्षा पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो सी.आई.सी.ई.एफ. द्वारा संवीक्षा में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार मत्स्य उद्योग और गरीब मुछुआरा समुदाय के हितों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान, (सी.आई.सी.ई.एफ.), बंगलौर ने प्रस्ताव की जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पोन्नानी में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार मत्स्यन उद्योग और गरीब मछुआरा समुदाय के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसमें शामिल हैं- संरचनात्मक ढांचे का विकास, परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण, 20 मीटर की लम्बाई से कम वाले जलयानों द्वारा एच.एस.डी. के उपयोग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, मछुआरा कल्याण योजनाएं जिसमें बीमा, बचत-सह-राहत, आवास आदि सम्मलित हैं।

मत्स्य संबंधी क्रियाकलाप

5631. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन क्रियाकलाप पूरे वर्ष बहुत सक्रिय तथा लगातार जारी रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन समुदाय किसी वैज्ञानिक और निम्न लागत प्रौद्योगिकी के बिना मछलियों को सुखाने संबंधी क्रियाकलाप जारी रखता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मछलियों को सुखाने हेतु किसी निम्न लागत प्रौद्योगिकी की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पशुचिकित्सा केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और मत्स्यपालन से संबंधित सहकारिताओं के परामर्श

से मछली सुखाने हेतु निम्न लागत प्रौद्योगिकी विकसित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) मत्स्यन क्रियाकलाप हर क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट मानसून प्रतिबंध के सिवाए तटवर्ती क्षेत्रों में पूरे वर्ष बहुत सक्रिय और लगातार जारी रहता है।

(ख) और (ग) मछली की अलाभकारी किस्मों को तट पर कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है और साधारण नमक से उनको संसाधित किया जाता है।

(घ) से (छ) मछली को बेहतर स्वास्थ्यकर तरीके से सुखाने की प्रक्रियाएं कृषि मंत्रालय के तहत एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना (आई.एफ.पी.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत केन्द्रीय मात्स्यिकी .प्रौद्योगिकी संस्थान और खाद्य तथा कृषि संगठन के बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम (बी.ओ.बी.पी.) जैसे संगठनों द्वारा तैयार की गई है और मछुआरों को प्रदर्शित की गई है। इसमें गीला और सूखा नामक लगाने की दोनों पद्धतियां और ऊंचे प्लेटफार्मों का प्रयोग करके धूप में सुखाने की तकनीकियां, ड्राईंग रैक्स, बैविंगस और विभिन्न हैंगिंग तरीके शामिल हैं। सूखे उत्पादों की "शैल्फ लाइफ" को बढ़ाने के लिए संरक्षण तकनीकियों के उपयोग को मानकीकृत किया गया है। आई.एफ.पी. द्वारा पौली पाउच में हीट सीलिंग जैसी पैकेजिंग की तकनीकियों को वाणिज्यिक पैमाने पर शुरू किया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

रतलाम मंडल में मिनरल वाटर की आपूर्ति

5632. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला:
श्री ब्रज मोहन राम:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री अशोक अर्गल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रतलाम मंडल में "तिरूपति मिनरल वाटर" की आपूर्ति चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कम्पनी कब से रतलाम मंडल में मिनरल वाटर की आपूर्ति कर रही है; और

(ग) रतलाम मंडल द्वारा मिनरल वाटर की आपूर्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1998 से रतलाम मंडल में दूसरे ब्रांडों के साथ "तिरूपति मिनरल वाटर" बेचा जा रहा है।

(ग) मौजूदा मानदंड बोर्ड की खुली निविदा की नीति के अनुसार है। इससे पहले, स्थानीय मार्केट से कोटेशन आमंत्रित करके ठेके दर के आधार पर मिनरल वाटर की खरीद की जा रही थी।

[हिन्दी]

प्रतीक्षालय का निर्माण

5633. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर जालना, औरंगाबाद और पार्थुर रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्षों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। यात्री यातायात की मात्रा पर आधारित मानदंडों के अनुसार स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्षों सहित यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और जब कभी यात्री यातायात में वृद्धि की दृष्टि से अपेक्षित होता है, स्टेशन का ग्रेडोन्नयन किया जाता है।

(ग) से (ङ) जालना, औरंगाबाद और पार्थुर में प्रतीक्षा कक्षों के विकास की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उपलब्ध प्रतीक्षा कक्षों/प्रतीक्षालयों की स्थिति इस प्रकार है:-

(1) जालना: 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक पुरूष प्रतीक्षा कक्ष और 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक महिला प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 162.75 वर्गमीटर के प्रतीक्षा कक्ष और 1248 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्लेटफार्म पर सायबान उपलब्ध है।

(2) औरंगाबाद: 59 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक पुरूष प्रतीक्षा कक्ष और 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल में एक महिला प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 449.86 वर्गमीटर का द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षा कक्ष विद्यमान है। 1691 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्लेटफार्म पर सायबान उपलब्ध है और 5 लाख रुपये की लागत पर इसी प्रकार का कार्य स्वीकृत किया गया है।

(3) पार्थुर: यह 'ङ' कोटि का स्टेशन है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई प्रतीक्षा कक्ष अपेक्षित नहीं है। बहरहाल, इस स्टेशन पर यात्रियों के उपयोग के लिए 44.13 वर्गमीटर का प्रतीक्षालय और 275 वर्ग मीटर का एक प्लेटफार्म पर सायबान उपलब्ध है। इसके अलावा, 148 वर्गमीटर के प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सोया बोर्ड का गठन

5634. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री ब्रज मोहन राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन्दौर में सोया बोर्ड का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास बोर्ड के कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए अपने निजी प्रतिनिधि हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपनी स्थापना के बाद से बोर्ड द्वारा क्या प्रमुख कार्य और कार्यकलाप किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) सरकार ने इन्दौर में "सोया बोर्ड" गठित नहीं किया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम के शेयरधारकों की शिकायतें

5635. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के शेयरधारकों/कर्मचारियों को उनकी जानकारी में आने वाली शिकायतों, कार्यकरण और भ्रष्टाचार आदि जिनमें सुधार किए जाने की जरूरत है, के मामले में विभाग से लिखित रूप में शिकायत करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कर्मचारियों ने भी इस संबंध में विभाग से लिखित रूप में शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) इस संबंध में क्या नियम और विनियम/दिशानिर्देश बनाए गए हैं;

(ङ) क्या शेयरधारकों ने यह भी मांग की है कि शेयरधारकों के प्रबंध निकाय में उनके प्रतिनिधियों को भी नाम निर्दिष्ट किया जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के शेयरधारक कर्मचारी, भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को अपनी शिकायतों के बारे में लिख सकते हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन को किसी भी शेयरधारक कर्मचारी से भारत पर्यटन विकास निगम की कार्यप्रणाली के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) शेयरधारक, कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कम्पनी कानून बोर्ड, केन्द्र सरकार, न्यायालय, कंपनी प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों में जा सकते हैं।

(ङ) और (च) भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन को अब तक ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरण

5636. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 से 2001 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरण किया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अधिकतम संख्या में पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरण किया गया; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने पेट्रोल पम्पों को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 78 खुदरा बिक्री केन्द्रों को पुनः अवस्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 41 खुदरा बिक्री केन्द्रों को पुनः अवस्थित करने की योजना है।

[अनुवाद]

पर्यटन उद्योग का विकास

5637. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए भारत को महंगी मंजिल माना जाता है;

(ख) क्या गृह मंत्री ने यात्रा और पर्यटन के मार्ग में आने वाली सभी आड़चनों को दूर करने का आह्वान किया है ताकि देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां। यह धारणा है कि भारत अपेक्षाकृत एक मंहगा गंतव्य स्थल है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए चल रहे क्रिया-कलापों और अड़चनों को दूर करने के एक भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य विभागों के साथ समन्वय कर रहा है। इस संदर्भ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने अड़चनों को दूर करने तथा पर्यटन विकास एवं वृद्धि के लिए साधनों पर विचार-विमर्श के लिए गृह मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ कई बैठकें की हैं। सरलीकरण पर नई पहलों में, आगमन पर वीजा, सूचना के प्रचार-प्रसार तथा अंतःमंत्रालयी समन्वय जैसी चर्चा चलाई गई हैं।

मतदाता पहचान-पत्रों का उपयोग

5638. **श्री विकास चौधरी:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी-मतदाता पहचान पत्रों का उपयोग राशन कार्ड के आवेदन में हो सकता है जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि "इस कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पहचान-पत्र के रूप में किया जा सकता है";

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार इसने विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन पहचान-पत्र के प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए मतदाता पहचान-पत्र पर यह अंकित करने के निदेश जारी किए हैं कि "इस पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन पहचान-पत्र के रूप में किया जा सकता है"। निर्वाचन आयोग, राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता रहा है कि वे उनके अधीन विभिन्न विभागों को आवश्यक आदेश/अनुदेश जारी करें कि वे उनके द्वारा निष्पादित विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में पहचान के साधन के रूप में मतदाता पहचान-पत्रों को स्वीकार करें। अभी तक हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं।

आनुवंशिक रूप से रूपान्तरित फसलें

5639. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणविदों ने केन्द्र से देश में आनुवंशिक रूप से रूपान्तरित फसलों को नकार देने का आग्रह किया है, जैसा कि थाईलैंड में किया गया; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) ग्रीनपीस इंडिया नामक एक पर्यावरणीय दल ने सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार भारत में ट्रांसजेनिक बी.टी. कपास को वाणिज्यिक रूप से जारी करने के लिए अपना अनुमोदन न दे।

(ख) सूक्ष्म तत्वों के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और जोखिम वाले सूक्ष्मजीवों का भण्डारण/आनुवंशिक रूप से तैयार जीवों अथवा कोशिकाओं 1989 नियमावली के नियम 4 के तहत गठित आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने दिनांक 19.6.2001 को हुई अपनी बैठक में महाराष्ट्र संकर बीज कम्पनी (महिको) द्वारा ट्रांसजेनिक बी.टी. कपास को जारी करने के बारे में भेजे गए प्रस्ताव पर विचार किया था। आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने यह देखा कि महिको द्वारा बी.टी. कपास पर बड़े पैमाने पर किए गए क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर इकट्ठे किए गए आंकड़ों से सही मानों का पता नहीं चलता क्योंकि इनकी बुआई देर से की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि इन परीक्षणों को बड़े पैमाने पर सीधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की देखरेख में अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के अग्रत किस्म परीक्षणों के तहत फिर से कराया जाए। इसके अलावा आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने महिको को लगभग 100 हैक्ट के किसानों के खेतों में खेत परीक्षण करने का अनुमोदन दे दिया है।

दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई

5640. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्केटिंग डिसिप्लीन्स गाइडलाइन्स (एम.डी.जी.) के डीलरों के 18 अपराधों की तुलना में मात्र 7 अपराधों को एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के बारे में विस्तृत कारण और औचित्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एम.डी.जी. के अंतर्गत दोषी डीलरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के बारे में तेल निगमों को मौखिक आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दोषी पाए गए डीलरों के विरुद्ध अपराध/अनियमितताएं तय करने के बारे में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश दिए जाने के बारे में अपनाई जा रही प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपीलीय प्राधिकरण के नाम क्या हैं और अपील करने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचारों का प्रतिषेध) आदेश, 1998 केवल एम.एस. और एच.एस.डी. से संबंधित है जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.), 2001 न केवल एम.एस./एच.एस.डी. से संबंधित कदाचारों को कवर करते हैं बल्कि डीलरों द्वारा विभिन्न अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित कदाचारों को भी कवर करते हैं।

एम.एच./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश में दी गई कदाचारों की परिभाषा में एम.एस. और एच.एस.डी. से संबंधित 9 अनियमितताएं शामिल हैं। तथापि एम.डी.जी. में 8 प्रमुख अनियमितताएं शामिल हैं और 13 छोटी अनियमितताएं हैं जिनमें स्नेहकों, मिट्टी का तेल मुफ्त हवा, पेय जल, अशिष्ट व्यवहार, जाली प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पी.यू.सी.) प्रमाणपत्र का जारी किया जाना आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों को एम.डी.जी. के तहत दोषी डीलरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) किसी अनियमितता का पता चलने की हालत में संबंधित डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यह स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाए तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों, 2001 और/अथवा डीलरशिप करार के अनुसार अगली कार्रवाई की जाती है।

(ङ) यद्यपि अपीली प्राधिकरण के संबंध में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में कोई विशिष्ट प्रावधान अन्तर्निहित नहीं है, फिर भी यदि संबंधित डीलर की-गई-कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा तेल विपणन कंपनी में अगले उच्चतर प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

प्राकृतिक आपदा

5641. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारा देश एक और विशाल पहाड़ी क्षेत्रों रेगिस्तानों, नदी-नालों और समुद्रों से घिरा पड़ा है तो दूसरी ओर इसे प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जिला स्तर पर एक ऐसे संगठित कृतिक बल का गठन करने और उसे प्रशिक्षण देने पर विचार किया है जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम हो;

(ग) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में ऐसे कृतिक बलों का गठन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) यह सत्य है कि विशालकाय भौगोलिक विविधता होने के कारण हमारे देश में भांति-भांति की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। ऐसी आपदाओं की स्थिति में कार्रवाई करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, केन्द्र सरकार सहायक भूमिका अदा करती है। इस प्रकार राज्य स्तरीय राहत तंत्र अलग-अलग हैं। तथापि केन्द्र सरकार ने प्रशिक्षण देने और राज्य सरकारों को अन्य सहायता देने की कई पहल की है।

यह निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर है कि वे अपनी स्थानीय स्थितियों में जिला स्तरीय कार्य बल अपनाए अथवा नहीं।

मताधिकार से वंचित करना

5642. डा. जयंत रंगपी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से विशेषकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में विस्थापित लोगों को मताधिकार से वंचित किए जाने के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कम लागत वाले जूट बैगों का उत्पादन

5643. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र का विचार प्लाटिक बैगों के स्थान पर उपभोक्ताओं के लिए कम लागत वाले जूट बैग विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी संभावित लागत कितनी है; और

(ग) संपूर्ण देश में कम लागत वाले जूट बैगों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और विपणन हेतु अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, हां। एन.सी.जे.डी. ने प्लास्टिक बोरों को प्रतिस्थापित करने के लिए कम लागत के निम्नलिखित कोटि के पटसन बैग विकसित किए हैं:

(1) लगभग सभी घरेलू प्रयोग के लिए नीडल करघों में पटसन नैटिड फैब्रिक वूवन का प्रयोग करते हुए लगभग 5-6 रु. की लागत के पटसन बैग;

(2) सामान्य प्रकार की पैकेजिंग और लाने-ले-जाने में सुगम छोटे और विभिन्न आकार के हैसियन बैग;

(3) आम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए लगभग 8 रु. की लागत के पेपर/लुगदी निहित हल्के हैसियन कपड़े से बने पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग;

(ग) ये बैग विकेंद्रीकृत क्षेत्र में निर्मित किए जाते हैं। एन.सी.जे.डी. ने केंद्र की नियमित योजना द्वारा कम लागत के पटसन बैग का उत्पादन और विपणन में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। एन.सी.जे.डी. कम लागत के पटसन बैग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र की निधियां

5644. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू विद्युत परियोजना और नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण उनके राज्य विद्युत योजना परिव्यय से किया जाता है जिसका निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित समग्र राज्य योजना आकार की सीमा के भीतर किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार से किसी परियोजना को स्थापित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1558.16 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे जिसकी कार्यकारी दल ने सिफारिश की है। राज्य सरकार को 2000-2001 के दौरान त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 134.44 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए हैं।

[अनुवाद]

अपराध जगत के गिरोह के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5645. श्री सुबोध राय: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का निर्णय दिया है कि अपराध जगत के गिरोहों से न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीतिज्ञों सहित सभी को कड़ाई से निपटना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने स्केल 2001 (4) पृष्ठ 285 में रिपोर्टित महाराष्ट्र राज्य बनाम भरत छगनलाल रघानी और अन्य शीर्षक वाली 1998 की दांडिक अपील संख्या 628 में तारीख 11 जुलाई, 2001 के अपने निर्णय में निम्नलिखित संप्रेक्षण किए हैं:-

"........भारत में संगठित अपराधों की एकाएक वृद्धि हाल ही में हुई है और यह अभी शुरूआती दौर में है। समय की आवश्यकता यह है कि ऐसे आपराधिक क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए, जो संलिप्त व्यक्तियों को भारी धन-संपदा एकत्रित करने का प्रलोभन देते हैं। ऐसे अपराधों का केवल अधिक पक्ष ही नहीं है अपितु सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है, जिन पर सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनेता, समाज-सुधारक, बुद्धिजीवी और विधि प्रवर्तक अभिकरण भी हैं, विचार और कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा है।"

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षणों को सरकार द्वारा नोट कर लिया गया है।

केरल से प्रस्ताव

5646. श्रीमती मिनाती सेन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में रेल लाइनों का राज्यवार कितना विस्तार किया गया;

(ख) राज्यों में विभिन्न रेललाइनों को बिछाने व रेलगाड़ियों को चलाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को रेल लाइनों के विस्तार व विभिन्न रेलगाड़ियों को चलाए जाने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई नई लाइनों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	विगत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई नई लाइनें (कि.मी. में)
आंध्र प्रदेश	67
असम	124
गुजरात	59
मध्य प्रदेश	82
उड़ीसा	153
प. बंगाल	58
जोड़	543

(ख) नई लाइनों के निर्माण के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार हैं:-

(1) खनिज एवं अन्य संसाधनों के दोहन के लिए नए उद्योगों को सेवित करने के लिए परियोजनाउन्मुखी लाइनें।

(2) मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक।

(3) सामरिक कारणों से अपेक्षित लाइनें, और

(4) नए विकास केंद्रों की स्थापना अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने के लिए लाइनें।

नई गाड़ियां चलाने के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार हैं:-

नई यात्री गाड़ियां चलाना बहुत से कारकों यथा सवारी डिब्बों की उपलब्धता, सुरक्षित और संतोषजनक सेवा के लिए स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सुविधाओं, यातायात की मात्रा, लाइन क्षमता और टर्मिनलों की कठिनाई, आवश्यक माल यातायात पर प्रतिक्रिया, अवसंरचना के विकास और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) रेल लाइनों के विस्तार और उन पर की गई कार्रवाई के लिए केरल सरकार से प्राप्त अनुरोध इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना	की-गई-कार्रवाई
1.	कोचीन-मदुरै रेल लाइन	रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।
2.	ताकाजी-पट्टानामथिट्टा बरास्ता तिरूवल्ला	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल, परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण फिलहाल इस परियोजना पर विचार करना संभव नहीं।
3.	गुरूवायूर-कुन्नमकुलम-कुट्टीपुरम रेल लाइन	इस कार्य को बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है। बहरहाल, अपेक्षित स्वीकृति जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।
4.	नंजागुड-निलांबूर बरास्ता मेप्पाडी	रेलों के सामने संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

गाड़ियां चलाने के संबंध में केरल सरकार से प्राप्त अनुरोधों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संस्कृति विभाग को निधियां

5647. **श्री टी. गोविन्दन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराई गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संगठन-वार संगठनों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों की कमी के कारण पात्र आवेदकों को सरकार द्वारा निधियां स्वीकृत करने में परेशानी आती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) उक्त अवधि के दौरान संस्कृति विभाग के संगठनों को आबंटित निधियों का विवरण संलग्न है। संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को दी गई अनुदान सहायता के ब्यौरे (1,00,000 रु. तथा इससे अधिक) इस विभाग की तदनुरूपी अवधि की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए संस्कृति विभाग के संगठनों तथा योजनाओं को आवंटित निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	संगठन/योजना	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I..	निदेशन एवं प्रशासन	50.00	549.00	75.00	575.00	65.00	640.00	65.00	750.00
II.	संवर्धन एवं प्रसार								
1.	आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र	350.00	-	400.00	-	440.00	-	525.00	-
2.	सांस्कृतिक परिषद् की स्थापना, गुवाहाटी	200.00	-	1.00	-	0.00	-	-	-
3.	नृत्य, नाटक और रंगशाला को सहायता	400.00	100.00	600.00	100.00	700.00	100.00	810.00	100.00
4.	गांधी शांति पुरस्कार	-	127.00	-	127.00	-	130.00	-	130.00
5.	उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्तियां	204.00	66.72	214.00	66.72	464.00	107.00	465.00	110.00
6.	शंकर अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता	-	2.22	-	2.22	0.00	2.22	-	3.00
7.	कलाओं में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को सहायता	100.00	83.40	100.00	77.80	110.00	76.00	90.00	90.00
8.	जनजातीय लोक कला के संवर्द्धन के लिए सहायता	75.00	-	75.00	-	80.00	-	95.00	-
9.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	200.00	-	200.00	-	200.00	-	1.00	-
10.	हिमालयी कला संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता	30.00	-	50.00	-	50.00	-	70.00	-
11.	बहुउद्देश्य सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना	250.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
12.	स्वैच्छिक संगठनों को भवन निर्माण अनुदान	175.00	-	175.00	-	195.00	-	225.00	-
13.	साहित्यिक कार्यों में जुटी संस्थाएं और व्यक्ति	-	11.12	-	11.12	-	12.00	-	17.00
14.	संगीत नाटक अकादमी	330.00	255.00	400.00	270.00	440.00	400.00	520.00	410.00
15.	ललित कला अकादमी	235.00	200.00	235.00	200.00	250.00	200.00	250.00	222.00
16.	साहित्य अकादमी	420.00	221.00	450.00	230.00	390.00	230.00	416.00	274.00
17.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	315.00	194.00	400.00	200.00	470.00	225.00	535.00	250.00
18.	सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र	600.00	147.00	650.00	150.00	550.00	160.00	560.00	156.00
19.	युवा कार्यकर्त्ताओं को छात्रवृत्ति	-	50.04	-	50.04	-	70.00	-	70.00
20.	भारत में सांस्कृतिक संगठनों को सहायता (रा.कृ. मिशन)	67.00	55.60	180.00	67.00	80.00	67.00	80.00	87.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	भारत में सांस्कृतिक संगठनों का विकास	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-
22.	पुस्तक वस्तुओं का प्रस्तुतीकरण	-	22.24	-	22.4	-	22.00	-	1.00
23.	कलाक्षेत्र, मद्रास	100.00	94.52	100.00	100.00	110.00	120.00	110.00	145.00
24.	अवकाश प्राप्त कलाकारों के शिक्षावृत्तियां	-	13.34	-	13.34	-	26.00	-	26.00
	योग (कला एवं संस्कृति का संवर्धन)	4101.00	1643.20	4380.00	1687.48	4679.00	1949.22	4901.00	2001.00
III.	पुरातत्व								
25.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	2000.00	6088.00	2800.00	7000.00	3100.00	8438.00	4600.00	9829.00
26.	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (अधिनियमों, 3602, 3601) का प्रचालन	-	67.00	-	-	-	-	-	-
	योग (पुरातत्व)	2000.00	6155.00	2800.00	7000.00	3100.00	8438.00	4600.00	9829.00
IV.	अभिलेख व अभिलेखीय पुस्तकालय								
27.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार	350.00	517.00	330.00	525.00	330.00	700.00	150.00	762.00
28.	एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता	108.00	173.00	150.00	175.00	150.00	290.00	160.00	300.00
29.	खुदाबख्श ओरियंटल सार्वजनिक पुस्तकालय	62.00	83.40	75.00	85.00	80.00	91.00	58.00	91.00
30.	टी.एम.एस.एस.एम. पुस्तकालय, तंजावुर	40.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00	-
31.	रामपुर रजा पुस्तकालय	80.00	47.82	86.00	48.50	90.00	50.00	90.00	66.00
32.	राष्ट्रीय पाण्डुलिपि परिरक्षण मिशन	-	-	13.00	-	30.00	-	30.00	-
33.	पुस्तकालय पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का संवर्धन	-	-	10.00	-	-	-	-	-
	योग (अभिलेख व अभिलेखीय पुस्तकालय)	640.00	821.22	734.00	833.50	750.00	1131.00	558.00	1219.00
V.	संग्रहालय								
34.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	390.00	572.00	420.00	550.00	465.00	500.00	400.00	650.00
35.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली	500.00	735.00	550.00	778.00	650.00	900.00	700.00	1000.00
36.	विज्ञान नगर	500.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1300.00	0.00
37.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	250.00	199.00	360.00	200.00	400.00	295.00	450.00	330.00
38.	सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	360.00	146.00	450.00	160.00	485.00	245.00	400.00	340.00
39.	विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता	200.00	90.08	220.00	106.00	220.00	130.00	125.00	140.00
40.	इलाहाबाद संग्रहालय	70.00	62.06	90.00	65.00	90.00	80.00	90.00	88.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय	300.00	72.00	375.00	75.00	400.00	100.00	255.00	105.00
42.	राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ	100.00	100.08	100.00	110.00	100.00	158.00	100.00	120.00
43.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय	-	2.22	-	3.00	0.00	3.00	-	4.00
44.	स्थानीय संग्रहालयों का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण	100.00	0.00	150.00	0.00	175.00	0.00	200.00	-
45.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	60.00	3.33	70.00	4.00	75.00	7.00	75.00	8.00
46.	रत्नों के लिए संग्रहालय की स्थापना	-	1.11	-	0.00	-	-	-	-
47.	वृन्दावन अनुसंधान संस्थान	-	11.12	-	12.00	-	2.00	-	13.00
48.	प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय, मुम्बई	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
49.	नेहरू केन्द्र, मुम्बई	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00
50.	आई.एन.टी.ए.सी.एच.	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	योग (संग्रहालय)	2850.00	1994.00	9905.00	2063.00	4180.00	2530.00	4106.00	2798.00
VI.	मानव-विज्ञान एवं नृजाति विज्ञान								
51.	भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण	170.00	573.00	195.00	610.00	220.00	745.00	220.00	790.00
52.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	420.00	102.00	450.00	105.00	490.00	110.00	490.00	120.00
	योग (मा.वि. और नृ.वि.)	590.00	675.00	645.00	715.00	710.00	855.00	710.00	910.00
VII.	सार्वजनिक पुस्तकालय								
53.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	200.00	676.00	245.00	690.00	250.00	850.00	310.00	1000.00
54.	राष्ट्रीय संदर्भ पुस्कालय, कलकत्ता	20.00	44.48	45.00	48.00	40.00	75.00	40.00	80.00
55.	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय	113.00	45.00	125.00	50.00	145.00	70.00	200.00	100.00
56.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	60.00	389.00	80.00	400.00	86.00	440.00	86.00	500.00
57.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान	540.00	100.00	568.00	100.00	650.00	118.00	700.00	125.00
58.	केन्द्रीय पुस्तकालय, मुंबई	58.00	16.00	43.00	17.00	40.00	25.00	20.00	26.00
59.	कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास	48.00	22.00	38.00	23.00	35.00	23.00	20.00	24.00
60.	केन्द्रीय तिब्बती पुस्तकालय, धर्मशाला	-	18.30	-	18.50	0.00	20.00	0.00	35.00
61.	भारतीय पुस्तकालय	50.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
62.	हेलनेट	50.00	-	25.00	-	10.00	-	10.00	-
63.	नेप्लिस	20.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	लघु पुस्तकालयों का रख-रखाव तथा सुदृढ़ीकरण	-	-	10.00	-	10.00	-	1.00	-
65.	साहित्यिक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का संवर्धन	-	-	-	-	-	-	1.00	-
	योग (सार्वजनिक पुस्तकालय)	1179.00	1310.78	1190.00	1345.50	1277.00	1521.00	1399.00	1890.00
VIII.	तिब्बती, बौद्ध तथा अन्य अध्ययन								
66.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान	100.00	183.49	100.00	200.00	115.00	390.00	125.00	387.00
67.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान	150.00	77.84	150.00	100.00	150.00	140.00	120.00	190.00
68.	सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसंधान संस्थान	-	13.34	-	13.34	-	13.50	-	19.00
69.	बौद्ध (तिब्बती संस्थान के विकास हेतु वित्तीय सहायता	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	110.00	0.00
	योग (तिब्बती, बौद्ध तथा अन्य अध्ययन)	340.00	274.67	340.00	313.34	355.00	543.50	360.00	596.00
IX.	स्मारक								
70.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति	190.00	122.33	190.00	140.00	150.00	155.00	100.00	180.00
71.	नव नालंदा महाविहार	155.00	33.36	155.00	45.00	160.00	60.00	163.00	91.00
72.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान	40.00	6.67	60.00	10.00	62.00	14.00	75.00	15.00
73.	राजीव गांधी स्मारक	50.00	-	10.00	-	1.00	-	1.00	-
74.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय	200.00	279.00	200.00	300.00	200.00	330.00	150.00	410.00
75.	शताब्दियों एवं जयंतियां समारोह	15.00	506.01	15.00	5516.00	15.00	516.00	1.00	200.00
76.	इंडिया हाऊस, पेरिस	-	6.67	-	7.00	-	207.00	-	1.00
77.	आई.एन.ए. स्मारक, मोरांग	-	155.40	-	155.00	-	0.00	-	0.00
78.	राष्ट्रीय स्मारकों का अनुरक्षण	20.00	311.39	20.00	304.22	20.00	304.00	1.00	200.00
79.	खालसा की त्रिशताब्दी समारोह	0.00	0.00	-	0.00	-	100.00	-	95.00
	योग (स्मारक)	679.00	1428.83	650.00	6477.22	608.00	1586.00	491.00	1192.00
X.	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध								
80.	भारत महोत्सव		244.00	-	10.00	-	800.00	-	300.00
81.	संरक्षण केन्द्र को अंशदान	-	5.56	-	8.00	-	8.00	-	10.00
82.	विश्वदाय निधियों के लिए अंशदान	-	4.44	-	4.44	-	6.00	-	7.00
83.	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यकलाप और भारत-विदेश मैत्री सोसाइटी को अनुदान	-	27.80	-	35.00	-	40.00	-	45.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	यात्रा सब्सिडी	-	11.12	-	11.12	-	11.00	-	1.00
85.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत शिष्टमंडल	-	27.80	-	30.00	-	30.00	-	30.00
86.	अन्य व्यय	-	9.58	-	10.40	-	10.28	-	11.00
	योग (अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध)	-	330.30	0.00	108.95	0.00	905.28	0.00	404.00
XI.	50वीं वर्षगांठ समारोह								
87.	स्वाधीनता समारोह का कार्यक्रम	200.00	-	-	-	-	-	-	-
88.	भारत को स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन का सचिवालय	-	2224.00	-	-	-	-	-	-
89.	भारतीय गणतंत्र के 50 वर्षों का समारोह	-	0.00	-	0.00	-	5,700.00	-	2350.00
	योग (50वीं वर्षगांठ समारोह)	200.00	2224.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	0.00	2350.00
XII.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र								
90.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	100.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1.00
XIII.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां					500.00		855.00	
	कुल योग	12720.00	17400.00	14720.00	21121.00	16225.00	26000.00	19045.00	24030.00

[हिन्दी]

देश में कीटनाशक बनाने वाली कम्पनियां

5648. श्री विष्णुदेव साय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तम किस्म के कीटनाशकों का उत्पादन और मानव स्वास्थ्य पर इनका दुष्प्रभाव पड़े बगैर इनका उपयोग कृषि उत्पादों में सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कौन-कौन से कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और बेकार पाए गए हैं; और

(ग) इन कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश में अच्छी गुणवत्ता के कीटनाशियों के विनिर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) गुणवत्ता कीटनाशियों का विनिर्माण तथा बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों का कारगर प्रवर्तन।

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों की सुरक्षा तथा जैविक क्षमता के बारे में सन्तुष्ट होने पर ही उनका पंजीकरण करती है।

(3) विनिर्माण इकाइयों/वितरण बिक्री केन्द्रों से नमूने लेकर तथा अधिसूचित कार्मिकों द्वारा उनके परीक्षण के माध्यम से कीटनाशियों की गुणवत्ता का मानीटरण।

(ख) और (ग) 27 कीटनाशियों तथा तीन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाए गए, अन्य कीटनाशियों के फार्मूलेशनों, के देश में उपयोग पर रोक लगाई गई है। इनकी सूची संलग्न विवरण में है। प्रतिबंधित कीटनाशियों का विनिर्माण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।

विवरण

भारत में प्रतिबंधित कीटनाशी

क. कीटनाशी जिनके विनिर्माण, आयात एवं उपयोग पर प्रतिबंध है (24)

1. एल्ड्रीन
2. बेंजीन हेक्साक्लोराइड
3. कैल्शियम साइनाइड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसीटोआर्सेनाइट
6. डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एंड्रीन
8. इथाइल मरक्यूरी क्लोराइड
9. इथाइल पैराथियॉन
10. हेप्टाक्लोर
11. मेनाजीन
12. नाइट्रोफेन
13. पैराक्वेट डाइमिथाइल सल्फेट
14. पेन्टाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन
15. पेन्टाक्लोरोफिनॉल
16. सोडियम मिथेन आर्सेनेट
17. टेट्राडाइफॉन
18. टेक्साफेन
19. एल्डीकार्ब
20. क्लोरहंजीलेट
21. डाइएल्ड्रीन
22. मैलेइक हाइड्रोजाइड
23. एथिलीन डीलेरोमाइड
24. टी सी ए

(ख) कीटनाशी, जिनके उपयोग पर प्रतिबंध है परन्तु निर्यात के प्रयोजनार्थ उनके विनिर्माण की अनुमति है (3)

1. निकोटीन सल्फेट
2. फिनाइल मरक्यूरी एसीटेट
3. केप्टाफॉल

(ग) कीटनाशी फार्मूलेशन, जिनका आयात, विनिर्माण तथा उपयोग प्रतिबंधित है (4)

1.	मीथोमाइल	24% एल
2.	मीथोमाइल	12.5% एल
3.	फॉस्फेमीडॉन	85% एस एल
4.	कार्बोफ्यूरॉन	50% जी

[अनुवाद]

वर्ष 1999 में उड़ीसा में महाचक्रवात

5649. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 में उड़ीसा में आया महाचक्रवात उड़ीसा के 14 से अधिक समृद्धि जिलों में होकर गुजरा था और इसने वहां 21 लाख हेक्टेयर की फसल को नष्ट किया और लगभग 9 करोड़ रुपये मूल्य के पेड़ नष्ट किये और इसके अतिरिक्त इस महाचक्रवात से 10,000 से अधिक लोग और तीन लाख पशु मारे गये;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने समुद्र से पहले बने 23 चक्रवात शरण स्थलों में एक और स्थल की भी वृद्धि नहीं की और विनाश पश्चात् समन्वय कार्य भी आरंभ नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, अक्तूबर 1999 में आए महाचक्रवात सहित दो चक्रवातों से 14 जिले प्रभावित हुए जिसके परिणामस्वरूप 10,000 जानें गई, लगभग 22 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और लगभग 22 लाख मकानों को क्षति पहुंची।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1999 के चक्रवात के कुछ ही पहले 23 आश्रयों को पूरा करने के अलावा ऐसे 24 अतिरिक्त आश्रय करीब-करीब पूरा होने को हैं।

कपड़ा विनिर्माताओं के हितों की रक्षा

5650. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ के विरुद्ध वस्त्र क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए आपस में सहयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपड़ा विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या तंत्र विकसित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) यूरोपीय यूनियन के विरुद्ध वस्त्र क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई सीधा सहयोग नहीं है। तथापि, उपयुक्त माध्यम से वस्त्र क्षेत्र से संबंधित सामान्य मुद्दों को उठाने के लिए पाकिस्तान सहित सभी विकासशील देशों का सहयोग लेने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का उत्पीड़न

5651. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने के बारे में अखिल भारतीय कमजोर वर्ग फेडरेशन, नागपुर से सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस भेदभाव के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां, मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने के बारे में अखिल भारतीय कमजोर वर्ग फेडरेशन से मंडल रेल प्रबंधक/नागपुर मंडल/मध्य रेलवे को संबोधित दिनांक 8.5.2001 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अपने उपरोक्त अभ्यावेदन में फेडरेशन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कथित रूप से उत्पीड़न के चार विशिष्ट मामलों का हवाला दिया था। सभी चार मामलों की विधिवत जांच की गई है। एक मामला वर्धा के उप स्टेशन अधीक्षक श्री टी.पी. गायकवाड़ को नौकरी से हटाने से संबंधित है। यह देखा गया है कि उनके विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा एक संयुक्त शिकायत की गई थी। चूंकि शिकायत श्री गायकवाड़ के गम्भीर दुराचार से संबंधित थी, इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से हटाने का दंड दिया।

दूसरा मामला, बलारशाह के स्टेशन मास्टर श्री बी.टी. अतराम के स्थानान्तरण का है। यह उल्लेख किया जाता है कि बाद में श्री अतराम के बलारशाह से स्थानान्तरण को मानवता के आधार पर रद्द कर दिया गया है।

तीसरा मामला, पुलगांव के स्टेशन मास्टर श्री बी.एन. तयाडे को नागपुर स्थानान्तरित करने का है। इस स्थानान्तरण का आदेश श्री तयाडे के अपने स्वयं के अनुरोध पर दिया गया था। अत: इस मामले में उत्पीड़न का प्रश्न नहीं उठता।

चौथा मामला, तीगांव के स्टेशन मास्टर श्री एच.एस. खीची का है। रेलवे से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, खीची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुओं का आयात

5652. श्री सुरेश पासी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हमारे देश में पशुओं का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार और पशुवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में पशुओं में खुर और मुख रोग और मैड काउ रोग के कारण लाखों पशुओं का समय से पहले वध किया गया;

(घ) सरकार द्वारा आयातित पशुओं के माध्यम से भारत में पशुओं में इस प्रकार के रोगों को फैलने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई नीति विकसित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान गोपशुओं के आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आफिस इन्टरनेशनल देस इपीजूटीज (ओ आई ई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मेड काऊ और खुरपका तथा मुंहपका रोग के फैलने के कारण बहुत से देशों में गोपशु सहित पशुओं को मार दिया गया है।

(घ) से (च) सरकार ने मेड काऊ रोग तथा उसी समूह के अन्य रोगों से प्रभावित देशों से गोपशु सहित जीवित रूमिनेंट्स के साथ-साथ जर्मप्लाज्म और रूमिनेंट्स मूल के अन्य उत्पादों के आयात पर रोक लगायी है। इसके अलावा, जीवित पशुओं का आयात प्रतिबंधित सूची में है तथा उन सिफारिशों पर आयात लाइसेंस से अनुमत्य हैं जो कि निर्यात करने वाले देश में रोग की स्थिति के आधार पर की जाती हैं। यह आयात इस संबंध में निर्धारित स्वास्थ्य तथा संगरोध स्थितियों को पूरा करने की शर्त पर भी होता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान देशवार तथा गोपशुवार गोपशु के आयात को दर्शाने वाले विवरण

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	विवरण	देश	गोपशु की संख्या
1.	हीफर तथा सांड (प्रजनन के लिए)	आस्ट्रेलिया	21
2.	हीफर तथा सांड (प्रजनन के लिए)	डेनमार्क	28
3.	सांड, शुद्ध संकरित प्रजनन के अलावा वयस्क	नेपाल	22
4.	शुद्ध संकरित, प्रजनन के अलावा अन्य (सांड तथा भैंसों को छोड़कर)	नेपाल	153
		कुल	224

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	विवरण	देश	गोपशु की संख्या
1.	सांड, शुद्ध संकरित प्रजनन के अलावा वयस्क	नेपाल	427
2.	शुद्ध संकरित, प्रजनन के अलावा अन्य (सांड तथा भैंसों को छोड़कर)	नेपाल	626
		कुल	1053

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में गैस और तेल का भण्डार

5653. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गैस और तेल भंडारों की खोज करने के लिए पंचवर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड से अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने सूचित किया है कि उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य के लिए पंचवर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश में अन्वेषण क्रियाकलापों वाली एक दस-वर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5654. **श्री महबूब जहेदी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कम पानी पर जीवित रहने वाले सूखा रोधी, कीट रोधी, न्यूट्रीशन वाले, अधिक उपज वाले और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पौधे विकसित करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए जैव-प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने की है;

(ख) क्या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग की आवश्यकता को अभी तक महसूस नहीं किया गया है;

(ग) क्या बी.टी. कॉटन की तरह ही कीटों का मुकाबला करने के लिए किए गए परीक्षणों और इनके दावों में एकरूपता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बी.टी. क्राप्स से और अधिक शक्तिशाली कीटों के पनपने की गारंटी है और इसके प्रयोग से पादपों से निकलने वाले विषैले तत्वों से सहयोगी पादपों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बी.टी. कपास के परीक्षणों के आंकड़े इसकी कार्यक्षमता की सुसंगित को निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त थे। इसलिए अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के बहु-स्थानिक अग्रवर्ती किस्मगत परीक्षणों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षणों की पुनरावृत्ति की जा रही है।

(घ) अभी तक यह सुझाव देने के लिए कोई निर्णायक तथा अन्तिम प्रमाण नहीं है कि बी.टी. वाली फसलें और अधिक शक्तिशाली नाशीजीवों को पनपने देंगी तथा इसके पादपों से निकलने वाले विषैले तत्वों के कारण सहयोगी प्रजातियों को खतरा पैदा होगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

5655. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री सुरेश चंदेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अनेक डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक इस क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) अधिकतर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार बहुत से डिप्लोमाधारकों/स्नातकों और स्नातकोत्तरों को अपने विशेषज्ञता वाले विषयों में सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में छः माह से तीन वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार बेरोजगार कृषि स्नातकों द्वारा निजी साहसिक कार्यों के माध्यम से स्थापित एक नई विस्तार प्रणाली वाली स्कीम पर विचार कर रही है जो भुगतान के आधार पर किसानों को अपनी सेवाएं मुहैया करेगी। ऐसे साहसिक कार्यों को बैंक वित्त प्रबंध के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नीरा का विपणन

5656. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में आठ करोड़ नारियल के पेड़ों से बनने वाले 1,260 करोड़ लीटर नीरा के विपणन में असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने नीरा को खराब होने से बचाने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान की सहायता मांगी जो इस संबंध में अध्ययन कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्णय लेने पर सहमत हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 4 जिलों को छोड़कर नीरा की बिक्री पर रोक है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि नारियल के वृक्ष आबकारी वृक्षों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और उससे नीरा निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले वर्षों में राज्य में शराब की खपत के पैटर्न को देखते हुए मांग पर विचार करने पर पाया गया कि राज्य में 1260 करोड़ लीटर नीरा के उपयोग की कोई संभावना नहीं है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने नीरा की संरचना सूक्ष्म जीव विज्ञानीय गुणवत्ता और पोषक तत्वों के संबंध में इसके विश्लेषण के लिए रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर की मदद मांगी है। उन्होंने इसके उपयुक्त परिरक्षकों के मूल्यांकन, उत्पाद की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव, स्थायित्व उपयुक्त प्रसंस्करण, उपचारों के मूल्यांकन जिनमें उपयुक्त पैकेजिंग प्रणाली और सैल्फ स्थायित्व शामिल है, हेतु भी मदद मांगी है।

(घ) से (च) राज्य सरकार द्वारा किसी निर्णय की सूचना नहीं मिली है।

विशाखापत्तनम से लिंक एक्सप्रेस शुरू करना

5657. श्री के. येरननायडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेल क्षेत्र में विशाखापत्तनम से कोरबा तक एक नयी लिंक एक्सप्रेस आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी समय सारणी और इसके रुकने के स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में विशाखापत्तनम से अन्य कौन-कैन सी रेलगाड़ियों चलाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 1.7.2001 से 8517/8518 विशाखापत्तनम-बिलासपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन) की बारम्बारता में वृद्धि करके उसे प्रतिदिन करने सहित कोरबा तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) समय और ठहरावों का ब्यौरा दक्षिण पूर्व रेलवे के जन समय सारणी और "गाड़ियां एक नजर में" जुलाई, 2001 अंक में प्रकाशित किए गए हैं। समय और ठहराव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) रेल बजट 2001-2002 प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री के भाषण में विशाखापत्तनम के यात्रियों को सेवित करने के लिए निम्नलिखित सेवाओं की घोषणा की है:-

1. 8.7.2001 से 6357/6358 हवड़ा-नागरकोइल (साप्ताहिक) एक्सप्रेस शुरू की गई।
2. हावड़ा-यशवंतपुर (बेंगलूरू) सप्ताह में दो दिन (2001-02 के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।)

विवरण

8517/8518 कोरबा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस के समय-सारणी और ठहराव इस प्रकार है:-

8518 विशाखापत्तनम-कोरबा एक्सप्रेस	स्टेशन	8517 विशाखापत्तनम-कोरबा एक्सप्रेस
1	2	3
19.00	प्र. विशाखापत्तनम	08.30
19.11	प्र. सिम्हाचलम प्र.	08.03
20.05/20.10	आ./प्र. विजियानगरम आ./प्र.	07.00/07.05
20.50/20.55	आ./प्र. बोब्बिली/आ.प्र.	05.55/05.57

1	2	3
21.15	प्र. पारवतीपुरम प्र.	05.33
21.23	प्र. पारवतीपुरम टाउन प्र.	05.26
22.20/22.40	आ./प्र. रायगड़ा आ./प्र.	04.30/04.50
22.50	प्र. सिंगापुर रोड प्र.	04.15
23.00	प्र. थेरूबली प्र.	03.10
23.43	प्र. मुनीगुड़ा प्र.	02.35
00.05	प्र. अम्बोदला प्र.	02.10
00.35	प्र. नोरला रोड प्र.	01.30
00.45	प्र. रूप्रा रोड प्र.	01.18
01.10	प्र. केसिंग प्र.	01.05
01.55/02.05	आ./प्र. टिटलागढ़ आ./प्र.	00.40/00.50
02.19	प्र. मुरीबहल प्र.	23.35
02.35/02.45	आ./प्र. कांताबंजी आ./प्र.	23.10/23.20
03.06	प्र. हरीशंकर रोड प्र.	22.40
03.43	प्र. खरियार रोड प्र.	21.55
04.05	प्र. बागबाहरा प्र.	21.35
04.35	प्र. महासमुंद प्र.	21.10
06.40/07.00	आ./प्र. रायपुर आ./प्र.	20.00./20.25
07.50	प्र. भाटापारा प्र.	18.37
09.05/09.40	आ./प्र. बिलासपुर आ./प्र.	17.30/18.00
10.03	प्र. अकलतारा प्र.	16.47
10.19	प्र. नैला प्र.	16.32
10.40/10.42	आ./प्र. चम्पा आ./प्र.	16.20/16.22
11.45	आ. कारबा प्र.	15.20

हैरीटेज होटल

5658. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार/स्थान-वार कितने हैरीटेज होटल स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसे और होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग ने अगस्त, 2001 तक देश के 61 होटलों को हेरिटेज श्रेणी के होटलों के रूप में वर्गीकृत किया है। हैरिटेज होटलों की स्थान-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) पर्यटन विभाग हैरीटेज होटलों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना स्तर पर भी मान्यता प्रदान करता है। इस समय कुल 10 मान्यताप्राप्त हैरीटेज होटल परियोजनाएं हैं। इस विभाग को महाराष्ट्र से किसी भी होटल परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित 10 हैरीटेज होटल परियोजनाएं इस प्रकार हैं- नई दिल्ली में - महरौली, दमन और दीव में - दीव, राजस्थान में - माउंट आबू, और दोसा, जोधपुर और जैसलमेर, पंजाब में - आनन्दपुर साहिब, जम्मू और कश्मीर में - श्रीनगर, उत्तरांचल में - हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश में - सोलन।

विवरण

देश में राज्य-वार/स्थान-वार हैरीटेज होटलों की सूची

राजस्थान

1. रामगढ़ लॉज, रामगढ़, जयपुर
2. राजमहल पैलेस होटल, जयपुर
3. होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर
4. सामोदे हवेली, जयपुर
5. सरदार सामद पैलेस, सरदार सामद
6. नीमराना फोर्ट, नीमराना
7. अजीत भवन पैलेस, जोधपुर
8. फतेह प्रकाश पैलेस, उदयपुर
9. करनी भवन, जोधपुर
10. राज पैलेस, जयपुर
11. करनी भवन पैलेस, बीकानेर
12. भंवर निवास पैलेस, बीकानेर
13. शिकारबाड़ी, उदयपुर
14. गजनेर पैलेस, बीकानेर
15. लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर
16. होटल कनाट हाउस, माउंट आबू
17. सवाई माधोपुर लॉज, सवाई माधोपुर
18. कामा राजपुताना क्लब रिजार्ट, माउंट आबू
19. नारायण निवास पैलेस, जयपुर
20. कैसल मांडवा, मांडवा
21. होटल विसाऊ पैलेस, जयपुर
22. पुष्कर पैलेस, पुष्कर
23. लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर
24. दियोगढ़ महल फोर्ट, दियोगढ़
25. देवीगढ़, देलवारा
26. होटल राजमहल भिंडर
27. खिमसार फोर्ट, खिमसार
28. बालसामंद पैलेस, जोधपुर
29. रणबांका पैलेस, जोधपुर
30. शिव निवास पैलेस, उदयपुर
31. लक्ष्मी निवास पैलेस, बीकानेर
32. पैलेस होटल, माउंट आबू
33. सामोदे पैलेस, सामोदे

गुजरात

34. नीलम बाग पैलेस, भावनगर

35. बलराम पैलेस रिजार्ट, विलेज चित्रासोनी

36. उटेलिया हाउस, अहमदाबाद

37. रिवर साइड पैलेस, गोंडल

कर्नाटक

38. ललिता महल पैलेस, मैसूर

मध्य प्रदेश

39. जेहान नुमा पैलेस होटल, भोपाल

40. उषाकिरण पैलेस, ग्वालियर

41. झीराबाग पैलेस, धार

42. नूर उस सभा पैलेस, भोपाल

हिमाचल प्रदेश

43. द क्लार्कस, शिमला

44.. तारागढ़ पैलेस, तारागढ़

45. नालागढ़ पैलेस, नालागढ़

46. द जजिस कोर्ट, परागपुर

केरल

47. लेक पैलेस, टेक्कडी

48. फोर्ट हैरीटेज होटल, कोचीन

49. नाडुलुवीतील रिजार्ट, नाडुलुवीतील

50. सोमाथीरम आयुर्वेदिक बीच रिजार्ट, सोमाथीरम

51. क्यालोराम लेक रिजार्ट, टेक्कडी

52. कोकोनट लैगून, आलेफी

53. मालाबार हाउस रेसीडैंसी, कोचीन

पश्चिम बंगाल

54. ईवाहोए होटल, दार्जिलिंग

55. हिमालयन होटल, दार्जिलिंग

56. विंडामेरे होटल, दार्जिलिंग

उत्तर प्रदेश

57. फेयर हेवन्स हालिडे होम, नैनीताल

58. चेवरान रेसमाउंट, रानीखेत

तमिलनाडु

59. ताज गार्डन स्ट्रिट, मदुरै

60. सेवोय होटल, आक्टामंड

गोआ

61. पंजिम इन, गोआ

[हिन्दी]

यूरिया की अत्यधिक कमी

5659. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में यूरिया की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से यूरिया के अतिरिक्त कोटे की मांग कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक राज्यों को, विशेषकर महाराष्ट्र सहित विशेषत: जनजातीय और दलित बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से यूरिया की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए यूरिया की आवश्यकता का आकलन संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से परामर्श करके किया जाता है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरा आबंटन किया जाता है। कभी-कभी राज्य

सरकार अतिरिक्त आबंटन की मांग करती है और जहां जरूरी होता है अतिरिक्त आबंटन किए जाते हैं ताकि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में किसी भी राज्य ने यूरिया की कमी की रिपोर्ट नहीं दी है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में यूरिया का वितरण करना राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की जिम्मेवारी है। पिछले तीन वर्षों और खरीफ 2001 (31.7.2001) के दौरान यूरिया की उपलब्धता और बिक्री का राज्यवार, मौसमवार ब्यौरा दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यूरिया की उपलब्धता तथा बिक्री

		खरीफ-1996		रबी-1996-99		खरीफ-1999		रबी-1999-2000		खरीफ-2000		रबी-2000-2001		खरीफ-2001	
क्र.सं.	क्षेत्र	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
दक्षिण क्षेत्र															
1.	आंध्र प्रदेश	1080.73	955.57	1212.03	1058.59	1148.64	1032.54	1174.02	984.23	1186.99	1044.61	1287.53	1061.86	671.65	185.08
2.	कर्नाटक	595.91	544.82	438.15	360.54	651.19	592.19	438.56	362.79	704.45	651.04	452.87	385.01	383.54	177.02
3.	केरल	77.73	58.34	56.71	54.85	68.44	60.69	66.19	55.88	59.66	48	63.74	42.09	37.61	27.95
4.	तमिलनाडु	400.72	333.06	681.11	480.6	408.91	355.74	566.66	521.42	404.83	362.19	587.99	504.18	205.42	132.86
5.	अण्डमान और निकोबार	0.4	0.4	0.46	0.46	0.39	0.39	0.34	0.34	0.23	0.23	0.3	0.3	0	0
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0	0	0.02	0.02	0	0
7.	पांडिचेरी	10.79	9	12.55	10.48	11.93	9.63	12.75	9.8	10.47	8.97	12.08	9.09	5.77	4.41
	कुल	2166.28	1901.19	2312.01	1965.52	2289.7	2051.18	2258.54	1934.48	2366.63	2115.04	2404.53	2002.55	1303.99	527.32
पश्चिमी क्षेत्र															
8.	गुजरात	611.61	554.95	721.14	675.09	653.44	569.16	565	484.82	511.2	473.9	462.44	395.98	338.62	296.08
9.	मध्य प्रदेश	780.95	633.52	828.74	628.7	730.26	529.3	725.89	588.04	824.54	583.28	472.58	317.19	334.53	220.84
10.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.67	46.44	244.02	168.58
11.	महाराष्ट्र	1207.03	1038.23	748.55	669.24	1285.92	1135.79	855.99	740.76	1189.81	1051.6	690.22	583.02	869.79	607.18
12.	राजस्थान	552.43	411.2	785.52	600	537.7	453.81	664.44	578.29	530.1	463.52	541.15	479.51	359.7	254.21
13.	दादर और नगर हवेली	0.71	0.71	0.15	0.15	0.84	0.84	0.17	0.17	0.69	0.62	0.36	0.32	0.67	0.67
14.	गोवा	2.29	2.23	2	1.99	2.17	2.14	2.35	2.35	3.25	1.23	2.02	2.02	1.54	0.93
15.	दमन और दीव	0.16	0.16	0.06	0.06	0.14	0.14	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.04	0.09	0.02
	कुल	3155.18	2641.1	3086.16	2575.23	3210.47	2691.18	2813.86	2394.45	3059.66	2574.22	2270.48	1824.52	2148.96	1548.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उत्तरी क्षेत्र															
16.	हरियाणा	671.44	525.65	916.24	766.5	662.06	504.5	920.66	743.26	603.06	488.06	976.83	836.35	579.77	463.48
17.	हिमाचल प्रदेश	33.89	29.77	20.93	19.01	33.96	33.34	14.27	9.63	31.54	28.07	16.4	15.5	26.94	25.58
18.	जम्मू और कश्मीर	61.82	51.09	53.36	44.97	52.89	41.08	67.3	53.14	66.7	57.18	58.8	44.93	38.76	30.84
19.	पंजाब	1164.09	983.57	1185.4	1081.8	1083.54	935.03	1143.69	1039.42	1103.92	971.91	1245.3	1092.62	784.5	693.3
20.	उत्तर प्रदेश	2769.2	2308.88	3037.04	2577.22	2756.08	2369.32	2810.46	2321.6	2578.75	2126.01	2644.12	2238.38	1912.08	1398.99
21.	उत्तरांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.9	63.93	86.87	66.43
22.	चंडीगढ़	0.33	0.33	0.55	0.55	0.5	0.5	0.23	0.23	0	0	0.25	0.25	0	0
23.	दिल्ली	13.22	10.8	27.99	24.67	15.27	10.72	22.93	16.52	9.52	3.2	13.11	6.76	5.73	1.32
	कुल	4713.99	3910.09	5241.51	4514.72	4604.3	3894.49	4979.54	4183.8	4393.48	3674.43	5032.71	4297.72	3434.65	2679.94
पूर्वी क्षेत्र															
24.	बिहार	924.27	688.82	787.41	616.99	861.65	692.11	796.21	663.56	823.43	731.02	737.6	650.04	431.64	250.57
25.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.13	31.52	75.88	62.23
26.	उड़ीसा	372	250.65	192.76	73	375.85	304.68	176.91	113.87	389.59	297.99	139.27	65.6	223.13	132.32
27.	पश्चिम बंगाल	534.25	383.94	669.7	566.4	533.61	474.55	704.88	615.06	512.24	399.52	723.1	639.87	265.66	124.17
	कुल	1830.52	1323.41	1649.87	1256.39	1771.11	1471.34	1678.01	1392.5	1725.26	1428.53	1674.1	1387.03	966.31	569.29
उत्तर पूर्वी क्षेत्र															
28.	असम	61.85	44.37	69.54	44.26	90.82	70.05	90.42	73.41	106.17	62.94	89.77	72.46	68.66	41.79
29.	मणिपुर	24.72	22.46	10.63	8.51	26.52	25.85	7.35	7.17	31.33	30.91	10.79	8.77	23.63	22.25
30.	मेघालय	2.73	2.44	3.42	2.86	3.56	3.04	2.15	1.94	2.43	2.12	2.03	1.83	1.71	1.41
31.	नागालैंड	0.62	0.08	1.1	0	1.4	0	0.53	0	1.07	0.02	0.35	0.07	0.28	0.06
32.	सिक्किम	0.55	0.2	0.93	0.35	1.18	0.3	0.61	0.35	0.6	0.1	0.8	0.25	0.7	0.7
33.	त्रिपुरा	9.3	9.29	8.13	5.6	8.06	6.86	8.43	7.83	12.49	5.61	13.07	6.33	10.58	5.13
34.	अरुणाचल प्रदेश	0.46	0.01	0.96	0.09	1.42	0.03	0.37	0.08	03	0.02	0.42	0.26	0.46	0.02
35.	मिजोरम	0.73	0	1.28	0.33	1.45	0.08	0.55	0	0.7	0.15	0.5	0.08	0.63	0
36.	चाय बोर्ड (उ.पू.)	20.99	20.99	16.51	16.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	121.95	99.74	412.5	78.51	134.41	106.21	110.41	90.78	155.09	101.87	117.73	90.05	106.65	71.36
	अखिल भारत	11987.92	9875.53	12402.05	10390.37	12009.99	10214.4	11840.36	9996.01	11700.12	9894.09	11499.55	9601.87	7990.56	5396.42

[अनुवाद]

किसानों पर चीनी आयात का प्रभाव

5660. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी आयात से कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसानों पर अब तक इसके क्या प्रभाव नजर आए; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) से (ग) चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। सरकार चीनी के आयात पर कड़ी नजर रख रही है और आयात को विनियमित करने के लिए सरकार ने 9 फरवरी, 2000 से चीनी के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया है तथा साथ ही 850 रु. प्रति मी. टन का काउन्टरवेलिंग ड्यूटी भी जारी रखी है। सीमा शुल्क 60% तक बढ़ा देने से चीनी का आयात काफी घट गया है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान केवल 30,612 मी. टन (अनन्तिम) चीनी का आयात किया गया है जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान 11,81,183 मी. टन का आयात किया गया।

मुम्बई और वापी के बीच रेलगाड़ी चलाना

5661. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई और वापी के बीच नई रेलगाड़ी चलाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को बलसाड़ से दाहनू रोड तक रेलगाड़ी चलाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी हां। मुम्बई सेंट्रल और वापी के बीच गाड़ी चलाने और 249/250 वलसाड-अहमदाबाद पैसेंजर आदि जैसी वलसाड को जाने वाली गाड़ियों के दाहनू रोड तक विस्तार करने की जांच की गई है लेकिन मुम्बई सेंट्रल-दहानू रोड-वापी बलसाड़ खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी, मुम्बई क्षेत्र और दहानू रोड में अपर्याप्त टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं और वापी में टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस समय इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

5662. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भुसावल मंडल के अंतर्गत आने वाले धुले रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं। धुले को जोड़ने वाली लाइन पहले ही बड़ी लाइन है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) महाराष्ट्र में आंशिक रूप से/संपूर्ण रूप से पड़ने वाली चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत	स्थिति
1.	मुदखेड़-अदिलाबाद (167 कि.मी.)	170.5 करोड़	कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू कर दिया गया है। एजेंसी के समक्ष कार्य हेतु वित्त की व्यवस्था करने संबंधी समस्याएं आ रही हैं। कार्य का पूरा होना वित्त व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
2.	सिकंदराबाद-मुदखेड़ एवं जनकमपेट-बोधन (209 कि.मी.)	278.8 करोड़	कार्य चरणों में प्रगति पर है। प्रथम चरण में मुदखेड़-निजामाबाद खंड और दूसरे चरण में निजामाबाद-सिकंदराबाद खंड प्रगति पर है।
3.	पूर्णा-अकोला (209 कि.मी.)	228 करोड़	अंतिम स्थान निर्धारित सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूर्णा से हिंगोली खंड (81.51 कि.मी.) पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।
4.	मिरज-लातूर (359 कि.मी.)	329 करोड़	कार्य चरणबद्ध आधार पर प्रगति पर है। प्रथम चरण में कुरूडुवाडी से पंढरपुर (52 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। खंड में अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में लातूर रोड से लातूर (42 कि.मी.) तक मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े और छोटे पुल पूरे हो गए हैं। कुर्डुवाड़ी से लातूर तक चरण-3 (143 कि.मी.) भी शुरू कर दिया गया है।
5.	गोंदिया-जबलपुर और बालाघाट-कटंगी (285 कि.मी.)	386.3 करोड़	कार्य चरणों में शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में गोंदिया-बालाघाट पर कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

मेजीया ताप विद्युत परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र में सड़क

5663. **श्री सुनील खां:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मेजीया ताप विद्युत परियोजना की भलियारा में भेटाली इन्टेक पंप हाऊस तक की सड़क पक्की बनाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी हां। मेजीया थर्मल पावर प्रोजेक्ट के भलियारा से मिताली इन्टेक पम्प हाउस तक मेटल रोड निर्माण के लिए अनुमानत: 49.54 लाख रु. की व्यवस्था की गई है। डीवीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार में बंकुरा के जिलाधिकारी से कनेक्टिविटी स्कीम अथवा जिला परिषद् के जरिए एमपीएलएडी के अंतर्गत कार्य आरंभ कराने का अनुरोध किया है।

गुजरात में विद्युत संयंत्रों/उद्योगों को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस की आपूर्ति

5664. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड गुजरात में विद्युत उत्पादन हेतु गैस की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वाणिज्यिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जो गुजरात उद्योग विद्युत कंपनी लिमिटेड के गुजरात विद्युत बोर्ड को गैस की आपूर्ति करते हैं; और

(घ) गैस की आपूर्ति में उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फिलहाल गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड गुजरात में बिजली के उत्पादन के लिए विभिन्न उद्योगों को 4.17 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) मात्रा तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है जिसमें 0.53 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और 0.21 एम.एम.एस.सी.एम.डी. क्रमशः उतरान और धुवरान में गुजरात बिजली बोर्ड को और 0.68 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड को की जाने वाली आपूर्ति शामिल है जबकि इन विद्युत परियोजनाओं के लिए क्रमशः 0.70, 0.20 और 0.70 एम.एम.एस.सी.एम.डी. का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

जोधपुर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूमि पर अतिक्रमण

5665. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के जोधपुर नगर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि को खाली कराने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूमि पर इस प्रकार के अतिक्रमण में संलिप्त पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) ने सूचित किया है कि जोधपुर राजस्थान में ओ.एन.जी.सी. की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथापि, अलग-अलग तीन अवसरों पर ओ.एन.जी.सी. के परिसरों में जबरन प्रवेश के प्रयास किए गए थे और 128.19 बीघा भूमि में से करीब 2.2 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। तीनों अवसरों पर जमीन को खाली करा लिया गया था और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जोधपुर के आदेशों के अनुसार उसे कुर्क किया गया। ओ.एन.जी.सी. द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय के समक्ष कुर्की की अपील विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति

5666. श्री आनन्द मोहन बिश्वास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बोर्ड ने विदेश में इरकॉन (आई.आर.सी.ओ.एन.) के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को नियुक्त करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इरकॉन (आई.आर.सी.ओ.एन.) ने इस आश्वासन को पूरा नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की प्रतिनियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेलवे बोर्ड ने अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण पर संसदीय समिति को आश्वासन दिया था कि अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारियों में पर्याप्त प्रचार के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि अ.जा./अ.ज.जा. के अधिक अधिकारी इरकॉन और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आ सकें।

(ख) और (ग) इरकॉन द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर यथासंभव सीमा तक भेजा जा रहा है जो ग्राहक द्वारा कार्मिक की जरूरत, उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि पर निर्भर करती है।

(घ) रेल मंत्रालय ने सभी महाप्रबंधकों को अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए मंत्रालय को उनका नाम निर्बाध रूप से भिजवाने हेतु विभिन्न उपाय करने के लिए पत्र जारी किया था।

प्रशासित मूल्य तंत्र को बंद करने के बाद मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि

5667. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 2002 में प्रशासित मूल्य तंत्र को बंद करने के बाद मिट्टी के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी वृद्धि से बचने के लिए कुछ तंत्र विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार के नवम्बर, 1997 के निर्णयों के अनुसार घरेलू एल.पी.जी. तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल पर देय आयात क्षमता की क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत राजसहायतायें प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के समापन के पश्चात् राजकोषीय बजट द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार ने नवम्बर, 1997 के निर्णयों के अनुसार सभी पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य आयात क्षमता की दिशा में ले जाए जाने हैं, बशर्ते कि राजसहायतायें उपर्युक्त (क) और (ख) के अनुसार हों।

कुक्कुट पालन का व्यापार

5668. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वेल्लोर, नामक्कल और सलेम के उपशहरों में कुक्कुट पालन के जरिए आजीविका कमाने वाले किसानों की भरमार है;

(ख) क्या वेल्लोर क्षेत्र में एक सरकारी शीतागार के निर्माण की बड़े पैमाने पर मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीतागार न होने के कारण कुक्कुट पालन करने वाले किसानों द्वारा हाल ही में मुर्गी के लाखों अंडों को नष्ट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन किसानों के संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस समय वैल्लोर में सरकारी प्रशीतन भंडारण के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हाल ही में तमिलनाडु में लाखों कुक्कुट अंडों को नष्ट किया गया है। तथापि, तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में प्रशीतन भंडारण के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड, पूंजीगत निवेश सहायता योजना क्रियान्वित कर रहा है। इन प्रशीतन भंडारों को बागवानी उत्पादों के भंडारण के अलावा अंडों का भंडारण करने की भी अनुमति दी गई है।

पंजाब में विज्ञान नगर

5669. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में विज्ञान नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार से 70.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता से पंजाब सरकार जलांधर में ''पुष्पा गुजराल साइंस सिटी'' नाम से एक साइंस सिटी स्थापित कर रही है।

पंजाब के गांवों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना

5670. **श्री जे.एस. बराड़: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा पंजाब के महत्वपूर्ण ग्रामीण केन्द्रों पर खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित किये जाने वाले लक्षित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या तिथिवार कितनी है; और

(घ) अब तक स्थानवार कितने बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) नीति के अनुसार, खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के विषय में आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के लिए पंजाब राज्य समेत देश में नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं तथा ऐसे स्थान, जो परिमाण-दूरी मानकों को पूरा करते हैं, तेल उद्योग की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में शामिल किए जाते हैं।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे स्थानों के अतिरिक्त 149 केन्द्रीय बिन्दुओं समेत 154 स्थान तेल विपणन कंपनियों, अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड द्वारा पंजाब राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1999-2000 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के विषय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों के चयन के लिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। डीलरशिपें आरम्भ करने के लिए साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6-12 माह लगते हैं।

डिग्बोई तेलशोधक कारखाने में साल्वेन्ट डिवेक्सिंग इकाई

5671. **श्री एम.के. सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिग्बोई तेलशोधक कारखाने में वहां उत्पादित होने वाले बिटूमैन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत पर साल्वेन्ट डिवेक्सिंग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) डिग्बोई तेलशोधक कारखाने में बिटूमैन की उत्पादन क्षमता कितनी है और इसमें किस सीमा तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) डिग्बोई रिफाइनरी में 419 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर साल्वेन्ट डिवेक्सिंग इकाई मोम की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्थापित की जा रही है और न कि बिटूमन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इस इकाई की स्थापना से संबंधित परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) डिग्बोई रिफाइनरी की बिटूमन उत्पादन क्षमता 20 हजार टन प्रति वर्ष है तथा फिलहाल इस क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम में खोए हुए व्यक्ति

5672. **श्रीमती सुशीला सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1990 से 1994 तक उत्तरांचल राज्य के देहरादून में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मुख्यालय में ड्यूटी करते समय खोए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे खोए व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान की गई नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों का अंतिम हिसाब-किताब निबटा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने सूचित किया है कि आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन मुख्यालय, देहरादून, उत्तरांचल में जनवरी, 1990 से 1994 तक की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी के कार्यरत रहते हुए लापता होने की रिपोर्ट नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

टर्मीनेटर बीज के आगमन को रोकना

5673. **श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार में टर्मीनेटर बीज के आगमन को रोकने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'टर्मिनेटर जीन युक्त बीज' भारतीय बाजार में प्रवेश न कर पाएं, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) परमिट जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बीजों के आयात परमिट जारी करने से पूर्व वे यह तस्दीक कर लें कि ऐसे बीज टर्मिनेटर जीन युक्त नहीं हैं।

(2) लोक सभा द्वारा पारित पौध किस्म एवं कृषक अधिकार विधेयक, 2001 में यह प्रावधान है कि टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी तथा अनुवांशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी सहित किसी भी प्रौद्योगिकी वाली किसी भी किस्म, जो मानव पशु अथवा वानस्पतिक जीवन अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो, का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

(3) संशोधित बीज अधिनियम में यह प्रस्ताव किया गया है कि देश में टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी युक्त बीजों के विपणन की अनुमति नहीं होगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यकरण संबंधी पुनरीक्षा समिति

5674. **श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यों को देखने और उसकी निगरानी करने के लिए सर्किल-वार पुनरीक्षा समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी संरचना क्या है;

(ग) समिति के विचारणीय विषय क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कार्यालय और विभिन्न सर्किलों और उप सर्किलों के बीच बहुत बड़ा प्रशासनिक अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विभिन्न सर्किलों में किये जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण और निगरानी के लिए मध्यवर्ती अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण की पुनर्संरचना करने और उसे सरल और कारगर बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने के वास्ते सरकार द्वारा गठित एक पुनरीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मंडलों का पुनर्गठन और मध्यवर्ती अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है।

इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाना विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के अनुमोदनों पर आश्रित है।

शटल ट्रेनों का शुरू किया जाना

5675. **श्री अजय सिंह चौटाला: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी जैसे निकटवर्ती शहरों के बीच नई शटल ट्रेन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

पटरियों का नवीकरण

5676. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल विभाग द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक रेल पटरियों के नवीकरण हेतु कितना धन आवंटित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान रेलों द्वारा रेलपथ नवीकरण के लिए आवंटित निधि (सकल) क्रमश: 1802.57 करोड़ रुपए, 2042.00 करोड़ रुपए और 2244.65 करोड़ रुपए थी। चालू वर्ष के दौरान रेलपथ नवीकरण के लिए बजट प्रावधान 2680 करोड़ रुपए है।

लू लगने से मौत

5677. **श्री अनंत नायक:**
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लू लगने के कारण राज्यवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) लोगों को लू से बचाने के लिए क्या निरोधात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) चूंकि लू प्राकृतिक आपदा नहीं है, अत: लू के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े कृषि एवं सहकारिता विभाग में नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग और जनगणना आयुक्त तथा भारत के महापंजीकार से इस विषय पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(ख) चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार बहुत ही गर्म मौसम में घर से बाहर कम निकलना, कार्य घंटों का समयोजन, बहुत बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ लेना, लू लगने के लक्षण दिखने की स्थिति में चिकित्सा संबंधी सलाह लेना आदि जैसे उपयुक्त निवारक उपायों से लू से होने वाली मौतों से बचा जा सकता है।

उत्सर्जन मानदंडों का क्रियान्वयन

5678. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 2001 के "दि एशियन एज" समाचार-पत्र में "ओ एक्सपर्ट्स आफर एल्टरनेटिव्स फार क्लीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने किसी विशेष ईंधन/प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न उत्सर्जन मानदंडों के क्रियान्वयन की राय दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसी विशेष ईंधन/प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह सुझाव रखा है कि 0.05 प्रतिशत सल्फर वाले डीजल एवं सीसा रहित तथा लो बेनजाइन पेट्रोल को भी साफ ईंधन माना जा सकता है।

कच्छ के भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास पैकेज

5679. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के लोगों ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा संतोषजनक पुनर्वास पैकेज न प्रदान करने के विरोध में बंद का आयोजन किया था;

(ख) क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों और प्रभावित लोगों को मुआवजा प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीड़ितों के पुनर्वास में अब तक क्या प्रगति की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे किसी बन्द का आयोजन नहीं किया गया।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि घायलों को सहायता राशि, नकद राशि का वितरण तथा परिवारों को जरूरी सामान का वितरण तथा क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि की अदायगी कर दी गई है।

[हिन्दी]

डाभोल विद्युत परियोजना से बिजली की खरीद

5680. श्री रामजीलाल सुमनः
श्री सुशील कुमार इन्दौराः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र बिजली बोर्ड और अन्य राज्यों ने डाभोल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने हेतु रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने डाभोल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अपनी इच्छा सम्प्रेषित कर दी है;

(ग) क्या इन बिजली बोर्डों ने डाभोल विद्युत परियोजना से विद्युत खरीद के लिए कोई दर उद्धृत की है; और

(घ) यदि हां, तो वह दर क्या है जिस पर ये बिजली बोर्ड विद्युत खरीदने पर सहमत हो गए हैं और यह दर डाभोल विद्युत परियोजना की दर से कितनी कम है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने डाभोल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की राज्यों द्वारा खरीद की संभावना की जांच करने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया है। विद्युत की मात्रा तथा ग्राह्य टैरिफ के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित वार्ता समिति द्वारा राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसके द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना है। जिन राज्यों ने डाभोल परियोजना से विद्युत खरीदे जाने में रुचि दर्शायी है वे हैं— महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। दर, आपूर्ति का प्रकार तथा मात्रा अलग-अलग राज्यों में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न है।

[अनुवाद]

रूसी तेल क्षेत्रों में निवेश

5681. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरीः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडिया टुडे" दिनांक 11 जून, 2001 में प्रकाशित समाचार, "दि ओ एन जी सी सब्सिडियरीज व्होलिंग रूपीज 8136 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ए रसियन आयल फील्ड वाज साइन्ड ईन इनडीसेंट हेस्ट एंड प्रोसीजर्स वेयर बाइपास्ड डिस्पाइट डाउट्स एबाउट इट्स कामर्शियल साउंडनेस" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे मामलों का तथ्य क्या है;

(ग) सचिवों की समिति ने इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किये बिना मंजूरी दे दी;

(घ) क्या ओ.एन.जी.सी. द्वारा परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए नियमों में ढील दी गई और मुंबई हाई के लिए 7500 करोड़ रुपये की अपेक्षा की गई;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमेरिका की विशाल तेल कंपनी टेक्साको ने 1999 के दौरान सखालिन परियोजना में अपनी भागीदारी से मना कर दिया था; और

(च) यदि हां, तो किन परिस्थितियों ने सरकार को बाध्य रूप से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना इक्विटी पर प्रीमियम को 211 करोड़ से बढ़ाकर 1057 करोड़ करने को विवश किया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ओ वी एल ने सखालिन-1 परियोजना के अपने निवेश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित परामर्शदाता, नामतः जे पी मोरगन, निवेश परामर्शदाता तथा गैफनी, क्लाइन एण्ड एसोसेट्स (जी सी ए) तकनीकी परामर्शदाता से सलाह ली थी और उन्होंने सलाह दी थी कि सखालिन-1 परियोजना आकर्षक प्रतिफल के साथ एक उच्च गुणवत्ता निवेश अवसर है। अपेक्षित अन्तःमंत्रालय संबंधी विचार-विमर्शों के बाद सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया था।

ओ एन जी सी ने सखालिन-1 परियोजना के लिए निवेश निर्णय लेने से पूर्व, अपनी धनराशि तथा संभावित रोकड़ प्रवाह की स्थिति तथा साथ ही मुंबई हाई पुनर्विकास के लिए निवेश सहित व्यय का भी विश्लेषण किया और पाया कि वह इन परियोजनाओं को आंतरिक व बाह्य साधनों द्वारा सहजता से वित्तपोषित कर सकता है।

(ङ) जी, हां।

(च) ओ वी एल की शेसनेफ्ट के लिए वास्तविक सूचक बोली दो कारकों, अर्थात् (1) उस समय ओ वी एल के लिए

उपलब्ध सीमित तकनीकी तथा आर्थिक जानकारी के कारण परियोजना का अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, तथा (2) वर्ष 1999 के भूविज्ञानी आंकड़ों के आधार पर पुराना विकास प्रोफाइल, पर आधारित था। तत्पश्चात्, आपरेटर ने विभिन्न तकनीकी कानूनी तथा आर्थिक जानकारी के साथ सखालिन-1 के लिए नवीनतम विकास योजनाएं उपलब्ध कराई। वर्ष 2000 में नए अन्वेषण कूप के परिणामों ने भी परियोजना की आर्थिक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया। इसके अलावा, एक बड़ी तेल कंपनी द्वारा अप्रार्थित प्रस्ताव भी आया, जिसने दिए जाने वाले प्रीमियम पर लंबी बातचीत को अनिवार्य बनाया। कुल मिलाकर परियोजना की सुदृढ़ लाभप्रदता पर चर्चा की गई थी और प्रीमियम में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया था।

[हिन्दी]

अमेरिका और भारत के बीच सहयोग

5682. **डा. अशोक पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरीका के राष्ट्रीय ऊर्जा नीति विकास समूह ने मई, 2001 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की है कि संबंधित विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कार्यवाही करे, ताकि भारत अपने घरेलू तेल और गैस उत्पादन को अधिकतम कर सके। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पारस्परिक लाभ के लिए किसी प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का स्वागत है।

[अनुवाद]

पन विद्युत विकास कोष के सृजन का प्रस्ताव

5683. **श्री बिक्रम केशरी देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं पर अधिभार लगाकर कोष हेतु धन एकत्र करके पन विद्युत विकास कोष के सृजन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कोष से कितनी धनराशि सृजित की गयी है;

(ग) क्या सरकार अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की योजना एकत्रित धन को पन विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन पर खर्च करने की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की पन विद्युत परियोजनाओं को इससे हिस्सा प्राप्त होगा; और

(ङ) यदि हां, तो हिस्सेदारी का क्या अनुपात होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत मंत्रालय की सलाह पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने केन्द्रीय विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष इसके अपने विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा तैयार विद्युत पर बस-बार पर उपलब्ध ऊर्जा पर 10 पैसे प्रति यूनिट का अधिभार लगाने हेतु एक याचिका दायर किया है। इस अधिभार को लगाने से प्राप्त राशि के जरिए त्वरित जल विद्युत विकास कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने का विचार किया गया था। अनुमान था कि 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से एनएचपीसी प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु. इकट्ठा कर लेगा। सीईआरसी ने अपने दिनांक 21.12.2000 के टैरिफ आदेश के द्वारा नियत प्रभारों के लिए प्रत्येक बिल पर (एनएचपीसी के लिए क्षमता एवं ऊर्जा प्रभार दोनों पर) निम्नलिखित दरों से अधिभार लगाया है:

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	-	5%
नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	-	5%
नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	-	5%
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	-	10%

इस अधिभार के जरिए यूटिलिटी द्वारा क्षमता अभिवृद्धि के लिए किए गए पूंजीगत खर्च के एक हिस्से को पूरा किए जाने का विचार है। यह नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी पूंजीगत खर्च या मौजूदा क्षमता के प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं है। यह केवल क्षमता अभिवृद्धि हेतु विद्युत आपूर्ति कार्य में निवेश के लिए उपलब्ध होगा। किसी राज्य में पूर्णरूपेण प्रचालित कार्यों के लिए अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश को जारी करने के पूर्व सीईआरसी के लाभार्थी राज्यों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत का कार्यान्वयन

5684. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत के कार्यान्वयन के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार की मांगों पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विद्युत मंत्री को सम्बोधित अपने 4 जुलाई, 2001 के पत्र में सुझाव दिया है कि रा.वि. बोर्डों द्वारा सीपीएसयू को देय बकाया धनराशियों के एक मुक्त समाधान के लिए विशेषज्ञ दल द्वारा उस बकाया धनराशि पर ब्याज/अधिभार को 50% समाप्त करने की सिफारिश के स्थान पर भारत सरकार 100% समाप्ति पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों के उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समूह ने 6 जुलाई, 2001 को बैठक की थी। अधिकार प्राप्त समूह ने रिपोर्ट को स्वीकार करते समय विशेषज्ञ दल की सिफारिशों में छोटे-छोटे संशोधन किए हैं जिसमें विशेषज्ञ दल द्वारा 50% की सिफारिश के स्थान पर अधिकार 60% समाप्त किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधानकर्त्ताओं की शिकायतें

5685. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि अनुसंधान कार्य से जुड़े वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुसंधानकर्त्ताओं का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी सेवा में प्रवेश की आयु सीमा पार कर जाने के बाद उक्त अनुसंधानकर्त्ताओं का जीवन अंधकारमय हो गया है;

(ग) सरकार द्वारा इन अनुसंधानकर्त्ताओं के भविष्य के सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अनुसंधानकर्त्ताओं को वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी या इसी तरह के कुछ अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु प्राथमिकता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में शोधकर्त्ता 'को-टर्मिनस' आधार पर कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः ये शोधकर्त्ता परियोजना पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को अपना सहयोग देते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों के नियमित रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति न होने के कारण नियमित कर्मचारियों की तरह उनका विस्तृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं। शोधकर्त्ता लघु अवधि वाली तदर्थ तथा उद्देश्यपरक परियोजनाओं में कार्य करते हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव से उन्हें भविष्य में नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वे इन तदर्थ परियोजनाओं पर कार्य करने के दौरान नियमित पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

(ग) से (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक तथा तकनीकी श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के माध्यम से करती है। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले शोधकर्त्ता अन्यों के साथ इन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में लैक्चरर/सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए कृषि के विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का आयोजन करता है। यदि शोधकर्त्ता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) देने के पात्र हों तो वे अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रयोजन से इसमें बैठ सकते हैं और उत्तीर्ण होने पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में लैक्चरर/सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति करने के लिए उनके नामों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सीधे बिक्री की सुविधा

5686. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''लो प्लांट लोड फैक्टर'' विद्युत चोरी, किसानों को दी जाने वाली राजसहायता और राज्य विद्युत बोर्डों की राजनैतिक

रूप से गठित करने के कारण राज्य विद्युत बोर्डों को सम्मिलित रूप से 22,000 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने सभी राज्य विद्युत बोर्डों में वित्तीय अनुशासन लागू करने का कोई प्रयास किया है;

(ग) क्या गुजरात विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने विद्युत उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे बिजली बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की है;

(घ) क्या केन्द्र गुजरात विद्युत विनियामक प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या दाभोल पावर कम्पनी को सीधे उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षकारों को बिजली बेचने की अनुमति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 2000-01 के दौरान रा.वि. बोर्डों की संयुक्त व्यावसायिक हानि 26013.05 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) राज्यों से रा.वि. विनियामक आयोग के गठन और उन्हें टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व देने से तथा किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए आवश्यकतानुसार एसईआरसी द्वारा निर्धारित से कम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के रा.वि. विनियामक आयोगों ने पहले ही टैरिफ आर्डर जारी कर दिए हैं।

(ग) गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने उत्पादन कम्पनियों को सीधे उपभोक्ता को विद्युत की बिक्री की सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43(ए)(ग) के अनुसार कम्पनी सक्षम सरकार अथवा सरकारों की अनुमति से किसी भी व्यक्ति को बिजली बेच सकती है। अतएव डाभोल विद्युत कम्पनी को सीधे बिजली बेचने की अनुमति संबंधी निर्णय महाराष्ट्र सरकार पर निर्भर करता है।

मंत्रालय द्वारा धनराशि का उपयोग

5687. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा धनराशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) मंत्रालय को आबंटित की गई धनराशि का पूर्णतया उपयोग किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) मंत्रालय कुल बजटीय प्रावधान का औसतन 98% जो कि नौवीं योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है, का उपयोग करता रहा है।

(ख) मंत्रालय आबंटित निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मैचिंग अनुदान का प्रावधान तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रेरक नीतियां तैयार करने जैसे विभिन्न मामलों का समाधान करने के आवश्यक प्रयास करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों/एल.पी.जी. एजेंसियों का आबंटन

5688. डा. बलिराम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** दिनांक 22 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3910 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के उन पेट्रोल/डीजल पंप डीलरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत पंप आबंटित किए गए थे और बाद में इन पेट्रोल/डीजल पंपों को सामान्य कोटि के व्यक्तियों को बेच दिया गया/हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेट्रोल पंपों की उक्त बिक्री/हस्तांतरण की जांच करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को अन्य श्रेणी के लोगों को अंतरण/बिक्री के कोई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

सरसों एवं नारियल तेल से ईंधन

5689. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री जय प्रकाश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोलकाता में वाहनों को चलाने में सरसों/नारियल तेल सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्रोत ईंधन के व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त किये जाने की संभावनाओं का पता लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पतरातू विस्तार का प्रभाव

5690. प्रो. दुखा भगत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में पतरातू विस्तारप चरण-1 विद्युत परियोजना को वापस भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार को उक्त प्रस्ताव किस तिथि को मिला और उसने किस तिथि को वापस भेजा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा पतरातू चरण-5 विस्तार (2×210 मेगावाट) की स्थापना किए जाने संबंधी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) का प्रस्ताव लौटा दिया है क्योंकि तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए अपेक्षित कुछ आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां जैसे ईंधन लिंकेज, जल उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की गयी है।

(ग) बीएसईबी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के.वि.प्रा. में दिसम्बर, 1988 में प्राप्त की गयी थी और 4.12.1992 को इसे बीएसईबी को लौटा दिया गया था।

[अनुवाद]

डेयरी विकास

5691. श्री अरूण कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य डेयरी विकास एवं बिहार स्थित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के लिए बिहार सरकार को कितनी सहायता अनुदान/सहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): बिहार राज्य डेयरी विकास बोर्ड के लिए बिहार सरकार को कोई भी अनुदान सहायता/सहायता प्रदान नहीं की गई है।

"व्यवसायिक दक्षता विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बिहार सरकार को 2000-01 के दौरान 1.56 लाख रुपए अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किए गए थे जिससे राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के गठन की व्यवस्था की गई थी। तथापि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कोई अनुदान सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

रेलवे जोनों की स्थापना

5692. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने जयपुर में उत्तर-पश्चिमी जोनल कार्यक्रम का उद्घाटन किया था;

(ख) क्या उक्त जोन की आवासीय योजना के लिए 1744 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने जयपुर में जोनल मुख्यालय के लिए जवाहर सर्किल के निकट सस्ती दरों पर भूमि के आबंटन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है और उक्त प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है, फिलहाल इसे वित्तीय तंगी के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका है। इस समय संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए जोनों/मण्डलों के पुनर्गठन के समग्र मामले की पुनरीक्षा की जा रही है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत भूमि

5693. **श्री धर्म राज सिंह पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन किसानों के बच्चों को रोजगार दिए जाने का प्रावधान है जिनकी भूमि का अधिग्रहण नैनी-इलाहाबाद स्थित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की इकाई के लिए किया गया है;

(ख) क्या कुछ किसानों के बच्चों का साक्षात्कार भी लिया गया है परन्तु अभी तक उनको रोजगार नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन किसानों के बच्चों के नाम क्या हैं जिन्हें साक्षात्कार लिये जाने के बाद भी रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) उन्हें रोजगार नहीं देने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। परन्तु यह उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरे करने और पद के लिए उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) नैनी एल पी जी संयंत्र ने मानवशक्ति की आवश्यकताएं स्थानान्तरणों/भर्तियों के द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई हैं और किसी प्रकार की रिक्तियां उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संयंत्र में रोजगार प्रदान करने की आगे कोई गुंजाइश नहीं है।

विवरण

निम्नलिखित उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था परन्तु वे उनके नामक के सामने दिए गए कारणों से उपयुक्त नहीं पाए गए:

क्र.सं.	नामिती	भूमि से वंचित होने वाला	कारण
1.	श्री मोहम्मद साहब हनफी	श्री मेहन्दी हसन	उपयुक्त नहीं पाया गया
2.	श्री राम आसरे यादव	श्री बन्सी लाल	उपयुक्त नहीं पाया गया
3.	श्री कमलेश चन्द्र	श्री राम सजीवन	अधिक आयु
4.	श्री कृष्णा देव यादव	श्री शिव कुमार	उपयुक्त नहीं पाया गया
5.	श्रीमती विमला देवी	श्री शोभा राम	उपयुक्त नहीं पाया गया
6.	श्री देवानन्द	श्री हौसला प्रसाद	अधिक आयु
7.	श्री राम शंकर यादव	श्री बाबू लाल	उपयुक्त नहीं पाया गया
8.	श्री राम कमलेश चन्द्र पांडे	श्री हनुमानदीन	अधिक आयु

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5694. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने हेतु पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि का उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिलायंस पेट्रोलियम का क्षतिपूर्ति दावा

5695. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस पेट्रोलियम ने सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से क्षतिपूर्ति का कोई दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल.पी.जी. और सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल के लिए आयात क्षमता रिफाइनरी द्वारा मूल्यों का भुगतान रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर पी एल) से उठाई के लिए किया जाता है। नियंत्रणमुक्त उत्पादों के लिए भुगतान तेल कंपनियों और आर पी एल के बीच द्विपक्षीय करारों के अनुसार किए जाते हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) और टर्मिनलिंग प्रभारों का भुगतान आर पी एल को उसी आधार पर किया जाता है जिस पर ए पी एम के तहत प्रतिपूर्ति प्रक्रम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों को किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादक इकाईयों से विद्युत की खरीद

5696. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत खपत करने वाली प्रमुख संस्थाओं को विद्युत उत्पादक इकाइयों से सीधे विद्युत खरीदने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और विद्युत खपत करने वाली प्रमुख इकाइयों की परिभाषा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपभोक्ताओं पर अधिभार लगाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस निर्णय से विद्युत शुल्क में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप इस निर्णय का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के खंड 43क (ग) के प्रावधानों के अनुसार एक विद्युत उत्पादन कम्पनी सरकार अथवा संबंधित सरकारों के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति को विद्युत बेच सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

विद्युत की दर

5697. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित विद्युत पर उपभोक्ताओं द्वारा पृथकतः कितनी प्रति इकाई विद्युत दर चुकाई गयी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी)/केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियां सामान्यतः उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री नहीं करती हैं। इन उत्पादकों की विद्युत रा.वि.बो./अन्य राज्य यूटिलिटियों को बेची जाती हैं जो बदले में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करते हैं। 2000-01 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से प्रभारित अनुमानित औसत टैरिफ संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	रा.वि.बो.	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि/सिंचाई	उद्योग	रेलवे कर्षण	राज्य से बाहर	समग्र औसत
1.	आंध्र प्रदेश	174.00	426.00	14.00	399.19	420.00	0.0	182.00
2.	असम	146.47	416.56	233.24	361.40	0.00	0.00	353.16
3.	बिहार	109.35	223.20	12.23	275.39	330.00	190.59	200.14
4.	दिल्ली (डीवीबी)	273.91	401.48	276.00	367.37	एन.ए.	0.00	320.00
5.	गुजरात	246.00	430.00	17.00	434.72	510.00	0.00	225.00
6.	हरियाणा	280.00	430.00	29.47	445.11	–	–	214.91
7.	हिमाचल प्रदेश	92.48	234.36	50.00	232.54	0.00	225.00	203.04
8.	जम्मू व कश्मीर	125.00	230.00	250.00	200.00	0.00	0.00	194.16
9.	कर्नाटक	249.00	680.00	108.66	438.10	481.00	0.00	252.88
10.	केरल	104.00	458.30	59.55	278.23	151.00	0.00	236.66
11.	मध्य प्रदेश	120.39	410.37	11.07	410.57	530.27	265.40	166.4
12.	महाराष्ट्र	178.00	417.76	24.61	202.23	371.50	250.00	231.18
13.	मेघालय	130.75	205.91	52.00	202.23	0.00	169.09	174.18
14.	उड़ीसा (ग्रिडको)	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0.00	157.87
15.	पंजाब	190.16	338.51	निशुल्क आपूर्ति	283.19	0.00	205.00	176.42
16.	राजस्थान	138.00	310.00	34.85	321.89	331.00	221.90	195.79
17.	तमिलनाडु	197.72	397.61	1.20	385.23	379.46	129.80	233.49
18.	उत्तर प्रदेश	129.53	313.25	49.97	423.36	421.00	19.14	183.35
19.	पश्चिम बंगाल	162.57	245.21	53.80	346.97	400.90	374.33	240.72
	रा.वि.बो. का औसत	174.16	341.20	28.42	360.23	420.76	194.79	212.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
2.	गोवा	160.61	439.40	198.10	385.00	0.00	191.69	351.26
3.	मणिपुर	167.97	210.00	125.40	125.27	0.00	0.00	163.00
4.	मिजोरम	115.00	176.00	0.00	217.00	0.00	0.00	167.00
5.	नागालैंड	160.00	280.00	0.00	225.00	0.00	0.00	189.87
6.	पांडिचेरी	93.98	238.35	7.51	252.20	0.00	0.00	166.95
7.	सिक्किम	100.00	225.00	0.00	130.00	0.00	0.00	115.00
8.	त्रिपुरा	95.00	130.00	75.00	120.00	0.00	107.85	97.00
	विद्युत विभागों का औसत	129.35	286.01	52.61	293.87	0.00	127.62	214.17
	अखिल भारत औसत	173.40	340.43	28.48	359.04	420.76	193.76	212.02

[अनुवाद]

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा नाफ्था की आपूर्ति

5698. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोल में मिलाने के लिए सभी पेट्रोल पंपों को नाफ्था की गैर-कानूनी ढंग से आपूर्ति कर रही है और प्रतिदिन 7 से 8 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रारंभ की गई है;

(ग) ऐसी मिलावट का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) ऐसी मिलावट में संलप्ति पेट्रोल पंप मालिकों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(घ) तेल कंपनियां मिलावट में संलिप्त होने वाले डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत तथा/अथवा डीलरशिप करार की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करती है। राज्य सरकारें गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए भी शक्तिप्रदत्त हैं।

राजस्व वसूली में गिरावट

5699. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के लिए रखे गए 2000-01 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में रेलवे की राजस्व वसूली में 150 करोड़ रुपए की और माल-ढुलाई में 1.75 मिलियन टन की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) आमदनी में कमी यातायात के औसत गमन दूरी में कमी और खाद्यान्नों, उर्वरकों, लोहा एवं इस्पात तथा सीमेंट में पिछले वर्ष के लक्ष्यों की तुलना में यातायात कम प्राप्त होने के कारण हुई थी।

(ग) घाटे को पूरा करने के लिए कम गमन दूरी के थोक यातायात को आकर्षित करने हेतु मात्रा छूट योजना का विस्तार, स्टेशन-दर-स्टेशन दर योजना का उदारीकरण, मेरी-गो-राउंड प्रणाली की शुरूआत जैसे कदम उठाए गए हैं तथा प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर अधिक लाभ प्राप्त करने वाले पण्यों के लदान की निगरानी की जा रही है।

नौवीं योजना में क्षेत्र-वार निवेश

5700. श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना में विद्युत के लिए आवश्यक क्षेत्र-वार निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संशोधित आवश्यकता में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के पहले तीन वर्षों में वास्तविक निवेश संशोधित आवश्यकता का मात्र 42 प्रतिशत रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा योजना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विद्युत क्षेत्र में निवेश की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित नौवीं योजना परिव्यय 124526.00 करोड़ रुपए था जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र हेतु 53299 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र हेतु 71227.00 करोड़ रुपए शामिल है। यह 40245.2 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य पर आधारित था।

नौवीं योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के अनुसार निधियों की आवश्यकता 113239 करोड़ रुपए मूल्यांकित की गई है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र हेतु 46604 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र हेतु 66635 करोड़ रुपए शामिल है। यह आवश्यकता नौवीं योजना के लिए परिकलित 40245.2 मे.वा. की तुलना में 24309 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पर आधारित है।

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान योजना व्यय 57576 करोड़ रुपए किए गए हैं जो कि 113239 करोड़ रुपए की मूल्यांकित संशोधित आवश्यकता का 50.84% है।

सरकार निर्माणाधीन परियोजनाओं की सघन मानीटरिंग इस प्रयोजनार्थ गठित विभिन्न टास्क फोर्स और अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कर रही है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के सम्बद्ध में अंतिम समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने एक संकट समाधान दल की स्थापना की है। देश में विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(ख) निवेश पद्धतियों का उदारीकरण।

(ग) विद्यमान पुराने विद्युत उत्पादक यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण।

(घ) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत ताप विद्युत स्टेशनों को प्रचालन और अनुरक्षण सुधारने के लिए पावर फाईनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋण संवितरण।

(ङ) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का संवितरण।

कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) के कर्मचारियों को संशोधित वेतन

5701. **श्री के. मुरलीधरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. ने अपने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है और उन्हें 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतन और बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि इत्यादि का भुगतान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्टॉफ को संशोधित वेतन और बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा ऐसे अन्य संगठन भी हैं जो कृषि विज्ञान केन्द्र के क्रियाकलापों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेल इंजनों का उत्पादन

5702. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल विभाग ने इंजनों की खरीद में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने सरकार से इस मामले में दखल देने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इंजनों की खरीद के आदेश देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) रेल इंजनों का उत्पादन, प्रत्याशित यातायात में वृद्धि की पूर्ति हेतु वास्तविक आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता पर आधारित होता है। चूंकि नौवीं योजना अवधि के लिए प्रत्याशित माल यातायात के वास्तविक प्राप्ति कम रही। इसलिए तदनुसार रेल इंजनों की आवश्यकता में कमी आई। मौजूदा उत्पादन स्तर यातायात की आवश्यकता और धन की उपलब्धता के अनुरूप है।

(ग) जी हां।

(घ) रेल इंजनों का वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जाता है जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत कनेक्शन

5703. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत कनेक्शन हेतु "न्यूनतम प्रभार" की दरें हाल ही में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी कई गुना बढ़ा दी गई हैं;

(ख) पुराने/वर्तमान उपभोक्ताओं जहां बुनियादी ढांचा बहुत पहले प्रदान कर दिया गया था, के लिए ऐसी वृद्धि का क्या औचित्य है;

(ग) क्या ऐसी अनिवार्य न्यूनतम प्रभारों का लगाना विद्युत बचाने के लिए किए जाने वाले आह्वान के विरुद्ध नहीं है;

(घ) क्या ऐसे प्रभारों में विद्युत बंद होने, कटौती करने अथवा ब्रेक डाउन/खराब होने के कारण कोई छूट नहीं दी जाती है;

(ङ) चंडीगढ़ में ऐसे कितने घरेलू उपभोक्ता हैं जिन्हें शुल्क में हाल ही में वृद्धि के पश्चात् न्यूनतम प्रभारों का भुगतान करना पड़ा; और

(च) न्यूनतम प्रभारों के कारण कुल कितनी राशि का बिल बना और वास्तविक उपभोग के आधार पर कितनी राशि प्रभार योग्य है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक प्रभारों (एमएमसी) की दरों में 1 फरवरी, 2001 से वृद्धि की गई है। घरेलू श्रेणी की एमएमसी बढ़ाकर 35 रुपये प्रति कि.वा. की गई है जो कि पंजाब में लागू एसएससी के समान है।

(ख) प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति प्रदान करने के लिए संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विद्युत विभाग द्वारा किये गये स्थिर प्रकारों को पूरा करने हेतु प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा एमएमसी का भुगतान अपेक्षित है। पूर्व में एमएससी की दरें वर्ष 1991 में निर्धारित की गई थी। तब से स्थाई व्ययों में कई गुना वृद्धि हुई है इसलिये एमएमसी में वृद्धि आवश्यक समझी गई थी।

(ग) एमएमसी की उगाही करने से ऊर्जा बचत की राष्ट्रीय नीति का उलंघन नहीं होता है। भार की विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं की औसतन मासिक खपत एमएमसी समकक्ष यूनिटों से अधिक बैठती है।

(घ) विद्युत बंदी, कटौती या खराबियों के कारण इस प्रकार के अधिकार पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाती क्योंकि संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता काफी संतोषजनक है।

(ङ) एमएमसी के अंतर्गत शामिल घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 37868 है जबकि घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 159726 है।

(च) एक बार की बिलिंग हेतु एमएमसी के कारण भुगतान की गई कुल धनराशि निम्नवत है:

(1)	श्रमिक कालोनियां, जहां कुण्डी कनेक्शनों-का सहारा लिया जाता है और प्रति माह 75 यूनिट औसत खपत करते हैं के 11000 उपभोक्ताओं से राजस्व	-	11,33,000 रुपये
(2)	दोषपूर्ण/धीमे चलने वाले मीटरों और जो एमएमसी के आधार पर बिलिंग किये जाते हैं से प्राप्त राजस्व		36,74,245 रुपये
(3)	एमएमसी पर बिलिंग वाले अन्य रुपये उपभोक्ताओं से राजस्व	-	8,92,755 रुपये
	कुल	-	57,00,000

एक बार की बिलिंग के लिए एमएमसी पर आधारित कुल बिलिंग धनराशि — 57 लाख रुपये × 2 = 114 लाख 9 लगभग

कम्प्यूटरीकृत बिलिंग के अंतर्गत इस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक खपत के आधार पर अनंतिम धनराशि एक बार की बिलिंग में 63 लाख रुपये है।

कृषि व्यापार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना

5704. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि में मुक्त बाजार प्रणाली विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो 1995 में जब सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना स्वीकार किया था, तब इस प्रणाली को न अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध कृषि में मुक्त बाजार तंत्र से पूर्व हटा दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) कृषि से संबंधित उरूग्वे चक्र समझौता उचित तथा बाजारोन्मुखी कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करने के दीर्घावधिक उद्देश्य से अस्तित्व में आया। इस प्रयोजनार्थ बाजार तक पहुंच, घरेलू सहायता तथा निर्यात सब्सिडी के तीन क्षेत्रों से संबंधित विषय निर्धारित किए गए। भारत ने विश्व व्यापार समझौते तथा कृषि समझौते सहित इसके विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 जनवरी, 1995 से प्रवृत्त हुए। विश्व व्यापार समझौते के उद्देश्यों

में से एक मात्रात्मक प्रतिबंधों सहित व्यापार की सभी गैर-टैरिफ बाधाओं को सामान्य रूप से हटाने के माध्यम से "केवल टैरिफ" व्यवस्था की स्थापना करना है। उरूग्वे चक्र समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय भारत भुगतान सन्तुलन कवर के अंतर्गत था, अतः मात्रात्मक प्रतिबंध जारी रखे हुए थे। तदनुसार, कृषि संबंधी समझौते में "बाजार तक पहुंच" के अंतर्गत इसने कृषि जिंसों पर परिसीमन बाध्याताओं को छोड़कर कोई वचनबद्धता प्रदर्शित नहीं की थी।

सरकार 1991 से व्यापार के उदारीकरण तथा निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं से प्रतिबंध हटाने संबंधी नीति का लगातार अनुसरण कर रही है। सभी कृषि जिंसों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध 1.4.2001 से हटा लिए गए हैं। कृषि जिंसों के आयात की मानिटरिंग करने के लिए सरकार ने उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है और विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न उपायों जिनमें बंधित स्तरों के अंतर्गत अनुप्रयुक्त टैरिफ का समुचित अंकन, एंटी-डम्पिंग, समान शुल्क लागू करना तथा कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में संरक्षण कार्रवाई शामिल है, आदि के उपयोग के माध्यम से घरेलू किसानों को संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है। इसके अलावा कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, अन्य मोटे अनाज, खोपरा तथा नारियल तेल का आयात राज्य व्यापार की श्रेणी में रखा गया है।

सरकार ने चीनी के निर्यात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए हैं। चालू वर्ष 2001-02 के दौरान बगैर किसी मात्रात्मक परिसीमन के गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है। तथापि कुछ कृषि जिंसे निर्यात की दृष्टि से मात्रात्मक परिसीमन के अधीन हैं अथवा उनका निर्यात नामित राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से ही अनुमत्य है, उदाहरणार्थ दलहन, गेहूं अनाज तथा जौ का आटा, मक्का, रागी, बाजरा तथा ज्वार, प्याज, रामतिल आदि।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

5705. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्ववर्ती व्यापक फसल बीमा योजना में केन्द्र सरकार का किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में 2/3 (66.66%) हिस्सा था परन्तु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ने इसे कम करके 50% कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना फिलहाल 18 राज्यों और 2 संघशासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उनके द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। यह तत्कालीन व्यापक फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के बाद प्रचालन में है। किसानों, फसलों और जोखिम के संबंध में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कवरेज क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है। योजना की कुछ हद तक वित्तीय क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रीमियम संरचना को भी युक्तिसंगत बना दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। योजना के कवरेज के क्षेत्र विस्तार और भारत सरकार की संसाधन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय देयताओं का अंश 1:1 के अनुपात में है।

(ङ) से (च) नई योजना को लागू करने के बाद महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने कुछ शर्तें लगायी हैं जिसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन 1:1 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय देयताओं को शेयर करने का प्रतिमान शामिल है। नई दिल्ली में दिनांक 14.9.2000 को सम्पन्न राज्य के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया तत्पश्चात् इस मामले की जांच की गई तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्षेत्र विस्तार तथा भारत सरकार के संसाधन संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए 1:1 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय देयताओं को शेयर करने के वर्तमान प्रतिमान को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार/झारखंड में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

5706. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को बिहार तथा नवगठित झारखंड राज्य में पेट्रोल पंप तथा रसोई गैस की डीलरशिप हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को रसोई गैस तथा पेट्रोल पंपों की डीलरशिप प्रदान की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार पेट्रोल पंपों तथा एल.पी.जी. डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं करती है। विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के विषय में तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डीलरों/वितरकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरंभ करने के विषय में साक्षात्कार की तारीख के पश्चात् सामान्यतया 6-12 माह लगते हैं।

1.4.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार तथा झारखंड के अंतर्गत क्रमशः 777 एवं 401 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 158 एवं 93 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत थीं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

5707. श्रीमती रानी नरह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में कितनी मेगावाट जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित कर दी गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विदेशी सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्व राज्यों में 301.5 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता चालू की गयी है/चालू किए जाने हेतु लक्षित है जिसमें 152.5 मेगावाट असम राज्य में है। उत्तर पूर्व राज्यों में 535 मेगावाट जल विद्युत क्षमता चालू की गयी है/चालू किए जाने हेतु लक्षित है जिसमें 25 मेगावाट असम राज्य में है।

(ख) योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र हेतु नौवीं योजना के लिए 12452.641 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया है। राज्य क्षेत्र में उ.पू.क्षे. हेतु नौवीं योजना में किया गया आवंटन निम्नवत है-

राज्य का नाम	(करोड़ रुपये में)
अरुणाचल प्रदेश	451.00
असम	850.00
मेघालय	312.00
मिजोरम	221.59
नागालैंड	115.00
सिक्किम	341.00
त्रिपुरा	171.79
मणिपुर	312.00

(ग) और (घ) विश्व बैंक या एडीबी सहायता के लिए असम में लकवा वेस्ट हीट परियोजना (1×38 मेगावाट) शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव की के.वि.प्रा. में जांच की जा रही है। पहले नीपको की कैथालगुडी सीसीजीटी (6×33.5 मेगावाट+ 3×30 मेगावाट) का क्रियान्वयन जापान की जेबीआईसी ऋण सहायता से किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे की संपत्ति की चोरी

5708. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के अंतर्गत शोलापुर प्रखण्ड के कुर्डुवाडी-लातूर खण्ड के पी.डब्लू.आई. अधिकारियों की मिलीभगत से एक कुख्यात गिरोह करोड़ों रुपयों की रेलवे की संपत्ति की चोरी में संलिप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच कराए जाने हेतु कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समूह 'घ' के लिए साक्षात्कार रद्द किया जाना

5709. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर मंडल में विकलांगों के लिए आरक्षित समूह 'क' के पदों की नियुक्तियों के लिए आयोजित साक्षात्कार रेलवे द्वारा बार-बार रद्द कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर इस संबंध में एक उच्चस्तरीय जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके लिए जिम्मेदार ठहराये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने समूह 'घ' की 15 रिक्तियों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती हेतु जुलाई, 1998 में एक प्रवरण आयोजित किया था, कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर, सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच की गई तथा कथित प्रवरण की कार्यविधि में कतिपय अनियमितताएं पाई गई। अतः प्रवरण कार्यवाही को रद्द करने का विनिश्चय किया गया। अब नया प्रवरण शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

लाइसेंस शुल्क में वृद्धि

5710. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से खानपान/विक्रेता/बुकस्टाल ठेकेदारों ने लाइसेंस शुल्क/रायल्टी इत्यादि की वृद्धि के विरुद्ध प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के संबंध में विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। खानपान/वेंडिंग लाइसेंसों के लिए लाइसेंस को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से रेलों ने 1.7.1999 से लाइसेंस शुल्क को संशोधित किया था।

भारतीय रेल खानपान एसोसिएशन ने जनवरी, 2000 के माह में केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और संशोधित लाइसेंस शुल्क को लागू करने के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया था। क्षेत्रीय रेलों के कुछ एक खानपान-वेंडिंग लाइसेंसधारियों ने भी विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। बहरहाल, रेलवे के मुद्दों पर विचार करते हुए मुंबई, जबलपुर और केरल के माननीय उच्च न्यायालयों ने स्थगन आदेशों को खारिज कर दिया है और इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय को सही ठहराया है।

स्टेशनवार अदालती मामलों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि खानपान/वेंडिंग लाइसेंसधारियों की एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से तथा स्टेशनों पर स्थैतिक इकाइयों तथा पेंट्रीकार संचालन करने वाले लाइसेंसधारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से मामले दायर किए जाते हैं।

कच्चे जूट और उसके उत्पादों का निर्यात

5711. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा और मूल्य के कच्चे जूट और जूट उत्पादों का निर्यात किया गया और चालू वर्ष के दौरान देश-वार और उत्पाद-वार कितना निर्यात किए जाने का अनुमान है;

(ख) क्या जूट के निर्यात को मजबूती प्रदान करने हेतु सरकार बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय साझा पैकेज तैयार करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शेष दुनिया के उन देशों के बाजार का कोई सर्वेक्षण कराया है जहां जूट की मांग में वृद्धि करने की व्यापक योजना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का जूट मिलों को पुनरूजीवित करने के लिए एक व्यापक अध्ययन कराने और कृषि, वस्त्र मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर जूट के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यापक योजना का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए कच्चे पटसन की कुल मात्रा और मूल्य नगण्य मात्र है।

पिछले तीन वर्षों में पटसन के सामान का देश-वार और उत्पाद-वार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

चालू वर्ष के लिए पटसन उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 185 मिलियन अमरीकी डॉलर (8677 मिलियन रुपए) निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए कोई द्विपक्षीय/सामान्य करार नहीं है। तथापि, दोनों देश भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आई जे ओ) द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं द्वारा पटसन विकास और विविधीकरण संबंधी विभिन्न मामलों में सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह (आई जे एस जी) नामक एक नए संगठन द्वारा आई जे ओ को प्रतिस्थापित करने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार इस समय *पटसन प्रौद्योगिकीय मिशन* की स्थापना करने में लगी हुई है ताकि उत्पादकता, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के अंतरण, विपणन क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने, पटसन उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात विपणन संबंधी मुद्दों को हल किया जा सके। पटसन प्रौद्योगिकी मिशन में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ पटसन उपजाने वाले राज्यों की राज्य सरकारों की सहभागिता की व्यवस्था है।

विवरण

पटसन के सामान का उत्पाद-वार निर्यात

मात्राः 800 मी. टन
मूल्य करोड़ रु. में

अप्रैल/मार्च	हैसियन		सी.बी.सी.	अन्य	कुल (मात्रा में)	कुल मूल्य
1998-99	64.5	11.1	17.3	102.0	194.9	628.92
1999-2000	57.4	5.6	6.3	99.7	169.0	571.00
2000-2001	61.4	17.3	5.9	96.8	181.40	646.34

पटसन के सामान के निर्यात का देश-वार ब्यौरा

(मुख्य देश)

मूल्य करोड़ रु. में

1998-1999		1999-2000		2000-2001	
देश	मूल्य	देश	मूल्य	देश	मूल्य
यू.एस.ए.	112.53	यू.एस.ए.	112.31	यू.एस.ए.	136.63
बेल्जियम	94.14	बेल्जियम	108.34	बेल्जियम	131.84
यू.के.	58.70	यू.के.	45.10	यू.के.	41.24
टर्की	44.31	टर्की	28.57	टर्की	37.07
जापान	25.21	जापान	24.66	जापान	33.81
सऊदी अरब	23.66	सऊदी अरब	23.04	सऊदी अरब	32.20
मिश्र	19.52	मिश्र	23.03	मिश्र	29.12
आस्ट्रेलिया	18.86	आस्ट्रेलिया	20.71	आस्ट्रेलिया	18.26
जर्मनी	17.53	जर्मनी	16.81	इटली	15.12
सीरिया	16.13	स्पेन	13.62	जर्मनी	14.86

सूती वस्त्र संवर्धन परिषद्

5712. **डा. मन्दा जगन्नाथः**
श्री राजैया मल्याला:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद से कपड़े के निर्यात को सुचारू बनाने के लिए वहां सूती वस्त्र संवर्धन परिषद् की शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मुम्बई ने जनवरी, 2001 में हैदराबाद में अपना शाखा कार्यालय खोला है ताकि आंध्र प्रदेश से सूती वस्त्रों के निर्यात को सुगम बनाया जा सके।

290 मेगावाट वाली अल्माटी बांध विद्युत गृह परियोजना को पर्यावरणिक स्वीकृति

5713. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में 290 मेगावाट वाली अल्माटी बांध विद्युत गृह परियोजना को पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से अनुमानित कितनी विद्युत पैदा की जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना हेतु कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के अनुसार कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) द्वारा विकसित की जा रही 290 मे.वा. कुल क्षमता की अलमट्टी बांध विद्युत गृह को पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.06.2001 को जारी कर दी है। यह स्वीकृति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(ग) केपीसीएल द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की क्षमता निर्धारण 290 मे.वा. (5×55 मे.वा. + 15 मे.वा.) है और इसका वार्षिक विद्युत उत्पादन 499 (मि.यू.) (वर्तमान परिस्थिति में) और 301 (मि.यू.) (भावी परिस्थिति में) है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कर्नाटक में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु हडको ऋण

5714. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए हडको से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के ऋण की मांग की गई है; और

(ग) उक्त हडको ऋण से कितने पर्यटन केन्द्रों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि, इस संबंध में एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कीटनाशी दवाओं का छिड़काव

5715. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक-केरल सीमा पर दक्षिण कनार-कसारगोड पर काजू की फसल पर इन्डोसल्फान नामक कीटनाशी दवा के छिड़काव से विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक हानि पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केरल-कर्नाटक राज्यों में इस कीटनाशी दवा का उपयोग बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) से (ग) सरकार केरल में काजू फसल पर इन्डोसल्फान कृमिनाशी के हवाई छिड़काव से कुछ स्वास्थ्य हानि होने का आरोप लगाते हुए कुछ रिपोर्ट/लेख हैं। केरल सरकार ने इन्डोसल्फान के हवाई छिड़काव के प्रभाव के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों एवं डाक्टरों को शामिल करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) इस बीच केरल सरकार ने इन्डोसल्फान के हवाई छिड़काव की रोक हेतु आदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

संग्रहालयों में शिल्प तथ्य

5716. **श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों का ब्यौरा क्या है और संग्रहालय-वार उनका संबंध किस-किस काल से है;

(ख) किन-किन राज्यों में पांच हजार वर्ष अथवा इससे अधिक पुरानी कलाकृतियां और सभ्यता के अवशेष रखे हुए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक भारतीय संस्कृति की प्रदर्शनी के तहत किन-किन राज्यों में भारतीय कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया और किन-किन तारीखों को ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इन प्रदर्शनियों पर कितना खर्च आया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से भारतीय संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों की वापसी के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों से मूर्तियां, कलाकृतियां और सभ्यता के अवशेष लाए गए और इस कार्य पर वर्ष-वार कितना खर्च आया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ की समस्या

5717. **डा. संजय पासवान: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार में बाढ़ की समस्या हल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जहां हमारे पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के परिणामस्वरूप बाढ़ें आती हैं;

(ख) क्या सरकार नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण हेतु किसी परियोजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नेपाल की सीमा पर स्थित जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में बार-बार बाढ़ आने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को मदद करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972 में स्थापित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अब तक 23 उप बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान तैयार किए हैं। ये प्लान कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं।
2. शाही नेपाल सरकार से नेपाल में कोसी, बागमती, कमला बालान नदियों में भण्डारण जलाशय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
3. लाल केत्या, कमला, बागमती तथा खण्डों नदियों पर उत्तरी बिहार से नेपाल भू-भाग तक बाढ़ तटबंधों के विस्तार के बारे में शाही सरकार से सहमति ले ली गई है।
4. "बाढ़ पूर्व सूचना तथा चेतावनी प्रणाली" सेवा के अंतर्गत भारत तथा नेपाल की साझा नदियों के पास जल-मौसम-विज्ञान केन्द्रों की स्थापना शुरू कर दी गई है।
5. महाकाली तथा कोसी नदी पर उपयुक्त परियोजनाओं के संबंध में उक्त देश से की जा रही बातचीत प्रगति पर है।
6. भारत, नेपाल सीमा पर बाढ़ की समस्याओं से निपटने हेतु यथासमय कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी समिति तंत्र भी मौजूद है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

5718. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। यह राष्ट्रीय समिति निम्नलिखित के बारे में सुझाव देगी:-

1. गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण हेतु लघु अवधि, मध्यम अवधि तथा दीर्घावधिक उपाय।
2. भविष्य में आने वाली बड़ी प्राकृतिक विभीषिकाओं से निपटने के लिए कारगर तथा दीर्घावधिक नीति के निरूपण हेतु आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी उपायों पर विचार-विमर्श।
3. राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने हेतु मानदण्ड बनाना।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में अवैध रूप से मछली पकड़ना

5719. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी राज्यों के ट्रालरों द्वारा उड़ीसा के समुद्रवर्ती क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा समुद्र तट पर अवैध रूप से मछली पकड़ना बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हो गई है कि उड़ीसा समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम (ओ.एम.एफ.आर.ए.)/नियमावली के प्रावधानों के तहत, प्राधिकृत अधिकारी उड़ीसा में तटवर्ती मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए पुलिस कार्मिकों की मदद से गश्त द्वारा उड़ीसा तट पर मत्स्यन क्रियाकलापों की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

स्थायी लोक अदालतें

5720. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) मुकदमा लड़ने वालों को, उनके विवादों के सुलहकारी समाधान के लिए एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए और नियमित न्यायालयों में, जिन पर पहले से ही काफी अधिक भार है, लंबित मामलों में कमी लाने के लिए भी पूरे देश में प्रत्येक जिले में स्थायी और सतत् लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पुराने पैटर्न पर भी लोक अदालतें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

दिल्ली-रोहतक खंड पर यात्रियों से धन ऐंठना

5721. **श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेलवे के कुछ बेईमान कर्मचारियों द्वारा दिल्ली-रोहतक खंड पर यात्रियों से अवैध रूप से धन ऐंठने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों से इन बेईमान कर्मचारियों के विरुद्ध लिए गए धन को लौटाने के लिए अनेक अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लिए गए धन को यात्रियों को वापस लौटाने के लिए इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) हाल ही में एक चल टिकट परीक्षक द्वारा दिल्ली-रोहतक खण्ड पर धन ऐंठने के आरोप के संबंध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। जांच से पता चला है कि शिकायतकर्त्ता सीजन टिकट के प्राधिकार पर शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे में यात्रा कर रहा था जो नियमानुसार अनुमेय नहीं है। चल टिकट परीक्षक ने बकाया राशि सही प्रभारित की थी और इस संबंध में उचित रसीद भी जारी की थी। तद्नुसार, शिकायतकर्त्ता को उत्तर दे दिया गया है।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में होटलों/कुटीरों का खोला जाना

5722. श्री विष्णु पद राय: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने होटल/पर्यावरणानुकूल कुटीर खोले गए;

(ख) इस संबंध में कितने द्वीपसमूहों ने आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) इन पर्यटन स्थलों के कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नए खोले गए होटल/पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीरों की संख्या इस प्रकार है—2 वर्ष 1998 में, 9 वर्ष 1999 में, 15 वर्ष 2000 में तथा 4 अगस्त 2001 तक।

(ख) और (ग) ऐसे 14 द्वीपसमूह जिनके पास राजस्व भूमि है तथा जनजातीय आरक्षित क्षेत्र नहीं हैं उनमें होटल और पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर खोले जा सकते हैं। जनजातीय आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र भारतीय पर्यटकों को लिए खुले हैं। तथापि, विदेशी पर्यटकों के लिए जो क्षेत्र खुले हैं वे इस प्रकार हैं-

दिन में विश्राम के लिए—रॉस आईलैण्ड, साउथ लिंक आईलैण्ड, इन्ट्रव्यू आईलैण्ड, ब्रदर आईलैण्ड, सिस्टर आईलैण्ड, नरकुण्डम आईलैण्ड, बैरन आईलैण्ड (पोत पर सवार होकर ही इन स्थानों पर पहुंचा जा सकता है)।

रात्रि में विश्राम के लिए—साउथ अण्डमान आईलैण्ड, मिडिल अण्डमान आईलैण्ड, लिटिल अण्डमान आईलैण्ड (जनजातीय आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर), नील आईलैण्ड, हैवलॉक आईलैण्ड, बरतंग आईलैंड, नार्थ पैसेज आईलैण्ड, लॉंग आईलैण्ड, दिग्लीपुर, महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क स्थित आईलैण्ड (बोट, हॉबडे, ट्विन तरमुगली, मलय और प्लूटो आईलैण्ड को छोड़कर मैरिन नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम अनुमति मिलने पर ही मान्य)।

[हिन्दी]

ठेके पर खेती

5723. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई कृषि नीति के तहत कृषि क्षेत्र में ठेका प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कृषि क्षेत्र में कार्य शुरू किया है और उन्होंने कितने भू-क्षेत्र में अब तक खेती शुरू की है; और

(ग) उक्त भू-क्षेत्र किस श्रेणी के किसानों का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जुलाई, 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत संविदा आधार पर कृषि संवर्धन हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है तथापि विभिन्न फसलों के बीजों के उत्पादन के अलावा गन्ना, तम्बाकू, आयल पॉम, बागवानी फसलों, बागानी फसलें आदि जैसी विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु पहले से ही संविदा कृषि की जा रही है।

संविदा कृषि प्रबंधों के अधीन, किसान, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों सहित कंपनियों के साथ पुनः खरीद (बाई-बैक) प्रबंधों के साथ संविदा आधार पर खेती करते हैं। संविदा कृषि गुणवत्ता आदानों और निधियों, उन्नत कटाई-पश्चात् पद्धतियों और कृषि प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देती है तथा उसे सुविधाजनक बनाती है।

विभिन्न राज्यों में संविदा कृषि पद्धतियों के कवरेज और प्रचालन पर कोई डाटा बेस अब तक विकसित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

लाल कुंआ-बरेली रेल लाइन का आमान परिवर्तन और विस्तार

5724. **श्री नारायण दत्त तिवारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद के अनुमोदन के बाद रेलवे ने लाल कुंआ-बरेली रेलवे लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन और तत्पश्चात् इसका विस्तार बरेली-पीलीभीत-टनकपुर खंड तक करने हेतु मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) लालकुंआ-बरेली खण्ड के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य को कानपुर-कासंगज-मथुरा और कासगंज-बेरली आमान परिवर्तन परियोजना के विस्तार के रूप में शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

नक्शे और विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गेहूं और धान की पैदावार

5725. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं और धान की अत्यधिक पैदावार होने की वजह से उनके भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या इस अत्यधिक पैदावार से किसानों को फायदा होने के बजाय उलटे नुकसान ही हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पैदावार के नियामक फसल-चक्र में परिवर्तन करने अथवा उसे भंग करने पर सरकार विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) अत्यधिक पैदावार देने के बाद भी किसानों के घाटे में रहने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन जैसा एक ही कारण भण्डारण समस्या के लिए जम्मेवार नहीं हो सकता। यद्यपि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर खरीद कार्य किया गया है, तथापि, रबी 2000-01 मौसम के दौरान भण्डारण समस्या का बहुत ही प्रभावकारी ढंग से समाधान किया गया है।

(ख) अगले खरीफ मौसम हेतु सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार को अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने की सलाह दी है। वर्ष 2001-02 के दौरान भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 1.29 लाख मी. टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण का है। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम 2 लाख मी. टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों, राज्य भण्डारण निगमों और केन्द्रीय भण्डारण निगम के जरिये दीर्घकालिक आधार पर 64 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के उपाय किये गये हैं।

(ग) से (च) सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और उनका खरीद कार्य, मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन आदि शामिल है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजना

5726. **राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 133 किलोवाट वाले बिजलीघरों की स्थापना करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में स्थान-वार ऐसे कितने बिजलीघर स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतापगढ़ जिले में ऐसा बिजली-घर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 132 के.वी. (न कि 133 के.वी.) के उपकेन्द्रों की स्थापना

के प्रस्तावों को तैयार, स्वीकृत और क्रियान्वयन रा.वि. बोर्डों/विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा किया जाता है। 250 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से कम लागत वाली स्कीमों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

उत्तर प्रदेश में 132 के.वी. के उपकेन्द्रों की स्थापना की स्कीमें विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और विश्व बैंक को प्रस्तुत की जा रही है। अब तक 132 के.वी. के उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश को ऋण के रूप में पीएफसी द्वारा 4136 लाख रुपये की धनराशि और विश्व बैंक द्वारा 2753.2 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। यूपीपीसीएल से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गत 3 वर्षों के दौरान स्थापित 132 के.वी. स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

(ग) और (घ) जिला प्रतापगढ़ में पट्टी में एक 132 के.वी. उपकेन्द्र की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। पट्टी में 132 के.वी. उपकेन्द्र की स्कीम वित्तीय सहायता हेतु पीएफसी को प्रस्तुत की गयी है। उपकेन्द्र निधियां मुहैया हो जाने के बाद 18 माह के भीतर आरंभ होंगे।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित 132 के.वी. उपकेन्द्र

क्र.सं.	उपकेन्द्र का नाम	जिला	क्षमता (एमवीए)	चालू होने की तिथि
वर्ष 1998-99				
1.	एतमादपुर	आगरा	1×40 एमवीए	13.8.98
2.	कायमगंज	कन्नौज	1×20 एमवीए	29.1.99
वर्ष 1999-2000				
1.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1×40 एमवीए	29.8.99
2.	पिनहट	आगरा	1×20 एमवीए	15.9.99
3.	आगरा छावनी	आगरा	1×20 एमवीए	7.10.99
4.	नौएडा-3	गौतमबुद्ध नगर	1×40 एमवीए	20.11.99
वर्ष 2000-2001				
1.	रथ	हमीरपुर	1×20 एमवीए	16.3.2001
2.	शास्त्रीपुरम (बोडला)	आगरा	1×40 एमवीए	3.4.2001

[अनुवाद]

बीज-उपज बीमा सुविधाएं

5727. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीज-उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से बीज-उपज बीमा के संबंध में एक प्रायोगिक योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन उपजों को रखा गया है; और

(घ) प्रत्येक उपज के लिए राज्यवार कितनी राशि का बीमा किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ

रबी 1999-2000 में बीज फसल बीमा पर एक पायलट स्कीम शुरू की है:-

- बीज फसल की विफलता की स्थिति में प्रजनक/बीज उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा तथा आय स्थायित्व प्रदान करना।
- वर्तमान बीज प्रजनक/उत्पादन में विश्वास बढ़ाना और नव निर्मुक्त संकर/उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिए नये प्रजनकों/उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाना।
- राज्य के स्वामित्व वाले बीज निगमों/राज्य फार्मों द्वारा स्थापित अवसंरचना को स्थायित्व प्रदान करना।
- आधुनिक बीज उद्योग को वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अधीन लाने के लिए प्रेरित करना।

यह स्कीम भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों में धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और कपास को स्कीम के अधीन कवर किया गया है।

(घ) राज्यवार प्रत्येक फसल के लिए बीमित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

बीज फसल बीमा की पायलट स्कीम के अंतर्गत बीमित राशि का राज्यवार/फसलवार विवरण

रबी-1999-2000

राज्य	फसल	बीमित धनराशि (रुपये)
1	2	3
हरियाणा	चना	1171440
कर्नाटक	सूरजमुखी	96000
उड़ीसा	धान	671364
राजस्थान	चना	4449875
उत्तर प्रदेश	गेहूं	7300000
कुल		13688679

1	2	3
खरीफ-2000		
उड़ीसा	धान	2655288
गुजरात	मूंगफली	1724526
कुल		4379814
रबी-2000-2001		
कर्नाटक	ज्वार-संकर	469050
कुल		469050

शहरी परिवहन परियोजना-II

5728. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुंबई उपनगरीय रेल में सुधार हेतु महाराष्ट्र शहरी परिवहन परियोजना-II के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का काम कब शुरू करने और पूरा करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) महाराष्ट्र शहरी परिवहन परियोजना-II नाम से कोई परियोजना नहीं है। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार लाने के लिए जो परियोजना बनाई गई है, वह मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) के नाम से है। इस परियोजना को वित्त पोषित करने एवं निष्पादित करने की शर्तों एवं निबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास निगम की स्थापना की गई है जिसमें रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच 51:49 अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। महाराष्ट्र राज्य ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना संबंधी रेल उपस्करों की लागत का 50% भाग भी वहन करने पर रजामंदी दे दी है। विश्व बैंक द्वारा भी परियोजना के चरण-I को 65% तक वित्त पोषित करने की संभावना है। ऋण की मंजूरी के लिए विश्व बैंक से बातचीत जारी

है जो कि अंतिम दौर पर है। विश्व बैंक वित्त मंत्रालय को ऋण उपलब्ध कराएगा जिसे तत्पश्चात् रेलों को बजटीय सहायता के रूप में अंतरित कर दिया जाएगा।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण-II की शर्तों एवं निबंधन को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

(ग) परियोजना के चरण-I पर कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है और इसके वर्ष 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

भूमंडलीकरण का कृषि पर प्रभाव

5729. श्री रतनलाल कटारिया:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विश्व व्यापार संगठन समझौते के उन प्रावधानों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है जो देश के किसानों के हितों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रावधानों को हटवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते में कृषि जिंसों हेतु एक नियम आधारित भविष्योन्मुखी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की परिकल्पना की गई है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद 20 के अधीन अधिदेश के अनुसार उचित और बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए इसे और अधिक प्रगतिशील और उदार बनाने हेतु वार्ता 1 जनवरी, 2000 से शुरू हुई। बहरहाल, समझौते के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों से यह प्रदर्शित हुआ है कि कृषि समझौते से कृषि में विश्व व्यापार का कोई प्रत्याशित प्रभाव नहीं पड़ा है अथवा विकासशील देशों में किसानों के लाभ में वृद्धि नहीं हुई है अथवा कृषि व्यापार में और अधिक पारदर्शिता नहीं आई है। कृषि समझौते के कई प्रावधान ऐसे प्रतीत होते हैं कि इनमें अस्पष्टता है जिससे कई प्रकार के अर्थ निकलने की संभावना है और इस प्रकार इसके क्रियान्वयन में समस्याएं हैं। विकसित देशों द्वारा अत्यधिक स्वदेशी सहायता और निर्यात राजसहायता के कारण लगातार व्यापार विकृतियां की ऐसे कारक हैं जिसके कारण विकासशील देशों से निर्यात विस्तार में बाधा आई है। इन कारकों को यथा साथ ही देश में कृषि कार्यकलाप के विचित्र स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वार्ताओं में भारत का उद्देश्य दोहरा है:-

- अपनी खाद्य और जीविका सुरक्षा चिंताओं की रक्षा करना तथा गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार हेतु किए गए स्वदेशी नीतिगत उपायों की रक्षा करना।
- विकसित देशों में सार्थक बाजार पहुंच सुनिश्चित करके कृषि निर्यातों के विस्तार हेतु अवसरों का सृजन करना।

(ग) दिनांक 15.1.2001 को विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत प्रारंभिक भारतीय प्रस्ताव विशेष और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को स्वदेशी समर्थन देने के लिए विकसित देशों द्वारा उपयोग किये जा रहे लचीलापन में वृद्धि करने तथा साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा जीविका संबंधी समस्याओं पर ध्यान रखने के लिए व्यापार सुरक्षा तंत्रों पर जोर देता है। मांगों में टैरिफ की उच्च दरों की समाप्ति और टैरिफ वृद्धि सहित टैरिफ में पर्याप्त और सार्थक कमी, स्वदेशी समर्थन में पर्याप्त कमी तथा विकसित देशों द्वारा सभी प्रकार की निर्यात राजसहायता की समाप्ति शामिल है ताकि सार्थक बाजार पहुंच के सुअवसर प्राप्त किये जा सकें।

[अनुवाद]

बुलैट रेलगाड़ी चलाया जाना

5730. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मुंबई और अहमदाबाद के बीच 550 किमी. के रास्ते पर बुलैट ट्रेन सेवा शुरू किये जाने संबंधी सर्वेक्षण करने और इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्पेन से 50 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त राशि का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सर्वेक्षण कार्य और व्यवहार्यता रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने स्पेन से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। बहरहाल, भारतीय रेलवे और स्पेनिश रेलवे (आर.ई.एन.एफ.ई.) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें स्पेन सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले नामित गलियारे के लिए उच्च गति वाली रेल सेवाएं चलाने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सिद्धांत रूप में दोनों रेलें सहमत हो गई हैं।

इस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्थित स्पेन के दूतावास के माध्यम से इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

5731. श्री रामेश्वर डूडी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्थान में विभिन्न जिलों में नवीन रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की 164 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 179 खुदरा बिक्री केन्द्र, विभिन्न अनुमोदित विपणन योजनाओं के तहत चालू किए जाने हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्रों का चयन एक चरणबद्ध ढंग से डीलर चयन बोर्ड (डी.एस.बी.) द्वारा किया जाता है और इस स्तर पर यह बता पाना संभव नहीं है कि वर्ष 2001-02 के दौरान एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन की सही संख्या क्या हो सकती है।

[अनुवाद]

कोंकण रेल को हुई हानि

5732. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड को ऐसे विक्रय और पट्टा मार्ग समझौते के कारण 21.77 करोड़ रुपये की हानि हुई थी, जो मूलत: समझौते की भावना के ही विपरीत था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) किसी संगठन की मौजूदा परिसम्पत्तियों के लिए निधियों को निर्मुक्त करने के लिए बिक्री और वापस पट्टा पर लेने के मानक और सार्वभौमिक तौर पर स्वीकृत प्रक्रिया है। निगम ने 98 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया है और आगे परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए उनका उपयोग किया गया था। निगम 7 वर्ष की अवधि में 136.66 करोड़ रुपए दूसरे से पांचवें वर्ष तक 18.82 करोड़ रुपए और छठे से सातवें वर्ष में 23.34 करोड़ रुपए रेलपथ का स्वामित्व पट्टा अवधि की समाप्ति पर निगम को वापस किया जाएगा। बहरहाल, लेन-देन परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य पर आधारित है जिसकी वजह से लेखों की किताबों में हानि दर्ज की गई है।

निगम ने मौजूदा लागतों और बिक्री के समय विद्यमान कीमतों के आधार पर रेलपथ का मूल्यांकन किया है। परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर नहीं किया गया था। इसके कारण निगम के प्रकाशित लेखों में 1995-96 में 3.77 करोड़, 1997-98 में 11.38 करोड़ रुपए और 2000-01 में 0.47 करोड़ रुपए कुल 15.62 करोड़ रुपए की हानि दर्शाई गई।

एसोसिएशन के ज्ञापन के उपबंध 30 में यह व्यवस्था की गई है कि निगम की परिसम्पत्तियों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बिक्री हेतु तथा पट्टे की शर्तों और उन्हें वापस लेने हेतु विचारार्थ मामले और निगम द्वारा इस प्रकार पट्टे पर देने से समझौते का उल्लंघन नहीं होता है।

सरकारी तेल कंपनियों के सापेक्ष ''रिलायंस पेट्रोलियम'' की स्थिति

5733. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''रिलायंस पेट्रोलियम'' ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे ही समान अवसर मांगते हुए अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शिकायतों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर.पी.एल.) ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उसे भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों के समान समझा जाना चाहिए। इस संबंध में यह कहा गया है कि आर.पी.एल. सहित सभी रिफाइनरियों द्वारा यथा प्रस्तावित सभी नियंत्रित उत्पादों के उत्पादन एच.एस.डी. के अलावा, को मासिक आधार पर आपूर्ति योजना तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। इच.एस.डी. के मामले में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई, 2000 में लिए गए निम्नलिखित निर्णय लागू होंगे:

(1) वितरण योजना तैयार करते समय अलग-अलग रिफाइनरियों से एच.एस.डी. की प्रमात्रा को ध्यान में रखा जाएगा और यह उनकी ओ.ई.बी. उत्पादन संख्या तक सीमित होगी और इस प्रयोजन से एक कंपनी विशेष की सभी रिफाइनरियों को एक साथ मिला कर गिना जायेगा।

(2) चूंकि उत्तर-पूर्व रिफाइनरियां तथा सी.पी.सी.एल. की नरीमानम रिफाइनरी से एच.एस.डी. के नॉन अपलिफ्टमेंट का उनके क्रूड थ्रूपुट पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे अंततः देशी क्रूड उत्पादन प्रभावित होगा, एस.पी.एम. के दौरान उनके द्वारा सरणीबद्ध संख्याओं के अनुसार एच.एस.डी. के संपूर्ण उत्पादन को बढ़ाना होगा।

(3) यदि किसी रिफाइनरी का उत्पादन ओ.ई.बी. की तुलना में किसी माह विशेष में नीचे गिरता है, तो उसे उस रिफाइनरी के अपलिफ्टमेंट के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

पूर्वी राज्यों में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपने कार्यालय बंद किया जाना

5734. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पूर्वी राज्यों में अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) इन कंपनियों के कर्मचारियों के भविष्य के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खड़गपुर-खड़कवासला रेल लाइन का विद्युतीकरण

5735. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत कई वर्षों के दौरान कटक और भुवनेश्वर के रास्ते खड़गपुर-खड़कवासला रेल मार्ग के विद्युतीकरण का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक कुल कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) खड़कवासला से कोट्टावलासा तक का खण्ड पहले से ही विद्युतीकृत है। कोट्टावलासा से खड़गपुर तक मार्च, 2001 तक कुल 382.28 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और चालू वर्ष के दौरान आबंटन 40.30 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है और इसके मार्च, 2003 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का अनुपालन

5736. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जूट आयुक्त को जूट के थैलों की 50 कि.ग्रा. (या इससे कम) पैकेजिंग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूट क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के उपबंध संख्या 127 में मानव द्वारा उठाये जाने वाला अधिकतम स्वीकार्य भार 55 कि.ग्रा. निर्धारित है। यह अनुसमर्थन के लिए लंबित है। तथापि, 50 कि.ग्रा. के बोरों में पैकेजिंग करने की व्यवस्था के प्रयास किए गये है। गेहूं और चावल की पैकेजिंग के लिए बी.आई.एस. के विनिर्देशनों के अनुसार 50 कि.ग्रा. के बोरे निर्मित किए जा रहे हैं। चीनी की पैकेजिंग के संबंध में उपयुक्त पटसन बोरे विकसित किए गए हैं और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतिम अनुमोदन करने की प्रतीक्षा है। उपभोक्ताओं की मांग पर पटसन उद्योग द्वारा 50 कि.ग्रा. की क्षमता के पटसन बोरों की आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

5737. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री राजो सिंह:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) इनमें से कितने संयंत्र बंद कर दिए गए;

(ग) इन्हें बंद करने के क्या कारण थे; और

(घ) चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन.पी.बी.डी.), जो पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की पूर्ति करती है, तथा सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1998-99 से 2000-2001, के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ख) कार्य न कर रहे (बंद पड़े हुए) संयंत्रों की संख्या राज्य दर राज्य भिन्न होती है। जबकि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग ने पिछले पांच वर्षों में स्थापित किए गए संयंत्रों पर एक मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन कार्य आरंभ किया है, विभिन्न राज्य नोडल विभागों और एजेंसियों, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पिछले तीन वर्षों की मानीटरिंग रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि निरीक्षित किए गए संयंत्रों में से एक राष्ट्रीय औसत आधार पर केवल बारह प्रतिशत संयंत्रों को कार्य न करते हुए पाया गया।

(ग) संयंत्रों के कार्य न करने के कारण हैं; (1) अनुपयुक्त निर्माण एवं प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि के कारण होने वाली संरचनात्मक समस्याएं; (2) दिन प्रतिदिन की प्रचालन एवं रख-रखाव अनुसूची का पालन करने में लाभार्थियों में रूचि का अभाव और सूखे के कारण पशुओं का पलायन सहित प्रचालन संबंधी समस्याएं; और (3) सामाजिक समस्याएं जैसे परिवारों में विभाजन, मुकदमेबाजी, आदि।

(घ) वर्ष 2001-2002 के लिए 1.80 लाख पारिवारिक और 400 सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लक्ष्य की योजना बनाई गई है। दसवीं योजना (2002-2007) के लिए बायोगैस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने पर आगामी वित्तीय वर्षों के लिए लक्ष्य निर्भर करेंगे।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की सं.	
	परिवार आकार के संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित संयंत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	71339	12
अरुणाचल प्रदेश	731	-
असम	19033	-
बिहार	13593	4
गोवा	436	2
गुजरात	29610	27
हरियाणा	7103	24
हिमाचल प्रदेश	2666	4
जम्मू एवं कश्मीर	279	-
कर्नाटक	72162	14
केरल	18698	92
मध्य प्रदेश	43987	2
महाराष्ट्र	48591	107
मणिपुर	448	4
मेघालय	1295	4
मिजोरम	900	-
नागालैंड	677	10
उड़ीसा	26263	7
पंजाब	19401	194
राजस्थान	3335	17
सिक्किम	977	-
तमिलनाडु	6675	53
त्रिपुरा	646	-
उत्तर प्रदेश	45695	486
पश्चिम बंगाल	54329	26
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	12	28
कुल	488881	1117

[अनुवाद]

किसानों को निर्यात राजसहायता

5738. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषत: आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को निर्यात पर दी जा रही राजसहायता को बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातकों को अनुदान

5739. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों को अनुदान उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने निर्यातकों को इस प्रकार का अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को बोगस एजेंसियों के द्वारा इस प्रकार के अनुदान प्राप्त किए जाने के मामले की जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने इन निर्यातकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् तथा कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद् मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा विदेशों में बिक्री सह अध्ययन दल के लिए वाणिज्य विभाग की (1) विपणन विकास सहायता स्कीम (एमडीए) तथा हथकरघा उत्पादों के विभिन्न निर्यात योग्य विकास के लिए (2) निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनकी विपणन स्कीम (डीईपीएम) के अंतर्गत हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यातकों हेतु अनुदान प्रदान करती है। निर्यातकों के अतिरिक्त निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन स्कीम के अंतर्गत परिषदों/निगमों द्वारा प्रायोजित तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक बुनकर सहकारी तथा हथकरघा सहकारी समितियों के संबंध, पंजीकृत समितियों को भी अनुदान प्रदान किया जाता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यातकों तथा हथकरघा अभिकरणों की संख्या जिन्हें अनुदान प्रदान किया गया, निम्नलिखित है:-

	निर्यातकों की संख्या (एमडीए स्कीम के अंतर्गत)	हथकरघा अभिकरणों की संख्या (डीईपीएम स्कीम के अंतर्गत)	निर्यातकों की संख्या (डीईपीएम स्कीम के अंतर्गत)
1998-99	18	9	-
1999-2000	56	23	2
2000-2001	48	15	-

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

5740. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के समस्त रेलवे-स्टेशनों पर रेल-यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुविधाओं में शेड बनवाना, प्लेटफार्मों पर समुचित बारादरी रखना, पेयजल, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक प्लेटफार्म को जोड़ने वाले उपरिगामी पुलों का निर्माण करना शामिल हैं;

(घ) क्या इन सुविधाओं में समस्त स्टेशनों पर उत्तम सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली मुहैया कराना और सवारी-गाड़ी प्लेटफार्मों पर मालगाड़ियों को खड़ा न करना भी शामिल है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। भारतीय रेलों पर इस समय 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशनों का सुधार/विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे प्रत्येक है और इसे प्रत्येक वर्ष शुरू किया जाता है, जहां कहीं यातायात की आवश्यकताओं और हालत के आधार पर आवश्यक समझा जाता है।

इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रा में आबंटन किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के रेलवे बजट में यात्री सुख-

सुविधाओं संबंधी कार्य के लिए 200 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) वार्षिक आमदनी के आधार पर स्टेशनों को 6 कोटियों में वर्गीकृत किया गया है और स्टेशन की कोटि के अनुसार उचित यात्री सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न मानदंड अपनाएं जाते हैं। इन सुविधाओं की सूची में प्लेटफार्मों, पीने का पानी, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक शौचालय तथा ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था शामिल है। व्यवस्था का मापदंड स्टेशन की कोटि पर निर्भर करता है।

(घ) से (च) जिन स्टेशनों पर काफी यातायात होता है वहां जन उद्‌घोषणा प्रणाली की व्यवस्था करायी जाती है। चूंकि रेल अवसंरचना में जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल रेल गाड़ियां, स्टेशन यार्ड भी होते हैं जिनका उपयोग मालगाड़ी एवं यात्री गाड़ियां दोनों द्वारा किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि यात्री प्लेटफार्मों पर कोई मालगाड़ी न रूके, संभव नहीं है।

हम्पी के स्मारकों का संरक्षण

5741. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्‌टा स्वामी गौडा:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हम्पी के सुव्यवस्थित विकास, स्मारकों के संरक्षण और पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक हम्पी विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम यूनेस्को के उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए तो हम्पी को विश्व दाय स्थलों की सूची से हटा दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन स्थलों के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) इस संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कर्नाटक के बेलारी जिले के होस्पेट में, अक्टूबर, 2000 में आयोजित विश्वदाय स्थल प्रबंधन कार्यशाला की कार्यवाही के दौरान एक हम्पी विकास प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया था।

(घ) और (ङ) हम्पी स्थिति केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के दिन-प्रतिदिन के रख-रखाव एवं संरचनात्मक मरम्मतों के लिए, संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

1998-99	18,78,056/-रुपये
1999-2000	27,10,337/-रुपये
2000-2001	25,09,083/-रुपये

उत्तर प्रदेश में सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र

5742. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से सरकार उत्तर प्रदेश, विशेषत: मुरादाबाद जिले में सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वियन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा बरेली में शहर गैस वितरण परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस की क्रमश: 0.1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तथा 0.05 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा का आबंटन किया है। यह गैस घरेलू, वाणिज्यिक तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्रयोजनों के रूप में उपयोग की जाएगी। तथापि ये परियोजनायें अभी तक संकल्पनात्मक स्तर पर है।

पी.सी.एम.एल. द्वारा जमा राशियों का भुगतान नहीं किया जाना

5743. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रुडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (पीसीएमएल), कोलकाता ने 1993-1997 के दौरान सावधि जमा के रूप में भारी

धन जुटाया था और 1998 में सावधि जमा राशियों की परिपक्वता होने पर भुगतान रोक दिया था;

(ख) क्या कम्पनी ला बोर्ड को जमाकर्त्ताओं की ओर से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कम्पनी लॉ बोर्ड ने 27 मई, 1998 को उक्त कम्पनी को एक वर्ष के भीतर जमाकर्त्ताओं की ब्याज सहित राशि लौटाने का निदेश दिया था और भारतीय रिजर्व बैंक के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक को कम्पनी लॉ बोर्ड के आदेश की निगरानी करने, इसका अनुपालन सुनिश्चित करने और चूक होने पर कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या पीसीएमएल अब भी जमाकर्त्ताओं को भुगतान नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक ने पीसीएमएल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) कम्पनी के तुलन पत्रों के अनुसार 1993-97 के दौरान कम्पनी द्वारा जुटाए गए सावधि जमाओं की राशि निम्नानुसार है:-

निम्न तारीख को (लाख रु.)

31.3.93	31.3.94	31.3.96	31.3.95	31.3.97
शून्य	शून्य	21.08	4066.55	7433.28

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1999 में कम्पनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच की। जांच से पता चला कि कम्पनी सीएलबी के दिनांक 27 मई, 1998 के आदेश में विनिर्दिष्ट के अनुसार जमाकर्त्ताओं को भुगतान नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। कम्पनी विधि बोर्ड ने दिनांक 27.5.1998 को कम्पनी को जमाकर्त्ताओं को साढ़े चार वर्षों में समयबद्ध तरीके से पुनर्भुगतान करने के लिए निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।

कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने उपरोक्त आदेश के अनुसार आरबीआई को, आर बी आई अधिनियम, 1934 के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उक्त आदेश के गैर अनुपालन के मामले में सभी संबंधितों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1999 में कम्पनी की लेखाबहियों और अन्य रिकार्डों की जांच की। जांच से पता चला कि कम्पनी सीएलबी के दिनांक 27 मई, 1998 के आदेश में यथानिर्दिष्ट जमाकर्त्ताओं को भुगतान नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप, आर.बी.आई. ने कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध कम्पनी विधि बोर्ड के गैर अनुपालन के लिए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोलकाता के समक्ष 16 नवम्बर, 1999 को आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यूए और 58ख (4कककक) के साथ पठित धारा 58ङ (1) के अंतर्गत एक आपराधिक शिकायत दायर की है। तब से, मामले में समय-समय पर काफी बार सुनवाई हो चुकी है। यद्यपि, अदालत ने अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है तथा मामला अभी भी लम्बित है। सुनवाई की अगली तारीख 12 सितम्बर, 2001 तक की गई है।

[हिन्दी]

पान की पैदावार

5744. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने प्रकार के पानों की पैदावार की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पान के पत्ते की कीमत प्रतिदिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने पान के पत्ते की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या विदेशों को पान का निर्यात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पान के पत्ते के आकार, भुरभुरापन, स्वाद और अन्य विशेषताओं के आधार पर कई किस्म के पान का देश में उत्पादन किया जाता है। पान की बेल को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जैसे तिख्त और मृदु। भारत में उपजाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण किस्में इस प्रकार हैं:- कारापाकु, चेन्नौर, तलाकु, बांगला, असम पत्ती, अवानी पान, देसी पान, कलकत्ता, पेटन, मघई, कलकोडी, पुधुकोड़ी, कपूरी, नोवा कटक, सांची, वेल्लईकोडी, पचई, देसावरी, मीठा तथा कली बंगला।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल के स्थानीय बाजारों में वर्ष 2001 के दौरान पान की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। पान की कीमतों में किसी प्रकार की अभूतपूर्व वृद्धि की सूचना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत से पान के पत्ते का निर्यात मुख्यतः कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटेन, श्रीलंका तथा बंगलादेश को किया जाता है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी.एल. द्वारा 500 मैगावाट वाली सावली विद्युत परियोजना को बंद किया जाना

5745. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने गुजरात की 500 मैगावाट वाली सावली विद्युत परियोजना बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना पर निम्नलिखित कारणों से आगे कार्य नहीं किया जा रहा है:

(1) पर्यावरणीय विनिर्देशों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फयूराइजेशन के अतिरिक्त प्रावधान और अमेरिकी डालर के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप इस परियोजना की लागत में तीव्र वृद्धि हुई।

(2) कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल ईंधन की लागत में वृद्धि हुई।

(3) भुगतान सुरक्षा तंत्र उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप पावर आफटेक की अनिश्चितता उत्पन्न हुई है।

मंगलौर और तिरूवनंतपुरम के बीच नई रेलगाड़ी चलाया जाना

5746. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल सरकार की ओर से मंगलौर से अलेप्पी के रास्ते तिरूवनंतपुरम सेंट्रल को एक और नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नई रेलगाड़ी कब तक चलाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। रेल मंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री तथा केरल के कुछ संसद सदस्यों की बैठक के दौरान अलेप्पी के रास्ते मंगलौर और तिरूवनंतपुरम के बीच एक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव उठाया गया था।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

स्काई-बस मैट्रो प्रणाली

5747. श्री अनंत गुढ़े: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और तेज रफ्तार वाली सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसी महत्वाकांक्षी स्काई-बस मैट्रो परियोजना की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्ताव के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने सुझाव दिया है कि स्काई-बस मेट्रो प्रणाली कुछ प्रमुख शहरों के सम्मुख आ रही शहरी परिवहन समस्याओं का समाधान हो सकती है।

उत्थापित प्रणाली यह परिकल्पना की गई है कि इसके लिए प्रायः भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है तथा इससे मौजूदा सड़क यातायात बाधित नहीं होगा और यह ऊर्जा कुशल

तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रणाली का परिचालन भारतीय रेल अधिनियम की परिधि के बाहर तथा ट्राम-वे एक्ट के अंतर्गत होगा।

(ग) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव में रुचि व्यक्त की है और कोंकण रेलवे कारपोरेशन के साथ बातचीत चल रही है। भारत सरकार वैज्ञानिक सलाहकार ने इस प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया है और प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए 10 कि.मी. की सीमित दूरी प्रायोगिक प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के प्राधिकारियों से अनुरोध किया है। बहरहाल, विश्व बैंक के उत्तर को अभी प्रतीक्षा है।

भूकम्प आकलन केन्द्र

5748. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ भूकम्प आकलन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) भूकम्प का मूल्यांकन भूकम्पीय वेधशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रचालित ऐसी लगभग 57 वेधशालाएं हैं, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं।

[हिन्दी]

दुग्ध वितरण प्रणाली का अभाव

5749. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद वितरण प्रणाली के अभाव में देश के विभिन्न भागों को दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) देश के अधिकांश भागों में दूध का वितरण सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों, निजी संगठित और असंगठित डेरियों तथा छोटे दुग्ध विक्रेताओं के जरिए किया जाता है। सहकारिताओं का उद्देश्य बड़े और छोटे कस्बों में, जो उनके कार्य सचालन क्षेत्र में स्थित है, दूध की आपूर्ति करता है। प्राथमिक ग्रामीण डेयरी सहकारिताएं भी स्थानीय मांग पर निर्भर करते हुए गांवों में दूध बेचती हैं।

पर्यटक/तीर्थ स्थलों का विकास

5750. श्री रामशकल:
श्री भालचन्द यादव:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन से अर्जित राजस्व के माध्यम से पर्यटक स्थलों/तीर्थ स्थानों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा राजस्व अर्जन रोजगार के अवसरों के सृजन के अलावा पर्यटकों पर कर लगाए जाने वाले कर के माध्यम से बढ़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे देश में व्यापक पैमाने पर ऐसे स्थानों की पहचान करने के उपरान्त पर्यटक स्थलों/तीर्थ स्थानों का विकास करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल, अष्टभुज, चुनार किला, विद्रम काल, सिद्धीनाथडारी, जारगो जलाश्य और सिरसी जलाश्य को भी पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थानों की सूची में शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की सिफारिश पर पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए पर्यटक परिपथों/गंतव्य स्थलों तथा तीर्थ केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार की, पर्यटन से अर्जित राजस्व के माध्यम से पर्यटक स्थलों/तीर्थ स्थलों का विकास करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से प्रति वर्ष विचार-विमर्श करके पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए पर्यटन विकास से संबंधित 159.90 करोड़ रुपयों की 550 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग, भारत सरकार को इन स्थलों को विकासार्थ पर्यटक परिपथों की सूची में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

एल.पी.जी. एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की स्थापना

5751. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक पच्चीस किलोमीटर पर एल.पी.जी. एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के संबंध में घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा के कार्यान्वयन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर एल.पी.जी. एजेंसियां और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए कोई विशिष्ट घोषणा नहीं की है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा तेल उद्योग के मानकों के अनुसार देश में खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए व्यवहार्य स्थानों का पता लगाने के लिए नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऐसे व्यवहार्य स्थानों को डीलर चयन बोर्डों (डी.एस.बी.) के माध्यम से एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और खुदरा बिक्री केन्द्रों के चयन के लिए विभिन्न विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत परियोजनाएं

5752. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी कितनी केन्द्रीय विद्युत परियोजनाएं है जिन्हें मंजूरी दी जा चुकी है किन्तु उन्हें अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं को शुरू किए जाने में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) अब तक इसके लिए कितनी राशि मंजूर और जारी की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उत्तर-पूर्व राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की केवल एक विद्युत परियोजना तथा मणिपुर के टमेनलोंग जिले में लोकटक डाउन स्ट्रीम एचईपी (3×30 मे.वा.), जिसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, को सक्रिय परियोजना कार्य हेतु हाथ में नहीं लिया गया है। इस परियोजना को सरकार का अनुमोदन 578.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु 30.12.1999 को प्रदान किया गया था और जून, 2006 तक इसे चालू किया जाना था। तथापि, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और सुरक्षा कारणों की वजह से परियोजना पर सक्रिय कार्य आरंभ नहीं हो सका। राज्य सरकार से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है ताकि सड़क निर्माण पर 01.10.2001 तक कार्य आरंभ हो सके।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस परियोजना के लिए अनुमोदित आबंटन 20.0 करोड़ रुपए है। 7/2001 तक 1.45 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस परियोजना पर किए गए संचयी व्यय 15.44 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

सरकारी और निजी क्षेत्र के अधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

5753. श्री वाई.जी. महाजन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पवन ऊर्जा, सुलभ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास आदि जैसे ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कोई परियोजना पूरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार की परियोजनाएं बड़े पैमाने पर पूर्ण करके ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां। राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य नोडल एजेंसियां और निजी क्षेत्र द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में पवन विद्युत से 1339.8 मेवा. क्षमता; बायोमास विद्युत और खोई सहउत्पादन परियोजनाओं से 292.3 मेवा. क्षमता; बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं से 40.2 मेवा. क्षमता और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं से लगभग 1.95 मेवा. क्षमता सृजित की गई हैं। विभिन्न अक्षय स्रोतों की राज्यवार स्थापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण, जिन्हें पारंपरिक ग्रिड विस्तार के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है, के लिए एक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव करता है। राज्य सरकारों से ऐसे गांवों की सूची भेजने को कहा गया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 500 गांवों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने गए सभी दूरस्थ गांवों को 11वीं योजना के अंत अर्थात् मार्च, 2012 तक विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में पवन विद्युत, सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत, बायोमास, विद्युत/सहउत्पादन और बायोमास गैसीफायर की राज्य-वार स्थापित क्षमता

क्रम सं.	राज्य	पवन विद्युत (मे.वा.)	एसपीवी विद्युत (कि.वा.पी.)	बायोमास विद्युत/ सह उत्पादन (मे.वा.)	बायोमास गैसीफायर (मे.वा.)
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	149	-	0.2
2.	आंध्र प्रदेश	91.9	21	53.7	15.3
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	8	-	0.2
4.	असम	-	3	-	0.1
5.	गुजरात	166.9	14	0.5	4.3
6.	हरियाणा	-	24	4.0	0.9
7.	जम्मू व कश्मीर	-	40	-	0.1
8.	कर्नाटक	44.6	3	.63.6	4.0
9.	केरल	2.0	5	-	0.6
10.	लक्षद्वीप	-	285	-	-
11.	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	22.6	122	5.0	4.5
12.	महाराष्ट्र	189.8	6	9.0	3.8
13.	उड़ीसा	-	36	-	-
14.	पंजाब	-	96	12.0	0.7
15.	राजस्थान	7.3	26	-	0.2
16.	तमिलनाडु	812.6	191	98.0	2.5
17.	उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	-	479	46.5	1.1
18.	पश्चिम बंगाल	0.5	352	-	1.0
19.	अन्य	1.6	87	-	0.7
	कुल	1339.8	1947	292.3	40.2

[अनुवाद]

पर्यटक स्थलों में सुविधाएं

5754. **श्री साहिब सिंह:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वह प्रमुख पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं जहां वर्ष 2001-2002 के दौरान और आज तक अधिकतम विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया है;

(ख) क्या उक्त सभी पर्यटक स्थलों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्यटकों द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज करवाई गई है और इन शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(ङ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश में और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) प्रत्येक वर्ष पर्यटक स्थलों पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या का निर्धारण नहीं किया जाता है। विदेशी पर्यटकों से संबंधित इंटरनेशनल पैसेंजर सर्वे रिपोर्ट दिसम्बर, 1999 के अनुसार विदेशी पर्यटकों ने जिन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का दौरा किया उनमें दिल्ली, मुम्बई, आगरा, चैन्नई, कोलकाता, जयपुर, वाराणसी, बैंगलौर, पणजी और उदयपुर शामिल हैं।

(ख) पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सुविधाएं सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। तथापि, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को मार्गस्थ सुविधाओं, संकेतक, जन सुविधाओं, पार्किंग क्षेत्र, पर्यटक स्वामत केन्द्र सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001 के दौरान अब तक पर्यटन विभाग, भारत सरकार को पर्यटकों को परेशान किए जाने तथा उनके साथ धोखाधड़ी की 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें सम्बद्ध प्राधिकरणों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

(च) विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए किए गए उपायों/किए जाने वाले उपायों में शामिल है- पर्यटक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुधार, विदेशों में प्रचार-प्रसार और विपणन प्रयास तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

सब्जियों की फसल के बीजों की किस्में

5755. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को सब्जियों की फसलों के उन्नत बीजों की आपूर्ति के लिए कोई केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इस योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित और आवंटित की गई है; और

(घ) अब तक इस योजना में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सब्जी फसलों के आधारी और प्रामाणिक बीजों के उत्पादन हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम वर्ष 1995-96 से लागू की गयी थी। किन्तु अक्टूबर, 2000 के बाद इस स्कीम को वृहत् प्रबंधन कार्यक्रम में स्थानान्तरित कर दिया गया है, जिसमें राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए निधियां आबंटित करने हेतु लचीलापन प्रदान किया गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान वृहत् प्रबंधन प्रणाली के अधीन किसानों को सब्जी के बीजों के उत्पादन और आपूर्ति हेतु राज्यों को निर्धारित/आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2000-2001 (खरीफ और रबी) के दौरान किसानों के लिए 19321960 किलोग्राम सब्जी का बीज उपलब्ध था।

विवरण

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राज्यों के लिए निर्धारित/आबंटित निधियां	
		2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	200.00	146.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.90	23.90
3.	अ. एवं निकोबार द्विप समूह	-	4.50
4.	बिहार	7.66	8.92
5.	छत्तीसगढ़	7.50	21.61
6.	गुजरात	7.00	11.50
7.	गोवा	-	6.75
8.	हरियाणा	76.00	54.00
9.	हिमाचल प्रदेश	17.50	65.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	27.07	114.46
11.	कर्नाटक	5.00	11.00
12.	केरल	-	105.00
13.	महाराष्ट्र	117.50	111.00
14.	मध्य प्रदेश	29.50	67.39
15.	मणिपुर	9.00	9.00
16.	मेघालय	15.50*	25.00*
17.	मिजोरम	6.25	6.25
18.	उड़ीसा	62.00	150.00
19.	पंजाब	5.00	46.80
20.	राजस्थान	6.56	12.50
21.	सिक्किम	23.13	32.50
22.	तमिलनाडु	66.00	71.28
23.	त्रिपुरा	1.50	-
24.	उत्तर प्रदेश	13.50	13.50
25.	उत्तरांचल	-	32.42
26.	प. बंगाल	-	70.00
	कुल	727.07	1220.70

*पौध संरक्षण रसायनों एवं मुद्रण सामग्री सहित।

मुकदमों से संबंधित मामले

5756. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अधिकारियों, स्वायत्तशासी निकायों, सरकार के नियंत्रणाधीन उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, नियमों और विनियमों और देश के कानून का उचित ढंग से पालन न किए जाने के कारण मुकदमेबाजी के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मुकदमेबाजी के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अलसी की फसल का समर्थन

5757. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार कई वर्षों से अलसी की फसल के समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में समर्थन मूल्य की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की घोषणा इस वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इतना अधिक विलंब होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से अलसी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में एक प्रस्ताव 1999 में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई और इसे सहमति हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि अलसी का उत्पादन स्थानीय रूप से किया जाता है जबकि क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिंसों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

खान-पान/वैडिंग बुक स्टॉल

5758. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा खान-पान/वैडिंग और बुक स्टालों आदि के संबंध में किये गये उल्लेख रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक विभाग में अभी तक लंबित पड़े हुए हैं और ऐसे प्रत्येक उल्लेख के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों के उल्लेखों का अंतिम उत्तर जारी किये जाने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए अनुदेश मौजूद हैं। निदेशालय में ऐसे पत्र व्यवहारों के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर तथा उन मामलों में जहां रेलों से सूचना मांगी जानी है, का 15 दिनों के भीतर मसौदा उत्तर प्रस्तुत कर देना चाहिए, बहरहाल, कुछ मामलों में क्षेत्रीय रेलों/मंडलों से सूचना इकट्ठी करने तथा/अथवा अन्य निदेशालयों/विभागों के परामर्श से जांच करने के कारण उत्तर भेजने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है।

बुक स्टालों पर लाइसेंस शुल्क

5759. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के विभिन्न मण्डलों द्वारा लाइसेंस शुल्क/रायल्टी को 750 रुपये प्रति वर्ष से बुक स्टालों के सकल ब्रिक्री कारोबार पर 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या लाइसेंस शुल्क/रायल्टी में यह वृद्धि बेरोजगार स्नातकों के बुक स्टालों पर भी लागू है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलेंडरों की पुनः भराई में समानता

5760. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कन्नूर जिले में चेरूकुन्नू स्थित रसोई गैस उपभोक्ता पेजायांगडी से 240.63 रुपए की दर से पुनः सिलेंडर भराते हैं जबकि उसी क्षेत्र में दूसरा उपभोक्ता पेथियाथेरू अथवा कन्नूर से 255.35 रुपए में सिलेंडर भरवाता है;

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में/विभिन्न डीलरों से रसोई गैस की दरों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(ग) रसोई गैस सिलेंडरों की पुनः भराई दरों में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा की जाने वाली आपूर्तियों के संबंध में मूल्य में अंतर इस कारण आया है कि पझयानगडी और पुथियाथेरू में संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर विभिन्न मूल्य-निर्धारण अंकों, वाले भिन्न-भिन्न बाजारों से संबद्ध होते हैं। तथापि, इस विषय में पायी जाने वाली असंगति को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि ग्राहकों को समान दर पर रिफिल आपूर्ति मिल सके।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना का निजीकरण किए जाने के लिए योजना

5761. श्री विनय कटियार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घाटे को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार की दिल्ली दुग्ध योजना का निजीकरण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब तक इसका निजीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना घाटे को कम करने के लिए विपणन, परिवहन और संयंत्र संचालन जैसे कार्य संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु बीमारी-मुक्त क्षेत्र

5762. डा. वी. सरोजा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु/जानवर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पशु बीमारी-मुक्त क्षेत्रों का सृजन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''रोग मुक्त क्षेत्रों को सृजन'' योजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। आरंभ में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीस जिलों (क्षेत्र-1), गुजरात (क्षेत्र-2) और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश (क्षेत्र-3) को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

नई वस्त्र आयात नीति

5763. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई वस्त्र आयात नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त नीति के कारण देश में हथकरघा बुनकरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार ने किसी नई वस्त्र आयात नीति की घोषणा नहीं की है। तथापि, विशेषज्ञ समिति (सत्यम समिति) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 बनाई है और उसकी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाना है ताकि वह विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर सके और इस उद्देश्य के लिए उद्देश्य और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ विशेष ध्यान दिये जाने वाले थ्रस्ट क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग के सभी विनिर्माण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुगम बनाने व बढ़ाने; कच्चे माल के आधार में वृद्धि करने; उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने; हथकरघा उद्योग में मूल्य वर्द्धित उत्पादन करने तथा बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण के कमजोर क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए उपायों और कार्यक्रमों का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) हथकरघा क्षेत्र के संबंध में नीति का अपना एक उद्देश्य हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ बनाने और प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करना है ताकि वह मूल्यवर्द्धित मदों का उत्पादन कर सके और विश्व बाजार को प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उद्योग को सहायता दी जा सके। इस क्षेत्र की उत्कृष्ट शिल्पकारिता की धरोहर और परंपरा, लोचशीलता, नवीकरण, पूंजी की कम आवश्यकता, डिजाईन विविधता जैसी अंतर्भूत क्षमताओं और रोजगार पैदा करने में इसकी महत्ता को स्वीकारते हुए नीति में इस क्षेत्र को निरंतर प्राथमिकता देने के साथ-साथ बुनकरों के कौशल के उन्नयन, व्यापक कल्याण उपायों और अनुसंधान व विकास के लिए कारगर सहायक प्रणालियों, डिजाइन इनपुट और विपणन के संपर्कों द्वारा विश्व बाजार के लिए इसकी विशेषज्ञता को बढ़ाने और विकसित करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही, नीति में हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हैंक यार्न दायित्व आदेश और हथकरघा (उत्पादन

के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जारी आदेश के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने का प्रावधान भी है।

क्षेत्र की पुनरीक्षा करने के लिए श्री सत्यम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों, जिसमें हैंक यार्न दायित्व आदेश को समाप्त करने और हथकरघा आरक्षण अधिनियम को रद्द करने की एक सिफारिश की गई है, को ध्यान में रखते हुए ही यह नीति बनाई गई है। हथकरघा बुनकरों ने ऐसी आशंकाएं व्यक्त की थी कि इन सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में कुछ भ्रांतियां भी थी। तथापि, नीति की घोषणा होने के बाद नीतिगत निर्देश अनुसार इन दोनों नियमों को फिलहाल समान रूप से बनाये रखते हुए इनकी पुनरीक्षा की गई है और यह मूल्यांकन किया गया है कि अधिकांश आशंका दूर हो गई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति

5764. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ रेलगाड़ियों में, विशेषतौर पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए सुरक्षित और अप्रदूषित पेयजल की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) स्टेशनों पर व्यवस्थाओं को दुरूस्त करके सुरक्षित पेय जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसके अलावा, भोजन के साथ सेशे में निःशुल्क पानी की आपूर्ति की जाती है तथा गाड़ियों में पेंट्रीकारों से पानी की बोतलों को बेचा जाता है।

सी.एन.जी. संबंधी सुरक्षा मानदंड

5765. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सी.एन.जी. कनवर्जन किटों" में प्रयुक्त "फर्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर" आधारित प्रौद्योगिकी सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी.एन.जी. बसों के लिए अलग सुरक्षा नियम बनाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भूरेलाल समिति ने "सी.एन.जी. कनवर्जन किटों" में प्रयुक्त फर्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी पर टीका-टिप्पणी की थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) भूरेलाल समिति ने कौन-कौन सी अन्य सिफारिशें की हैं;

(ज) क्या भारतीय मानक ब्यूरो सी एन जी चालित वाहनों के लिए सुरक्षा मानदंडों संबंधी स्थिति रिपोर्ट तैयार कर रहा है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भूरेलाल समिति ने सी.एन.जी. वाहनों तथा भराई स्टेशनों के मानक पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.4.2001 के आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सी.एन.जी. सिलेंडर, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सभी उच्च दाब वाले गैस सिलेंडरों के लिए निर्धारित तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित सामान्य मानक को पूरा करते हैं। तथापि एन जेड एस नोजल को ०-रिंग की तरफ उन्मुख दिखाया गया है, ऐसा न होने पर अधिक मात्रा में उच्च दाब की गैस के रिसाव के कारण आग लगने का खतरा हो सकता है।

(ग) और (घ) जी हां।

(ङ) और (च) यथा उपरोक्त (क) और (ख)।

(छ) अन्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सभी वाहनों के भराई पात्र के मुखों का एन जी वी। मानक के अनुसार मानकीकरण करना।

(2) परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अनुमोदन प्रक्रिया की प्रारूप की समीक्षा।

(3) आनबोर्ड, कैस्केड पर लगे उच्च दाब गैस सिलेंडरों संबंधी सुरक्षा विनियमों के प्रवर्तन की आवश्यकता।

(4) पुराने वाहनों को सी एन जी तरीके में बदलने संबंधी सिफारिश परिवर्तन करने के बजाए रिट्रोफिटिंग के लिए की गई है।

(5) परिवर्तित तथा रिट्रोफिट किए गए दोनों वाहनों को भारत स्टेज-2 उत्सर्जन मानकों को पूरा करना चाहिए।

(6) उत्सर्जन से संबंधित पुर्जों, इंजन मन्दन के साथ सी ओ, एच एस, सी ओ2 तथा ओ2 के माप स्तर की प्रत्यक्ष जांच करने के लिए निरीक्षण मानदंड निर्धारित करना।

(7) ईंधन इंजन लोड में एन ओ एक्स तथा सी ओ स्तर का निर्धारण।

(8) सभी नई सी एन जी बसों को भारत स्टेज उत्सर्जन मानक को पूरा करना चाहिए।

(9) सी एन जी वाहनों के लिए अधिक उत्सर्जन मानक की आवश्यकता।

(ज) और (झ) भारतीय मानक ब्यूरो ने सी एन जी ईंधन प्रणाली की सुरक्षा, सामान्य आवश्यकताएं तथा परिभाषाएं और सी एन जी ईंधन प्रणाली की परीक्षण विधियों से संबंधित निम्नलिखित ड्राफ्ट भारतीय मानक तैयार किए हैं:-

(1) सड़क वाहन - संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) ईंधन प्रणाली घटक - सुरक्षा आवश्यकताएं।

(2) सड़क वाहन - संपीड़ित गैस (सी एन जी) ईंधन प्रणाली घटक - कार्यनिष्पादन तथा सामान्य परीक्षण विधियां।

(3) सड़क वाहन - संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) सामान्य जरूरतें तथा परिभाषायें।

(4) सड़क वाहन - संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) ईंधन प्रणाली - जांच के तरीके।

इसके अतिरिक्त 18 मानक मसौदे जोकि सी एन जी ईंधन प्रणाली में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न घटकों से संबंधित है, भी तैयार किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन का बंद होना

5766. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद, आंध्र प्रदेश स्थित लोको कोंडापल्ली पावर कंपनी लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, इस प्रकार की खराबी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विद्युत संयंत्र के बंद हो जाने से सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं, बैंक आदि प्रभावित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लोड जेनरेशन संतुलन के संदर्भ में मैरिट आर्डर डिस्पैच के अनुसार 9.8.2001 से लेनको कोंडापल्ली विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन रोक दिया गया है।

(ख) भार बनाम विद्युत उत्पादन उपलब्धता के आधार पर एपीट्रांस्कों ने मै. लेनको को डिस्पैच अनुदेश जारी किए हैं कि वे आगामी अनुदेशों तक 9.8.2001 से अपनी यूनिट प्रचालित न करें।

(ग) जी, नहीं। परियोजना विकासकर्त्ता विद्युत क्रय समझौते के अनुसार उत्पादन आधारित ईंधन लागत और प्रदत्त वार्षिक स्थायी क्षमता प्रभार प्राप्त करते हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिलहन का उत्पादन

5767. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान तिलहन का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी-मिशन ने वर्ष 2000-2001 के अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य-वार तिलहन

उत्पादन उपलब्ध नहीं है। तथापि, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 27.00 मिलियन मी. टन के लक्ष्य की तुलना में कुल 18.20 मिलियन मी. टन तिलहन उत्पादन होने की आशा है। मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों में व्याप्त गंभीर सूखे के कारण उत्पादन में गिरावट रही।

(घ) तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने 28 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है। ये 28 राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल तथा गोवा।

कर्नाटक में मीठे पानी का मत्स्य क्षेत्र

5768. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में अंतर्देशीय मीठे पानी के मत्स्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मीठे पानी के अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता निर्गत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार अंतर्देशीय ताजा जल मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफ.एफ.डी.ए.) के जरिए "ताजाजल जलकृषि का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य में 18 एफ.एफ.डी.ए. की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। विकासात्मक क्रियाकलापों जैसे - नए तालाबों का निर्माण, तालाबों और टैंकों का नवीकरण, प्रथम वर्ष आदानें (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद आदि), बहते जल में मछली पालन, समेकित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज हैचरियां, मत्स्य आहार मिलें, प्रयोगशालाओं की स्थापना, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण आदि पर खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। विगत तीन वर्षों (1998-2001) के दौरान राज्य सरकार को 61.24 लाख रुपए का केन्द्रीय हिस्सा प्रदान किया गया है।

गांधीनगर, गुजरात में पाइपलाइन से गैस

5769. श्री जी.जे. जावीया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार और गांधीनगर के निवासियों ने गांधीनगर में पाइपलाइन से गैस मुहैया कराने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, गुजरात में गैस की उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए पहले ही किए गए इसके आवंटनों से काफी कम होने के नाते गुजरात में गांधीनगर शहर में वितरण हेतु पाइप्ड गैस की आपूर्ति करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

संस्थानों/कारखानों का कार्यकरण

5770. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत कितने संस्थान/कारखानें चल रहे हैं और इनमें से प्रत्येक में अब तक कुल कितना निवेश किया जा चुका है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनमें से प्रत्येक से कितनी आय का अर्जन किया गया;

(ग) क्या इनमें से किसी को रेल बजट से बजटीय समर्थन दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) कारखाना अधिनियम के

अंतर्गत दक्षिण पूर्व रेलवे पर 5 यांत्रिकी कारखाने हैं जो खड़गपुर (पश्चिम बंगाल), रायपुर (छत्तीसगढ़), मनचेश्वर (उड़ीसा), मोतीबाग (महाराष्ट्र), तथा आद्रा पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और मरम्मत/आवधिक ओवरहालिंग का कार्य होता है। इसके अलावा, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में एक सिगनल कारखाना तथा सिनी (झारखंड) में एक इंजीनियरी कारखाना है। 31.3.2001 को इन 5 यांत्रिकी कारखानों की ब्याजदेय पूंजी 245.12 करोड़ रुपए, सिगनल कारखाने की 1.03 करोड़ रुपए तथा इंजीनियरी कारखाने की 94.5 लाख रुपए थी। अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनमें से कुछ कारखाने 100 वर्ष से अधिक पहले स्थापित किए गए थे और उनके ब्लाक अकाउंट को 1978-79 में मिला दिया गया था।

बहरहाल, 31 करोड़ रुपये की लागत पर मेनचेश्वर कारखाने की स्थापना की गई थी जहां 1982 में कार्य शुरू हुआ।

(ख) इन कारखानों में चल स्टॉक की घरेलू मरम्मत तथा आवधिक ओवरहालिंग, चल स्टॉक के अनुरक्षण के लिए कल पुर्जों का निर्माण और सिगनल उपस्करों की मरम्मत, प्लेफार्मों के सायबान, ऊपरी पैदल पुलों, इत्यादि के लिए इस्पात गर्डरों, का निर्माण होता है। अत: मौजूदा लेखा प्रणाली में इन कारखानों की आमदनी का हिसाब अलग से नहीं लगाया जाता है। बहरहाल, कुछ कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा अन्य ग्राहकों के लिए निक्षेप कार्य अवश्य करते हैं।

(ग) और (घ) इन कारखानों को अलग से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है किन्तु फिर भी हर वर्ष राजस्व व्यय तथा कुछ पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की जाती है।

नौवीं योजना के धन का उपयोग

5771. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय के लिए 78,401 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था जिसका कि 30700 करोड़ रुपए आज भी शेष है जबकि इस योजना को पूरा होने में मात्र अब एक वर्ष का समय रह गया है;

(ख) यदि हां, तो धीमी गति से धन के उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) क्या धन के उपयोग की इस गति से इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य को हासिल करने और धन का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए 78,401.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 4054.37 करोड़ रुपये इसके पेट्रोरसायन के लिए और 332.45 करोड़ रुपये इसके इंजीनियरी प्रचालनों के लिए शामिल हैं। अनुमोदित परिव्यय तेल क्षेत्र में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज.) के लिए है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त परिव्यय में तेल पी एस यूज को किसी बजटीय सहायता के लिए प्रावधान नहीं है। योजना आयोग निजी क्षेत्र के लिए परिव्ययों का अनुमोदन नहीं करता।

अप्रैल, 1997 से जुलाई, 2001 तक की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय लगभग 45,082 करोड़ रुपये का रहा है।

2001-2002 के दौरान योजना आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की विभिन्न चालू और नई योजनाओं के लिए 17,147.26 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है जिसके प्रति अप्रैल-जुलाई, 2001 के दौरान लगभग 2,469 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा जुकी है।

निधियों के कम उपयोग से संबंधित कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा परियोजनाओं से निकलने के कारण संयुक्त उद्यम (जे वी) परियोजनाओं को मूर्त रूप न दिया जाना, संबद्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब, पेट्रोरसायन क्षेत्र में मांग में गिरावट, कुछेक मामलों में पर्यावरण स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, कुछेक परियोजनागत प्रस्तावों, जो इस बीच में आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गए, को अलग करना/छोड़ देना, इत्यादि शामिल हैं।

इस विषय में प्रगति की पुनरीक्षा योजना आयोग द्वारा वार्षिक एवं मध्यावधि योजनागत चर्चाओं के समय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन के समय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विभिन्न बैठकों यथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट बैठकों, इत्यादि के अंतर्गत की जाती है।

ऑपरेशन फ्लड

5772. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑपरेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत तरल दूध की विपणन क्षमता 100.2 लाख लीटर प्रतिदिन निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का वर्तमान में उपयोगिता प्रतिशत संयंत्रवार कितना है;

(ग) क्या ग्रामीण डेयरियां में प्रसंस्करण क्षमता 180.9 लाख लीटर प्रतिदिन और महानगरीय डेयरियों में यह 38.8 लाख लीटर प्रतिदिन थी;

(घ) यदि हां, तो तदनुसार राज्यवार क्षमता उपयोग कितना है;

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा अगस्त, 2000 में परिचालित नीति पत्र के अनुसार सभी खाद्य कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए एक ही प्राधिकरण की स्थापना की जानी थी; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रतिपादन हेतु क्षेत्रीय आदान प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (डी.एफ.पी.आई.) ने कलकत्ता, मुम्बई, बंगलौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया था। इन सेमिनारों में सर्वसम्मति यह थी कि राष्ट्रीय खाद्य नीति के प्रतिपादन के अलावा एक उचित विकास उन्मुखी विधान तैयार किया जाए क्योंकि मौजूदा कानून क्षेत्र में विकास में रूकावट डाल रहे हैं। तदनुसार प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम के प्रतिपादन हेतु एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया और उसे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा विशेषज्ञों में परिचालित किया गया है। विभिन्न वर्गों से प्राप्त विचारों को ध्यान में रखकर विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप विधेयक में प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम के जरिए मौजूदा कानूनों में एकरूपता और सरलीकरण, निर्धारित मानदंडों में विकास उन्मुखीकरण पर ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

पटना में रेल भर्ती बोर्ड में भ्रष्टाचार

5773. श्री राजो सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पटना में रेलवे भर्ती बोर्ड की चयन प्रक्रिया में अनेक भ्रष्टाचार के मामलों का पता चला है;

(ख) विभिन्न जांच एजेंसियों को कितने मामले सौंपे गए;

(ग) कितने मामले निपटाए गए और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) विभाग के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) दो।

(ख) एक।

(ग) सतर्कता विभाग द्वारा जांच के पश्चात् तो मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि इन शिकायतों में लगाए गए आरोप निराधार थे। यह पता चलने पर कि राज्य पुलिस ने पहले ही मामला बन्द कर दिया है, तब तक एक मामले में आगे जांच रोक दी गई थी।

(घ) एक मामला लम्बित है चूंकि इस पर जांच चल रही है।

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

5774. श्री एस. अजय कुमार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने प्रस्तावित भारत ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं के संयुक्त अध्ययन के लिए पाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इनके निष्कर्ष कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकारके पास टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित संयुक्त अध्ययन के बारे में कोई सूचना नहीं है क्योंकि न तो सरकारी अनुमोदन वांछित है और न ही इन्स्टीट्यूट ने अनुमोदन मांगा है।

[हिन्दी]

सहकारिता आन्दोलन के लिए भूमि

5775. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश

5776. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए प्राधिकार, जांच तथा दंड लगाने के संबंध में एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश अथवा विपणन अनुशासन मार्ग निवेश (एम.डी.जी.) का तौल और माप अधिनियम 1985 के प्रावधानों पर अभिभावी प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो आर.पी.ओ. डीलरों सहित व्यापारियों द्वारा कम माप के संबंध में अंतिम निर्णय देने वाला प्राधिकारी कौन है;

(ग) क्या सरकार इस निर्णय से अवगत है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, विशेष संविधि के प्रावधानों की उपस्थिति में लागू नहीं होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों तथा विशेष संविधि के विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण तथा सम्मान करने के लिए पेट्रोल पंप के निरीक्षण प्राधिकारियों को निदेश देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) संसद द्वारा भार और माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के मानक को अधिनियमित किया गया है ताकि भार और माप अधिनियम 1976 के मानकों के तहत या उसके द्वारा प्रमाणित भार और माप मानकों और उसके साथ संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रवर्तन किया जा सके। भार और माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के मानकों तथा एम.एस. तथा एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश 1998 के बीच कोई मतभेद नहीं है। इसी प्रकार विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश और भार और माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के बीच कोई मतभेद नहीं है।

एम.एच./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश तथा भार और माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 के तहत विभिन्न प्राधिकारियों को विनिर्धारित किया गया है कि वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा अधिकारियों का प्रयोग करें। ये प्राधिकारी संबंधित अधिनियम/आदेश/दिशा-निर्देश के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि रसायनों के हानिकारक प्रभाव

5777. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि रसायनों के हानिकारक प्रभाव प्रकट होने लगे हैं और क्या विश्वभर में जैविक उत्पादों में अधिक रुचि ली जा रही है;

(ख) क्या पश्चिमी देशों में जैव उत्पादों की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक है और क्या इनका अनुमानित बाजार करीब 10 बिलियन अमरीकी डॉलर (44000 करोड़ रुपए) का है;

(ग) यदि हां, तो क्या पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार समुचित निधि सहित जैव कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग के गठन के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो जैव कृषि को किस ढंग से प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के माध्यम

से भारत में पौध पोषक तत्वों की औसत खपत लगभग 95.00 किलोग्राम/है. थी। मृदा/फसलों पर दुष्प्रभाव की दृष्टि से खपत का यह स्तर अधिक नहीं समझा जाता है। तथापि, इष्टतम परिणाम हासिल करने के लिए सरकार रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद तथा जैव उर्वरकों के सन्तुलित तथा समेकित उपयोग को बढ़ावा देती है।

रासायनिक कीटनाशियों के उपयोग में कमी लाने के लिए समेकित कीट प्रबंध, जो पारस्थितिक दृष्टि से अनुकूल है और जिसमें संवर्धनात्मक यांत्रिक तथा जैविकीय विधियों का प्रयोग शामिल है, अपनाया गया है। फार्मर्स फील्ड स्कूल के माध्यम से किसानों के बीच समेकित कीट प्रबंध विधियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इसके अलावा मानव तथा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, वितरण, परिवहन तथा उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत विनियमित किया जाता है।

(ख) जैविक खेती की मांग बढ़ रही है। तथापि जैविक खाद्यान्न की विश्वव्यापी मांग के बारे में कोई विशिष्ट मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार का राष्ट्रीय जैविक कृषि आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार ने जैविक खेती के बारे में एक कार्य दल का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नवत् है:-

(1) जैविक खेती के क्षेत्र में सरकारी/गैर-सरकारी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों कृषक समूहों, किसानों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए गए प्रयोगों/की गई कार्रवाई सहित जैविक खेती के बारे में जानकारी एकत्र करना।

(2) जैविक खेती की उपयुक्त तकनीकों/प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन तथा प्रचार-प्रसार।

(3) जैविक खेती संबंधी मानकों का निर्धारण।

(4) जैविक खेती के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए लघु अवधि, मध्यम अवधि तथा दीर्घावधिक सुझाव देना; और

(5) जैविक कृषि उत्पादों के विपणन संबंधी उपायों के बारे में सुझाव देना।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों को बंद किया जाना

5778. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर खीरी लखीमपुर में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बंद किए गए पेट्रोल/डीजल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें से कितने पंपों को पुनः शुरू किया जा चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बेनामी प्रचालन, अनियमितताओं, अपमिश्रण, कदाचारों, निम्न निष्पादन आदि जैसे विभिन्न कारणों से उत्तर प्रदेश राज्य में खेड़ी लखीमपुर जिले में एक खुदरा बिक्री केन्द्र सहित 17 खुदरा बिक्री केन्द्र बंद किए गए।

उपर्युक्त में से मुरादाबाद में स्थित केवल एक खुदरा बिक्री केन्द्र को न्यायालय के आदेशों पर पुनः चालू किया गया था।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5779. श्री उत्तमराव पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विभिन्न कृषि परियोजनाओं को शुरू करने हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग को महाराष्ट्र सरकार से कृषि परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए चालू केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अलावा अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

झारखंड की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

5780. श्री राम टहल चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के प्रत्येक विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के इन विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विगत 3 वर्षों के दौरान जोजोबेरा ताप विद्युत परियोजना की यूनिट-1 (120 मेगावाट) 2000-2001 जोड़ी गयी। इस स्टेशन की यूनिट-2 (120 मेगावाट) सितम्बर, 2001 में जोड़े जाने का अनुमान है।

10वीं योजना के दौरान झारखंड में जीवन विस्तार हेतु निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों (टीपीएस) की पहचान की गयी है ताकि विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके-

1. पतरातू (झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड), यूनिट 4 से 8 (430 मेगावाट)
2. चन्द्रपुर (दामोदर वैली कारपोरेशन), यूनिट 1 से 6 (750 मेगावाट)
3. बोकारो (दामोदर वैली कारपोरेशन), यूनिट-1 से 3 (130 मेगावाट)

दामोदर वैली कारपोरेशन के निम्नांकित जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा क्षमता बढ़ाने का कार्य भी चल रहा है-

1. मैथान (3×20 मेगावाट)
2. पंचेट (1×40 मेगावाट)

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों/सैनिकों की विधवाओं को एल.पी.जी. एजेंसियों/पेट्रोल पंपों का आबंटन

5781. श्री टी. गोविन्दन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कमजोर वर्गों/सैनिकों की विधवाओं आदि को आबंटित की गई एल.पी.जी. डीलरशिप/पेट्रोल पंपों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1 जुलाई, 2001 से अब तक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एल.पी.जी. एजेंसियां और खुदरा विक्रय केन्द्रों का आबंटन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कमजोर वर्ग (अनु. जाति/अनु. जनजाति श्रेणियों) और आप्रेशन विजय योजना (ओ.वी.एस.) के अंतर्गत सैनिकों की विधवाओं को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का पिछले तीन वर्षों के दौरान का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1988-99	44	53
1999-2000	97	144
2000-2001	304	185

(ख) हरियाणा में 1 जुलाई, 2000 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ओ.वी.एस. के अंतर्गत केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों सहित 64 खुदरा बिक्री केन्द्र और 35 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 8 खुदरा बिक्री केन्द्र और 12 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गयी हैं।

जी.ए.आई.एल./आई.जी.एल. के बीच संयुक्त उद्यम

5782. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सी.एन.जी. स्टेशनों के लिए दस कम्प्रेसरों की आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और जी.ए.आई.एल./आई.जी.एल. के बीच कोई संयुक्त उद्यम है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है;

(ग) क्या फरवरी, 2001 में 5 और कम्प्रेसरों की सप्लाई का आर्डर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड/इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के बीच विद्यमान संयुक्त उद्यम दिल्ली के लिए पाइप्ड गैस एवं सी.एन.जी. की आपूर्ति करने के विषय में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। पांच 1150 एस.एम.एस.सी./एच. क्षमता वाले संपीडकों के लिए अर्जेन्टाइना की मैसर्स गेलीलियों को आदेश दे दिए गए हैं।

विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

5783. **श्री ए. नरेन्द्र: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) देश की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार, स्थानवार और क्षमतावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का कितना उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश के विभिन्न ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्रमशः विवरण-I और II में दी गयी है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 40245.2 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि करने का लक्ष्य रखा था। नौवीं योजना के अंत तक 20419.7 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि होने की संभावना है?

विवरण-I

थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना का नाम, क्षेत्र और राज्य	यूनिट क्षमता		के दौरान ताप विद्युत की अभिवृद्धि		समकालिक करने की संभावित तिथि	टिप्पणी/विवेचित क्षेत्र
	सं.	मे.वा.	9वीं योजना	10वीं योजना		
1	2	3	4	5	6	7
परियोजना जहां निर्माण कार्य शुरू हो गया है						
केन्द्रीय क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश						
सिम्हाद्री TPS (NTPC)	U-1	500	500	-	मार्च-02	विद्युत निकासी प्रणाली की तत्परता।
	U-2	500	-	500	12/2002	
उड़ीसा						
तालचेर एसटीपीपी	U-3	500	-	500	11/2003	
	U-4	500	-	500	8/2004	
	U-5	500	-	500	5/2005	
	U-6	500	-	500	2/2006	
तमिलनाडु						
नैवेली एफएसटी विस्तार	U-1	210	210	-	12/2001	
	U-2	210	-	210	6/2002	
उप जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र :		3420.0	710.0	2710.0		

1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश						
रायलसीमा चरण-2 (एपीजेनको)	U-1	210	–	210	ईपीसी नियंत्रक को भुगतान से 34 माह के भीतर	भा.वि. संस्थाओं से बकाया 15% निधियों की वसूली।
	U-2	210	–	210	ईपीसी नियंत्रक को भुगतान के 37 माह के भीतर	परियोजना को बाद में मध्यावधि मूल्यांकन के लिए परिकल्पित किया गया।
दिल्ली						
प्रगति सीसीजीटी (डीवीबी)	GT-1	–104.6	104.6	–	1/2002 परियोजना	
	GT-2	104.6	104.6	–	3/2002	
	ST	121.18	–	121.18	11/2002	एस्क्रो करार/वित्तीय समापन को अंतिम रूप देना
गुजरात						
	U-1	125	–	125	12/2002	अकरीमोटा जीएमडीसीएल) एस्क्रो करार/वित्तीय समापन
	U-2	125	–	125	6/2003	
कर्नाटक						
रायचूर टीपीएस (केपीसीएल)	U-7	210	–	210	वित्तीय समापन से 30 माह	
मणिपुर						
लिमाखोंग डीजी (मणिपुर सरकार)						
	DG-1	6	6	–	10/2001	
	DG-2	6	6	–	10/2001	
	DG-3	6	6	–	10/2001	
	DG-4	6	6	–	10/2001	
	DG-5	6	6	–	10/2001	
	DG-6	6	6	–	10/2001	

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-2	U-3	250	250	–	11/2001	
(RRVUNL)	U-4	250	–	250	5/2002	
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-3	U-5	250	–	250	33 माह बदलाव के बाद	
(RRVUNL)					of order	
Tripura						
Baramura GT (Power Deptt, Govt of Tripura)	GT-1	21	–	21	9/2002	
Rokhia GT Ext. Ph.-II (Govt. of Tripura)	GT-7	21	21	–	2/2002	राज्य सरकार परियोजना द्वारा स्वीकृत। बाद में मध्यावधि मूल्यांकन के लिए परिकल्पित।
निजी क्षेत्र						
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह						
बम्बूफ्लैट डीजी (सुर्यचक्र पावर)	DG-1	5	5	–	मार्च, 02	
	DG-2	5	5	–	मार्च, 02	
	DG-3	5	5	–	मार्च, 02	
	DG-4	5	5	–	मार्च, 02	
आंध्र प्रदेश						
एलवीएस डीजीपीपी (एलवीएस पावर लि.) मध्यावधि मूल्यांकन	डीजी-2	18.4	18.4	–	9/2001	परियोजना बाद में परिकल्पित। DG-2
पेद्दापुरम सीसीजीटी (बीएसईएस आंध्र पावर लि.)	GT	142	142	–	9/2001	परियोजना को 220 (142+78) मे.वा. परियोजना की संशोधित क्षमता 220 (142+78) मे.वा. तक संशोधित किया गया।
	ST	78	78	–	2/2002	
रागामुण्डम टीपीपी (बीपीएल पावर प्रोजेक्ट)	U-1	260	–	260	33 वित्तीय समापन (सीओडी)	-एस्क्रो की प्राप्ति - एफ सी (सी ओ डी) से 33 माह
	U-2	260	–	260	39)	वित्तीय समापन।
झारखंड						
जोबोबेरा टीपीएस (टाटा पावर कं. लि.	U-2	120	120	–	8/2001	क्षमता 220 (4×42.5+50) मे.वा. तक संशोधित परियोजना आरंभ।

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
तनीरबावी सीसीजीटी (तनीर बावी पावर कंपनी)	ST	50	50	–	9/2001	संशोधित क्षमता 220 (4×42.5+50) एम डब्ल्यू
महाराष्ट्र						
डाभोल सीसीजीटी चरण-2	Block-1	722	722	–	–	एमएसईबी तथा डाभोल पावर कं. के बीच विवाद के कारण।
	Block-2	722	722	–	–	
मध्य प्रदेश						
रतलाम डीजी (जीवीके पावर लि.)	DGs	118.632	–	118.632	वित्तीय समापन से 14-17 माह	एमपीईबी द्वारा एसबीआई को स्थाई निदेश जारी किया जाना है
नैवेली जीरो, टीपीएस (एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी)	U-1	250	–	250	7/2002	टीएनईबी का अनुमोदन
समयानल्लूर डीजीपीपी (बालाजी पावर कारपोरेशन)	DG-1	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	आईपीपी द्वारा प्रस्तावित परिवहन स्कीम। शल्य की संभावना क्योंकि उधारकर्त्ताओ ने निधियां जारी करना बंद कर दिया। एस्क्रो रवर को प्रचालितन करना।
	DG-2	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	
	DG-3	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	
	DG-4	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	
	DG-5	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	
	DG-6	15.143	15.143	–	पिछड़ने की संभावना	
	DG-7	15.143	15.143	–	Likely to slip	2 × 1.25 मे.वा. टीपीपी की स्थपाना। बहरहाल डब्ल्यूबीपीडीसीएल से सीईए द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-II

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

केन्द्रीय क्षेत्र

1.	नाथपा-झाकरी (एनजेपीसी) H.P./6×250 05.04.89	1678.02 / 7666.31	1996-97 / 2003-2004	1.8.2001 को बाढ़ आने के पश्चात् बांध एवं इंटेक क्षेत्रों डिसिल्टिंग चैम्बर एवं विद्युत गृह का बहाली कार्य पूरा हो गया है। विपथन सुरंग 1.3.2001 को चालू। बांध कंक्रीटिंग शुरू एवं 52% कंक्रीटिंग पूरा। 38% इन्वर्ट तथा 48% ओवर्ट कंक्रीटिंग पूरा। दोनों ईओटी क्रेन प्रायः चालू। क्रियात्मक लोड शेडिंग प्रगति पर है। विद्युत गृह में डूबे इ एंड एम उपस्कर की सफाई पूरी। जेनरेटिंग यूनिटों का सुधार प्रगति पर है।	सिविल कार्य सौंपने में विलंब। बांध कंक्रीटिंग चैम्बर एवं एचआरटी कार्य पूरा। 31 जुलाई, व 1 अगस्त, 2001 की मध्य रात्रि को आई बाढ़ से विद्युत गृह परिसर जलमग्न हो गया और बांध	विनिमय दर में परिवर्तन सामान्य मूल्य वृद्धि

				जनमग्न उपस्करों की बहाली के लिए इ एंड एम उपस्कर के आपूर्तिकर्ताओं एवं बीमा कंपनियों के साथ वार्ता प्रगति पर है। यूनिट-1 से यूनिट-6 के लिए टीजी उपस्करों का उत्थापन विभिन्न चरणों में है। 16 जेनरेटर ट्रांसफारमर का उत्थापन पूरा। यूनिटों को 12/2003 तक पूरा किया जाना है।	परिसर में विभिन्न सड़क तथा सेतु क्षतिग्रस्त हो गए।	
2.	दुहलस्ती J&K/3×130 12.7.89 (द्विपक्षीय)	1262.97 3559.77	1994-95 2003-2004	सुरंग विपथन कार्य पूरा। बांध का इक्सवेशन एवं कंक्रीटिंग एवं पीएच कार्य पूरा हो गया है डिस्लटिंग बेसिन एचआरटी एवं टेलरेस टनल का कार्य प्रगति पर है। 21.2.2000 को अचानक ध्वस्त होने के कारण खराब हिस्से केबीटी एम को ठीक किया जा रहा है तथा डीबीएल यूएस एचआरटी के 66% इक्सवेजन पूरा हो गया है। 30टी दक्षता का ईओटी क्रेन का इरेक्शन पूरा हो गया है। शाफ्ट का इक्शवेशन, विस्तार गैलरी, सर्ज टैंक एवं ड्राफ्ट ट्यूब पूरी हो गयी है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों की आपूर्ति का 99.33% एवं 78.76% इरेक्शन पूरा हो गया है।	एचआरटी में भूगोलीय समस्या का इन व्यवस्था समस्या से पीड़ित परियोजना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कार्य का निलंबन	
3.	चमेरा चरण-2 (एनएचपीसी) H.P./3×100 18.05.99	1684.02 1682.02	10th Plan 10th Plan (2004-05)	दिनांक 18.7.99 को मै. जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा हस्ताक्षरित एनएचपीसी को मै. जय प्रकास इंडस्ट्रीज लि. द्वारा अग्रेषित के बीच टर्न की करार आधार पर परियोजना कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। डाइवरजन टनल इक्सवेशन एवं कंक्रीटिंग पूरी हो गयी है। यूनिट-1 और 2 इक्सवेशन एचआरटी का पूरा हो गया है। इक्शवेशन ऑफ एचआरटी 84% एवं टीआरटी इक्सवेशन 78% पूरा हो गया है।		
4.	तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी) सिक्किम/3×170 11.02.2000	2198.04 2198.04	2006-2007 2006-2007	परियोजना स्थल पर अवंसरचना विकास एवं सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिया गया है। इनलेट एवं आउटलेट क्षेत्रों में डाइवर्जन टनल ओपन इरेक्शन प्रगति पर है। 26.8.2001 को एक डाइवरजन दिन की रोशनी में कर दिया है। पीएच में वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। स्टोर का विविध कार्य एवं क्वालिटी कंट्रोल लैब कार्य को बांध की साइट कार्य के टेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बांध कार्य में चरण-1 से मुख्य सड़क को जोड़ दिया है। एचआरटी कार्य में खंड इक्सवेशन आफ एडिट-2 एवं एडिट-3 प्रगति पर है। बिजली घर कार्य में मुख्य एसेस टनल का बाहरी इक्सपेशन एवं एडिस प्रेशर शाफ्ट के ऊपरी छोर तक प्रगति पर है।		
5.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी) उ.प्र./ 4×250 02.06.72 (4×150 MW) PIB-23.01.92 CCEA 15.03.94	3391.40 5690.64	1997-99 (2001-03) (2002-03) As per THDC	काफर बांध एवं डाइवरजन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अप्रैल, 97 में ई/एस उपकरण की आपूर्ति के लिए एशियन/यूक्रेनियन फर्म एवं एबीबी (जर्मनी) ठेका दे दिया है। जेनरेटर ट्रांसफारमर, दो इरेक्शन ईओटी क्रेन 375/75 टी की आपूर्ति का आदेश पूरा हो गया है। यूनिट-4 के स्पाइरल लेसिंग का इरेक्शन प्रगति पर है। सभी क्षेत्रों की ड्राफ्ट एलटी लाइनों को वेल्ड कर दिया है और वे इरेक्शन के लिए तैयार है।	वित्तीय समस्या/ बड़े सिविल कार्य सौंपना पुनर्वास उत्तराखंड आंदोलन भूमि अधिग्रहण	क्षमता परिवर्तन सामान्य मूल्य वृद्धि

				अक्तूबर, 2001 में टी-3 एवं टी-4 डाइवरजन के प्लग से प्रस्तावित है।		
6.	कोटेश्वर बांध और विद्युत परियोजना टीएचडीसी उ.प्र./4×100 10.04.2000	1301.56 1301.56 (Incl. IDC)	2005-2006 2005-2006	सरकार की स्वीकृति 10.4.2000 को प्रदान की गयी। अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। विपथन सुरंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिविल हाइड्रो-मैकेनिकल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए पूर्व अर्हता निविदा आमंत्रित की गयी है और प्रगति पर है।		
7.	धौलीगंगा-1 (एनएचपीसी) U.P./4×70 08.04.91	601.98 1578.31	1998-99 2004-2005	वन एवं रक्षा भूमि अर्जित कर दी गयी है। निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। सभी बड़े कार्यों का ठेका प्रदान कर दिया गया है एनएचपीसी ने बड़े कार्य पैकेज के लिए समझौता हस्ताक्षरित कर लिए हैं। जैसा कि ब्यौरा निम्नवत है- 1. लोट-1 (सिविल कार्य) 28.2.2001 को 2. लोट-2 (सिविल कार्य) 25.2.2000 को 3. लोट-3 (इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य) 15.5.2000 को 21.4.2001 को विपथन सुरंग के माध्यम से नदी विभाजित की गयी है। स्पिलवे खुदाई पूरी हो गयी है। एचआरटी का 4.30% यू/एस और 9.75% डी/एस. खुदाई कार्य पूरा कर लिया गया है। 23% टेलरेस खुदाई कार्य पूरा हो गया है।	सामान्य मूल्य वृद्धि	
8.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी) M.P./8×125 06.09.89 (एनएचडीसी को संयुक्त उद्यम परियोजना-51%)	1190.12 3381.32	1997-2000 2003-06	एचआरटी हेतु निर्माण कार्य पूरा हो गया है और बांध के लिए पीएच और टीआरसी प्रगति पर है। इओटी क्रेन के प्रापण हेतु एलओआई मै. मुकुंद लि. को जारी की गयी है। टीजी उपस्करों के आदेश फरवरी 97 में भेल को दिए गए थे। यूनिट-2 से 8 तक डीटी लाइनर अधिष्ठापित कर लिए गए है और सभी यूनिटों के लिए पियर नोइज उत्थापित कर दिए गए हैं। डीटी ड्रेन हैडर को पेनस्टाक ड्रेन वाल्वों को अधिष्ठापित कर लिया गया है। राज्य सरकार ने परियोजना का निर्माण कार्य म.प्र. और एनएचपीसी की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट को हस्तांतरित किया गया है।	आरआर समस्या परियोजना वित्त	निधी की कमी के कारण धीमी प्रगति
9.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी) मणिपुर/3×30 30.12.99	578.62 578.62	2006-2007 2006-07	परियोजना पर अवसंरचना सुविधाओं का विकास प्रगति पर है। कार्य स्थल पर वांछित प्रगति संभव नहीं है जब तक कि अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करे। जैसा कि 11.6.2001 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है। माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रोक आदेश के बाद मणिपुर सरकार ने एक संयुक्त जांच दल गठित किया है जिसमें भूमि/फसल प्रतिपूर्ति के मूल्यांकन हेतु एनएचपीसी से एक सदस्य शामिल है। मणिपुर सरकार सीआरपीएफ के साथ समन्वय स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे और 2-3 माह के भीतर सीआरपीएफ की बटालियनों के लिए आवास की व्यवस्था करेगी।		

10.	रंगानदी नीको Ar.P./3×135 04/87 अप्रैल 87 (CCEA)	312.78 / 1446.09 (inc. IDC)	1994-95 / 2001-2002	विपथन सुरंग बांध, एचआरटी, स्टील लाइनर समेत सर्ज शाफ्ट पर कार्य लगभग पूरा हो गया है। पीएच टीआरसी और स्विचयार्ड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ईओटी क्रेन (दो) प्रचालनाधीन है। यूनिट उत्थापन कार्य प्रगति पर है। यूनिट-1 लगभग सभी अन्य ई/एम उपस्करों के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं। स्विचयार्ड ने उत्थापन कार्य और उपस्कर आपूर्ति प्रगति पर है। 132/400 के.वी. आईसीटी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।	सुरंग उपस्कर प्रापण में विलम्ब पीएच बांध के मुख्य काम प्रदान करने में विलम्ब होना बांध और एचआरटी निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति मुख्य बांध निर्माण कार्य प्रदान करने में विलंब	सामान्य मूल्य वृद्धि
11.	तुरियल (नीपको) अरुणाचल प्रदेश 2×30 07.07.98 (CCEA)	448.19 / 448.19	2005-07 / 2005-07	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। निर्माण पूर्व कार्य की टेपिंग पूरी हो गयी है और प्रभारित हो गयी है। एक डीजी सेट किराये पर लिया गया है। सभी मुख्य पैकेजों की निविदाएं जारी कर दी गयी हैं। बोलीपूर्व बैठक आयोजित की गयी है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गयी है। 132 के.वी. एस/सी पारेषण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।		
12.	कोपिली चरण-2 (नीपको) असम/1×25 06.07.99 (CCEA)	76.09 / 76.09	2001-02 / 2003-04	निर्माण पूर्व और अवसंरचनात्मक कार्य आरंभ किए जा रहे हैं। पैकेज-1 और 2 के काम के आदेश (सिविल कार्य) क्रमश: मै. जीएसजे इनबो को 1.10.99 को और पी. दास को 7.6.2001 को जारी किए गए हैं। इन पैकेजों के अंतर्गत काम प्रगति पर है। पैकेज-3 के संबंध में टीजी सेटों के आदेश भेल को दिए गए हैं और 100/25 टीइओटी क्रेन के आदेश मै. डब्ल्यूएमआई मुम्बई को प्रदान किए गए हैं। आपूर्ति प्रगति पर है। पैकेज-3 के लिए निविदाएं तैयार की जा रही हैं।		
राज्य क्षेत्र						
उत्तरी क्षेत्र						
13.	डब्ल्यूवाईसी-II हर./2×7.2 04.02.2000 (राज्य सरकार)	70.0 / 94.00	10वीं योजना / 10वीं योजना	स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीक-आर्थिक रूप से 3/90 को अनुमोदित कर दिया गया था, परंतु यमुना के पानी की भागीदारी के बारे में अंतर्राज्यीय विवाद का समाधान न होने की वजह से परियोजना की कार्य को आरंभ नहीं किया जा सका। इसका समाधान 12.05.1994 को किया गया। स्कीम को केन्द्र सरकार द्वारा 4.2.2001 को अनुमोदित किया गया था। हथिनीकुंड बैराज का कार्य पूरा कर लिया गया है। पीएफसी ने एचपीजीसीएल को 56 करोड़ रुपए का ऋण अनुमोदित किया है। पीएच, हाइडल चैनल इत्यादि का कार्य मै. हरीश चंदेरा इंडिया लि. नई दिल्ली को प्रदान किया गया है। पीएच की खुदाई पूरी कर ली गई है तथा हाइडल चैनल की 60% खुदाई पूरी कर ली गई है। शिल्ट इजेक्टर की खुदाई पूरी कर लगी गई है और कंक्रीटिंग का कार्य भी पूरा हो गया है।		सामान्य मूल्य वृद्धि
14.	लार्जी एच.पी./3×42 14.01.2000	796.98 / 796.98	2002-03 / 2003-05	एचपीएसबी में स्कीम के कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं तथा संशोधित डीपीआर के.वि.प्रा. के समक्ष मार्च,	सिविल कार्यों को प्रदान करने में विलंब	

	(के.वि.प्रा.)	(संपूर्ण लागत)		1999 को प्रस्तुत कर दी गई थी। के.वि.प्रा. द्वारा 14.01.2000 को नई टीईसी प्रदान की गई है। विपथन चैनल की खुदाई पूरी कर ली गई है। एचआरटी, सर्ज-साफ्ट, प्रेशर-साफ्ट और पीएच की खुदाई प्रगति पर है। टरबाइन, जनरेटर तथा संबंधित उपस्करों और ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति उत्थापन तथा चालू करने में कार्य सहित ई/एम कार्य भेल को 15.02.2001 को प्रदान कर दी गई है।	टीजी सेटों को प्रदान करने में आईसीबी रूट की अनुपालना में विलंब हुआ।	
15. (क)	अपर सिंध-II ज. एवं क./2×35 22.11.83	76.46 / 399.50	1998-99 / 1999-02	सभी सिविल कार्य संबल संयोजक के कार्य को छोड़कर सभी पूरो हो गए है। पीएफसी ने परियोजना हेतु 6.74 करोड़ रुपए का ऋण अनुमोदित किया है। यूनिट एक 5.1.2000 को यूनिट आरंभ की गई! 9.7.2000 को कार्य चालू हो गया। यूनिट दो रोटर को सीधे करने का कार्य प्रगति पर है। बाक्सिंग जल्दी ही कर ली जाएगी।	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या पेन्स-स्टॉक की गड़न में विलंब। निधियों की कमी।	सामान्य मूल्य वृद्धि।
15. (ख)	अपर सिंध विस्तार ज. एवं क./1×35 26.06.89	20.69 / 42.27	1993-94 / 2001-02	पैन्स-स्टॉक की गड़न एवं उत्थापन हेतु स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है तथा मै. टीएसएल. को कार्य प्रदान कर दिया गया है। जनरेटर की क्रंकीटिंग कर ली गई है। सर्विस वे में रोटर जोड़ लिया गया है तथा यह नीचे उतारे जाने के लिए तैयार है। स्टेटर को जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है।	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या निधियों की समस्या	वही
16.	संवा चरण-III ज. एवं क./3×3 (राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत)	16.92 / 60.00	1997-98 / 2001-02	सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। 16 जून, 2000 को पीएच में पानी भर गया था जिससे ई एंड एम उपस्कर डूब गए। बाढ़ से पहले यूनिट-1 का उत्थापन कार्य लगभग पूरा हो गया था। पीएफसी ने परियोजना हेतु 6.59 करोड़ रुपए का ऋण अनुमोदित किया है तथा उत्थापन कार्य पुन: चालू हो गए हैं।	पीएच में बाढ़ आना निधियों की कमी।	वही
17.	लखवार व्यासी $ उत्तरांचल/ 3×100+2×60 जन., 1976 $ परियोजना का कार्य रूका हुआ है।	140.97 / 1446.00	1989-90 / 2004-06	इस समय निधियों की कमी के कारण कार्य रूके हुए हैं। एनएचपीसी और यूपीजेवीएनएल के मत्थे संयुक्त उपक्रम के रूप में परियोजना को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मत्थे 25.02.2000 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यों की प्रगति निम्नवत् है: - 65% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, व्यासी तथा लखवार बांध, इनटेक, विद्युत टनल लखवार भूमिगत पीएच, हथियारी पीएच, एचआरटी इत्यादि हेतु संविदा 7/87 को प्रदान कर दी गई थी। टीआरटी के ऊपरी सिरे की 100% खुदाई तथा व्यासी हथियारी एचआरटी हेतु 98% खुदाई पूरी हो गई है। दोनों विद्युत गृहों हेतु टीजी सेटों के एलओआई भेल को जून, 1991 में दिए गए थे, परंतु इसे 1995 में रद्द कर दिया गया। इसे 1995 में रद्द कर दिया गया।	निधियों की कमी के कारण कार्य रूके रहे।	वही

18.	मनेरी भाली-II $ उत्तरांचल/4×76 21.02.2000 (टीईसी) $ परियोजना का कार्य रूका हुआ है।	1249.18* / 1246.18 (संपूर्ण लागत)	2003-05 / 2003-06	इस समय निधियों की कमी के कारण कार्य रूके हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2000 में इसका निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. को सौंपा था तथा टीईसीबी यूपीजेबीएनएल को हस्तांतरित कर दी गई है। के.वि.प्रा. ने 21.02.2000 को यूपीजेबीएनएल को संशोधित टीईसी प्रदान की। परियोजना को एनएचपीसी और यूपीजेबीएनएल के मध्य संयुक्त उपक्रम के रूप में पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 25.02.2000 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। परंतु यह देखा गया है कि परियोजना के क्रियान्वयन के कार्य अब टीएचडीसी को सौंप दिया गया है। अभी तक के कार्यों की प्रगति इस प्रकार है:- बैराज हेतु 100% खुदाई तथा 83% कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई है। एचआरटी, इंटेक, सर्ज-टनल, पैन्स-स्टॉक, विद्युत गृह की खुदाई तथा कंक्रीटिंग आंशिक रूप से पूरी हो गई है। ईओटी क्रेन स्विचयार्ड ढांचा प्राप्त कर लिया गया है। जनरेटर यूनिटें हेतु 3/83 को भेल को दिया गया आर्डर रद्द कर दिया गया है।		
पश्चिमी क्षेत्र							
19.	सरदार सरोवर गुजरात/म.प्र./महा. (6×200+5×50) गुजरात/म.प्र./महा. का संयुक्त उद्यम)	1551.86 / 3267.25	1994.96 / 10th Plan	मुख्य बांध का 87.27% कार्य पूरा हो गया है। सभी बांध यूनिटों का उत्थापन टेस्टिंग चालू किए जाने से पूर्व की जांच का काम पूरा हो गया है। सभी यूनिटें अवरोधक अनुरक्षण के अधीन हैं। आरबीपीएच- ओपन इक्सवेशन 98.6%, 92% अंडर ग्राउंड इक्सक्लेशन विद्युत गृह का 74% कंक्रीटिंग, सभी छ: इक्सक्लेशन एवं स्टील लाइनिंग का शाफ्ट प्रेशर पूरा कर लिया गया है, बल्क हैड को स्थापित कर दिया गया है। पेन स्टाक द्वार का इरेक्शन कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है, पेनस्टाक द्वार के लिए इरेक्शन आफहास्ट कार्य प्रगति पर है सर्वोच्च न्यायालय ने 18.10.2000 को 90 मीटर में संशोधित किया है इसके बाद एससीए पुनर्वास उपसमूह से स्वीकृति ले ली है। 90 मी. बांध का कार्य पूरा हो गया है।	मुख्य बांध के निर्माण में स्पिलवे ब्लॉक ऊंचाई पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक विश्व बैंक ऋण का स्थगन	आर एंड आर क्षेत्र में बढ़ोत्तरी सामान्य मूल्य वृद्धि
20.	बाण सागर टोंस II & III (M.P.) 2×15+3×20 30.06.84	301.17 incl. PH-I / 966.8 incl. PH-I	1989-91 PH-II / 2002-03 PH-III 2000-02	यूनिट-1 और 2 के लिए टीजी सेट की आपूर्ति पूरी हो गयी है और यूनिट-3 टरबाइन के कम्पोनेंट जैसे रनर, शाफ्ट एवं हैड कवर सुमितोमो कारपोरेशन जापान से साइट पर प्राप्त कर लिए गए हैं। टीजी सेट के इरेक्शन आदेश मै. पीईएस इंजीनियरिंग हैदराबाद से लेकर लगा दिए गए हैं। यूनिट-1 और 2 के इरेक्शन आफ इम्बेडिड पाइपिंग लोडर ड्राफ्ट ट्यूब पूरा हो गया है तथा 2 चरण का कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर है। टीआरटी उपकरणों की शेष आपूर्ति के लिए भेल को एलओआई जारी	बाण सागर बांध के बाहर आर एंड आर समस्या निधि संबंधी समस्या काम की धीमी प्रगति	सामान्य मूल्य वृद्धि

				कर दिए गए हैं डीटी के इरेक्शन की दोनों यूनिटों की इरेक्शन की आपूर्ति पूरी कर ली गयी है। ईओटी क्रेन 75/150 टी. का एलओआई प्रापण जारी कर दिया गया है। पीएच-2 का सिविल कार्य प्रगति पर है। टीआरटी उपकरणों की शेष आपूर्ति के लिए भेल को एलओआई जारी कर दिए गए हैं डीटी के इरेक्शन की दोनों यूनिटों की इरेक्शन की आपूर्ति पूरी कर ली गयी है। ईओटी क्रेन 75/150 टी का एलओआई प्रापण जारी कर दिया गया है। बाण सागर बांध निश्चित स्तर तक पूरा हो गया है। सामान्य वाटर कंडक्टर का कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है। पीएच-3 सिविल कार्य अंतिम चरण में पूरा कर लिया गया है टीजी उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं। सभी यूनिटों के जेनरेटरों के बैरल कंक्रीटिंग पूरी हो गयी है तथा जेनरेटर फ्लूट कोस्टिड है इओटी क्रेन का इरेक्शन पूरा हो गया है। भेल में स्थापित टीजी सेट को चालू कर इरेक्शन आदेश दे दिया है।		
21.	बाणसागर टोंस PH IV म.प्र./2×10 31.07.92	41.88 84.97	1996-97 2002-03	क्षिना हैड रेग्यूलेटिंग लॉरी आर्डर कर दी गयी है, काम प्रगति पर है। पेनस्टाक अवार्डेड एवं रोल फैब्रिकेशन आरंभ कर दिया गया है। पीएच पिट एवं टीआरसी का इक्सवेंशन लगभग पूरा हो गया है तथा शेष कार्य को बाणसागर बांध की पूरी ऊंचाई के साथ किया जा रहा है। (टीबीएल-347 मीटर)	बाण सागर बांध के बाहर आर एण्ड आर समस्या एक्जीक्यूटिंग एजेंसी का अंतिम रूप दिया जाना डार्न रेसिंग का एफआरएल	निधि समस्या के कारण धीमी प्रगति
22.	मरहीखेड़ा मध्य प्रदेश 2×20+1×20 11.05.01	177.38 177.38	10th Plan 10th Plan	दिनांक 11.5.2001 को राज्य सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृत कर ली गयी है। अवसंरचनात्मक कार्य किया जा रहा है।		
23.	घाटघर पीएसएस महाराष्ट्र/2×125 11.08.92	485.96 830.00	1995-96 2004-05	टीआरटी से अप्रोच टनल कार्य, अप्रोच टनल, लिंक टनल, टनल सत्यापन, एडिट का निर्माण, मशीन हाल में सेंट्रल ड्रिफ्ट एवं ट्रांसफरमर हाल पूरा हो गया है। टीआरटी का इक्सवेशन पूरा हो गया है तथा टैल सर्ज प्रगति पर है। 6.6.2000 मै. पटेल इंजीनियरिंग एवं पीइएस (संयुक्त उद्यम) को ऊपरी अवसंरचना कार्य, विद्युत गृह का प्रेशर शाफ्ट का कार्य दिया गया है। प्रेशर शाफ्ट का इक्सवेंशन प्रगति पर है। मै. निस्सो इवाई कारपोरेशन, जापान को टीजी सेट का आदेश दे दिया गया है। पम्प टरबाईन मॉडल टेस्ट को संचालित कर इसकी रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया है। टीजी सैट की आपूर्ति आरंभ कर दी गयी है। मै. एसीएमइ एवं के.एम. इंजीनियरिंग को 1 नंबर 30 टीइओ एवं 2 नंबर 150/30 टीइओबी आदेश दे दिया गया है और 30 टी ई ओटी क्रेन को चालू कर दिया है।	राज्य सरकार द्वारा कम प्राथमिकता भूमि अधिग्रहण में विलंब बांध से संबंधित रोलर कॉम्पेक्ट प्रदान करने में और पीएच कार्यों में विलंब	राज्य सरकार द्वारा कम प्राथमिकता देने के कारण सामान्य मूल्य में वृद्धि

दक्षिण क्षेत्र						
24.	श्रीसंलम एलबीपीएच आ.प्र. 6×150 01.09.86	418.00 2482.00	1993-95 2000-03	एचआरटी के सभी सिविल कार्य, प्रेशर शाफ्ट पेनस्टॉक टीआरटी तथा सर्जचैम्बर पूरा। यूनिट-1- 30.3.2001 को रोल्ड तथा 26.4.2001 को चालू यूनिट-2 रनर नीचे कर दिया गया है। रोटर जमाव प्रगति पर है। स्टेटर अंश पीएच को भेजा गया। यूनिट-3 घुमावदार तथा स्टेरिंग फाउंडेशन के कंक्रीटिंग का काम पूरा। यूनिट्-4, 5 व 6 पियर नोज लाइनर के उत्थापन का काम पूरा। कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। 4, 5 व 6 यूनिट के लिए इनलेट वाल्व लगा दिए गए हैं।	सिविल कार्य प्रदान करने में विलम्ब ठेकेदारों द्वारा दरों के परिशोधन के कारण एचआरटी तथा सिविल कार्यों में देरी। ठेकेदारों की फरवरी 95 से अगस्त, 95 तक हड़ताल	सामान्य मूल्य वृद्धि विनिमय दर में परिवर्तन
25.	शरावती टीआर, कर्नाटक 4×60 (MW) 06.05.87	160.59 420.00	1993-94 2000-02	सिविल कार्य प्रायः पूरा। सभी यूनिटों के पेनस्टॉक खड़े कर दिए गए हैं। यूनिट-1 20.2.2001 को चालू यूनिट-2 15.5.2001 को चालू यूनिट-3 स्पाइरल आवरण का जमाव पूरा यूनिट-4 स्पाइरल आवरण का जमाव पूरा स्पाइरल खंड का संरेक्षण तथा वेडिंग प्रगति पर है।	विश्व बैंक ऋण का स्थगन एमओईएफ स्वीकृति वापिस होने के कारण कार्य स्थगित बांध एवं सिविल काम की संविदात्मक समस्या	सामान्य मूल्य वृद्धि रुपये का अवमूल्य बांध एवं पीएच कामों हेतु दरों में परिशोधन
26.	मालनकारा (मुवथुपुजा) केरल/3×3.5 Aug. 1986 (for 1x6 MW)	7.80 (For 1× 6MW) 41.57	1990-91 2002-03	बांध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया। पीएच का आंशिक उत्खनन पूरा। विद्युत गृह निर्माण की विस्तृत डिजाईन प्रगति पर है। योजनाओं की नई निविदाएं आमंत्रित की गयी है तथा 10/99 में पुनः आदेश की गयी। ठेकेदार ने आरंभिक कार्य शुरू कर दिया तथा भूमि खोदने का 80% काम पुरा हो गया है। मै. एस.आइ.एल. को टीजी सेट के उत्थापन एवं पूर्ति का काम जारी। जेनरेटर उत्खनन प्रणाली तथा पुर्जों सहित 3 मुख्य इनलेट वाल्व स्थल पर पाए गए शेष सामानों की पूर्ति जारी।	सिविल कार्य एवं टीजी यूनिट को प्रदान करने में विलम्ब क्षमता में परिशोधन	सामान्य मूल्य वृद्धि क्षमता में संशोधन
27.	कुटियाडी टेलरेस, केरल 3×1.25 (MW) मई, 1989 For 2×1.25 MW	3.97 12.92	2000-01 10th Plan	नहरों तथा तत्संबंधी निर्माण कार्य पूरे। फोरेब, पीएच तथा पेनस्टाक कार्य प्रगति पर हैं। 2 यूनिटों के अधिकतरण टीजी पार्ट स्थल पर पाए गए। तीसरी यूनिट हेतु आदेश दे दिया गया है। स्थल पर विद्युत ट्रांसफारमर प्राप्त हुआ। यूनिट-3 हेतु डीटी रनर चैम्बर तथा स्टफिंग बाक्स एसेम्बली भेज दी गयी है। टेरलेस ब्रिज की अवयव संरचना तथा निर्माण उत्खनन प्रगति पर है।	काम शुरू होने में विलम्ब	अधिष्ठापित क्षमता के 2×1.25 मेगावाट से 3×1.25 मेगावाट होना
28.	पाइकारा अल्टीमेट, तमिलनाडु/3×50 MW 01.08.88	70.16 373.06	1994-95 10th Plan	गेट शाफ्ट एचआरटी तथा सर्ज शाफ्ट पूरा पीएच एंड प्रेशर शाफ्ट कार्य प्रगति पर है।	एकसेस टनर और टीआरटी कार्य प्रदान	सामान्य मूल्य वृद्धि

				टीआरटी की 95% लाइनिंग जेनरेटर ट्रांसफारमर तथा 220 किलोवाट के बिल के आदेश प्रस्तुत। स्थल पर इओटी क्रेन प्राप्त। स्थल पर सभी तीनों यूनिटों हेतु साज समान प्राप्त।	करने में विलम्ब टीजी उपस्करों हेतु टेंडरों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब	
29.	कलपोंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 5.2 MW	49.37 / 47.31	2001-02 / 2001-02	यूनिट-1 1.7.2001 को चालू कर दी गयी। यूनिट-2 तथा 3 तैयार हैं तथा जुलाई, 2001 के दौरान चालू होने की संभावना।		

पूर्वी क्षेत्र

30.	चांडिल, झारखण्ड। 2×4 14.04.87	12.95 / 32.49	1988-90 / 2001-02	बांध पूरा हो गया है। 13 रेडियल फाटकों में से 8 खड़े कर दिए गए हैं। पीएच भवन लगभग पूरा। एस्केप चैनल एवं क्रास तथा हैड रेग्यूलेटर फाटकों का उत्थापन प्रगति पर है। ईओटी क्रेन चालू यूनिट-1 विकेट फाटकों के ऊपर प्लेटफार्म में चैकर प्लेट की फिक्सिंग कुद प्रेशन गेज तथा पेंट कार्य के अतिरिक्त बाक्सिंग काम पूरा। यूनिट-2 स्टेठर तथा रनर एसेम्बली पूरा तथा सर्विस में टैस्ट किया गया रोटर को निर्माण पूरा तथा पोल (24 नंबर) लगाने का काम चल रहा है। पावर ट्रांसफारमर का आपूर्ति आदेश मै. सिनर्जी पावर इक्विपमेंट प्रा.लि., जमशेदपुर को जारी कर दिया गया है। कार्य स्थल पर ट्रांसफारमर प्राप्त किया गया है।	निधि की समस्या पीएच सिविल काम की धीमी प्रगति भेल की आपूर्ति में कमी	सामान्य मूल्य वृद्धि निधि समस्याएं
	चांडिल, झारखण्ड /2×4 14.04.87	12.95 / 32.49	1988-90 / 2001-02	बांध पूरा हो गया है। 13 रेडियल फाटकों में से 8 खड़े कर दिए गए हैं। पीएच भवन लगभग पूरा। एस्केप चैनल एवं क्रास तथा हैड रेग्यूलेटर फाटकों का उत्थापन प्रगति पर है। ईओटी क्रेन चालू यूनिट-1 विकेट फाटकों के ऊपर प्लेटफार्म में चैकर प्लेट की फिक्सिंग कुद प्रेशन गेज तथा पेंट कार्य के अतिरिक्त बाक्सिंग काम पूरा। यूनिट-2 स्टेठर तथा रनर एसेम्बली पूरा तथा सर्विस में टैस्ट किया गया रोटर को निर्माण पूरा तथा पोल (24 नंबर) लगाने का काम चल रहा है। पावर ट्रांसफारमर का आपूर्ति आदेश मै. सिनर्जी पावर इक्विपमेंट प्रा.लि., जमशेदपुर को जारी कर दिया गया है। कार्य स्थल पर ट्रांसफारमर प्राप्त किया गया है। जल निकासी तथा जल वितरण साज-समान लगा दिए गए हैं। कम्प्रेशर यूनिट तथा यूनिट एक्सिलिटी ट्रांसफारमर काम पूरा। यूएबी तथा एसएसबी कार्य स्थल पर उपलब्ध स्विचयार्ड समतल कर दिए गए हैं तथा सभी स्विचयार्ड उपस्कर जुटा लिए गए हैं। आइसोलेटर तथा प्रदीपन अरेस्टर्स के अलावा) ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कार्य आदेश मै. जेबी इंटरप्राइजेज को जारी कर दिए गए हैं। निर्माण का काम चल रहा है।	निधि का समस्या पीएच सिविल काम की धीमी प्रगति भेल की आपूर्ति में कमी	सामान्य मूल्य वृद्धि निधि समस्याएं

31.	उत्तरी कोयल, झारखंड /2×12 10.03.84	21.94 47.34	1988-89 10th Plan	इस समय एनपीसीसी द्वारा सिविल कार्य अगस्त, 1997 से संविदात्मक एवं कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण रूका पड़ा है। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा बांध ऊपर तक पूरा कर दिया गया है। अंतिम खंड के अतिरिक्त पेनस्टाक, फैब्रिकेशन तथा स्थापना काम पूरे। पीएच की पहली कंक्रीटिंग पूरी। 95.5% टीआरटी उत्खनन पूरा टीजी सेट, ईओटी क्रेन स्विचयार्ड उपस्कर तथा विद्युत ट्रांसफारमर स्थल पर प्राप्त। ईओटी क्रेन स्थापना कार्य एनपीसीसी द्वारा सिविल कार्य पूरा न होने के कारण लम्बित। टीजी का पर्यवेक्षण भेल को दिया गया।	सिविल कार्यों एवं टीआरटी एंड विद्युत गृह कार्यों में विलम्ब	सामान्य मूल्य वृद्धि निधि संबंधी समस्या कानून-व्यवस्था की समस्या

$ परियोजना का काम रूका हुआ है।

32.	पोत्तेरू उड़ीसा /1×3+1×3 30.07.84	5.46 18.83	1989-90 2001-02	इनटेक निर्माण कार्य विद्युत एवं टी आर चैनल 70%, 75% तथा 65%, 30% पूरा। पावर हाउस 1 और 2 तदनुसार पूरे। लेबरिंथ ड्रेनेज बार्थ क्रमशः 40% तथा 90%, 100% पूरा दोनों विद्युत गृहों के पीएच निर्माण कार्य पूरे। इनका पेनस्टाक स्थापना भी पूरी। लेबरिंथ वियर, एचआरसी तथा क्रास ड्रेनेज संविदा असफल होने तथा कानून व्यवस्था की समस्या के कारण अधूरे का आदेश दिया गया है जिसे चरण-1 के लिए अप्रैल, 2001 में पुनः शुरू किया गया है। दोनों विद्युत गृहों में इओटी क्रेन स्थापित कर दी गयी हैं। दोनों स्थानों पर दोनों विद्युत गृहों में इओटी क्रेन स्थापित कर दी गयी हैं। दोनों स्थानों पर डीटी फाटकों के संचालन का परीक्षण प्रगति पर है। विद्युत गृह 1 और 2 में डीटी स्थापित कर दिया गया है तथा कंक्रीट काम पूरा कर दिया गया है। दोनों विद्युत गृहों में पेनस्टाक उत्थापन टरबाइन एंड अक्सलरीज पूरी। विद्युत गृह-1 में जेनरेटर काम लगा दिया है। दोनों विद्युत गृहों में सी स्विचयार्ड साज समान संस्थापित कर दिए गए हैं विद्युत गृह 1 तथा 2 में गियर बॉक्स स्थापित। विद्युत गृह 1 और 2 से बालीमेला के बीच 33 के.वी. के लाईन डाल दी गयी है स्थल पर सम्प्रेषण सामग्री मै. ग्रिडको द्वारा पहुंचाई गयी। पीटीसी की स्वीकृति पहले मिल चुकी है।	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब वन स्वीकृति पीएच कार्य में संविदा की समस्या आग से कंट्रोल पैनल को क्षति कानून व्यवस्था की समस्या के कारण स्थल पर धीमी प्रगति पोत्तेरू सिंचाई प्रभाग से डिपोजिट के काम में विलम्ब	निधि की समस्या चरण-1 की वन स्वीकृत
33.	बालीमेला बांध Toe $ उड़ीसा/2×30 26.02.77	17.77 69.301	1982-83 10th Plan	उड़ीसा सरकार से आपत्ति के कारण विद्युत गृह का उत्खनन कार्य नवंबर, 84 से रूका पड़ा है। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने अब यह उत्खनन कार्य ओपीसीएल द्वारा करवाने का फैसला किया है। भेल तथा मै. मेकॉन मौजूदा उपस्कर की लागत के मूल्यांकन हेतु नियुक्त किए गए। इनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	अंतर्राज्यीय विवाद स्वीकृति के एक वर्ष बाद ओईसीएफ के ऋण करार	सामान्य मूल्य वृद्धि सामान्य मूल्य वृद्धि

$ परियोजना का काम रूका हुआ है।

34.	पुरूलिया पीएसएस प. बंगाल/4×225 09.02.94	1456.56 3188.90	2002-03 2004-06	ओइसीफ के ऋण अनुबंध पर मार्च, 95 में हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन पूरा। हाइड्रो मेक उपस्कर हेतु लागत अंश का मूल्यांकन पूरा। हाइड्रो मैके उपस्कर का लेटर आफ आवार्ड मित्सुबिशि हैवी इंडस्ट्रीज को दिया गया। (एमएचआई) 30.3.2001 को स्वीकृति प्राप्त जेबीआईसी से 11.6.2001 को समहति प्राप्त। जेबीआईसी की सहमति ई एंड एम उपस्करों के लिए ले ली गयी है। दो बिल्डरों द्वारा याचिका दायर करने के कारण सिविल कार्य में विलम्ब हुआ और अंततः 27.6.2001 को मै. तईसई कारपोरेशन को प्रदान किया गया (पम्प टरबाइन अन्य पीएच अक्सलरीज की जेनरेटर मोटर) मित्सु एवं कंपनी लिमिटेड को लेटर आफ अवार्ड 7.3.2001 को प्रस्तुत किया गया।	पर हस्ताक्षर किए गए। मुकदमेबाजी के कारण सिविल कार्यों हेतु आदेश देने में विलम्ब हुआ।	
35.	रोलेप-I* सिक्किम/2×3 16.8.97 (राज्य सरकार) (संशोधित क्षमता) 2×4.5 मे.वा.)	35.13 45.00 (पीएल-1999)	2001-02 2003-04	निधि अभाव के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। बिल्ड, ओन एंड आपरेट आधार पर परियोजना सिक्किम पावर विकास निगम को सौंप दी गई है।	-ई एंड एफ स्वीकृति -निधि दबाव	निधि दबाव

* परियोजना कार्यों को अभी आरंभ किया जाना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

36.	कार्बी लांग्पी $ (लोअर बोरपानी) असम/2×50 मे.वा. 24.09.79	36.36 288.37	1985-86 2003-04	बांध के लिए 80% उत्खनन, 18% कंक्रीट तथा 97% स्लश स्वीकृति कार्य पूरा किया गया। टीजी सेटों का संशोधन/बीएफ वाल्व तथा टीजी उपकरण के इरेक्शन को पूरा किया गया। 65% इरेक्शन आफ कंट्रोल पैनल, 10% केबल कार्य, 40% फाउंडेशन इरेक्शन कार्य पूरा किया गया। संयुक्त क्षेत्र में खराब निष्पादन के कारण अनुबंध को निरस्त कर दिया गया और असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार (जनवरी, 1999) परियोजना एएसईबी को सौंप दी। परिसंपत्ति सूची तैयार की गई। शेष कार्य का निष्पादन आरंभ नहीं किया गया। पीएफसी पर निधियों का दबाव है।	-बांध कार्यों के लिए ठेकेदार का बार-बार बदलना -बांध पूरा करने में विलंब -कार्यकारी एजेंसी में बराबर परिवर्तन - निधि दबाव	-बांध पूरा न होने के कारण सामान्य कीमत वृद्धि

$ परियोजना कार्य लंबित है।

37.	धानसिरि $ असम/5×3×1.33 06.02.85	10.53 70.00	1988-89 2002-03	सिंचाई परियोजना बैराज के मुख्य कार्य पूरे किए गए। गाइड बांध को छोड़कर इटेक पूरा किया गया सिंचाई परियोजना के एक भाग के रूप में पीएच-1 पूरा किया गया। सभी पीएच में 98.43% उत्खनन तथा 46.46% कंक्रीटिंग और पीएच-1 में डीटी इरेक्शन IV तक पूरा किया गया। टीजी सेट प्राप्त किए गए। टीजी इरेक्शन का अनुबंध दिया गया। पीएच-1 में ड्राफ्ट ट्यूब्स का पीएच-IV तक संयोजन किया गया। ईओटी के आर्डर दिया गया। आंशिक आपूर्ति प्राप्त की गई। नकदी की कमी तथा कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण अप्रैल, 1996 से कार्य रूका हुआ है।	- कानून व्यवस्था की समस्या - निधि दबाव	-सामान्य कीमत वृद्धि -निधि दबाव

$ परियोजना के कार्य लंबित हैं।

38.	लिकिंम-रो नागालैंड/3×8 18.10.89	33.84 186.59	1993-94 2001-02	विपथन कार्य पूरा। पावर चैनल 99.59% उत्खनन तथा 87% कंक्रीटिंग पूरा। शेष नागालैंड के बिल्डरों द्वारा पूरा किया जा रहा है। सैडल्स एवं एंकर ब्लाक। सभी 24 आरंभिक मामलों तथा अंतिम मामलों को एबी 20 तक पूरा किया गया। पीएच : यूनिट तथा अन्य अवस्थापना कार्यों के लिए भवन तैयार केवल अंतिम कार्य शेष है। टीआरसी पूरा किया गया। क्रास ड्रेनेज पूरा किया गया। बैलेंसिंग रिजर्वायर पूरा किया गया। फोर-बे पूरा किया गया। पेन-स्टाक फैब्रिकेशन पूरा किया गया। एबी 21 से एबी 23 से पेरल्यूज इरेक्शन पूरा किया जाना है। टीजी सेट आपूर्ति पूरी की गई। यूनिट 1 तथा 2 परीक्षण के लिए तैयार। यूनिट-3 का कार्य प्रगति पर है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर स्थल पर पहुंच गए हैं। ईओटी क्रेन चालू है। स्विचयार्ड उपकरणों तथा 66 के.वी. लाईन के इरेक्शन को पूरा किया गया।	- सिविल कार्यों में विलंब - सिविल कार्यों की धीमी प्रगित - निधि दबाव - यूनिट इरेक्शन में विलंब - कानून व्यवस्था की समस्या	सामान्य कीमत वृद्धि
निजी क्षेत्र						
39.	बास्पा चरण-II एच.पी./3×100 29.04.94 (के.वि.प्रा. स्वीकृति) 16.01.98 (टीईसी पुन: प्रमाणित)	949.23 949.23	2001-02 10वीं योजना (2003-04)	परियोजना क्रियान्वयन हेतु मैसर्स जय प्रकाश इंडस्ट्रीज के साथ अक्तूबर में करार पर हस्ताक्षर हुए थे। सीईए द्वारा मैसर्स जेपीआई के पक्ष में टीईसी स्वीकृति की गई थी, लेकिन बाद में जेएचपीएल को अंतरित कर दी गई। अवस्थापना कार्य पूरा किया गया। सिविल कार्य प्रगति पर है। एचआरटी का उत्खनन कार्य पूरा किया गया। ई एंड एम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। टीजी सेटों के लिए सीमेंस एजी, जर्मनी के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए। निश्चित वित्तीय पैकेज हेतु तारीख को 30.06.2001 तक बढ़ा दिया गया। सतलज नदी में 31 जुलाई/अगस्त, 2000 में बाढ़ के कारण परियोजना कार्य रूक गया। 3/2000 के बाद परियोजना कार्य के लिए 2003-04 में पूरा हो जाने का अनुमान है।	-जुलाई/अगस्त, 200 में बाढ़	
40.	विष्णु प्रयाग उत्तरांचल/4×100 30.06.97 (टीईसी)	1614.66 1614.66	10वीं योजना 10वीं योजना	टीईसी को सीईए द्वारा 6/97 को स्वीकृति कर दिया गया। परियोजना को मैसर्स जयप्रकाश पावर फाइनेंस लि. द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। टीजी सेटों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। मैसर्स जेपीवीएल ने 31.12.2001 तक निश्चित वित्तीय पैकेज विस्तार हुए आवेदन किया है।	-वित्तीय समापन	
41.	श्रीनगर-$ उत्तरांचल/4×82.5 14.06.2000	1699.12 1699.12	2005-06 2005-06	28.08.92 को विश्व बैंक ने ऋण निरस्त कर दिया। उ.प्र. सरकार ने मैसर्स डंकन एग्रो के साथ 27.03.94 को निजी क्षेत्र में निष्पादन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।	-वित्तीय समापन	

				सीईए ने 14.06.2000 को मैसर्स डंकन नार्थ हाइड्रो पावर कंपनी लि. को टीईसी प्रदान की।		
	$ परियोजना कार्य लंबित है।					
42.	महेश्वर म.प्र./10×40 30.12.96 (टीईसी)	1569.75 / 1673.00	2001-02 / 2003-05	परियोजना को निजी क्षेत्र में भी माहेश्वर हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण मैसर्स सीमेंस, जर्मनी तथा एशिया ब्राउन ब्रावरी, अमदौरा, पुर्तगाल को दिए गए। सिविल कार्य मैसर्स साउदर्न इंजीनियरिंग वर्क्स लि. हैदराबाद को दिए गए। बांध का उत्खनन, पीएच, टीआरटी आदि प्रगति पर है। बुनियादी अवस्थापनागत सुविधाएं विद्यमान है। भूमि अधिग्रहण तथा आर एंड आर कार्य प्रगति पर है। सीईए द्वारा वित्तीय पैकेज अनुमोदन 6.4.2000 को प्रदान किया गया।	-वित्तीय समापन में देरी -आर एंड आर समस्याएं	-सामान्य कीमत वृद्धि
43.	बुथाथानकेट्टू $ केरल/4×4	32.83 / 47.26	2000-01 / 10वीं योजना	परियोजना क्रियान्वयन हेतु करार मैसर्स सिलिकल मेटलर्जिक लि. के साथ 12/94 में किया गया। सिविल कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, क्योंकि सिंचाई विभाग से भूमि अधिग्रहण संबंधी दिक्कतें आ रही थी।		
	$ परियोजना कार्य लंबित है।					

आंध्र प्रदेश में सूखा

5784. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें, राज्य के 900 मंडलों में सूखा जैसी स्थिति पर चिंता जताई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट जुलाई, 2001 में केन्द्र को अग्रसारित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि कम वर्षा के कारण राज्य के कुछ भाग सूखे से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति में केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए एक अंत:मंत्रालयिक केन्द्रीय दल ने 6 से 9 अगस्त, 2001 तक राज्य का दौरा किया। सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत उपाय करने के लिए राज्य को वर्ष 2001-2002 के आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के 77.985 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए। साथ ही राज्य को प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करने के लिए 3 लाख मी. टन चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया।

रागी और ज्वार की खरीद

5785. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रागी और ज्वार, जो कर्नाटक के प्रमुख खाद्यान्न हैं, की खरीद का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह आश्वासन कर्नाटक के कृषि मंत्री को उनके दिल्ली दौरे के दौरान दिया था;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अब तक कुल कितना खाद्यान्न जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कर्नाटक में कितनी प्रभावी रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए इस माह के शुरू में केन्द्रीय कृषि मंत्री से भेंट की थी। उन्होंने कर्नाटक में मोटे अनाज की खरीद का भी उल्लेख किया। ज्वार तथा रागी सहित मोटे अनाज के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा मण्डी में हस्तक्षेप करके इनकी खरीद की जानी अपेक्षित है। कर्नाटक में चालू खरीफ विपणन मौसम में रागी की 15413 मी. टन मात्रा की खरीद की गई है। तथापि अब तक ज्वार की खरीद नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम हेतु कर्नाटक सरकार को 57460 मी. टन चावल तथा 42540 मी. टन गेहूं का नि:शुल्क आबंटन दिनांक 14.08.2001 को किया गया है। चूंकि उक्त खाद्यान्न हाल ही में आबंटित किया गया है, अत: कर्नाटक के जिलों में उक्त स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन कर पाना कठिन है।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन

5786. श्री किरीट सोमैया: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में अपारंपरिक विधि/स्रोतों से कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई नया कार्यक्रम विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर में अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास जैसे प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित व्यापक श्रृंखला कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान अपारंपरिक कार्यक्रमों से महाराष्ट्र राज्य में लगभग 576.38 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हुआ है।

(ख) और (ग) नियमित विकेन्द्रीकृत तथा ग्रिड से जुड़े अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अलावा, हाल ही के वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम का भी संवर्धन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य में संस्थापित पवन उत्पादन क्षमता वर्ष 1997-98 में 0.23 मेवा. से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 110.60 मे.वा. हो गई है।

[हिन्दी]

चक्रवात के दौरान लापता पाए गए मछुआरे

5787. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश में चक्रवातों के कारण बड़ी संख्या में मछुआरे लापता और मरे पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसे चक्रवातों की पूर्व चेतावनी दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जैसा कि गुजरात और उड़ीसा सरकारों द्वारा सूचना दी गयी है, गुजरात में जून, 1998 के चक्रवात में 1200 से अधिक लोग मारे गए तथा उड़ीसा में अक्टूबर, 1999 के 2 चक्रवातों में करीब 10,000 लोग मारे गए। उन चक्रवातों में मरे या गुम हुए मछुआरों की अलग संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तरलीकृत ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

5788. श्री सुबोध राय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तरलीकृत ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन के कितने संयंत्र कार्यरत हैं और इन्होंने किस तिथि से कार्य करना आरंभ किया;

(ख) ऐसे संयंत्रों को चला रही कंपनियों की इक्विटी संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र द्वारा किये गये विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इनका विद्युत प्रशुल्क कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास उपलब्ध

सूचना के अनुसार, तरल ईंधन/गैस का प्रयोग करने वाली ताप-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, चालू किए जाने की उनकी संबंधित तिथियों सहित (परियोजना की प्रथम यूनिट), विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) के.वि.प्रा. द्वारा प्रदान की गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के समय परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम वित्तीय पैकेज तथा 68.5% पीएलएफ, 12% छूट दर को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मानदण्डों पर आधारित संकेतिक समस्तरीय टैरिफ, अधिष्ठापित क्षमता तथा इक्विटी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

तरल ईंधन/गैस का प्रयोग करने वाली ताप-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना के नाम	मानीटर क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की तिथि (प्रथम यूनिट)
1	2	3
एनटीपीसी		
फरीदाबाद सीसीजीटी (हरियाणा)	430	29.061999
अन्ता जीटी (राजस्थान)	413	20.01.1989
औरिया जीटी (उत्तर प्रदेश)	652	29.03.1989
दादरी जीटी (उत्तर प्रदेश)	817	21.02.1992
कवास जीटी (गुजरात)	644	22.03.1992
गंधार जीटी (गुजरात)	648	17.031994
कायमकुलम (केरल)	350	02.11.1998
डीवीसी		
मैथान जीटी (झारखंड)	90	10/1989
नीपको		
कथालगुरी (असाम)	291	18.03.1995
अगरतला जीटी (त्रिपुरा)	84	05.02.1998
एसइबीज		
डीवी.बी. जीटी (दिल्ली)	282	14.05.1986
पामपोर जीटी (जम्मू व कश्मीर)	175	21.03.1989
रामगढ़ जीटी (राजस्थान)	38.5	15.11.1994
धुवरन जीटी (गुजरात)	54	1970-71
उत्तरान (गुजरात)	39	1959-60
उत्तरान जीटी (गुजरात)	144	28.01.1992
उत्तरान जीटी (महाराष्ट्र)	912	20.02.1982
विजेश्वरम (आंध्र प्रदेश)	272	1990-91
बेसिन ब्रिज (तमिलनाडु)	120	12.02.1996
नरीमनम (तमिलनाडु)	10	14.01.1992
कोविलकलप्पल (तमिलनाडु)	107	05.02.2001
करैकाल जीटी (पांडिचेरी)	32.5	16.10.1998
डब्ल्यू बंगाल ग्रीटी (पं. बंगाल)	100	1979
नामरूप जीटी (असाम)	133.5	1965-66
लकवा मोबिल (असाम)	141	1981-82
बरामुरा जीटी (त्रिपुरा)	16.5	1986-87
रोहिया जीटी (त्रिपुरा)	48	21.03.1990
निजी यूटिलिटियां		
वटवा जीटी (गुजरात)	100	19.12.1990
ट्रॉम्बे जीटी (महाराष्ट्र)	180	29.07.1973
आइपीपी (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक)		
हजिरा (आइएमपी) (गुजरात)	515	10.08.1995
जीआइपीसीएल-1 (गुजरात)	145	03.02.1991
जीआइपीसीएल-2 (गुजरात)	167	26.08.1997
पगुथन जीटी (गुजरात)	655	22.10.1997
दाभोल (महाराष्ट्र)	740	11.12.1998
जेगरूपाडु (गुजरात)	235.4	04.07.1996
गोदावरी जीटी (गुजरात)	208	09.01.1997
कोन्डापल्ली (गुजरात)	350	19.09.2000
कोचिन सीसीजीटी (केरल)	174	06.06.1999
डीएलएफ असाम (असाम)	24.5	01.08.1997
पिलइपरूमेयनल्लुर जीटी (तमिलनाडु)	330.5	22.02.2001
तनीर बावी सीसीजीटी (कर्नाटक)	170	08.05.2001
समालपट्टी पावर कंपनी लिमिटेड (तमिलनाडु)*	105.66	1.3.2001

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा दर्शाई गई स्थिति

विवरण-II

तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत तरल ईंधन वाले ताप-विद्युत स्टेशनों हेतु इक्विटी और टैरिफ का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

स्टेशन

क्र. सं.	परियोजना/प्रवर्तक का नाम	क्षमता	इक्विटी संरचना (टीइसी के अनुसार)	समस्तरीय टैरिफ (टीईसी के अनुसार) रुपये/कि.वा. प्रतिघंटा
1	2	3	4	5
1.	हजीरा सीसीजीटी, (गुजरात मै. इसार पावर लिमिटेड	515	1. इसार गुजारत लि. 100 करोड़ रु. 2. इसार इनवेस्टमेंट लि. 100 करोड़ रु. 3. सार्वजनिक इश्यू 319 करोड़	2.18
2.	बरोदा सीसीजीटी जीआईपीसीएल-2 (गुजरात)	167	1. पीसीडी 60 करोड़ रुपये 2. आंतरिक एक्युरल 55.48 करोड़ रु.	2.47
3.	पघुथान जीटी गुजरात* पावर जनरेशन इनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (गुजरात)	655	प्रवर्तक इक्विटी 1. जीपीसीएल- 177.51 करोड़ 2. टोरेन्ट- 170.68 करोड़ 3. पब्लिक इश्यू- 334.51 करोड़	2.33
4.	डाभोल सीसीजीटी मै. डाभोल पावर कंपनी लिमिटेड (महाराष्ट्र)	2015	प्रवर्तक इक्विटी पब्लिक इश्यू-738 मिलियन यूएस डालर	2.86 (फेस I)
5.	जेगरूपाडु मै. जीवीके इंडस्ट्रीज (आंध्र प्रदेश)	216	जीवीके समूह 34.5 मि. यूएस डालर 26.20 करोड़ रुपये सीएमएस- 15.6 मि. यूएस डालर एपीएसइबी-26.2 करोड़ रुपये एबीबी-4.2 मि. यूएस डालर आरएफसी-8.3 मि. यूएस डालर एशियन इनफ्रासट्रक्टर- 3.9 मि. यूएस डालर	2.22
6.	गोदावरी जीटी एपी मैं. स्पेक्ट्रम पावर (आंध्र प्रदेश) के द्वारा	208	एसटीयूएसए-28.5 करोड़ रु. आरआर/डब्ल्यूएच और डीसीडी, यूके-76.01 करोड़ रु. डोमेस्टिक 123.52 करोड़ रु.	1.98
7.	कोन्डापल्ली सीसीजीटी मैं. कोंडापल्ली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एफएफपी दिनांक 12.8.1998 के अनुसार) (आंध्र प्रदेश)	350	टीएमएल-27.153 मि. यू.एस डालर डब्ल्युइबी-30.28 मि. यूएस डालर लानको-25.437 करोड़ रु. हैनजुग-11.1 मि. यूएस डालर सीडीसी-25.33 मि. यूएस डालर	2.49

1	2	3	4	5
8.	पिलइपरूमलनल्लूर जीटी, टीन मै. डायना मकोवास्की (एफएफपी 15.5.1998 के अनुसार) (तमिलनाडु)	330.5	सीइए पीपीएन इनजी-20.4033 मि. यूएस डालर पीपीएन मारीशस-26.5243 मि. यूएस डालर मारूबेनी कारपोरेशन-26.5243 मि. यूएस डालर रेड्डी ग्रुप-95.69 करोड़ रुपये टीइसी के अनुसार: फोरेन इनटर जेन-198 करोड़ रुपये रेड्डी-119 करोड़ रु. इंडियन रेड्डी-13 करोड़ रु.	2.12 (As per TEC)
9.	बेसिन ब्रिज डीजी, टीबी मै. जीएमआर वसावी (सीइए के दिनांक 28.2.2001 के द्वारा अनुमोदित समापन लागत के अनुसार) (तमिलनाडु)	220	विदेशी-54.00 मि. यूएस डालर भारतीय-23.719 करोड़	2.693
10.*	समालपट्टी पावर कपंनी लिमिटेड (तमिलनाडु)	105.66	शापूरजी पलोनजी इनफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी लिमिटेड (15%) फेनमोर इनर्जी लि. 14% वार्टसिला इंडिया पावर इनवेस्टमेंट लि. (11%), कोवेनटा इनर्जी इंडिया (समालपट्टी) लि. (48%), कोआ होल्डिंग्स लि. (11%) विदेशी इक्विटी-26.93 मि. घरेलू इक्विटी-204.3 एमआइएनआर	4.08

*तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की सूचना अनुसार स्थिति।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की दूर संवेदी परियोजना पर व्यय

5789. **श्री चन्द्र प्रताप सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में दूर संवेदी/जी.आई.एस. से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-2001 के दौरान प्रयोगशाला उपकरणों, प्रयोगशाला विकास, सरकारी दौरों और अन्य मदों पर खर्च किये गये धन का श्रेणीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस राशि का बड़ा भाग कार्यालय कमरों आदि के नवीनीकरण/साज सज्जा पर खर्च किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) सुदूर-संवेदी पर दो परियोजनाएं हैं। बजट संबंधी ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) "फसल सर्वेक्षणों में सुदूर संवेदी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग" - कृषि उत्पाद उपकर निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त तदर्थ स्कीम।

(2) "जी.आई.एस. का उपयोग करते हुए समेकित माडलिंग के जरिए भूमि उपयोग सांख्यिकी पर अध्ययन" - कृषि उत्पाद उपकर निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त तदर्थ स्कीम।

उपरोक्त (1) में परियोजना के लिए बजट आबंटन : 25,13,800/- रुपये

उपरोक्त (2) में परियोजना के लिए बजट आबंटन : 20,58,000/- रुपये

(ग) उपरोक्त (1) परियोजना पर दिनांक 31.03.2000 तक अर्थात् परियोजना की समाप्ति की तिथि तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा

(रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
प्रयोगशाला उपकरण	1217879	279608	31207	1528694.00
प्रयोगशाला विकास	132728	-	22587	155315.00
दौरे	655	4461	9435	14551.00
अन्य फुटकर खर्च	23200	31456	36402	91058.00
वेतन	37113	119200	203460	359773.00
कुल	1411575	434725	303091	2149391.00

उपरोक्त (2) परियोजना पर खर्च की गई राशि

(रुपये में)

	1999-2000	2000-2001	2001	कुल
प्रयोगशाला उपकरण	00	955999	164000	1119999.00
प्रयोगशाला विकास	00	00	00	0.00
दौरे	6000	57309	32000	95309.00
अन्य फुटकर खर्च	27188	43498	3000	73686.00
वेतन	21697	137280	34320	193297.00
कुल	54885	1194086	233320	1482291.00

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

कीटनाशकों का हानिकारक हवाई छिड़काव

5790. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में काजू के पौधों पर कीटनाशकों के हवाई छिड़काव से बच्चों में जन्मजात रोग उत्पन्न हो गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निष्कर्ष की जांच करने के लिए कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फसलों पर होने वाले कीटनाशकों के ऐसे हानिकारक छिड़काव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) यह आरोप लगाते हुए रिपोर्ट मिली है कि केरल के काजू बागानों में इण्डोसल्फॉन के हवाई छिड़काव के कारण कुछ बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखी गई। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने इण्डोसल्फॉन के हवाई छिड़काव के अभिकथित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) केरल सरकार ने काजू बागानों पर इन्डोसल्फॉन के हवाई छिड़काव को रोकने के लिए आदेश जारी किये हैं।

चालकों और रेलगाड़ी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

5791. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक सुरक्षित यात्रा के लिए चालकों और रेलगाड़ी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी चलाने वाले कर्मचारी वर्ग के लिए तैयार की गयी प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा अगले तीन महीनों में रेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय रेलवे पर दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार योजना मौजूद है। योजना के अनुसार, गाड़ी चालन से संबद्ध कतिपय संरक्षा कोटियों के कर्मचारी उनकी सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इसके लिए पात्र होते हैं तथा पुरस्कार की मात्रा उनके संरक्षा रिकार्ड पर निर्भर करती है।

(ग) रेल संरक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा इसमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में लंबित परियोजनाएं

5792. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग संबंधित राज्यों को अपने पास लंबित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की कोई सूचना नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने सरकार से इस संबंध में बार-बार निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित राज्यों को लंबित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी देगी; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेल परियोजनाओं की स्थिति के बारे में सूचना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सभी अनुरोधों का रेलों द्वारा उत्तर दिया जाता है।

(ङ) नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं के अंतर्गत 24 परियोजनाएं हैं जो स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वीकृति उपलब्ध हो जाने के बाद, इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होगा।

परियोजनाओं, जो स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं, की एक सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

1. इटावा-मैनपुरी नई दिल्ली
2. कप्तानगंज-थावे-छपरा आमान परिवर्तन
3. कटिहार-जोगबनी आमान परिवर्तन
4. गोंडा-बहराइच आमान परिवर्तन
5. समस्तीपुर-खगड़िया आमान परिवर्तन
6. अबोहर-फाजिलका नई लाइन
7. रेवाड़ी-सादुलपुर आमान परिवर्तन
8. धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन
9. तंजावूर-विषुपुरम आमान परिवर्तन
10. बैंगलूरी-व्हाइटफील्ड चोहरीकरण
11. मैसूर-चामराजनगर आमान परिवर्तन
12. पटना-गया विद्युतीकरण
13. पटना में गंगा पुल
14. कोट्टायम-इरूमेली नई लाइन

15. काकीनाड़ा-पीतापुरम नई लाइन

16. कुट्टीपुरम-गुरुवायूर नई दिल्ली

17. मुंगेर में गंगापुल

18. नौपाड़ा-गुनूपुर आमान परिवर्तन

19. गोंडा-गोरखपुर आमान परिवर्तन

20. सरूपसर-गंगानगर आमान परिवर्तन

21. जलंधर-जम्मूतवी दोहरीकरण

22. मुगलसराय-जाफराबाद विद्युतीकरण

23. थाणे-मुंब्रा 5वीं और 6वीं लाइन

24. विरार-दहानू रोड ई एम यू सेवा शुरू करने के लिए सुविधाओं का विकास

प्रचार पर व्यय

5793. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल में प्रचार पर भारी राशि व्यय की जाती है;

(ख) क्या इतनी भारी राशि केवल प्रचार पर व्यय करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने प्रचार पर व्यय को कम करने हेतु क्या उपाय किया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय नई परियोजनाओं, सेवाओं, सुविधाओं से संबंधित सूचनाओं को रेल उपयोगकर्त्ताओं के व्यापक प्रसार हेतु और रेल यात्रा में संरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकताओं तक ही सीमित है।

(घ) विज्ञापनों का आकार घटाकर, निवेशनों की संख्या में कमी करके और दृश्य श्रव्य प्रचार और निदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रकाशनों का उपयोग करके (तुलनात्मक रूप में जिनकी दरें कम होती हैं) और प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित आवश्यकताओं के अंतर्गत खर्च को सीमित करके प्रचार-प्रसार के व्यय में अंकुश लगाने के लिए रेल प्रशासन को पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आयातित खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध

5794. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अदरक, प्याज, दुग्ध पाउडर इत्यादि जैसे आयातित खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र विदेशी उत्पादों के आयात से प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन करार के तहत उदारीकृत व्यापार में खाद्य तेलों के मामले में छोड़कर कृषि जिन्सों के आयात परिदृश्य में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। कृषि जिन्सों के आयात को मानिटर करने के लिए सरकार ने एक उचित तन्त्र बनाया है और सरकार विश्व व्यापार के अनुरूप विभिन्न उपायों को बहाल करके, जिसमें बाध्य स्तरों के भीतर लागू टैरिफ का उचित अंशाकन, एन्टीडम्पिंग, काउण्टरवेलिंग शुल्क लगाना तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में रक्षात्मक उपाय करना शामिल है। अन्धाधुन्ध आयातों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी किसानों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2001-2002 के दौरान चाय, काफी, खोपरा, नारियल तथा कुछ अन्य कृषि जिंसों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन

5795. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस्वी सन् की प्रारंभिक शताब्दियों के समकक्ष संगम काल या संगम काल के बाद वाले किसी पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उत्खननों से प्रकाश में आई कलाकृतियां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के भंडार में रखी पाई गई है और उत्खनन की खोजों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) महोदय, संगम अथवा उत्तर संगम काल की ऐतिहासिकता के बारे में शैक्षिक वाद-विवाद में जाए बिना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में पूर्व ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की है जो मूलतः संगम साहित्य के क्षेत्र हैं और उन स्थलों का ब्यौरा तथा उसके साथ प्रकाशनों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जो कलाकृतियां खुदाई में मिली हैं, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सुरक्षित निगरानी में रखा गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनित संगम अवधि के स्थलों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्थल का नाम	सांस्कृतिक क्रम	प्रकाशन की स्थिति
1	2	3	4
1.	कांचीपुरम, जिला कांचीपुरम	उत्खनन से, 3000 ई.पू. से मध्यकालीन अवधि के पूर्व ऐतिहासिक समय से संबंधित चार उत्तरोत्तर संरचना अवधियों का पता लगा है। अवशेषों में खंडित गोल कुएं, महापाषाणिक काले तथा लाल पात्र, चमकदार लाल ओपदार बर्तन, बिन्दुवर्तुल भूषित, सातवाहन तांबे के सिक्के, अम्कोरा, सीलें, अस्थि वस्तुएं, तीर के शीर्ष, कांच की चूड़ियां तथा मन के आदि।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1953-54 तथा 1962-63 में वार्षिक रिपोर्टें
2.	कावेरीपट्टनम, जिला नागापट्टनम	स्थल में किए गए उत्खनन और अन्वेषण से ईंट से बना घाट, एक जलाशय तथा एक बौद्ध मठ, ईंठ की संरचना वाला निवास स्थल तथा कुछ गोल कुएं, चोल शासकों के शाही शीर्ष वाले चकोर तांबे के सिक्के, काले तथा लाल बर्तन के टुकड़े, अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों के मनके।	विस्तृत रिपोर्ट भारतीय·पुरातत्व सर्वेक्षण का इतिहास सं. 90, 1994 के रूप में प्रकाशित।
3.	अरिकामेडू, जिला पांडिचेरी	आयताकार भवन के अवशेषों सहित भारत-रोमन व्यापार केन्द्र जिनकी पहचान एकल विभाजन दीवार सहित एक मालगोदाम तथा एक साइड चेम्बर का पता चला है, दो टैंक, नाले, रास्ते, इटालियन भाग, अम्फोरा बिन्दुवर्तुल भूषित पात्र तथा स्थानीय मृद्भांड, जिनका समय प्रथम शताब्दी ई.पू. से 200 ई. है।	विस्तृत रिपोर्ट प्राचीन भारत सं. 2. 1946 में प्रकाशित
4.	मल्लापुरम, जिला कांचीपुरम	यह स्थल ऐतिहासिक अवधि से संबंधित है और उत्खनित अवशेषों में टूटे खम्भें तथा मृद्भाण्ड आदि हैं।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1990-91 में वार्षिक रिपोर्टें

1	2	3	4
5.	टी. कल्लूपट्टी, जिला मदुरई	यह स्थल मध्य पाषाणिक काल तथा नव पाषणिक अवधि से संबंधित है। उत्खनित वस्तुओं में ओपदार धूसर पात्र, काले तथा लाल पात्र, सफेद पेंट किए गए काले तथा लाल बर्तन, सफेद पेंट किए गए काले बर्तन धूसर लेपित सफेद, चित्रित मृत्यपात्र, अनगढ़ लाल बर्तन तथा लाल पर काले मृत्यपात्र।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1976-77 में वार्षिक रिपोर्ट।
6.	कम्बेरमेडु, जिला तंजावुर	यह स्थल आरंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सांस्कृतिक संग्रह में कांच के मनके एवं अर्द्ध मूल्यवान प्रस्तर, तांबे के सिक्के एवं संबद्ध मृद्भांड हैं।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1982-83 तथा 1983-84 में वार्षिक रिपोर्टें
7.	पेरूर, जिला कोयम्बटूर	आरंभिक ऐतिहासिक काल के खोजे गए पुरावशेष हैं- लौह वस्तुएं, कांच की चूड़ियां, टेराकोटा दीपक। इसके अलावा महापाषाणकालीन मृद्भांड, काले एवं लाल मृद्भांड, लाल मृद्भांड, सभी काले मृद्भांड धूसर लेपिट चित्रित मृद्भांड आदि प्राप्त हुए हैं।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1970-71 में वार्षिक रिपोर्टें
8.	ओरोविले, जिला दक्षिण अरकाट	यह महापाषाणी स्थल है, खोजे गए पुरावशेषों में लौह वस्तुएं तथा महापाषाण कालीन बर्तन हैं।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1984-85 तथा 1985-86 में वार्षिक रिपोर्टें
9.	पैयमपल्ली, जिल्ला वेल्लोर	महापाषाणकालीन हाथ के बने हुए भूरे मृद्भांड, औपदार भूरे मृद्भांड, महापाषाणी काले एवं लाल मृद्भांड, भूप्रस्तर कुल्हाड़ियां, धूसर लेपित चित्रित मृद्भांड आदि।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1964-65 तथा 1967-68 में वार्षिक रिपोर्टें
10.	सित्तनवसल, जिला पुडुकोट्टई	महापाषाणों, काले और लाल भाण्ड, काले ओपदार भाण्ड, सभी काले भाण्ड, लौह औजार इत्यादि।	भारतीय पुरातत्व एक 1975-76 में वार्षिक रिपोर्टें
11.	करईकुडु, जिला उत्तरी अरकाट	एक भारत-रोमन व्यापार स्टेशन जहां लाल स्लिप्ट भांड, काले तथा लाल भांड, रूलेटिड भांड प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण खोजों में अर्धबहुमूल्य पत्थरों के मनके, ग्लास, इत्यादि शामिल हैं।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1966-67 में वार्षिक रिपोर्टें
12.	अरितमंगलम, जिला तिरूवलूर	स्थल के हाथ से निर्मित खुरदरे तथा मोटे दफन-कलश, अण्डाकार तथा गोल आकार के काफी संख्या में मिले। कलशों में एक्सकरनेटिड खोपड़ी, पसली के टुकड़े थे।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1954-55 में वार्षिक रिपोर्टें
13.	सन्नूर, जिला कांचीपुरम	इस स्थल से तीन प्रकार की महापाषाण कालीन कब्रें मिलीं:- (1) फैर्न सर्किल टाइप, (2) डोलेमोइड सिस्ट, और (3) डोल्मेनाइड सिस्ट, फ्लश कैपस्टोन के साथ अन्य वस्तुओं में मृदभाण्ड, लौह तथा शेल से निर्मित वस्तुएं तथा ढांचा अवशेष (खोपड़ियों सहित) शामिल हैं।	प्राचीन भारत सं. 15 में प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट

1	2	3	4
14.	कुन्नत्तूर, जिला कांचीपुरम	मुख्यतः तीन प्रकार की महापाषाण-कालीन कब्रें, पूर्व ऐतिहासिक तथा उत्तर ऐतिहासिक कालों के अवशेषों के साथ मिलीं। महापाषाणकालीन प्रकार की वस्तुओं, जो मिलीं वे थीं- कैर्न वृत, स्टेट, डोल्मेनाइड सिस्ट तथा सर्कोपैगी। मृदभांडों में काले और लाल भाण्ड तथा लाल और काले भाण्ड शामिल थे।	भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा 1955-56, 1956-57 तथा 1957-58 में वार्षिक रिपोर्टें

एल.एन.जी. उपक्रम में इक्विटी

5796. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ठेके के दौरान एल.एन.जी. उपक्रम में भारतीय पोत कम्पनियों के लिए न्यूनतम 26 प्रतिशत इक्विटी खरीदना आवश्यक बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी पोत कम्पनियों और भारतीय पोत कम्पनियों के लिए क्या अन्य शर्तें रखी जा रही हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। तथापि, पेट्रोनेट एल.एन.जी. लि. (पी.एल.एल.) परियोजना के मामले में एक भारतीय नौवहन कंपनी को एल.एन.जी. नौवहन संघ में शामिल करना आवश्यक था और भारतीय नौवहन कंपनी को अकेले अथवा भारतीय वित्तीय सहभागी/सहभागियों के साथ मिलकर ठेके के दौरान संघ में कम से कम 26% इक्विटी खरीदनी चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लोगों को प्रदान किया गया रोजगार

5797. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू अथवा पूरी हो चुकी जल विद्युत परियोजनाओं में संबंधित राज्यों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में राज्यवार और परियोजनावार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ पार्वती जल विद्युत परियोजना के संबंध में अपने समझौता ज्ञापन में कर्मचारियों के वर्ग, 1, 2, 3 और 1 के पदों की भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिशतता निश्चित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में निर्धारित किये गये प्रतिशतता संबंधी मानदंडों का पालन कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ किए गए समझौते के अनुसार अपनी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है। नई परियोजनाओं में नये रोजगार के अवसर सीमित हैं क्योंकि एनएचपीसी के लिए समाप्त/निर्माणाधीन परियोजनाओं से मौजूदा अधिशेष कर्मचारियों को नई परियोजनाओं में तैनात किया जाना जरूरी है।

विभिन्न राज्य सरकारों के साथ किए गए समझौते के अनुसार एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश के चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1 में 700 व्यक्तियों को, समूह-3 एवं 4 में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-2, हिमाचल प्रदेश में 8 व्यक्तियों को, उत्तरांचल के धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना में 36 व्यक्तियों को, सिक्किम के रंगित जल विद्युत परियोजना में 12 व्यक्तियों को तथा झारखंड की कोयलकारो जल विद्युत परियोजना में 59 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया है।

(ग) से (ङ) पार्वती नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 20.11.1998 को किए गए समझौते में बताया गया है कि प्रत्येक कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के 30% स्टाफ को परियोजना के क्रियान्वयन एवं चरण-1 एवं 3 के सर्वेक्षण एवं जांच कार्य के लिए निगम को

आवश्यक कर्मचारियों को एचपीएसईबी से प्रतिनियुक्ति आधार पर उपयुक्तता के अनुसार लिया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख को निगम की अन्य परियोजनाओं से अधिशेष कार्मिकों की नियुक्ति के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अप्रशिक्षित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के सभी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों तथा अन्य निर्धारित माध्यमों के जरिए भर्ती किए जायेंगे।

चूंकि एनएचपीसी में अधिशेष कार्मिक हैं, अत: अप्रशिक्षित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों की पार्वती जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यकता की पूर्ति निगम की अन्य परियोजनाओं के अधिशेष कार्मिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार तैनाती की जा रही है।

[अनुवाद]

आई.ए.एस.आर.आई. में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

5798. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. के अधीन इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई.ए.एस.आर.आई.) ने कृषि आंकड़ों और कम्प्यूटर एप्लीकेशन में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, इनमें कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम-वार भाग लिया और इसके लिए कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ग) क्या प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन का प्रबन्ध नियमानुसार किन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ङ) क्या आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत मिली थी; और

(च) यदि हां, तो आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या:

वर्ष	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1998-99	33	577
1999-2000	44	564
2000-2001	23	277

इस तरह से आयोजित प्रशिक्षणों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) जी, हां।

(घ) कान्ट्रेक्टर - मेसर्स मेघा केटरर्स, नई दिल्ली

पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई कुल राशि:

1998-99	रु. 1,24,637/-
1999-2000	रु. 1,72,241/-
2000-2001	रु. 1,24,456/-

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

विवरण

आई.ए.एस.आर.आई. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी

1998-1999

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	धनराशि जुटाना (रु.)
1	2	3	4	5
1.	डिजाइन एंड एनालेसिस आफ फील्ड एक्सपैरीमैन्ट्स	30.3.98 से 14.4.98	19	111000
2.	इन्ट्रोडक्शन टू.एम.एस. आफिस	13.4.98 से 18.4.98	19	28500

1	2	3	4	5
3.	इन्ट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टीकल पैकेजिज	27.4.98 से 2.5.98	8	12000
4.	इन्ट्रोडक्शन टू एस पी एस एस	27.4.98 से 2.5.98	8	12000
5.	यूज आफ कम्प्यूटर्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च	11.5.98 से 23.5.98	21	63000
6.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	1.6.98 से 6.6.98	18	27000
7.	रिसैन्ट एडवांसिज इन सर्वे सैम्पलिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स	8.6.98 से 13.6.98	13	111000
8.	इन्ट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टीकल पैकेजिज	16.6.98 से 20.6.98	5	7500
9.	एडवांसिस इन स्टेटिस्टकिल डिजाइन फार एग्रीकल्चरल रिसर्च	24.6.98 से 14.7.98	25	177000
10.	यूज आफ कम्प्यूटर्स इन इनफोरमेशन प्रोसेसिंग	16.7.98 से 5.8.98	20	177000
11.	एडवांसिस इन स्टेटिस्टिकल जेनेटिक्स एंड बायो-स्टेटिस्टिक्स	31.7.98 से 14.8.98	22	111000
12.	रिसैन्ट एडवांसिज इन द एनालेसिस आफ सर्वे डाटा	24.8.98 से 29.8.98	17	83000
13.	रिसर्च मैथेडोलोजी विद स्पेशल इम्फासिस आन स्टेटिस्टिक्स	1.9.98 से 30.9.98	20	277000
14.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	14.9.98 से 26.9.98	23	34500
15.	रिसर्च मैथेडोलोजी विद स्पेशल आन स्टेटिस्टिक्स	6.10.98 से 5.11.98	20	277000
16.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस आफिस	12.10.98 से 17.10.98	11	16500
17.	इन्ट्रोडक्शन टू विन्डोज, एस एम-आफिस एंड ई-मेल	2.11.98 से 13.11.98	20	111000
18.	यूज आफ कम्पयूटर्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च	16.11.98 से 28.11.98	22	66000

1	2	3	4	5
19.	इन्ट्रोडक्शन टू विन्डोज, एस एम-आफिस एंड ई-मेल	1.12.98 से 7.12.98	21	31500
20.	एम एस-आफिश-97 (1)	7.12.98 से 12.12.98	20	50000
21.	इन्ट्रोडक्शन टू इन्टरनेट	14.12.98 से 19.12.98	22	33000
22.	रिसर्च मैथेडोलोजी विद स्पेशल इम्फासिस आन स्टेटिस्टिक्स	5.1.99 से 3.2.99	20	277000
23.	एम एस-आफिस-97 (1) एंड एसपीएसएस	11.1.99 से 16.1.99	20	50000
24.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	11.1.99 से 23.1.99	24	36000
25.	एम एस-आफिस-97 एंड एस पी एस एस	1.2.99 से 6.2.99	20	50000
26.	एम एस-आफिस-97 एंड एस पी एस एस	8.2.99 से 13.2.99	18	45000
27.	एम एस-आफिस-97 एंड एस पी एस एस	15.2.99 से 20.2.99	22	55000
28.	एफीसिएन्ट डिजाइनिंग आफ एक्सपैरीमैन्ट्स एंड एनालेसिस आफ एक्सपैरीमैन्टल डाटा	16.2.99 से 2.3.99	20	111000
29.	कम्प्यूटर एंड ग्राफिकल एस्सिटीड मल्टीवैरिएट डाटा एनालेसिस	8.3.99 से 20.3.99	21	111000
30.	मैथोडोलोजीकल एस्पैक्ट्स इन सैम्पल सर्वे	8.3.99 से 13.3.99	17	83000
31.	स्माल एरिया एस्टीमेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन	22.3.99 से 27.3.99	15	83000
32.	रिसेन्ट डेवलपमेन्ट्स इन क्रॉप फोरकॉस्टिंग एंड रिलेटिड एरियाज अंडर एफ ए ओ प्रोजेक्ट एस आर एल/91/023-मार्किट इन्टेलिजेन्स एंड फूड इनफोरमेशन सिस्टम	2.11.98 से 13.11.98	3	126459
33.	रिमोट सैन्सिंग एंड जी आई एस एप्लीकेशन्स	11.1.99 से 23.1.99	3	यूएस डालर 4050
	कुल		577	2823959

1	2	3	4	5
1999-2000				
1.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	12.4.99 से 17.4.99	3	9000
2.	यूज आफ कम्प्यूटर्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च	19.4.99 से 1.5.99	23	92000
3.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	19.4.99 से 24.4.99	2	6000
4.	इन्ट्रोडक्शन टू वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्टरनेट टैक्नोलॉजिज	10.5.99 से 22.5.99	7	42000
5.	स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग फार फॉरकास्टिंग बायोलोजिकल फेनोमेना	10.5.99 से 19.5.99	20	111000
6.	इन्ट्रोडक्शन टू विन्डोज-95 एंड एस एम-आफिस	21.5.99 से 29.5.99	20	0
7.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	31.5.99 से 5.6.99	8	24000
8.	इन्ट्रोडक्शन टू एस पी ए आर-1	4.6.99 से 5.6.99	7	0
9.	इन्ट्रोडक्शन् टू एम एस ऑफिस	14.6.99 से 19.6.99	7	21000
10.	रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम एंड एक्सैस-97	28.6.99 से 3.7.99	3	9000
11.	रिसर्च मैथेडोलोजी विद स्पेशल इम्फासिस आन स्टटिस्टिक्स	5.7.99 से 30.7.99	25	277000
12.	ओबजैक्ट ओरिएन्टिड प्रोग्रामिन्ग यूजिन्ग सी++	12.7.99 से 24.7.99	2	12000
13.	यूज आफ विन्डोज-95 एंड एम एस आफिस	14.7.99 से 30.7.99	17	0
14.	वर्कशाप आन एन आई एस ए जी ई	19.7.99	20	40000
15.	इन्ट्रोडक्शन टू विन्डोज एंड एम एस ऑफिस	22.7.99 से 30.7.99	20	0
16.	रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम एंड एक्सैस-97	2.8.99 से 7.8.99	6	18000

1	2	3	4	5
17.	रिसर्च मैथेडोलोजी विद स्पेशल इम्फासिस आन स्टेटिस्टिक्स	9.8.99 से 19.8.99	20	136000
18.	क्वालिटेटिव एसपैक्ट्स इन कलैक्शन एंड एनालेसिस आफ सर्वे डाटा	9.8.99 से 14.8.99	20	83000
19.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस आफिस	16.8.99 से 21.8.99	18	54000
20.	इक्नोमिक थ्योरी एंड इक्नोमैट्रिक्स	23.8.99 से 10.9.99	11	177000
21.	क्वान्टेटिव मैथड्स इन एग्रीकल्चरल इक्नोमिक्स	24.8.99 से 2.9.99	25	70000
22.	रिसर्च मैथेडोलजी विद स्पेशल इम्फासिस आन स्टेटिस्टिक्स	6.9.99 से 17.9.99	24	136000
23.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	13.9.99 से 18.9.99	3	9000
24.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	20.9.99 से 25.9.99	13	39000
25.	रिसैन्ट डेवलपमैन्ट इन सर्वे सैम्पलिंग इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल रिसर्च	14.9.99 से 4.10.99	19	131000
26.	प्रोजेक्ट मोनीटरिंग एंड मैनेजमैन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम	27.9.99 से 29.9.99	10	0
27.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	4.10.99 से 9.10.99	5	15000
28.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	11.10.99 से 16.10.99	18	54000
29.	वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्टरनेट टैक्नोलॉजिज	25.10.99 से 6.11.99	17	102000
30.	रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम एंड एक्सैस-97	15.11.99 से 20.11.99	2	6000
31.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	29.11.99 से 10.12.99	17	102000
32.	ओबजैक्ट ओरिएन्टिड प्रोग्रामिन्ग यूजिन्ग सी++	13.12.99 से 24.12.99	4	24000

1	2	3	4	5
33.	यूज आफ कम्प्यूटर्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च	13.12.99 से 28.12.99	9	36000
34.	एडवांस्ड स्टेटिस्टिकल टैक्नीक्स फार रिसर्च इन क्रॉप एंड एनीमल इम्प्रूवमेन्ट	3.1.2000 से 17.1.2000	19	111000
35.	वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्टरनेट टैक्नोलॉजिज	10.1.2000 से 22.1.2000	8	48000
36.	कम्प्यूटर इन्टैन्सिव टैक्नीक्स इन एग्रीकल्चरल सर्वे	20.1.2000 से 4.2.2000	18	111000
37.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	31.1.2000 से 5.2.2000	6	18000
38.	वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्फोरमेशन सिस्टम ऑन इन्टरनेट	7.2.2000 से 26.2.2000	19	177000
39.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	14.2.2000 से 19.2.2000	9	27000
40.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	21.2.2000 से 4.3.2000	6	36000
41.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	6.3.2000 से 11.3.2000	20	60000
42.	इन्ट्रोडक्शन टू एम एस ऑफिस	13.3.2000 से 18.3.2000	4	12000
43.	डिजाइन फार जनरेशन आफ एग्रीकल्चरल टैक्नोलोजिज	16.3.2000 से 30.3.2000	19	111000
44.	एनर्जी रिक्वारमेन्ट इन एग्रीकल्चरल सैक्टर-एनालेटिकल टैक्नीक्स एंड स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज	27.3.2000 से 5.4.2000	11	79400
	कुल		564	2625400
2000-2001				
1.	एम एस आफिस-2000 (1)	3.4.00 से 8.4.00	7	21000
2.	एम एस आफिस-2000 (2)	10.4.00 से 15.4.00	5	15000
3.	बेसिक कम्प्यूटर कोन्सेप्ट्स एंड ओपरेटिंग सिस्टम	8.5.00 से 13.5.00	7	21000

1	2	3	4	5
4.	ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन विजुअल बेसिक	22.5.00 से 3.6.00	8	48000
5.	वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्टरनेट टैक्नोलॉजिज	19.6.00 से 1.7.00	19	114000
6.	बिल्डिंग एम आई एस यूजिंग विजुअल बेसिक एंड एक्सेस	10.7.00 से 22.7.00	3	18000
7.	एम एस आफिस-2000 (1)	31.7.00 से 5.8.00	25	75000
8.	एम एस आफिस-2000 (2)	7.8.00 से 12.8.00	5	15000
9.	एस पी एस एस	21.8.00 से 26.8.00	6	18000
10.	वैब प्रोग्रामिंग एंड इन्टरनेट टैक्नोलाजिज	9.10.00 से 21.10.00	6	36000
11.	आर डी बी एम एस एंड एम एस एक्सेस	30.10.00 से 4.11.00	3	9000
12.	एम एस आफिस-2000 (1)	13.11.00 से 18.11.00	25	75000
13.	एम एस आफिस-2000 (2)	20.11.00 से 25.11.00	20	60000
14.	जावा प्रोग्रामिंग	4.12.00 से 16.12.00	8	48000
15.	एम एस आफिस-2000 (1)	18.12.00 से 23.12.00	20	60000
16.	वैब डिजाइनिंग (एच टी एम एल फ्रन्ट पेज, ड्रीमविवर)	26.2.01 से 3.3.01	4	12000
17.	विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग	12.3.01 से 24.3.01	3	18000
18.	एम एस आफिस-2000 (1)	26.3.01 से 31.3.00	7	21000
19.	डिजाइन एंड एनालेसिस आफ एग्रीकल्चरल एक्सपैरीमैन्ट्स	15.9.00 से 5.10.00	14	177000

1	2	3	4	5
20.	डेवलपमेन्ट आप डाटाबेस एंड इन्फोरमेशन सिस्टम	10.1.01 से 31.1.01	20	177000
21.	रिसैन्ट एडवांसिस इन द एनालेसिस आफ सर्वे डाटा	6.2.01 से 26.2.01	17	177000
22.	प्रोजेक्ट डाटा इन्ट्री आन कम्प्यूटर सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट	7.6.00 से 8.6.00	20	0
23.	इक्नोमिक इवालूएशन आफ प्रोडक्टीविटी इम्प्रूवमेन्ट एंड टैक्नीकल चेंज इन एग्रीकल्चरल सैक्टर	24.8.00 से 29.00	25	70000
	कुल		277	1285000

कुल योग: प्रशिक्षण की संख्या : 100 (33+44+23)
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : ,418 (577+564+277)
जुटाई गई धनराशि : 67,54,359 (28,43,959+26,25,400+12,85,000)
+ US $ 4,050

गायब कम्पनियां

5799. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री अनन्त नायक:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सेबी के अंतर्गत पंजीकृत कुछ कंपनियों ने 1994 से छोटे निवेशकों से शेयरों, जमा राशियों या म्युचुअल फंडों के रूप में धनराशि एकत्रित की, अपना व्यवसाय समेटा और गायब हो गई;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने कुल कितनी धनराशि एकत्र की थी; और

(ग) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) 229 कम्पनियों (सेबी द्वारा मानी गई) में से केवल 21 कम्पनियां ऐसी थी जिनका कम्पनी कार्य विभाग द्वारा की गई पूछताछ के बाद भी पता नहीं लग पाया था। इन कम्पनियों के नाम तथा उनके द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से एकत्र की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956, के उपबंधों के अंतर्गत इन कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों तथा इनके निदेशकों को ढूंढने के लिए पुलिस शिकायतें दायर की गई थीं। मामले को संबंधित/कम्पनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है।

विवरण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	एकत्र की गई राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	शक्ति साई फ्लावर एंड टिशु लि.	3.3
2.	किलसन फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट लि.	2.51
3.	स्टार इलैक्ट्रानिक्स लि.	2.47
4.	स्टार एक्जिम लि.	2.76
5.	कल्याणी फाइनेंस लि.	3.21
6.	हैटरॉन नेटवर्क्स लि.	3.40
7.	भावना स्टील कास्ट लि.	1.80

1	2	3
8.	टॉपलाइन शूज लि.	4.65
9.	गुजरात बोनान्जा आटो लि.	5.40
10.	जनक इंटरमीडियरीज लि.	2.80
11.	राजधीरज इंडस्ट्रीज लि.	2.50
12.	हाई टैक ड्रग्स लि.	3.24
13.	मध्यवर्ती इक्सऑयल लि.	2.30
14.	स्टर्लिंग काक्स एंड ब्रिक्स लि.	4.44
15.	यूनिवर्सल वीटा एलीमेन्टेयर लि.	1.80
16.	मा कैपिटल मार्किट सर्विस लि.	1.44
17.	नागार्जुन जियो इंडस्ट्रीज लि.	2.70
18.	बाफना स्पिनिंग मिल्स एंड एक्सपोर्ट लि.	9.18
19.	रिजवी एक्सपोर्ट लि.	2.75
20.	साकेत एक्सट्रशन लि.	2.98
21.	ग्लोबल फाइनेंस कारपोरेशन लि.	उपलब्ध नहीं
	कुल	65.63

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति

5800. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईराक द्वारा तेल की बिक्री रोकने के निर्णय के फलस्वरूप कच्चे तेल के मूल्यों में विश्व स्तर पर हुई वृद्धि के मद्देनजर एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो नई ऊर्जा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या देश में गैस और तेल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तेल और गैस के उपभोग में कमी लाने हेतु अपनाए गए अन्य वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विकसित देशों की मदद लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) देश के लिए ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग में एक ऊर्जा नीति समिति गठित की गई है। देश में तेल एवं गैस की समग्र मांग में लगातार वृद्धि होती रही है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत गठित पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी सी आर ए) ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरंभ करता है जो व्यर्थ खपत से बचने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के संवर्धन हेतु सहायता करते हैं। इनमें परिवहन क्षेत्र में जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुशल बायलरों, भट्ठियों एवं अन्य तेल प्रचालित उपस्करों की शुरूआत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान पंपों को और अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उनका सुधार, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी स्टोव जैसे उपकरणों का विकास एवं संवर्धन इत्यादि शामिल हैं।

(घ) सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कान्हिा में सुपर ताप विद्युत संयंत्र

5801. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कान्हिा, उड़ीसा में सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के कारण कितने व्यक्तियों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उस परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का है जिसकी भूमि विद्युत संयंत्र के लिए अधिगृहीत की गयी है;

(ग) क्या विस्थापित लोगों को देय मुआवजा प्रदान करने का भी प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की तलचेर

(कान्हिा) सुपर ताप विद्युत परियोजना में, 1615 व्यक्तियों ने अपनी एक-तिहाई (1/3) से अधिक की कृषि भूमि खोई है तथा उन्हें अत्यधिक प्रभावित व्यक्ति (एसएपी) कहा गया है जो पुनर्वास लाभों के हकदार हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि मुआवजे की राशि एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकार के पास जमा कर दी गई थी। सभी भू-विस्थापितों को मुआवजा मिल चुका है।

एनटीपीसी की परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अतः एनटीपीसी में प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना काफी कम तकनीकी रूप से योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों तक सीमित है।

तलचेर एसटीपीपी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना (आर एंड आर) के अनुसार प्रत्येक एसएपी को एक पुनर्वास विकल्प लेना होगा जिसमें एनटीपीसी में रोजगार भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। पहले से ही प्रदान की गई पुनर्वास सहायता को भी तालिका में दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	विकल्प	अत्यधिक प्रभावित व्यक्ति	प्रदान की गई पुनर्वास सहायता	शेष
1.	भूमि की खरीद	850	850	शून्य
2.	दुकानों का आबंटन	21	21	शून्य
3.	नकदी जमा	38	38	शून्य
4.	स्व-रोजगार	42	42	शून्य
5.	एनटीपीसी तलचेर एसटीपीपी में रोजगार	664	250	414*
		1615	1201	414

(*1) शेष एसएपी पर रोजगार हेतु एनटीपीसी की नीति के अनुसार उनकी उपयुक्तता तथा अपेक्षित योग्यता की पूर्ति करने, आयु तथा स्वास्थ्य एवं अन्य पद विशिष्टताएं जैसे अनुभव, परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के तहत विचार किया जाएगा।

(2) उपरोक्त (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करने वाले एसएपी को रोजगार विकल्पों के अलावा अन्य विकल्पों को लेने की अनुमति दी जाएगी।

इंजेक्शन लगाकर पशुओं से प्राप्त किए गए दूध की आपूर्ति

5802. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अधिकांशतः जिस दूध की आपूर्ति की जा रही है वह गाय या भैंसों को दूध की मात्रा बढ़ाने वाले इंजेक्शनों को लगाने के बाद प्राप्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो औषध और आक्सीटासिन के उपयोग को प्रतिबंधित करने और देश भर में इसकी बिक्री पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों ने भी हार्मोन संबंधी औषधि के व्यापक उपयोग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) दिल्ली में इंजैक्शन लगाए गोपशुओं के जरिए प्राप्त दूध की आपूर्ति के संबंध में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। आक्सीटोसिन एक पेपटाइड हारमोन है जो ब्रेन के हाइपोथेलेमस में स्वाभावित रूप से होता है जो दूध की सामान्य डिलीवरी करता है और उसे बाहर निकालता है। तथापि, सिंथैटिक आक्सीटोसिन का पार्टयूरिशन के बाद दूध को निकालने से संबंधित जटिलताओं सहित अनेकों बीमारियों में मानव और पशुचिकित्सा औषधि दोनों में प्रयोग किया जाता है। आक्सीटोसिन एक सूचीबद्ध एच औषधि है जिसे औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के तहत विनियमित किया जाता है। चूंकि यह बहुत शक्तिशाली, मूल्यवान, अनिवार्य जीवन रक्षक औषधि है जिसका मानव और पशुचिकित्सा पद्धति दोनों में लाभकारी रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः देश

में आक्सीटोसिन इंजैक्शन पर प्रतिबंध नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे नुस्खा लिखी दवा बनाकर इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है और इसके दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए आक्सीटोसिन इंजैक्शन को केवल सिंगल यूनिट विलिस्टर पैक में तैयार करने के लिए औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 में संशोधन किया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अनुसार आक्सीटोसिन की अधिक मात्रा वाले दूध के दुष्प्रभाव संबंधी कोई रिपोर्ट (वैज्ञानिक) प्रकाशित नहीं हुई है क्योंकि हारमोन्स पशुओं के लीवर और किडनी में पता न लगने वाले स्थानों पर तेजी से परिवर्तित होते हैं। चूंकि आक्सीटोसिन का आधा जीवन 3 से 12 मिनट तक है इसलिए दूध में इसके लगातार पाए जाने की संभावना नहीं है। तथापि, पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्य पशुपालन विभागों को सलाह दी है कि वे किसानों को इस बात के लिए शिक्षित करें कि आक्सीटोन का उचित प्रयोग किया जाए तथा पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टीशनर के नुस्खे के बिना इस उत्पाद का उपयोग न किया जाए।

पंजाब स्थित जल विद्युत स्टेशनों में राजस्थान का हिस्सा

5803. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से थोन बांध, आनन्दपुर साहिब बांध, मुकेरियां, यूबीडीसी चरण 2 और शाहपुर कंडी स्थित जल विद्युत परियोजनाओं/स्टेशनों से उत्पादित विद्युत को केन्द्रीय विद्युत मंत्री, पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति से 10 मई, 1984 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार बांटने के मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के एकाधिक अभ्यावेदन मिले है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने हेतु इसे उच्चतम न्यायालय को अग्रेषित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले को कब तक उच्चतम न्यायालय को अग्रेषित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार राजनैतिक बाध्यताओं के चलते इस मामले को उच्चतम न्यायालय को अग्रेषित करने की अनिच्छुक है या वह संबंधित राज्यों के बीच इसका कोई सद्भावनापूर्ण निपटारा करने का कोई रास्ता तलाश रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (च) राजस्थान एवं हरियाणा राज्य सरकार पंजाब की निम्नलिखित जल-विद्युत परियोजनाओं में विद्युत का हिस्सा प्राप्त करने के लिए मामला उठा रहे हैं;

(1) आनंदपुर साहिब एचईपी (134 मे.वा.)

(2) मुकेरियां एचइपी (207 मे.वा.)

(3) थीन डेम (रंजीत सागर एचईपी) (600 मे.वा.)

(4) अपर बारी दोआब केनाल स्टेज-2 (45 मे.वा.)

(5) शाहपुरकंडी एचइपी (168 मे.वा.)

पंजाब में उक्त परियोजनाओं द्वारा पैदा की गई बिजली की हिस्सेदारी के संबंध में हरियाणा एवं राजस्थान के दावों से संबंधित मामले को निपटाने के लिए 10.5.1984 को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं केन्द्र सरकार के मध्य सर्वोच्च अदालत में इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में हरियाणा एवं राजस्थान के शेयर का मामला रखने के लिए एक समझौता किया गया ताकि इनमें से प्रत्येक राज्य के लिए शेयर निर्धारित किया जा सके। उक्त समस्या के सहज समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने संबंधित राज्यों के साथ अनेक बैठक आयोजित की। पर इस पर कोई आम सहमति नहीं बनाई जा सकी।

बाद में इस विषय पर उत्तरी क्षेत्र परिषद् की अक्टूबर, 1997 एवं फरवरी, 1999 में हुए बैठक में भी बहस किया गया। 28.2.1999 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तरी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों एवं संबंधित राज्य मंत्रियों का अलग से सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसमें जल एवं विद्युत के शेयरिंग से संबंधित सभी उपादेय मामलों पर गहन चर्चा की जायेगी और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य मानदंडों पर आम सहमति बनाई जायेगी।

उत्तरी क्षेत्र में मुख्यमंत्रियों/राज्य मंत्रियों की एक बैठक अप्रैल, 1997 में बुलाई जानी थी। हालांकि पंजाब में त्रिशताब्दी के आयोजन एवं बाद में आम चुनाव की घोषणा के कारण बैठक का आयोजन नहीं हो सका। इस दिशा में अगले कदम बैठक में लिए गये निर्णय के अनसार उठाये जायेंगे। बाद में यह बैठक 29.7.2000 को होनी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों के कारण रद्द कर दी गई। बहरहाल सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 29.7.2000 को बैठक आयोजित की गई जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में भी कोई आम सहमति नहीं हो सकी।

केन्द्र सरकार राज्यों के बीच सही समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। फरवरी, 2001 में विद्युत मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क किया ताकि नादर्न जेनरल काउंसिल के समाधान के संदर्भ में उनकी सुविधानुसार मुख्यमंत्री सम्मेलन बुलाया जा सके। बहरहाल संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति के अभाव में बैठक बुलाना संभव नहीं हो सका।

''ओपेक'' द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि

5804. **श्रीमती श्यामा सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में ''ओपेक'' से तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की ऐसी मांगों पर ''ओपेक'' की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ''ओपेक'' ने कितनी बार कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की;

(घ) क्या ''ओपेक'' ने तेल की कीमतों में वृद्धि विकसित देशों के कुछ दबावों में आकर की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने अधिक तेल मूल्यों की स्थिति में विकासशील तेल आयातकर्त्ता देशों के लिए तेल निर्यातकर्त्ता देशों द्वारा विस्तारित उधारी अवधियों, सरल ऋणों तथा छूटों के रूप में रियायतों के लिए ओ पी ई सी सदस्य देशों से अनुरोध किया है।

(ख) ओ पी ई सी सदस्य देशों में से तीन देशों ने अब तक यह बताते हुए उत्तर दिया है कि यह मुद्दा ओ पी ई सी की कार्यप्रणाली के क्षेत्र के परे है तथा इस मामले को तेल निर्यातकर्त्ता देशों के साथ द्विपक्षी रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बाजार प्रवृत्त हैं तथा ये ओ पी ई सी द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। वर्ष 1994 से दुबई तथा ब्रेन्ट (डेटिड) कच्चे तेलों के मूल्य रूझान क्रमशः विवरण-I और II में दिए गये हैं।

विवरण-I

मूल्य रूझान-कच्चा तेल

माह	दुबई कच्चा तेल (डालर प्रति बीबीएल)
1	2
1994	14.75
1995	16.10
1996	18.54
1997	18.14
1998	12.16
1999	17.21
जनवरी-मार्च 2000	24.41
अप्रैल-जून 2000	25.17
जुलाई-सितंबर 2000	27.68
अक्तूबर-दिसंबर 2000	27.49
जनवरी 2001	22.85
फरवरी 2001	24.80
मार्च 2001	23.45
अप्रैल 2001	24.18
मई 2001	25.60
जून 2001	25.65
जुलाई 2001	24.58
1 अगस्त 2001	23.76
2 अगस्त 2001	24.54
3 अगस्त 2001	24.02
6 अगस्त 2001	24.21
7 अगस्त 2001	24.60
8 अगस्त 2001	24.34
9 अगस्त 2001	24.66

1	2
10 अगस्त 2001	25.35
13 अगस्त 2001	25.66
14 अगस्त 2001	25.87
15 अगस्त 2001	25.38
16 अगस्त 2001	24.25
17 अगस्त 2001	23.57
20 अगस्त 2001	24.07

स्रोत : प्लाट्स

विवरण-II

मूल्य रूझान-कच्चा तेल

माह	ब्रेन्ट (डेटिड) कच्चा तेल (डालर प्रति बीबीएल)
1	2
1994	15.82
1995	17.02
1996	20.67
1997	19.09
1998	12.72
1999	18.15
जनवरी-मार्च 2000	26.93
अप्रैल-जून 2000	26.89
जुलाई-सितंबर 2000	30.44
अक्तूबर-दिसंबर 2000	29.54
जनवरी 2001	25.66
फरवरी 2001	27.45
मार्च 2001	24.42
अप्रैल 2001	25.66
मई 2001	28.59
जून 2001	27.83
जुलाई 2001	24.58
1 अगस्त 2001	24.91
2 अगस्त 2001	25.80
3 अगस्त 2001	25.27
6 अगस्त 2001	25.42
7 अगस्त 2001	25.65
8 अगस्त 2001	25.15
9 अगस्त 2001	25.38
10 अगस्त 2001	25.84
13 अगस्त 2001	25.71
14 अगस्त 2001	25.92
15 अगस्त 2001	25.35
16 अगस्त 2001	25.15
17 अगस्त 2001	24.33
20 अगस्त 2001	25.13

स्रोत : प्लाट्स

आम्र अनुसंधान संस्थान

5805. श्री मंजय लाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बिहार के समस्तीपुर जिले में आम्र अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

एम.आर.टी.पी. आयोग

5806. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के क्या कार्य हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) आयोग 1.6.1970 को एम आर टी पी अधिनियम, 1969 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है।

(1) आम नुकसान वाली आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से रोकथाम।

(2) एकाधिकार का नियंत्रण; और

(3) अवरोधक, एकाधिकारिक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध।

आयोग किसी भी अवरोधक, एकाधिकारिक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच कर सकता है। आयोग को अनुचित/अवरोधक व्यापार प्रथाओं को अपनाने के आरोप के बारे में फाइल की गई शिकायतों के परिणामस्वरूप मुआवजा देने की शक्ति प्राप्त है। आयोग को अनुचित, अवरोधक तथा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं की नियमित जांच जो अन्तिम रूप दिये जाने हेतु लम्बित है को अस्थायी व्यादेश देने की भी शक्ति प्राप्त है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

1.1.1998 से 31.12.1998	1.1.1999 से 31.12.1999	1.1.2000 से 31.12.2000
1067	901	847

आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मामलों का निपटान किया:

1.1.1998 से 31.12.1998	1.1.1999 से 31.12.1999	1.1.2000 से 31.12.2000
488	696	501

अधिकारियों का स्थानांतरण

5807. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बोर्ड में अधिकारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारियों को जोनल मुख्यालयों और सर्कलों में स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्थानांतरण पहले ही किये जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अतिरिक्त अधिकारियों की बड़ी संख्या के परिणामस्वरूप कितना धन व्यय किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेल मंत्रालय में पदों को अंशतः रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा से संबद्ध अधिकारियों द्वारा तथा अंशतः क्षेत्रीय रेलों से अधिकारी बुलाकर भरा जा रहा है। वे अधिकारी जो क्षेत्रीय रेलों से आते हैं, बोर्ड कार्यालय में उनकी तैनाती एक निर्धारित कार्यकाल के लिए होती है जिसके बाद वे क्षेत्रीय रेलों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यद्यपि बोर्ड में रूकने की उनके कार्यकाल की सीमा होती है तथापि कभी-कभी अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

विगत समय में रेल मंत्रालय में कार्यभार में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय रेलों के पदों के कुछेक पद/घटक, जहां कार्यभार तुलनात्मक दृष्टि से इतना अधिक नहीं था, कार्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रालय में आपरेट करने हेतु स्थानांतरित किए गए थे। बहरहाल, हाल ही में कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा खर्च में किफायत बरतने के उपाय के रूप में इन पदों/घटकों को अभ्यर्पित/वापस अथवा आस्थगित रखने के लिए एक कवायद शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं अधिकारियों को रेलों पर वापस भेजा गया है जिन्होंने बोर्ड कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था।

पदों/घटकों और अधिकारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक हित और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के दौरान जुलाई, 2001 तक रेलवे बोर्ड से क्षेत्रीय रेलों को विभिन्न ग्रेड के 27 अधिकारी स्थानांतरित किए गए हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में कोयला-संस्तर मीथेन

5808. श्री सुनील खां: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला आधारित क्षेत्र में कोयला संस्तर मीथेन (सीएच 4) गैस उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रयोगों हेतु सी आई एल और ओ एन जी सी द्वारा, पृथक-पृथक, यू एन डी पी तथा जी इ एफ (ग्लोबल इनवायरमेंट फैसिलिटी) के सहयोग से खोज कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य को स्वयं न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल में उर्वरक इकाइयों को कोयला संस्तर मीथेन गैस की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) प्रारंभिक अध्ययनों और अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) क्रियाकलापों से पश्चिम बंगाल में रानीगंज में कोल बेड मीथेन (सी बी एम) के विद्यमान होने का पता चला है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी)/वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) के साथ संयुक्त रूप से कोयले की सुरक्षापूर्वक निकासी के लिए और भारत में सी बी एम के दोहन की आर्थिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए एक सी बी एम निकासी और वाणिज्यिक उपयोगिता परियोजना आरंभ की है। यह परियोजना कोल इंडिया लिय (सी आई एल) की एक सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लि. (बी सी सी एल) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह कंपनी कोयला मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने ऐसी कोई परियोजना नहीं चलाई है।

(घ) उर्वरक इकाइयों सहित किसी भी उपभोक्ता को सी बी एम की आपूर्ति प्रौद्योगिकीय -आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

समूह 'ख' के लेखा अधिकारियों का वेतनमान

5809. श्री अरूण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूह 'ख' के लेखा अधिकारियों, सहायक कार्मिक अधिकारियों, निजी सचिवों, उप-प्रधानाचार्यों, सहायक हिन्दी अधिकारियों के वेतनमान 1993 से 2000-3500 से 2375-3750 हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन समूहों में कुछ के वेतनमान अन्य मंत्रालयों के पदों के अनुसार दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य मंत्रालयों ने 1993 में इन समूहों के वेतनमानों में संशोधन किया था;

(ङ) क्या रेलवे के समूह 'ख' को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे सभी पदों का ब्यौरा क्या है और उन्हें 1993 से संशोधित वेतन न देने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों पर समूह 'ख' पदों के लिए वेतनमान 30.7.1993 को 2000-3500 रुपये (सभी विभागों)/2375-3500 रुपये (लेखा विभाग) से संशोधित करके 2375-3750 रुपये कर दिये गये थे। उपरोक्त संशोधन माननीय कैट/नई दिल्ली के दिनांक 30.7.93 के आदेश ओ.ए. सं. 731/87 (उत्तर रेलवे द्वितीय श्रेणी एसोसिएशन बनाम यू ओ आई) में अंतर्विष्ट दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया गया था जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान

लिया था। रेलवे स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के समूह "ख" का कोई पद नहीं है।

(ग) जी, हां। 1993 में संशोधन से पूर्व लेखाधिकारियों का वेतनमान भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों के लिए अपनाए गए वेतनमानों के अनुसार था।

(घ) 1993 से 1996 के वर्षों के बीच अन्य मंत्रालयों में ऐसी कोटियों के वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया था। बहरहाल, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1.1.96 से इसी तरह के कतिपय पदों के वेतनमान संशोधित किये गये थे।

(ङ) 'और (च) रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय में अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (अ.अ.मा.स.), लखनऊ में समूह "ख" (राजपत्रित) पदों को 1993 से प्रभावी 2375-3750 रुपये के संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया क्योंकि वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के थे/हैं। बहरहाल, अ.अ.मा.स. के मामले में न्यायालय के निर्णय से संशोधित वेतनमान अनंतिम रूप से दिए गए हैं। इस समय संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/दिल्ली में दो अदालती मामले लंबित हैं। अतः मामला न्यायाधीन है।

तेल क्षेत्र द्वारा बचत

5810. श्री रामजी मांझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल क्षेत्र द्वारा क्षेत्र-वार कितनी बचत की गई;

(ख) क्या उत्पादन कारोबार/बिक्री आदि की मात्रा की तुलना में बचत संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का भविष्य में गैर सरकारी क्षेत्र की ओर से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करने हेतु तेल क्षेत्र में बचत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लागत में कमी/कौशल सुधार उपायों के परिणामस्वरूप तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्राप्त बचतें निम्नानुसार थी:-

वर्ष	बचत (करोड़ रुपये)
1998-99	378.11
1999-2000	(-)75.23
2000-2001	470.00

वर्ष 1999-2000 के दौरान बचतों में वेतन संशोधन आदि के प्रभाव के कारण कमी आई थी।

(ख) और (ग) कच्चे माल की लागत (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मूल्य) और शुल्क एवं कर, घिसाई, वित्तपोषण लागत आदि जैसे घटक जिनपर तेल क्षेत्र के सा.क्षे. उपक्रमों का कोई नियंत्रण नहीं है, उनकी सकल लागत का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है। अतः नियंत्रण योग्य लागत सामान्यतः कुल लागत का केवल लगभग 4 से 5 प्रतिशत हिस्सा होती है।

(घ) इन उद्यमों में बचतों में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ विभिन्न लागत न्यूनीकरण उपाय, ऋणों की लागत में कमी लाना, अद्यतन विधियों को अपनाना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए मानवशक्ति का पुनर्नियोजन आदि शामिल हैं।

बीज अधिनियम

5811. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अलग बीज अधिनियम के अधिनियमन के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के दिनांक 16 जून, 2000 के पत्र के संदर्भ में राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगें हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने सरकार को 12 मार्च, 2001 को उक्त स्पष्टीकरण भेज दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी हा। अपने राज्य में अलग से एक बीज अधिनियम बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने संघ सरकार से मंजूरी मांगी है। इस प्रस्ताव की जांच की गई, परन्तु भारत सरकार

ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय मरकार द्वारा केन्द्रीय बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार का दिनांक 12 मार्च, 2001 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रस्तावित केन्द्रीय बीज अधिनियम में शामिल करने के लिए विभिन्न सुझावों का उल्लेख है। प्रस्तावित केन्द्रीय बीज अधिनियम के प्रारूपण के समय सुझावों का ध्यान रखा गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अद्वितीय विधान

5812. श्री महबूब जहेदी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पादप विविधताओं का एक "अद्वितीय विधान" के माध्यम से संरक्षण करने का आश्वासन देती है; और

(ख) जन स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक जैव संवर्धित बीजों या टर्मिनेटर और ट्रेटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से किसानों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) "विशिष्ट पद्धति" पर आधारित "पौध प्रजातियों की सुरक्षा तथा किसानों के अधिकार विधेयक 2001" लोक सभा द्वारा दिनांक 9.8.2001 को पारित कर दिया गया है।

(ख) इस विधेयक में प्रावधान है कि मानव जीवन, पशु एवं पौधों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उन किस्मों का पंजीकरण नहीं होगा, जिसमें टरमिनेटर तकनीकी सहित किसी तकनीकी तथा आनुवंशिक उपयोग प्रतिबंध तकनीकी का उपयोग हो।

[हिन्दी]

जल विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

5813. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजी लाल सुमन:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विद्युत क्षेत्र में कोई नई परियोजना शुरू की गई है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इन परियोजनाओं में कितना विदेशी पूंजी निवेश किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 1991 में भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के प्रारंभ से ही निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की 4 स्कीमों को, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल था, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इनका ब्यौरा निम्नवत् है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक/राज्य	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित सम्पूर्ण लागत
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी, मै. जयप्रकाश पावर वेंचर लि., उत्तर प्रदेश	400	107.35 मिलियन अमरीकी डॉलर+1233.57 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर-35.50 रुपये)
2.	श्रीनगर एचईपी मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि. उत्तर प्रदेश	330	95.04 मिलियन अमरीकी डालर +1299.89 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर-42 रुपये)
3.	महेश्वर एचईपी, मै. श्री महेश्वर पावर कं. मध्य प्रदेश	400	213.29 मिलियन अमरीकी डॉलर+812.09 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर-35.50 रुपये)
4.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी, मै. धामवाड़ी पावर कंपनी हिमाचल प्रदेश	70	10.91 मिलियन अमरीकी डॉलर+393.04 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर-43 रुपये)

उपरोक्त परियोजनाओं में शामिल विदेशी निवेश की वास्तविक राशि उनका वित्तीय समापन होने तथा निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् ही ज्ञात होगी।

[अनुवाद]

बिजली की यूनिटों के लिए अदा की गई राशि

5814. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को प्रतिवर्ष कितने यूनिट बिजली प्राप्त हुई और इसके लिए विभिन्न एजेंसियों को कितनी राशि अदा की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई और इसके लिए कितनी राशि का बिल दिया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न एजेंसियों से खरीदी गई कुल विद्युत यूनिट की मात्रा एवं इसके लिए किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	खरीदी गई कुल यूनिट (मि.यू.)	विभिन्न एजेंसियों को किया गया भुगतान (रु. लाख में)						
		एनएचपीसी	एनटीपीसी	पीजीसी	एनएपीपी	बीबीएमपी	आरएपीपी	अन्य
1998-99	917.14	2528	3030	353	648	9253	-	88
1999-2000	926.97	2520	3892	397	563	8521	-	-
2000-2001	951.46	2494	4560	503	666	7772	215	-

1998-2001 के दौरान किए गए भुगतान के अलावा बजटीय समस्याओं के कारण लगभग 2400 लाख रु. की देयता लंबित है।

(ख) 1998-2001 के दौरान उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत यूनिटापें की कुल मात्रा तथा इस अवधि में इनके लिए निर्धारित की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	विभिन्न उपभोक्ताओं को बेची गई कुल यूनिट (मि.यू.)	प्राप्त/निर्धारित किया गया कुल राजस्व (रु. लाख में)
1998-99	715.02	15553
1999-2000	722.62	17597
2000-2001	721.00	18656

गुजरात भूकम्प राहत के दौरान जातिगत भेदभाव

5815. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद के एक गैर-सरकारी संगठन बिहेवियरल साइंस केन्द्र द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात भूकम्प राहत के दौरान जातिगत आधार पर भेदभाव के आरोपों की पुष्टि होती है; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारत सरकार के पास कृषि एवं सहकारिता विभाग में ऐसे किसी संयुक्त अध्ययन के बारे में कोई सूचना नहीं है।

केरल में अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन का विकास

5816. श्री के. मुरलीधरन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली और पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली और पर्यटन के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावों के ब्यौरे देने वाले विवरण संलग्न हैं।

विवरण-I

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम-स्वीकृत स्कीम

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य	स्कीम का नाम	स्वीकृत लागत	केन्द्र का हिस्सा	मार्च, 2001 तक जारी कुल राशि	स्थिति (राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन रिपोर्ट के अनुसार)
1.	केरल	फेरी सेवाओं के लिए 55 जेट्टियों का आधुनिकीकरण	136.38	68.19	53.45	कार्य पूरा हो गया
2.	केरल	379 जेट्टियों का आधुनिकीकरण समेकित परियोजना प्रस्ताव	6714.57	307.29	199.00	315 जेट्टियों का कार्य पूरा हो गया है।
3.	केरल	कोट्टी से कोटापुरम तक के जलमार्ग का आधुनिकीकरण और सुधार	321.21	160.61	15.00	कार्य प्रगति पर है।

विवरण-II

प्रस्तावित केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य	स्कीम की नाम	अनुमानित लागत	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	केरल	बाडागारा महे कनाल की खुदाई	1962	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की दृष्टि से जांच की गई थी और राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए

1	2	3	4	5
				तैयार किए गए नए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। राज्य सरकार से नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	केरल	कोवलम से कोल्लम तक टी एस नहर का विकास	3640	केरल सरकार से मार्च, 2001 में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच करने के बाद भा.अं.ज.प्रा. की टिप्पणियां राज्य सरकार को उनके स्पष्टीकरण के लिए भेजी गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	केरल	वेलापतनम नदी से महे नदी के बीच नौचालन का विकास	15000	प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं भेजे जिसकी वजह से मंत्रालय ने मामले को बंद कर दिया।
4.	केरल	बेपोर-कलै नहर का सुधार	1300	जनवरी, 2001 में राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और प्रस्ताव की जांच के बाद मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां की थीं। जिनके स्पष्टीकरणों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।

विवरण-III

18.7.2001 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत की गई बैकवाटर परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना/स्कीम का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि (रु. में)	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (रु.	भारत सरकार से प्राप्य शेष राशि (रु.	वास्तविक प्रगति
1	2	3	4	5
1991-92				
1. कुमारकोम टूरिस्ट कैम्प में बोट ट्रेन	1615000.00	1615000.00	-	परियोजना चालू हो चुकी है।

	1	2	3	4	5
1995-96					
1.	कुमारकोम में वाटरसाइड सुविधा	2082000.00	1100000.00	982000.00	निर्माण कार्य चल रहा है।
1996-97					
1.	राइस बोट	1000000.00	600000.00	500000.00	कार्य पूरा हो चुका है।
2.	कायाकुलम में वाटर साइड सुविधा	3574000.00	1500000.00	2074000.00	परियोजना चालू हो चुकी है।
1997-98					
1.	अलमुझा में पुनामडा लेक पर नेहरू सेंटनेरी पवेलियन	3500000.00	1050000.00	2450000.00	निष्पादित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कार्य अग्रिम स्तर पर है।
2.	कुमारकोम में टूरिस्ट काम्पलैक्स	4000000.00	2000000.00	2000000.00	कार्य पूरा हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है।
3.	अलुमकाडवु, करूणागप्पली में वाटरसाइड सुविधा	3000000.00	2400000.00	600000.00	चालू हो चुकी है।
4.	तन्नीरमुकम में वाटरसाइड सुविधा	3000000.00	1000000.00	2000000.00	निष्पादित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कार्य अग्रिम स्तर पर है।
5.	6 राइस बोट की खरीद	4800000.00	2400000.00	2400000.00	निष्पादित की जा रही है।
1998-99					
1.	मालाबार के लिए हाउस बोट की खरीद	5000000.00	1500000.00	3500000.00	निष्पादित की जा रही है।
2.	बैकवाटर चिह्नांकन	2000000.00	1600000.00	400000.00	कार्य पूरा हो चुका है।
3.	अष्टामुडी में वाटर स्पोर्ट्स काम्पलैक्स	4000000.00	1200000.00	2800000.00	निष्पादित की जा रही है।
1999-2000					
1.	नीडुमुड़ी वाटरसाइड सुविधा	5000000.00	10000.00	4990000.00	निष्पादित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कार्य अग्रिम स्तर पर है।
2.	कोथाराथोडे में वाटरसाइड सुविधा	5000000.00	1500000.00	3500000.00	-वही-

	1	2	3	4	5
3.	पल्लाथुरती में वाटरसाइड सुविधा	5000000.00	1500000.00	3500000.00	-वही-
4.	बतककैयल में वाटरसाइड सुविधा	5000000.00	1000.00	4999000.00	-वही-
5.	मालाबार में 4 हाउस बोट का निर्माण	3000000.00	3519.00	2996481.00	निष्पादित की जा रही है।
6.	तन्नीरमुकम में टूरिस्ट काम्पलैक्स	10000000.00	3000000.00	7000000.00	-वही-
7.	पोन्टून सीर इनफ्लेटेबल टू-सीटर स्पीड बोट की खरीद	7500000.00	10000.00	7490000.00	-वही-

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यापार करने की अनुमति

5817. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं नियमों के अनुसार रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी नौकरी करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपनी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर ही रेलवे के कितने कर्मचारियों ने रेल विभाग में ही व्यापार शुरू कर दिया है; और

(घ) रेलवे द्वारा ऐसे कर्मचारियों को रेलवे में ही व्यापार शुरू करने की अनुमति नहीं देने के लिए क्या-क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद सरकार ने पुन: नियोजन स्पष्टत: जनता के हित में होनी चाहिए और ऐसे मामलों में विचार किया जाता है, जहां अन्य रेल कर्मचारी कार्य को संभालने के लिए पूर्णत: सक्षम नहीं हैं अथवा पुन: नियोजित किया जाने वाला सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उत्कृष्ट योग्यता सक्षम हो।

(ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) यदि समूह 'क' का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के भीतर किसी वाणिज्यिक नियोजन में जाना चाहता है तो उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में यथा उपबंधित विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी स्वीकृत नामंजूर की जा सकती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

5818. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अकादमियों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भोपाल में गठन किए जाने का विनिश्चय किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा कहीं और कोई अकादमी गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अकादमी का भवन निर्माणाधीन है। अकादमी के काम्पलेक्स की स्थापना मार्च, 2002 तक हो जाने की संभावना है।

होटलों की ऊंची दरें

5819. श्री नरेश पुगलिया: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 2001 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" में "हॉस्पीटिलिटी कॉस्टस मोर इन इंडिया दैन अब्रौड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न देशों और भारत में होटल किराए की वर्तमान दरों का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में होटल किराए की ऊंची दरों के कारण पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) जी, हां। पड़ोसी देशों के होटलों के अपेक्षाकृत भारत में होटल अधिक खर्चीले नहीं हैं। तथापि, दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में स्थित 5-सितारा डीलक्स श्रेणी के होटलों की प्रकाशित दरें अधिक प्रतीत हो रही है किन्तु वास्तव में देखा जाए तो होटलों द्वारा छूट देने की नीति के कारण औसत वसूली दर प्रकाशित दर से कम ही है। वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद से सरकार का होटल की मूल्य सूची पर नियंत्रण नहीं है।

(ङ) 5-सितारा होटलों में कमरों की उपलब्धता में वृद्धि के कारण कमरों की औसत दरों में कमी आयी है जबकि होटल, कमरे की कम दरों पर दे रहे हैं इसके बावजूद होटल अपनी प्रकाशित दरों में कमी नहीं कर रहे हैं। हाल ही के महीनों में मौसम अनुकूल न होने की वजह से कमरों की अधिभोगिता दर में कमी आयी है।

(च) भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गन्तव्य स्थल के रूप में संवर्धित करने के लिए किए गए उपायों में-प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन, विदेशों में यात्रा प्रदर्शनियों तथा मेलों में भागीदारी, ब्रोशर और इंडियन टूरिज्म वेबसाइट के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार सीडी-राम्स की तैयारी आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने अप्रवासी भारतीयों तथा पी आई ओ सहित सभी पर्यटकों के लाभार्थ एक टूरिज्म पोर्टल भी शुरू किया है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के लंबित मामले

5820. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार के कई मामले देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह सूचित किया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों को पूर्विकता के आधार पर लिया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने अरीवझगन बनाम राज्य, [2000 (2) स्केल 263 में रिपोर्टित], के मामले में तारीख 8.3.2000 को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निदेश दिया है:-

> "....यह सत्य है कि शीघ्र विचारण की धारणा सभी विचारणों को लागू होनी चाहिए, किंतु भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के विचारण के लिए अनेकानेक कारणों से इस गति को और बढ़ाना होगा..."

सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष न्यायालयों (जिनमें विशेष जांच ब्यूरो न्यायालय भी है)/अधिकरणों की स्थापना करना और विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग को खतरा

5821. श्री रामजीवन सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के 'दैनिक जागरण' में "बिना ब्रांड वाले रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का

भविष्ट खतरे में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्योग को ऐसे खतरे से उबारने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में यह आशंका व्यक्त की गई है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित गैर-ब्रांड के परिधान 1.4.2001 से आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के बाद बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे सस्ते परिधानों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने के बाद वस्त्रों के आयात में वृद्धि दृष्टिगत हुई है। तथापि, कुल आयात देश में वार्षिक घरेलू वस्त्रों के उत्पादन का एक प्रतिशत मात्र भी नहीं है। इस प्रकार आयात का घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार का विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) सरकार आयात पर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार का गंभीर हानिकर अथवा घातक प्रभाव न पड़ें। यदि किसी प्रकार के अनुचित व्यापार होने का पता चलता है कि यदि आवश्यक हुआ तो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के पाटन-रोधी प्रतिकारी उपायों आदि के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

राज्यों में अकाल और प्रदान की गयी वित्तीय सहायता

5822. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में अकाल पड़ा और अकाल के कारण उन्हें अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी और कितना खाद्यान्न प्रदान किया गया;

(ग) क्या सभी राज्यों ने खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान राजस्थान में अकाल के कारण किसानों की कितने मूल्य की फसलें नष्ट हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान सरकार से वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न तीव्रता वाले सूखे की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उत्तरांचल के एक जिले में जलकंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान आपदा राहत को से केन्द्रीय अंश के रूप में जारी धनराशि, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से जारी सहायता राशि तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों को निःशुल्क प्रदान किए गए अनाज का ब्यौरा संलग्न है।

(ग) निचले स्तर पर वितरण कार्य करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है।

(घ) राजस्थान सरकार ने क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य 35.12 करोड़ रुपये आंका है।

विवरण

राज्यों में अकाल तथा प्रदत्त वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से सहायता (करोड़ रुपये)	प्रदत्त अनाज की मात्रा (लाख मी. टन)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	226.53	-	3.00
2.	छत्तीसगढ़	42.23	58.94	5.07

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	248.15	112.00	1.48
4.	हिमाचल प्रदेश	66.85	18.98	0.12
5.	जम्मू एवं कश्मीर	26.18	23.20	-
6.	मध्य प्रदेश	96.30	57.72	2.13
7.	महाराष्ट्र	241.70	-	0.50
8.	उड़ीसा	168.31	49.62	1.50
9.	राजस्थान	318.26	113.97	7.40
10.	उत्तरांचल	7.10	-	-

[अनुवाद]

पुरातत्वविज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण

5823. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक पुरातत्वविज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के संबंध में क्या उपलब्धि रही है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) स्नातकोत्तर पुरातत्वविज्ञान प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए निर्धारित किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना शुल्क और वार्षिक व्यय है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों में, पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण ने उत्खनन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राखीगढ़ी में किए गए उत्खननों से "पूर्व" तथा "परिपक्व" हड़प्पाकालीन महत्वपूर्ण पक्ष प्रकाश में आए हैं जो उनके आवासों तथा जीवन निर्वाह की पद्धतियों पर नवीन प्रकाश डालते हैं। अनुसंधान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कृपया संलग्न विवरण-II देखें।

(ग) कृपया संलग्न विवरण-III देखें।

विवरण-I

1998-2000	1999-2001	2000-2002
1	2	3
-हड़प्पाकालीन औजार तथा उपकरण	-हड़प्पाकालीन आंतरिक तथा बाहरी व्यापार	-फीड़िग कपों का वांशिक पुरातत्व
-राखीगढ़ी से प्राप्त धातु पुरावशेष	-लद्दाख में मंजूश्री उपासना के विशेष सन्दर्भ में बौद्ध धर्म का इतिहास	-कट वेयर का वांशिक पुरातत्व
-राखीगढ़ी में संरचनात्मक आकृति विज्ञान	-पुरातत्व के क्षेत्र में श्री आर. सी. अग्रवाल का योगदान	-खेल गाड़ी का वांशिक पुरातत्व

1	2	3
-हड़प्पाकालीन स्थलों का स्थान निर्धारण संबंधी विश्लेषण	-विकसित हड़प्पन मृदभाण्ड आकृतियां तथा रंगे हुए चिन्ह समूह	-केरनोस रिंग का वांशिक पुरातत्व
-राखीगढ़ी की अस्थि तथा हाथी दांत की वस्तुएं	-पद्मश्री डा. विष्णु श्रीधर वाकणकर का भारतीय पुरातत्व में योगदान	-रिंग वैल्स का वांशिक पुरातत्व -श्रावस्ती में गोल मंदिर
-हड़प्पाकालीन ग्रैफिटी	-भातीय पुरातत्व एवं इतिहास को डा.बी.पी. सिन्हा की देन	-प्राचीन भारत में स्वर्ण
-सिन्धु सभ्यता में कांचल मिट्टी उद्योग	-हड़प्पन बपौती तथा इसका निहितार्थ	-समुद्री सीपों का वांशिक पुरातत्व
-हड़प्पन मनका उद्योग -राखीगढ़ी की मृणमूर्तियां	-बगान अवधि में, मयमयार में बुद्ध के जीवन के आठ चमत्कारों तथा सात विश्रामों का साक्ष्य	-प्राचीन भारत में सीसा -गवाक्ष
-राखीगढ़ी की सीपी की वस्तुएं	-प्राचीन म्यानमार में भारतीय	-भाण्डलेप बर्तन का वांशिक पुरातत्व
-हड़प्पाकालीन केक्स एवं मुष्ठिकाएं	बौद्ध धर्म कला तथा वास्तुकला	
-हड़प्पा के सन्दर्भ में धार्मिक रीतियां	के प्रभाव का अध्ययन	-अच्याकापट्टा
-राखीगढ़ी उत्खनन से प्राप्त मृण्मय चूड़िया।	-भारतीय पुरातत्व में जेम्स वर्गिस का योगदान	-प्राचीन भारत में शीशा
	-हड़प्पावासियों के स्थल आवाह का विश्लेषण	-प्राचीन भारत में नौकाएं
	-भारतीय पुरातत्व में प्रो. जी.आर. शर्मा का योगदान	
	-उड़ीसा की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति	
	-भारतीय हड़प्पन किले बंदी का एक तुलनात्मक अध्ययन	
	-भारतीय पुरातत्व में प्रो. बृजवासी लाल का योगदान	
	-उत्तरांचल के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला।	

विवरण-II

राज्य का नाम	1998-2000	1999-2001	2000-2002
बिहार	चार	दो	-
छत्तीसगढ़	एक	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	एक	-
झारखंड	एक	-	-
कर्नाटक	-	एक	-
मध्य प्रदेश	दो	दो	तीन
महाराष्ट्र	दो	एक	-
उड़ीसा	एक	एक	तीन
राजस्थान	-	एक	-
तमिलनाडु	-	तीन	चार
उत्तरांचल	-	एक	-
उत्तर प्रदेश	एक	दो	तीन
पश्चिम बंगाल	एक	-	एक
विदेशी छात्र, म्यानमार	-	दो	-
कुल	तेरह	सत्रह	चौदह

विवरण-III

पुरातत्वविज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित आवेदनों के आधार पर चयन किया जाता है। केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत आवेदकों को अपने आवेदन निर्धारित माध्यमों से भेजने होते हैं। छांटे गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और बाद में मौखिक परीक्षा देना आवश्यक है, जिसके आधार पर अन्तिम चयन किया जाता है। प्रति सत्र 15 सीटें है।

प्रवेश के लिए अर्हता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन अथवा मध्यकालीन इतिहास/पुरातत्व/मानव विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष हैं, इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों तथा पुरातत्व संगठन, केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय विभाग में कार्यरत उम्मीदवारों को 5% की छूट है।

अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है, यह आवेदन भेजने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से मानी जाती है। तथापि इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सेवारत उम्मीदवारों के मामले में नियमों के अनुसार छूट है।

कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। छात्रों को प्रतिमाह 1500/- रुपये का वजीफा दिया जाता है।

प्रशिक्षण पर वार्षिक व्यय 25 से लेकर 30 लाख रुपये तक आता है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता

5824. प्रो. दुखा भगत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धनराशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण मुख्यत: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत आता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को प्रदान की गई 175 करोड़ रु. की राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) मई, 2000 के अंत तक ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट ऊर्जीकरण के बारे में हुई प्रगति को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा विवरण-II, और III में दिया गया है।.

विवरण-I

2000-2001 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऋण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	ऋण
1.	अरुणाचल प्रदेश	961.00
2.	असम	2652.00
3.	बिहार	3767.00
4.	हिमाचल प्रदेश	72.00
5.	जम्मू व कश्मीर	77.00
6.	कर्नाटक	7.00
7.	मध्य प्रदेश	549.00
8.	मणिपुर	131.00
9.	मेघालय	1872.00
10.	मिजोरम	16.00
11.	नागालैंड	38.00
12.	उड़ीसा	1133.00
13.	राजस्थान	507.00
14.	त्रिपुरा	14.00
15.	उत्तर प्रदेश	4547.00
16.	पश्चिम बंगाल	1157.00
	जोड़	17500.00

175.00 करोड़ रुपये

विवरण-II

मई, 2001 तक विद्युतीकृत गांवों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार कुल बसे हुए गांव	31.3.2000 तक उपलब्धियां संख्या	31.3.2001 तक उपलब्धियां प्रतिशत	मई, 2001 के अंत तक संचयी	मई, 2001 के अंत तक संचयी उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	100.0	–	26565 (*)
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2206	60.5	एन ए	2206 (©)

1	2	3	4	5	6	
3.	असम	24685	19019	77.0	एन ए	19019 (c)
4.	बिहार	67513	35437	एनए	शून्य	35437($$) (d)
5.	झारखंड	–	12488	एनए	–	12488
6.	गोवा	360	360	100.0	–	360 (@)
7.	गुजरात	18028	17940	100.0	–	17940 (*)
8.	हरियाणा	6759	6759	100.0	–	6759
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16881	99.3	शून्य	16881
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6315	97.5	एन ए	6315 ($) (a)
11.	कर्नाटक	27066	26702	98.7	एन ए	26702 (+) (b)
12.	केरल	1384	1384	100.00	–	1384
13.	मध्य प्रदेश	51806	50286	97.1	शून्य	50286
14.	छत्तीसगढ़	19720	18076	91.7	शून्य	18076 (d)
15.	महाराष्ट्र	40412	40412	100.0	–	40412 (@)
16.	मणिपुर	2182	2001	91.7	शून्य	2001
17.	मेघालय	5484	2518	45.9	एनए	2518 (c)
18.	मिजोरम	698	691	99	शून्य	691
19.	नागालैंड	1216	1212	99.7	शून्य	1212 (d)
20.	उड़ीसा	46989	35232	75.0	शून्य	35232 (d)
21.	पंजाब	12428	12428	100	–	12428
22.	राजस्थान	37889	35912	94.8	2	35914
23.	सिक्किम	447	405	100	–	405 (#)
24.	तमिलनाडु	15822	15822	100	–	15822
25.	त्रिपुरा	855	813	95.1	शून्य	813
26.	उत्तर प्रदेश	97122	77047	79.3	1	77048

1	2	3	4	5	6	
27.	उत्तरांचल	15681	12488	79.6	एन ए	12488 ©
28.	पश्चिम बंगाल	37910	29596	78.1	7	29603 (d)
	जोड़ (राज्य)	596165	506995	86.5	10	507005
	जोड़ (यूटी)	1093	1090	100	–	1090 (*)
	कुल जोड़	587258	508085	86.5	10	508095

टिप्पणी: वर्ष 2001-2002 हेतु लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
(*) पूर्णत: विद्युतीकृत। शेष विद्युतीकरण हेतु व्यवहार्य नहीं।
(#) अनंतिम 42 वनीय गांव विद्युतीकृत नहीं।
(a) अनंतिम की 1991 की जनगणना के अनुसार पुष्टि।
(+) 329 गांवों को विद्युतीकरण हेतु अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया है।
(++)अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं।
($$) 1981 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियां।
($) 1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियां। 1991 में जनगणना नहीं हुई।
(a) 31.3.98 के अनुसार।
(b) 28.2.2001 के अनुसार।
(c) 31.3.2001 के अनुसार।
(d) 30.4.2001 के अनुसार।

विवरण-III

मई, 2001 तक ऊर्जीकृत पम्पसेटों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/यूटी	वैद्युत पम्पसेटों की अनुमानित अंतिम संभाव्यता	31.3.2001 की स्थितिनुसार ऊर्जीकृत पम्पसेट		2001-2002 के अनुसार उपलब्धियां (अनंतिम)		
			संख्या	%	मई, 2001 के अंत तक संचयी	मई, 2001 के अंत तक उपलब्धियां	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	1981000	1924543	97.2	एन ए	1924543	(d)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200	–	–	–	–	
3.	असम	254000	3675	1.4	एन ए	3675	(d)
4.	बिहार	1352200	274911	20.3	शून्य	274911	(e)
5.	झारखंड	–	–	–	–	–	
6.	गोवा	7800	6658	85.4	एन ए	6658	(b)

1	2	3	4	5	6	7	
7.	गुजरात	779800	694163	89.0	1314	695477	(e)
8.	हरियाणा	470800	420472	89.3	326	420798	
9.	हिमाचल प्रदेश	14200	6167	43.4	29	6196	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	67200	5621	8.4	एन ए	5621	(a)
11.	कर्नाटक	1357000	1246799	91.9	एन ए	1246799	(c)
12.	केरल	435600	392295	90.1	3601	395896	
13.	मध्य प्रदेश	2773600	1236737	एन ए	271	1237008	
14.	छत्तीसगढ़	–	73984	एन ए	81	74065	(e)
15.	महाराष्ट्र	2449800	2327716	95.0	6245	2333961	
16.	मणिपुर	37600	45	0.1	–	45	
17.	मेघालय	14200	65	0.5	–	65	
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	
19.	नागालैंड	10000	176	1.8	–	176	
20.	उड़ीसा	1214000	74625	6.1	शून्य	74625	(e)
21.	पंजाब	751000	777854	103.6	2528	780382	($)
22.	राजस्थान	630600	639131	101.4	3433	642564	(#)
23.	सिक्किम	5000	–	–	–	–	
24.	तमिलनाडु	1662600	1723778	103.7	3837	1727615	
25.	त्रिपुरा	14800	2094	14.1	–	2094	
26.	उत्तर प्रदेश	2610000	808238	एन ए	140	808378	
27.	उत्तरांचल	–	17521	एन ए	एन ए	17521	(d)
28.	पश्चिम बंगाल	65000	110793	17	167	110960	(e)
	जोड़ (राज्य)	19544000	12768061	65.3	21972	12790033	
	जोड़ (यूटी)	50000	38150	76.3	10	38160	
	जोड़ अखिल भारत	19594000	12806211	65.4	21982	12828193	

टिप्पणी: वर्ष 2001-2002 हेतु लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(*) अनंतिम। भूमिगत जल शक्यता को 31.10.95 को आयोजित केन्द्रीय भूजल बोर्ड की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

(#) 31.3.2000 की स्थितिनुसार संचयी पुन: संयोजन/वियोजन (-) 14041 है।

($) 31.3.2000 की स्थितिनुसार संचयी पुन: संयोजन/वियोजन (-) 15982 है।

(++)अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं।

(a) 31.3.98 के अनुसार।

(b) 31.12.1999 के अनुसार।

(c) 28.2.2001 के अनुसार।

(d) 31.3.2001 के अनुसार।

(e) 30.4.2001 के अनुसार।

[अनुवाद]

''गुलाबी शहर'' का विकास

5825. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ''गुलाबी शहर'' को ''विश्व विरासत नगर'' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किसी ''विश्व विरासत नगर'' की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और विश्व में ऐसे कौन से नगर हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किन्हीं अन्य नगरों को भी ''विश्व विरासत नगरों'' के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्रता के वास्ते यूनेस्को ने मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। इनमें स्थानिक संगठन, संरचनाएं, सामग्रियां, स्वरूप, और जहां संभव हो, भवन-समूह के कार्यों आदि का मूल्यांकन शामिल है। अब तक, सरकार ने विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने के लिए किसी भारतीय नगर का मूल्यांकन शुरू नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि प्रसंस्करण इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

5826. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों हेतु कर अवकाश जैसे प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने में इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) से (ङ) कर ढांचे का युक्तिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार इस संबंध में समय-समय पर कदम उठाती रही है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटा कर 0% कर दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्यवाही आरंभ की है और इस प्रयोजनार्थ प्रारूप नीति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समर्थकारी पर्यावरण सृजित करने, बुनियादी सुविधाओं का विकास करने, फार्म के स्तर पर लिंकेज स्थापित करने आदि की परिकल्पना की गई है। आशा है इससे ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगी।

राजस्थान और सिन्ध के बीच रेल सम्पर्क

5827. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान राजस्थान-सिन्ध रेल सम्पर्क बहाल करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने इस संबंध में समझौता करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक और विधिक प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में संगोष्ठी

5828. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' द्वारा 'स्वायंत्र्योत्तर युग में न्यायिक और विधिक प्रणाली का कार्यकरण' के विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) "स्वातंत्र्योत्तर युग में न्यायिक प्रणाली का कार्यकरण और इसके समक्ष चुनौतिया" विषय पर एक संगोष्ठी शिमला में आयोजित की गई थी। माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। संगोष्ठी में पांच विषयों अर्थात् न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक जवाबदेही, न्यायाधीशों के चयन के लिए एक स्वतंत्र मंच की खोज, विधिक प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में जनसाधारण की धारणा, पर्यावरणीय और मानवाधिकारों पर चर्चा की गई थी। न्यायिक सक्रियावाद के संबंध में यह महसूस किया गया था कि यद्यपि यह वांछनीय है, किंतु इसके द्वारा उन क्षेत्रों का अधिक्रमण नहीं होना चाहिए, जिनपर कार्यपालिका और विधायिका का अनन्य अधिकार है। न्यायिक जवाबदेही की मांग प्रत्येक वक्ता द्वारा की गई थी। वक्ताओं ने साधारणतया महसूस किया कि न्यायपालिका के कार्यों के निर्धारण के लिए कोई कानूनी तंत्र होना चाहिए। यह भी महसूस किया गया था कि संविधान में महाभियोग के लिए रखा गया उपबंध कोई कारगर उपचार या समाधान नहीं है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर न्यायाधीशों के चयन के संबंध में वक्ताओं द्वारा यह कहा गया था कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होना चाहिए; अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की वांछनीयता के बारे में भी कुछ वक्ताओं द्वारा प्रस्ताव किया गया था। न्यायिक और विधिक प्रणाली के बारे में जन-साधारण की धारणा के संबंध में सदस्यों ने साधारणतया यह महसूस किया था कि न्यायिक प्रणाली का अभी भी सम्मान किया जाता है, हालांकि होने वाले विलंबों की निंदा की गई थी। जहां तक मानवाधिकारों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संबंध है, वक्ताओं ने साधारणतया यह महसूस किया कि उनके संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सतर्क रहना चाहिए। जहां मानवाधिकारों का संबंध है, पुलिस की ज्यादतियों और अभिरक्षा में हुई मृत्यों के मामलों पर कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए। संगोष्ठी में कोई विनिर्दिष्ट सिफारिशें नहीं की गई थी।

रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन

5829. **श्री किशन सिंह सांगवान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'सिरसा एक्सप्रेस' के प्रातः 9.45 बजे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के कारण उससे दफ्तर आने-जाने वालों को हो रही समस्या के विषय में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 'सिरसा एक्सप्रैस' और 'डी.जे. पैसेंजर' रेलगाड़ियों के सुबह रोहतक पहुंचने के समय में परिवर्तन करने का विचार रखती है ताकि 'सिरसा एक्सप्रेस' प्रातः 9.00 से 9.15 बजे के बीच नई दिल्ली पहुंच सके और कार्यालयों में काम करने वाले लोग अपने कार्यालय समय पर पहुंच सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस कुछ दिनों से नई दिल्ली में अपने प्रातः 09.30 बजे के निर्धारित आगमन समय से देरी से पहुंच रही हैं।

(ख) और (ग) सिरसा-तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रैस और 2 टी आर रोहतक-तिलक ब्रिज पैसेन्जर (2 डी जे जींद-दिल्ली पैसेन्जर नहीं) गाड़ियों के समय को पुनर्निर्धारित करना परिचालनिक और अन्य आधारों के कारण व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की जब्ती

5830. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों से मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद बरामद किए गए;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में बरामद मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी थी;

(ग) इन मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और

(घ) इस अवैध गतिविधि में कितने व्यक्तियों को लिप्त पाया गया तथा उनके विरुद्ध किस कानून के तहत कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों के पकड़े जाने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों द्वारा आर्थिक लाभों के लिए मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद ग्राहकों को बेचे जा रहे थे।

(घ) मिलावट में लगे हुए चूककर्त्ता डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2001 के अंतर्गत और/या डीलरशिप करार की शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले छः महीनों के दौरान मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों के पकड़े जाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान/खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम	उत्पाद की मात्रा
1	2	3	4
1.	आईओसी	दिल्ली में हैदरपुर (शालीमारबाग) तथा शाहबाद (बवाना) में दो गोदाम	मिलावटी एलडीओ का लगभग 75000 लीटर
2.	आईओसी	मैसर्स अनिल फिलिंग स्टेशन, जोबनेर जिला जोबनेर, राजस्थान	एचएसडी - 10000 लीटर एसकेओ - 3000 लीटर
3.	आईओसी	रजबपुर जिला जे.पी. नगर उ.प्र. में सद्भावना ढाबा	लगभग 40000 लीटर एमएस और एचएसडी की संयुक्त मात्रा
4.	आईओसी	मैसर्स मिश्रा पेट्रोलियम खंडवा, म.प्र.	लगभग 300 लीटर औद्योगिक विलायक और लगभग 1000 लीटर अनधिकृत मिश्रित एचएसडी
5.	बीपीसीएल	मैसर्स धनयालक्ष्मी गोंदलपेट मैसूर, कर्नाटक	400 लीटर एमएस
6.	बीपीसीएल	मैसर्स एमआर कर्नाड उद्यपी, कर्नाटक	1970 लीटर एमएस
7.	बीपीसीएल	मैसर्स चारोतीकासा पेट्रोलियम चारोतीकस थाना महाराष्ट्र	1 किलोमीटर एचएसडी
8.	बीपीसीएल	मैसर्स कलमबोली सर्विस स्टेशन, कमलबोली थाना महाराष्ट्र	10 किलोमीटर एचएसडी
9.	बीपीसीएल	मैसर्स कलाकंकर आटोमोबाइल्स, कलाकंकर प्रतापगढ़, उ.प्र.	8319 लीटर एचएसडी
10.	एचपीसीएल	मैसर्स रामाचन्द्र तेल आपूर्ति, जदचेरला आंध्र प्रदेश	14500 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
11.	एचपीसीएल	मैसर्स जय माता दी हाई वे पिपड़ा, बिहार	4000 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया

1	2	3	4
12.	एचपीसीएल	मैसर्स श्रीराम पेट्रोलियम डेदीपाड़ा, नर्मदा, गुजरात	5000 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
13.	एचपीसीएल	मैसर्स स्नोलाइन फिलिंग स्टेशन, रामपुर शिमला, हिमाचल प्रदेश	2280 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
14.	एचपीसीएल	कन्नूथूरा बर्दरस, तिरूवालंगलूर, केरल	600 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
15.	एचपीसीएल	मैसर्स शिरोले बर्दरस पुणे, महाराष्ट्र	6257 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
16.	एचपीसीएल	मैसर्स सीताराम सर्विस स्टेशन, अंगुल उड़ीसा	एमएस - 615 लीटर एचएसडी - 1332 लीटर
17.	एचपीसीएल	मैसर्स रेहना कोल्ड स्टोरेज, कपूरथला, पंजाब	10780 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
18.	एचपीसीएल	मैसर्स सालतोरा फिलिंग स्टेशन, सालतोरा पश्चिम बंगाल	193 लीटर मिलावटी उत्पाद पाया गया
19.	आईबीपी	मैसर्स रिशी पेट्रोलियम, खेड़ा, गुजरात	एचएसडी - 18295 लीटर

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार में अंतर-द्वीपीय यात्रा

5831. श्री विष्णु पद राय: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार में दक्षिणी द्वीपसमूह के द्वीपवासियों को जलपोत द्वारा चलने वाली अंतर-द्वीपीय सेवाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार दक्षिण द्वीपसमूह के पोतयात्रियों की सुविधा के लिए अंडमान और निकोबार के लिए नये जलपोत खरीदने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। तथापि, मशीनों के खराब होने और वार्षिक यात्री सर्वेक्षण के कारण अंतर्द्वीपीय जलयानों अर्थात् एम वी चौरा और एम वी सेंटीनल उपलब्ध न होने के कारण दक्षिणी द्वीपसमूह के लोगों को समय-समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) और (ग) दक्षिणी द्वीपसमूह में बेहतर यात्री सेवाओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित ज़लयानों को खरीदने का पहले ही प्रस्ताव किया गया है:-

क्रम सं.	जलयान की किस्म
1.	दो 400 यात्री जलयान जिनमें से एक मैसर्स एच डी पी ई एल (कोलकाता) और एक मैसर्स अलकाक एशडाउन (गुजरात) में निर्माणाधीन हैं।
2.	चार 100 यात्री जलयान जो मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (विजाग) में निर्माणाधीन है।
3.	मै. अलकाक एशडाउन (गुजरात) में निर्माणाधीन दो 75 यात्री व 50 टन कार्गो जलयान।
4.	मै. इनलैंड मैरीन वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर में निर्माणाधीन एक 50 यात्री मोटर लांच।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटकों का ताजमहल देखने जाना

5832. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री पदम सेन चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताजमहल को देखने जाने वाले घरेलू पर्यटकों से भारतीय नागरिक होने का प्रमाण दिखाने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अनेक पर्यटकों को ताजमहल देखे बिना की लौटने पर विवश होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूध के उपयोग का प्रतिकूल प्रभाव

5833. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय आपूर्ति किए जाने वाले दूध के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद प्रति दुधारू पशु प्रतिवर्ष औसतन एक हजार लीटर दूध का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) क्या सरकार का विचार सस्ते दूध की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। सहकारी दुग्ध संघों, परिसंघों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की डेरियों जैसी संगठित एजेंसियों के जरिए आपूर्तित दूध के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) दुधारू पशुओं का औसत वार्षिक उत्पादन (दूध में) 1985-86 में लगभग 858 लीटर प्रतिवर्ष से बढ़कर 1998-99 में 1291 लीटर प्रतिवर्ष हो गया है।

(घ) और (ङ) देश में सहकारिताओं के नेटवर्क से अच्छी गुणवत्ता वाला दूध उचित दर पर विपणित होता है।

रायगढ़ में रेलवे टर्मिनल

5834. **श्री विष्णु देव साय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में टर्मिनल के निर्माण हेतु किस तारीख को आधारशिला रखी गई;

(ख) टर्मिनल के निर्माण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) टर्मिनल के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 14.9.1998 को।

(ख) और (ग) विलासपुर में एक प्रमुख कोचिंग अनुरक्षण डिपो पहले से ही मौजूद है जो रायगढ़ से 100 कि.मी. दूर है। इसको ध्यान में रखते हुए रायगढ़ में कोचिंग टर्मिनल का निर्माण इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है। अतः निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

विद्युत शुल्क में वृद्धि

5835. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में विद्युत शुल्क में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विद्युत शुल्क की दरें क्या थीं;

(ग) विद्युत शुल्क में इस प्रकार की वृद्धि के क्या कारण है; और

(घ) विद्युत शुल्क में वितरण, पारेषण, उत्पादन और प्रशासनिक व्ययों का हिस्सा कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) गत दो वर्षों के दौरान विद्युत टैरिफ में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विद्युत टैरिफ की दर निम्नवत है-

वर्ष	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि/सिंचाई	उद्योग	रेलवे कर्षण	राज्य से बाहर	समग्र प्रतिशत
1998-99	140.13	322.44	20.62	320.53	405.53	163.64	185.48
1999-2000	157.81	354.85	21.09	344.52	414.72	181.57	198.99
2000-2001	173.40	340.43	28.48	359.04	420.76	193.76	212.02

(ग) ईंधन लागत, प्रचालन लागत और अनुरक्षण तथा प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि के कारण विद्युत लागत में अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप इस वृद्धि को समायोजित करने हेतु पावर बढ़ोत्तरी की गयी है।

(घ) चूंकि अधिकतर राज्यों में राज्य विद्युत बोर्ड विद्यमान है जो कि समेकित तरीके में वितरण पारेषण और उत्पादन कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं इसलिए टैरिफ संबंधी इन क्रियाकलापों की हिस्सेदारी पृथकत: नहीं दर्शायी गयी है।

[अनुवाद]

मंगलोर-चेन्नई मेल दुर्घटना

5836. श्री के. येरननायडू:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2001 में कोजीकोड के निकट उस रेलवे पुल के ढह जाने के कारण मंगलोर-चेन्नई मेल नदी में गिर पड़ी थी जहां दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर था;

(ख) क्या दोहरीकरण का कार्य आरंभ करने से पूर्व पुल की मजबूती की जांच नहीं की गई थी;

(ग) क्या न्यायमूर्ति खन्ना समिति के अनुसार वह पुल 100 वर्ष पुराने 262 पुलों में से एक था; और

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा पहलुओं को गंभीरतापूर्वक न लेने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) मौजूदा पुल पर दोहरी लाइन नहीं बिछाई जा रही है। दोहरी लाइन हेतु पुराने पुल से 12 मीटर दूर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। मंगलोर-चेन्नै मेल के पुराने पुल से गुजरते वक्त हुई दुर्घटना और दोहरीकरण संबंधी कार्य का कोई संबंध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें

5837. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने गत दो वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 की फसलों के लिए कृषि जिन्सों के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत

एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। विवरण से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कुछ कृषि जिन्सों के बारे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत मूल्यों में सुधार किया और इन फसलों की लागत तथा अन्य पहलूओं को ध्यान में रखकर इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक निर्धारित किए। अन्य सभी मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य वही निर्धारित किए गए जिनकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गयी थी।

विवरण

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा यथा संस्तुत एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	1999-2000		2000-2001	
		कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत	सरकार द्वारा घोषित	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत	सरकार द्वारा घोषित
1	2	3	4	5	6
	खरीफ				
1.	धान-सामान्य	465	490	510	510
	धान-ग्रेड 'ए'	495	520	540	540
2.	ज्वार	410	415	445	445
3.	बाजरा	410	415	445	445
4.	मक्का	410	415	445	445
5.	रागी	410	415	445	445
6.	तूर (अरहर)	1100	1105	1200	1200
7.	मूंग	1100	1105	1200	1200
8.	उड़द	1100	1105	1200	1200
9.	छिलके सहित मूंगफली	1150	1155	1220	1220
10.	सोयाबीन-काली	750	755	775	775
	सोयाबीन-पाली	840	845	865	865
11.	सूरजमुखी बीज	1150	1155	1170	1170
12.	कपास एफ-414/एच-777	1550++	1575++	1625++	1625++
	कपास-एच-4	1750	1775	1825	1825

1	2	3	4	5	6
13.	तम्बाकू (रुपये/कि.ग्रा.)				
	एफ 2 ग्रेड काली मृदा	25.00	25.00	26.00	26.00
	एल 2 ग्रेड हल्की मृदा	27.00	27.00	28.00	28.00
14.	रामतिल	910	915	1025	1025
15.	तिल	1200	1205	1300	1300
16.	पटसन	750	750	785	785
17.	**खोपरा (मिलिंग)	3250	3250	3250	3300
	(गिरी)	3500	3500	3500	3500
	रबी				
1.	गेहूं	550	580	580	610
2.	जौ	430	430	460	500
3.	चना	1015	1015	1060	1100
4.	रेपसीड/सरसों	1100	1100	1135	1200
5.	कुसुम	1100	1100	1125	1200
6.	मसूर	–	–	1200	1200

** कैलेण्डर वर्ष 1999 तथा 2000 हेतु

++ जे- 34 किस्म के लिए भी

[अनुवाद]

कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव

5838. श्री विलास मुत्तमेवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2001 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "विद् दैट फ्रूट बाइट, यू वुड बी लिकिंग पेस्टीसाइड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन में कीटनाशकों के प्रयोग के संबंध में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि मानव पर कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव कम किया जा सके;

(ग) क्या सभी एहतियाती उपाय करने के बाद सरकार का विचार फलों और सब्जियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति, कृमिनाशियों का पंजीकरण मंजूर करते समय मात्रा, प्रतीक्षा अवधि, संख्या और लागू करने का तरीका निर्धारित करती है ताकि कृमिनाशी अवशेषों के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर ही रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(2) असुरक्षित कृषि प्रणालियों को रोकने के लिए सरकार विभिन्न फसलों पर समेकित कीट प्रबंध के जरिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है।

(3) रासायनिक कृमिनाशियों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किसानों तथा विस्तार कर्मियों के लिए समेकित कीट प्रबंध संबंधी एक शैक्षिक व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(4) नीम आधारित कृमिनाशी समेत जैव-नियंत्रक एजेन्ट, जैव-कृमिनाशियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रहे राज्य/के.शा. प्रदेशों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के खाद्य जिन्सों में कृमिनाशी अवशेषों के स्तर पर कड़ी नजर रखने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है।

(6) फलों एवं सब्जियों के उपयोग के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपयोग से पूर्व सभी एहतियाती उपाय करने के उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम चलाया है।

पर्यटन विकास हेतु भारत और नेपाल के बीच समझौता

5839. श्री जी.एस. बसवराज: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और नेपाल के बीच इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) इस समझौते से भारत में पर्यटन के क्षेत्र में कितनी सहायता मिलेगी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) कार्यदल के ठोस प्रस्ताव और विवरण किसी भी देश द्वारा कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5840. श्री रामेश्वर डूडी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो-तीन वर्षों से इन राज्यों में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केन्द्रीय सहायता मिल रही है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल की हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं आदि को इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य अथवा क्षेत्र विशेष।

(ग) विभाग की योजना स्कीमों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से प्राप्त 18 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को सहायता दी गई है। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और खाद्य विश्लेषण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई है। राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई है।

मत्स्य विकास हेतु वित्तीय सहायता

5841. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बिहार सरकार को मत्स्य उद्योग, कुक्कुट और पशुधन के विकास हेतु कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान के बक्सर जिले में मात्स्यिकी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में 3.012 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की है। तथापि, यह राशि अभी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्मुक्त की जानी है।

[अनुवाद]

टर्मिनल सेवा शुल्क

5842. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड ने वर्ष 1998-99 के दौरान आयातकों के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने अंतर्देशीय कंटैनर डिपों में प्रदान की गई सुविधा हेतु टर्मिनल सेवा शुल्क को माफ कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का टर्मिनल सेवा शुल्क को माफ करने और समझौता तोड़ने के कारण उक्त अवधि के दौरान घाटा हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) 1998-99 में कॉनकोर द्वारा सम्हाले गए 7876 टीईयूएस के संबंध में कुल 10.61 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए थे। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर रुपए माफ किए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओंगल-मारकापुर रेल लाइन का निर्माण

5843. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के सुलभ परिवहन हेतु आंध्र प्रदेश में बेल्लारी से एटामुक्कले पत्तन के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने हेतु ओंगल और मारकापुर के बीच रेल लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूध और डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भरता

5844. श्री भर्तृहरि महताब: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों में आत्म-निर्भरता से संबंधित एक राज्य-वार अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सभी राज्यों में दूध और डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त हो जाएगी; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन और वास्तविक खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) सरकार कुल दूध उत्पादन और दूध तथा डेयरी उत्पादों की खपत की कीमत और प्रति व्यक्ति मात्रा के राज्यवार आंकड़े इकट्ठा करती है। 1990-91 और 1999-2000 की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन में मिश्रित वृद्धि दर 4.21 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। 1999-2000 के दौरान मानव संख्या की मिश्रित वृद्धि दर 2.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। अत: दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हुई है जिसके कारण प्रति व्यक्ति दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई है। राज्यवार दुग्ध उत्पादन और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की खपत की जानकारी विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दुग्ध उत्पादन - 2000-2001 राज्यवार

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-2001*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4904
2.	अरुणाचल प्रदेश	53
3.	असम	852
4.	बिहार	3878

1	2	3
5.	गोवा	45
6.	गुजरात	5313
7.	हरियाणा	4845
8.	हिमाचल प्रदेश	772
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1037
10.	कर्नाटक	5106
11.	केरल	2771
12.	मध्य प्रदेश	5806
13.	महाराष्ट्र	5945
14.	मणिपुर	69
15.	मेघालय	67
16.	मिजोरम	10
17.	नागालैंड	51
18.	उड़ीसा	824
19.	पंजाब	7984
20.	राजस्थान	6034
21.	सिक्किम	44
22.	तमिलनाडु	4413
23.	त्रिपुरा	51
24.	उत्तर प्रदेश	15735
25.	पश्चिम बंगाल	3888
26.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	24
27.	चण्डीगढ़	44
28.	दमन एवं दीव	10
29.	दादर और नागर हवेली	1
30.	दिल्ली	306
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	36
	अखिल भारत	**80919.00**

*अनन्तिम

विवरण-II

प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में दूध और डेयरी उत्पादों की खपत की मासिक प्रति व्यक्ति मात्रा और मूल्य

राज्य/संघ शासित प्रदेश		ग्रामीण			शहरी		
		दूध		दुग्ध और दुग्ध उपाद	दूध		दुग्ध और दुग्ध उत्पाद
		मात्रा (लीटर)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (लीटर)	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.87	26.19	27.40	4.40	49.08	53.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	6.10	16.30	1.89	21.69	39.15
3.	असम	1.11	13.45	15.05	2.14	30.76	43.07
4.	बिहार	2.41	23.62	25.77	3.40	42.61	47.70

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	3.16	44.47	47.65	4.22	62.44	73.48
6.	गुजरात	5.42	66.95	78.60	6.58	88.23	110.88
7.	हरियाणा	13.88	141.51	164.46	9.03	120.04	147.09
8.	हिमाचल प्रदेश	7.87	84.00	95.29	10.08	119.36	151.21
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9.53	86.23	93.91	8.2	85.18	111.78
10.	कर्नाटक	3.45	31.57	33.75	5.07	53.78	61.70
11.	केरल	2.97	35.91	37.88	3.49	44.34	49.27
12.	मध्य प्रदेश	2.71	27.39	31.97	4.33	51.76	63.08
13.	महाराष्ट्र	2.66	28.69	29.93	4.79	66.02	72.61
14.	मणिपुर	0.32	3.33	5.46	0.45	5.43	13.98
15.	मेघालय	0.92	8.81	10.00	2.92	30.88	39.42
16.	मिजोरम	0.44	5.35	18.79	1.54	22.32	45.06
17.	नागालैंड	0.86	11.13	36.58	1.78	23.49	55.97
18.	उड़ीसा	0.64	6.19	7.81	1.97	21.48	29.23
19.	पंजाब	11.67	118.60	127.90	9.73	115.68	129.93
20.	राजस्थान	9.62	95.91	109.86	7.72	87.99	125.16
21.	सिक्किम	4.27	40.30	45.62	5.97	52.83	61.68
22.	तमिलनाडु	2.39	24.21	25.22	4.77	53.59	57.95
23.	त्रिपुरा	1.32	16.75	19.92	3.09	31.86	46.41
24.	उत्तर प्रदेश	4.52	43.48	46.66	5.27	62.23	72.05
25.	पश्चिम बंगाल	1.31	13.13	14.65	2.63	30.68	40.31
26.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	1.10	13.84	38.60	1.29	22.00	62.57
27.	चण्डीगढ़	9.92	131.52	144.96	10.53	141.24	172.96
28.	दमन एवं दीव	3.13	45.16	55.15	5.56	77.34	98.69
29.	दादर और नागर हवेली	1.43	19.19	21.53	5.49	83.94	101.48
30.	दिल्ली	6.34	91.32	133.02	8.73	122.43	154.18
31.	लक्षद्वीप	0.36	5.63	29.30	0.55	8.51	28.35
32.	पांडिचेरी	2.65	27.52	29.62	4.64	48.94	52.47
	अखिल भारत	3.79	38.37	42.56	5.10	62.66	74.17

स्रोत: 1999-2000 में भारत में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की खपत, एन.एस.एस.ओ. रिपोर्ट सं. 461

पटसन के बोरों की आपूर्ति

5845. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन क्षेत्र यूरिया कारखानों के लिए पटसन के बोरों की आपूर्ति करने में बुरी तरह असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यूरिया क्षेत्र ने पटसन के बोरे में पैकिंग की अनिवार्यता से पूर्ण रूप से छूट देने की मांग की है क्योंकि पटसन के बोरे न तो किफायती हैं और न ही इसके लिए उपयुक्त हैं तथा देश में किसान भी इन्हें पसंद नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां। इफ्को और कृभको ने वर्ष 2000-2001 के दौरान पटसन बोरों की कम आपूर्ति होने के बारे में सूचित किया है और इसका कारण उनके सप्लाई कर्ताओं की फैक्ट्रियों में हड़ताल होना बतलाया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने यूरिया क्षेत्र की अवधारणाओं पर विचार किया है। पटसन वर्ष 2001-2002 के लिए पटसन में अनिवार्य पैकिंग करने की सीमा के बारे में शीघ्र ही अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है।

इंटरनेट के माध्यम से रेल आरक्षण

5846. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बड़े शहरों में इंटरनेट के माध्यम से रेल आरक्षण की सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरंभ में किन-किन शहरों में इस सुविधा को प्रदान किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। रेल आरक्षण के लिए इंटरनेट आधारित रेल बुकिंग के तौर-तरीकों का पता लगाया जा रहा है और तौर-तरीकों के निर्धारण के लिए पायलट परियोजना के रूप में इसका पहले परीक्षण किया जाएगा। पॉयलट परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही इस सुविधा को विभिन्न शहरों में उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्न उठेगा।

बीजापुर-गदग रेल लाइन का आमान परिवर्तन

5847. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागलकोट के बरास्ते बीजापुर और गदग के बीच आमान परिवर्तन का कार्य दस वर्षों से भी ज्यादा से लंबित हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक सरकार और तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के बीच इस आमान परिवर्तन कार्य को शुरू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबे समय से लंबित इस कार्य को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) बीजापुर-गदग खण्ड के आमान परिवर्तन सहित चार परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम के गठन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड नामक एक कंपनी को इसमें शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार की इस कंपनी में बराबर की इक्विटी होगी।

बीजापुर-गदग खण्ड का आमान परिवर्तन का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अम्लीय मिट्टी हेतु केन्द्रीय निधि

5848. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अम्लीय मिट्टी के सुधार और तटीय लवणीय और रेतीले क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने हेतु राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास अभी भी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना हेतु गठित कार्यदल ने तटवर्ती लवणीय व रेतीले क्षेत्रों सहित लवणता में सुधार तथा अम्लीय मृदा के सुधार संबंधी नई स्कीमों के कार्यान्वयन की सिफारिश की। उसके आधार पर राज्य सरकारों से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। किन्तु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई स्कीमें शुरू नहीं की जा सकीं।

विवरण

राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

वर्ष	राज्य का नाम	सुधार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	परियोजना की लागत (लाख रुपये में)
अम्लीय मृदा सुधार			
1997-98	मणिपुर (कृषि)	114800	1148
	मणिपुर (बागवानी व मृदा संरक्षण)	10000	100
	मिजोरम	20000	468
	नागालैण्ड	50000	500
1998-99	कर्नाटक	25000	500
तटवर्ती लवणतायुक्त एवं रेतीले क्षेत्रों सहित लवणता			
1998-99	कर्नाटक	24000	6000
2000-2001	गुजरात	30661	5980.6
	उड़ीसा	4969	994
	पश्चिम बंगाल	1200 (107.5 कि.मी. बाढ़ तटबन्धन)	8686

[हिन्दी]

राजभाषा अधिकारी

5849. **श्री धर्मराज सिंह पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत राइट्स संस्था में राजभाषा अधिकारी का पद लम्बी अवधि से रिक्त पड़ा हुआ है जिसके कारण राजभाषा विभाग के नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या हिन्दी टंककों और अनुवादकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संस्था द्वारा खरीदी गई दो लाख रुपए से अधिक रुपए की हिन्दी पुस्तकों पर गोदामों में धूल चढ़ रही है,

और चार हिंदी टंकण मशीनों के गुम हो जाने की सूचना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार राजभाषा विभाग के नियमों को कार्यान्वित न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है और राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्थान की तंगी के कारण जब 1994 में हिंदी अनुभाग को अपने वर्तमान स्थान से स्थानांतरित किया गया था तब पुस्तकें बेसमेंट में उपयुक्त रूप से रखवा दी गई थी। गुड़गांव में राइट्स का अपना कार्यालय परिसर चालू हो जाने पर, उन्हें हिन्दी अनुभाग में रख पाना संभव होगा। हिंदी टाइपराइटरों का उपयोग यदा-कदा किया जा रहा है क्योंकि हिंदी का अधिकांश कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। कोई टाइपराइटर गायब नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्रों का कार्य-निष्पादन

5850. श्री चंद्रनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चावल उत्पादकों को सुविधाएं, प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करने के मामले में चावल प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्रों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) तंजावुर (तमिलनाडु) स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र और आई.आई.टी. खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केंन्द्र, धान प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। इन केंद्रों में किसानों को प्रशिक्षण देने तथा उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने की आवश्यक सुविधाएं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में है।

विवरण

लाभान्वित किसानों की संख्या

राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
आंध्र प्रदेश	25	30	25
कर्नाटक	15	10	10
केरल	10	6	12
पांडिचेरी	-	65	-
मध्य प्रदेश	-	15	-
तमिलनाडु	100	150	200
कुल	150	276	247

[अनुवाद]

पाकिस्तानी कारागारों में मछुआरे

5851. श्रीमती जयाबहन बी ठक्कर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात के 196 मछुआरे इस समय पाकिस्तानी कारागार में हैं; यह गुजरात के उन नगरों, जहां मछली मारने का कार्य होता है, में सदैव एक भावनात्मक मुद्दा रहा है, इन पत्तन नगरों के मछुआरों को अकसर पाकिस्तानी नौसेना द्वारा पाक समुद्र क्षेत्र में चले जाने के आरोप पर पकड़ लिया जाता है और उन्हें कारागारों में अधिकतर कराची में वर्षों रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें भारत की आगामी यात्रा में श्री मुर्शरफ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसका समाधान करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस वर्ष मार्च/अप्रैल से पाकिस्तान जेल में इस समय 196 भातीय मछुआरे हिरासत में हैं। हमारे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान सरकार इन 196 भारतीय मछुआरों को रिहा करने के लिए 26.6.2001 को सहमत हो गई।

(ख) गुजरात के मुख्य मंत्री ने 20 जून, 2001 को प्रधान मंत्री को इस अनुरोध के साथ एक पत्र लिखा था कि वे एक दूसरे की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मछुआरों को पकड़ने संबंधी बढ़ती हुई समस्या के बारे में राष्ट्रपति जनरल मुर्शरफ के साथ बातचीत करें।

(ग) भारतीय तथा पाकिस्तानी मछुआरे जिन्हें समय-समय पर हिरासत में लिया जाता है की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की इच्छा से प्रधान मंत्री जी ने 4 जुलाई को यह निदेश दिया था कि भविष्य में भारतीय तट रक्षक ऐसे पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में नहीं लेंगे जो अनजाने में हमारे समुद्र में घुस आते हैं तथा इसलिए उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वापिस कर दिया जाएगा। दिनांक 15.7.2001 को आगरा में विचार-विमर्श के दौरान प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को यह बताया था कि बार-बार की इस समस्या के समाधान का यही एक उपाय है जिसके माध्यम से स्थायी आधार पर इस मामले को काफी समय के लिए सुलझाया जा सकेगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4089/2001]

(3) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम ईस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4090/2001]

(5) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4091/2001]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4092/2001]

(9) (एक) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4093/2001]

(11) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4094/2001]

(13) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4095/2001]

(15) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4096/2001]

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4097/2001]

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति के प्रतिवेदन, 1998-भाग-2* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4098/2001]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, श्री शरद यादव की ओर से मैं (एक) अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शीतागारों के निर्माण के बारे में सर्वश्री राजैया

*रेल सुरक्षा समीक्षा समिति के प्रतिवेदन का भाग-1, 2 मार्च, 2000 को सभा पटल पर रखा गया था।

मल्याला, रामसेठ ठाकुर, ए. वेंकटेश नायक और अशोक ना. मोहोल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3394 के 13 अगस्त, 2001 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4099/2001]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2001 जो 10 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईसीएसआई/710/2/एम/26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4100/2001]

(2) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2001 जो 17 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीए(7)/51/2000 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4101/2001]

(3) विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4102/2001]

(4) भारत के विधि आयोग के विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 संबंधी 175वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4103/2001]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

*विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण नियम और नोटरी नियम 23.8.2001 को सभा पटल पर रखे गये।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4104/2001]

(7) नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2000* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4105/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) अध्यादेश, 2001 जो 1 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4106/2001]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-02 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4107/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

*विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण नियम और नोटरी नियम 23.8.2001 को सभा पटल पर रखे गये।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4108/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296 जो 28 फरवरी, 1964 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए 29 फरवरी, 1964 की तारीख नियत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 4109/2001]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1978 जो 10 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कोचीन पत्तन कर्मचारी (परिवार कल्याण) विनियम, 1980 जो 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 769 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (1 और 2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4110/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं निम्नलिखित उपक्रमों के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्ययन दौरा प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
3. न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
4. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
5. सेमीकंडक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड।

अपराह्न 12.2$^1/_2$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की बैठकों के तत्संबंधी कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रक्षा मंत्रालय का रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सेना में भागीदारी अनुपात-नीति तथा परिप्रेक्ष्य संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश तथा नियोजन में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

याचिका समिति

दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं 'महिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम' के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों संबंधी चौथे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित "नई दूरसंचार नीति 1999 का कार्यान्वयन" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के नालको, खान मंत्रालय के आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विस्तार कार्यक्रम संबंधी 53वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आइये, अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करें। श्री मनोज सिन्हा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय विनिवेश मंत्री श्री अरुण शौरी जी द्वारा इस सभा से दस्तावेज को लेकर उसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन संबंधी नोटिस दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके मुझे इस विषय के संबंध में कुछ बोलने दीजिए।

महोदय, इस महीने, 23 अगस्त को जब विनिवेश संबंधी चर्चा चल रही थी, तो हमारे सहकर्मी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस दस्तावेज का उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मुझे इसका पता लगा लेने दें।

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय मंत्री जी इसका खंडन कर सकते थे और इसे गलत बता सकते थे। लेकिन वह आये और यहाँ से एक प्रतिलिपि लेकर चले गये और उसे अपने अधिकारियों को दे दिया जिन्होंने बाद में उसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। महोदय, किसी भी मामले को कहीं भी सौंप दिये जाने से हम भयभीत नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी द्वारा सदन से किसी दस्तावेज को लेकर उसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के संदर्भ में सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल जी, मैंने इसे चैक किया है। सचिवालय को आपका नोटिस मिल चुका है। वह अध्यक्ष के विचाराधीन है। अब, आपके द्वारा कोई अन्य प्रश्न करना अनुचित है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि आप मेरे विरुद्ध बहुत गलत वक्तव्य दे रहे हैं। महोदय, कृपया नियमावली देखें। मैंने नियमों का पालन किया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने यह तो नहीं कहा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, आपने कहा है कि मेरे लिए यह अनुचित है। महोदय, इस संबंध में मैने कोई अनुचित शब्द नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): लेकिन मामले के गुणदोष में जाना अनुचित है।

श्री पवन कुमार बंसल: इस सभा के माननीय सदस्य जिन तथ्यों के साक्षी रहे हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने वह नहीं सुना, जो मैंने पहले कहा था। मैंने कहा था कि आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसके पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने स्वयं ही मेरी टिप्पणी पर वक्तव्य देने की जिम्मेदारी ले ली है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे नोटिस की जानकारी है। एक कॉपी मेरे पास भी आई थी।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। अब श्री मनोज सिन्हा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर)**:** उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लाखों उद्योग धंधे बंद कर दिए गए हैं, लाखों लोग बेकार हो गए हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मेरा पहले का नोटिस भी विचाराधीन था। क्या मैं जान सकता हूं कि उस नोटिस का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके दोनों विशेषाधिकार प्रस्ताव मिल गये हैं।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, प्रस्ताव तीन दिन पहले ही मिल गये थे। उस समय भी मैंने निवेदन किया था और मुझे बताया गया जैसा कि मुझे आज बताया जा रहा है कि यह विचाराधीन है। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हुआ। वास्तव में कल इस सत्र का अंतिम दिन है *...(व्यवधान)* महोदय, वह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था जिसमें मेरे विचार से वित्त मंत्री ने सभा को गुमराह किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका विशेषाधिकार नोटिस अध्यक्ष महोदय के पास विचाराधीन है। इस बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल)**:** उपाध्यक्ष महोदय, यहां फैसला हुआ था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको फ्लोर दे दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: यह फैसला हुआ था कि 25 लाख मजदूरों की समस्याओं के बारे में मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और उनके पक्ष का एक नेता स्पीकर साहब के चैम्बर में चले जाएंगे और समाधान हो जाएगा। हम बार-बार इस सवाल को उठाते हैं। इस बारे में क्या समाधान हुआ, संसदीय कार्य मंत्री बताएं। स्पीकर साहब के चैम्बर में क्या बातचीत हुई और समाधान का क्या रास्ता निकाला गया, यह बताएं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: पहली बात, स्पीकर साहब के चैम्बर में क्या बात हुई, वह सदन में बताई नहीं जाती। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: कुछ भी नहीं हुआ। उनको बुलाया तक नहीं।

श्री प्रमोद महाजन: दूसरा, आपने स्पीकर साहब से प्रार्थना की है। वे जब भी मीटिंग बुलाएं, मैं एक पैर पर खड़ा हूं। अगर वे नहीं बुलाएं तो मैं थोड़े ही तय कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): कम से कम इन लोगों के लिए कुछ चिन्ता प्रकट कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मुझे भी उतनी ही चिन्ता है। मैं तैयार हूं। जब भी माननीय अध्यक्ष महोदय बैठक बुलायेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा मानव संसाधन मंत्री का ध्यान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चल रहे अध्यापकों के आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के अध्यापक पिछले पन्द्रह दिनों से हड़ताल पर हैं। लगभग डेढ़ वर्ष पहले चयन समिति द्वारा जो नियुक्तियां की गई थीं, जिनकी प्रोन्नति होनी थी, वहां के कुलपति ने कार्यकारी परिषद की बैठक न बुलाकर उन लोगों के चयन को इकतरफा रद्द कर दिया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बिहार का मामला है, मैं बुलाऊंगा।

श्री मनोज सिन्हा: महोदय, यह अत्यन्त गंभीर मसला है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय की अत्यन्त दुर्दशा हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मानव संसाधन मंत्री अविलम्ब इस मामले में दखल दें और वहां के जो अध्यापक कुलपति निवास के सामने खुली बरसात और आकाश के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, अविलम्ब उन लोगों की नियुक्तियां सुनिश्चित करायें। वहां के कुलपति का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। 20 मामले माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के उनके खिलाफ लम्बित हैं, आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि अविलम्ब हिन्दू विश्वविद्यालय में एक रैक्टर की स्थापना की जाये। दूसरे, हिन्दू विश्वविद्यालय का जो बिल लगभग 27 वर्षों से लंबित है, मैं डॉ. जोशी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस आशय की एक समिति बनाई है। हिन्दू विश्वविद्यालय में जनतांत्रीकरण की, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो सके, उसके लिए एक बिल इस सदन में लाने का कष्ट किया जाये। मैं ये दो बातें आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

रेल मंत्रालय द्वारा आर्डर न दिए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण करने वाली कुछ इकाइयों को बंद किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हम पश्चिम बंगाल की मालडिब्बा विनिर्माण इकाईयों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप शान्त रहेंगे तो चांस मिलेगा, नहीं, तो मैं एक बजे हाउस को एडजर्न कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: लगभग 80% रेल माल डिब्बों का पश्चिम बंगाल में विनिर्माण किया जाता है। पिछले पांच महीनों से रेल मंत्रालय ने मालडिब्बों के निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल की विनिर्माण इकाइयों को कोई क्रयादेश नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप चार माल डिब्बा विनिर्माण इकाईयां अब बंद हो गई हैं। इन माल डिब्बा विनिर्माण इकाइयों के आस-पास की हजारों लघु इकाईयां भी बंद हो गई हैं। कामगारों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। मुझे सूचना मिली है कि भुखमरी के कारण हावड़ा के स्टैण्डर्ड कार्यशाला के एक कामगार की मृत्यु हो गई। एक महीना पहले रेलमंत्री के चैम्बर में श्री सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 15 संसद सदस्यों ने भाग लिया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: उस बैठक में मंत्री महोदय ने कहा था कि कुछ कानूनी स्पष्टीकरण के बाद एक हफ्ते के अंदर क्रयादेश दे दिया जायेगा। उन्होंने बैठक में इसका जिक्र किया था। मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उस बिन्दु पर हम उनसे उत्तर चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय से पूछिए या अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पांच महीने पहले ही बीत गये हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मालडिब्बा विनिर्माण इकाइयों और हजारों लघु इकाईयों को बचाने के लिए क्रयादेश कब दिया जायेगा। मेरी मांग है कि पश्चिम बंगाल की मालडिब्बा विनिर्माण इकाईयों के लिए तुरन्त क्रयादेश दिया जाये ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): हम तो खड़े ही हो रहे थे, तब तक देखा कि आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो वैगन ऑर्डर से संबंधित प्रश्न माननीय बसुदेव आचार्य जी ने उठाया है, इसके बारे में वे पूरी तौर पर अवगत हैं। इस संबंध में इनकी हमारे साथ मीटिंग भी हुई थी और उसमें सबको यह मालूम है कि ऑर्डर प्लेस करने में विलम्ब का क्या कारण था। उसका कारण था कि एक जांच चल रही थी। जो अनस्पेसीफाइड स्टील का इस्तेमाल हुआ था, यह उससे संबंधित है। इसमें कॉर्टन स्टील की जगह माइल्ड स्टील का इस्तेमाल हुआ था। जब और जांच की गई तो पता चला कि कई फर्म्स ने ऐसा काम किया था। यह पूरी जांच चल रही थी, उसी बीच में यह बातचीत हुई थी।

उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था, सदस्यों की मांग थी कि इन्वैस्टीगेशन चलता रहे और इसी बीच में आर्डर भी दिया जाये, यानी दोनों डीलिंग की जाये। हमने इस बात को स्वीकार किया था और इस बारे में कानूनी राय ली जा रही थी कि कौन सी अंडरटेकिंग ली जाए, जिसके आधार पर उसको रिलीज किया जाए। हमने ऐसा निर्देश भी दिया था। इसी बीच में जांच की पूरी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद जो टेंडर था उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। उसमें हमने दो कदम उठाए हैं। एक तो टेंडर को फाइनलाइज कर दिया जायेगा और दूसरे जो कुछ उनको पैनल्टी या दूसरी कार्रवाई करनी है, उसके चैक प्रोसीजर में परिवर्तन लाने की, संशोधन लाने की, उसके लिए कमेटी बना दी है। जो यह देखेगी कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल रखें और डिफाल्टर पर कैसे पैनल्टी इम्पोज की जाए। यह कमेटी की रिपोर्ट के आधार कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक आर्डर रिलीज करने का सवाल है, हम आग्रह करेंगे कि मुझे यहां से फुर्सत दें, ताकि उसको शीघ्र कर सकूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम लोग बिहार से आते हैं। देश में बिहार भी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं। बिहार में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। देश के विभिन्न प्रांतों में मुसलमानों के लिए वहां की राजधानियों से हज यात्रा के लिए प्लेन की सुविधा और व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा यानि हज भवन द्वारा की गई है। लेकिन जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, उन लोगों के लिए आजादी के बाद से आज तक वहां की राजधानी पटना से प्लेन की सीधे उड़ान नहीं हैं। इसके अलावा न ही पटना में कोई हज भवन की व्यवस्था है। दुर्भाग्य है कि इस देश में केन्द्र सरकार के मंत्री शरद यादव जी, खुद बिहार से आते हैं। वे ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बंगलादेश का बोर्डर है और जहां सबसे ज्यादा आबादी मुसलमान भाइयों की है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब हज यात्रा की व्यवस्था कर पटना से सीधे हवाई सेवा की सुविधा प्रदान की जाए।

मेरा दूसरा आग्रह है कि एक तरफ केन्द्र सरकार का सौतेलेपन का व्यवहार वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार का सौतेलापन का व्यवहार बिहार के लोगों के साथ हो रहा है। आज पूरा बिहार हड़ताल पर है। वहां की सब ट्रक यूनियन और बस यूनियन आज हड़ताल पर हैं। वहां की सरकार ने ट्रांसपोर्ट पर तीन गुना टैक्स बढ़ा दिया है। वह बिल राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बन गया। इस कारण हमारे ट्रक मालिक वहां जाकर माल ढुलाई नहीं कर सकते। बिहार में पहले से ही गाड़ियों के पंजीकरण की दर काफी है और अब और शुल्क बढ़ाकर, 14 प्रतिशत तक बढ़ाकर लोगों के साथ भारी अन्याय किया है। बिहार सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि झारखंड बन गया इसलिए हमारे राज्य की आमदनी का स्रोत नहीं रहा। यह बिहार के आठ करोड़ लोगों के साथ अन्याय है। इससे वहां ट्रक और बस का भाड़ा बढ़ेगा, जिससे गरीब लोग बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। बिहार सरकार गरीब विरोधी रूप अपना रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रपति महोदय से हस्तक्षेप करके जो 14 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने का बिल उनके पास है, उसे पास न होने देने के लिए निवेदन करे। मैं इन दोनों मामलों पर संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे जवाब दें। सम्पूर्ण बिहार आज हड़ताल पर है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। परीक्षाएं चल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: वहां आठ करोड़ में से तीन करोड़ मुसलमान हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल है। मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पप्पू यादव, कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: आपका नियमन हो जाए। चेयर से कुछ आशीर्वाद दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मामला उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पप्पू यादव जी, यहां बैठकर गवर्नमेंट को हर इश्यू पर कम्पैल नहीं किया जा सकता।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: यह तीन करोड़ लोगों का मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: तीन करोड़ लोगों का मामला होगा लेकिन यहां बैठकर गवर्नमेंट को कम्पैल नहीं किया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: वहां बस की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाया। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी भले ही न जवाब दें। इससे क्या हम बिहार के सवाल पर बोलना बंद कर देंगे? किसी की कृपा से हम थोड़े ही जीतकर आते हैं? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.21 बजे

अमरीका में विशेष राजदूत (एम्बेसेडर-एट-लार्ज) की नियुक्ति के बारे में

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं पूरे देश के लिए एक बहुत गंभीर मामला उठाना चाहता हूं क्योंकि यह पहला अवसर है जब अनिवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में एक राजनीतिक पार्टी और एक रूढ़िवादी संगठन के किसी पदाधिकारी को विशेष राजदूत (एम्बेसेडर-एट-लार्ज) नियुक्त किया गया है ...*(व्यवधान)* श्री अग्निहोत्री नामक एक सज्जन जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध हैं, को अमरीका में अनिवासी भारतीयों के हितों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। वे अमरीका में भारत सरकार के राजदूत के नाम से जाने जाएंगे। वहां पहले से विद्यमान हमारे राजदूत के साथ उनका क्या संबंध होगा? उनकी वहां क्या भूमिका होगी? उनकी नियुक्ति के बारे में सभा को नहीं बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह नियुक्ति की गई है? इस तरह की नियुक्ति का क्या औचित्य है? अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों के मामले में यह सत्ता का सबसे भारी दुरुपयोग है। इस प्रकार की नियुक्तियां खुले रूप में की जा रही हैं।

मैं समझता हूं कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। सरकार को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसे इस नियुक्ति को प्रभावी नहीं बनाना चाहिए। इस बारे में किसी को नहीं बताया गया है। सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही इस असाधारण परिस्थिति के बारे में सभा को नहीं बताया गया है। हमने भी यह मामला उठाया है। लेकिन सरकार संसद में घट रही घटनाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ और

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

असंबद्ध है। यहां व्यक्त विचारों का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। इस नियुक्ति का क्या औचित्य है? अपने देश के प्रतिनिधित्व के लिए इस सज्जन का चयन कैसे किया गया? इस सज्जन की क्या योग्यताएं हैं? उनके क्या कर्त्तव्य होंगे?

अत: मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण नियुक्ति को तुरन्त रोका जाये। यह पूरी तरह अनधिकृत और अनुचित नियुक्ति है। सरकार को तत्काल इस मामले को सभा में स्पष्ट करना चाहिए कि पूरी तरह अवैध इस कदम को क्यों उठाया गया...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, मैं सोमनाथ चटर्जी जी से सहमत हूं और सभी जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे अवसर पर, इतने बड़े देश में नियुक्त किया गया है जबकि विदेश नीति के बारे में बहुत सारी बातें खड़ी हैं। हिन्दुस्तान, जो आज कुछ भी कहिए, कूटनीति में असफल होता चला जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका सबको भरोसा हो, विश्वास हो लेकिन आज मैं सदन के अंदर यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो पारदर्शिता बंद करो, यह कहना और यह कहो कि संघ परिवार को सब जगह नियुक्त करेंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर सब जगह और राजदूत से लेकर गवर्नर तक और जहां कर सकते हैं, करो और हम लोगों को विश्वास में न लें; लेकिन कम से कम जहां देश का सवाल हो, और जहां देश के सवाल को लेकर पूरा देश खड़ा हो और कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, चाहे कारगिल युद्ध से लेकर कोई सवाल खड़ा हो, पूरा देश का सवाल हो, वहां न कोई जाति और न कोई धर्म की बात है, ऐसे अवसर पर तो कम से कम हमें लोगों की भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिस पर पूरा भरोसा नहीं है, जान-पहचान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है और आज भले ही आप सत्ता में बैठे हों, ऐसी विचारधारा से कम से कम 70 फीसदी से ज्यादा लोग अविश्वास करते हैं, उस विचारधारा के व्यक्ति की अगर अमरीका में नियुक्ति की जाएगी और वह सरकार का पक्ष रखेगा, तो मैं समझता हूं कि कभी नहीं रख सकता। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन मजबूर कर रहा है, यह बात सदन के सामने स्पष्ट होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के खिलाफ हैं और हम जानते हैं कि यह देश के हित में नहीं है। दुनिया के देशों में हमारे स्वाभिमान, सम्मान और हमारी कूटनीति तथा विकास के मामले में देश को आगे बढ़ायें। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर, हमारी आन्तरिक एकता और अखण्डता को खतरा है। इसलिए ऐसे मौके पर भावनाओं को कुठाराघात मत पहुंचाइए। उस व्यक्ति को वापिस बुलाइए और दूसरे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कीजिए, जिसमें हमारे देश के लोगों को विश्वास हो। इस व्यक्ति की नियुक्ति पर तो आज से ही प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सदन में पहला मौका होगा, जब ऐसे व्यक्ति कि नियुक्ति पर सवाल उठाना पड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को वापिस बुलाइए और तत्काल वापिस बुलाकर, दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कीजिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने सवाल उठाया है और वह सवाल यह है कि अमरीका जैसे देश में एक व्यक्ति की नियुक्ति, जिसके बारे में देश को मालूम नहीं, सदन को मालूम नहीं और उन परिस्थितियों को मालूम नहीं, जहां पर पहले से ही एक दक्ष और कुशल राजदूत हैं, जो कुछ दिनों पहले हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं, उनके रहते हुए, एक राजदूत नियुक्त करने की क्या जरूरत थी। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जो चर्चा अखबारों में निकली है, उससे मन में सन्देह और शंका पैदा होती है। मैं ऐसा समझता हूं, जैसा सोमनाथ जी और मुलायम सिंह जी ने कहा, विदेश नीति के बारे में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, जिससे यहां लोगों के मन में दुविधा और शंका पैदा हो कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अगर विशेष परिस्थिति थी, उस व्यक्ति में कोई विशेष कुशलता थी, ज्ञान था, दक्षता थी, तो उसको केवल सदन के सामने ही नहीं देश के सामने रखना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि वे संस्था विशेष के संचालक थे और इस कारण उनको नियुक्त किया गया। मेरा किसी संस्था से द्वेष नहीं है, लेकिन विदेश नीति में इस तरह का कदम हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मुलायम सिंह जी से निवेदन करूं, ऐसी नियुक्ति पहली बार नहीं हुई है। एक बार हमारे दूसरे प्रधान मंत्री जी द्वारा इसी तरह के व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, विदेश में नहीं अपने कार्यालय में, मैंने उस सवाल को इसी सदन में उठाया था और उस समय के प्रधान मंत्री जी ने उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। मैं समझता हूं कि उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जी जो भी उचित समझें, उनकी अनिवार्यता के ऊपर या उनकी कुशलता के ऊपर, अगर सदन को और देश को सूचित करना चाहें, तो शंका का निवारण हो सकता है, अन्यथा इस शंका से बुरी भावना लोगों के मन में हो रही है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सोमनाथ चटर्जी जी के जो विचार हैं, उन विचारों से हम पूरी तरह से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस नियुक्ति पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा है और इससे सन्देह का वातावरण बना है। देश के घरेलू मामलों में हमारी विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन जब कभी विदेश नीति की बात आती है, तो चाहे सत्तारूढ़ दल हों या विपक्षी दल हों, सबने यह प्रयास किया है कि एकजुटता के साथ एकता की छवि को प्रस्तुत करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल की ओर से, सरकार की ओर से, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को सिर्फ देश में ही नहीं प्रसारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, बल्कि राजदूत द्वारा, हमारी एम्बैसीज द्वारा विदेशों में भी इसको प्रसारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे बहुत कुछ नुकसान भारत की छवि को होगा। सिर्फ हम ही इसके बारे में चिन्तित नहीं हैं, विदेशों में भी जो भारतीय मूल के निवासी हैं, उनके कई फैक्स और पत्र हमें आ रहे हैं। नमूने के तौर पर श्री सुरेन्द्र मल्होत्रा, जो इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, द्वारा भेजा गया फैक्स और उनके जो विचार हैं, उनको उसी रूप में मैं सदन में रखना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"संयुक्त राज्य में 1.7 मिलियन भारतीय रह रहे हैं। हम, भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रक्रिया में स्टेट राजनीति के स्तर से लेकर व्हाइट हाउस तक के स्तर तक सक्रिय हैं और व्यावसायिक और आर्थिक रूप से बहुत सफल हैं।"

"हम, संयुक्त राज्य में रहने वाले भारतीय, अपने विरुद्ध सांप्रदायिक और कट्टरवादी ताकतों के हमले के बावजूद भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में प्रक्षेपित करने का प्रयास करते हैं। मुझे आपका इस ओर ध्यान दिलाते हुए दु:ख हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा संघ परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य को अनिवासी भारतीयों का राजदूत नियुक्त किया गया है। सांप्रदायिक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष भारतीयों का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुसंख्यक हैं, यह विस्मयकारी है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही आपत्तिजनक कार्यवाही की गई है और इस पर निश्चित रूप से मैं अपने आपको और अपनी पार्टी को पूर्ण रूप से श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं, इससे हमारे राजदूत की स्थिति कमजोर होगी। उनके और हमारी पूरी एम्बेसी के बारे में जहां तक यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, वहां एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार हो और इस नियुक्ति को समाप्त किया जाए। सामान्यतौर से दूसरे देशों में जो प्रक्रिया चलती है, उसीके मुताबिक हमारा एक राजदूत रहे, यही आपके द्वारा हम सरकार से मांग करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस सभा में अलग-अलग उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, क्या मंत्री महोदय को सरकार ने इस मामले पर विश्वास में नहीं लिया है? ...*(व्यवधान)* मंत्री जी को खड़े होकर कुछ कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलीया (जूनागढ़): महोदय, हर किसी को कोई भी विचारधारा मानने का अधिकार है। इस तरह ये कैसे बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, इतने बड़े-बड़े माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले तो मेरा यह कहना है कि शून्य-काल में जो विषय उठाया जाता है, उसकी मुझे पूर्व सूचना नहीं होती। अगर मैं कहूं तो कुछ लोग बुरा मानेंगे। जब प्रथम श्रेणी के नेता बोलने के लिए उठते हैं तो उसकी पूर्व सूचना आपको भी नहीं होती। ...*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि कम से कम दस बजे के पहले अगर सूचना आ जाए तो उसकी कापी मेरे पास आ जाती है। मैं सरकार से उसकी प्रतिक्रिया जान सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हमारे द्वारा मंत्री महोदय को एक प्रति भेजा जाना अपेक्षित नहीं है। सचिवालय और माननीय मंत्री के बीच ऐसी व्यवस्था हो सकती है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, उन्हें मुझे सुनना चाहिए। वह मुझे हमेशा बाधित नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने नहीं कहा था कि उन्हें मुझे इसकी प्रति भेजनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मंत्री महोदय क्यों क्रोधित हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, उन्होंने मुझसे प्रतिक्रिया देने को कहा, पन्तु वे मुझे दो वाक्य भी नहीं कहने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहा था। उन्होंने मुझसे खड़े होने के लिए कहा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें उन्हें सुनने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री महोदय को सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं चुप बैठा था, आपने मुझे उठने के लिए कहा और उठने के बाद मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* बापू जी, हम बरसों साथ रहे हैं। अब गुस्से पर अगर आप बोलने लगे कि गुस्सा कम करो तो सारे गुजरात में हास्य की लहर फैल जाएगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष जी, आदरणीय सोमनाथ जी मुझे कोई पत्र लिखें, मैं यह नहीं कह रहा था। मैंने यह कहा भी नहीं, आप गुस्सा कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं मांगा था, लेकिन जब भी दस बजे अध्यक्ष जी को सूचना दी जाती है तो उसकी एक प्रति मेरे पास आती है। मुझे सूचना दें, मैंने यह कभी नहीं कहा। आपको इसमें आपत्ति क्या थी। जब सूचना आती है तो कम से कम मुझे समय मिलता है। जैसे मैंने कहा कि अब यह नयी पद्धति शून्य-काल में शुरू हुई है कि शून्य-काल में सीधे स्पीकर को नोटिस देने के पहले खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)* अब यह एक और नयी पद्धति आई है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: आप मुद्दे पर आइए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर में आऊंगा। ...*(व्यवधान)* फिर उसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो मामला और गंभीर हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: आप मूल मुद्दे का जवाब दीजिए, आप कहां घूम रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: सिंधिया जी, मुद्दा घूम-घूम कर आया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है, उन्हें 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कीर्ति झा आजाद, कृपया संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, हमें एक हफ्ता नोटिस दिए हुए हो गया है।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद: जिन्होंने नोटिस नहीं दिया है उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आप मुझे इंट्रप्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, श्री कीर्ति झा आजाद ऑफ स्पिनर रहे हैं। मैंने उन्हें इतनी तेज गेंदबाजी करते हुए कभी नहीं देखा है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, वह 'छक्के' मारने का प्रयास कर रहे हैं। वह गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): उन्होंने गुगली मारी है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो भी नियुक्तियां की हैं वे पूर्णत: नियमों के अनुसार की हैं। उसमें उसने कोई गलती नहीं की है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है।

अपराह्न 12.36 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री माधवराव सिंधिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमें उन्हें सुनने दें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई सरकारी नौकरी हो, उसमें प्रतिबंध हो तो समझ में आता है। अगर हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और स्वयं मैं उसका सदस्य हो सकता हूं तो कोई और नियुक्ति जो पूर्णत: राजनैतिक नियुक्ति है उसमें कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हो तो उसमें मुझे कोई अपराध नहीं लगता है। सरकार ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है उस व्यक्ति को मैं जानता हूं। वर्षों से वह अमरीका में रहकर भारत की सेवा कर रहे हैं और अगर वह भारत की प्रतिमा को उज्ज्वल बनाने के लिए सेवा करना चाहते हैं और उसका कोई निर्णय लिया गया है तो भारत सरकार ने कोई गलती नहीं की है। इस निर्णय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। उनको जो भी काम दिया गया है वह उसको जरूर करेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): आपका वॉक-आउट है और आप बोलना भी चाहते हैं। आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं बाहर जाकर वापस आ गया हूं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो एक हजार की आबादी पर एक जन-स्वास्थ्य-रक्षक रखा गया जिसको सीएचडब्ल्यू कहते हैं। 1977 में उसकी तनख्वाह 50 रुपये प्रतिमाह थी लेकिन आज 24 साल बाद भी उसको वही तनख्वाह मिल रही है। आज 50 रुपये का क्या अर्थ है वह मेरी समझ में नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन ने जिस समय माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधान मंत्री थे, सरकार से फरियाद की तो उसने 25 जुलाई 1997 को एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट 10 दिसम्बर 1998 को दे दी थी। जन स्वास्थ्य रक्षकों से कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपका मामला विचाराधीन है उसे वापस ले लीजिए, तो संगठन ने रिट याचिका भी वापस ले ली। सन् 1984 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राज्य सभा के सदस्य थे तो उन्होंने भी इस सवाल को सदन में उठाया था। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

वे लोग इसे लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भारत सरकार से क्या पूछना है? आप भाषण क्यों दे रहे हैं। यह शून्य काल है।

श्री रामजीलाल सुमन: उन्हें केवल पचास रुपये दिये जा रहे हैं। केवल पचास रुपये देने का क्या अर्थ है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: क्या भारत सरकार के पास उन्हें देने के लिए पैसा नहीं है? यह एक गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार से क्या मांगना है वह पूछिए। यह शून्यकाल है। भाषण करने का वक्त नहीं है। भारत सरकार हर बार रिस्पौंड नहीं करेगी।

श्री रामजीलाल सुमन: मेरा निवेदन है कि इसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस बारे में आप उनसे पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: केन्द्र सरकार इस बारे में हमें बताएं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से मिला था लेकिन कोई हल नहीं निकला। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः शून्यकाल में आपने मामला उठा लिया और सरकार ने उसे सुन लिया। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः यह भाषण करने का समय नहीं है। यह शून्यकाल है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इस हाउस का क्या अर्थ है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज, ये भारत के आय के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। मैं जब पहली बार संसद सदस्य बना, उस समय भी मैंने कहा था कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः 65 करोड़ रुपया एक्साइज, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का लिया गया *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। यह स्टेट मैटर है। यह मामला वहां की विधान सभा में रेज हो चुका है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख दिया है। हम किसी प्रकार की जांच से नहीं डरते हैं लेकिन किसी का चरित्र हनन करने की इजाजत इस सदन में किसी को नहीं होनी चाहिए। यह जिस तरह की जांच कराना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। शायद लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया है। मैं आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। *...(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकरण को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका मैटर है।

[अनुवाद]

''मध्य प्रदेश में आय कर, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर की चोरी

[हिन्दी]

इसमें किसी का नाम नहीं है। किसी इंडीविजुअल का नाम न लें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उन्होंने खड़े होकर कहा है इसलिए मैं कोट कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः किसी को कोट नहीं करना है। आप अपने सबजैक्ट पर आएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख कर कहा है कि इस प्रकारण की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। मैं भी यही बात कहने जा रहा हूं। शायद लक्ष्मण जी को लग रहा है कि मैं इसे राजनीतिक तूल देना चाहता हूं। यह बात जरूर है *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंहः मैं इस बात पर फिर अडिग हूं कि चाहे किसी प्रकार की जांच करा लें, हम किसी जांच से नहीं डरते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया, वह किसी का संदर्भ नहीं दे रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से क्यों बाधित कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है तो इस मामले की जांच होनी चाहिए लेकिन मैं वहां के मुख्य मंत्री और कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पत्र लिखने की बात आती है *...(व्यवधान)** आज जो परिस्थिति है उन परिस्थिति में अगर इतनी ईमानदारी है तो कल तक इस्तीफे की बात की जाती थी, अब क्यों नहीं की जा रही है? यह 65 करोड़ रुपये का मामला है। *...(व्यवधान)** उनका शराब ग्रुप स्थापित करने की बात हो रही है। *...(व्यवधान)* इसकी जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः किसी का नाम नहीं लेना है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: चाहे कोई भी हो, किसी का नाम नहीं लेना है। नाम रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: इस मामले की जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की लूट वहां के मंत्रियों, अधिकारियों और शराब माफिया द्वारा हो रही है, उसकी सी.बी.आई. जांच कराई जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पाइंट पर नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनसे अपने आपको सम्बद्ध कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री विजय कुमार खंडेलवाल: उपाध्यक्ष महोदय, श्री पटेल ने जिस विषय को यहां उठाया है, मैं स्वयं को उससे एसोसिएट करता हूं कि मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की नामरूप इकाई पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है। कुछ दिन पहले यह रुग्ण हो गया। क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 350 करोड़ रुपये के कुल निवेश, जिसे कि बाद में संशोधित कर 510 करोड़ रुपये किया गया था, के साथ वर्ष 1997 में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की नामरूप इकाई के लिए पुनरोद्धार पैकेज का अनुमोदन किया गया है। विशेपज्ञ समिति की सिफारिश, जनता की मांग और पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति की अनुशंसाओं के बावजूद, सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन से इस इकाई को अलग करने के बारे में निर्णय लिए जाने में काफी लंबा समय लिया गया है। सरकार ने देर से निर्णय लिया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन्हें अलग-अलग करने का निर्णय ले लिया है। कभी नहीं से देर भली।

महोदय, इस विलंब के कारण, कारखाने को काफी लंबे समय से हानि होती रही है। अब, सरकार को शीघ्र कदम उठाने होंगे। इस संगठन के कर्मचारियों के वेतन का संशोधन 1.1.1992 से नहीं किया गया है। वे बहुत ही कम वेतन ले रहे हैं और अपने दिन बड़ी ही विपन्नता से व्यतीत कर रहे हैं। वर्ष 1997 से भर्ती पर रोक भी है। कारखाने को सावधिक ऋण जुटाने में कठिनाई महसूस हो रही है। सरकार को इन सभी मामलों में तत्काल कदम उठाने होंगे।

इन सब बातों के मद्देनजर, मैं सरकार से यथाशीघ्र इस कारखाने के लिए 250 करोड़ रुपये के सावधिक ऋण की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय संस्थानों के संघ को सलाह देने का अनुरोध करता हूं ताकि शेष कार्य को जल्दी किया जा सके।

महोदय, इसे आधुनिक उर्वरक कारखाना बनाए जाने हेतु नामरूप इकाई को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के औद्योगीकरण की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): महोदय, मैं उनका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव जी, आपको उनका समर्थन करने की अनुमति है।

अब, डा. वी. सरोजा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई बार नोटिस दिया है लेकिन हमें एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप मेरे साथ बैठेंगे, तो आपको भाषण देने का मौका मिलेगा। यदि आप अपना उल्लेख अभी करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण अधिनियम को बिना किसी विलंब के पारित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, तमिलनाडु में, दिनांक 19.7.1994 को प्रभावी रूप से भारत के संविधान को संशोधित किया गया था और तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सेवाओं के पदों पर नियुक्ति) अधिनियम, 1993 को तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री, डा. पुराची थालैवी जयललिता द्वारा नौवीं अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 257क में सम्मिलित किया गया था।

महोदय, इसके अलावा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार के राज्यों ने भी इस अधिनियम को पारित किया था। इस अधिनियम में उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में आरक्षण; संविधान में निहित सभी संवैधानिक सुरक्षोपायों और उक्त सुरक्षोपायों से सभी कार्यकारी अनुदेशों, परिपत्रों और ज्ञापन, और आरक्षण से संबंधित सभी मामलों यथा, रियायत, छूट, आदि और भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु मैं सरकार से बिना किसी विलंब के संसद में आरक्षण अधिनियम पारित करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मामला रखना चाहता हूं। क्रांति दिवस 9 अगस्त के अवसर पर बिहार राज्य के मेरे क्षेत्र औराई गांव के लोग बाढ़ से राहत मांगने गये तो उन पर गोलियां चलाई गई। परिणामस्वरूप चार लोग मारे गये और 50 लोग घायल हो गये। इस सवाल पर शान्तिपूर्ण घोषित कार्यक्रम के अनुसार मैं मुजफ्फरपुर कलैक्ट्रेट के गेट पर अपने साथियों के साथ धरना पर बैठा था। तभी आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फरपुर आये और मुझे कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। हमने जब गिरफ्तारी का वारंट मांगा तो वारंट देने की बजाय पुलिस कर्मचारियों की भारी भीड़ को बुलाया और कहा कि मैंने आज तक इतने सारे एम.पीज. देखे हैं और कहा कि इसे उठा लो और नहीं चले तो घसीट कर ले जाओ। तुरंत मुझे घसीटकर ले गये और साथ ही 39 लोगों को लॉक अप में बंद रखा। हमें हाजत में बंद रखा और हाजत में ही बंद नहीं रखा, रात के 11 बजे तक बिना पानी के बंद रखा। हमें रात्रि को छोड़ा। जिसके कारण हम 10 तारीख को सदन की कार्यवाई में भाग नहीं ले सके। 21 तारीख को हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस सचिवालय को दिया है। 24 तारीख को हमने इसे सदन में रेज किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर नोटिस भी दिया था। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आरक्षणी अधीक्षक ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया हुआ है। हम आपका नियमन चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आप इसे देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, यह मत दिखाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, यह मत दिखाइये। आपको यह दिखाने की अनुमति नहीं है। आप कह सकते हैं। मैं आपको इसके साथ संबद्ध होने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम एसोसिएट करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष महोदय, इन तस्वीरों को देख लीजिए, इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक समय पर एक व्यक्ति बोले। मैं एक समय पर हरेक को बोलने की कैसे अनुमति दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए। कृपया यह मत दिखाईये। आपको ऐसी चीजें दिखाने की अनुमति नहीं है।

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, मैं इस मामले से स्वयं को संबद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय की गंभीरता पर बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* यह ऐसा सवाल नहीं है, यह विषय बहुत गम्भीर है। यह केवल श्री नवल किशोर राय का ही सवाल नहीं है पूरे सदन के माननीय सदस्यों ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप सब एक साथ खड़े हैं। कृपया एक समय में एक बोलिए। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रीविलेज का मामला है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें आपका संरक्षण चाहिए। माननीय सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इसे प्रीविलेज कमेटी में कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए। यह मैटर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रीविलेज कमेटी में भेजना चाहिए। यह केस इस तरह का है कि यह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सिमरनजीत सिंह मान, मैं श्री चन्द्रशेखर के बाद आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह अत्यंत गम्भीर सवाल है। अगर किसी सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और सदन उस पर भी मौन रह जाए तो इससे बुरी स्थिति और कोई नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कभी-कभी सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया होती है, वह अत्यंत आपत्तिजनक होती है और मेरे जैसे लोगों के लिए यह कठिन हो जाता है कि सदन में बैठे रहें या उठकर चले जाएं। मैं वाक-आउट करने का समर्थक नहीं हूं। मैंने जिंदगी में कभी वाक-आउट नहीं किया है। लेकिन जिस तरह का भाषण हमारे प्रमोद महाजन ने दिया है, हम भी मानते हैं कि सरकार किसी को भी राजनीतिक तौर पर चाहे वह किसी मत को मानने वाला हो, नियुक्त कर सकती है। लेकिन बाहर राजदूत नियुक्त करना एक बड़ा गम्भीर सवाल है। अगर वह चाहते हैं कि अमरीका में भी हिन्दुत्व का सवाल उठे तो उन्हें मुबारक हो। इस बुद्धि से वह देश को कब तक चलायेंगे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आज इस सवाल पर हम लोग कैसे चुप रह जाते हैं।

एक सवाल श्री नवल किशोर राय ने उठाया है तो अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय आपको स्वयं ही इस मामले को जांच के लिए प्रीविलेज कमेटी में भेजना चाहिए। चूंकि अखबार को देखने से ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हुआ है वह अत्यंत दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार हुआ है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे ले जाकर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को दें और अगर इन्होंने दे दिया है तो इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बारे में लोक सभा सचिवालय और आपको इस मामले को देखना चाहिए।

श्री विजय गोयल: इस मामले में हम भी इनके साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, हम अपने पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बात का समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले में गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक टिप्पण मांगा गया था। 29.8.2001 को अनुस्मारक जारी किया गया था। यह स्थिति है। मंत्रालय की बात सुनने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री संतोष मोहन देव: हम इसका समर्थन करते हैं। कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर: उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे मामलों में बहुत अधिक विलम्ब होता है तो उसका कोई कारण होना चाहिए।

राज्य सरकार को तत्काल स्पष्टीकरण भेजने के लिए कहना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में भी यदि ऐसे संवेदनशील मामलों का दो सप्ताह तक कोई उत्तर नहीं मिलता है तो राज्य सरकार के कार्यकरण में कुछ कमी प्रतीत होती है। राज्य सरकार को इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यहां जो परंपरा है, हमने उसके मुताबिक ही पत्र भेजा है। वहां इतना विलंब हुआ है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको एक्सपीडाइट कराना चाहिए, मैं भी उसमें आपसे सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय सम्पूर्ण सभा पुलिस के दुर्व्यवहार और क्रूरता जिसके बारे में अभी श्री नवल किशोर राय ने बताया है, पर चिंतित है। यह शर्मनाक है कि पुलिस तथा गृह मंत्रालय ने अभी तक इस मामले में अपने उत्तर नहीं भेजे हैं। हम आशा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय तत्काल इस पर कार्यवाही करें और न्याय होना चाहिए। अन्यथा सांसदों के साथ वही होगा जो श्री राय के साथ हुआ है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम कुछ निश्चित मानदंडों का पालन कर रहे हैं। जब भी ऐसी घटनायें होती हैं, हम सूचना की सत्यता की जांच कराते हैं। इस मामले में भी हमने इसका उसी तरीके से पालन किया है। कुछ अनावश्यक विलम्ब हुआ प्रतीत होता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होना चाहिए था। अन्यथा अनुस्मारक क्यों जारी होना चाहिए? मैंने पहले ही अपनी टिप्पणी दे दी है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 233 के तहत जब कोई माननीय सदस्य किसी प्रिविलेज के मैटर को सदन के संज्ञान में लाएगा तो सदन का काम उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेना है। अगर उसमें विलंब हो गया तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सदन से इजाजत लेनी चाहिए इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए ताकि प्रिविलेज के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, कल सत्र का अंतिम दिन है। इस पर विचार करते हुए आप कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ विचार-विमर्श करें और देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): ऐसे मामलों में जब एक माननीय सदस्य यहां आकर सभा के सामने निवेदन करते हैं तो उनकी बात प्रत्यक्ष रूप में मानी जानी चाहिए। जब माननीय सदस्य स्वयं यहां उपस्थित हैं तो ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब हम कतिपय प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने माननीय सदस्यों पर अविश्वास करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: अफसरशाही हमेशा ही कार्यवाही में विलंब करती है। वह संसद के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उतना आदर नहीं दिखा रहे हैं जितना दिखाना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अहमद, कुछ अनुशासन भी आवश्यक है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर लोक सभा क्षेत्र जहां से मैं आया हूं, पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जिला है। जोधपुर लोक सभा क्षेत्र में रक्षा विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां चलती हैं, वहां जगह-जगह उन्होंने राडार लगा रखे हैं। पिछले करीब 300 वर्षों से वहां पर माइनिंग का कार्य चल रहा है लेकिन रक्षा विभाग के एक राडार की वजह से आज करीब जो 600 खानें वहां चल रही थीं, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि उनको बंद किया जाए। इससे तीन लाख मजदूर बेकार हो जाएंगे और उनको रोजी-रोटी नहीं मिलेगी। जोधपुर में जहां इतनी बड़ी संख्या में माइन्स हैं और करीब 300 वर्षों से चल रही हैं, एक छोटे से राडार के लिए तीन लाख लोग बेकार हो जाएंगे तो रोजी-रोटी के लिए कहां जाएंगे? मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस राडार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लें लेकिन उन माइन्स को बंद न होने दें।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब दिल्ली के नागरिक अपने घर में दिवाली मना रहे होते हैं, जब होली मना रहे होते हैं, तो दिल्ली की पुलिस के जवान सड़कों पर पहरा देकर चौकसी कर रहे होते हैं। उनकी कठिन एवं जोखिमभरी ड्यूटी के कारण ही उन्हें 12 महीने में 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है और जो बढ़े हुए एक महीने का वेतन है उसके ऊपर उन्हें डी.ए. भी दिया जाता रहा, लेकिन अब उस एक महीने के वेतन पर दिया जाना वाला डी.ए. बन्द कर दिया गया है जो कि लगातार पिछले अनेक वर्षों से बदस्तूर मिलता रहा था। दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा में लगी हुई है और अपनी जान की परवाह न कर मुस्तैदी से दिल्ली के नागरिकों की रक्षा कर रही है, लेकिन उनके बढ़े हुए एक महीने के वेतन पर डी.ए. के कम किये जाने से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है, जो न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस के जवानों को एक वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक आवकाश (केजुवल लीव) मिलता था, उसे भी घटाकर 10 कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। चूंकि उनकी कोई एसोसिएशन या यूनियन नहीं है और वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं इसलिए उनके साथ सरकार द्वारा इस प्रकार अन्याय किया जाना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सुरक्षा के लिए मार्डर्न इक्विपमेंट मुहैया कराए जाएं, उनके डी.ए. को पुनः चालू किया जाए और जो आकस्मिक छुट्टियां 15 से घटाकर 10 की गई हैं, उन्हें 15 किया जाए। यहां कानून मंत्री जी

[हिन्दी]

उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यदि वे इस मामले पर सदन को आश्वस्त करेंगे, तो दिल्ली पुलिस भी आभारी रहेगी और हम भी उनके आभारी रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1996 में हुई भारत-नेपाल संधि के करण एक्रीलिक फाइबर और इसके यार्न उद्योग के समक्ष मौजूदा कठिनाइयों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हो यह रहा है कि नेपाल बिना किसी सीमा शुल्क के भारत से एक्रीलिक फाइबर का आयात कर रहा है। जब भी कोई भारतीय आयातक इस एक्रीलिक फाइबर का आयात करता है तो उसे 25 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है। नेपाल भारत से एक्रीलिक फाइबर का आयात भारतीय पत्तनों के जरिए कर रहा है और अपने देश में ले जा रहा है तथा उसका प्रसंस्करण करके उसे सस्ती दर पर एक्रीलिक फाइबर फिलामेंट के भिन्न नाम से इसे पुनः भारत को निर्यात कर रहा है ...*(व्यवधान)* इस तरह नेपाल दोनों तरह से लाभ उठा रहा है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय विदेश मंत्री और माननीय वाणिज्य मंत्री से इसकी जांच करने तथा भारत-नेपाल संधि की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष दिसम्बर में संधि की समीक्षा की जानी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। अब श्री अधीर चौधरी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, भारत में अपहरण की संख्या में दिन-दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय माफिया गिरोहों और उनके भारतीय सहयोगियों ने यह पाया है कि अपहरण और फिरौती की धनराशि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। हाल ही में, उन माफिया गिरोहों ने अपना कार्य क्षेत्र मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर लिया है। पश्चिम बंगाल में अपहरण की घटनाओं से पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी है और विशेषकर व्यवसायी वर्ग परेशानी में है। इन गिरोहों ने अपने ऊपर निगरानी की कमी का लाभ उठाते हुए पश्चिम बंगाल को अपहरण और आपराधिक गतिविधियों की शरणस्थली में बदल दिया है, जबकि ऐसी स्थिति पहले नहीं थी लेकिन अब दिनों-दिन फैलती जा रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बताएं कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री अधीर चौधरी: जी हां, महोदय। पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र की तरह कोई कड़ा कानून लागू नहीं है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह राज्य सरकार के परामर्श से एक तंत्र विकसित करें ताकि इन अंतर्राष्ट्रीय माफिया से सख्ती से निपटा जा सके। धन्यवाद।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम और केन्द्र सरकार के कई संगठन वहां स्थित हैं। बहुत लंबे समय से यह महसूस किया जाता रहा है कि वहां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा को प्रारंभ करने

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

की तत्काल आवश्यकता है। हम समय-समय पर केन्द्र सरकार से सीजीएचएस सुविधा शुरू करने का अनुरोध करते रहे हैं। विशाखापत्तनम में बड़ी संख्या में औद्योगिक जनसंख्या और केन्द्र सरकार के उपक्रमों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से विशाखापत्तनम में सीजीएचएस सुविधा तुरंत मुहैया कराने हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 1.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.35 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.35 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सात व्यक्ति मर गए हैं।

मैं माननीय मंत्री से कोलार जिले के दुर्घटनास्थल का दौरा करने का अनुरोध करता हूं। मैंने सूचना भी दी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मुनियप्पा, आप इस मामले को कल उठा सकते हैं, अभी नहीं।

अब सभा मद संख्या 18 को लेगी।

अपराह्न 01.36 बजे

सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) कम्पनी (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 30.8.2001 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 01.37 बजे

(दो) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थपित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह पुर:स्थापन की अवस्था है। आप सिर्फ तकनीकी बातों पर बोल सकते हैं न कि विधेयक के गुण-दोष पर।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में अधिनियमित किया गया था जिसके बाद औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) का गठन किया गया था। हमें पता है कि बोर्ड में कुछ कमियां हैं। इसके बावजूद बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य रुग्ण केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और रुग्ण निजी क्षेत्र की कंपनियों का पुनरुद्धार करना था। यदि उस अधिनियम का निरसन किया जाता है तो उन रुग्ण सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों का क्या होगा जिनका मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है और जिनकी बी.आई.एफ.आर. द्वारा जांच की जा रही है।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 30.8.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अभी थोड़ी देर पहले, विधि मंत्री ने कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव है। इसका गठन बाद में किया जायेगा। लेकिन वर्तमान रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम का निरसन होने के बाद इन उद्योगों का क्या होगा? वर्तमान अधिनियम को निरस्त किये जाने का मुख्य उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया को तेज करना है। बी.आई.एफ.आर. उनकी जांच कर रहा है और अधिकांश मामलों में उनके पुनरुद्धार की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि इस अर्द्ध-न्यायिक निकाय की सिफारिश भी भारत सरकार द्वारा लागू नहीं की जा रही है। यहां तक कि वित्तीय संस्थान भी इन सिफारिशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं कई ऐसे मामले जानता हूं जिनमें भारत सरकार ने वित्तीय सहायता देने और बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार कर दिया।

बोर्ड में कमियां हैं पर उन कमियों को दूर किया जा सकता है। बी.आई.एफ.आर. के बदले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' लाने से बी.आई.एफ.आर. की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सरकार को बी.आई.एफ.आर. से निपटने में कठिनाई हो रही है। सरकार सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों को बंद करना चाहती है। लेकिन बी.आई.एफ.आर. उनके पुनरुद्धार के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है और सरकार उन इकाइयों को बंद नहीं कर पा रही।

यहां तक कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां बी.आई.एफ.आर. ने अंतिम निर्णय नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद करने का आदेश दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बासुदेव आचार्य, नियम-72 बहुत स्पष्ट है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जारी रहना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तेजी से बंद करने के लिए नया संगठन नहीं बनाना चाहिए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसके विपक्ष में बोलने के लिए दो अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिया है। उनको अपनी बात रखने दीजिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, हमारे देश के रुग्ण उद्योगों के संरक्षण के लिए बी.आई.एफ.आर. ही एकमात्र कार्यरत प्रणाली है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो बी.आई.एफ.आर. बंद हो जायेगा। लेकिन कई उद्योगों का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है जिन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उन उद्योगों के भविष्य का क्या होगा? हर व्यक्ति बी.आई.एफ.आर. के बारे में जानता है। यह अर्द्धन्यायिक निकाय है।

महोदय, जितने रुग्ण उद्योगों का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है लगभग उन सभी को बंद कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास आपको नियमों से अवगत होना चाहिए। यह विधेयक की विचारण अवस्था नहीं है। यहां आप विधेयक के गुण और दोषों के बारे में बोल रहे हैं। यह विधेयक की विचारण अवस्था के दौरान किया जा सकता है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: ठीक है, महोदय। विधेयक प्रस्तुत करने की अवस्था के दौरान मैं यही कहना चाहता था।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 के पुरःस्थापन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के बारे में अन्य विकल्पों या तंत्रों पर विचार किये बगैर सरकार इसे कैसे निरस्त कर सकती है? उन 12 लाख से 15 लाख कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा जो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत हैं।

महोदय, अभी थोड़ी देर पहले माननीय विधि मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने न्यायाधिकरण का जिक्र किया।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, मतलब की बात कीजिए। आप किस कारण से इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री सुनील खां: महोदय, हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के लिए सरकार के बेतुके कृत्यों का फल है। यही मेरा कहना है। इससे होने वाली हानि की पूर्ति कैसे की जाएगी। मेरे विचार से बी.आई.एफ.आर. को बन्द करने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना चाहती है।

अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप पुनः विधेयक के गुण-दोषों की बात उठा रहे हैं। यह तकनीकी मुद्दा नहीं है।

अब श्री लक्ष्मण दास—उपस्थित नहीं

श्री रूपचन्द पाल—उपस्थित नहीं

अब, माननीय मंत्री महोदय।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने सहकर्मी श्री बसुदेव आचार्य और सभा के अन्य माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि इस विधेयक के निरसन के बाद कंपनी स्तर पर श्रम संबंधी कोई रिक्तता नहीं होगी। यह साथ-साथ चलता रहेगा। कोई रिक्तता नहीं है।

जहां तक बी.आई.एफ.आर. का प्रश्न है, हर व्यक्ति जानता है और वह अच्छी तरह जानते हैं कि कई कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): बार-बार हम सभा में कहते रहे हैं कि हमें बी.आई.एफ.आर. को और अधिकार देना चाहिए। लेकिन वे बी.आई.एफ.आर. को बंद करने की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, आपने कोई सूचना नहीं दी है। जिन सदस्यों ने सूचना दी है, वे पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अब अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह विरोध करने का समय नहीं है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मेरे विद्वान सहयोगी श्री अरुण जेटली ने अभी कम्पनी (संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव किया जिसके बारे में श्री बसुदेव आचार्य ने एक बात कही। इसमें न्यायाधिकरण का प्रावधान है। हम कुछ धनराशि जुटा रहे हैं। यह 0.01 प्रतिशत रहेगी। शुरू में हम 5 रु. प्रति लाख से शुरू कर रहे हैं, जो 0.05 प्रतिशत है।

अधिकतम मात्रा 0.1 रहेगी। स्वाभाविक ही है कि इससे धनराशि आयेगी और कामगारों के हितों की सुरक्षा होगी। यदि आप उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें तो पायेंगे कि उन पर खास ध्यान दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: इकाइयों को बंद करके आप कामगारों के हितों की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे?

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप सभा में एक नई परंपरा डाल रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: आप देख सकते हैं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के तहत श्रम मंत्रालय जब और जैसी सिफारिश करना चाहे उसके अमल में, 20,000 रुपये की सीमा लगायी जा सकती है। आप जानते ही हैं कि इराडी आयोग की नियुक्ति की गई थी। यदि हम निरसन विधेयक देर से लाएँ तो आप पूछेंगे कि देरी क्यों हो रही है और यदि हम उसे समय पर ले आएं तो आप कहते हैं कि यह असंवैधानिक है।

महोदय, मैं समझता हूं कि कोई विचारहीनता नहीं है और मुझे लगता है कि कामगारों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं अपने विद्वान सहयोगी श्री पाटील के कथन का समर्थन करता हूं। कहना होगा कि यद्यपि किसी विधेयक की प्रस्तावना के समय केवल संविधान-वाह्यता अथवा विधायी सक्षमता से संबंधित सीमित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तथापि, इसके लाभालाभ और विशेषकर कामगारों के हितों से संबंधित प्रश्नों को यहाँ रखा गया है।

महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य और उनके सहयोगियों को आश्वस्त कर दूं कि यदि आप पहला कानून देखें तो पायेंगे, कि उसका संपूर्ण उद्देश्य ही उसी बात को इंगित करता है जिसका आप सुझाव दे रहे हैं। उसका उद्देश्य है कि जहां तक बी.आई.एफ.आर. का संबध है, कमियों को दूर किया जाये। बी.आई.एफ.आर. में कमियां पाई जा रही थीं।

इस अधिनियम को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि यदि कोई दल श्रमिक-हितों के संरक्षणार्थ प्रस्तावित इस प्रथम विधेयक का समर्थक होगा तो वह आपका दल ही होगा। बी.आई.एफ.आर. में कमी यह थी कि वह उन तीन मंचों में से एक है जो वाणिज्यिक परिक्षीणता के प्रकरण देखते हैं। सी.एल.बी. भी इसे देखता है और उच्च न्यायालय थी। इससे विलम्ब होता है। अब हमने तीनों के अधिकार-क्षेत्र को एक ही शीर्ष के अधीन कर दिया है।

दूसरी कमी यह थी कि जब कोई कम्पनी बिल्कुल ही रुग्ण हो जाती थी, उसकी सौ-फीसदी निवलता, ऋणात्मक हो जाती थी; तो वह बी.आई.एफ.आर. में जाती थी। अब चूंकि सौ-फीसदी निवलता ही ऋणात्मक रहती थी और देयताएं भण्डार से तथा अंश-पूंजी कहीं अधिक रहती थीं, अतएव उसका पुनरुद्धार करना बड़ा कठिन होता था। इस तरह से बी.आई.एफ.आर. के प्रादर्श में यह एक दोष था।

अब हमने ऐसी स्थिति रखी है कि जब आपके कार्य-निष्पादन का स्तर गिरने लगे और निवल संपत्ति का 50 प्रतिशत ऋणात्मक मान में आ जाए—तात्पर्य यह कि अभी भी कुछ परिसंपत्तियां बची

रहें तथा वे देयताओं से अधिक हों—तो आप शोधनात्मक कार्यवाही हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष जा सकते हैं।

तीसरी कमी यह थी कि कोई योजना तैयार करने में बी.आई.एफ.आर. को वर्षों लग रहे थे और उस अवधि के दौरान कामगारों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। पुनरुद्धार करना भी संभव नहीं होता था। नये विधेयक में हमने इस प्रक्रिया को 30 दिनों, 60 दिनों तथा इसी तरह की समयावधि में विभागीकृत कर दिया है जिससे पूरी प्रक्रिया एक वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो जाएगी। कम्पनियों के पुनरुद्धार को वरीयता दी गई है। यदि पुनरुद्धार संभव न हो, केवल तभी, अंतिम उपाय के रूप में, उस कम्पनी को बंद करना पड़ेगा।

बी.आई.एफ.आर. की एक अन्य कमी कार्यवाही-प्रक्रिया के लम्बन की अवधि के दौरान कामगारों के हितों के संबंध में थी। आपने सही कहा कि जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती तो भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। पहली बार हमने यह किया है कि संपूर्ण कार्पोरेट क्षेत्र के कारोबार पर एक कार्पोरेट-उपकर लगाया जाएगा। हम इस प्रयोजन हेतु मार्गनिर्देश बनायेंगे। यदि संबंधित कम्पनी श्रमिकों को तनख्वाह नहीं दे पाती तो न्यायाधिकरण को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह केन्द्रीकृत निधि से उन्हें अंतरिम राशि का भुगतान करे। अतएव, कुछ निर्वाह योग्य राशि उन्हें मिलेगी।

अब, बी.आई.एफ.आर. में जितनी कमियाँ दिखीं, उन्हें इस प्रथम विधान द्वारा शोधित किये जाने का उद्देश्य है। आप मानिए कि इन दोनों विधानों पर सभा में चर्चा होगी तथा उसके साथ-ही-साथ इन्हें अवश्यक अनुमोदन प्राप्त होगा। एक न्यायाधिकरण की जगह दूसरा ही तो रखा जा रहा है। स्वाभाविक ही है कि बी.आई.एफ.आर. द्वारा देखे जाने वाले सारे मामले इस निकाय में आयेंगे; कारण यह कि बी.आई.एफ.आर. का मानदंड है—सौ-फीसदी ऋणात्मक निवलता और यहाँ तो केवल 50 प्रतिशत ही है। अत: यदि आप सौ-फीसदी, ऋणात्मक निवल परिसंपत्ति रखते भी हैं तो भी, इसका अर्थ यही न होगा कि आपके पास अभी 50 प्रतिशत परिसंपत्ति सुरक्षित है। अत: इस तरह से आप एक नया मंच पा रहे हैं। बल्कि आपके दल को तो इसका स्वागत करना चाहिए था। बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत वास्तव में कितनी कंपनियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कितनी चिंता की जा रही है? मैंने जिस मंच का उल्लेख किया, उसे इन सभी कमियों को ध्यानगत रखकर ही सृजित किया गया है। इस पर सभा में अगले सत्र में या फिर बाद में अवश्य विचार होगा। जब भी हम इस पर चर्चा करें। आप पायेंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव उसमें दिये गये हैं जिनसे समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा होती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.50 बजे

(तीन) विद्युत विधेयक*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, सहायकियों के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्द्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से संबधित विधियों का समेकन और उनसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, सहायकियों के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्द्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित विधियों का समेकन और उनसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य (बाँकुरा): महोदय, मैं इस विधयेक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): श्री आचार्य जी, जब आप हर बार विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर रहे हैं, तो आपको बोलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 30.8.2001 में प्रकाशित।

श्री बसुदेव आचार्य: आप इस ओर आ जाइये तथा आपको भी बोलने के अधिक अवसर मिलेंगे।

महोदय, यद्यपि आज प्रातः इस विधेयक को परिचालित कर दिया गया है, हम इस विधेयक का अध्ययन इसलिए नहीं कर सके क्योंकि यह एक वृहत् विधेयक है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): विधेयक का अध्ययन किये बिना आप इसके पुर:स्थापन का विरोध कैसे कर सकते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: आज प्रातः ही तो आपको यह प्राप्त हुआ था। महोदय, अपने निर्देश 19(ख) के अंतर्गत इसे अनुमति प्रदान की है लेकिन मंत्री जी द्वारा इस विधेयक के परिचालन में किये गये विलंब का जो कारण बताया गया है वह आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि इस विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा 16 अगस्त को अनुमोदित कर दिया गया था। मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को परिचालित करने में 13 दिन का समय क्यों लिया?

इसके अतिरिक्त, यह विधेयक संविधान में दिये गये विद्युत उद्योग के समवर्ती रूप का आकलन कम करता हुआ-सा प्रतीत होता है। विद्युत एक समवर्ती विषय है। वर्तमान संस्थाओं के साथ चलाये रखने का विकल्प राज्यों को दिये बिना ही इस वास्तविक विधेयक से उद्योग की सारी संस्थाएं पुनर्गठित होंगी तथा वे सारी अनुपयोगी हो जायेंगी। मुख्य उद्देश्य है—राज्य विद्युत बोर्डों को विघटित करना, उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग करना तथा पारेषण और वितरण को निजी क्षेत्र को सौंपना। यदि वितरण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया तो देश में हमारा अनुभव क्या होगा? कृषि क्षेत्र में टैरिफ क्या होगा? महोदय, कृषि क्षेत्र को रियायत दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय: आप, पुनः विधेयक के गुण-दोषों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: सुधार के बाद आंध्र प्रदेश में पारेषण और वितरण में कितना घाटा हुआ है? यह घाटा 45 प्रतिशत है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: यह घटकर 32 प्रतिशत हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: उड़ीसा में, यह 42 प्रतिशत है। सुधारों के बाद आपके राज्य में यह सबसे अधिक है। इससे संविधान का उल्लंघन होता है और इसीलिए, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं इस विधेयक का पुर:स्थापन स्तर पर विरोध करता हूं। हमारे संविधान के अनुसार विद्युत उत्पादन, वितरण तथा शुल्क निर्धारण का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं है। यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो शुल्क निर्धारण तथा किसानों को राजसहायता देने संबंधी अधिकार सरकार के हाथ में नहीं रह पायेगा। इस स्थिति में, मैं इस विधेयक का पुर:स्थापन स्तर पर विरोध करता हूँ।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, इस विधेयक को 'शार्ट नोटिस' पर पुर:स्थापित किया गया है। समय पर इस विधेयक को परिचालित न करने के कारणों के संबंध में मुझे माननीय अध्यक्ष को संतुष्ट करना है। मैं समझता हूं कि सात दिन एक सामान्यतया आवश्यक समय है। इस विषय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। अब, हमें समय इसलिए लगा क्योंकि विधि मंत्रालय से इसका परीक्षण कराना पड़ा और विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने सारी रात काम किया और इसलिए, मैं इसे आज पुर:स्थापित कर सका। लेकिन मैं अपने मित्र श्री आचार्य जी की भावना का सम्मान करता हूं जब उन्होंने कहा कि उन्हें इसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। अगर वह इस विधेयक को पढ़ते तो इस विधेयक का विरोध न करते।

मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इसका दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल सका। अत:, जाहिर है कि वे इसका विरोध करेंगे। यदि माननीय अध्यक्ष इसे स्थायी समिति को भेज देते हैं और यह स्थायी समिति को चला जाता है तथा तब आप इसमें गुण तथा दोषों की चर्चा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि श्री बसुदेव आचार्य स्थायी समिति के उन माननीय सदस्यों में से एक होंगे जो संसद के अगले सत्र में इसका समर्थन करने के लिए यहाँ आयेंगे। श्री बसुदेव आचार्य ने यह कहा है कि इस विधेयक का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यह समवर्ती सूची में है। संविधान के अंतर्गत यह समवर्ती सूची में है। इसीलिए, संसद को पूरा अधिकार है कि वह इस संबंध में क़ानून बनाये। समवर्ती सूची में यही बात है जो हमें विधान बनाने की सामर्थ्य प्रदान करती है।

दूसरी बात, विद्युत आपूर्ति अधिनियम और 1948 के अधिनियम जैसे कानून किसने पारित किये जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों का गठन किया गया? संसद ने ही इन नियमों को पारित किया। इसलिए, राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही कहां है? इसलिए हमारे पास सब सामर्थ्य है। संसद के पास विधान बनाने की सामर्थ्य है। हम राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में दखल नहीं दे रहे हैं। यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। क्यों? इस विधेयक के अंतर्गत हम राज्य को यह छूट प्रदान करने जा रहे हैं कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी तरीके

को अपना सकता है। उदाहरणार्थ, यदि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि राज्य विद्युत बोर्ड ही उसके पास रहे तो वे ऐसा कर सकती है। लेकिन पूर्व शासन में सभी राज्यों के लिए विद्युत बोर्ड रखना अनिवार्य था। अब हम केवल इसे अनिवार्य के स्थान पर एक सक्षम प्रावधान बनाने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि पश्चिम बंगाल सरकार एक विद्युत बोर्ड का गठन करना चाहती है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को कलकत्ता में विद्युत के वितरण के कार्य का निजीकरण करना आवश्यक लगता है।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसा वहां शुरू से है।

श्री सुरेश प्रभु: मैं जानता हूं। आपने उसे जारी रखा है।

श्री बसुदेव आचार्य: शुरू से ही बम्बई की तरह कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी वहां विद्युत का उत्पादन और वितरण कर रही है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): शुरू से ही इसे सब जगह एक जैसा रहना चाहिए था।

श्री सुरेश प्रभु: वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू से ही आप इसे ऐसा करते रहे हैं। वाम मोर्चा वहां पिछले 26 साल से सत्ता में है। वे 25 साल से ऐसा करते चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल में ऐसा करना अधिक सुविधाजनक लगा इसीलिए ऐसा किया गया। एक अन्य विशिष्ट मित्र ने कहा है कि इस विधेयक से विद्युत शुल्क की दर तय करने का अधिकार समाप्त हो जाएग। ऐसा नहीं है। वस्तुतः हम 1998 में ही एक विधेयक पारित कर चुके हैं जिसके अंतर्गत शुल्क की दर तय करने का अधिकार विनियामकों को दिया गया है। वह विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। मैं केवल उसी विधेयक को मजबूती प्रदान कर रहा हूं। अब केरल सरकार भी एक विनियामक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। अधिकांश राज्य अपने आयोग गठित कर रहे हैं। शुल्क निर्धारित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है।

उन्होंने उस एक मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। यह श्रमिकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। ऐसा करने से हम अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने में समर्थ होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र में आज के हालात ही आगे भी बने रहे तो श्रमिकों को सेवांत प्रसुविधाओं की तो बात छोड़ ही दें, वेतन भी नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा 30,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, आपको सूचना देनी पड़ेगी। यहां विधेयकों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, हमें इस मामले पर एक या दो दिन चर्चा करनी पड़ेगी। इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् सभी राजनैतिक लाभ ले रहे हैं। जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है इसके लिए कोई एक समान नीति नहीं है। यदि एक राज्य सरकार विद्युत सुधारों को लागू करना शुरू करती है तो उस राज्य का विपक्ष उसका गलत लाभ उठाने लगता है। लेकिन किसी अन्य राज्य में वही दल विद्युत सुधारों को लागू करता है। इसीलिए भारत प्रगति नहीं कर रहा है। विद्युत सुधारों के लिए एक समान नीति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए अलग से समय रखा गया है।

प्रश्न यह है:

"कि विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणतः विद्युत उद्योग के विकास के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, सहायिकाओं के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियों के संवर्द्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से संबंधित विधियों का समेकन और उनसे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश प्रभु: मैं, विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 1.59 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न राज्य सभा के सभापति को भेजना

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज मुझे श्री पवन कुमार बंसल से विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री, श्री अरुण शौरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के विषय में एक सूचना प्राप्त हुई है जो उस पत्र की अधिप्रमाणिकता के सत्यापन की कथित मांग से सम्बद्ध है जिसे कैबिनेट सचिव द्वारा लिखा बताया गया है और जिसका उल्लेख 23 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर हुई चर्चा के दौरान श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने किया

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अध्यक्ष महोदय]

था। सदस्य ने यह भी बताया है कि विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री ने इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने की मांग की है।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री बंसल ने तर्क दिया कि चूंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उक्त पत्र का उल्लेख सभा में किया है, इसलिए यह सभा की कार्यवाही का हिस्सा है और पत्र की अधिप्रमाणिकता की जांच संबंधी मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बजाए लोक सभा अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए था। श्री बंसल का यह तर्क है कि मंत्री ने उक्त पत्र का सत्यापन कराये जाने और जांच के लिए मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजने का कदम उठाकर विशेषाधिकार का हनन किया है।

स्मरणीय है कि 27 अगस्त, 2001 को जब श्री दासमुंशी ने यह मामला सभा में उठाया था तो अनेक सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए यह मांग की थी कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि श्री अरुण शौरी राज्य सभा के सदस्य हैं।

लोक सभा और राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों ने 1954 में अपनी संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में किसी एक सभा के सदस्य, जिसने दूसरी सभा के विशेषाधिकार का कथित रूप से हनन किया है, के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी। उक्त प्रक्रिया के अनुसार जब किसी सभा में जिसमें दूसरी सभा का कोई सदस्य शामिल होता है, विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया जाता है तो उस सभा के पीठासीन अधिकारी को, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, वह मामला दूसरी सभा के पीठासीन अधिकारी के पास उपर्युक्त कार्रवाई हेतु भेजना होता है।

चूंकि अरुण शौरी राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए मैं इस मामले को राज्य सभा के माननीय सभापति को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भेज रहा हूं।"

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र पहले बिजली उत्पादन में अग्रसर था। वहां बिजली संकट गहराता जा रहा है और कृषि उत्पादन में अग्रसर राज्य में बिजली कटौती शुरू हो गयी है। वर्तमान में अहमदनगर जिले में ही बिजली कटौती के कारण आधी फसल नष्ट होने के कगार पर है। ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र से अधिकारी तकनीकी आधार पर लोड फैक्टर का हवाला देते हैं। लेकिन बड़े शहरों में सुविधाजनक उपकरणों की भरमार तथा विज्ञापन जगत में विद्युत ग्लोसाईन बोर्ड निर्यात लैम्पों की चमक में दिनों-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। स्वतंत्रता के बाद बिजली उत्पादन में पचास गुना बढ़ोत्तरी होकर भी कृषि क्षेत्र लोड फैक्टर ग्रस्त है और कृषि उत्पादन कम होने की आशंकाएं बढ़ती हैं। अगर देश को कृषि निर्भर बनाना है तो खेती के लिए बिजली मोटरों को बिजली सप्लाई देने हेतु कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में लोड शेडिंग को कम करने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराये तथा सुनियोजित प्लान से बिजली सप्लाई करने पर जोर दिया जाए।

(दो) पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी और व्यास बेसिन में उत्पादित बासमती चावल का पेटेंट किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर): मैं पंजाब के बासमती धान पर अपनी चिंता से सरकार को अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ। धान खाद्य सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि इसका हिस्सा देश में कुल खाद्यान्न खपत का 44 प्रतिशत है और इसकी खेती बुवाई वाले कुल क्षेत्र के 23 प्रतिशत हिस्से में की जाती है। धान पंजाब की एक प्रमुख खरीफ फसल है क्योंकि करीब 60 प्रतिशत किसान इस पर निर्भर हैं जिसमें से 3-4 प्रतिशत किसान तो अवश्य ही बासमती धान उगाते हैं। गुरदास का बासमती विश्व में "उत्तम गुणवत्ता" का चावल माना जाता है। गुरदासपुर में रावी और व्यास विश्व के दुर्लभ बेसिन हैं जहां बासमती चावल की खेती की जाती है। भारत सरकार को इस बासमती बीज की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करना चाहिए। बासमती फसल एक जैव फसल है जो स्वाभाविक रूप से भारत में उपलब्ध है। बासमती की सुगन्ध हमारी कई पीढ़ियों के कठिन परिश्रम का परिणाम है और हमें इसे विदेशी कम्पनियों के हाथों नहीं गंवाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां गुरदासपुर के बासमती बीज को हथियाने के फिराक में हैं। मैं सरकार से गुरदासपुर के बासमती को बचाने का निवेदन करता हूँ।

(तीन) आंध्र प्रदेश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में परिचालित करने वाले 3000 यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के मालिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि, भारत सरकार झींगा निर्यातकों, ट्रालर आपरेटरों, जलचर पालक, कृषकों और मत्स्य प्रजनन केन्द्र के मालिकों को काफी राज-सहायता देती है फिर भी मत्स्यन नौका के मालिकों को पिछले वर्ष के 285 रुपये प्रति किलो झींगा की तुलना में केवल 185 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जा रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि यंत्रीकृत नौका मालिकों को झींगा की उचित दर मिले अथवा उन्हें भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजसहायता दी जाये, क्योंकि सरकार इससे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास प्राधिकरण ने बर्थ शुल्क को प्रतिमाह प्रति नाव 230 रु. से बढ़ाकर 2069 रु. कर दिया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करे और गरीब मोटरबोट मालिकों के लिए बर्थ शुल्क को कम कर वहन योग्य बनाए।

मैं कृषि मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह विदेशी मत्स्यन नौकाओं को नया लाइसेंस जारी न करें तथा उनके वर्तमान लाइसैंस को रद्द करें और सभी यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के निर्धन मालिकों को कम दर पर डीजल की आपूर्ति करे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, तट पर यंत्रीकृत नावों के चलने से परम्परागत मछुआरे मर रहे हैं जिन्हें न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है। यंत्रीकृत नावें गहरे सागर में जाने के लिए बनी हैं। यंत्रीकृत नावों को समुद्र के निकट आने से रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को कल शून्यकाल में उठा सकती हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: इस संबंध में एक सीमा होनी चाहिए कि यंत्रीकृत नावें मत्स्यन के लिए निश्चित किलोमीटर की रेंज के भीतर ही आ-जा सकें। वे समुद्र में प्रवेश कर रही हैं। मछुआरे सरकार से राजसहायता की मांग कर रहे हैं। पुराने गरीब मछुआरे मर रहे हैं।

(चार) गुजरात के अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट संबंधी आवेदनों पर शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज): महोदय, अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 50 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। विलम्ब के अतिरिक्त, पासपोर्ट आवेदनों के निपटान में भी किसी की जवाबदेही नहीं है।

पासपोर्ट कार्यालय में स्थिति बहुत खराब है और वहां वाहन खड़ा करने हेतु स्थान भी नहीं है। बाहर खुले स्थान में अथवा खराब मौसम में खड़े पासपोर्ट अभ्यर्थियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए एवं सूरत और राजकोट में भी पासपोर्ट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रातः से लेकर देर शाम तक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट जारी करने से संबंधित अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच भी शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

यह बार-बार कहा जाता है कि पासपोर्ट कार्यालय में मौजूदा परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलंब को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पासपोर्ट आवेदन किए जाने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर निपटा दिये जायें।

(पांच) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र धुले औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है जिसके कारण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। यहां पर छोटे-छोटे व्यवसायी अपना व्यवसाय भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सहायता से चलाते हैं। बैंक द्वारा व्यावसायियों को ऋण उपलब्ध कराने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अतः सरकार से मैं विनती करता हूं कि धुले जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास शीघ्र गति से करने के लिए इस क्षेत्र में सरलता लाएं और अधिक युवकों को ऋण सहायता दिलाई जाए।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु बेरोजगारी दूर करने का कष्ट करें।

(छह) स्वदेशी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सोयाबीन और पाम आयल के आयात पर सीमाशुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इस साल के बजट में कई खाद्यान्न पदार्थों पर आयात शुल्क में वृद्धि करके किसानों को बचाने का प्रयास किया लेकिन सोयाबीन, रेपसीड ऑयल एवं केस्टर्ड ऑयल के आयात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है जिससे खाद्यान्न तेल का उत्पादन करने वाले किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में राई एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन बहुत होता है और उनके परिवार की जीविका इन्हीं खाद्यान्न तेलों पर निर्भर करती है। मेरी जानकारी में आया है कि जैवीकरण के माध्यम से सोयाबीन एवं पॉम ऑयल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। जापान, अमेरिका एवं यूरोप के देश इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सोयाबीन एवं पॉम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा कर भारतीय किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

(सात) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): महोदय, उड़ीसा के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के रखरखाव और विकास न किये जाने के कारण बहुत आंदोलित हैं। यह सड़क जो तटीय उड़ीसा की 'स्टील सिटी', राउरकेला से जोड़ती है, खनिज सम्पदा वाले क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले जो अत्यधिक लौह अयस्क, बाक्साइट, मैगनीज, डोलोमाइट और क्रोम अयस्क जैसे उच्च श्रेणी के खनिज संसाधनों से भरपूर है, के मुख्य क्षेत्रों को कवर करती है। इन खनिजों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। इस सड़क पर इन खनिजों की हजारों ट्रकों द्वारा ढुलाई किये जाने के अतिरिक्त इस सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों सार्वजनिक परिवहन बसें और निजी वाहन भी चलते हैं। बाढ़ से इस सड़क का बहुत बुरा हाल हो गया है जिससे कई स्थानों पर दो वाहनों के एक साथ गुजरने में बहुत बाधा आ रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 के विकास से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करे।

(आठ) दमन जिले को तटीय विनियमन क्षेत्र श्रेणी (दो) के अंतर्गत शामिल किये जाने तथा दमन और दीव प्रशासन को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में आवश्यक संशोधन करने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): महोदय, केन्द्र सरकार ने समुद्र के उन तटीय क्षेत्रों, उन खाड़ियों, नदी मुहानों, संकरी खाड़ियों, नदियों तथा इस अप्रवाही जल को जो निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच उच्च ज्वार रेखा तथा भूमि से 500 मीटर तक ज्वारीय कार्य से प्रभावित होता है, तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया है। तदनुसार, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दमन के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना तैयार की है। लेकिन, यदि पिछले अनेक वर्षों के दमन के इतिहास का अध्ययन करें तो इससे पता चल सकता है कि दमन जिले में कोई भी स्थान ज्वारीय कार्य से प्रभावित नहीं हुआ है। दमन नगरपालिका परिषद ने जिला शहरी विकास एजेंसियों द्वारा यथा अनुमोदित लोगों की मांग के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत नानी दमन स्थान पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया है। तथापि, दमन और दीव समूह तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, दमन के सदस्य सचिव ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किये जा रहे बैध कार्य को रोक दिया है। इसलिए, दमन जिले का पूरा क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र (2) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और सम्पूर्ण जिलों के विकास के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में आवश्यक संशोधन करने हेतु दमन और दीव, दमन को स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिएं।

(नौ) पश्चिम बंगाल में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, उत्तरी बंगाल का द्वार बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। नब्बे के दशक से वे नालों, जो भूटान की पहाड़ियों से आ रहे हैं, बाढ़ का मुख्य कारण बन गए हैं और अंतत: बड़ी नदियों में मिल जाने वाली ये नदियां गाद जमाव के कारण अपनी प्रवाह क्षमता खोती जा रही हैं। इस गाद जमाव का कारण वनों की कटाई, डोलोमाइट का अवैज्ञानिक ढंग से खनन और अन्य मानव गतिविधियां हैं। भारत सरकार को चाय उद्योग से लगभग 2000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की और लगभग 360 करोड़ रुपए की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में आय होती है।

राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ते हैं, पुलों के अतिरिक्त पुलियों, रेल लाइनों,

रेल पुलों इत्यादि से प्रतिवर्ष इस बाढ़ से कट जाते हैं। इस समस्या का भूटान की शाही सरकार के सहयोग के बिना समाधान नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो सम्प्रभु देश इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं।

मैं सरकार से लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए तथा भविष्य में बार-बार होने वाले व्यय के लिए भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग गठित करने के लिए भूटान के साथ बातचीत शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण अंचल में संचार सेवाओं का बुरा हाल है। विभागीय नियमानुसार गांव के जिन लोगों ने पंजीकरण करा लिया है उन्हें दो वर्ष में दूरभाष सेवाएं अवश्य उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन तमाम गांवों में प्रतीक्षा सूची को दो वर्ष से भी ज्यादा हो गया है लेकिन वे दूरभाष की सेवाएं नहीं पा सके हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद-आगरा और फिरोजाबाद दो जनपदों को मिलाकर बना है। इन दोनों जनपदों के 56 गांव ऐसे हैं जिन गांवों के लोगों ने दूरभाष प्राप्ति हेतु आवेदन तो कर रखा है लेकिन उन्हें काफी समय से दूरभाष कनैक्शन नहीं मिल सके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एम.ए.आर.आर. असफल हैं। यहां दूरभाषा सेवाओं को डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलेस इन लोकल लूप) से ही प्रभावी बनाया जा सकता है लेकिन यह आम उपभोक्ता की पकड़ से बाहर की चीज है क्योंकि इसका पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपया है। सुदूर ग्रामीण अंचल में केबल पड़ना मुश्किल है। यदि डब्ल्यू.एल.एल. शुल्क को 10 हजार रुपये से 500 रुपया कर दिया जाए तो उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी और बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी। ग्रामीण अंचल में दूरभाष सेवाओं की स्थिति का सुधार किया जाए।

(ग्यारह) बिहार में बेतिया-नरकटियागंज तथा भितहरवा के बीच के मार्ग को विशेष दर्जा देने तथा इसके उचित रखरखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत भितहरवा आश्रम अति महत्वपूर्ण आश्रम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने "चम्पारण किसान सत्याग्रह" के समय उक्त आश्रम की स्थापना की थी। वह आश्रम आज सब के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गया है। महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखने वाले देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का प्रतिवर्ष वहां आना-जाना होता रहता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में पर्यटकों का भी आवागमन होता है। किन्तु उक्त आश्रम में पहुंचने के लिए बेतिया से नरकटियागंज एवं नरकटियागंज से भितहरवा सड़क की स्थिति अति दयनीय है। श्रद्धालुओं एवं अन्य पर्यटकों को भितहरवा आश्रम तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: भूतल परिवहन विभाग, भारत सरकार से अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक प्रसिद्ध आश्रम तक पहुंच पथ को विशेष दर्जा देकर उसके निर्माण हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

(बारह) तमिलनाडु के रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिसिनल प्लांट फार्म स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (राशिपुरम): महोदय, तमिलनाडु में राशिपुरम मेरा निर्वाचन क्षेत्र छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ अनेक औषधियां और जड़ी-बूटी वाले पौधे उगाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के निवासी अपने रोगों के इलाज के लिए मुख्यत: जड़ी-बूटी और औषधीय पौधों पर निर्भर करते हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र में इन पौधों का अधिकांश हिस्सा बड़ी कल्वारायन पहाड़ियों में स्थित है। इन औषधीय पौधों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए कल्वारायन पहाड़ियों में औषधीय संयंत्र फार्म स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। यह फार्म न केवल यहां के निवासियों की मदद करेगा बल्कि सरकार के लिए भारी राजस्व अर्जित होगा।

इसलिए, मैं सरकार से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने और प्राथमिकता के आधार पर वहां फार्म की स्थापना का कार्य शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

(तेरह) उड़ीसा में महानदी में प्रदूषण रोकने के लिए कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, महानदी में प्रदूषण का स्तर भयानक रूप से बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। ओरियन्ट पेपर मिल, जिंदल, इंदल कैप्टिव प्लांट, उड़ीसा पॉवर जैनरेशन कार्पोरेशन, टाटा रिफ्रैक्टरी, आई डी सी ओ एल, कैप्टिव पावर प्लांट ऑफ इंडियन चार्जक्रोम, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, पारादीप फास्फेट जैसे उद्योग महानदी में भारी मात्रा में संदूषित जल छोड़ रहे हैं। इसी तरह, लाजकुरा, बेलपहाड़, समलेस्वरी, लिलासी, लखनपुर, हीराकुंड, बुंदिया, हिमगिरि, रामपुर की कोयला खानों और आईबी वैली में अन्य खानें मुख्य प्रदूषक हैं।

महानदी में प्रदूषण स्तर के बढ़ने से इसका नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई विशुद्धता संबंधी सूची में शामिल हो चुका है। मैं सरकार से महानदी के प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कठोर कदम उठाने और तदनुसार क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): महोदय, संसाधनों, अक्षय निधि, विद्यमान ढांचागत सुविधाओं की गुणवत्ता और प्रसार के आकलन के आधार पर पिछड़े सुन्दरवन के विकास हेतु समेकित कार्यक्रम बनाने तथा उसे लागू करने के लिए 1973 में राज्य सरकार ने सुनद्रवन विकास बोर्ड का गठन किया था। चूंकि सुन्दरवन क्षेत्र की मूल समस्याओं से निबटने के लिए राज्य की धनराशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए बाह्य सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया गया और कृषि विकास के लिए विश्व बैंक प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय निधि सहयोग से लोगों की विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से एक विकास योजना चलाई गई थी।

विकास की गति बनाए रखने के लिए सुन्दरवन विकास योजना चरण-1 जिसे पांच वर्ष के लिए बनाया गया था और इसमें 67.5 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल था, को बाह्य सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ विशेष धनराशि आवंटित करके इस अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र के विकास पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, देश में प्याज की उपज 55 लाख टन होती है जिसमें से 30 लाख टन प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में होती है। देश को 40 लाख टन प्याज की जरूरत है। 15 लाख टन प्याज हमें बाहर के देशों में निर्यात करना चाहिए क्योंकि इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी। बाहर की बाजार पैठ हमेशा के लिए मिलेगी और किसानों को प्याज का उचित दाम मिलेगा। इस बारे में महाराष्ट्र के संसद सदस्यों तथा माननीय वाणिज्य मंत्री की दो-तीन बार मुलाकात भी हुई और संसद में भी बहस ही चुकी है। पांच लाख टन प्याज का निर्यात करने के लिए परवाना दिया परंतु और दस लाख टन का परवाना देना चाहिए। मुक्त अर्थव्यवस्था भारत ने मान्य की है, तो प्याज के ऊपर की निर्यातबंदी को जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। अब प्याज को जीवनावश्यक वस्तु में डाल दिया है तो 700 रुपये प्रति क्विंटल इसका सपोर्ट प्राइस देना चाहिए, यही मेरा वाणिज्य मंत्री जी को आपके माध्यम से विनती है।

अपराह्न 2.23 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

[अनुवाद]

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या-22 लेगी।

श्री अरुण जेटली।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

इस देश में जलमार्गों के संबंध में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली बहुत बड़ी है। यहां तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ अनेक राज्य जलमार्ग हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारे जलमार्गों का बहुत कम प्रतिशत-लगभग 20 प्रतिशत जल परिवहन प्रयोजनों के लिए वास्तव में उपयोग किया जा रहा है।

अंतर्देशीय जलमार्गों का ईंधन की दृष्टि से आर्थिक रूप से सस्ते होने, पारिस्थितिकीय रूप से उत्तम होने की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ है और यह हमारी सड़क तथा रेल प्रणाली के भार को कम करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे कुल कार्गो जिसकी भारत में ढुलाई की जाती है, में से लगभग केवल एक प्रतिशत की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली से की जाती है। इसलिए, यह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमने अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली का उपयोग बढ़ाया है। यहां कुछ राज्य विशेषकर, गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल हैं जहां जलमार्ग प्रणाली विकसित हुई है और उपयोग किया जा रहा है।

इस वर्ष के शुरू में, सरकार ने जलमार्ग प्रणाली में निवेश हेतु नीति के एक भाग के रूप में इन अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति की घोषणा की है। वही छूट जो कर प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध है। उपलब्ध कराई गई थी। जो राजसहायता दी जाती थी उसे पोत निर्माण के लिए 30 प्रतिशत राजसहायता में परिवर्तित कर दिया गया, जो इसमें लागू होगी। कतिपय सीमा शुल्क रियायतें भी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन एक क्षेत्र जहाँ इसमें कमी पाई गई है। इन जलमार्गों के स्वतंत्र विकास के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से निवेश नहीं किया जा रहा है।

इस संशोधन का दोहरा उद्देश्य है। एक प्राधिकरण गठन को बढ़ाकर उसमें विभिन्न प्रकार के उन विशेषज्ञों को शामिल करना जो इस प्राधिकरण में हैं, और दूसरा: विभिन्न प्रकार के ऋणों जैसे बॉडों, ऋण-पत्रों और अन्य लिखतों, जिन्हें प्राधिकरण उचित समझे, के माध्यम से धनराशि जुटाने के लिए इस अधिनियम द्वारा गठित प्राधिकरण को अनुमति देने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इसका उद्देश्य यह है कि प्राधिकरण बाजार में जाये और विभिन्न पद्धतियों से पूंजी जुटाएं और जहां तक जलमार्गों के विस्तार का संबंध है ,इसके लिए इसी पूंजी का निवेश किया जाये। यही वह कदम है जिसे हमने इन जलमार्गों को प्रोत्साहन देने और इनके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है और मैं इस माननीय सभा से इस विधेयक पर विचार करने और माननीय सभा द्वारा अनुमति देने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर, विचार किया जाए।''

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह एक नवाचारी विधेयक है और हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग महान देशभक्त लोगों विशेष रूप से महाकवि भारती का सपना था। तमिलनाडु में वर्ष 1920 के दौरान ही गंगा-कावेरी के सम्पूर्ण भाग को मिलाने का उनका सपना था और इन जलमार्गों से ही परिवहन सुविधाएं विकसित की जानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की उस अवधि के दौरान का वह सपना था।

लेकिन गंगा-भागीरथी-हुगली नदी अधिनियम, 1982 के राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद-हल्दिया के हिस्से द्वारा इलाहाबाद से इसे शुरू किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 जैसी कुछ शक्तियों द्वारा भी इस अधिनियम का समर्थन किया गया था। धारा 2ज के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से केन्द्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह कोई नया राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने की घोषणा करे और इसे नौवहनीय मार्ग भी बनाया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जिससे भारत के लिए विशेष आर्थिक संभावनाओं का सृजन किया जा सकता है। इससे केवल आर्थिक संभावनएं ही नहीं सृजित की जा सकती बल्कि इससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। जब गंगा और कावेरी को जोड़ दिया जाता है तो उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत जैसा कोई विभाजन नहीं होगा। लोगों में एका आएगी और दक्कन क्षेत्र एवं तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में भी पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा और इससे सब जगह जल उपलब्ध हो जाएगा। बेहतर कृषि एवं उद्योगों का विकास होगा और जिन बन क्षेत्रों का अभी विनाश हो गया है वे भी हरे-भरे हो जाएंगे। वह समय फिर आ जाएगा और भारत जैसा महान राष्ट्र का निर्माण होगा जैसा हमने शताब्दियों पहले देखा था। इसलिए, संशोधन के इस पक्ष का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ।

लेकिन पुन:, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आर्थिक सुधार में कुछ प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्राधिकरण को एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और तीन अल्पकालिक सदस्यों की नियुक्ति कर हम उस पर पुन: केवल नौकरशाही नियंत्रण रख रहे हैं। पूर्व के अधिनियम में, केवल पांच सदस्यों का ही प्रावधान था, और अब इसे बढ़ाकर छ: कर दिया गया है।

अब मैं संयुक्त उपक्रमों के बारे में बोलना चाहूँगा। इस उपक्रम के लिए ऐसे में कौन सी कंपनी आगे आएगी जब सरकार के हाथ में इतने अधिकार हों यहां तक कि केन्द्र सरकार को किसी कर्मचारी को हटाने का भी अधिकार है; और जब अयोग्यता संबंधी उपबंध भी हों? केन्द्र सरकार प्राधिकरण में किसी व्यक्ति, किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है।

हम यह महसूस करते हैं कि जब हम आर्थिक सुधार कर रहे हैं तो इसे पूरी तरह से करना चाहिए ताकि लोग यह जान सकें कि वहां किस तरह के लोग हैं। इस तरह के उपक्रमों में निवेश करने वाले कई अनिवासी भारतीय हैं ताकि वे निवेश से अधिक धन प्राप्त कर सकें और आर्थिक क्षेत्र में इस राष्ट्र को अधिक मजबूत करते हुए इस राष्ट्र की मदद भी कर सकें।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। राष्ट्रीय जलमार्ग, अधिनियम, 1982 जो कि गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया भाग है, में मात्र तीन धारायें हैं, बाकी धाराओं को हटा दिया गया है। यह बीच में ही लटक रहा है। इसे आसानी से निरसन विधेयक बनाया जा सकता है और अधिसूचना द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2ज के अंतर्गत लाया जा सकता है।

इसी तरह से, मैं यह कहना चाहूँगा कि महानगरीय शहरों में भी सभी जल निकायों को यूरोपीयन शैली में उपयोग योग्य बनाकर नौवहन मार्ग के रूप में अपनाया जा सकता है जैसे ब्रिटिशकालीन समय में चेन्नई, कूवम, बकिंगघम और अड्यार नहरों का नौवहन मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

जो चीजें पहले जहाज द्वारा ले जाई जाती थीं, को भूस्थलीय भाग में जलमार्ग द्वारा इसे लाया जा सकता है। इसी तरह से, बंगाल की खाड़ी में जाने वाले कावेरी नदी के जल को पुडुकोट्टई और शिवगंगा क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से जल का उपयोग नौकायन और खेती के लिए किया जा सकता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर संसार में चमत्कार की तरह सामने आयी थी। ठीक इसी तरह से, इस अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए संसार में और भी चमत्कार करना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आसान विधेयक मालूम पड़ता है। लेकिन यदि यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को सही रूप में क्रियान्वित किया जाता है तो देश को बहुत लाभ होगा क्योंकि भारत में सदानीरा नदियां हैं। गंगा से कावेरी तक हमारे देश में कई नदियां हैं। भूतकाल में बहुत अच्छी परिवहन प्रणाली हुआ करती थी। वर्ष 1950 तक यनम होते हुए काकीनाडा पत्तन से चेन्नई तक सामान ढोया जाता था जो माननीय अध्यक्ष महोदय के घर के पास ही है। कई वर्षों तक इन जलमार्गों की अपेक्षा की जाती रहा है। नहरों को गहरा नहीं किया गया था और कुछ क्षेत्रों में तो यह सूख गया था। चेन्नई में कुछ नहरें सूख गई थीं। अंततोगत्वा, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और फिर बंद हो गया। लेकिन यह सही दिशा में सही कदम है। यह वर्ष 1985 के विधेयक का हाल का ही उद्भव है। अब, आप अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बकिंगघम नहर है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: हां, महोदय, मैं नाम भूल गया था। बकिंगघम नहर सूख गयी थी। इसलिए, इनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। अब अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण सृजित करने का सही दिशा में कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश में कई नदियों को बदला जाना है। केवल तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है। एक इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 कि.मी., दूसरा डूबरी से सदिया तक-791 कि.मी. और तीसरा कोट्टापुरम से कोयलम तक 205 कि.मी. है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा और कई अन्य क्षेत्रों की पहचान की जानी है ताकि अन्य राज्य भी लाभान्वित हो सकें। इस अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को विभिन्न परियोजनाओं पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। 'निर्माण, परिचालन और स्थानान्तरण' के माध्यम से जो भी इसे किया जाना चाहिए। जब एक बार आप बोर्ड का गठन कर देते हैं, उसमें कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए—बोर्ड में तीन विशेषज्ञ बाहर के और सरकार की तरफ से तीन विशेषज्ञ होने चाहिए। यदि आप परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें विज्ञापित करते हैं, तब लोग अवश्य आएंगे। नहीं तो वे बराबर पेपर पर ही रह जाएंगे। वर्ष 1985 से आज तक यह 'पेपर' पर ही है। कुछ भी नहीं किया गया।

मैं इस संबंध में आपसे कदम उठाने का साग्रह निवेदन करूंगा। परियोजनाओं की पहचान हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए अब आप नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। व्यय कर रहे हैं और इन परियोजनाओं से अंततः देश को ही लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस विधेयक की संभावनाएं सीमित हैं, इसका मतलब है कि बोर्ड का विस्तार किया जाना अभी बाकी है। अभी-अभी जो श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति द्वारा जो कुछ कहा गया उसी कड़ी में कुछ और बातें कहना चाहूंगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग के लायक केवल केरल के गंगा के हिस्से और गोवा को कुछ भागों को ही समझा जाता है-वहां की नदियों के बारे में तो आप जानते हैं कि जबकि देश के प्रत्येक भाग की नदियों में नौवहन प्रणाली की क्षमता है और वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता है, सामानों का सस्ता परिवहन नदी प्रणाली के माध्यम से ही हो सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश की नदियों को विकास और परिवहन के सकारात्मक साधन के अलावा या तो बाढ़ का कारण या क्षेत्रों में तबाही के लिए जिम्मेदार समझा जाता है।

उदारणस्वरूप, केरल में ऐसे क्षेत्र हैं जहां राष्ट्रीय जलमार्ग प्रणाली जारी है और गोवा में भी है। कुछ अत्यंत सुंदर और

उपयोगी नदी प्रणाली भी हैं, जिन्हें पूर्णरूपेण छोड़ दिया गया है, जो उत्तरी कनारा और उडुपी के हिस्से हैं। यदि इन्हें जोड़ दिया गया तो न रेल और न ही सड़क प्रणाली इन नदी प्रणालियों की तरह बोझ ढोने में समर्थ हो सकेगी। काफी लंबे समय से हम देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हर बार इस पर बात की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं और हमें यह कहा जाता है कि इसके लिए काफी पैसा है। मेरा मानना है कि यदि नदी प्रणाली को जोड़ा गया तो यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान होगा और इससे भी ज्यादा, यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगा।

हम जवाहर रोजगार योजना जैसी विभिन्न योजनाओं पर काफी धन व्यय करते हैं। यदि इन सभी योजनाओं को एकीकृत कर नदी प्रणाली को जोड़ने जैसी किसी एक राष्ट्रीय परियोजना पर उसी धन को, जिसे विभिन्न राज्यों में टुकड़े में व्यय किया जा रहा है, इस वृहत् परियोजना के लिए व्यय किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी नहर असंभव लगती थी पर इसे पूरा किया गया और मरुस्थल को हरे-भरे क्षेत्र में बदल दिया। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से कहूंगी, जो एक विकासोन्मुखी भविष्यद्रष्टा मंत्री हैं एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सोच सकते हैं जिसके द्वारा नदी जल को जोड़ा जा सकता है और यह वास्तव में, एक तरह का राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण बन सकता है।

आज, सिर्फ क्षेत्रीय दबाव ही हावी हैं। वे जो कुछ पाने में समर्थ होते हैं, उसे पा लेते हैं। शेष की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है। हमारे राज्यों में मौजूदा नदियों से न तो गाद निकालने की सुविधा है और न ही नदी परिवहन उपकरण उपलब्ध हैं हर चीज का इतना अधिक केन्द्रीकरण हुआ है कि राज्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मुझे नहीं लगता कि सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि जिन लाइट हाउसों से पोतों के लिए तटरेखा को प्रकाशित किया जाता है, का मुख्यालय नोएडा में है। लाइट हाउस हैडक्वार्टर नौएडा में होना एक मजाक से कम नहीं और राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण भी दिल्ली से बाहर है।

श्री अरुण जेटली: पोत परिवहन मंत्रालय दिल्ली में है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: पोत परिवहन मंत्रालय तो ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि पोत परिवहन मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे। जब हमने समिति के रूप में वहां का दौरा किया तो हमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा मृदा परीक्षण के लिए मिट्‌टी को गंगा बेसिन से वायुयान द्वारा ड्रम में भरकर परीक्षण प्रयोगशालाओं में लाया जाता है। प्रयोगशालाएं भी यहीं स्थित हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे नदी जल विकास पर कितना ध्यान दे रहे हैं जबकि अधिकारी और प्रयोगशाला नौएडा में हैं तथा मिट्‌टी और रेत के नमूनों को परीक्षण के लिए इतनी दूर लाना पड़ता है। क्या कम-से-कम प्रयोगशालाओं को नदी बेसिन में स्थापित नहीं किया जा सकता? इसीलिए, मैं यह कह रही हूं कि प्राधिकरण की स्थापना मात्र से ही जलमार्गों का विकास नहीं होगा। आपको इसका विकेन्द्रीकरण करना होगा ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): यह नौएडा से अधिक दूर नहीं है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: सभी स्थानों से नमूने यहां की प्रयोगशाला में आते हैं। केरल में भी जलमार्ग हैं। अत:, मृदा परीक्षण करने वाली संपूर्ण प्रयोगशाला नौएडा में है। हमने संसदीय समिति के रूप में इसका दौरा किया था और हमने इस पर ध्यान दिलाया पर लगता है कोई ध्यान नहीं देता। अत:, अंत में मैं संपूर्ण देश की नदियों पर ध्यान देने की अपील करती हूं।

यह केवल एक या दो राज्यों का नहीं वरन् राष्ट्रीय जलमार्ग है। आज की तिथि में, यह कुछ राज्यों तक ही सीमित है और बाकी हम सब अनाथ महसूस कर रहे हैं। अत: मैं अपील करूंगी कि आगामी वर्ष में लागू की जाने वाली अगली योजना पर नये सिरे से विचार किया जाये।

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जब इस प्राधिकरण का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है तो इसमें पारंपरिक जलमार्ग प्रणाली वाले राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जलमार्ग प्रणाली द्वारा हमेशा अंतर्देशीय जलयात्रा की सुविधा रही है जिसकी अब पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है।

चेन्नई को आंध्र प्रदेश से कई स्थानों से बकिंघम नहर प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार, कुअम नदी जलमार्गों ने चेन्नई को चिंगलपुट और दक्षिण आर्कोट जिलों के कई स्थानों से जोड़ रखा था। समुद्र तट से अन्तर्देशीय गंतव्यों तक वस्तुओं का आवागमन सरलता से होता था।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी. श्रीनिवासन]

लेकिन आज हम यह स्थिति देखते हैं कि बकिंघम नहर और कुअम नहर दोनों वर्षों से अनुचित रख-रखाव और शहरी जल-मल अपशिष्ट का निकास मार्ग में परिवर्तित किये जाने से अवरुद्ध हो गयी हैं। इन पारंपरिक जलमार्गों से गाद निकाले जाने और इन्हें आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता है।

हमारी नेता और तमिलनाडु की वर्तमान मुख्य मंत्री डा. पुराची थैलेवी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने बकिंघम जलमार्ग प्रणाली की गाद निकालने और उसे आधुनिक बनाने की एक अर्थक्षम परियोजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है। आरंभिक चरण में लगभग 68 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि ईंधन बचाने वाली और हमारी अर्थव्यवस्था को दोगुना लाभ पहुंचाने वाली इस पारंपरिक जलमार्ग प्रणाली का पुनरुद्धार करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएं।

बारहवीं लोक सभा के दौरान जब हमारी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम भा.ज.पा. के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी, तब तमिलनाडु की वर्तमान मुख्य मंत्री डा. पुराची थैलेवी तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में सेतु समुद्रम परियोजना पर कार्य आरंभ करने की मांग की थी। जिस प्रकार एक भूखे हाथी के सामने थोड़ा सा अनाज डाल दिया जाता है, उसी प्रकार केन्द्र ने मात्र एक करोड़ रुपये आबंटित किये और वह भी व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन और सर्वेक्षण कराने के लिए।

लेकिन यह परियोजना वास्तव में आरंभ ही नहीं हुई। सेतु समुद्रम परियोजना से पश्चिमी समुद्रतट से पूर्वी तट तक की जलयात्रा की दूरी को लगभग 500 कि.मी. तक कम करने में सहायता कर सकता है। इससे द्वीप राष्ट्र श्रीलंका का चक्कर लगाने से बचा जा सकता है। लेकिन केन्द्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। अत: मैं केन्द्र सरकार से सेतु समुद्रम परियोजना को आरंभ करने और इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि अलग से नियत करने का निवेदन करता हूं जिससे हमारी समुद्री सीमा पर समुद्री जल पर नौभार के आवागमन और हमारे अंतर्देशीय व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा।

यदि लगभग 56 कि.मी. क्षेत्र में फैली हुई कतिपय मौजूदा नहरों को चौड़ा किया जाए, उनकी गाद निकाली जाये और उनका आधुनिकीकरण हो तो त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग में सुधार किया जा सकता है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केन्द्र को तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच समन्वय स्थापित करते हुए इस परियोजना पर भी कार्य आरंभ करना चाहिए।

गहरे समुद्र में और अन्तर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और समुद्री यात्रा प्राचीन तमिल सभ्यता के अंग थे। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु जिनमें पारंपरिक जलमार्ग प्रणाली विद्यमान थी, जैसे राज्यों को इस अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विस्तारित बोर्ड में शामिल करने के लिए वरीयता प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा जी कह रही थीं कि कोस्टल एरिया में जहाज चलते हैं, लेकिन उसका आफिस नोएडा में हैं। मंत्री जी ने भी कहा कि शिपिंग मिनिस्ट्री का आफिस भी दिल्ली में है। काबीना मंत्री खुद ही सारा काम करते हैं, राज्य मंत्री के जिम्मे कुछ नहीं छोड़ते। इससे लगता है कि सरकार के राज्य मंत्रियों की कोई वेल्यू नहीं होती। अब पानी के जहाज चलाने में कानून मंत्री का क्या वास्ता, यह समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कानून का ही सवाल उठाना चाहता हूं। अभी से पहले प्राधिकरण में केन्द्र सरकार को पांच पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। अब इस संशोधन से तीन पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे और तीन अंशकालिक रहेंगे। इसमें लिखा है कि तीन से अनधिक, माने तीन से ज्यादा नहीं रहेंगे, तीन से कम हो सकते हैं।

एक भी तीन से कम है, दो भी तीन से कम है और इनके कानून के मुताबिक यदि एक सदस्य रहेगा तो भी काम चलेगा। जो कानून बनाया है, तीन से अनधिक है, यानी एक भी तीन से अधिक नहीं है, शून्य भी तीन से अधिक नहीं है। यानी नहीं भी सदस्य रहेगा तो भी काम चल जाएगा। यह कैसा पेच मंत्री जी कहां से ला रहे हैं? इसलिए कोई नियम बनना चाहिए जिसमें कानून हो कि तीन सदस्य रहेंगे, तीन से ज्यादा नहीं रहेंगे लेकिन कानून के मुताबिक तीन से कम में काम चल सकता है। शून्य, एक, दो तीन-इस प्रकार से ये चार प्रोविजन रखे हैं जो इनको सूट करें। तीन अनधिक पूर्णकालिक सदस्य होंगे, फुल-टाइमर होंगे। अब वे तीन अंशकालिक होंगे, कौन होंगे? मैं नहीं जानता हूं लेकिन हमारी इसमें रुचि है कि हल्दिया से इलाहाबाद तक पनिया जहाज चालू किया जाये। जब 1985-86 में हल्दिया से इलाहाबाद 15 वर्ष में इस साल एक जहाज चलकर आया और हल्दिया से पटना में आकर रुका है, वह नाम मात्र को है। उसमें भी माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि वह ईकोफ्रेंडली हैं, इकोनॉमिक भी हैं और पुराने जमाने से जल मार्ग से दुनिया के एक हिस्से से दूसरे

हिस्से में जाता था। आज तो अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है। लोग बताते हैं कि जल मार्ग आर्थिक हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से उपयोगी और अच्छा है। अभी कहा गया है कि हमें पैसे का संकट था, इसीलिए काम अहिस्ता चला। पनिया जहाज इतना आहिस्ता चला कि 1986 से हल्दिया से शुरू हुआ तो पटना पहुंचने में 15 वर्ष लग गये और पटना से इलाहाबाद 15 वर्ष में भी पूरा होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं। इस प्राधिकरण को उधार लेने का, बौंड लेने का अधिकार दिया जाये, यह कानून में है। हम लोगों की रुचि इस बात में है कि किसी हालत में यह पनिया जहाज हल्दिया से इलाहाबाद तक चालू हो जाये। प्राइवेट लोगों का जहाज एक जगह से दूसरी जगह में चलता था। वहां महेन्द्रो घाट से चकेसो घाट, मयिनार तक और फिर महेन्द्रो घाट से उस पार पहलेजा घाट एलटीसी वाले प्राइवेट वाले चला रहे थे लेकिन वे सब बंद हो गये हैं। लेकिन पनिया जहाज अब नहीं चल रहा है लकिन हल्दिया से पटना और पटना से इलाहाबाद तक इसकी बड़ी उपयोगिता है और सामान ढोने के लिए इसकी बड़ी मांग है। इनके तीन जल मार्ग तय हैं। इलाहाबाद से हल्दिया, ढुबरी से सदिया, चम्पकारा और उद्योगमंडल नैरो के साथ-साथ कोटापुरम से कुल्लम तीन आइडेंटिफाइड जल मार्ग हैं और अन्य जगहों के लिए मांग की हैं। मैं भी मांग करता हूं कि हल्दिया से पटना आने में फिर बीच में कोसी नदी गंगा जी में मिलती है और नेपाल जो पड़ोसी मुल्क है, उसका दबाव बराबर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है कि पनिया जहाज से उनको भी लाभ होना चाहिए, कोसी नदी से होकर नेपाल का लाभ हो सकता है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। केवल चार महीनों की कठिनाई है। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी तक की कठिनाई है क्योंकि सिल्टेशन हो जाता है। कहीं पानी कम हो जाता है और कहीं ज्यादा हो जाता है। कहीं-कहीं चलने लायक ही रहता है। इसीलिए चार महीनों के लिए आपको उपचार करना है, उसमें डीसिल्टेशन का भी उपाय करना है। हल्दिया से पटना होते हुए इलाहाबाद, हल्दिया से खगरिया और कोसी नदी से होकर नेपाल जो पड़ौसी मुल्क है, उसका भी जल से सम्पर्क हो सकता है।

यदि गंगा और कावेरी नदियां मिल जायें, तो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल मार्ग यातायात संभव हो सकता है। हम सपना देखते हैं कि कब गंगा और कावेरी मिलेगी और कब यह सुविधा मिलेगी। बाढ़ की समस्या भी हल होगी। जलमार्ग द्वारा यातायात की समस्या का भी समाधान होगा और सामान ढोने में जलमार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसकी योजना बनाकर और दृढ़ इच्छाशक्ति से जिस जलमार्ग पर पन्द्रह वर्षों से काम हो रहा है, उसको पूरा करके और धनराशि उपलब्ध कराकर उद्देश्य को पूरा करेंगे, इसको कृपया स्पष्ट करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: नोटिस आपके व्हीप द्वारा दिया जाना चाहिए। डिबेट शुरू होने के बाद आप कैसे नोटिस दे सकते हैं। अब आप दो मिनट बोल लीजिए, लेकिन फ्यूचर में ऐसा मत करिये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विशेष तरीके से मुझे बोलने के लिए समय देने की कृपा की।

महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। यह यातायात का उपेक्षित तन्त्र था, जिसकी ओर सरकार का ध्यान गया। मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि उपेक्षा का मूल कारण यह है कि कन्ट्रोलिंग अथारिटी दिल्ली में बैठी हुई हैं और फील्ड में इस्टैबलिशमेंट नाममात्र का है। जलयानों की कमी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि थल यातायात के ट्रैफिक में बहुत लाबी है। हम लोगों ने देखा है कि 60-70 हजार करोड़ रुपये की योजना थल यातायात के लिए बनाई गई है, लेकिन इस पर भी गौर किया गया होता कि जलमार्ग बहुत ही सस्ता माध्यम है और हजारों सालों से हिन्दुस्तान में प्रयोग में आता रहा है, तो शायद कुछ इसमें विकास होता। लेकिन विलम्ब से ही सही, अब सरकार ने इस तरफ गौर किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की जल यातायात की फिक्स प्रायोरिटी नहीं थी। जैसा कि बिल में कहा गया है कि तीन जल मार्ग एक, गंगा-भागिरथी-हुगली नदी प्रणाली जलमार्ग; दो, ब्रह्मपुत्र और तीन, पश्चिमी तट नहर (कोटापुरम से कोल्लम)-अस्तित्व में आए हैं। इसके अलावा भी पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से जलमार्ग परम्परागत रूप से प्रयोग में आते रहे हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है, योजनायें बनाते समय नेपाल और हिन्दुस्तान के बीच में जो सम्पर्क रहा है, पहले भी काफी जल यातायात रहा है और पड़ोसी देश बंगलादेश के साथ भी रहा है, उसको दोबारा चालू किया जाए। इसकी जिम्मेदारी पहले शिपिंग कार्पोरेशन पर आई थी।

[श्री रविप्रकाश वर्मा]

शिपिंग कार्पोरेशन का मूल इंटरस्ट कोस्टल बिजनेस है, उसमें उनका कंसनट्रेशन था। इसलिए इनलैंड वाटरवेज ने उसे डेवलप करने में कभी ध्यान नहीं दिया। अब आप एक नयी आथोरिटी क्रियेट कर रहे हैं, आशा है कि उसमें जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट और इनवेस्टमेंट करने के पोटेंशियल हैं, जो मैनेजमेंट के प्रभावी प्रबंधन की क्षमताएं हैं, उन चीजों को आप उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, मेरी जानकारी में एक और बात आई है कि जो पुरानी आथोरिटीज थीं, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। यह बताया गया था कि जहाज खराब हो गए हैं, रिपेयर के लिए पड़े हुए हैं, उन्हें रिपेयर कराने की इनडिपेंडेंस नहीं थी। नये जहाज खरीदने की उनके पास इनडिपिडेंस नहीं थी। ये सारे डिसीजन दिल्ली में होते थे। मुझे आशा है कि आप जो नयी आथोरिटीज बना रहे हैं, उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि डिसीजन डिसेंट्रलाइज हो सके और जो परफोरेंस लेवल है उसे एचीव करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें। जल यातायात का संसाधन वाटरवेज है जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक उन्हें बहुत ज्यादा नेगलेक्ट किया गया है। आने वाले समय में इन पर जो बर्डन आ रहा है उसे देखते हुए हमें अपनी प्रोडक्शन कास्ट हर लाईन में कम करनी है। मुझे आशा है कि वाटरवेज के माध्यम से इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें हम अपनी कास्ट कम कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, कुछ मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। मैं इन सभी दृष्टिकोणों का आदर करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने ठीक ही कहा कि देश में नदी प्रणाली को समेकित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें उनकी वर्तमान गवेषित क्षमता से भी अधिक उपयोग करना चाहिए। इससे न केवल रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी बल्कि नदियों के समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास का पथ भी प्रशस्त होगा। कई घाट बन सकेंगे और आधार संरचना का सृजन किया जा सकेगा।

जहां तक जलमार्गों के अनुरक्षण का संबध है यह उस प्राधिकरण का प्रधान दायित्व है जो राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित जलमार्गों पर प्राधिकरण रखता है।

हम अन्य स्रोतों के द्वारा—जिनमें राज सहायता भी शामिल है चूंकि निजी क्षेत्र ने इस में कोई अधिक रुचि नहीं दिखाई है— इन जलमार्गों में परिवहन जलयानों तथा मालवाहक जलयानों को चलाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनके लिए एक प्रोत्साहनकारी उपाय के रूप में है ताकि इन जलमार्गों का समुचित उपयोग हो सके; क्योंकि सड़क और रेलमार्ग की ही भांति यह भी मनुष्यों और माल के परिवहन का एक वैकल्पिक साधन है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने उल्लेख किया कि यहां मृदा-परीक्षण किया जा रहा है। यह सही है कि यहाँ हो रहा है, लेकिन पटना, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कोच्चि, बंगलौर आदि स्थानों में इसके अनेक क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं।

एक सुझाव लगभग सभी ओर से आया है कि हमें इस संदर्भ में अध्ययन और साध्यता-अध्ययन करना चाहिये कि अन्य ऐसे कौन-कौन से संभावित जलमार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि भारत के कुछ राज्यों ने इस तरफ काफी सफल प्रयोग किये हैं। उदाहरणार्थ, गोवा में अपने राज्य के जलमार्गों का सफल प्रयोग किया है; केरल ने भी अपने जलमार्गों का प्रभावपूर्ण उपयोग करके सफलता हासिल की है। इन क्षेत्रों से अभी भी मांगें आ रही हैं कि उन्हें कुछ सहायता चाहिए।

पिछले सप्ताहांत में ही मैंने इस तरह की संभावना वाले राज्यों के परिवहन मंत्रियों और जलमार्ग मंत्रियों से दिल्ली आने का अनुरोध किया था और प्रायः 15 राज्यों के प्रतिनिधि आए भी। मैरी उनके साथ बातचीत हुई। हमने एक-दूसरे के पक्ष को समझा। हमने क्षेत्रीय सम्मेलन किये हैं; दिल्ली में हमने एक सम्मेलन किया; पटना में किया और केरल में भी पहले ही एक सम्मेलन कर चुके हैं। अब हम पूर्वोत्तर में भी एक सम्मेलन करने की योजना बना रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों में जलमार्गों के विकास हेतु इस मद को भी कार्यसूची में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया जा सके।

हमने 10 जलमार्गों की पहचान की है और इनके संबंध में साध्यता अध्ययन किये हैं। तीन प्रमुख जलमार्गों को हम पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर चुके हैं; ये हैं—गंगा, भागीरथी, हुगली तंत्र; ब्रह्मपुत्र और केरल में पश्चिमी घाट नहर। सात अन्य के संबंध में हमने तकनीकी-आर्थिक साध्यता-अध्ययन पूरा कर लिया है। किन्तु इन अध्ययनों के कर लेने के बाद भी जो समस्या हमारे सामने आ रही है, वह है संसाधनों की।

अपराह्न 3.00 बजे

अब, जहाँ तक संसाधनों की बात है तो क्या केवल बजटीय सहायता पर ही निर्भर रहना चाहिए? अथवा, हम बाजार का भी दोहन करें और इसे एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में विकसित करें जिससे कुछ प्राप्ति हो सके और यह वाणिज्यिक रूप से कार्य कर सके? यह संशोधन वस्तुतः इसी प्रधान समस्या-संसाधन की

समस्या के समाधान के लिए है। हम इस क्षेत्र में संसाधनों को आकृष्ट करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा, उड़ीसा में महानदी, गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा, गोवा में मांडवी और ज्वारिक, गुजरात में ताप्ती, असम में बराक और पश्चिम बंगाल में डी.वी.सी. जैसे जलमार्गों के क्षेत्रान्तर्गत अध्ययन किये गये हैं और हमें इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि एक ऐसा सक्षमकारी प्रावधान रखा जाए जिससे हम बाजार तक पहुंच बना सकें, राजस्व अर्जन कर सकें और यह प्राधिकरण वाणिज्यिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए कार्य-संचालन कर सके। क्योंकि, हमें इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित करना है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। अब मैं सभा से आग्रह करता हूँ कि वह इस विधेयक को पारित करे।

श्री नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला, क्या आपने अन्य देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से तकनीकी सहायता प्राप्त की है, जो सीन और डेन्यूब जैसी नदियों पर अंतर्देशीय जलमार्गों का संचालन कर रहे हैं। दूसरा, यह देखते हुए कि हमारा अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र शुरुआत में ही विदेशी पूंजी पर अत्यधिक निर्भर रहा था, क्या इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की विपुल संभावनाएं नहीं हैं? और तीसरा, क्या आप बांग्लादेश सरकार का सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं?

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहां तक दूसरे सुझाव का संबंध है, हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक एजेंसियों से संपर्क किया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मुझे बताया है कि वह उनके संपर्क में हैं और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति होने की आशा है।

महोदय, जहाँ तक विभिन्न अन्य देशों के प्रयोगों का अध्ययन करने का संबंध है, हम इस ओर विचार करने को तैयार हैं। वस्तुतः हमारी तरफ से कुछ लोगों ने जाकर उनकी प्रचालन प्रक्रिया देखी है। डा. सेनगुप्ता ने अन्य विभिन्न देशों का उदाहरण दिया। वास्तव में वहां कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय पत्तनों को अंतर्देशीय जलतंत्रों से जोड़ दिया गया है और वहां ऐसा होता है कि नौभार के पत्तन पहुंचने के बाद से ही उसे जलमार्ग से ले जाया जाता है और सड़कमार्ग या फिर उपयोग नहीं किया जाता, इस तरह भूमिमार्ग और सड़कों के यातायात पर दबाव कम होता है। रोटरडम और यूरोप के कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है। अब ऐसा अंतर्देशीय जलतंत्रों के माध्यम से किया जाने लगा है। यह सस्ता तो है ही, इससे समय भी बचता है। इस तरह से सड़कों के यातायात पर भी दबाव कम पड़ता है। हम डा. सेनगुप्ता के सुझाव सहित इन सभी सुझावों पर ध्यान दे रहे हैं। जहां तक बांग्लादेश से सहयोग का सवाल है, ये नदियां विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और हमें नयाचार का पालन करना होता है। हम इन सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.04 बजे

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक
और
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कल नेताओं की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 23, 24 और 25 पर दर्शाए गये विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाये क्योंकि इन विधेयकों का विषय अंतर्संबंधित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक श्री लालकृष्ण आडवाणी के नाम में है, जिन्होंने अपनी तरफ से श्री अरुण जेटली को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह स्पष्ट करूं कि ये तीन विधेयक किस बारे में हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप तीनों विधेयकों के बारे में एक साथ बता सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि तीनों विधेयकों का विषय परस्पर जुड़ा हुआ है। विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 का संबंध चार विभिन्न विधानों से है। इस विधेयक का पत्नी को गुजाराभत्ता के भुगतान, विशेषकर जब विवाह विच्छेद संबंधी कार्यवाही न्यायालय में लंबित हो, से संबंधित विभिन्न उपबंधों के निहितार्थ चारों विधानों—भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में से प्रत्येक विधान में सीमित उद्देश्य है। पिछला अनुभव यह है कि विवाह संबंधी मामले बहुत लंबे समय तक चलते हैं जिससे पत्नियों को गुजाराभत्ता के भुगतान संबंधी आदेश देने में बहुत लंबा समय लग जाता है।

इन चार वैयक्तिक कानूनों में संशोधन का उद्देश्य कुछ ऐसे उपबंध करना है जो कल्याणकारी हों। पहला उपबन्ध यह है कि पत्नियों को दिया जाने वाला भरण-पोषण या गुजाराभत्ता के अतिरिक्त सभी कानूनों में ऐसी एकरूपता दी गई है जिसमें कार्यवाही पर होने वाला कानूनी खर्च भी दिया जायेगा। कुछ कानूनों में यह उपबन्ध था, अन्यों में नहीं।

दूसरा उपबंध यह है कि हालांकि अन्तरिम गुजाराभत्ता देने का प्रावधान है लेकिन गुजाराभत्ता लेने में पत्नियों को कई साल लग जाते हैं और आजीविका के किसी अन्य स्रोत के अभाव में उनको विपन्नता का जीवन जीना पड़ता है। सभी कानूनों में अब समान उपबंध किया गया है जिसमें उल्लेख है कि जहां तक संभव हो। न्यायालय आवेदन देने के 60 दिनों की अवधि के भीतर भरण-पोषण संबंधी आदेश पारित करने की कोशिश करेगा। इसलिए 60 दिनों के अंदर प्रत्यर्थी को भरण-पोषण के आदेश प्राप्त हो जाने चाहिएं।

इस संशोधन का तीसरा भाग यह है कि अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के खर्च के मामले संबंधी कार्यवाही की समान रूप से 60 दिनों के अंदर सम्पन्न कर ली जायेगी। विवाह विधि (संशोधन) विधेयक का भी यही उद्देश्य है।

दूसरा विधेयक जो कि भारतीय विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मुझे यहां यह उल्लेख करना है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में अधिनियमित किया गया था और यह इंग्लिश मैट्रीमोनियल कालेज ऐक्ट, 1857 का ही प्रतिरूप है। इस अधिनियम में ऐसे कतिपय उपबंध थे जो महिलाओं के साथ भेदभावकारी थे। इंग्लैण्ड ने 1923 में इस विधेयक का निरसन कर दिया लेकिन इसको आरम्भ किये जाने के 132 वर्षों बाद हम इस विशेष विधि में संशोधन करने का विचार कर रहे हैं।

विगत वर्षों में, कतिपय उदाहरण ऐसे रहे हैं, जिनमें विधि आयोग ने इस अधिनियम के कई उपबंधों में संशोधित करने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने अपनी पन्द्रहवीं, उन्नीसवीं, बाइसवीं और एक सौ चौसठवीं रिपोर्ट में इस अधिनियम में

अपराह्न 3.04 बजे

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कल नेताओं की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 23, 24 और 25 पर दर्शाए गये विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाये क्योंकि इन विधेयकों का विषय अंतर्संबंधित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक श्री लालकृष्ण आडवाणी के नाम में है, जिन्होंने अपनी तरफ से श्री अरुण जेटली को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

> ''कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

> ''कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह स्पष्ट करूं कि ये तीन विधेयक किस बारे में हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप तीनों विधेयकों के बारे में एक साथ बता सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि तीनों विधेयकों का विषय परस्पर जुड़ा हुआ है। विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 का संबंध चार विभिन्न विधानों से है। इस विधेयक का पत्नी को गुजाराभत्ता के भुगतान, विशेषकर जब विवाह विच्छेद संबंधी कार्यवाही न्यायालय में लंबित हो, से संबंधित विभिन्न उपबंधों के निहितार्थ चारों विधानों—भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में से प्रत्येक विधान में सीमित उद्देश्य है। पिछला अनुभव यह है कि विवाह संबंधी मामले बहुत लंबे समय तक चलते हैं जिससे पत्नियों को गुजाराभत्ता के भुगतान संबंधी आदेश देने में बहुत लंबा समय लग जाता है।

इन चार वैयक्तिक कानूनों में संशोधन का उद्देश्य कुछ ऐसे उपबंध करना है जो कल्याणकारी हों। पहला उपबन्ध यह है कि पत्नियों को दिया जाने वाला भरण-पोषण या गुजाराभत्ता के अतिरिक्त सभी कानूनों में ऐसी एकरूपता दी गई है जिसमें कार्यवाही पर होने वाला कानूनी खर्च भी दिया जायेगा। कुछ कानूनों में यह उपबन्ध था, अन्यों में नहीं।

दूसरा उपबंध यह है कि हालांकि अन्तरिम गुजाराभत्ता देने का प्रावधान है लेकिन गुजाराभत्ता लेने में पत्नियों को कई साल लग जाते हैं और आजीविका के किसी अन्य स्रोत के अभाव में उनको विपन्नता का जीवन जीना पड़ता है। सभी कानूनों में अब समान उपबंध किया गया है जिसमें उल्लेख है कि जहां तक संभव हो। न्यायालय आवेदन देने के 60 दिनों की अवधि के भीतर भरण-पोषण संबंधी आदेश पारित करने की कोशिश करेगा। इसलिए 60 दिनों के अंदर प्रत्यर्थी को भरण-पोषण के आदेश प्राप्त हो जाने चाहिएं।

इस संशोधन का तीसरा भाग यह है कि अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के खर्च के मामले संबंधी कार्यवाही की समान रूप से 60 दिनों के अंदर सम्पन्न कर ली जायेगी। विवाह विधि (संशोधन) विधेयक का भी यही उद्देश्य है।

दूसरा विधेयक जो कि भारतीय विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मुझे यहां यह उल्लेख करना है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में अधिनियमित किया गया था और यह इंग्लिश मैट्रीमोनियल कालेज ऐक्ट, 1857 का ही प्रतिरूप है। इस अधिनियम में ऐसे कतिपय उपबंध थे जो महिलाओं के साथ भेदभावकारी थे। इंग्लैण्ड ने 1923 में इस विधेयक का निरसन कर दिया लेकिन इसको आरम्भ किये जाने के 132 वर्षों बाद हम इस विशेष विधि में संशोधन करने का विचार कर रहे हैं।

विगत वर्षों में, कतिपय उदाहरण ऐसे रहे हैं, जिनमें विधि आयोग ने इस अधिनियम के कई उपबंधों में संशोधित करने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने अपनी पन्द्रहवीं, उन्नीसवीं, बाइसवीं और एक सौ चौसठवीं रिपोर्ट में इस अधिनियम में

[श्री अरुण जेटली]

अत: हमने इन सभी सुझावों को मंजूर कर लिया है। इन सभी सुझावों के साथ विधेयक पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। मैं सम्माननीय सभा के विचारार्थ विधेयक रख रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है। शुरू में उस कानून को बदलने में उन्हें झिझक थी और बाद में महिला सशक्तीकरण और उच्च साक्षरता दर के कारण पूरे समुदाय में सहमति हो गई। यहां तक कि स्थायी समिति में भी विधि संशोधन को लेकर सहमति थी।

एकमात्र सुझाव जो समुदाय ने दिया और हमने मंजूर नहीं किया वह यह था कि वे समानान्तर न्यायालय चाहते थे, जिनका गठन न्यायाधीशों द्वारा किया जाना था जिसे विवाह तंत्र के बारे में अधिकार प्राप्त हो। यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हमारी विधिक और न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत केवल संविधान और विधि के अंतर्गत गठित न्यायालयों को ही विधिक प्राधिकार प्राप्त है और जहां तक भारतीय विधि का प्रश्न है धार्मिक संगठनों द्वारा गठित न्यायालयों को औपचारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। अत: उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। स्थायी समिति ने इसे हमारे पास भेजा और हमने इसे मंजूरी नहीं दी और न तो सरकार ने स्वीकार किया।

महोदय, तीसरा विधान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 दण्डविधि प्रावधान है जिसका उद्देश्य विपन्नता या भुखमरी से बचाना है। इसका संबंध परिवार के न कमाने वाले सदस्यों, पत्नियों, अवयस्क बच्चों, बूढ़े माता-पिता से है जो कमाते नहीं हैं और आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस प्रावधान में भरण-पोषण राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई थी जो 500 रुपये थी। यह सीमा वर्ष 1955 में निर्धारित की गई थी, तबसे जीवन-स्तर बढ़ा है, आय बढ़ी है, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। विधि आयोग ने कुछ साल पहले सुझाव दिया था कि इस धनराशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाये। सरकार ने इस मामले पर विचार किया और यह महसूस किया गया कि जब समाज में लोगों की आय में इतनी विभिन्नता है तो इससे संबंधित उपबन्ध को बार-बार संशोधित करने की बजाय, अधिकतम सीमा को हटा दिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस सबके बावजूद यह न्यायिक विवेकाधीन का मामला है कि पत्नियों, बच्चों या वृद्ध माता-पिता उनका जीवन स्तर और पतियों की आय को ध्यान में रखते हुये भरण-पोषण राशि कितनी हो।

इसीलिए हमने धारा 125 में कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया है। अधिकतम सीमा 500 को समाप्त किया जाना है। जैसाकि हमने वैयक्तिक विधियों के संदर्भ में किया, हमने एक उपबंध किया है- जो पहले नहीं था हालांकि अंतरिम भरण-पोषण भत्ते के संबंध में न्यायिक मत यह था कि उन्हें यह अधिकार और यह भी उपबंध किया गया है कि जहां तक संभव हो अंतरिम भरण-पोषण के बारे में फैसला आवेदन तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर हो। इन विधियों का उद्देश्य न केवल लिंग आधारित न्याय को सुदृढ़ करना है बल्कि उनको भी सहायता देना है जो सामाजिक परिस्थितियों के कारण विपन्नता की स्थिति में हों। सबसे महत्वपूर्ण भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम है, जिसका उद्देश्य विधि के भेदभावपूर्ण हिस्से को समाप्त करना और उनके बदले गैर-भेदभावपूर्ण उपबंध करना है।

मैं, एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो मैं पहले भूल गया था। भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में जो एक बात जोड़ने का सुझाव हमारे समुदाय ने दिया था वह था कि आपसी सहमति से विवाह विघटन का उपबंध करना। यह मूल विधेयक में नहीं था, जिसे हमने प्रस्तुत किया था। समुदाय और स्थायी समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि अपने विवाह का विघटन करके भी जब पति और पत्नी अलग रहने को सहमत हो जायें, तो किसी के न्यायालय जाने और दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना जरूरी नहीं होना चाहिए। दोनों सभ्य तरीके से साथ न रह पाने की हालत में बिना कारण बताये विवाह विघटन की सहमति दे सकते हैं। अन्य विधियों, हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में अलग रहने की अवधि एक साल थी, लेकिन समुदाय ने महसूस किया कि इस मामले में यह अवधि दो साल हो। अत: स्थायी समिति ने इसका सम्मान किया और हमने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया।

इन शब्दों के साथ, मैं सम्माननीय सभा से इन तीन महत्वपूर्ण विधानों पर विचार करने और पारित करने की सिफारिश करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करती हूं कि इस देश की ईसाई महिलाओं के लिए, आज जिस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया है, वह अवश्य ही एक प्रगतिशील कदम है। दूसरे समुदायों की तुलना में ईसाई महिलाओं की साक्षरता दर काफी उच्च रही है और उनमें कहीं ज्यादा जागरूकता और प्रबुद्धता है। फिर भी, यदि आप ईसाई महिलाओं के विवाह और विवाह विच्छेद का नियमन करने वाले कानूनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे अभी भी हमारे समय से 150 वर्ष पीछे हैं। आज, मैं हमारी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए विधि मंत्री और सरकार को धन्यवाद देती हूं। वास्तव में, ये संशोधन 1950 के दशक से ही विधि आयोग के प्रतिवेदनों में दिए गए हैं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे कई फैसले दिए हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि ईसाई समुदाय की महिलाओं को प्रभावित करने वालों में ज्यादातर प्रावधान महिलाओं के लिए काफी विभेदकारी थे।

अपराह्न 3.18 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

फिर भी, अल्पसंख्यक समुदायों के स्वीय कानूनों में फेरबदल करने संबंधी उत्तरवर्ती सरकारों की संवेदनशीलता ने प्रक्रिया को विलंबित रखा और हमेशा ही एक प्रश्नचिह्न लगा रहा कि समुदाय को सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना चाहिए और समुदाय द्वारा पहल की जानी चाहिए। अतएव, हम महिलाओं को, विशेषकर ईसाई समुदाय की महिलाओं को, उन कानूनों के लिए, जिनको कि ब्रिटिश संसद ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार संशोधित कर दिया था, उन्हें यहां भारत में संशोधित करवाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से अब तक इंतजार करना पड़ा। मैं यह अवश्य कहूंगी कि ऐसा अभी हाल ही में नहीं हुआ कि एक ऐसा प्रावधान विद्यमान था कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून भारत में हम पर, हमारे समुदाय पर लागू होगा और सरकार ने अभी तक इसे हटाना आवश्यक नहीं समझा।

और तो और, मैं यह अवश्य कहूंगी कि इस पर सर्वसम्मति रही है जैसा कि मंत्री जी ने कहा है। उन्होंने सभी प्रावधानों को स्पष्ट किया है और मेरे पास इससे ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यह अवश्य कहूंगी कि, सभी गिरजाघरों के बीच सर्वसम्मति बनाई गई और मैं उन ईसाई महिला समूहों और संगठनों को धन्यवाद देती हूं जो इन संशोधनों को पारित करने के लिए 1980 से प्रयत्नशील रहे हैं। जब मैं राजीव गांधी की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तब हमने यह मांग उठाई और श्री राजीव गांधी ने शाहबानों मामले और उसके फैसले का प्रतिघात सहने के बाद मुझसे कहा, ''जाइए और परिवर्तन चाहने वाले 10,000 ईसाईयों का हस्ताक्षर ले आइए और तब मैं कार्रवाई करूंगा।''

मैंने कहा, ''हमने ईसाई कानून में संशोधन का समर्थन करने वाले पूरे देश भर के 10 लाख पुरुषों और महिलाओं के हस्ताक्षर करवाए।'' हमने उन्हें सौंपते हुए कहा, हमने यह कर दिखाया और अब हम परिवर्तन चाहते हैं।' निश्चय ही, इसमें समय लगा था। आप जानते हैं कि धार्मिक धर्माधिकारी वर्ग धीमे-धीमे आगे बढ़ता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और सीबीसीआई के गिरजाघरों को सहमत करने में समय लगा। गिरजाघर के प्राधिकारी, महिला समूह और कुछ अन्य लोगों ने संशोधनों के लिए विधि मंत्री से संपर्क किया था। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि सरकार ने हमारी मांगों को माना और ये परिवर्तन साकार हुए। मैं यह अवश्य कहूंगी कि विवाह और विवाह-विच्छेद संभवत: लोगों के जीवन में बड़े ही मूलभूत मुद्दे हैं। विवाह कुछ ऐसी चीज है जिसे प्रत्येक धार्मिक समूह अथवा प्रत्येक समुदाय अपने तरीके से समारोहपूर्वक मनाता है। देश में समस्याएं विद्यमान हैं। आज भी, विवाहों का पंजीकरण नहीं किया जाता है। कई मामलों में महिलाओं को पंजीकरण न करने की कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि पति बस इतना कहते हैं, 'यह मेरी पत्नी नहीं है, मैं नहीं जानता वह कौन है और वह मेरी पत्नी होने का दावा कर रही है।'

दूसरी बात जो आज विद्यमान है, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह है द्विविवाह संबंधी कानून। आपसे नागरिक और अन्य कानूनों के अंतर्गत किसी दूसरी महिला से विवाह करना अपेक्षित नहीं है। पहला प्रावधान यह है कि शिकायतकर्त्ता पीड़ित पक्ष हो। इस प्रकार जब तक पत्नी शिकायत नहीं करती, राज्य दूसरी और तीसरी बार विवाह करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेगा। अक्सर ये महिलाएं हमारे पास सलाह अथवा परामर्श के लिए आती हैं, तो हम पूछते हैं, 'आप आपराधिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज करती हैं? वे कहती हैं कि यदि वे ऐसा करती हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और वे कहीं भी नहीं रहेंगी। वे कहती हैं, 'जब तक राज्य हमारी सहायता नहीं करता हम कहाँ जायेंगे?' ...*(व्यवधान)* मैं सामान्य कानून की बात कर रही हूं जो हिन्दू महिलाओं के लिए सच है। ...*(व्यवधान)*

मैं आज विद्यमान सामान्य कानून की बात कर रही हूं। यदि आप ऐसा ही करने वाले सभी के कार्यों को युक्तिसंगत बता रहे हैं, तब आप क्यों मुस्लिम कानून की बात कर रहे हैं? मैं दूसरों की बात कर रही हूँ जिनके लिए स्वीय कानून का प्रावधान नहीं है और वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं और कानून के विरुद्ध ऐसा करके भी बच जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि सभी कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

मैं कृतज्ञ हूं कि जहां तक ईसाई महिलाओं का संबंध है, आज ये संशोधन लाए गए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात भरण-पोषण की है। प्रथम सोपान पूरा हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि 500 रुपये की यह सीमा अब नहीं रही। और यह भी कि यह आय का 5वां हिस्सा मात्र नहीं रहा है, परन्तु यह वह हो सकता है जिसे उचित समझा जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात समय-सीमा है। अब जहां तक संभव हो, आवेदन को सात दिन के अंतर्गत निपटान हो जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि यह आवेदन की तिथि से साठ दिन तक है। ऐसा नहीं है। यह अवधि पति को नोटिस दिए जाने की तिथि से साठ दिन तक है। मैं यह अवश्य कहूंगी कि इसमें समस्याएं विद्यमान हैं क्योंकि अक्सर पति को नोटिस दिया जाना किसी महिला के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया बन जाती है।

श्री अरुण जेटली: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नागरिक प्रक्रिया संहिता जो कि स्थायी समिति के पास है में हमने जिन परवर्ती परिवर्तनों का सुझाव दिया है उनमें हमने पत्र देने के उन तरीकों को पंजीकृत डाक अथवा नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बेललीफ जैसे ई-मेल इत्यादि जैसी सेवाओं तक बढ़ा दिया है। निश्चय ही, काफी लोगों की इस तक पहुंच नहीं है। हमने कुरियर द्वारा भी पत्र पहुंचाने का इसमें प्रावधान किया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं इसके लिए आपकी आभारी हूं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में पति को नोटिस देने में सामान्यत: दो वर्ष लगते थे। मुझे खुशी है कि इसका आधुनिकीकरण करते हुए इसमें परिवर्तन किया गया है।

मैं यह भी ध्यान दिलाऊंगी कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम शुरू से ही आपत्ति करते रहे हैं, वह है विवाह विच्छेद अथवा जिसे हम विवाह भंग होना कहते हैं, के आधार पर भेदभाव करना। ऐसा इसलिए है कि जैसाकि आपने कहा, महिलाओं को व्यभिचार के साथ-साथ अन्य बातों को भी साबित करना होगा जबकि कोई पुरुष व्यभिचार कहकर विवाह-विच्छेद प्रक्रिया को जारी रख सकता है। महिलाओं के विरुद्ध संपूर्ण कानून इतना अस्पष्ट था कि किसी महिला के लिए न्याय प्राप्त कर पाना असंभव था।

यद्यपि मैं, स्वयं समुदाय से हूं जो विवाह-विच्छेद में विश्वास करता है और न ही पुनर्विवाह में विश्वास करता है। इसलिए, इससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। कैथोलिकों में विवाह एक प्रतिज्ञा होती है और इसकी शपथ में कहा गया है-''अन्टिल डेथ डू अस एपार्ट।'' (मृत्युपरंत हम संग हों)। इसलिए हममें न तो विवाह-विच्छेद होता है और न ही पुनर्विवाह। परन्तु विवह-विच्छेद और विघटन को मान्यता देने वाले बहुसंख्यक ईसाई समूह के लिए, जहां तक महिलाओं का संबंध है, यह एक अग्रगामी कदम है।

मैं यहां अवश्य उल्लेख करूंगी कि सबसे भेदभावपूर्ण खण्ड यह था कि जब कोई पुरुष व्यभिचार के आधार पर विवाह-विच्छेद का मामला दर्ज करता है और उस मामले में जीत जाता है, तब, उस महिला की समस्त संपत्ति, जो भी उसके पास होगी, स्वयमेव पति के पास चली जाएगी। परन्तु, जब व्यभिचार के आधार पर एक महिला विवाह-विच्छेद के लिए मामला दर्ज कराती है और विवाह विच्छेद प्राप्त कर लेती है, तो उसके पास पति की कोई भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं होती। यह तो एकतरफा मामला था जहां पत्नी पति से हार जाती थी। परन्तु जब पति पर व्यभिचार का आरोप लगता था और उसे दोषी पाया जाता था, तो वह कभी भी पत्नी को संपत्ति नहीं देता था। ऐसे प्रावधान, मेरे विचार से 1950 से लागू संविधान की मूल भावना और निर्देशों के पूर्णत: विरुद्ध हैं। परन्तु महिलाएं अब भी इस भेदभाव का शिकार हो रही हैं क्योंकि स्वीय कानूनों को नहीं छेड़ा जा सकता था। महिलाओं को अपने पुरुषों, अपने चर्च प्राधिकारियों और संस्थानों को जागरूक बनाना पड़ा, और समुदाय के अंदर से ही यह मांग होनी चाहिए थी कि हम न्याय चाहते हैं। हमने समुदाय से समर्थन की मांग करते हुए न्याय की मांग की। हम समुदाय में सहमति तैयार करने के लिए चारों ओर गए। मैं आज यह अवश्य कहूंगी कि इस मामले पर संकोच करने वाले कुछ लोगों की मौजूदगी के बावजूद, बड़ी संख्या में लोगों ने इस उद्देश्य का समर्थन किया है और इसलिए आज हम इन संशोधनों के लिए तैयार हुए हैं।

उन्होंने पारस्परिक सहमति के प्रावधान को भी इसमें शामिल किया है। जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है यह पारस्परिक सहमति पर आधारित विवाह-विच्छेद अथवा विवाह-भंग होने का प्रश्न है, जहां हम न्यायालय में एक-दूसरे से लड़े बिना और इंतजार किये बिना ऐसा कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उच्च न्यायालय में न जाने संबंधी प्रावधान और आज्ञप्ति को स्थायी बनाये रखने के लिए छ: माह का इंतजार हमारे लिए काफी सहायक होगा। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात अब वह प्रावधान है कि कार्यवाहियों पर होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या आप पारस्परिक सहमति के प्रावधान का समर्थन कर रही हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हां, यदि वे सहमत हो जाते हैं, तो फिर यह ठीक है। यदि दो वर्षों तक अलग रहने के बाद वे दोनों सहमति हो जाते हैं, तो यह सही है। ...*(व्यवधान)* मैं जानती हूं कि इसमें खतरा है। परन्तु विवाह विच्छेद में भी खतरे हैं। दो वर्षों तक अलग रहने का प्रावधान इसमें रखा गया है। वास्तव में, पहले जब यह संशोधन आया था, तब हमने इसका विरोध किया था। परन्तु, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जब पूरे समुदाय ने हमारा समर्थन किया है और इसकी मांग की है तो मैं इसका अकेले

विरोध करना नहीं चाहती। यहां तक कि महिला संगठनों और समूहों ने भी यह कहते हुए इसका समर्थन किया है कि जब क्रूरता और परित्याग हो रहे हैं तो वे कई वर्षों तक इंतजार नहीं पर सकते। कई तरह के कारण हो सकते हैं कि वे अपने पतियों के साथ नहीं रह रही हैं। धन और ज्यादा समय व्यतीत किए बगैर, वे ऐसा करना चाहेंगी। मैं महसूस करती हूं कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें ऐसा विदेशों में हो सकता है और ऐसा उनकी जानकारी के बिना किया जा रहा है।

बस एक बात और है। एक हिस्सा और था जिसे हमने सरकार को सौंपा था। यह ईसाई विवाह विधेयक का प्रारूप है जिस पर सभी ईसाई समूहों की पारस्परिक सहमति से चर्चा की गई। हम एक व्यापक ईसाई विवाह विधेयक लाना चाहते थे। इसे परिचालित किया गया था। ईसाई समुदाय और सभी गिरजाघरों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सरकार के साथ विचार किया गया। संशोधनों को तालिकाबद्ध रूप में रखा गया और परिचालित किया गया। ये सरकार के विचाराधीन है।

मंत्री महोदय, मैं महसूस करती हूं कि आप जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। परन्तु मैं आपसे इस पर विचार करने की अपील करती हूं। आपने हमारी सहायता के लिए बड़ा ही प्रगतिशील कदम उठाया है। मेरे विचार से यदि हम ईसाई विवाह अधिनियम नामक व्यापक विधेयक लाते, तो यह हमारे लिए सहायक होता। वास्तव में, समुदाय के अंतर्गत, इस पर विस्तार में चर्चा हुई और इस पर सर्वसम्मति हुई। मैं माननीय मंत्री से अपील करती हूं कि आने वाले महीनों में यदि वह सभी ईसाई समूहों की सम्मिलित बैठक आयोजित कर इस पर चर्चा कर सकें और इसे अंतिम रूप से विचार करने हेतु स्थायी समिति को भेजें, तो हम बड़े आभारी होंगे।

हम आशा करते हैं कि प्रक्रिया आरंभ करने के पश्चात सरकार आगे बढ़ेगी और ईसाई कानून को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया को पूरा करने और समुदाय को यह कहने लायक बनाएगी कि ईसाई समुदाय के अंतर्गत हम महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और इसमें सभी वर्गों के लिए न्याय है।

मैं सरकार को पहल करने के लिए धन्यवाद देती हूं और मैं यह कहना चाहती हूं कि जब भी हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठे हैं तो मंत्री जी ने अत्यन्त ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनी हैं। यह निश्चित रूप से उनके कारण ही संभव हो सका है कि यह सपना साकार हुआ है। मैं अपने समुदाय की सभी महिलाओं की ओर से विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं सभी तीन विधेयकों—विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 2001 भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 और दंड प्रक्रिया संहिता, 2001 का समर्थन करता हूं। क्रम थोड़ा गलत है। पहले भरण-पोषण की बात की गई है और फिर विवाह विच्छेद की इसे विपरीत होना चाहिए। पहले विवाह-विच्छेद होता है और फिर भरण-पोषण का मामला सामने आता है। परन्तु मैं इन तीनों विधेयकों का स्वागत करता हूं।

इन तीनों विधेयकों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला अधिकारिता वर्ष है। समय भी बिल्कुल सही है कि ये सभी तीन विधेयक महिला अधिकारिता और महिला हितों का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस संबंध में मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा कह रही थी कि ये बड़े लंबे समय से लंबित पड़ी थी। यह तो केवल मंत्री जी की पहल ही थी कि हम अब जाकर विधेयकों को देख रहे हैं। इसका एक अलग पक्ष भी है। एक प्रतिष्ठित वकील होने के नाते मंत्री जी इस सिद्धांत को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि विलंबित न्याय अन्याय है और न्यायालयों में मामलों को तेजी से निपाटने के लिए 'फास्ट ट्रैक' न्यायालयों की स्थापना की पहल की है और भरण-पोषण का निर्णय 60 दिनों में किया जाना चाहिए। यह स्वागतयोग्य कदम है।

जैसाकि, श्रीमती आल्वा ठीक कह रही थीं कि इसके सैकड़ों कारण और सैकड़ों तरीके हैं कि अधिवक्ता पत्नी को वास्तव में भरण-पोषण दिलाने में विलंब कर सकते हैं। एक महिला परेशानी में है। जो कुछ उसके साथ हुआ है उससे वह पीड़ित है और चोटग्रस्त है। ऊपर से वह यह नहीं जानती कि उसे कहां जाना है। उसे आवास की समस्या है। यदि वह अपने माता-पिता के पास जाना चाहती है, तो वे उसे स्वकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात यह है जिसे मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किए जाने वाले उपायों और दिए जाने वाले निर्देशों में थोड़ा बहुत आवास के बारे में भी कहा जाना चाहिए। उसे निर्वाह भत्ता दिया जाता है। उसके बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण के लिए उसे धन दिया जाता है, परन्तु उसके आवास के संबंध में क्या है? जब कोई महिला परेशानी में होती है, तो भाई एवं माता-पिता भी उससे मुख मोड लेते हैं। उस समय वह चाहती है कि उसके सर पर छत भी हो। इस संबंध में भी कुछ किया जाना चाहिए।

यह एक ऐसा उपाय भी है जो संविधान के अनुच्छेद 15 की प्रभाविता और प्रतिबद्धता को सचमुच सुदृढ़ करता है, जो महिलाओं और बच्चों को विशेष दिशा प्रदान करता है। मेरे विचार से, यह भी विधेयक का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ अन्य विषमताएं भी हैं। उदाहरणार्थ, भरण-पोषण भी निर्धारित किया जाता है। परन्तु ऐसे में, उसके रहन-सहन के स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: वह सीमा समाप्त कर दी है। अब, कोई सीमा नहीं है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: यह विचाराधीन है। इसे आयकर की तरह नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए कि उसका रहन-सहन का स्तर कैसा है। दिए जाने वाले निदेशों में उसके द्वारा चलाई जाने वाली कार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

फिर, उदाहरण के लिए, यदि निर्वाह भत्ता और भरण-पोषण को 5000 रु. अथवा 10000 रुपया निर्धारित किया जाता है तो 10 वर्ष के बाद इस रकम का मूल्य उतना नहीं रहेगा। इसलिए, इस निर्वाह भत्ते को मूल्य सूचकांक पर आधारित होना चाहिए, जैसाकि कुछ दिन पहले संसद सदस्यों के वेतन के मामले वाले विधेयक में किया गया था। इस तरह के उपाय को यहां भी अपनाया जाना चाहिए। यदि आज निर्वाह भत्ता 5000 रुपया है तो दो या तीन वर्षों के बाद यह 6000 रुपया हो जाएगा और इसी प्रकार पांच वर्षों के बाद यह 10,000 रुपया हो जाएगा, इत्यादि।

मेरे विचार से, इस सभा में सभी इन तीनों विधेयकों से सहमत हैं। एक माननीय सदस्य ने बहुत ठीक कहा कि यह सचमुच ही ईसाई समुदाय, हिन्दु धर्म और पारसी समुदाय की महिलाओं के लिए है और यह जानना चाहते थे कि क्या मुस्लिम महिला कुछ ऐसा ही नहीं चाहती। मैं शाहबानों या इसी तरह इस जैसे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। परन्तु क्या वे इसी प्रकार के प्रगतिशील पर कदम की अपेक्षा नहीं करती। क्या वे समाज का हिस्सा नहीं हैं? क्या वे भारतीय व्यवस्था का अंग नहीं हैं? क्या वे सही दिशा में प्रगतिशील कदम नहीं चाहती है? ये बातें मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

अंत में, मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): माननीय सभापति महोदय मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरा दल और मैं इन दोनों विधेयकों अर्थात विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 और भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 का स्वागत करती हूं। मैं विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 की कुछ मुख्य विशेषताओं को उठाना चाहती हूं। विवाह अधिनियम विधेयक का उद्देश्य मुकदमा लम्बित रहने तक पत्नी को मुकदमे की कार्यवाही का खर्च तथा मुकदमा लम्बित रहने तक निर्वाह-व्यय दिलाना है ताकि पत्नी और नाबालिग बच्चों को कोई कठिनाई न हो। उक्त संशोधन में विवाह-विच्छेद की कार्यवाही को तेज करने का भी प्रयास किया गया है और इस तरह जहां तक संभव हो 60 दिनों के अन्दर कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव किया गया है। मेरे विचार से ''जहां तक संभव हो'' शब्द वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में ठीक शब्द नहीं हैं क्योंकि इससे कार्यवाही में अधिक समय लगेगा और यह कच्छप-गति से चलेगी। इस तरह विरोधी पार्टी इसका लाभ उठायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि ''जहां तक संभव हो'' शब्दों का अध्याय तीन, चार और जांच से विलोप कर दिया जाना चाहिए।

इस प्रसंग में, मैं अपने देश का विवाह विधि और भरण-पोषण विधि में कुछ आवश्यक संशोधनों का उल्लेख करना चाहती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और पारसी विवाह अधिनियम में विवाह को वैध प्रमाणित करने के लिए वधु तथा वर को क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी पड़ती है। इस प्रसंग में मेरा प्रस्ताव है कि वधु तथा वर दोनों की आयु-सीमा को क्रमशः 21 और 23 वर्ष तक बढ़ाकर संशोधन किया जाए। सबसे पहले, चूंकि लगभग साठ प्रतिशत गांव की बालिकाओं को उनके माता-पिता द्वारा 15-16 वर्ष की उम्र में ही 18 वर्ष से से अधिक उम्र बताकर विवाह-सूत्र में बांध दिया जाता है परिणामस्वरूप बाल-विवाह को रोका नहीं जा सकता। दूसरे, हाल ही के आंकड़ों से यह प्रकाश में आया है कि यदि माता की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो तो 20% से 30% तक जन्म दर वृद्धि तो नियंत्रित किया जा सकता है।

इस संदर्भ में मुझे बताना है कि बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1927 जिसके द्वारा 21 वर्ष और 18 वर्ष की आयु से नीचे विवाह तीन माह की कैद अथवा जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान इतने उदार हैं कि ये बाल-विवाह को रोकने में कोई व्यावहारिक उपलब्धि नहीं दिखा पा रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप हम अपने देश में जनसंख्या की बढ़ती हुई समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करती हूं कि इस अधिनियम के दंड प्रावधानों को और कड़ा बनाए जाने की आवश्यता है। इसलिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1927 में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिक रूप से विवाहित पत्नियां ही भरण-पोषण की हकदार हैं। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाओं का शोषण द्विविवाह के कारण होता है। हम सबको पता है कि कानून द्वारा उस महिला को कोई भरण-पोषण नहीं मिल पाता है। जिसका विवाह हिंदू अधिनियम के अंतर्गत अमान्य है। तथापि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध संतान अपने अवैध पिता की सम्पत्ति पर अधिकार रखती है। ऐसी महिला को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिसको विवाह के समय पति के पूर्व विवाह के बारे में नहीं बताया गया हो अथवा पति ने विवाह हेतु उसकी सहमति उससे धोखाधड़ी करके और झूठ बोलकर प्राप्त की हो। यदि यह महसूस किया जाये कि किसी विशेष कानून के

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अधिनियमन से कठिनाई अथवा असुविधा हो रही है तो उसका विधिक समाधान किया जाना चाहिए। अत: मेरा प्रस्ताव है कि 'पत्नी' शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करके हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों में संशोधन किया जाए।

समाप्त करने से पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से पुन: इस विधेयक का स्वागत करती हूं और इन विधेयकों पर अपने विचार रखने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: माननीय सभापति महोदय, इन वैयक्तिक कानूनों में संशोधन करना स्वागतयोग्य कदम है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इन तीन विधेयकों नामत: विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, भारतीय विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 का स्वागत करता हूं। इन सभी संशोधनों की विशेषता यह है कि निर्वाह-व्यय, भरण-पोषण अथवा बच्चों की शिक्षा हेतु याचिकाओं पर 60 दिनों के भीतर निर्णय दे दिया जाएगा जबकि पूर्व में, यदि पुरुष काफी प्रभावशाली होता था तो निर्वाह-व्यय प्रदान करने के मामले में वर्षों तक लग जाते थे। अब, इसे कम करके 60 दिन कर दिया गया है।

दूसरे, कुछ निश्चित प्रगतिशील संशोधन हैं जो कि विवाहों के विच्छेद हेतु लाये गये हैं परन्तु मुझे डर है कि क्या इस प्रावधान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा अथवा निर्दोष बालिकाओं के नुकसान हेतु उपयोग किया जाएगा। इस पक्ष की जांच करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा गरीब देश है। हमारे देश के बहुत से भागों में गरीबी और निरक्षरता है। हमें इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि क्या हमने पर्याप्त प्रगति की है। परन्तु विदुषी महिला सदस्यों ने इन उपायों का समर्थन किया है। अत: मैं इसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यह उनका परमाधिकार है।

महोदय, भारत में बहुत सारे पुराने अप्रासंगिक कानून और प्रक्रियाएं हैं और हमारे विद्वान सदस्य डा. नीतिश सेनगुप्ता ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। यह पढ़ने योग्य है परन्तु उस पुस्तक से कुछ उद्धृत करने के लिए समय अधिक नहीं है। हमारा देश एक है परन्तु बहुत से वैयक्तिक कानून हैं जो बहुत बार समस्या उत्पन्न करते हैं।

हमारा देश केवल हिंदू धर्म का ही नहीं है अपितु यह कई अन्य धर्मों का भी देश है। हमें अवश्य यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक न एक दिन इस देश को एक समान वैयक्तिक कानूनों को अपनाना पड़ेगा। केवल तभी हम एक होंगे। आज, यह संभव नहीं होगा। इस मामले के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास इस सभा में शायद पर्याप्त समर्थन नहीं है। परन्तु कई प्रगतिशील और विकसित देशों में अनेक वैयक्तिक कानून नहीं हैं।

हमारे विद्वान विधि मंत्री इन कानूनों के प्रकांड पंडित हैं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): वह प्रकांड पंडित हैं और अपनी आभा बिखेर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वह इस सभा में भी अपनी आभा बिखेर रहे हैं। किसी न किसी दिन हमें अपने सभी वैयक्तिक कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए और बेजुबान लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। अन्यथा इनमें से बहुत से कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है जिनमें विवाह कानून भी शामिल है। हम कई मामलों में देखते हैं कि पुरुष कहते हैं, ''विवाह का कोई साक्ष्य नहीं है। विवाह का साक्ष्य कहां है।'' धर्म कोई भी हो विवाहों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।

एक पति और एक पत्नी ही होना चाहिए। वह सिद्धांत भी लागू होना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह पहले से है। अन्यथा, ऐसा करने वाले को दंडित किया जा सकता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: सभी वैयक्तिक कानूनों में ऐसा नहीं है ...*(व्यवधान)* आप एक अधिवक्ता भी हैं परन्तु आपके पास एकसमान कानून नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: नहीं, नहीं, द्विविवाह पर पहले से ही प्रतिबंध है अर्थात एक पति और एक पत्नी ही होना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: द्विविवाह हिन्दुओं के लिए निषिद्ध है।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मुस्लिम वैयक्तिक कानून के अंतर्गत चार पत्नियां होती हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे बोलने के लिए केवल एक या दो मिनट बचे हैं।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि इन संशोधनों के द्वारा महिलाओं, बच्चों, निराश्रितों की परेशानियां और भुखमरी कम करने का कम से कम एक प्रयास किया गया है। मैं इनका स्वागत करता हूं। परन्तु यह न्यायालय में जाये बिना होना चाहिए। इसका निर्णय 60 दिनों में किस तरह किया जाना चाहिए। केवल एक याचिका से ही इसका निर्णय हो जाना चाहिए। इसे आगे दोबारा नहीं घसीटा जाना चाहिए। इसका निपटारा कैसे किया जाना है? शायद वह अपने उत्तर में इस स्थिति पर कुछ प्रकाश डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन तीन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं यहां भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन स्वागतयोग्य है। हम उसका स्वागत और समर्थन करते हैं। लेकिन मुझे एक संदेह है। विषाक्त और असाध्य कुष्ठ और संक्रामक यौन रोग के आधार पर शादी टूट सकती है तो शादी टूटने का आधार एड्स क्यों नहीं होना चाहिए? अब संभवतः एड्स दोनों बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है। मैं यह प्रधान मंत्री से समझना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली: मैं बाद में जवाब दूंगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत तीन विधेयकों—विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं जो बिल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनको बहुत पहले लाना चाहिए था। तलाक (विवाह विच्छेद) की बीमारी सबसे ज्यादा शहरों में फैल रही है और महिलायें सबसे ज्यादा परेशान हो रही हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी महिलायें हैं, जो शादी होने के तुरन्त बाद परित्यक्त कर दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में दस-दस सालों तक मुकदमा चलता रहता है और उन्होंने फिर विवाह भी नहीं किया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि 60 दिनों में जो गुजारा-भत्ता देने की व्यवस्था की है, इसमें कुछ ऐसा उपाय किया जाए, जिससे गुजारा हो सके। इसके साथ ही जो कम उम्र की लड़कियां हैं, कम समय में ही छोड़ दी जाती हैं, अधिनियम में क्या आपने कोई प्रबंध किया है कि एक-दो साल के अन्दर ही मुकदमे का फैसला हो जाए।

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरुचेंदूर): सभापति महोदय, मैं विवाह विधि (संशोधन) विधेयक 2001, भारतीय विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक 2001 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 नामक तीनों विधेयकों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

ये सुधारात्मक विधेयक हैं और मैं समझता हूं कि न्यायिक सुधार तथा महिलाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया में यह एक ऐतिहासिक घटना है। जैसाकि आप जानते हैं कि यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष है और हमारे विधि मंत्री ने उनके साथ न्याय किया है। यह एक प्रगतिशील कदम है। हम अपने समाज में महिलाओं की मौजूदा स्थिति के बारे में जानते हैं। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 54 वर्षों के बाद भी महिलाओं के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। अनेक घरों में उनके साथ दासियों की तरह व्यवहार किया जाता है।

हमारे यहां संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण कुछ वरदान हैं लेकिन इसके कुछ अभिशाप भी हैं। सास अथवा बहू और भाभी तथा इस तरह के रिश्तों में झगड़ा होता रहता है। कुछ लोग बाहर हीरो बनाना चाहते हैं और जब वे हीरो नहीं बन पाते तब वे घर जाकर अपनी पत्नी की पिटाई करते हैं। वे संसद के अंदर नहीं बल्कि घर के अंदर हीरो बनना चाहते हैं। इसलिए कुछ महिलाओं का परित्याग कर दिया जाता है और सचमुच उनकी जिन्दगी नरक हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि एक बार जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके पिता अपनी बेटियों से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। जब महिला अपने पिता के पास वापस जाती है और कहती है कि उसका पति उसकी पिटाई करता है तो वे उससे कहते हैं कि वे उनके पास न आये। वे उसे अपने पति के पास जाने को कहते हैं अथवा भाड़ में जाने को कहते हैं। यह लोगों का रवैया है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने महिलाओं के साथ न्याय किया है। मैं समझता हूं कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि वे हमारे समाज में बेजुबान लोग हैं। वे तलाक के लिए न्यायालय जाती हैं क्योंकि यही अंतिम उपाय है और इसलिए कि हमारे पास दूसरा कोई और उपाय नहीं है। यदि वे छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें न्यायालय जाना होता है अन्यथा वे आत्महत्या कर लेते हैं। कभी-कभी उनके संबंधियों द्वारा उन्हें पागल करार दिया जाता है या पागल कर दिया जाता है। ऐसा हुआ है क्योंकि हमने अखबारों में खबरें पढ़ी हैं।

दूसरी बात उनके लिए वित्तीय सहायता से संबंधित है। हम जानते हैं कि हम गरीबी में रहते हैं और लोगों के पास जीवन-यापन के लिए पैसा नहीं है।

न्यायालय जाने के लिए उनके पास पैसा कहां से आएगा? इसलिए उनके वित्तीय संसाधनों की भी कमी है। यदि वह महिला अपने पिता के पास जाती है तो वे कहेंगे कि "मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हूं। मैंने दहेज दिया है और शादी के लिए काफी पैसा खर्च किया है।" इसलिए वे असहाय हैं। यद्यपि, वे अपनी बेटी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। इसलिए स्थिति तो ऐसी है।

वास्तव में इसे आसान करने के लिए अवधि 60 दिनों के लिए सीमित की गई है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसका पता लगा सकते हैं कि क्या इस अवधि को 30 दिनों तक सीमित करना संभव है या नहीं। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन वे इसका पता लगा सकते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्हें इस सदमे और पीड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा। उनका एक पैर गलियों में है और दूसरा पैर घर में है। वे न तो अंदर हैं, न तो बाहर। हमारे देश में महिलाओं की यह दुखद और दयनीय स्थिति है। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना होता है। अधिकांश महिलाओं की कोई आय नहीं है। यह समस्या है। यदि उनकी अपनी कोई आय है तो उन्हें दूसरे लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार को इस विधेयक के माध्यम से अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना है।

प्रतिवादी से धनराशि की वसूली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता अथवा इसी तरह की प्रक्रिया में अधिनियमित किया जा सकता है। इसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है। यह दूसरी समस्या होगी। इसके लिए भी उन्हें एक बार पुन: न्यायालय जाना होगा और वकीलों का दरवाजा खटखटाना होगा। अत: इसके लिए भी एक निश्चित प्रावधान होना चाहिए। यदि उस 60 दिनों के अंदर वे इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलेगी। यदि यह 60 दिनों से अधिक हो जाता है तब क्या होगा? क्या न्यायधीशों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्या वे कोई जवाब देंगे और यदि हो, तो किसे जवाब देंगे। इसलिए यह बात मुझे साफ समझ में नहीं आती और यह बात कानून पंडितों के लिए स्पष्ट हो सकती है। उन्हें किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। आपने यहां केवल 60 दिनों का उल्लेख किया है। यदि यह 60 दिनों के अंदर समाप्त नहीं होता है तब इसके लिए जवाबदेह है। न्यायाधीशों को अवश्य स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह महिलाओं को एक तरह से फायदा पहुंचाएगा। ऐसे मामले में मैं समझता हूं कि महिलाओं को इस कानून से फायदा होगा।

मैं प्रशंसा करता हूं कि इस ईसाइयत कानून में हमारे मंत्री अनेक ईसाई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। कालांतर में अनेक ईसाई नेता मंत्री से और भी उम्मीद करने लगें। मैं मंत्रीजी से भारत में कैथोलिक बिशप और नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च से संपर्क करने का विनम्र अनुरोध करता हूं। यदि उनसे संपर्क किया जाता है और इस पर कोई सहमति बनती है तब उससे अनेक समस्याएं सुलझेंगी। अन्यथा इससे अनावश्यक रूप से हमारे देश में एक और राजनीति खड़ी होगी। इसलिए इसके लिए मैं सचमुच मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं और उन्होंने इसके लिए जो उत्तम कार्य किया है उसकी भी बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी): सभापति महोदय, अपने दल ए आई ए डी एम के की ओर से मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 125, 127 और 128 में और विवाह-विच्छेद अधिनियम में किए गए संशोधनों का स्वागत करता हूं। विधि मंत्री एक प्रतिष्ठित वकील होने के नाते भारत के लोगों की व्यावहारिक स्थिति से अवगत हैं।

जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 125, 127 और 128 का संबंध है, न्यायिक दण्डाधिकारी के पास निर्वाह भत्ता का आदेश देने की शक्तियां होंगी। इस संशोधन से पूर्व मजिस्ट्रेट अपने अधिकार से अधिकतम 500 रुपये तक का आदेश दे सकता था। इस कानून में ऊपरि सीमा उनके अलगाव से पूर्व के जीवन-स्तर और दम्पत्ति की आर्थिक स्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। मैं एक अथवा दो मुद्दों की ओर माननीय विधि मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

न्यायिक दण्डाधिकारी अपनी मनमर्जी के अनुसार ऊपरि सीमा तय करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। विधेयक में यह पक्ष भी अभिग्रहीत किया जाना चाहिए। मामलों के निपटान में ऐसी परेशानियों के विपरीत सुरक्षोपाय होने चाहिएं। इसी संशोधन में उन न्यायिक दण्डाधिकारियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए जो ऐसे मामले निपटाते हैं। पर्यवेक्षण करने वाले मजिस्ट्रेट को सावधानी से इस पर नजर रखनी चाहिए।

फिर, कहीं जाकर निर्वाह भत्ते के मामले को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। समय-सीमा 60 दिन है। हमारे माननीय विधि मंत्री पहले ही सभा में यह कह चुके हैं कि भविष्य में कुरियर सेवा का प्रयोग करना होगा। हम भी इसका स्वागत करते हैं।

दूसरी बात यह है कि आमतौर पर न्यायालय 15 दिनों में एक बार अथवा एक माह में एक बार स्थगन आदेश देता है। व्यावहारिक रूप में कार्यवाहियां 60 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकतीं। इसलिए मैं विधि मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मामलों में एक सप्ताह से अधिक का स्थगन आदेश नहीं होना चाहिए। केवल तभी मामले को 60 दिनों में पूरा किया जा सकता है।

मैं अंतरिम भत्ते और निर्वाह भत्ते के प्रावधान का स्वागत करता हूं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। अंतरिम भत्ते के इस प्रावधान से वास्तव में पीड़ितों को लाभ मिलेगा। निर्वाह भत्ता का मामला चलाने के लिए अंतरिम भत्ता अगली सुनवाई से पूर्व दूसरे पक्ष से

[श्री एस. मुरुगेसन]

लिया जाना चाहिए। यह सशर्त होना चाहिए। केवल धनराशि जमा किये जाने की स्थिति में ही दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए।

फिर, जहां तक भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक का संबंध है, इस संशोधन का न केवल महिलाओं ने अपितु पुरुषों ने भी स्वागत किया है क्योंकि कभी-कभी हम भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए, हम इस भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक का स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): सभापति जी, आज जो लोक सभा में बिल आया है उसके लिए मैं माननीय कानून मंत्री श्री अरुण जेटली जी को हृदय से बधाई देती हूं। आजादी के 54 वर्षों के बाद ये ऐसे कानून मंत्री हैं जिन्हें महिलाओं की नारकीय स्थिति का ध्यान आया है और उन्होंने सदन में इस बिल को लाने का काम किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अधिकांश महिलाएं चाहे किसी भी जाति, धर्म और क्षेत्र से जुड़ी हों, वे पुरुषों पर आश्रित हैं। एक ओर वेद में कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाएं आज पीड़ित और त्रस्त हैं और अपने अस्तित्व के लिए आज भी संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए एक कवि ने कहा है कि ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।'' आज उसकी यही स्थिति है। रामायण में भी कहा गया है कि ''कत विधि सिरजहिं नारि जग माहि, पराधीन सपनें सुख नाहिं''। नारी शुरू से ही पराधीन रही है। सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता कितनी सुखद और अनमोल चीज है। लेकिन यह नारी का दुर्भाग्य है कि उसको बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना पड़ता है।

इस तरह नारी अपने जीवनकाल में कभी या हमेशा किसी न किसी पुरुष, चाहे वह पिता रूप में आए, पति रूप में आये या पुत्र रूप में आए, उसके अधीन रहना पड़ता है। संविधान में उसे समान अधिकार मिले हैं लेकिन इसके बावजूद हमारा देश पुरुष प्रधान देश है जिसके चलते आज भी महिलाएं दोहरी नागरिकता जी रही हैं और महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उन्हें सिर्फ कर्तव्य ही पूरा करना पड़ा रहा है। इसे देखते हुए मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। ईसाई महिलाओं के बारे में बहुत-सी बातें हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में ज्यादा कह कर सदन का समय लूं क्योंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलने वाले हैं। 10-12 वर्षों से ईसाई महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आज वे बहुत खुश होंगी क्योंकि इस विधेयक से उन्हें ज्यादा अधिकार मिलने वाले हैं। यह महिला अधिकार वर्ष है। इस वर्ष ऐसा विधेयक लाकर सचमुच महिलाओं को सम्मानित करने का काम हुआ है। मंत्री जी ने महिलाओं को एक अनूठा उपहार देने का काम किया है।

शादी एक पवित्र बंधन है और पवित्र रिश्ता है। यह संसार शादी करके ही चलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है लेकिन आपस में विश्वास न हो, आपस में कलह द्वेष हो तो ऐसी परिस्थिति में रिश्ते को तोड़ देना अच्छा होता है। मंत्री जी ने इस बिल में जो संशोधन किया है उसमें ''यथासम्भव'' शब्द का प्रयोग किया है। ''यथासंभव'' किसलिए? इससे पुरुष को एक कवच मिल जाएगा। इस बिल से महिलाओं को जो अधिकार मिलने वाले हैं, वे नहीं मिलेंगे। ''यथासम्भव'' शब्द को हटा दिया जाए। ...*(व्यवधान)* वैसे मैं कम समय ले रही हूं लेकिन आप इशारा करेंगे तो मेरी बोलने वाली बात भी खत्म हो जाएगी। जब महिलाएं प्रताड़ित होकर घर से निकलती हैं तो उसे कहीं शरण नहीं मिलती है। पुरुष प्रधान समाज उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता है। उसकी मानसिक और सामाजिक क्षति होती है।

यहां गुजारे भत्ते की बात हो रही है। उसे न्यायाधीश के मन पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह देखना चाहिए कि पति की आय के कितने स्रोत हैं? उसके पास कितना काला धन और सफेद धन है। महिलाएं पुरुष के साथ रहती हैं। वह हर चीज में अर्धांगिनी कहलाती हैं। यह न्यायाधीश तय न करे कि उसे इतना गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उसे गुजारे भत्ते के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत मिलना चाहिए। यदि वह 50 प्रतिशत नहीं दे सकता तो कम से कम वन-थर्ड जरूर मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ एक समस्या है कि उसके साथ छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं। बच्चों के गुजारे के लिए गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 14 वर्ष तक बच्चा अपनी मां के साथ रहे, इसलिए उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी सदन में मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक महिला का आवेदन दिया था। वह महिला एक साधारण टीचर है। उसके पति ने उसे 10-15 साल पहले छोड़ दिया। आज भी वह अपनी कहानी सुनाती है तो रोने लगती है। उसे कोई न्याय नहीं मिला और न ही मुआवजे के तौर पर राशि मिली। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। दिल्ली या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कितनी महंगी है, उसे आप समझ सकते हैं। पैट्रोलियम विभाग में उसका पति काम करता है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मंत्री जी के यहां से भी नैगेटिव जवाब आ गया।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि क्या वे यह बिल किसी राजनैतिक कारणवश तो नहीं लाये हैं?

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। मेरे पास माननीय सदस्यों की सूची लम्बी है जिन्हें इस विषय पर बोलना है।

श्रीमती रेनु कुमारी: सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप मुझे दो मिनट और दीजिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उनके मन में वोट बैंक की भाववना तो नहीं है क्योंकि मैं देखती हूं कि यह पुरुष प्रधान समाज है। इसमें महिलाओं की क्या इज्जत है, यह सब आप भी जानते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि महिलाओं की न कोई जाति होती है, और न ही कोई धर्म। वह जिस पुरुष के साथ ब्याही जाती हैं, वह उसी जाति और धर्म की हो जाती हैं और उससे जो बच्चा पैदा होता है, वह भी उसी जाति और धर्म का होता है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, वह अच्छा है लेकिन जिस नीयत के साथ वे इसे यहां लाये हैं, क्या उन्हें विश्वास है कि इससे महिलाओं को ठीक से न्याय मिल सकेगा। इसी संदर्भ में मैं धारा 125 का जिक्र करना चाहूंगी। हम सब आज तक शाहबानो प्रकरण भूले नहीं हैं। जिस समय कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार केन्द्र में थी, उसने धारा 125 में संशोधन कर दिया था और शाहबानो को एक किनारे कर दिया था। क्या इस प्रकार मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी तीन बार तलाक, तलाक, तलाक शब्द कहने से उसे पुरुष से छुटकारा मिल जायेगा।

सभापति महोदय, अभी न्याय की प्रक्रिया बहुत लम्बी, उबाऊ और खर्चीली है। माननीय मंत्री जी ने इस बिल में सुझाव रखा है कि दो साल तक पति-पत्नी को अलग रखकर टैस्ट किया जाये लेकिन मेरा कहना है कि महिला आर्थिक रूप से कमजोर होती है। वह कहां से पैसा लायेगी, अपना गुजारा कैसे करेगी? माननीय मंत्री जी इस बिल में यह गारंटी कर दें कि 60 दिन के अंदर उसका निपटारा कर दिया जायेगा अन्यथा न्यायालय उसके लिए दोषी होगा अथवा ऐसा कर दें कि वह महिला अपने पति के साथ एक साल तक रहे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप बैठ जायें। अन्य बोलने वाले सदस्यों के साथ आप न्याय करें।

श्रीमती रेनु कुमारी: सभापति महोदय, अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड हुआ जिसका फैसला न्यायाधीश ने 450 पेज का दिया। उस फैसले में लाचारी महसूस होती है। न्याय बिक जाता है, वकील बिक जाते हैं। इसी प्रकार दिल्ली में जेसिका लाल हत्याकांड हुआ जिसमें तीन गवाह मुकर गये और उस मामले में न्याय नहीं मिल पाया है। सभापति महोदय, बिहार के पटना शहर में इसी प्रकार का एक शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ जिसका न्याय आज तक नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप बैठ जायें। आपकी बात हो गयी है। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्रीमती रेनु कुमारी: सभापति महोदय, मैं कानून मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे स्वयं एक अच्छे, कुशल अधिवक्ता हैं। वे इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि महिलाओं के बलात्कार के जितने केस आते हैं, उनका फैसला तुरंत आये। इसके लिए एक व्यापक कानून बनाने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जायेगा। मि. ए.के. सांगतम।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, पटना में शिल्पी गौतम काण्ड हुआ था, जिसकी डी.एन.ए. टैस्ट की रिपोर्ट आ गई है। डी.एन.ए. टैस्ट रिपोर्ट सी.बी.आई. के पास जमा है। इसमें सी.बी.आई. क्या कर रही है।

सभापति महोदय: आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)***

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले मैं 'विवाह-विच्छेद' के स्थान पर विवाह संबंधी संबंध तोड़ने शब्द का प्रयोग करके ईसाईयों की भावनाओं का आदर करने के लिए माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री अरुण जेटली को बधाई देता हूं। ईसाई समुदाय इस शब्द को बहुत महत्व देता है क्योंकि ईसाई रीतिरिवाजों के अनुसार विवाह के पश्चात किसी विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं होती है। विवाह केवल साझेदारों की आपसी सहमति पर ही तोड़े जा सकते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ईसाई विवाहों और ऐसी सभी बातों पर पहले ही विस्तारपूर्वक बोली हैं। मैं यहां विवाह-विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 पर बोलना अथवा चर्चा करना नहीं चाहता। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई जनसंख्या की प्रधानता है और विशेषकर मेरे राज्य नागालैंड में 90 प्रतिशत ईसाई आबादी है।

महोदय, एक लम्बी राजनीतिक उथल-पुथल के पश्चात जब भारत सरकार ने नागा पीपुल्स सम्मेलन के कंवेशन के साथ 16 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो नागालैंड अस्तित्व में आया था। नागा लोगों की सच्ची आकांक्षाओं को पूरा आदर देने के लिए राजनीतिक आवश्यकता के रूप में नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। तदनुसार, नागा नेताओं और भारत सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे 16 सूत्री समझौता कहा जाता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री के.ए. सांगतम]

महोदय, 16-सूत्री समझौते के 7वें सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और संसद का एक अधिनियम भी बनाया गया था जिसे 1962 के 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। मैं अनुच्छेद 371क के सुसंगत अंश को उद्धृत करना चाहता हूं:

371क. नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्:

(एक) नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथायें।

(दो) नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया।

(तीन) सिविल और दाण्डिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं।

(चार) भूमि और उसके सम्पत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अन्तरण।

महोदय, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि इस प्रावधान के द्वारा सरकार ने नागालैंड के लोगों को इस बात की गारंटी दी है कि यह नागालैंड की प्रथाओं, धार्मिक और सामाजिक रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता परन्तु इस मुद्दे को अधिनियम में समाविष्ट किया जाए और फिर तदनुसार सरकार नागालैंड राज्य को सुरक्षा प्रदान करे इसके लिए ही मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं। अत: अन्य जो भी प्रावधान हैं, मैं उन पर बहस नहीं करना चाहता।

महोदय, परन्तु सच यह है कि विवाह की पवित्र रस्म ईसाई नियमों के अनुरूप चर्च में होती है। परन्तु बाहर जब कोई व्यक्ति मर जाता है और जो भी विरासत और सम्पत्ति होती है, को खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और ऐसा प्रथागत कानून और प्रक्रिया के अनुसार होता है।

क्योंकि नागालैंड में सोलह विभिन्न नागा जनजातियां हैं और प्रत्येक जनजाति और अपने विशिष्ट प्रकार के प्रथमतः कानून हैं जिसकी हमें अनुच्छेद 371(क) के अंतर्गत भारत के संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि भारत के संविधान के द्वारा इस सम्माननीय सभा द्वारा विशेषकर नागालैंड राज्य के लिए दी गई सुरक्षा की गारंटी समाविष्ट की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, 4 बजे नियम 193 के तहत खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण देश में उत्पन्न स्थिति पर बहस होनी चाहिए थी। उसे कब लेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आप तो बीएसी के भी सदस्य हैं। इन बिलों पर जो समय तय किया गया है, उसके बाद 193 की चर्चा लेंगे। आप कुछ देर इंतजार कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कितने बजे चर्चा शुरू होगी? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी की भी महिला सदस्य हैं। आप उनके साथ तो न्याय कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को भी बैठने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं इस सभा में प्रस्तुत किये गये तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। विधि मंत्री के जोरदार भाषण और मार्ग्रेट आल्वा महोदय की इसी तरह की व्याख्या के बाद मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए इस विधेयक के विस्तार में जाने की आवश्यकता है।

महोदय, ईसाई कहते हैं कि ''ईश्वर ने सबको एक बनाया है कोई अलग नहीं है।'' हिन्दुओं का कहना है ''विवाह के निर्णय स्वर्ग में होते हैं।'' लेकिन एक नास्तिक के रूप में मैं कहूंगा कि ''स्वर्ग में कोई शादी का निर्णय नहीं होता और ईश्वर लोगों में एकता कायम नहीं करता है।'' आज के संदर्भ में विवाहों के बारे में अलग-अलग विचार हैं लेकिन तलाक बिल्कुल स्वाभाविक है। चूंकि विभिन्न लोगों के लिए कानून और संहिता बनाने की आवश्यकता है जिनके स्वीय विधि (पर्सनल ला) हैं और अनेक कानूनों में संशोधन किये जाने हैं। एक नास्तिक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) को पूरे देश में एक होना चाहिए। इससे हमें समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलेगी क्योंकि यह समाज पिछले कई सैकड़ों वर्षों से इस स्थिति का मुकाबला कर रहा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एक ही कानून होने से सब मंत्री बैठे रह जायेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमने अनादि साहू जी को बुलाया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः रेणु जी, आप बोल चुकी हैं। अब बैठे-बैठे न बोलें।

अनुवाद]

श्री अनादि साहूः महोदय, यह मेरा विश्वास है कि विवाह और तलाक के विनियमन के लिए एक समान कानून होना चाहिए तथा एक बार तलाक का निर्णय हो जाने पर निर्वाह व्यय और भरण-पोषण किया होगा। हमने देखा है कि गुजारा भत्ता के मुद्दे से समस्याएं पैदा हो रही हैं। राजनीतिक हित साधन के लिए गुजारा भत्ता कानूनों में फेर-बदल किया जाता रहा है। 1986 के मामले को लें जब अपराध प्रक्रिया संहिता के एक धर्मनिरपेक्ष वर्ग द्वारा इसको एक धार्मिक रंग जिसके परिणामस्वरूप अपराध प्रक्रिया संहिता, जिसे बहुत पहले 1898 में तैयार किया गया और जिसमें संशोधन 1973 में किया गया, तथा जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की है, एक बदनाम कानून बन गया। गुजारा भत्ते के मामले में धारा 125, 127 और 128 में संशोधन एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरे विचार से निर्वाह व्यय और उन सभी कानूनों—पारसी कानून, ईसाई कानून, हिंदू कानून संहिता इसी तरह के अन्य सभी कानूनों संबंधी सभी बातों को एक बना दिया जाना चाहिए था। चूंकि इस एक समान नागरिक संहिता (सिविल कोड) और समान विवाह कानून बनाने में सक्षम नहीं है इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संशोधनों के साथ आगे आए।

यह मामला स्थायी समिति को भेजा गया था। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह उस स्थायी समिति के एक सदस्य भी थे। मैं और श्री पी.एच. पांडियन भी उस स्थायी समिति के सदस्य थे। जहां तक ईसाई संशोधन का सवाल है विभिन्न ईसाई निकायों के अभ्यावेदनों पर अपेक्षित विमर्श और विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया था।

कैथोलिक इसाईयों तथा 29 गिरजाघरों के प्रतिनिधियों ने अभ्यावेदन दिए हैं। इस देश में अनेक गिरिजाघर भी हैं। मुझे खुशी है कि सीरियाई इसाइयों ने भी इसमें सहायता की है। सीरियाई गिरिजाघर देश में सबसे पुराना गिरिजाघर है। वे केरल में रहते हैं। मैं समझता हूं कि वे भारत आने वाले पहले ईसाई हैं। बाद में रोमन इसाई बन गए।

महोदय, मैं सीरियाई ईसाईयों का आभारी हूं जो यह सुनिश्चित करने के लिए विधि कानूनों की प्रक्रिया को समझने के लिए सहमत हुए हैं कि इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन जहां तक गुजारा भत्ता का प्रश्न है, इसमें अभी भी कुछ दिक्कतें हैं।

सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन वाले उपबंध के खंड 2(2) में कतिपय अस्पष्टता है। मैं समझता हूं कि कानून निर्माताओं ने बाद में इसके संशोधन के बारे में सोचा होगा। अपराध प्रक्रिया संहिता संशोधन का खंड 2(2) कहता है कि "गुजारा भत्ता अथवा अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमे की कार्यवाही के खर्च इसमें दिए गये आदेश के दिन देय होगा अथवा यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो गुजारा भत्ता अथवा अंतरिम गुजारा भत्ता आवेदन की तिथि से देय होगा।"

इसलिए न्यायालय को विकल्प लिया गया है। अब आदेश के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। लेकिन मेरे विचार से यह आवेदन की तिथि से होनी चाहिए क्योंकि वह निराश्रित महिला है जो गुजारा भत्ते की मांग कर रही है। यदि इसे आदेश की तारीख अर्थात् 60 दिन के बाद दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह शारीरिक और मानसिक रूप से जीवित रहने के लिए लोगों से जो धन उधार लेगी उसका क्या होगा?

मेरे विचार से खंड के इस भाग में बाद में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करना चाहिए कि यह आवेदन किये जाने की तिथि से देय होगा। इससे परेशान महिलाओं को सहायता मिलेगी।

सभापति महोदयः कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अनादि साहूः मेरे विचार से माननीय सभापति महोदय चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन विधेयकों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज माननीय मंत्री महोदय श्री अरुण जेटली जी द्वारा विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

[श्रीमती कांति सिंह]

सभापति महोदय, आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके आंसू पोंछने का जो काम इन विधेयकों द्वारा किया गया है यह बहुत अच्छा कदम है। यदि देश की आधी आबादी के आंसू पोंछने का काम नहीं किया जाता, तो यह देश की प्रगति में बाधक बन सकता था। इसलिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मंत्री जी ने भारतीय विवाह-विच्छेद विधेयक के जरिए संबंध विच्छेद रहने तक निर्वाह के लिए गुजारा भत्ता देने का जो प्रावधान किया है, उसके लिए भी मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। जो संबंध-विच्छेद, यानी डाइवोर्स किया जाता है, अर्थात् यदि किसी महिला को उसका पति डाइवोर्स देता है, तो उसको समाज और परिवार में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और ऐसी स्थिति में जो आपने इसमें प्रावधान किया है और 60 दिन का जो समय निर्धारित किया है यह बहुत अच्छा किया है। मैं तो इससे भी आगे जाकर कहना चाहती हूं कि 60 दिन भी बहुत अधिक हैं और कम समय होना चाहिए क्योंकि जब किसी महिला को डाइवोर्स किया जाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में महिला की हालत बहुत दयनीय हो जाती है और 60 दिन तक वह अपना गुजारा कैसे और कहां करेगी?

जैसा श्री अनादि साहू ने कहा, जिस दिन से आवेदन दिया जाता है, केस लड़ना हो या जीवन भत्ते के रूप में पैसा देने की बात हो, अगर उसी तारीख से वह भत्ता दिया जाए तो मैं समझती हूं कि इससे उस महिला को बहुत राहत मिल सकती है। साथ ही, जैसे श्रीमती रेनु कुमारी ने कहा, यथासंभव 60 दिन के भीतर, जो कहा गया है, पुरुष प्रधान देश में पुरुषों को बाहर निकालने के लिए यह शब्द जोड़ने का काम किया गया है। इसलिए यथासंभव शब्द को निकाल देना चाहिए। साथ ही बच्चों और पिता के भरण-पोषण, शिक्षा इत्यादि के लिए भी 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है, जो ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 60 दिन में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सकती है? आज के परिवेश में जैसे चल रहा है, न्यायालयों में काफी केसेज लम्बित हैं। मंत्री जी जो डायवोर्स का नियम लाए हैं कि 60 दिन के भीतर फैसला कर दिया जाएगा, चाहे सिविल कोर्ट हो चाहे फैमिली कोर्ट हो, जबसे नोटिस जारी किया जाता है, क्या यह संभव हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह: आप यदि इस तरह करेंगे तो मैं कहूंगी कि भेदभाव कर रहे हैं।

सभापति महोदय: आप ऐसा नहीं बोल सकती।

श्रीमती कान्ति सिंह: मैं अपने शब्द वापिस लेती हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

सभापति महोदय: आसन के लिए सब बराबर हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह: मुझे बोलने का समय दिया जाए, इसके लिए मैं निवेदन करती हूं।

सभापति महोदय: और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। उनके साथ भी न्याय कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह: 500 रुपये की अपर लिमिट को खत्म किया गया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं क्योंकि 500 रुपये रिक्शा पुलर या मामूली सा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कमा लेता है लेकिन यदि किसी महिला के लिए 500 रुपये निर्धारित करते हैं तो उसके साथ न्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि बर्बरतापूर्ण बात होती।

आप ईसाई महिलाओं के डायवोर्स के बारे में जो बिल लाये हैं, जिसमें 3 से 10 आइटम बढ़ाए गए हैं, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहती हूं क्योंकि हिन्दू विवाह कानून में इस तरह की प्रक्रियाएं पहले से थीं। अब इसाई महिलाओं के लिए करने जा रहे हैं। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1962 और भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 इसाई महिलाओं को समान अधिकार नहीं देता। इन विसंगतियों का विरोध न केवल विधि आयोग द्वारा हुआ था बल्कि उच्च न्यायालय कोलकाता, मद्रास और मुम्बई द्वारा भी किया गया था और उसकी भर्त्सना भी की गई थी। इसी तरह धारा 96 और 20 के तहत यह जरूरी माना गया था कि अगर नीचे की अदालत से डायवोर्स हो जाता है तो उसे उच्च न्यायालय से भी सहमति प्राप्त करनी पड़ती थी। उसमें तीन जजों की बैंच का होना जरूरी था। तीन जजों की बैंच की जो बात कही जा रही है, मैं समझती हूं कि यह संभव नहीं हो पाता कि कभी तीन जजों को बैठने का समय मिलता हो। इसाई महिलाओं के लिए क्लॉज 4(ए) में व्यवस्था जो दिया गया है कि आम सहमति के मातहत, यानी अगर दोनों की सहमति हो जाए तो डायवोर्स दे सकते हैं या विघटन कर सकते हैं।

जिस तरह से हिन्दू विवाह अधिनियम में एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है, उसी तरह ईसाई महिलाओं के लिए दो वर्ष की अवधि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके लिए भी एक वर्ष की अवधि की जाये। साथ ही इसमें लिखा है कि दो वर्ष अलग रहने के छः महीने बाद उसमें तारीख पड़ेगी और उसके बाद 18 माह तक जज उसको रोक सकता है। दो साल तक पति-पत्नी अलग रहेंगे तभी पिटीशन दाखिल होगी और उसके बाद 18 महीने तक जज उसको अपने पास समझने के लिए रोक सकता है। मैं समझती हूं कि इस प्रक्रिया के तहत बहुत ज्यादा विलम्ब हो जाता

है। ऐसी हालत में उनका बुढ़ापा आ जायेगा तो फिर डाइवोर्स होने से कोई फायदा नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से एक और चीज माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जिस तरह का हिन्दू विवाह अधिनियम में व्यवस्था है कि जहां लड़की की शादी होती है, अगर पति चाहता है कि वह डाइवोर्स दे दे तो वहां केस फाइल किया जाता है। दूसरा प्रावधान यह है कि जहां पति-पत्नी रहे हैं, वहां केस फाइल किया जाता है। अगर पति-पत्नी में नहीं पटती है, पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहती हूं कि अगर लड़की पटना की है और लड़के वाला पक्ष दिल्ली से शादी करना चाहता है तो लड़के वाले लड़की पक्ष को दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली में शादी की जाती है—एक तो यहां और दूसरे शादी के बाद, अगर वह दूसरी जगह रहते हैं, दोनों जगह केस दायर कर सकते हैं, ये दो नियम हैं। दो जगह पर ही केस दायर किया जा सकता है और केस दायर करने की जगह बदलनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। इसमें इस तरह से संशोधन होना चाहिए कि जहां की लड़की हो, वहां पर ही केस दायर कर सके। अगर वहां केस दायर नहीं होगा तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या नोटिस दिया जाता है तो नोटिस को पुरुष वर्ग वहां तक पहुंचने नहीं देता है, गलत पता दे देता हैं। उसकी तामील नहीं होने की वजह से महिला या पत्नी को उसकी जानकारी नहीं हो पाती हैं कि उसके खिलाफ केस दाखिल किया गया है। वैसे हालात में क्या होता है कि न्याय प्रक्रिया के द्वारा उन्हें जो न्याय मिलता है, वह उसका पालन नहीं कर पाती है और इतनी दूर आकर वह केस नहीं लड़ सकती है। ऐसी हालत में इसमें संशोधन करना चाहिए कि जहां की लड़की हो, जिस जिले की हो, वहां पर उसे केस दायर करने का राइट मिलना चाहिए, तभी मंत्री जी जो महिलाओं के लिए बिल लाये हैं, महिलाओं की आधी आबादी है, इससे बढ़ी हुई आधी आबादी की महिलाओं को राहत मिल सकती है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसमें संशोधन लाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): सभापति महोदय, मैं विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2001 और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करती हूँ। सरकार और माननीय मंत्री को तीन विधेयकों को लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। मैं तीनों प्रगतिशील कानूनों का जिक्र कर रही हूं जो महिलाओं से संबधित मौजूदा कानूनों में आमूल-चूल संशोधन करते हैं। माननीय मंत्री महोदय की तलाकशुदा महिलाएं निश्चित रूप से प्रशंसा करेंगी लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे निषिद्ध दिशा में भटक रहे हैं और उन्होंने ऐसी दिशा की ओर जाने का निर्णय किया है जहां बुद्धिमान जाने से कतराते हैं।

मैं मौजूदा विधेयक और अपराध प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 के दायरे से मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार संरक्षण) अधिनियम को अलग रखने का उल्लेख करना चाहती हूं। चूंकि देश आजादी के बाद बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ध्रुवों में बंट गया है। दुर्भाग्यवश सरकार इस मामले में असफल रही और सरकार ने धार्मिक नेताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रबुद्ध व्यक्तियों के बजाए धार्मिक नेताओं से विचार-विमर्श करने का निर्णय किया है। यह मुस्लिम महिला अधिनियम आज का एक सर्वाधिक विवादास्पद विधान है। इसे महिला संगठनों के साथ-साथ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी मुस्लिमों के विरोध के बीच अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के ह्रास का प्रतीक है और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की साम्प्रदायिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

यह अधिनियम धर्म के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के अधीन मुस्लिम महिलाओं को दिये गये अधिकारों से उन्हें वंचित करता है और समानता के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन धारा 125 में भत्ते की धनराशि को बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। मुस्लिम महिलाओं पर इसे लागू नहीं किया जाना, जो असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। केवल मुस्लिम महिलाएं ही पारिवारिक न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: मैंने अभी ही बोलना आरंभ किया है। इस विधेयक पर बोलने के लिए मैंने एक वर्ष तैयारी की है। अब आप मुझे संक्षेप में बोलने को कह रहे हैं। मैं यथासंभव संक्षेप में ही कहूंगी।

अपनी जटिल प्रकृति के कारण पारिवारिक मामलों को दण्डाधिकारी की अदालत से हटाकर परिवार-अदालतों के जिम्मे कर दिया जाता है। इसी भावना को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के न्याय अधिकार क्षेत्र को विशिष्टतया परिवार अदालतों के लिए रखा गया है। परिवार-अदालत की अनौपचारिक संरचना के चलते विवादों के त्वरित निपटान की स्थिति बनी। अतएव, मुस्लिम स्वीय अधिनियम के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रियाओं को पुनः परिवार अदालतों के न्यायाधिकार क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) (ग), (घ) और (ङ)

[डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा]

के तहत संपत्ति और उसकी देखभाल के मसलों पर फैसला देने हेतु न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। मुस्लिम स्त्री अधिनियम की धारा 3 में स्त्रियों की संपत्ति और उसकी देखभाल के मसलों की बात की गई है और जिन्हें आसानी से कुटुंब न्यायालय अधिनियम के न्यायाधिकार-क्षेत्र में सुलझाया जा सकता है। इसके आगे, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7, खंड 2(क) में न्यायालय को यह न्यायाधिकार दिया गया है; जिसे प्रथम वर्ग दण्डाधिकारी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9, जिसमें धारा 125 भी समाहित है, के अधीन न्यायीकृत किया जा सकेगा। मुस्लिम स्त्री अधिनियम के तहत वादियों को स्वैच्छिक विकल्प देने का भी प्रावधान है। धारा 7(2)(ख) में भी इन अधिनियमितियों के तहत न्यायकरण का प्रावधान है। इस तरह, मुस्लिम स्त्री अधिनियम कुटुंब न्यायालय अधिनियम के परिक्षेत्र में ही आता है। न्यायाधिकार क्षेत्र में परवर्तन कर देने भर से विधान का तात्विक भाग नहीं बदलेगा। यह केवल प्रक्रियात्मक आशोधन है।

दुर्भाग्य की ही बात है कि मुस्लिम स्त्रियों को एक अदालत से दूसरी अदालतों के चक्कर काटने होते हैं। इससे भारी भ्रम की स्थिति बनती है।

30 वर्ष हो गए, सरकार ने भरण-पोषण संबंधी विधियों की समीक्षा नहीं की और इसलिए इस विधेयक से काफी अपेक्षाएं की गई थी। यह अपेक्षा थी कि पति को जीवन भर प्राप्त होने वाली आय का 30 या 35 प्रतिशत हिस्सा भरण-पोषण राशि के रूप में पत्नी को दिया जायेगा। इस स्थिति में पति को अपनी वार्षिक आय का ब्यौरा देते हुए एक शपथ-पत्र दाखिल करना होता; पत्नी पति की आय का एक आकलन प्रस्तुत करती और यदि पति उससे असहमत होना चाहे तो इसे सिद्ध करना उसका ही दायित्व होता। इस भत्ते का स्पष्ट उल्लेख विधेयक में नहीं किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, जो स्त्री अपने पति से अलग हो गई हो, उसे पति की ओर से भरण-पोषण राशि प्राप्त हो सकेगी। इसी तरह पति से विवाह-विच्छेद करके अलग हुई हिन्दु स्त्री भी भरण-पोषण राशि प्राप्त कर सकती है। औपचारिक विवाह-संस्कारों के अनुसार विवाह का प्रमाण सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है।

यह महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई स्त्री पुनर्विवाह करने का निर्णय करती है, अपने पति के साथ रहने से मना करती है तथा विवाहेत्तर संबंध रखती है; तो वह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती। मैं जानना चाहूंगी कि एक स्त्री, जिसने विवाह-विच्छेद कर लिया है अथवा वह अपने पति से अलग हो गई है तथा स्वयं ही अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी है, को भरण-पोषण राशि क्योंकर दी जाये? भरण-पोषण राशि किसी स्त्री को नैतिकतापूर्ण व्यवहार के लिए नहीं अपितु जीवन-निर्वाह के लिए दी जाती है।

मैं ईसाई समाज से हूं। इस सभा में मैं अकेली ईसाई महिला हूं।

इस विधेयक के तहत यह दण्डाधिकारी पर ही नियत किया गया है कि वह जो भत्ता उचित समझे, उसके लिए वैधानिक व्यवस्था करे। सर्वप्रथम तो हमें न्यायाधीशों को लिंगभेद के प्रति संवेदनशील बनाना होगा जो सब आखिरकार हैं तो भारतीय पुरुष ही, और स्वयं को उस दर्पीले श्रेष्ठ वर्ग का मानते हैं जो कि विवाह-विच्छेद को स्त्री की ही नैतिक विफलता समझता है ...*(व्यवधान)*

मैं अब भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम पर आती हूं। शेक्सपियर को उद्धृत किया जाए तो कहा जाएगा कि विवाह दो जनों को लौह-शृंखला में जकड़ देता है। अर्थशास्त्र की सपाट भाषा में कहा जाएगा कि यह 'निर्गम में बाधास्वरूप' है। कुछ भी कह लीजिए। विवाह स्वर्ग में तो तय नहीं हो पाते। विवाह दो परस्पर-आसक्त जनों के बीच होता है। ईसाई-परंपरागत विवाह भी स्वर्ग में तय नहीं होता। ईसाई धर्मशास्त्रियों ने यथार्थ विवाह और केवल कर्मसंपादनार्थ विवाह में अंतर किया है। उन्होंने विवाह-भंग या विवाह-विच्छेद की भी अनुशंसा की है ...*(व्यवधान)*

अंत में, मैं कैथोलिकों में प्रचलित विधानों-धर्मविधानों या कलीसियाई विधानों और नागरिक विधानों के विरोधाभास का उल्लेख करना चाहूंगी। महोदय, एक कथौलिक धर्मावलम्बी के लिए आज भी स्थिति 'निर्गम नहीं' की ही है। यदि कोई कैथोलिक इस अधिनियम के तहत विवाह-विच्छेद कर भी ले तो भी उसे बातिलीकरण के लिए कैथोलिक गिरजे में माना ही होता है ...*(व्यवधान)* यदि कैथोलिक बातिलीकरण न करवाएं और विशेष विवाह-विच्छेद अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत विवाह कर लें, तो माना जायेगा कि वे पाप कर रहे हैं। अतः, वास्तव में यह अधिनियम अधिक सहायक नहीं होगा। बल्कि, मुझे तो विश्वास है कि इसकी अपेक्षा कैथोलिक गिरजाघर ही अधिक शीघ्र बातिलकरण करवा देगा।

अंततः, धारा 10(क) में आपसी सहमति से विवाह-भंग और दो वर्षों तक अलग रहने की बात की गई है जबकि अन्य विवाह अधिनियमों में केवल एक वर्ष ही अलग रहने की व्यवस्था है। मंत्री जी विच्छेद के दो वर्ष पहले से और दो वर्ष बाद तक अलग रहने के बारे में पहले ही बता चुके हैं। क्या केवल ईसाई महिलाओं से ही ऐसी सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है कि विवाह-विच्छेद हेतु वे चार वर्ष तक प्रतीक्षा करती रहें?

इन टिप्पणियों और सुझावों सहित, मैं इन व्यापक विधेयकों की सराहना करती हूं और उनका समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): सभापति जी, आज यह विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 हमारे कानून मंत्री जी द्वारा लाया गया है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करती हूं और यह बिल सराहनीय है। यह बिल अगर और पहले आता तो हमारी बहुत सारी महिला बहिनों को इसकी सुविधा मिल सकती थी। साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान न करे, किसी की जिंदगी में तलाक का अवसर आये क्योंकि हिन्दू विवाह नीति के अनुसार जब सात फेरे लेते हैं तो सात फेरे का मतलब सात जन्म साथ गुजारना होता है लेकिन सात जन्म न सही परंतु एक जिंदगी साथ जीने का तो अधिकार महिला और पुरुष को मिलना ही चाहिए। फिर भी मैं यह कहूंगी कि इस विधेयक में जो एक वर्ष की अवधि रखी गई है, इसमें संशोधन होना चाहिए। एक वर्ष की जगह पर कम से कम दो या ढाई वर्ष या तीन वर्ष होना चाहिए क्योंकि एक वर्ष में शादीशुदा पति-पत्नी एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। हिन्दू विवाह रीति के अनुसार कई बार तो वे एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और एक दिन जाकर शादी तय हो जाती है, लड़की मंडप में जाकर बैठ जाती है और तभी वह एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। इस प्रकार के विवाह भी हमारे भारतवर्ष में होते हैं। इसलिए यह अवधि कम से कम सात या पांच वर्ष या दो से ढाई साल रखनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और अगर समझ सकने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर नहीं कर पाते हैं तो फिर तलाक का अवसर देना चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं, जैसा डा. डिसूजा और श्रीमती रेणु जी ने भी कहा, बहनें चाहे हिन्दू हों, सिक्ख हों, मुस्लिम हों या ईसाई हों, जिसका भी तलाक होता है, उसे समान सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जिनके बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में उनको कुछ ही राशि के रूप में अंश न देकर पति की सम्पत्ति के एक-तिहाई हिस्से का भागीदार बनाना चाहिए। कारण यह कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वे समाज में अपने को स्थापित नहीं कर पाती हैं और दूसरी शादी भी नहीं कर पाती हैं। उनको जिन्दगी भर एक या दो बच्चों के साथ जीवन गुजारना होता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को पति की सम्पत्ति के एक-तिहाई हिस्से का भागीदार बनाना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत तीनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि भविष्य में महिलाओं की रक्षा हेतु विधेयक सरकार द्वारा लाए जाते रहेंगे।

अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): सभापति महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दो शब्द कहने और इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक मंत्री महोदय इसीलिए लाए हैं क्योंकि, जैसा कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में उल्लिखित है, वादी अथवा भरण-पोषण राशि के आवेदक को अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अत: मंत्री जी 'अंतरिम भरण-पोषण' को व्यवस्थापित करने के लिए एक संशोधन लाए हैं। मूल विधेयक में केवल 'भरणपोषण' भर की बात है किन्तु मंत्री जी इस संशोधन को इसलिए ला रहे हैं ताकि 'अंतरिम भरण-पोषण' के रूप में तात्कालिक राहत मुहैया करायी जा सके। पहले यह राशि अत्यल्प थी। यह मात्र 500 रुपये थी और अब इन्होंने ऊपरी सीमा हटा दी है। 'अंतरिम भरण-पोषण' के लिए मंत्री महोदय ने 60 दिनों की व्यय-सीमा भी निर्धारित की है। पहले भरण-पोषण राशि प्राप्त करने में वर्षों तक लग जाते थे चूंकि यह बड़ा जटिल मामला होता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, सामान्यत: इस मामले में पत्नीवादी होती है और पति प्रतिवादी। सामान्यत: पति ही पत्नी से विवाह-विच्छेद करता है, किन्तु यदि पत्नी पति से अधिक सबल हो तो वही उससे विच्छेद कर सकती है। श्री बसु द्वारा लिखित पुस्तक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" में कहा गया है कि अंतरिम भरण-पोषण राशि प्राप्त करने का प्रावधान है। धारा 125 के तहत पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण हेतु आदेश दिया जा सकता है। पृष्ठ 390 पर "भरण पोषण हेतु अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति" शीर्षक वाले अध्याय में कहा गया है कि:

> "धारा 125 के तहत प्रावधानिक न्यायाधिकार क्षेत्र के अनुकूल संबंध से, दण्डाधिकारी, आवेदन का अंतिम रूप से निपटान होने तक, अन्य संदर्भित शर्तों के अध्यधीन, भरण-पोषण के लिए एक अंतरिम आदेश दे सकेगा। ऐसा अंतरिम आदेश निकालने के पूर्व दण्डाधिकारी आवेदक से एक शपथपत्र देने को कहेगा जिसमें अंतरिम भरण-पोषण प्राप्त करने के दावे के समर्थन में कारणों का उल्लेख है। यदि आवेदन-पत्र अथवा शपथ-पत्र में किया गया कथन सत्य न हो, तो जिस व्यक्ति के हित में यह अंतरिम आदेश जारी किया जा रहा है उसे कभी भी आदेश के अप्रभावी होने अथवा निरस्त या आशोधित होने की सूचना दी जा सकती है।"

तो, प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। किन्तु फिर भी मंत्री महोदय 'अंतरिम भरण पोषण' का प्रावधान करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाए हैं।

[प्रो. आर.आर. प्रमाणिक]

मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका उल्लेख मूल अधिनियम के अंतर्गत पहले ही हो चुका है।

मैं केवल एक विधेयक के बारे में बोल रहा हूं। न्यायाधीश एक अंतरिम आदेश दे सकता है। लेकिन ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं है। यह प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर है। यह उसके सोचने के ढंग पर निर्भर है। अब, कानून का प्रत्येक शब्द स्पष्ट अर्थ वाला होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। भत्ते की राशि व्यक्तिनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ होनी चाहिए। इसका आधार प्रतिवादी की आय होनी चाहिए। संशोधन के अनुसार, यह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होगा। एक न्यायाधीश यह सोच सकता है कि अंतरिम भरण-पोषण भत्ते की राशि 10,000 रुपये होनी चाहिए जबकि अन्य न्यायाधीश इसे 100 रुपये तक निश्चित कर सकता है। तो, इस मामले का निर्णय न्यायालय में किस प्रकार होगा? यह तो उनके सोच-विचार के अनुसार होगा। कुछ सदस्य सोचते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण समाज के लिए अच्छा है जबकि अन्य लोग इसे समाज के लिए बुरा मानते हैं। इस प्रकार, यह व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर निर्भर है। अब आप इस विषय को न्यायाधीश की सोच पर छोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय: आप विषय पर आइए।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: वे न्यायाधीश को खुला चेक दे रहे हैं। वह उसमें कितनी भी राशि भर सकता है। अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। यह कार्यवादी के विरोध में भी जा सकता है। अत: मेरा सुझाव यह है कि ऊपरी सीमा के साथ-साथ निचली सीमा भी होनी चाहिए। यह अंतरिम भरण-पोषण के लिए होनी चाहिए और भरण-पोषण के लिए नहीं होनी चाहिए। ऊपरी सीमा 1,500 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और निचली सीमा 1000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। न्यायाधीश के पास केवल 500 रुपये तक का विवेकाधिकार होना चाहिए।

परन्तुक में, यह अंतरिम भरण-पोषण भत्ता पत्नी अथवा बच्चों, माता तथा पिता के लिए है। यह इस प्रकार होना चाहिए: पत्नियां, पति, बच्चे और माता-पिता' क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वादी पति हो और प्रतिवादी पत्नी। ऐसा कई मामलों में हुआ है। यद्यपि संख्या बहुत कम है, तो भी ऐसा हो सकता है। इसलिए, कानून में यह प्रावधान अवश्य होना चाहिए। यदि कोई पति भरण-पोषण भत्ते के लिए न्यायालय में आता है तो, इस कानून के अनुसार वह इसके लिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि वादी 'वह', अर्थात 'पत्नी' है। तो यह होना चाहिए: 'पत्नियां, पति, बच्चे और अभिभावक-माता अथवा पिता। यदि मां को भरण-पोषण भत्ता मिलता है तो यह पिता को नहीं मिलेगा। इसलिए मां-बाप लिखा जाना चाहिए, अर्थात् माता और पिता दोनों। आप या तो 'माता और पिता लिखें या 'मां-बाप'। यह अंतरिम भरण-पोषण के लिए होना चाहिए।

भरण-पोषण भत्ते के लिए, ऊपरी सीमा अथवा उसकी कुल आय का कुछ प्रतिशत जैसे 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत होना चाहिए। एक परिवार के कई वादी हो सकते हैं। कोई पत्नी वादी हो सकती है। उनकी सन्तान वादी हो सकती हैं। कोई पिता वादी हो सकता है। इसलिए, संपूर्ण धनराशि को उनके बीच बांट दिया जाना चाहिए। अंतरिम भरण-पोषण भत्ता अथवा भरण-पोषण केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। भरण-पोषण भत्ते का दावा करने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए, यह स्पष्ट होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करना एक लम्बी प्रक्रिया है। मैं कहता हूं कि वादी यदि पत्नी है और प्रतिवादी पति है तो पत्नी को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह कानूनी रूप से विवाहित है। पत्नी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने किसी पर-पुरुष से संबंध नहीं बनाये हैं। उसे यह सिद्ध करना होता है कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही है। उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसके पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसके पति ने उसे अस्वीकार अथवा उपेक्षा नहीं की है। इसके लिए छः कारण हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति में उसे न्यायाधीश से अंतिम आदेश प्राप्त करना कठिन कार्य हो सकता है। न्यायाधीश से अंतिम आदेश प्राप्त करने में वर्षों का समय लग सकता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इतने वर्षों बाद भी यदि उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा? माननीय मंत्री जी इस संबंध में एक प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का क्या होगा जो वादी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में दिया गया? मैं यह जानना चाहूंगा कि इस धन को वापस लौटा दिया जायेगा अथवा वह कहां जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

अंत में, यद्यपि मैं पुरुषों की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी महिला सहकर्मियों से क्षमा मांगूंगा। कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। स्त्री-पुरुष समान हैं। माननीय मंत्री जी से मैंने यही पूछा है कि यदि वादी पति और प्रतिवादी पत्नी है तो इसीलिए,

मैंने कहा है, 'पत्नी, पति, संतान और मां-बाप' को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है। आजादी के बाद महिला अधिकारों की आवाज उठाने वालों ने परित्यक्त स्त्रियों के बारे में नहीं सोचा। केवल हमारे विधि मंत्री ने हमारे सक्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृतव में एक बहुत अच्छा कदम उठाया है।

महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में, परित्यक्त स्त्री अथवा पिता अथवा माता सरलतापूर्वक कम-से-कम खर्च में न्यायालय की सेवायें ले सकते हैं। यदि वे किसी अन्य न्यायालय में जाना चाहें तो उन्हें अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन 75 पैसे की न्यायालय स्टेम्प फीस और 2.25 रुपये की न्यायालय फीस देकर वे भरण-पोषण भत्ते के लिए न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अंतरिम भरण-पोषण भत्ते के मामले में, उन्हें अपीली मंच जाना पड़ता है।

महोदय, आप न्यायालय और वकीलों को देर करने की युक्तियों के बारे में जानते हैं और आप यह जानते हैं कि वे किस प्रकार मामले को लंबा खींचते हैं। अधिक-से-अधिक यह परिणाम निकलता है कि वादी और प्रतिवादी को न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिलता। इन मामलों को दोनों पार्टियों के वकीलों अथवा गांव के बुजुर्गों अथवा पंचायतदारों द्वारा न्यायालय के बाहर ही निपटा दिया जाता है। वे एक बार के समाधान के साथ समझौता करा देते हैं क्योंकि वे अपने भरण-पोषण भत्ते की राशि लेने के लिए प्रत्येक माह न्यायालय नहीं जा सकता। इसलिए, वे एक बार के समाधान में भरण-पोषण भत्ता प्राप्त कर लेते हैं और मामला समाप्त हो जाता है। और यही हो रहा है।

इस संशोधन के पहले भी न्यायाधीश न्यायालय में एक मौखिक आदेश देता था और पंचायत नेता कहता था, 'आपको इतनी राशि परित्यक्त महिला को देनी होगी'। यह आज भी हो रहा है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है लेकिन उन्होंने हमें इस बात की जानकारी नहीं दी है कि परित्यक्ता महिला को अंतरिम भरण-पोषण भत्ता कब तक दिया जायेगा। वह यह कह सकते हैं कि मामले के निपटने तक भरण-पोषण भत्ता दिया जायेगा। मामला कब निपटेगा? इसमें दो या तीन वर्ष लगेंगे। तब तक, वादी और प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष खड़े नहीं हो सकते। अत: माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह सदन को अंतरिम भत्ते की अवधि के बारे में बतायें। उन्हें मामले के निपटने की अवधि के बारे में बताना चाहिए।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि 60 दिन की अवधि अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने के लिए आवश्यक नहीं है। जब कोई याचिकादाता मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला दर्ज करता है तो वह सभी रिकार्ड की ध्यान से जांच करेगा और मामले को संख्या देने के लिए रख लेगा। जब प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है तो उसी दिन न्यायाधीश अंतरिम भरण-पोषण भत्ते से संबंधित एकपक्षीय आदेश दे सकता है। यह मेरा विनम्र सुझाव है। जब प्रतिवादी माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होता है, उसी दिन, अंतरिम भरण-पोषण भत्ते से संबंधित अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है।

मामले को बंद करने से संबधित कुछ सीमा होनी चाहिए। कम-से-कम छ: महीने पहले मामले का निपटान हो जाना चाहिए। मंत्री जी को इसका समाधान ढूंढना होगा। निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति के मामले में भरण-पोषण की राशि उसके वेतन से काट ली जायेगी और वह परित्यक्त महिला को भेज दी जायेगी। लेकिन व्यावसायिक व्यक्तियों और दिहाड़ी पर काम करने वाले कुली भरण-पोषण की राशि का भुगतान भलीभांति नहीं करते और वे परित्यक्त महिलाओं को धोखा देने की चेष्टा करते हैं। इसके लिए भी, मंत्री जी को कोई संशोधन करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, पुनरावृत्ति से बचने और समय की बचत करने के उद्देश्य से मैं एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत इन तीन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं।

अपराह्न 5.08 बजे

[**श्री श्रीनिवास पाटील** *पीठासीन* हुए]

मैं स्थायी समिति और माननीय मंत्री महोदय, दोनों को ही भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 7 को समाप्त करने के लिए बधाई देता हूं। धारा 7 के अनुसार अंग्रेजी विनिर्णयों का अनुसरण किया जाना चाहिए। महोदय, जैसाकि श्री अनादि साहू ने कहा कि भारत में ईसाई धर्म का आगमन 56 ईस्वी में ही हो गया था। इंग्लैंड में भी ईसाई धर्म काफी बाद में पहुंचा होगा। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी भी रूप में अंग्रेजी विनिर्णयों का अनुसरण करें। इसलिए, यह उचित है और सही है कि हमने उस खंड को हटा दिया है जिसके अनुसार अंग्रेजी विनिर्णयों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

केवल यही बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। इन तीनों विधेयकों में जो प्रावधान जोड़े गए हैं वे बहुत प्रासंगिक और आवश्यक हैं। इसलिए, मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, आज जिन तीन विधेयकों पर यहां चर्चा हो रही है मैं उनका समर्थन करता हूं।

मैं बहुत संक्षिप्त रूप से भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम का उल्लेख करूंगा। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय और अन्य माननीय सदस्यों विशेषकर श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने कहा है कि इन विधेयकों का आशय लिंग के आधार पर असमानता और मूल अधिनियम की प्रक्रिया संबंधी कमियों को दूर करना है। मंत्री महोदय ने कहा है कि गिरजाघर के नेताओं और समुदाय के नेताओं के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है और इस विधेयक को लाने और पारित करने के बारे में आम सहमति बन गई है। महोदय, मैं इस बारे में मंत्री महोदय ने सहमत हूं। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं संक्षेप में इसका उल्लेख करूंगा। मैं किसी अन्य विधेयक के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि सब पर चर्चा की जा चुकी है और सब उस पर सहमत हैं।

लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल एक ही मुद्दे पर सरकार या माननीय मंत्री महोदय चर्च के नेताओं से सहमत नहीं हैं। लेकिन मैं इसके बारे में दुबारा उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि यह चर्च कोर्टों द्वारा कराए जाने वाले परिवारों के विच्छेदन से संबंधित है। जहां तक चर्च कोर्टों का संबंध है, कम से कम रोमन कैथोलिक चर्च के मामले में चर्च कोर्ट इनके गवाहों को बुलाने और रिकार्डों का सत्यापन करने की एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात ही वे विवाह-विच्छेद संबंधी मामले में किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। मेरे विचार से यह प्रक्रिया हमारे दीवानी न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भी बहुत लंबी और सख्त है।

अत: मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि हम चर्च के या इस समुदाय के नेताओं का अनुरोध मान लेते हैं तो अन्य सभी समुदाय भी यही मांग करेंगे और इससे इस देश का दीवानी कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से पूर्णतया सहमत हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस मामले में हमारे दीवानी कानूनों की तुलना में किसी अन्य कानून या प्रक्रिया का अध्यारोही प्रभाव होना चाहिए। लेकिन मैं यह बात करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि जब कभी भी कोई विवाह संबंधी विवाद दीवानी न्यायालय के पास लाया जाए तो चर्च कोर्ट की लंबी प्रक्रिया का पालन के पश्चात दीवानी न्यायालय को चर्च कोर्ट के निर्णय की प्रक्रिया के रिकार्ड को भी मंगाना चाहिए। दीवानी न्यायालय चर्च कोर्ट का रिकार्ड मंगाकर उसे सत्यापित कर सकता है। इससे दीवानी न्यायालय का किसी मामले की प्रक्रियाओं से गुजरने में लगने वाला समय बच सकता है। यदि न्यायालय इससे सहमत होता है, यदि न्यायालय सारे रिकार्डों की जांच करने के पश्चात उस प्रक्रिया से संतुष्ट होता है और यदि न्यायालय को लगता है कि न्याय किया गया है तो न्यायालय इसे स्वीकार क्यों नहीं करता है? यदि न्यायालय को कोई असंगति दिखाई देती है तो न्यायालय उस विशेष मुद्दे की जांच कर उसे सत्यापित करने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र निर्णय दे सकता है।

महोदय, यह वादी चाहे वह जो भी हो, के हित में होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करूंगा कि दीवानी कानून और इस देश के दीवानी न्यायालयों को प्रभावित किये बिना इस विशेष मुद्दे पर ध्यान दें। मैं बस यही कहना चाहता हूं।

मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री महोदय, स्थायी समिति के सभी सदस्यों और उन सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस जटिल समस्या को हल करने में अपनी-अपनी ओर से प्रयास किये जिससे सभी समुदायों की हमारी बहनें प्रभावित हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय, मैं, शिवसेना पक्ष की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन कुछ बातें माननीय कानून मंत्री जी से अपने ढंग से कहना चाहता हूं।

अभी श्री राधिका रंजन अपना भाषण कर रहे थे। उनके अलावा अन्य माननीय सदस्यों के भाषण भी मैं सुन रहा था। मैं उन सबकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा था क्योंकि उनके दिल से जो बात निकल रही थी, क्या वह सचमुच दिल से थी या वातावरण की वजह से निकल रही थी। कानून की नजरों में सब बराबर हैं। मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे। हिन्दुस्तान में एक स्त्री के लिये एक हजार इंडियन पीनल कोड में लॉज़ हैं जिन्हें एक तरीके से देखना चाहिये। लेकिन एक मुस्लिम बहन जो किसी की बीवी, मां या बेटी होती है, उसे तलाक देकर रास्ते पर डाल दिया जाता है, उसके बाल-बच्चे रास्ते पर आ जाते हैं - क्या आपका कानून उस पर समान रूप से लागू होता है? हिन्दुस्तान में रहने वाले मुस्लिम के लिये पर्सनल लॉ है लेकिन विश्वभर में रहने वाले अन्य मुस्लिमों के लिये अलग कानून है। मैंने कई मुस्लिम देशों - तुर्की, इजिप्ट, ईराक, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि का दौरा किया है। अगर वहां औरत को तलाक दिया जाता है तो वह कोर्ट में चली जाती है। अगर शौहर दूसरी

शादी करना चाहता है तो उसे पहली बीवी की अनुमति लेनी पड़ती है लेकिन यहां सबके लिये कानून अलग है। स्व. राजीव गांधी के समय में शाहबानो सुप्रीम कोर्ट से अपना केस जीत गई लेकिन इन्होंने उसके लिये पार्लियामेंट में कानून बदल दिया।

मैं यहां सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारी बहन श्रीमती सोनिया गांधी यहां नहीं हैं। वह कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वह भी एक महिला हैं। यहां सारी महिलाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन इस बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। इसे वोटों की राजनीति करके नहीं देखना चाहिए।

सभापति महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के श्री प्रामाणिक जी ने कहा है "कानून की नजरों में सब बराबर हैं।" इसी बात को लेकर मैं अपील करना चाहता हूं चाहे हिंदू हो, मस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। हमारी आदरणीय मैडम श्रीमती मार्गेट आल्वा यहां बैठी हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। मैंने मुम्बई में देखा था कि जिन बहनों में शाहबानों के खिलाफ मोर्चा निकाला था, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिन्होंने समर्थन में मोर्चा निकाला उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन इसके लिए मैं पुन: आप सबसे अपील करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तीन भाई थे और एक बहन थी। उनमें हमेशा झगड़ा होता रहता था। भाई बोलते थे कि तुम लड़की हो, लड़की हो। बहन बोलती थी कि मेरे में क्या कमी है। मैं सुबह जल्दी उठती हूं। अभ्यास में प्रथम रहती हूं। कभी-कभी मां बीमार होती है तो उसकी सेवा करती हूं, उसे खाना खिलाती हूं। उन्होंने परमेश्वर के पास अर्ज की। लेकिन उन्हें याद आया कि प्रभु भी तो पुरुष हैं, फिर न्याय कैसे होगा। बहनों यह मंत्री महोदय भी पुरुष हैं, यह आपको न्याय कैसे देंगे। इस बिल में इन्होंने ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया कि जिससे झगड़ा न हो। पति-पत्नी दोनों साथ-साथ इकट्ठे रहें, ऐसा कोई कारण नहीं दिया। इस बिल में ऐसा दिखाई देता है कि उनमें झगड़ा होता रहे। इसमें वकील के व्यवसाय का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। वकील झगड़ा निपटाता नहीं, चालू रखता है, ताकि उसके धंधे में वृद्धि हो। इस बिल में कुछ ऐसा ही है।

सभापति महोदय, लेकिन मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के 54 साल पुराने दो सौ कानूनों को समाप्त कर दिया है। 1923 का एक गोपनीय कानून है। यह कानून अंग्रेजों ने भारत में अपना राज चलाये रखने के लिए और भ्रष्टाचार फैलाने के लिये तैयार किया था। मंत्री जी इस कानून को भी समाप्त कर दें, यह मेरी उनसे विनती है।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। वर्तमान प्रक्रिया और स्थान-स्थान पर रुकावटों के चलते ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इस संशोधन से हम न्यायापालिका पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वह 60 दिन के अंदर मामलों का निपटान कर दे। यह इसकी क्षमता और बयान दर्ज करना और कागजात तैयार करने जैसी प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं से परे है। इसका मतलब यह है कि असम्भव समय सीमा के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारी याचिकाकर्त्ताओं के नुकसान के लिए विधि संबंधी अच्छी बातों की नजरअंदाज कर देंगे? दूसरे शब्दों में यह न्याय नहीं है।

यह संशोधन विवाद की सामाजिक प्रणाली पर भी प्रभाव डालने का प्रयास रहेगा। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा शोषण के बचने की प्रक्रिया को सुधारने का यह सही समय है। बजाए इसके कि गुजारा भत्ता और मकदमे संबंधी खर्चों के लिए याचिकाओं को त्वरित निपटाने जैसा तत्काल समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए। हमें इन प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के मामले में धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए जोकि हमारे वर्षों पुराने रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित कर रहे हैं।

मैं दो-तीन बातों का उल्लेख कहना चाहूंगा। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लूंगा।

अन्तर-जातीय विवादों के मामले में यह समस्या हमेशा से रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह एक विशेष मुद्दा है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान जैसे हो और अन्तर-जातीय विवाह करने वाले दम्पति को कैसे संरक्षण दिया जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा समय सीमा से संबंधित है मैं विशेषरूप से उस कम समय सीमा का विरोध नहीं कर रहा हूं जो पुरुष का महिला के लिए राहत देने हेतु निर्धारित की गई है मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे न्याय नहीं होगा और यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि हम तेजी से चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। स्त्री या पुरुष को यथाशीघ्र राहत दी जानी चाहिए लेकिन न्यायालयों को उचित न्याय देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, यहां पहला बिल है - विवाह विच्छेद संशोधन विधेयक, लेकिन चार कानूनों में एक साथ संशोधन हो रहा है - यानी फोर-इन-वन और उसके बाद तीन कानूनों पर एक साथ बहस हो रही है - यानी थ्री-इन-वन।

महोदय, पीपल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट में भी लिखा है कि यथासंभव छ: महीने के अंदर केस का निष्पादन कर दिया जाए लेकिन अभी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

तक जितने केस फाइल हुए हैं हिन्दुस्तान भर में इलैक्शन पिटीशन वाले, अभी तक एक भी केस छः महीने में नहीं निपटा बल्कि छः वर्ष भी उसमें लग जाते हैं। पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में भी इसी प्रकार का प्रावधान है कि छः महीने में इसका निष्पादन कर दिया जाए लेकिन चार-पांच साल तक उसमें लग जाते हैं। कानून में प्रावधान रहते हुए भी उसमें इतना समय लग जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इसमें इन्होंने कहा है कि नोटिस तामील होने के बाद 60 दिन, अब नोटिस तामील होने में नोटिस इश्यु हुआ है रिसीव नहीं हुआ है, महीने दो महीने तो उसी में लग जाते हैं, उसके बाद 60 दिनों का समय यथासंभव दिया गया है। क्या मलिमथ कमेटी ने जो अनुशंसा की, चार-पांच अनुशंसाएं लॉ कमीशन ने कीं, उसके बाद आप इतना कमजोर कानून क्यों लाए हैं, फिर भी सब लोग वाह-वाह कर रहे हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट में करीब 700 ऐसे मामले वर्षों से लंबित हैं। उनके अध्ययन के बाद इतना कमजोर कानून यहां आया है। जब पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में छः महीने वाली बात हाई कोर्ट लागू नहीं कर पाती है तो 60 दिनों में कैसे यह हो जाएगा, इसे हम जानना चाहते हैं। इसलिए मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिक एक्ट, पारसी विवाह विच्छेद एक्ट, सभी कानूनों में बड़ी भारी त्रुटि हमें लगती है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सी.आर.पी.सी. में संशोधन करके 500 रुपए वाली बात को हटा दिया है, लेकिन इसमें मेरी आपत्ति यह है कि कोर्ट को ही पूरा अधिकार दे दिया गया है, जो ठीक नहीं है। अब कोर्ट कौन सा व्यू अख्तियार करेगा, कौन जानता है। वे 1979 के पहले के 500 रुपए का कितना मूल्य आंकेंगे, इसे इतने कंजर्वेटिव ढंग से देखेंगे या नहीं, यह कौन जानता है। इसलिए इसमें कुछ लोअर और अपर लिमिट होनी चाहिए।

सभापति जी, अभी जैसा पी.एम.के. के एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि कानून तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन इन तीनों कानूनों को एक ही साथ पास करने से इनके बारे में जो रूल बनेंगे, वे कैसे बनेंगे और उनमें संशोधन होगा या नहीं, इत्यादि शंकाएं यहां उठाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि उनका समाधान हो जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि सभी दल के लोगों ने इसका समर्थन किया है इसलिए मैं भी इन कानूनों के पास हो जाने के हक में हूं, लेकिन जो शंकाएं उठाई गई हैं, पहले उनको दूर कर दिया जाए।

सभापति महोदय, हमारी जो विवाह पद्धति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई है, लेकिन यहां भी गंधर्व विवाह और लव-मैरिज आदि चल पड़ा है। हालांकि, वह सब फेल हो रहा है और यदि इन सब कानूनों का ख्याल किया जाएगा, तो वर्तमान सरकार के सब मंत्री इसमें पकडे जाएंगे क्योंकि यहां तो बिना विवाह के भी बेटी और दामाद हो रहे हैं। ये सब पकड़े जाएंगे। इसलिए यह सब हमें पता नहीं लगता है। जो शंकाएं उठाई गई हैं उन सब पर विचार करके कानून पास होना चाहिए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, इस विधेयक पर बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मंत्री महोदय, कृपया सबसे अंतिम वक्ता की बात का उत्तर दें।

श्री अरुण जेटली: सभापति महोदय, मुझे बहुत चिन्ता हो रही थी कि मेरे द्वारा जितने भी कानून सदन में प्रस्तुत किए गए हैं या सदन द्वारा पास किए गए हैं उनमें से हरेक पर रघुवंश बाबू बोले हैं। पहले कुछ कमजोरी ढूंढते हैं और फिर हक में वोट देते हैं। इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद यह महिलाओं के कल्याण का बिल है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बार-बार यहां से इशारे कर के उनसे कह रहा था कि वे इस पर भी कुछ बोलें। उन्होंने दो प्रश्न इस कानून के संबंध में पूछे हैं। सदन के कुछ और अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न उठाया है कि 60 दिन की अवधि रखी गई हैं, उसमें भी "यथासंभव 60 दिन" कहा है, यह किस सीमा तक का लागू हो पाएगा—यह बात ठीक है। यह हक न्यायापालिका को है। उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में यह बात आती है कि अधिक से अधिक शीघ्रता से निपटारा हो, लेकिन कानून की जो नीयत है और कानून बनाने वालों की जो मंशा है, वह कानून में लिखने से स्पष्ट हो जाती है और न्यायापालिका भी उसी के अनुसार प्रयास करती है कि शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्रवाई हो।

आपने कहा कि 60 दिन नोटिस देने के बाद – लेकिन नोटिस तामील होने में ही काफी समय लग जाता है, यह आशंका आपने व्यक्त की। आपकी शंका ठीक है। हमने इस संबंध में सिविल प्रासीजर कोड में भी तब्दलियां की हैं और नोटिस भेजने का जो पुराना तरीका था उसको बदला है। पहले अदालत की तरफ से नोटिस जाता था या डाक के माध्यम से जाता था उसके अतिरिक्त और तरीकों का प्रयोग भी किया जाता था। अब जो आधुनिक तरीके के लोग हैं और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं वे ई-मेल पर भी नोटिस की तामील कर सकते हैं और फैक्स भी कर सकते हैं और अब तो कूरियर सर्विस लगभग हर छोटे-बड़े शहर में उपलब्ध है जो एक दिन में चिट्ठी गंतव्य पर पहुंचाने की गारंटी देती हैं। इन सब माध्यमों को नए कानून में लाने का प्रयास किया गया है। वह कानून शायद संसद के अगले सत्र में आ जाए। इसलिए नोटिस तामील करने में जो ज्यादा समय लगता है उसको भी कम करने का एक प्रयास होगा।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): यदि आप न्यायालय के प्रोसेसर के माध्यम से नोटिस भेजते हैं तो कोई नहीं जानता कि यह प्रेषिती के पास कब पहुंचेगा। तो वे यह कह देंगे कि प्रतिपक्ष उपलब्ध नहीं है इसलिए, आदेशिका तामील नहीं की जा सकती है।

श्री अरुण जेटली: मैं रघुवंश बाबू को बिलकुल यही बात बता रहा था कि अब हमारे नोटिस देने की वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त नोटिस देने की वैकल्पिक कार्य प्रणालियां भी संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के रूप में आ गई है और इसे लागू किया गया है।

महोदय, अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। मैं पहले इन माननीय सदस्य को उत्तर दूंगा। जो कम-से-कम भावी तारीख के संबंध में इस सुझाव पर विचार करने के बारे में बोले कि क्या धार्मिक सगठनों द्वारा गठित चर्च न्यायालयों अथवा न्यायालयों के संबंध में भी विचार किया जा सकता है। यह बहुत गम्भीर और बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह स्थायी समिति के समक्ष विभिन्न संगठनों के सुझावों में से एक था। स्थायी समिति इससे सहमत तो नहीं हुई लेकिन इस सरकार को भेज दिया। हमने इस पर विस्तार से विचार किया। हमने यह महसूस किया कि हम इस सुझाव को नहीं मान सकते क्योंकि एक यदि हमने संवैधानिक ढांचे के बाहर न्यायिक संस्थाओं को मान्यता देना शुरू कर दिया तो फिर कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय कभी भी इसमें बंधक नहीं रहेगा। हमें इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अन्य मांगे भी की जाएंगी भारत में माने जाने वाले यह कानून के अनुरूप नहीं होगा।

वास्तव में विधि आयोग के 15वें प्रतिवेदन में इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया गया था। विधि आयोग ने एक टिप्पणी की थी जिससे मैं सहमत हूं। इसका विचार था, "ये न्यायालय ही हैं जिन्हें देश के कानून के अंतर्गत गठित किया गया है जिनके पास नागरिक अधिकारों से सम्बंधित विवादों का निर्धारण करने का विशेष प्राधिकार होगा और उस प्राधिकार का त्याग अथवा अधित्याग नहीं हो सकता है"।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: श्री जेटली, यदि आप बुरा न मानें तो क्या मैं एक बात कह सकती हूं?

जहां तक इसाई समुदाय का सम्बंध है, चर्च न्यायालय हैं और जब तक इनके द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक यह वैध नहीं है, और तब तक आप न दो दोबारा शादी कर सकते हैं और न ही कुछ और कार्य कर सकते हैं चाहे फिर आपने न्यायालय में ही तलाक क्यों न लिया हो।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): यह केवल कैथोलिकों पर लागू होता है; दूसरों पर नहीं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हां। कैथोलिकों में, आप तब तक कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि इसे चर्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति न दी गई हो।

श्री अरुण जेटली: अनेक प्रकार के ऐसे रिवाज हैं जो बरकरार रहते हैं। लेकिन किसी धार्मिक न्यायालय के सम्बंध में कानून द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाना वह बात है जिसे वास्तव में हमारी सत्ता का कानून नहीं मानता है।

अनेक प्रश्न ऐसे थे जो वाद-विवाद के दौरान उठाए गए हैं। श्रीमीत आल्वा ने उल्लेख किया है कि समाज में महिलाओं को वास्तव में सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वास्तव में, हमें यह अध्ययन करना होगा कि विगत पांच दशकों से हमने कितना विकास किया है और कहां किस रूप में हमारे सुधार का जबरदस्त विरोध हो रहा है कुल मिलाकर हमारे सामने यही आम राय आती है कि अब हमें समानता के अधिकार में परिवर्तन करके इसे प्रदान करना होगा। दिसम्बर के महीने में भी जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो कुछ लोग हमारी बात से सहमत नहीं थे। लेकिन जब ईसाई महिला संगठन मेरे से मिलने आए तो वे न केवल इन दोनों सुझावों से सहमत थे अपितु दूसरी तरफ उनको यह भी शिकायत थी कि मैं आपकी बात से इतना सहमत नहीं हुआ हूं। उनके प्रति मेरा जवाब यह था कि अपने धार्मिक नेताओं से बात करें और समाज के दूसरे नेताओं से बात करें और उन्हें मनाएं क्योंकि वैयक्तिक विधि के संदर्भ में हमारी नीति यह रही है कि हम समाज को भी भागीदार बनाते हैं और जब हम ये परिवर्तन करते हैं तो समाज की राय को हमेशा ही सम्मान दिया जाता है। मैंने ये पाया कि हफ्तों और महीनों के भीतर एक आम राय हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई थी। वास्तव में यही वह आम राय है जिसने इस कानून को इतनी अल्पावधि में इतना श्रेष्ठ बना दिया है।

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। श्रीमती आल्वा ने कहा था कि विधेयक को और अधिक व्यापक होना चाहिए। महोदय, व्यापक विधेयक के पक्ष में बहस करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। लेकिन, व्यापक विधेयक की परिधि में आने वाली प्रत्येक चीज आमतौर पर बहुत कम कठिन होती है। हमारे वैयक्तिक कानूनों के सम्बंध में, वास्तव में कानूनों की दो श्रेणियां हैं। एक कानून हमारे रीति रिवाजों को मान्यता देता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जहां तक रीति-रिवाजों का सम्बंध हो, समाज की धार्मिक सहिष्णुता और रीति-रिवाजों का हमेशा सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए, कानून इन क्षेत्रों में हमेशा हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदाहरण के लिए विवाह

[श्री अरुण जेटली]

कानून ऐसी श्रेणी में आता है जिसमें अनेक रीति-रिवाज, रीतियां और अनुष्ठान आते हैं। वास्तव में, ईसाई समुदाय के सम्बंध में यह केवल एक ऐसा मामला है जहां विवाह कानून पूर्णतः भिन्न होता है और विवाह विच्छेद कानून भी भिन्न होता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम तो है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम भी है। दोनों कानून पूरी तरह से भिन्न हैं। एक समय यह चर्चा हुई थी कि क्या इन दोनों अधिनियमों का समामेलन किया जा सकता है और इसके आधार पर व्यापक कानून बनाया जा सकती है। हमने पाया है कि इस विषय पर भी कोई एकराय नहीं थी। जब तक हम समाज में एकराय नहीं बना पायेंगे तब तक इन दोनों अधिनियमों का समामेलन करना सम्भव नहीं होगा।

इसलिए, जहां तक विवाह कानून का सम्बंध है हमने इसके किसी भी पहलू का उल्लेख नहीं किया है। विवाह विच्छेद कानून महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कि ऐसे अधिकार हैं जो विवाह विच्छेद कानून से उत्पन्न होते हैं। ये अधिकार है—सम्पत्ति के सम्बंध में अभिरक्षा का अधिकार, वैवाहिक स्थिति के सम्बंध में अधिकार और निर्वाह भत्ता के सम्बंध में धनराशि का अधिकार, ये सारे अधिकार विवाह विच्छेद कानून से उत्पन्न होते हैं। जहां तक अधिकारों का सम्बंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि ये अधिकार, जहां तक सम्भव हो, समता और मानव गरिमा की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप हों।

इसलिए भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के सम्बंध में यह कानून अब इतना विकसित बना दिया है ताकि समता और मानव गरिमा की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप हो।

महोदय, अनेक अन्य सुझाव दिए गए हैं। मैं इस समय उनका उल्लेख करता हूं कि विशेषकर ईसाई समुदाय के सम्बंध में एक और क्षेत्र है जहां आमराय बन रही है। इस समुदाय से सम्बंधित 23 संसद सदस्यों ने मुझे लिखा है और कुछ चर्च प्राधिकारियों ने भी मुझे लिखा है कि यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो उत्तराधिकार कानून के सम्बंध में अन्य समुदायों पर लागू नहीं होती है। उत्तराधिकार कानून के सम्बंध में जो कुछ क्रियाविधि हैं उन्हें अन्य समुदायों के लिए सरल बनाया गया है, जहां ईसाई समुदाय का सम्बंध है, बहुत कठिन और लम्बी प्रक्रिया है। अब वे चाहते हैं कि इस कानून को भी उसके समतुल्य बनाया जाए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, जरा एक मिनट रुकिए। सभा पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सभा से संदेश प्राप्त हुआ है।

अपराह्न 5.36 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 29 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2001 को पारित भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक, 2001 निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है।

खंड 7

1. पृष्ठ 3,-

पंक्ति 19 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये-

"7(1) 1 सितम्बर, 2001 से ही और उपधारा (2) के अधीन तारीख के नियतन तक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात-

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री;

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष;

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता;

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता;

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता;

(2) ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत की जाये और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;"

2, पृष्ठ 4,-

पंक्ति 11 से 13 के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित किया जाए-

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य पदेन; विदेश सचिव, वित्तीय सलाहकार और डीन (विदेश सेवा संस्थान) हैं।"

3. पृष्ठ 4, पंक्ति 17 से 19 का लोप किया जाये।

4. पृष्ठ 4, पंक्ति 20, "4" के स्थान पर "3" प्रतिस्थापित किया जाये।

5. पृष्ठ 4, पंक्ति 22, "5" के स्थान पर "4" प्रतिस्थापित किया जाये।

6. पृष्ठ 4, पंक्ति 36, "(5)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाये।

7. पृष्ठ 5, पंक्ति 1, "(5)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाये।

खंड 14

8. पृष्ठ 5,-

पंक्ति 34 और 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जा—

"14. (1) परिषद् का शासी निकाय होगा जो परिषद् द्वारा गठित किया जाएगा।"

9. पृष्ठ 5,-

पंक्ति 39 और 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"14. (3) ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, भारत का उपराष्ट्रपति शासी निकाय का पदेन सभापति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।"

खंड 15

10. पृष्ठ 6,-

पंक्ति 12 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"15. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसे महानिदेशक के रूप में पदनिहित किया जायेगा और परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

खंड 26

11. पृष्ठ 8, पंक्ति 24 में "केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से" शब्दों का लोप किया जाए।

12. पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 33 का लोप किया जाये।

13. पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 34 में "(ग)" के स्थान पर, "ख" प्रतिस्थापित किया जाये।

14. पृष्ठ 8, पंक्ति 36 में "(घ)" के स्थान पर, "(ग)" प्रतिस्थापित किया जाये।

15. पृष्ठ 9, पंक्ति 1 में "(ङ)" के स्थान पर, "(घ)" प्रतिस्थापित किया जाये।

16. पृष्ठ 9, पंक्ति 3 में "(च)" के स्थान पर, "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाये।

17. पृष्ठ 9, पंक्ति 5 में "(छ)" के स्थान पर, "(च)" प्रतिस्थापित किया जाये।

18. पृष्ठ 9, पंक्ति 7 में "(ज)" के स्थान पर, "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाये।

19. पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर, "शासी निकाय" प्रतिस्थापित किया जाये।

इसलिए मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ लौटाना है कि इन संशोधनों से लोक सभा की सहमति के बारे में इस सभा को सूचित किया जाए।

अपराह्न 5.40 बजे

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, जहां तक उत्तराधिकार कानून

[श्री अरुण जेटली]

का संबंध है उदाहरणार्थ यह सुझाव इस समुदाय से ही आया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यदि संसद द्वारा उत्तराधिकार कानून को अवसंशोधित किया जाता है और उस पर पुनर्विचार किया जाता है तो यह अच्छी बात है।

महोदय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य बहुत ही प्रभावी कानून बनाने से था लेकिन 500 रुपये की सीमा के कारण यह निष्प्रभावी हो गया। एक सदस्य ने सुझाव दिया था कि इस सीमा का 1500 रुपये तक रखा जाए। लेकिन महोदय मैं विनम्रतापूर्वक उस सदस्य से असहमति व्यय करता हूं क्योंकि 500 रुपये की सीमा वर्ष 1955 में निर्धारित की गई थी। उसके बाद आज 46 वर्ष बीत गए हैं, इन 46 वर्षों के बाद भी हम बाह्य सीमा के निर्धारण पर ही विचार कर रहे है, हमने किन कारणों से इस संबंध में 'कैप' या 500 रुपये की इस राशि पर बाह्य सीमा निर्धारित क्यों नहीं की ही, यहां जो भी बाह्य सीमा ही उसका संबंध कई कारकों से ही इसका पहला संबंध है: कितना खर्चा किया जाना उचित है किसी मामले में पति या पुत्र या पिता की भुगतान क्षमता कितनी है?

इस आधुनिक युग में कुछ लोगों की सीमित आय है और कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी आय अत्यधिक है। इसलिए जिस मामले में पति की आय लाखों में है वहां उसकी पत्नी को 1500 रुपये मिलने चाहिए न्यायोचित नहीं है, आज भारत के अधिकतर शहरों में 1500 रुपये में एक कमरा भी किराये पर नहीं मिलता है। इसलिए जहां तक पत्नी की जीवनशैली का संबंध है उस दृष्टि से 1500 रुपये से गुजारा नहीं हो सकता है। यह भी एक कारण है कि हमें इस ओर देखना पडता है।

हमें इसे पश्चिमी देशों के विपथगमन की ओर देखे बिना देखना है। पश्चिमी देशों में विवाह-विच्छेद के मामले बढ़े हैं। कुछ देशों में इन मामलों में पचास से साठ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह कोई सुखद स्थिति नहीं है।

किन्तु एक बात जिसे हमें ध्यान रखना है, वह यह है कि एक बार विच्छेद, चाहे यह विच्छेद कितना ही निष्ठुर हो, होने पर कमाने वाले व्यक्ति को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और इसका उपयोग वस्तुत: विवाहों को बार-बार टुटने के विरुद्ध निवारक के रूप में दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह-विच्छेद स्वयं ही बहुत महंगी प्रक्रिया है।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: यदि ऊपरी सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। तो इसे निवल आय की प्रतिशतता से जोड़ दिया जाना चाहिए। कृपया इसे वाद का विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के विवेक पर न छोड़े।

श्री अरुण जेटली: महोदय, इसके लिए बाह्य धनराशि निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुसम्मानित न्यायिक निर्णय हैं। ऐसे पूर्वोदाहरण हैं। उदारहरणार्थ, माननीय सदस्य कहते हैं कि पत्नी के कर का क्या होगा?

अब, उच्चतम न्यायालय का विचार है कि वैकल्पिक निवास प्राप्त करने की लागत निर्वाह भत्ता का एक भाग है। क्या निर्वाह भत्ते को आयकर प्रमाणपत्र अथवा आयकर विवरणी से ही जोड़ा जाना चाहिए। इस पर उन्होंने वहां है कि नहीं हम इसे जीवन शैली हटकर देखें। यह धनराशि इतनी होनी चाहिए कि पत्नी को ऐसी जीवन शैली मिल सके जो उसे तब मिलती यदि वह अपने पति के साथ रहती। इसी कारण से आपका प्रतिशतता का तर्क ठीक नहीं बैठता है। एक मामले में उसे केवल पत्नी को ही धनराशि देनी पड़ सकती है। दूसरे मामले में यह धनराशि पत्नी और दो बच्चों के लिए हो सकती है और तीसरे मामले में उसे वृद्ध माता-पिता को भी धनराशि देनी पड़ सकती है। अत: आप हठधर्मी से एक ऐसी प्रतिशतता नहीं ला सकते जो प्रत्येक मामले में लागू होगी? यह हर मामले पर अलग-अलग निर्भर होगा जैसे आय की मात्रा क्या है, आवश्यकता क्या है उन पर कितने लोग निर्भर हैं; आदि।

महोदय, आज यह सर्वाधिक प्रभावी उपचार है। यह अप्रभावी हो गया है क्योंकि पत्नी ने ऐसे मंच पर जाना नहीं चाहा जहां जीवन-निर्वाह राशि पांच सौ रुपए थी। वे दीवानी न्यायालय जाएंगे जहां जीवन निर्वाह राशि लेने में कई वर्ष लग जाएंगे। आज 75 पैस डाक टिकट लगाकर आप अपने क्षेत्र के निकटस्थ मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आप को ज़िला न्यायालय में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिलाधीश के पास जाते हैं। यह ऐसा उपचार है जिसमें खर्चा बहुत कम आता है। जहां तक सम्भव हैं मजिस्ट्रेट को साठ दिन के भीतर जीवन निर्वाह राशि तय करनी होगी, जो पत्नी को दी जानी है।

आपने ऐसा प्रश्न उठाया जिस पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपने पूछा है कि पतियों को इस संशोधन के अन्तर्गत ऐसे आवेदन करने के लिए क्यों पात्र नहीं होना चाहिए। महोदय, धारा 125 जैसाकि यह मूल रूप से बनाई गई है, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की मूल धारा 488 को आगे ले जाने वाली है। इसमें ऐसे व्यक्ति को ही उपचार प्रदान करने की बात कही गई है जो (क) अपनी पत्नी (ख) अपनी वैध अथवा अवैध अथवा अवयस्क संतान और (ग) अपने पिता अथवा माता अथवा वयस्क होने की आयु पर उस बच्चे जिसका भरण-पोषण आप नहीं कर सकते, का भरण पोषण करने से इन्कार करता है। अत: यह उपाय उन लोगों अर्थात बच्चों, वृद्ध मातापिता ओर पत्नियों के पक्ष में है जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। स्वस्थ व्यक्तियों विशेषकर पुरुषों

जो अपना भरण-पोषण स्वयं कर सकते हैं; के लिए धारा 125 कभी भी एक उपाय नहीं रहा। जहां तक पुरुषों का संबंध है यह धारा विधि के अन्तर्गत कभी भी उपलब्ध उपाय नहीं था। मेरा मानना है कि यह इस शताब्दी में एक पश्चगामी कदम होगा यदि हम यह कहें कि अब हम भी निर्णय करें कि भारत के लोगों को धारा 125 के अन्तर्गत अपनी पत्नियों से जीवन निर्वाह भत्ता लेना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि यह उपचार, जिस पर वर्षों में विचार किया गया है, माता पिता पत्नियों और बच्चों के लिए ही था और किसी के लिए नहीं था।

प्रो. आर. आर. प्रमाणिक: अब ऐसे मामले हैं जहां पति अपनी पत्नियों से अपनी जीवन निर्वाह राशि लेते हैं जहां पत्नियां पतियों से अधिक आय अर्जित करती हैं और वहां पत्नी की आय पति की आय से अधिक है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, ऐसे मामले उन पर्सनल लॉ के हैं वहां ऐसे सभी मामले भरण पोषण योग्य हैं। धारा 125 प्रसव के विरुद्ध सर्वदा उपलब्ध उपचार था धारा 125 के अन्तर्गत पुरुष किसी उपचार का पात्र नहीं था। यह बात कभी भी सम्भव नहीं रही है...*(व्यवधान)* अनेक सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि पतियों के पक्ष में यह थोड़ा उदार विचार था। उनके विरुद्ध कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए कुछ विचार व्यक्त किए गए जैसे कि हम उन्हे 60 दिन का समय क्यों दे रहे हैं। इसे तीन दिन का अथवा ऐसा ही क्यों नहीं करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले ही दिन एक एक तरफा आदेश पारित किया जा सकता था। ये आदेश कैसे पूरे किए जाएंगे? हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम विधि के शासन के माध्यम से शासित होते हैं। यह व्यवस्था बहुत दु:सह व्यवस्था है। यदि पति धनराशि नहीं देता अथवा पिता अथवा पुत्र धनराशि नहीं देता तो इसके परिणाम धन का भुगतान न करने की स्थिति में न केवल समादेश देने वाले हैं बल्कि कारावास भी है। यह प्रतिमाह दोहरा कारावास है। अत: इसके परिणामों के दांडिक होने के कारण हम ऐसी व्यवस्था न करें जो कानून के शासन के कुछ नियमों की अवज्ञा करे। सामान्य क्रियाविधि यह होगी कि मटिस्ट्रेट पति को शपथ-पत्र पर उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देगा, वह प्रथम द्रष्ट्या उसकी जीवन शैली, आय, उसकी पत्नी की आवश्यकताओं आदि पर विचार करेगा और तत्पश्चात् धनराशि निर्धारित करेगा। उपयुक्त सुनवाई किस बिना, सम्भावित आय का भी आकलन किए बिना धनराशि निर्धारित करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां लोग...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुमबुदूर): अन्तरिम राहत का निर्णय जिलाधीश द्वारा ही किया जाता है। वह सभी अभिलेखों और शपथ पत्रों का अनुसरण करने के बाद अन्तिम निर्णय दे सकता है। अभी मैं अन्तरिम राहत के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री अरूण जेटली: अन्तरिम धनराशि और अन्तिम धनराशि दोनों का भुगतान न करने के लिए परिणाम एक समान हैं। अत: न्याय सम्मत ढंग से विचार किया जाना चाहिए जिसके बाद धनराशि की मात्रा निर्धारित की जाए।

इसलिए यदि बिना किसी पर्याप्त निर्णायक सुनवाई के धनराशि की मात्रा निर्धारित की जाती है तो आपके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो दूसरे ढंग से दमन का कारण हो सकती है, कि आप एक बढ़ी हुई धनराशि दे सकते हैं जिसे कोई अन्य व्यक्ति न दे सके। दूसरा परिणाम यह होगा, वह धनराशि नहीं दे सकता और वह कारागार में चला जाएगा। अत: ऐसा होने की स्थिति में सुनवाई और सुनवाई के मानक बहुत निष्पक्ष होने चाहिए और सभी विद्यमान मामलों में बुद्धि का पूर्ण रूप से न्यायसम्मत उपयोग होना चाहिए।

श्री शिवराज पाटील ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि जब हम धारा 10 में विवाह विच्छेद के अनेक आधार जोड़ रहे हैं तो हम एड्स को इससे अलग क्यों रख रहे हैं? यह ऐसा प्रश्न है जिस पर इस देश में ही नहीं अन्य देशों में भी चर्चा की गई है। एक विचार यह रहा हूं और वस्तुत: हमने अपने तौर से इस पर विचार भी किया कि विवाह के समय इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए। इस पर काफी चर्चा हुई थी।

एक टिप्पणी यह की गई थी कि आप यदि 'एड्स' से ग्रस्त हैं तो आप विवाह करने के हकदार नहीं है, यह टिप्पणी किसी ने इसलिए की थी क्योंकि यह संचारी रोग है।

यहां दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति के इस रोग से ग्रस्त होने के इस प्रकार के प्रतिकूल परिणामों को लेकर चलते हो तो इस रोग और इस रोग के पीछे के अश्पृश्यता के तत्व के विरुद्ध लड़ाई का पूरा अभिमान असफल हो जाएगा, लेकिन हम समय परीक्षित प्रक्रिया पर ही चलते रहे। जब स्थायी समिति के समक्ष के यह समुदाय आया तो विवाह-विच्छेद के मूल आधार जिसके बारे में हमने संकेत दिया था....

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं यहां इस बात का सुझाव नहीं दे रहा हूं कि इसे ईसाई समुदाय में ही विवाहों के मामले में लागू किया जाना चाहिए, यदि यह प्रावधान प्रयोज्य बनता है तो यह सभी पर लागू होना चाहिए। 'एड्स' का प्रभाव पुरुष और महिला पर ही नहीं पड़ता बल्कि इसका प्रभाव संतान पर ही पड़ता है, यही अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जब इस समुदाय के प्रतिनिधि स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे कि हमारा वह मूल प्रस्ताव संशोधित हो गया जो कि हर जगह अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के लिए उपलब्ध विभिन्न आम विधि आधारों के समतुल्य आधार उपलब्ध करवाए जाने से संबंधित था, मैंने इन उपलब्ध आधारों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया है। इन्हीं कुछ आधारों पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक आधार जो कि लगभग प्रत्येक वैयक्तिक निधि में उपलब्ध है वह स्वैच्छिक धर्मातंरण का है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे वास्तव में एक आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन यह आधार विशेष विवाह अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम और इस प्रस्ताव में भी हर जगह उपलब्ध है। यह अनिवार्य नहीं है। यदि आपके विचार अलग प्रकार के है तो आप इस बात को जानते हुए भी इसकी अनदेखी कर देंगे कि आपकी पत्नी ने दूसरा धर्म अपना लिया है, लेकिन यदि आपमें अपने धर्म का स्वत्वबोध है और इसके कारण आप इसे स्वीकार नहीं करते तो इसके लिए कई धर्मों में स्वयं ही आधार उपलब्ध है। यह हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है कि जब आधार उपलब्ध है तो वह याचिका दायर करे। यह उस व्यक्ति पुरुष या महिला के लिए अभी भी ऐच्छिक हैं कि वह उस वास्तविकता को स्वीकार करे और याचिका दायर न करे। अब भाषा अलग है। विद्यमान कानून कहता है।

> ''याचिका प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व दो वर्षों की अवधि से संचारी प्रकृति के गुप्त रोग से ग्रस्त रहा हो।''
>
> विशेष विवाह अधिनियम की भाषा कहती है।
>
> ''संचारी प्रकृति के गुप्त रोग से ग्रस्त रहा हो''

अधिकतर लोगों की राय है कि इसकी भाषा इतनी व्यापक है कि इसमें इसकी परिभाषा परम्परागत रूप से समझे जाने वाले गुप्त रोग ही नहीं बल्कि गुप्त रोग जैसे संचारी रोग की तरह के संचारी रोग को भी शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि अधिकतर विधियों में भाषा के लगभग समान होने के कारण हमें इसे न्यायिक व्याख्याकारों पर छोड़ देना चाहिए कि क्या जिस बीमारी का उल्लेख किया गया है और जिसके बारे में सुझाव दिया गया है वह इस श्रेणी में आती है या नहीं यहां एक और दृष्टिकोण भी है कि शायद यह पहले से ही शामिल है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस बात को विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसमें 'एड्स' शामिल नहीं है। यह गुप्त रोग पर ही लागू होता है न कि एडस पर मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप इसे तत्काल स्वीकार करें। मैं तो यह सुझाव दे रहा हूं कि कृपया आप इसकी जांच करवाएं।

श्री अरुण जेटली: जहां तक एडस को इस विशिष्ट श्रेणी में लाने का संबंध है तो जैसा कि मैंने संकेत दिया था कि इस पर चर्चा करते समय हमें दोनों ही दृष्टिकोण को भी देखना होगा।

एडस को हटाने के पूरे अभियान से यह छाप पड़ती है कि जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हो, वह अछूत है और सामान्य जीवन नहीं जी सकता है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह कुष्ठ रोग के मरीजों पर भी लागू होता है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली: हां, यह होता है, इस संबंध में तुलनात्मक चार्ट दर्शाता है कि समान विधि आधार जो कि पूरे विश्व में विद्यमान है और समय परीक्षित वे इस तरह की हैं कि उन्हें इसमें शामिल किया गया है।

एक सुझाव दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। कई महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की मांग करते रहे है। श्रीमती आल्वा ने यह प्रश्न उठाया था। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसको उठाया है। हमने भी इन मुद्दों पर विचार किया है। अभी भी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसमें परिणाम क्या होगे: किसी उपबंध को ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से लागू किया जाए...*(व्यवधान)*

यही सुझाव भी दिया गया है। मुझे भी यही सुझाव दिया गया था। इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया है जहां पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। हम इस बात की भी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे अनिवार्य बनाये जाने के क्या परिणाम निकले हैं। यदि इनका पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया जाता है तो क्या आप अब कुछ दण्ड संबंधी प्रावधानों को लागू करेगें? इस कानून को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है? इस कानून का अनुपालन कितना हो पाया है? विशेषकर जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है वहां इसका अनुपालन नहीं होता है। सभी मामलों में अत्यधिक कानूनों का होना कोई गुण नहीं है ऐसा कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है...*(व्यवधान)*

नागालैंड के माननीय सदस्य ने इस बात को उल्लेख किया था कि वहां विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कुछ वैयन्तिक कानून और कुछ प्रथागत संव्यवहार हो सकते हैं। ये सब स्थायी कानून से भिन्न हैं लेकिन हम अब उनका अधिनियमन कर रहे हैं। इन सभी प्रथागत कानूनों को इन क्षेत्रों में अनुच्छेद 371(क) द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसलिए इन क्षेत्रों में नये कानून से किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन क्षेत्रों को संवैधानिक गारंटी मिली हुई है और आज हम जिस सांविधिक उपबंध का अधिनियमन कर रहे हैं उसे इन कानूनों द्वारा अधिव्याप्त कर दिया जाएगा।

आपसी सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न है: कि जब विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में याचिका दायर करने से पूर्व एक वर्ष की अलगाव अवधि निर्धारित की गई है तो इस कानून में यह दो वर्ष की अवधि क्यों हैं? जैसा कि मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में कहा था कि यह दो वर्ष की अवधि ईसाई समुदाय के आग्रह पर ही निर्धारित की गई है। शायद मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उन्होंने अन्य कानूनों में प्रयोज्य एक वर्ष की अवधि के बजाय दो वर्ष की अवधि का आग्रह क्यों किया था। खासकर कैथोलिक विवाह-विच्छेद के विचार का समर्थन नहीं करते हैं। उनके अनुसार जिन्हें ईश्वर ने मिला लिया हो, उन्हें वास्तव में कानून और मनुष्य अलग नहीं कर सकते हैं। विवाह के बारे में उनका ऐसा विचार है। इसलिए यहां तक जिस मामले में पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं उस मामले में शायद उन्हें कुछ और समय संबंध सुधारने और एक साथ रहने के लिए दिया गया है न कि उन्हें बहुत छोटी समय सीमा में विवाह-भंग करने के लिए याचिका दायर करने के लिए दिया गया है।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: यह सिफारिश कलेरगियों द्वारा की गई है। वे अविवाहित रहते हैं। उनके दृष्टिकोण पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वे अविवाहित रहते है तो वे शादीशुदा लोगों की समस्याओं को कैसे जान सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। कुछ और समय दिया जाना हमेशा ही बेहतर होता है। यदि वे संबंध सुधार लेते हैं तो यह हमेशा ही अच्छा होता है। जो लोग न्यायालय की शरण लेना चाहते है वे पहले भी ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली: वैयक्तिक विधियों पर विचार करते समय कई धार्मिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें आखिरकार समुदाय शामिल रहता है। इसलिए किसी समुदाय पर कानूनी दायरा थोपने के बजाय हमें तब तक उस समुदाय के विचारों का अनुपालन करना चाहिए जब तक कि कोई चीज विधि के शासन और विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हो। जहां तक कैथोलिकों का संबंध है उनमें विवाह विच्छेद के बारे में परम्परागत असहमति बनी रहती है। वे एक वर्ष की अवधि के अभाव के तत्काल बाद विवाह-भंग की अनुमति नहीं देते हैं; वे संबंध सुधार के लिए कुछ और समय देना चाहते है। स्थायी समिति ने माना है कि यह एक उचित सुझाव है और इसलिए हमें इस वैयक्तिक विधि और अन्य वैयक्तिक विधियों में परस्पर अन्तर रखना ही होगा। मैं नहीं समझता की इस सुझाव को स्वीकार करने में सरकार ने गलती की है जिसके लिए यह समुदाय प्रयासरत रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी: दो साल का समय रहेगा, तो परवरिश कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा?

श्री अरूण जेटली: इस कानून में दो प्रकार के परिवर्तन और किए गए हैं। पहला यह कि दो वर्ष के संदर्भ में 60 दिन के भीतर उसका गुजारा भत्ता तय होगा और दूसरा यह कि दो वर्ष के भीतर गुजारा भत्ता मिलेगा, पहले उसकी सीमा 20 फीसदी थी।

सबसे अधिक महिला को जो मिल सकता था, वह पति की आमदनी का पांचवां हिस्सा था। इस संशोधन के माध्यम से 60 दिन में तय होगा और 20 फीसदी की सीमा थी उसे हटा दिया गया है। इसलिए इस समय के दौरान भी उसका गुजारा कैसे होगा, इसका भी प्रबंध किया गया है।

[अनुवाद]

एक प्रश्न और उठाया गया था – कितने समय तक अन्तरिम गुजारा भत्ता प्रदान किया जाएगा? क्या अन्तरिम गुजारा भत्ता कई वर्षों तक अर्थात् न्यायालय द्वारा मुख्य मुद्दे पर निर्णय देने तक प्रदान किया जाएगा? अन्तरिम गुजारा भत्ते का स्वरूप हमेशा अन्तरिम ही होता है। जब न्यायालय अंतिम आदेश पारित कर देता है तो अन्तरिम गुजारा भत्ता समाप्त हो जाएगा और अंतिम आदेश लागू होगा विकल्पतः यदि इस अवधि के दौरान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है चाहे वह पत्नी के अथवा पति के पक्ष में हो तो पति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है और यह कह सकता है कि पत्नी की अब अपनी आय है और पति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर यह भी कह सकता है कि अब मेरी अपनी आमदनी नही है। इसी तरह पत्नी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकती है और यह कह सकती है कि उस समय आपने मुझे केवल 100 रुपए ही दिलाए थे और अब मुझे पता चला है कि मेरे पति की आमदनी पांच गुना बढ़ गई है। ये सभी बातें अपने आप में अंतरिम है। ये उस समय तक अंतरिम होंगे जब तक अंतिम आदेश पारित न हो जाएं अथवा पत्नी स्वयं अपने संसाधन न जुटा ले। ये सभी ऐसे क्षेत्र है जो न्यायिक विवेक से शासित होंगे।

इन क्षेत्रों में ऐसा कोई मोटा विषय नहीं हो सकता जिसे विधानमण्डल निर्धारित करे। इसलिए जहां तक विधान मंडल का सम्बंध है हमने इस मुद्दे को न छेड़ने का सही निर्णय लिया है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर: मंत्री जी क्या आप निर्वाह व्यय और भरण पोषण में अंतर कर सकते हैं? आपने उच्च न्यायालयों में की गई विशेषाधिकार अपीलों और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या थे इन्हें छुआ तक नही है।

श्री अरूण जेटली: निर्वाह से व्यय स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति के दोनों हो सकते हैं। यह एक मुश्त हो सकता है और न्यायालय इसे निर्धारित कर सकता है। यह आवर्ती हो सकता हैं; न्यायालय इसे निर्धारित कर सकता है। जहां तक अपीलों का सम्बंध है, कुछेक कानूनों में परिणाम दंडात्मक रहे हैं इसलिए उस आदेश के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। लेकिन, फिर भी इसका निर्णय न्यायालय को ही करना है। कोई भी न्यायालय यह नहीं कहता है कि जब वह अपील पर सुनवाई करता है तो उस समय कोई भुगतान न करे। न्यायालय यह कह सकता है - आप 'एक्स' धनराशि अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अथवा धनराशि का 75 प्रतिशत भुगतान करें। यह सभी आदेश धन संबंधी डिक्री के आदेश की तरह होता है। विशेषकर, चूंकि न्यायालय मानव जीवन निर्वाह सम्बंधी मामले को निपटाते हैं इसलिए जब वे अपीलों के सम्बंध में आदेश पारित करते हैं तो हम अपनी न्यायालयों पर अधिक तर्क संगत होने का भरोसा करते हैं। अपील में कोई आदेश इस बात की अनुमति नहीं देगा कि बच्चे, माता पिता और पत्नी भूखे मर रहे हों। और न्यायालय ये कहे कि अपील के दौरान कुछ भी भुगतान न करें। सामान्यत: ऐसे अपीलीय आदेश ऐसे नहीं होते। इसलिए ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए छोड़ दिया गया है।

इन टिप्पणियों के साथ में माननीय सदस्यों से इस विधेयक को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: जिस तरह हमें संसद सदस्यों के वेतन को पांच वर्ष में एक बार बढ़ाने की बात करते हैं उसी तरह वर्षों से चले आ रहे। भरण पोषण बढ़ाने के बारे में क्या हुआ? क्या भरण पोषण बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान किया जाएगा?

श्री अरूण जेटली: अंतरिम भरण पोषण आदेश और अंतिम भरण पोषण आदेश हमेशा अंतरिम स्वरूप के होते हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि परिस्थितियों में परिवर्तन हमेशा परिवर्तन के साथ-साथ निर्णय करने के लिए न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: मैंने यह तर्क दिया है कि मुस्लिम महिलाओं के मामलों को परिवार अदालत में ले जाने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है अब उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया गया हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर: क्या आप शिक्षा आदि के भगवाकरण से डरते हैं और इसलिए आपने मुस्लिम महिलाओं को इस अधिनियम से बाहर रखा है?

श्री अरूण जेटली: ये दोनों प्रश्न वास्तव में 1986 के विधान से सम्बंधित है। 1986 में धारा 125 को छोड़ कर एक विशिष्ट कानून बनाया गया था इसलिए इससे एक विशेष प्रक्रिया बनी। उस कानून को चुनौती दी गई है और जहां तक उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय का सम्बंध है हम उसका इंतजार कर रहे हैं।

जहां तक विधान मंडल का सम्बंध है, जैसाकि मैंने उल्लेख किया था इस प्रकार के कानूनों में संशोधन और परिवर्तन करने में समाज को और समाज के लोगों की राय को शामिल करने का हमेशा प्रयास किया जाता है। इसलिए, जहां तक उन समुदायों का सम्बंध है उन समुदायों में रहकर वे सभी प्रयास किए जाने चाहिएं जिनमें महसूस करते हैं कि लोगों की राय लेकर वैयक्तिक कानून में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वास्तव में, ईसाई कानून (क्रिश्चियन ला) का विकास जो अपने आप में एक उदाहरण है कि कुछ वर्ष पहले इसका विरोध होने के बावजूद अंतत: सभी इसके दायरे में आ गए और इस पर सहमत हो गए थे।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: हमें समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। हमें समाज के उदार वर्ग के साथ बातचीत करनी चाहिए।

श्री अरूण जेटली: जहां तक सरकार का सम्बंध है हमने समाज के प्रत्येक वर्ग से बात करनी है।

सायं 6.00 बजे

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): अंतर्जातीय विवाह के मामले में कानून के दायरे में वर-वधु की रक्षा कैसे की जाए...*(व्यवधान)* क्या इससे और समस्याएं नहीं बढ़ेंगी?...*(व्यवधान)*

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: मैं समझता हूं यह 'माता और पिता अथवा माता पिता' होने चाहिए न कि 'पिता या माता'। यदि यह पिता या माता है तो पिता को भरण-पोषण मिलेगा और माता को कुछ नहीं मिलेगा। यदि माता को भरण पोषण मिलता है तो पिता को यह नही मिलेगा। इस प्रकार मेरा सुझाव है कि यह पिता और माता अथवा माता पिता होना चाहिए।

श्री अरूण जेटली: महोदय, ये दशकों से समय-प्रक्षित प्रावधान है। जब आप पत्नि या बच्चे कहते हैं तो इसका वास्तव में यह मतलब है कि आप इसे उन दोनों के हकदार हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि यदि आप इसे एक को देते हैं तो आप इसे दूसरे को नहीं दे सकते...*(व्यवधान)*

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: इसका आशय पत्नि बच्चे से है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली: अंतर्जातीय विवाह इन सभी कानूनों के दायरे में आते हैं।

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 9 विधेयक के अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरूण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 24 पर आते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम 1869 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 32 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 25 को लेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.06 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.एच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड-2 दिनांक 30-8-2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सायं 6.07 बजे

भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि राज्य सभा द्वारा भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।

खंड-7

1. कि पृष्ठ 3,- पंक्ति 19 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए:-*

"7 (1) 1, सितम्बर 2001 से ही और उपधारा (2) के अधीन तारीख के नियतन तथा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थात:-

(क) भारत के उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

2. ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात:-

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

2. कि पृष्ठ 4, – पंक्ति 11 से 13 के *स्थान* पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य, पदेन; विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और (विदेश सेवा संस्थान) हैं"

(क) भारत का उपसराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

(2) ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

2. कि पृष्ठ 4,– पंक्ति 11 से 13 के *स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित किया जाए:-*

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य पदेन, विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और डीन (विदेश सेवा संस्थान) हैं।"

3. पृष्ठ 4, पंक्ति 17 से 19 का लोप किया जाये।

4. पृष्ठ 4, पंक्ति 20, "4" के *स्थान* पर "3" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

5. पृष्ठ 4, पंक्ति 22, "5" के *स्थान* पर "4" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

6. पृष्ठ 4, पंक्ति 36, "(5)" के *स्थान* पर "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

7. पृष्ठ 5, पंक्ति 1, "(5)" के *स्थान* पर "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

खंड 14

8. कि पृष्ठ 5,–

पंक्ति 34 और 35 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"14. (1) परिषद् का शासी निकाय होगा जो परिषद् द्वारा गठित किया जाएगा।"

9. कि पृष्ठ 5,–

पंक्ति 39 और 41 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"14. (3) ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जो, भारत का उपराष्ट्रपति शासी निकाय का पदेन सभापति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।"

खंड 15

10. कि पृष्ठ 6, –

पंक्ति 12 और 13 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"15. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसे महानिदेशक के रूप में पदानिहित किया जायेगा और परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

खंड 26

11. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 24 में "केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से" शब्दों का *लोप* किया जाए।

12. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 33 का *लोप* किया जाये।

13. कि पृष्ठ 8, 32 और 34 में "(ग)" के *स्थान* पर, "ख" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

[श्री जगमोहन]

14. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 36 में "(घ)" *के स्थान पर*, "(ग)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

15. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 1 में "(ङ)" *के स्थान पर*, "(घ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

16. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 3 में "(च)" *के स्थान पर*, "(ङ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

17. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 5 में "(छ)" *के स्थान पर*, "(च)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

18. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 7 में "(ज)" *के स्थान पर*, "(छ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

19. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "केन्द्रीय सरकार" *के स्थान पर*, "शासी निकाय" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा भारतीय विश्व मामले परिषद् के राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।"

खंड-7

1. कि पृष्ठ 3,- पंक्ति 19 से 36 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:-

"7 (1) 1, सितम्बर 2001 से ही और उपधारा (2) के अधीन तारीख के नियतन तथा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थात:-

(क) भारत के उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

2. ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात-

(क) भारत का उपराष्ट्रपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;

2. कि पृष्ठ 4, - पंक्ति 11 से 13 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:-

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य, पदेन; विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और डीन (विदेश सेवा संस्थान) हैं"

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

2. ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात-

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कि जाएगा;

2. कि पृष्ठ 4,-पंक्ति 11 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापति किया जाए:

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य पदेन, विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और डीन (वदेश सेवा संस्थान) हैं।"

3. पृष्ठ 4, पंक्ति 17 से 19 का *लोप* किया जाये।

4. पृष्ठ 4, पंक्ति 20, "4" *के स्थान पर* "3" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

5. पृष्ठ 4, पंक्ति 22, "5" *के स्थान पर* "4" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

6. पृष्ठ 4, पंक्ति 36, "(5)" *के स्थान पर* "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

7. पृष्ठ 5, पंक्ति 1, "(5)" *के स्थान पर* "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

खंड 14

8. कि पृष्ठ 5,– पंक्ति 34 और 35 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"14. (1) परिषद् का शासी निकाय होगा जो परिषद् द्वारा गठित किया जाएगा।"

9. कि पृष्ठ 5;– पंक्ति 39 और 41 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"14. (3) ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जो, भारत का उपराष्ट्रपति शासी निकाय का पदेन सभापति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।"

खंड 15

10. कि पृष्ठ 6,– पंक्ति 12 और 13 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए–

"15. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसे महानिदेशक के रूप में पदानिहित किया जायेगा और परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

खंड 26

11. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 24 में "केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से" शब्दों का लोप किया जाए।

12. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 33 का *लोप* किया जाये।

13. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 34 में "(ग)" के *स्थान* पर, "ख" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

14. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 36 में "(घ)" के *स्थान* पर, "(ग)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

15. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "(ङ)" के *स्थान* पर, "(घ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

16. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 30 में "(च)" के *स्थान* पर, "(ङ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

17. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 5 में "(छ)" के *स्थान* पर, "(च)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

18. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 20 में "(ज)" के *स्थान* पर, "(छ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

19. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर, "शासी निकाय" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर खंडवार विचार

खंड-7

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

1. कि पृष्ठ 3,– पंक्ति 19 से 36 के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:–

"7 (1) 1, सितम्बर 2001 से ही और उपधारा (2) के अधीन तारीख के नियतन तथा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थातः–

(क) भारत के उपराष्ट्रपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

2. ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थातः–

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष, जो परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;"

[सभापति महोदय]

2. कि पृष्ठ 4,- पंक्ति 11 से 13 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:-

विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य, पदेन

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य, पदेन; विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और डीन (विदेश सेवा संस्थान) हैं"

(क) भारत का उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) भारत का प्रधान मंत्री

(ग) लोक सभा का अध्यक्ष

(घ) राज्य सभा में सदन का नेता

(ङ) लोक सभा में विपक्ष का नेता

(च) राज्य सभा में विपक्ष का नेता

(2) ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और जो विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी, परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) भारत का उपराष्ट्रपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन उपाध्यक्ष जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक महानिदेशक जो परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

2 कि पृष्ठ 4;- पंक्ति 11 से 13 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:-

"(झ) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विदेश मंत्रालय के तीन सदस्य पदेन, विदेश सचिव वित्तीय सलाहकार और डीन (विदेश सेवा संस्थान) हैं।"

3. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 17 से 19 का *लोप* किया जाये।

4. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 20, "4" *के स्थान पर* "3" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

5. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 22, "5" *के स्थान पर* "4" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

6. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 36, "(5)" *के स्थान पर* "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

7. कि पृष्ठ 5, पंक्ति 1, "(5)" *के स्थान पर* "(4)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

8. कि पृष्ठ 5,- पंक्ति 34 और 35 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए; अर्थात्

"14. (1) परिषद् का शासी निकाय होगा जो परिषद् द्वारा गठित किया जाएगा।"

9. कि पृष्ठ 5,- पंक्ति 39 और 41 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

"14. (3) ऐसी तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, भारत का उपराष्ट्रपति शासी निकाय का पदेन सभापति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

10. कि पृष्ठ 6,- पंक्ति 12 और 13 *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए-

"15. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जिसे महानिदेशक के रूप में पदनिहित किया जायेगा और परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

11. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 24 में "केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से" शब्दों का *लोप* किया जाए।

12. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 33 का *लोप* किया जाये।

13. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 32 और 34 में "(ग)" *के स्थान* पर, "ख" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

14. कि पृष्ठ 8, पंक्ति 36 में "(घ)" के *स्थान* पर, "(ग)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

15. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "(ङ)" के *स्थान* पर, "(घ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

16. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 30 में "(च)" के *स्थान* पर, "(ङ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

17. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 50 में "(छ)" के *स्थान* पर, "(च)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

18. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 70 में "(ज)" के *स्थान* पर, "(छ)" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

19. कि पृष्ठ 9, पंक्ति 10 में "केन्द्रीय सरकार" के *स्थान* पर, "शासी निकाय" *प्रतिस्थापित* किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगमोहन: मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.10 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक–*जारी*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 की धारा 5 और 6 को संशोधित करने वाला एक साधारण विधेयक है। खण्ड 2 और 3 हैं। खंड 2 में व्यय संबंधी भत्तों का उल्लेख है। इनका 1985 के अधिनियम में पहले ही वर्णन किया गया है। इनको दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में बहुत कम राशि प्रदान की जा रही है।

दूसरे, उड़ान टिकटों के संबंध में वर्तमान छः वापसी यात्राओं के स्थान पर उनको बढ़ाकर एक वर्ष में 48 एकल यात्रा किया जाना है। ये दो छोटे परिवर्तन हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के अथवा स्थायी समिति को भेजे बिना पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सी.एच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण गरीब लोगों के समक्ष आ रही गम्भीर समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे - श्री बिक्रम केशरी देव

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और कार्य मंत्रणा समिति का धन्यवाद करता हूं। यह एक अति महत्वपूर्ण मामले के संबंध में है जो कि न केवल आज का है बल्कि पूर्व समय और भविष्य का भी है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह नहीं होगा। यह मामला देश के विभिन्न भागों में गरीबी उपशमन तथा खाद्यान्नों की अनुपलब्धता से संबंधित है।

महोदय, यह देखा गया है कि गत 50 वर्षों में काफी उपलब्धियां हासिल की गई हैं परन्तु आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी हैं; वहां पद-दलित लोग हैं; वहां पिछड़ापन है और भोजन की कमी भी है। इसलिए, इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा तभी हम यहां की गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन कर सकते हैं।

मैं यहां इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब 54 वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। यह वह समस्या थी जिससे हमें गम्भीरता से निपटना था। आज हमें उल्लेखनीय उपलब्धियां और आर्थिक प्रगति हासिल हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन तीन गुणा बढ़ गया है। हम विश्व में दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मानव कोशल का असाधारण विकास हुआ है। आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ी प्रगति हुई है। आज हम संचार उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते हैं और अपना नाभिकीय संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। परन्तु इसके साथ ही नकारात्मक पक्ष यह है कि दो-तिहाई आबादी गरीबी-रेखा के नीचे है। महोदय, इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पहली श्रेणी में कम से कम 300 मिलियन लोग आते हैं जो कि धोर गरीबी में रह रहे हैं और जिनके लिए दो वक्त का भोजन जुटाना एक बड़ी समस्या है। इसके बाद दूसरी श्रेणी में निम्न आय वाले अन्य 300 मिलियन लोग आते हैं जो अपने मूल पारिश्रमिक से एक दिन में दो वक्त का भोजन जुटा सकते हैं परन्तु वे बुनियादी सुविधाओं तथा सुख साधनों जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक हैं, का उपयोग नहीं कर सकते। महोदय, ये 600 मिलियन लोग वे लोग हैं जिनकी गरीबी का उन्मूलन किया जाना है।

परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख है कि गत 54 वर्षों में इस काम को ईमानदारी से नहीं किया गया। आपको देश में हर भाग गरीब मिल जाएंगें। मध्य प्रदेश में सतना और चित्रगूढ़ और महाराष्ट्र में नांदूर क्षेत्र का मामला लें जहां ऐसे आरोप थे कि 2000 लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के कारण मर गए। इसके बाद, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्रों में यह आरोप लगे थे कि भुखमरी के कारण मौतें हुई हैं। वहां कौन सी सरकार है। वह कांग्रेस दल द्वारा शासित कांग्रेस सरकार है। मेरा कहना है कि यह एक सामान्य सी आदत बन गई है। जब कांग्रेस दल उड़ीसा में शासन कर रहा था उस समय भी कालाहांडी तथा अन्य क्षेत्रों में भूख से मौतें हुई थी।

मुझे इस बात की खुशी है कि यह बहस मूल रूप से उस समय चल रही है जब विपक्ष के नेता उठे और उन्होंने भूख से होने वाली मौतों का उल्लेख किया। संभवत: 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' की यह खबर थी। समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर इसे "मैंगो करनेल्स, वाइल्ड फ्रूट्स आर स्टार्वेशन डेथ्स" के रूप में दर्शाया गया है। संयोग से यह निर्वाचन क्षेत्र जहां भूख से मौतें होने का संदेह हैं, उड़ीसा के पूर्व मुख्य मंत्री से संबंधित है। इन्होंने वहां से एक मध्यावधि चुनाव जीता था। परन्तु आज तक भी वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है और वहां बहुत खराब स्थिति है। वस्तुत: यह एक विवादग्रस्त क्षेत्र है। इसलिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखना है कि हमारा देश इस दलदल से कैसे बाहर आ सकता है जिससे हम बदनाम हो रहे हैं। यह कार्य तीन वर्षों में नहीं हो सकता है। हम केवल तीन वर्ष पूर्व ही सत्ता में आए हैं।

हमें बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधान मंत्री ने उड़ीसा राज्य के सूखा प्रवण, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में गरीबी का मुकाबला करने हेतु 1998 में लाल किले से 'के.बी. के कार्यक्रम' की घोषणा की थी। इसे 'के.बी. के' के नाम से जाना जाता है।

आप देखेंगें कि गरीबी के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में बहुत पहले 1970 में ही श्री वी.एन. दांडेकर और श्री नीलप्पन ने कहा था कि 30-35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि यह 85 प्रतिशत था। इसके बाद 1987-88

में गरीबी-रेखा के संबंध में विशेषज्ञ दल की गणना 39 प्रतिशत थी। इसके पश्चात 1993-94 में जब श्री नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे तो योजना आयोग ने इन लोगों का आंकड़ा प्रतिशत 19 बताया था। इसका अर्थ है कि उनके काल में सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है क्योंकि सबसे अधिक घोटाले उस काल में ही हुए।

जब प्रधान मंत्री उड़ीसा गए थे तो उन्होंने 4,000 करोड़ रु. के 'के बी के' कार्यक्रम की घोषणा की थी। एक दीर्घावधि कार्य-योजना की घोषणा की गई थी। परन्तु यह कभी लागू नहीं हुई और उन्हें जो पहला आवंटन किया गया वह 1 करोड़ रुपये का था। वह भी मृदा-परीक्षण हेतु चला गया। आपने इन क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए सात वर्ष में खर्च किए जाने वाले 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके पश्चात योजना आयोग से खबर आई। 1996-98 में संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान योजना आयोग ने कहा कि 36 प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा के नीचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (इंटरनेशल कांउसिल ऑफ रिसर्च इन इंटरनेशनल इकानॉमिक रिलेशंस) ने कहा है कि गरीबी 39 प्रतिशत पर स्थिर है। अत: इस बारे में बहुत से मत हैं कि कितने लोग गरीबी-रेखा के नीचे रह रहे हैं। परन्तु यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का केन्द्रीकरण पूरे देश के विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में है। हमारा उद्देश्य उनकी समस्याओं से निपटना तथा उनका समाधान करना होना चाहिए।

गरीबी-रेखा के संबंध में अब यह स्थापित हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी ग्रहण किए जाने के अनुसार 300 मिलियन लोग गरीब-रेखा के नीचे हैं।

सायं 6.20 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

इसको ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि इन पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को भोजन मुश्किल से मिल पा रहा है परन्तु हमारी सरकार उन्हें भोजन देना चाहती है। हमारे माननीय मंत्री यहां हैं। इस सम्मानीय सभा में इन्होंने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है लेकिन राज्य उन्हें उठा नहीं रहे हैं। राज्य खाद्यान्न को नहीं ले रहे हैं और लोगों को नहीं दे रहे हैं।

'अंत्योदय योजना' है और काम-के बदले अनाज कार्यक्रम भी है। लेकिन राज्यों का आवंटित खाद्यान्न ही उठाया गया। यह देखने में आया है कि गत कुछ वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। इसको ठीक ढंग से करना पड़ेगा। अन्यथा, काफी लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा।

कुछ और आंकड़े हैं जिन्हें मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी विश्व में प्रत्येक कुपोषित बच्चों में से दो भारतीय हैं। कितनी शर्म की बात है। हम विश्व में औद्योगिक रूप में विकसित होने वाले 12 राष्ट्रों में से एक हैं परन्तु अभी भी विश्व में प्रत्येक पांच कुपोषित बच्चों में से दो भारतीय हैं। 40 प्रतिशत अर्थात् भारत में विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं। गत पचास वर्षों में अधिकांश समय सरकार कौन चला रहा था। ग्यारहवीं लोक सभा तक इस देश पर कौन शासन कर रहा था? यह शर्म की बात है? आज हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उस गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने गत 50 वर्ष में विकास को पूरी तरह रोक दिया था। हम एक परिवर्तन चाहते हैं। राजग सरकार एक परिवर्तन करना चाहती है और भारत के लोगों ने उसके लिए जनादेश दिया है। इस जनादेश के साथ हमारी लोक सभा के कार्यक्रम के अंत तक कुछ परिणाम प्राप्त करने की योजना है।

यह भी देखने में आया है कि अधिकांश ग्रामीण लोगों को संतुलित आहार नहीं मिलता। उन्हें भारत में संतुलित आहार नहीं मिलता और वे स्थानिक कुपोषण के शिकार होते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-देखरेख क्षेत्र जिससे कि सीधे तौर पर स्वस्थ नागरिकों का निर्माण होता है, की भारी उपेक्षा की गई है। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। देश में 85 प्रतिशत गर्भवती माताएं आज भी रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। ये सभी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। ये सभी समस्याएं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने खड़ी हैं। यह एक चुनौती हैं। हमें इन्हें उखाड़ फेंकना पड़ेगा।

यद्यपि, जीवन संभावना 1952 में 32 वर्ष की तुलना में 1995 में 61 तक पहुंच गई है परन्तु आज भी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान म्यांमार तथा वियतनाम से नीचे है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो अथवा सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर हो, हम पूर्वी एशियाई चीतों से मुकाबला नहीं कर सकते। हम जापान की प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाते हैं। मैं समझता हूं कि मैं गरीबी के मुद्दे से भटक रहा हूं परन्तु यह भी अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण प्रगति से जुड़ा हुआ है। यदि मैं चीन की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे कम्यूनिस्ट मित्र प्रसन्न होंगे। चीन में उन्होंने नीति को पूर्णतया बदल दिया है। उन्होंने उदारवादी रुख अपना लिया है।

वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुला रहे हैं और चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्व में सबसे अधिक है। लीक हटकर एक नया मोड़ लेने के पश्चात उनकी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): क्या आप उसका अनुसरण कर सकते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: यदि आवश्यक हो तो हम अच्छी बातों का अनुसरण करेगें परन्तु हम सभी बातों का अनुसरण नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, यदि आप इजाजत दें, तो मैं एक बात माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि चीन की तुलना यहां से मत कीजिए। चीन अपनी शर्तों पर विदेशियों को बुला रहा है, इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं। वह वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों की अनुमति के बिना और उनकी सहमति के बिना विदेशी इनवेस्टमेंट नहीं कर रहा है और हमारे यहां तो सरकार ने खुली छूट दे दी है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: चीन ने सीमाएं खोल दी हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का विरोध नहीं कर रहा हूं और न मैं उनकी कोई आलोचना कर रहा हूं। मैं तो उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि चायना में जितना भी विदेशी निवेश हो रहा है वह वहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों की अनुमति और सहमति से हो रहा है। यह बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, यह अच्छी बात है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी सरकार ने तो आंख मूंद कर विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: हम भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया विषय से मत हटिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: ठीक है महोदय। यह देखा गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): कोई चाइनीज कम्पनी नहीं है। सब अमरीकन कंपनी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, हम चाइना को छोड़कर केवल हिंदुस्तान में रहें तो अच्छा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री स्वाइं आप ऐसे बात नहीं कर सकते।

श्री बिक्रम केशरी देव: स्वास्थ्य क्षेत्र में हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल दो प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुबंध के अनुसार बजट से छः प्रतिशत स्वास्थ्य देखरेख पर खर्च किया जाना चाहिए। हमारा खर्च बहुत कम है। हम केवल दो प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में यह सामान्य प्रक्रिया रही है। हमें आशा है कि भविष्य में स्वास्थ्य देखरेख पर हमारे व्यय में वृद्धि होगी। अतः एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद में डिस्ट्रेस इन्डेक्स से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। 'बुनियादी सफाई सुविधाओं जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, से रहित लोगों की संख्या 640 मिलियन है। गत 50 वर्षों में हम लोगों के लिए स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण नहीं कर सके हैं। हमने नए कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं ताकि और लोगों को स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

जैसा मैंने पहले कहा है भारत की 15 से 49 आयु-वर्ग में लगभग 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं जबकि एक तिहाई जो कि 16 वर्ष से कम की हैं बाल-श्रम के लिए बाध्य की जाती हैं।

हम 50 से अधिक वर्षों से स्वतंत्र हैं हम इक्कीसवीं सदी में हैं। हमारे पूर्ववर्तियों ने पूर्व सरकारों ने, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने "गरीबी हटाओ" तक "रोटी, कपड़ा और मकान" जैसे नारे दिए परन्तु कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

आवास की बात करें तो मुम्बई जैसे महानगरों में 47 प्रतिशत लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। चौंतीस मिलियन परिवारों के पास तो रहने की जगह भी नहीं है। प्रति परिवार 5 व्यक्तियों का औसत माने तो भारत में 170 मिलियन लोगों के सिर पर छत नहीं है। इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों में यह वह धरोहर है जो हमें पूर्व सरकारों से विरासत में मिली है। हमें इसका समाधान करने में कुछ समय लगेगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार न बोलें।

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं 2000-2001 के केंद्रीय बजट से उद्धृत कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्ष जी की अनुमति के बिना आप इस तरह बैठ नहीं सकते और इस तरह बोल नहीं सकते।

[हिन्दी]

श्री बिक्रम केशरी देव: आप यूनियन बजट 2001-2002 की किताब ले लीजिए। इसको देखिए। इसमें पूरा लिपिबद्ध है कि तीन साल में हमारी सरकार ने क्या किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और उनकी ओर न देखें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, अब मैं के बी के क्षेत्रों की बात करता हूं, जिसके संबंध में विपक्ष के नेता इस पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होने के बावजूद भी भूख से मौतों का मुद्दा उठाया गया था। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा इस सभा में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न नहीं उठाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यह आरोप लगाया गया है कि काशीपुर में भूख से मौतें हुई है।

महोदय, मेरे पास उस क्षेत्र के कलेक्टर का एक पत्र है। कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में मौतों का कारण भुखमरी नहीं था बल्कि यह जहरीला खाद्य ...*(व्यवधान)* और कुछ जड़े आदि खाने के कारण हुआ था...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): उन्होंने जहरीला भोजन क्यों खाया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब आपकी बारी आए तब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं रिपोर्ट दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: यह भ्रामक है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह उनका विचार है। आप अपना विचार उन पर नहीं थोप सकते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): खाने में जहर किसने मिलाया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: किसी ने भी खाने में जहर नहीं मिलाया...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह विषाक्त भोजन के बारे में न कि भोजन में जहर मिलाने के बारे में रायगढ़ के कलेक्टर के पत्र को पढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: यह कैसे हुआ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस तरह कैसे खड़े हो सकते हैं। कृपया बैठ जाइयें।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, यह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* हम वर्तमान भाजपा सरकार के शासन में उड़ीसा में भूख से मौतें नहीं होने देगें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण आप वर्तमान संशोधन नियमों के बारे में जानते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, उच्चतम न्यायालय में 1985 में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। उस समय केंद्र तथा उड़ीसा राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। एक जांच कराई गई थी। उच्च न्यायालय ने भी जनहित याचिका संख्या ओ जी सी 3157/86 और अरे जी सी संख्या 525, 1989 को स्वीकार किया है। कालाहांडी जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में भुखमरी से हुई मौतों की जांच की जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। जांच के निष्कर्षों से उजागर हुआ है कि वहां भुखमरी से मौतें हुई हैं। उस समय केन्द्र के साथ-साथ उड़ीसा राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने भी एक याचिका दायर

[श्री बिक्रम केशरी देव]
की है। हमने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जांच शुरू हुई थी और भुखमरी से मरने की पुष्टि हुई थी। ये सभी सबूत है।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की है यह सरकार कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट से गरीबी का उन्मूलन कर देगी। पहले कभी किसी प्रधान मंत्री ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। उन्होंने इस देश के गरीबों, पद दलितों और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए अपनी चिन्ता जाहिर की थी। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए राजनीति इच्छा शक्ति है पूर्ववर्ती सरकारों में इस इच्छा शक्ति की कमी थी। हमारी सरकार के पास इसे प्राप्त करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। मैं कह रहा हूं कि वहां मौतें हुई हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री बिक्रम केशरी देव: हमारी सरकार ने दीर्घ-कालिक कार्य योजना को शुरू करने और लागू करने का निर्णय किया है। केन्द्र सरकार ने राज्य से, श्री नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू की गई कार्य योजना की तरह नहीं, जो कालाहांडी में उनके राजनीतिक भाषण पर आधारित थी और जो कभी शुरू नहीं हुई, दीर्घ-कालिक कार्य योजना तैयार करने को कहा है हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में संशोधित दीर्घ-कालिक कार्य योजना को लागू करने का निर्णय किया है यहां पचहतर प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

मैं रायगढ़ जिले का कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है। ये कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट केबीके जिलों में और रायगढ़ जिले में स्थित काशीपुर, जहां ये तथाकथित मौतें हुई हैं, के पिछड़ेपन का सूचक हैं।

इस क्षेत्र की 72.03 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यहां भारी वर्षा होती है लेकिन इस वर्ष पर्याप्त फसल नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप कोई रोजगार नहीं हैं। दीर्घकालिक कार्य योजना की मंजूरी दिये जाने के बाद यहां कार्य शुरू हो जाएगा चावल की फसल बहुत कम है और संपूर्ण रायगढ़ जिले में गेहूं की फसल मांग 26 क्विंटल है। यह स्थिति इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन का ये संकेत मात्र है। इसलिए लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दीर्घकालिक कार्य योजना के स्वीकृत किये जाने के पहले की अवधि के दौरान हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इस वर्ष उन्होंने लगभग 179 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। मैं जनजातीय कार्य मंत्री और उनके मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए जनजातीय छात्रावासों की मंजूरी दी है। आप देखेंगे कि इन जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर लगभग 80 प्रतिशत है। वे प्राइमरी स्तर से आगे नहीं पढ़ पाते। वे दूसरी अथवा तीसरी कक्षा में ही स्कूल छोड़ देते है। इसलिए इस प्रवृति को रोकने के लिए जनजातीय छात्रावास बनाए गए हैं। बोलंगीर में 25 छात्रावास कालाहांडी में 25 छात्रावास, कोरापुट में लगभग 105 छात्रावास मल्कानगिरी में 53 छात्रावास न्यूपाड़ा में 36 छात्रावास, रायगढ़ में 92 छात्रावास और सोमपुर में 8 छात्रावास बनाए गए हैं।

मैं जल संसाधन मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज दिया है। इस क्षेत्र में गरीबी सूखा पड़ने से संबंधित है। सूखा पड़ने के कारण पलायन हो रहा है। लोग अपने घर-द्वार छोड़ रहे हैं। सूखे के कारण अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है जबकि हकीकत यह है यहां बहुत सारी नदियां है। ए आई बी पी कार्यक्रम को 'के बी के' क्षेत्र में जोरों से चलाया जा रहा है और इसका 90 प्रतिशत आवंटन केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत आवंटन राज्य सरकार से होता है। इन परिस्थितियों में हमें गरीबी के गर्त से उबरने और उस पक्ष को सदस्यों द्वारा भुखमरी से हो रही मौतों के लगाए जा रहे आरोपों से निकलने की उम्मीद हैं। वे अपने आपको को देखें कि उन्होंने इन क्षेत्रों के लिए पिछले पचास वर्षों में क्या किया।

छत्तीसगढ़ में भी पिछड़े क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय सदस्य हमारे सामने दांई ओर बैठे हैं। वे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। पूर्व में इस स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। भले ही यहां विपुल प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा हो फिर भी हाल के वर्षों में लोग अपने बच्चे को बेच रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव ने वहां बच्चों को बेचे जाने की बात कही थी वे सही है।

इन क्षेत्रों में बच्चों को बेचा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: आप क्या जवाब देंगे कि मैंने कहां के लिए बोला है।

श्री बिक्रम केशरी देव: हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: उड़ीसा नहीं पूरे देश में है। मैंने सबका नाम लिया है। यू.पी. का भी नाम लिया, बिहार का भी लिया है।

श्री बिक्रम केशरी देव: लेकिन दरिद्रता क्यों है। यह किसकी देन है...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को गाली देकर कब तक जिंदा रहोगे।

श्री बिक्रम केशरी देव: हम गाली नहीं दे रहे हैं। अगर इसको गाली बोलेंगे तो हमे बड़ा दुख होगा।

[अनुवाद]

महोदय, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 80 प्रतिशत महिलाएं द्वितीय कक्षा भी पार नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। उन क्षेत्रों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आप लोग भ्रम में न रहे, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि दरिद्रता को दूर कर देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री बिक्रम केशरी देव: सभापति महोदय, आप मुझे बहुत कम समय दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आप पहले ही पर्याप्त समय ले चुके हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया हैं।

जो भी हो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार संशोधित दीर्घ-कालिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि देश में दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों की समुचित देखभाल हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं आज हिन्दी में बोलने का प्रयास करने जा रहा हूं। हमारी टूटी-फूटी हिन्दी को आप समझ लेंगे और उस पर हंसेगे नहीं, ऐसा मैं मानता हूं।

श्रीमन्, यह विषय बहुत ही गम्भीर है। इस विषय का सम्बन्ध भूख से है। भूख से होने वाले कुपोषण से है। कुपोषण और भूख कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं होती है। भूख पेट की होती है। ईस भूख की ओर, कुपोषण की ओर और भूख से जो लोग मरे हैं उनकी ओर पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होगा, हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों को गालियां देंगे और सरकार में बैठे हुए लोग एक अच्छे वकील जैसा अपना रक्षण करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसको पार्टी लाइन से अलग होकर सोचेंगे, तभी यह प्रश्न या समस्या हल हो सकती है।

कल यहां पर बहस हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया जी ने अपने विचार प्रकट किए। सम्मानित सांसद मुलायम सिंह जी, सोमनाथ जी और दूसरे सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किए। उनका जवाब महाजन जी ने दिया। मुझे उनके भाषण में कोई पार्टी लाइन नहीं देखने को मिली। वे पार्टी के स्तर से ऊपर उठ कर भूख की भाषा समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास अनाज है और उसके साथ-साथ भूख है और भूख से लोग मर रहे हैं।

इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना चाहिए, ऐसा वह कह रहे थे। किसी ने भी उड़ीसा का नाम नहीं लिया। भूख महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में है, इसको समझकर बोलने की कोशिश की और हमें अच्छा लगा कि माननीय प्रमोद महाजन जी ने उसका जवाब देते हुए इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक जिम्मेदार मंत्री के जैसे जवाब दिया और कल इसीलिए यह तय हुआ कि प्रश्न गंभीर है। उसका जवाब प्रमोद महाजन जी ने दे दिया और कहा कि माननीय मंत्री जी सीनियर हैं, समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, शायद उनको इसकी इत्तला नहीं थी, इसीलिए वहां उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता तो माननीय मंत्री महोदय को हम यहां उपस्थित रखते और सरकार की इस पर क्या नीति है, इसके संबंध में शायद वह बोल सकते। लेकिन यह नहीं हुआ और इस विषय पर दूसरे लोग बोलने वाले थे, इसलिए आज की यह चर्चा यहां हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसी दृष्टि से हम देखें। हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं प्रश्न समझने के लिए और प्रश्न हल करने के लिए यहां चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करने के लिए हम बोलेंगे, दूसरी किसी चीज के लिए नहीं बोलेंगे। आज की चर्चा शायद इसी ढंग से हो तो ज्यादा उपयुक्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस ढंग से नहीं हुई तो उसका कोई उपयोग नहीं है। हम यहां बैठे हुए हैं, सदन में सदस्य कम हैं, इसका मतलब है कि यह चर्चा गंभीर है, जब चर्चा राजकीय स्वरूप की

[श्री शिवराज वि. पाटील]

होती है और सदन में लोग ज्यादा होते हैं तो यहां गड़बड़ भी होती है और उससे कुछ नहीं निकलता है। आज लोग कम हैं, इसका मतलब है कि चर्चा गंभीर है और इसीलिए लोग कम हैं और इसलिए हमें बोलने और सोचने का मौका भी है। अगर हम कुछ कर सकें और उसके बाद सबके लिए मिलकर कुछ करने का मौका है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यहां केवल उड़ीसा में क्या हुआ या कश्मीर या राजस्थान या महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह चर्चा केवल इस तक ही सीमित नहीं है, यह सवाल इससे बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग भूखे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती। उनकी तरफ से बोलने वाले भी कम हैं। सदन के अंदर भी बोलने वाले हैं, सदन के बाहर भी हैं। सदन में ज्यादा मजबूती से बोलते हैं लेकिन बाहर उनकी तरफ से बोलने वालों की संख्या कम है। कुछ लोग समाचार पत्रों में इस बारे में लिखते हैं, उनकी इस भावना को हमे समझना चाहिए। कुछ लोगों ने टी.वी. पर बताया है, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। भूख से जो तकलीफ होती है, उसको सहने वालों की संख्या हमारी दृष्टि में जो आई है, वह उससे कई कई गुना ज्यादा है। इस बात को हमें समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे और जो भूखा रहता है, वह बेचारा कभी बोलता नहीं है। उसकी आवाज बहुत कमजोर होती है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। इस मुश्किल से निकलने के लिए लोगों ने हमें यहां भेजा है। हम सब जिम्मेदार लोग हैं और उधर सरकार में बैठे हुए लोग तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन इधर बैठे हुए लोग जो सरकार में थे, वे भी अपनी जिम्मेदारी जानते हैं और हम पीछे की बैंच पर जो बैठते हैं, उन लोगों ने भी गरीबी देखी है। हम गांवों से आते हैं, हमने देखा है कि गरीबी और भूख क्या होती है। हमने देखा है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए लोग कैसे तड़पते हैं। हमने देखा और आप सबने देखा है, शायद उसकी चर्चा उस प्रमाण में नहीं होती है जिस प्रमाण में होनी चाहिए, यही हमारा दुख है।

यहां इस सदन में क्या कहा गया है, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि यहां पर गरीबी कितनी है। वे बता रहे थे कि बच्चों के शरीर में खून की कमी है, बच्चे एनिमिक हैं, क्योंकि उनकी मां को खाने के लिए अन्न नहीं मिला। मां को खाने के लिए अन्न नहीं मिला, इसलिए उनकी हालत बुरी है। जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, उनकी हालत तो उससे भी बुरी है। जो बच्चे काम नहीं करते हैं, बेकार हैं, उनकी हालत खराब है। जिनके पास न खेती है, न दुकान है, न कारखाना है, जिस तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पाती है, उनकी हालत खराब है। इस स्थिति में हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई पक्ष या विपक्ष की बात न करते हुए, उधर की बैंच पर बैठे हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि यहां हमारे देश में कुछ मां-बाप, सभी नहीं, को खाने को नहीं मिलता है और बच्चों की हालत ऐसी है। हमने कबूल किया है, इस सदन में कबूल किया है, हमारी कुछ बहनों को खाने को नहीं मिलता है, इसलिए वे अपने शरीर को बेचती है। यह चीज जब सुनते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सवाल सरकार का है, यह सवाल हमारी पार्लियामेंट के सदस्यों का है। मेरी दृष्टि में यह सवाल सबका है, मगर इससे ज्यादा जो व्यवस्था हमने बनाई है, उसका है।

श्री मुलायम सिंह यादव: जिम्मेदारी किसी पर नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: उसकी जिम्मेदारी आज आपकी है, कल हमारी थी। अगर आज हम आपको दोष दे रहे हैं, तो कल का दोष हमारा है। इस व्यवस्था का दोष है, इस व्यवस्था के बारे में हमको सोचना पड़ेगा-मुझे ऐसा लगता है। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, तो सवाल अलग हो जाता है।

आज हमारे देश की क्या हालत है, खुशकिस्मती की बात है कि हमारे देश में आज अनाज की कमी नहीं है। एक समय था, जब हम अनाज बाहर से मंगाकर देते थे। मैं जो बात कहने का जा रहा हूं, उससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। यह तय किया गया, श्रीमती इंदिरा ग्रांधी के समय में, कि हम हमारे देश को अन्न के मामले में स्वयंपूर्ण बनायेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस वक्त महाराष्ट में सूखा था और हमारे मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नायक जी थे, वे सदन में आए, हम पीछे की बैचेंज पर बैठते थे, उन्होंने कहा कि हमारे प्रांत में अनाज की कमी है और हम इस कमी को तीन साल में पूरा करेंगे। महाराष्ट्र अपने लोगों के लिए तीन साल के अन्दर अनाज पैदा करेगा, अगर नहीं करेगा, तो मुझे लाइट के पोल पर बांध कर फांसी लगाइए। उन्होंने यह बात निश्चय से कही थी। मैं जानता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह बात यहां पर कही थी कि तीन साल में इस समस्या को हल करना है। इस बात पर कुछ साथियों ने, कुछ मंत्रियों ने और कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह कोई जादू की काड़ी नहीं है कि तीन साल में अनाज पैदा कर लेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह काम तीन साल के अन्दर नहीं हो सकता है, तो आप बाजू में हो जाइए और जिनको लगता है कि यह हो सकता है, उनके हाथ से हम करवायेंगे। निश्चय के साथ वह काम किया गया। वह काम तीन साल में तो पूरा नहीं हुआ, चार-पांच साल में जरूर पूरा हुआ। इस पर महाराष्ट्र के विरोध पक्ष के लोगों ने उस समय नायक साहब से पूछा था - आपने कहा था कि फांसी देना, अगर अनाज तीन साल में नहीं दे सके, तो आपको किस पोल पर फांसी दे। यह ठीक है कि यह काम तीन साल में नहीं, पांच साल में हुआ और यह एक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि श्रीमती इंदिरा गांधीजी की तो थी ही, लेकिन उनके साथियों और अधिकारियों की थी।

इससे भी कई गुना ज्यादा उपलब्धि हमारे काश्तकारों और खेती में काम करने वाले मजदूरों की थी।

इसे भूला नहीं जा सकता। हमारे साथी पूछते हैं कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या कर रहे थे - सो रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 करोड़ से सौ करोड़ तक जाने पर आज हमें अनाज बाहर के देश से लाकर यहां के लोगों को देने की जरूरत नहीं है। ये उपलब्धि छोटी नहीं है। अनाज पैदा करना आसान बात नहीं है। जो मजदूर एवं काश्तकार खेत में काम करता है उसे मालूम है कि क्या करने पर अनाज पैदा होता है। उसने मेहनत करके कमाया है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। सौ करोड़ होने पर हम उन्हें अनाज दे सकते हैं, ऐसी आज हमारे देश की परिस्थिति है। इसे हम भूलना नहीं चाहते। इस उपलब्धि को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। 50 साल में क्या नहीं हुआ है। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि 50 साल में हम गोदाम नहीं बना सके। हमने 50 साल में पीडीएस तो तैयार किया, मगर हम ऐसे पीडीएस तैयार नहीं कर सके जो गांव-गांव तक पहुंच कर हर अनाज मांगने वाले, खाद्यान्न मांगने वाले तक खाद्यान्न पहुंचा सके, ऐसा हम पीडीएस नहीं बना सके। ठीक है, अगर यह कमी एवं गलती रह गई है तो क्या हमें इसे दुरुस्त नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम जब आप पर टीका कर रहे हैं तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मंत्री महोदय इसे गलत नहीं कहेंगे। अगर हमने आपको कुछ गलतियां बताई तो उसकी मदद मंत्री जी को होगी। वह अपने दूसरे साथियों को कह सकेंगे कि ऐसी परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अपने अधिकारियों को कह सकेंगे कि इस परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बोलना है तो उन्हें बोलेंगे कि इस परिस्थिति में यह करना जरूरी है। अन्न देने वाले मंत्रियों को वे बोलने जा रहे हैं कि यह करना जरूरी है। अगर हम कुछ टीका करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत मंत्री महोदय की टीका नहीं, व्यक्तिगत आपकी सरकार की भी टीका नहीं है, हमारी तो टीका है - यहां की व्यवस्था, उसके खिलाफ हमारी टीका है। उसे समझ कर कदम उठाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आज क्या परिस्थिति है - अनाज है, उसे खुला रखा गया है। वह हवा से खराब हो रहा है, पानी से सड़ रहा है और खाने वालों को नहीं मिल रहा। क्या इस व्यवस्था में हम कोई दुरुस्ती नहीं कर सकते। मुझे यह नहीं लगता कि हम भारतवासी इतने कमजोर हैं कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो देश अपने पैरों पर खड़ा होकर अनाज पैदा कर सकता है, उस देश की व्यवस्था, सरकार, उस देश के लोगों के हाथ में अनाज है, वे उसे खाने वालो तक नहीं पहुंचा सकते। उसमें वे कमजोर हैं, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर हमारा निश्चय है और एक प्रकार का कोआर्डीनेशन है, केन्द्र की सरकार में और प्रांत की सरकार, जिला परिषद, तालुका समिति तथा ग्राम पंचायत में, सिर्फ सरकार में नहीं, बाहर के मार्केट के लोगों में, सिर्फ सार्वजनिक इकाईयों में नहीं, निजी इकाइयों में है तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, मगर यह निश्चय होना आवश्यक है, वह दृष्टि रहनी आवश्यक है, तभी यह किया जा सकता है। मैं यह मानने के तैयार नहीं हूं कि हम यह नहीं कर सकते। हम लड़ाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं तथा लड़ाई में जो चाहिए वह अगर हम एक-एक, दो-दो महीने में पैदा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अनाज को खाने वालों तक पहुंचा सकते। अगर यह नहीं कर सकतें हैं तो हमारी गलती है, हम उस गलती से बाहर नहीं रहना चाहते। हमारी गलती इसलिए है कि शायद उस पर इस हाउस में जितना हमें बोलना चाहिए था, उतना नहीं बोले। आपके ऊपर हमने उतना जोर नहीं दिया कि आपको यह करना चाहिए। आपकी गलती यह है कि आपने अपने साथियों को साथ नहीं लिया, आप प्रांत की सरकार को साथ में नहीं ले सके। इसमें जो कमियां हैं, उसे दूर करने के लिए आपने कदम नहीं उठाया।

सायं 7.00 बजे

हम जो कमियां और गलतियां बता रहे हैं वह मंत्री महोदय के खिलाफ नहीं हैं बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार को और पार्लियामेंट को लेनी पड़ेगी। यह आलोचना व्यक्तिगत रूप में नहीं है कि अनाज है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। पूछा जा सकता है कि क्या किया जा सकता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं वह नयी बात नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूं हो सकता है कि आपने पहले ही सोचा हो और अपनी नीतियों में समाविष्ट भी किया हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यह काम करने के लिए व्यक्तियों को, निजी इकाइयों को, सार्वजनिक इकाइयों को और प्रांत की सरकारों को साथ में लेना पड़ेगा। साथ ही केन्द्र सरकार को नेतृत्व देना पड़ेगा और कोआर्डिनेशन बनाकर जनता और सरकार की दूरी कम हो जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या एनडीसी में इस विषय पर चर्चा हुई है और अगर हुई है तो कितनी गंभीरता से हुई है और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? क्या आप आने वाली एनडीसी में इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जल्दी में एनडीसी की मीटिंग होने जा रही है तो उसमें प्रधान मंत्री जी बैठते हैं तो क्यों नहीं जायजा इस बात का लिया जाता है कि क्या हमने कहा था और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या यह नहीं हो सकता कि प्रधान मंत्री जी उसमें बैठने वाले सारे नेताओं से

[श्री शिवराज वि. पाटील]

चर्चा करें कि इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय निकल सकता है। क्या प्रधान मंत्री जी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर चर्चा नहीं कर सकते हैं? क्या यह नहीं हो सकता है कि सरकार और फिक्की जैसे संगठन मिलकर चर्चा करें? क्या यह नहीं हो सकता है कि कोओपरेटिव्ज का जाल बिछाया जा सके? क्या यह नहीं हो सकता है कि ताल्लुका, जिला और प्रांत के अधिकारियों को बुलाकर बताया जाए कि प्रश्न बहुत गंभीर है और इस ओर काम नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर उन्हें बुलाएं और फिर से उन्हें बताएं। उनको इस ओर अग्रसर किया जाए, परसूऐड किया जाए, फोर्स किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह काम हो सकता है। उनको एक दृढ़ निश्चय, संकल्प, दिशा, दृष्टि और अपनापन देने की जरूरत है।

अगर भूख के कारण हमारी किसी एक बहन के शरीर की बिक्री होती है, अगर किसी एक भाई की मृत्यु होती है, अगर किसी बच्चे के अंग में खून नहीं है तो हमारे ह्दय से आंसू निकलने चाहिए, हमारे मन की आंखें रोनी चाहिए। इसमें एक आत्मीयता की जरूरत होती है और वह आत्मीयता आप में है। लेकिन आप व्यवस्था के शिकार हैं और उससे आपको सख्ती से बाहर निकलना चाहिए।

किन-किन प्रांतों को अनाज देना चाहिए। इस पर हमारे साथी माननीय देव जी ने कहा कि उड़ीसा की सरकार का नाम रख रहे हैं। नाम नहीं रख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: मैंने सभी राज्यों का उल्लेख किया है न कि सिर्फ उड़ीसा का।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: देश का चुनकर हिस्सा निकालिये।

उड़ीसा, महाराष्ट्र, यू.पी. और कर्नाटक का कौन सा हिस्सा है, वहां कन्सैंट्रेट कीजिए। वहां जल्दी से जल्दी अनाज दीजिए। वहां के कलैक्टरों को बुलाइए ताल्लुका अधिकारियों को बुलाइए। यदि आपने नहीं बुलाया है तो प्रान्त की सरकार उन्हें बुलाए और कहे कि इसे करना है। कम्प्यूटर हैं, टेलीफोन हैं, कभी उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और उनको रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है, सुपरवाइज किया जा सकता है, डायरैक्शन दिया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिहार और दूसरे प्रान्तों में बाढ़ आई। क्या आप यह नहीं समझते कि जब कहीं बाढ़ आती है तो वहां के लोगों को बहुत तकलीफ होती है? लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। उनको घर छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है। क्यों नहीं हम समय से पहले यह निश्चित कर दें कि जहां बाढ़ आएगी, वहां समय पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। क्यों हम बाढ़ आने तक रुके रहते हैं? हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ का प्रभाव अधिक होता है। वहां गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र बहती है। वहां बाढ़ आती है। हम समय से पहले क्यों निश्चित नहीं करते कि वहां अनाज भेजना पड़ेगा और इस दृष्टि तथा पद्धति से भेजना पड़ेगा, ट्रेन से भेजना पड़ेगा, शिप से भेजना पड़ेगा, रोड से भेजना पड़ेगा। यह पहले से क्यों नहीं निश्चित करते और एक प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? कई जगह अकाल पड़ा और कुछ जगहों में डाइवर्शन हुआ। यह निश्चित नहीं होता है कि कहां अकाल पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा? वह कभी एक जगह पड़ता है और कभी दूसरी जगह पड़ता है। हम वहां अनाज देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आपका प्लान प्रोजैक्ट है। वहां लाखों-करोड़ों मजदूर काम करते हैं। वे खून-पसीना एक करके देश के लिए सम्पत्ति का निर्माण करते हैं। वे धूप और बरसात में अपने शरीर को एक्सपोज करते हैं। उन लोगों को हम सस्ती दर पर अनाज क्यों नहीं दे सके? जितने भी प्लान प्रोजैक्ट्स हैं उनसे क्यों नहीं दे सकते? हमारी रोजगार योजनाएं हैं। वहां काम करने वाले सारे मजदूरों को अनाज देने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? जवाहर रोजगार योजना है। उनमें काम करने वाले, लोगों के लिए हम व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के शरीर में खून नहीं है। हम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? यदि अनाज सड़ रहा है तो बच्चों को मुफ्त अनाज दें। इसमें क्या बुरी बात है? बीमार लोग कितने हैं? उनके लिए अस्पताल में अनाज की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके? बेकार लोगों को अनाज देने की जरूरत है। क्यों नहीं हम उनके लिए अनाज की व्यवस्था करते? अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर व्यवस्था करेंगे तो स्थिति में सुधार हो सकता है। आज की जरूरत क्या है? एक नीति बनाने की जरूरत है। शायद सरकार ने नीति बनाई है। यदि बनाई है तो उस पर अमल करने की जरूरत है। यदि उस पर अच्छी तरह से अमल नहीं हो रहा है तो अमल अच्छी तरह से हो, उसे देखने की जरूरत है। यदि नीतियों में कुछ गलतियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करने की जरुरत है। यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां अलग-अलग हैं तो उनमें कोआर्डिनेशन लाने की जरूरत है। जब भी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो दो-तीन प्रकार का जवाब सुनने को मिलता है और हम चुपचाप बैठ कर सुनते हैं। एक जवाब यह आता है कि पचास साल से आपने क्या किया। ठीक है, पिछले पचास साल हमने गलती की लेकिन अब आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? 50 साल में हमने अनाज पैदा किया। आप साल भर में वह अनाज खाने वालों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? यदि सौ करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना बना सकते हैं तो पैदा किया अनाज

खाने वाले तक पहुंचाने की व्यवस्था या प्लान आप कर सकते हैं या नहीं? यदि नहीं कर सकते हैं तो यह जिम्मेदारी किस की है? पीडीएस ठीक नहीं है। उसका दोष भी पहले की सरकार का है लेकिन आप इसे दरुस्त करेंगे या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो कितने दिन नहीं करेंगे? दूसरे प्रकार से जवाब दिया जाता है कि हमारे पास अनाज है, हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। यदि प्रान्त की सरकार नहीं ले रही है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा जवाब दिया जा सकता है? प्रान्त की सरकार और केन्द्र सरकार अलग-अलग सरकारें नहीं है।

भूख के लिए वह अलग सरकार नहीं है। देश के लिए वह अलग सरकार नहीं है। केन्द्र का अपना एक भी आदमी नहीं हैं, एक इंच भी जगह नहीं है। आप एक कोऑडीनेटिंग एजेन्सी हैं। केन्द्र का कोई प्रान्त नहीं है। केन्द्र का कोई नागरिक नहीं है। सब कुछ प्रान्त का है, मगर उसे लीडरशिप देने का काम केन्द्र को करना है। केन्द्र को कोऑर्डीनेट करने का काम करना है। केन्द्र प्लान करने का काम करना है। आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, यह बताने का काम केन्द्र को करना है। अगर यह काम केन्द्र नहीं कर रहा है तो शायद केन्द्र की गलती है। लीडर आप हैं, आपको कोऑर्डीनेट करना पड़ेगा। आप इतना कहकर नहीं बैठ सकते कि हम अनाज देने के लिए तैयार हैं, वे अनाज क्यों नहीं ले गये। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे मंत्री महोदय चीफ मिनिस्टर को बतायें कि तुम्हारे यहां हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हमने अनाज दिया है आपने क्यों नहीं उठाया है, कृपा करके आप यह अनाज ले जाइये। इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है हमारी भी है। आप ऐसा कह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कहा तो इस बारे में कौन बुरा मानेगा। आपके अधिकारी वहां के अधिकारियों से यह कह सकते हैं या नहीं कह सकते। यह सारा ब्यौरा आप कंप्यूटर पर रख सकते हैं। टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। आजकल तो सैलफोन उपलब्ध हैं। गाड़ी में बैठे-बैठे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर यह नहीं हुआ है तो ठीक नहीं हुआ है। इसे किया जा सकता है। अगर नहीं हुआ है तो हमारी प्रार्थना रहेगी कि यह होना चाहिए।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये कोई नई बातें नहीं हैं, सब पुरानी बातें हैं, आपने भी सोचा होगा, इसके ऊपर अमल किया होगा। अगर अमल अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो उसे अच्छे ढंग से अमल कराइए। इसमें अगर कुछ गलती रह गई हैं तो उन्हें दुरुस्त कराइए। मैं आपके सामने कांस्टीट्यूशन के दो-तीन आर्टीकल रखना चाहता हूं, जिनसे पता चलेगा कि किसी भी कितनी जिम्मेदारी है। केन्द्र की सरकार यह नहीं कह सकती है। हमें देखने को मिलता है और जब हम राज्यों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, हम क्या करें, केन्द्र ने पैसा नहीं दिया। अकाल पड़ा, हजार, दो हजार करोड़ रुपये मांग लिये, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, हम क्या करें। प्रान्त में भी कहा जायेगा, प्रान्त की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते। मगर भूखे अनाज के बिना मर जायेंगे, जबकि आपके सारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह भूखों की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केन्द्र की है, प्रान्त की है, आपकी है और हमारी भी है। क्योंकि इतने तीखी तरह से हमने इस प्रश्न को आपके सामने पहले नहीं रखा। हम पोलिटिक्स करते रहे, ऐसे प्रश्नों पर विचार कम करते रहे। हम प्लान पर विचार नहीं करेंगे, भूख पर विचार नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर विचार नहीं करेंगे, संरक्षण पर विचार नहीं करेंगे, परदेश नीति पर विचार नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पर दोष लगाने का काम करते रहेंगे तो उसमे हमारी भी गलती है। उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। मगर केन्द्र सरकार अगर उठकर कहती है हम क्या करें, हम अनाज देने के लिए तैयार हैं, वे लेने के लिए नहीं आये - यह बात सही नहीं होगी।

हमारी बड़ी विनिम्रता से आपसे प्रार्थना है कि आप खुद को इतना कमजोर मत समझिये। आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, आप उन्हें परसुएड तो कर ही सकते हैं। आप डायरेक्शन दे सकते हैं और डायरेक्शन देने के बाद, अनाज देने के बाद भी अगर भुखमरी हो रही है और वहां व्यवस्था सही नहीं हो रही है तो यह पूरी तरह से ब्रीच ऑफ कांस्टीट्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन ब्रीच ऑफ कांस्टीट्यूशन का एक पार्ट जरूर हो सकता है। जिसकी वजह से सरकार को निकाला जा सकता है। उस दर तक आप नहीं जायेंगे, आपको जाना भी नहीं चाहिए। हम ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन केन्द्र इतना कमजोर नहीं है, इतना हथबद्ध नहीं है। अगर केन्द्र कमजोर है तो अपनी सोच में हैं, कृति मैं है और एक प्रकार का नेतृत्व देने में कमजोर है। मैं सिर्फ यह आर्टीकल पढ़कर अपने विचारों को समाप्त करने वाला हूं। आर्टीकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है। यह स्टेट पॉलिसी ज्यादातर केन्द्र के लिए है, प्रान्त के लिए भी है और दूसरी संस्थाओं के लिए जरूरी है। मगर आर्टीकल 39 ऑफ दि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है -

[अनुवाद]

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

[हिन्दी]

हमें इसे देना पड़ेगा। आर्टीकल 39 आगे क्या कहता है-

[अनुवाद]

"बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।"

[हिन्दी]

बच्चे अगर बेचे जा रहे हैं, महिलाएं अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो कुछ पैमाने पर यह जिम्मेदारी हमारी भी है। आर्टिकल 43 क्या कहता है।

[अनुवाद]

"कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि"

"राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को....."

[हिन्दी]

अनाज है और कोई खरीद नहीं सकता। क्यों खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसा बचाने के लिए नफा और नुकसान की बात करने के लिए, कोई मरे या भूखा रहे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर): मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सभी अनुच्छेद प्रासंगिक है अथवा नहीं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हां।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यदि हां, तो हमने क्या किया है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया आप विषय से बाहर न जाइए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब आपको मौका मिलेगा आप पूछें।

श्री शिवराज वि. पाटील: क्यों? मैं प्रांसगिक अनुच्छेदों को उद्धृत कर रहा हूं। मैं अप्रांसगिक अनुच्छेदों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे संविधान की चर्चा नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि ये अनुच्छेद सरकार पर कतिपय नीतियों को तैयार करने हेतु कदम उठाने और तद्उपरान्त उन नीतियों को लागू करने की बाध्यता डालते हैं। मैं नीति निर्देशक तत्वों सम्बंधी समूचे अध्याय अथवा संपूर्ण संविधान या अन्य किसी गलत परम्परा की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तत्पश्चात अनुच्छेद 47 कहता है:

"राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा......"...*(व्यवधान)* मैं प्रासंगिक अनुच्छेदों को पढ़ रहा है। अन्य बातें अप्रासंगिक है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे बोल रहे हैं। बाधा न डालें। व्यवधान न डालें।

श्री शिवराज वि. पाटील: आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो स्वीकार्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कि देश के मूल कानून द्वारा ये अनुच्छेद और निर्देश भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी दिये गए हैं इन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों के बीच तथा अन्य संगठनों जैसे जिला परिषद, ताल्लुका, समितियों और पंचायतों के स्तर पर सहयोग और समन्वय स्थापित करना होगा। अब कृपया भगवान के लिए इसे घाटे और लाभ के सिद्धांत से नहीं जोड़े। जीवन की क्षति की प्रतिपूर्ति किसी धनराशि से नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

मृत्यु की कोई कीमत नहीं होती और मैं कहना चाहता हूं कि यह काम मार्केट फोर्सेज़ करने वाली नहीं हैं। मार्केट फोर्सेज का अपनी जगह पर महत्व है व्यापार बढ़ाने के लिए मगर गरीबों की, भूखे लोगों की संख्या ग्रामीण भागों में ज्यादा है। हिमाचल तो पहाड़ी इलाका है, वहां और ज्यादा है। आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वहां की हालत आपको मालूम है। कितनी बार आपकी आंखों में खून में आंसू आए होंगे यह हमें मालूम है और आपको मालूम है। हमने देखा है, नज़दीक से देखा है। इसके लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का सवाल नहीं है। यह सिर्फ जो लोगों की मदद कर रहे हैं और अन्न की मद में पैसा बचाने का सवाल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, भूख और पेट का सवाल है, इंसानियत का सवाल है। अगर इसमें गलती की तो मुलायम सिंह जी ने यहां जो कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा मगर यहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, सोमनाथ जी ने कहा। मुलायम सिंह जी ने जो कहा, वह उनके विचार तो हैं ही, मगर

इसके बावजूद लोगों के मन में जो विचार आते हैं वे यह हैं। कुछ लोग हैं जो सहन कर लेंगे और कहेंगे कि जैसा भगवान ने लिख दिया है, वैसे रहेंगे, मगर कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? कुछ लोग ऐसी हालत में कहेंगे कि अनाज है तो हम भूखे क्यों मर रहे हैं?

सभापति महोदय, हम भूख से नहीं मरना चाहते, हम गोली खाकर मरना चाहते हैं। अगर ऐसा ख्याल यहां बैठे हुए व्यक्ति के मन में आता है, मुख्य मंत्री रहे व्यक्ति के मन में आता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति के मन में आता है और उनके कान तक यह बात पहुंचती है, तो क्या यह नहीं सोचना चाहिए की कुछ लोग हमारे देश में ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसे विचार आते होंगे। यह बात और है कि ऐसा होने पर यह माल जिनके हाथों में जाना चाहिए सिर्फ उन्हीं के हाथों में जाएगा बल्कि जो लूटने वाले हैं उनके हाथों में जा सकता है, गलत जगह भी जा सकता है। यदि मेरे मन में भी कभी-कभी ऐसी चीज आ जाती है, तो ऐसा क्यों? इसको क्यों रोक नहीं पाते, क्यों हम डर कर बैठे हुए हैं? क्या हम यह सारा व्यवहार प्रैगमेटिज्म, प्रैक्टीकलिज्म आदि को लेकर ही करते रहेंगे और उसको लेकर ही बैठे रहेंगे? क्यों हम उन प्रिंसीपल को मानने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए रैलेवेंट नहीं है? क्यों हम उन प्रिंसीपल्स को मानने नहीं जा रहे हैं जो यहां के 70 प्रतिशत लोगों के लिए रैलेवेंट है? जो प्रिंसीपल सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के लिए रैलेवेंट है, उसकी बात हम क्यों करते हैं?

सभापति महोदय, अगर इसमें हमारी कहीं गलती रही, तो यह रही है कि 70 प्रतिशत लोगों का हम शायद कहीं न कहीं ख्याल छोड़ते जा रहे हैं। पूरी तरह नहीं छोड़ा है, आपने भी नहीं छोड़ा है। यह दोष मैं आपको नहीं लगा सकता, लेकिन यह सही है कि कहीं न कहीं इसमें जरूर कमी आ रही है। यह माना जा रहा है कि पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यह महत्व का है। इंसान महत्व का नहीं है, अपनापन महत्व का नहीं है, लोगों की जान महत्व की नहीं है।

सभापति महोदय, अगर किसी को सरकारी नौकरी से निकाल दिया, तो यह सोचा जा रहा है कि इतना पैसा बच गया, लेकिन यह विचार नहीं किया गया कि उसको सरकारी नौकरी से निकालने के बाद, उसकी क्या हालत होगी, उसके घर वालों की क्या हालत होगी, इसे शायद नहीं सोचा जा रहा है। ऐसा मुझे लगता है। यही व्यवस्था का प्रश्न है, यही दृष्टिकोण का प्रश्न है। हमें इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हम दुनिया के सारे बड़े राष्ट्रों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उनके प्रिंसीपल्स पर भी हम जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसीपल्स हम पर लागू होते हैं, जो थ्योरी हम पर लागू होती है, वह पूरी तरह से वहां से आने वाली नहीं है। कुछ आ जाएगी, उसको हम जरूर लेंगे, परन्तु हमारा प्रिंसीपल्स ही हमको यहां लागू करना पड़ेगा। हमारा सबसे पहला कर्तव्य, आपका हमसे भी ज्यादा कर्तव्य, यहां का जो भूखा-प्यासा इंसान है, जो बीमार आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, जो छोटा आदमी है, जो महिलाएं हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके बाजू में खड़े होने का है। उसमें यदि आपने गलती की, तो आपको माफी नहीं मिलेगी। अगर किसी पैमाने पर हमने गलती की है, तो हमने उसको भुगता है। आप भी भुगतेंगे। इसलिए इस पर सोचिए। यह हमारे और आपके हित का सवाल नहीं है। कारण यह है कि न्याय होना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। यदि इससे कुछ अलग होगा, तो वह संस्था, वह पक्ष, वे लोग वहां नहीं रहेंगे जहां आज वे हैं और जो लोग न्याय करेंगे, जो लोग उनकी मदद करेंगे, अपनी ताकत के मुताबिक मदद करने आगे आएंगे, वे लोग ही बच सकेंगे, मुझे लगता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें और हमारे देश के जो कमजोर लोग हैं, उनको जितनी ज्यादा राहत दे सकते हैं, वह देने का काम करें। इतनी ही हमारी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदय, 'गोदामों का ठसाठस भरा होना और भुखमरी से मौतें' बेशक एक दुखद स्थिति है और यह तब और दुखद हो जाता है जब यह इक्कीसवीं सदी के भारत और पोखरन में परमाणु परीक्षण किये जाने के बाद होता है।

इकसठ मिलियन टन खाद्यान्न केन्द्रीय पूल में है और बफर संबंधी मानदंड 24 मिलियन टन अथवा इससे कुछ ज्यादा का है। गत तीन महीनों में न सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान अथवा हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के सभी सूखा प्रवण क्षेत्रों में भुखमरी से मौतें हुई हैं।

गलती कहां हुई है? क्या व्यवस्था में खामियां है जो मूलत: गरीब विरोधी है? क्या यह गलत नीतियां विशेषत: खाद्यान्न प्रबंधन के संबंध में नीतियों के कारण हुआ है। क्या यह निर्यात पर ज्यादा जोर और मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने संबंधी गलत नीति के कारण है जिसके फलस्वरूप किसान वर्ग प्रभावित हो रहा है? क्या यह गलत कृषि नीति के कारण है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन घट रहा है पिछले वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में 12 मिलियन टन तक की गिरावट आई थी। यह कोई छोटी मात्रा नहीं है।

अनेक ऐसे क्षेत्रों में गलतियां की गई है। उदाहरण के तौर पर सरकार चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है कि गरीबी में दस प्रतिशत की कमी आई है यद्यपि कोई भी अर्थशास्त्री जिसने इस गरीबी की

[श्री रूपचन्द पाल]

समस्या का अध्ययन किया है, इससे सहमत नहीं है। राष्ट्रीय लेखा आंकड़े भी इसके अनुरूप नहीं हैं। योजना आयोग में एक चर्चा हो रही है। यह सशक्त मत है कि आर्थिक सुधारों के बाद न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरों में भी गरीबी बढ़ी है।

मैं आपको तीन अथवा चार उदाहरण दूंगा। जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा उस समय मैं बच्चा था। उस समय यूनाइटेड बंगाल में पचास लाख लोग मर गए थे और पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति ने कहा कि "लोग गोदामों से अनाज क्यों नहीं ले रहे हैं। उस समय औपनिवेशिक शासन था। कोई प्रजातंत्र नहीं था और जमाखोरों को जितना संभव हो सके जमाखोरी करने की आजादी थी।

आज हम इक्कीसवी सदी में हैं और एक निर्वाचित सरकार है जो कांग्रेस से अलग से होने का दावा करती है। कांग्रेस ने गत 50 वर्षों के दौरान ऐसे सभी काम किए हैं जिसके फलस्वरूप गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। वही आदिवासी जनसंख्या, महिलाएं और बच्चे आज बर्बादी के कगार पर है। चाहे वे महाराष्ट्र के हों, उड़ीसा के हों, राजस्थान के हों अथवा गुजरात के हों। पहले जो लोग भुखमरी के शिकार हुए थे अब ऐसे लोग केरल में हैं और अनौपचारिक दोनों में असंगठित क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों यहां तक कि लाभकारी इकाइयों को बन्द करने की नीति के कारण यह स्थिति अब औद्योगिक क्षेत्रों में भी व्याप्त हो रही है।

केरल में हाल ही मौतें उदारीकरण की गलत नीतियों का उदाहरण है जो छोटे और ग्रामीण उद्योगों में लागू की जा रही है।

सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूकंप की अवधि के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का छिन जाना कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि विशेष उपाय करने होंगे। उड़ीसा में बाढ़ और सूखे के बाद अप्रत्याशित महाचक्रवात आया था। कालाहांडी जैसे कुछ जिले हैं जहां लोग भुखमरी के कारण मर रहे हैं। कालाहांडी की मौतों के बारे में संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा हुई है। मुझे याद है कि एक न्यायाधीश स्वयं देखने वहां गए थे कि वहां क्या हो रहा है? यद्यपि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ हमे अनेक मतभेद थे लेकिन उन्होंने स्वयं यह देखने का निर्णय किया था कि कालाहांडी की समस्या क्या है। कालाहांडी पर काफी अनुसंधान कार्य हुआ है। एक ऐसा समय भी था जब कालाहांडी आसपास के क्षेत्रों के लिए अन्न भंडार हुआ करता था। अब यह वह स्थान है जो सूखे से लंबे समय से प्रभावित है और फलस्वरूप लोग वहां मर रहे हैं। महाचक्रवात के बाद एक मिलियन से ज्यादा लोग अपने गांवों छोड़ कर अन्यत्र चले गए। उनमें से 80 प्रतिशत लोग कालाहांडी, बोलंगीर और कुछ अन्य स्थानों से हैं।

वही लोग आज भूख से मर रहे हैं। सरकार पूछती है, 'वे भूख से क्यों मर रहे हैं? हम उनके लिए 'कार्य के बदले अनाज की घोषणा कर चुके हैं।' लेकिन इसे उठाया नहीं गया है। ऐसा क्यों है? क्या यह बेकार है? क्या राज्य सरकारें इतनी निर्दयी हैं और केवल केन्द्र सरकार की दयालु, उदार और संवेदनशील है? नहीं। यह बात नहीं है। इसका कारण एक बहुत बड़ी गलती गलत आंकलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में बनाई गई सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर दिया है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाले लोग हैं। एक ओर खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करके इसके क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति में भेद का निर्धारण कौन करेगा? औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही है; लघु उद्योगों में पहले जितना रोजगार नहीं है, ग्रामीण उद्योगों का बुरा हाल है, बुनकरों के पास रोजगार नहीं है। आंध्र प्रदेश में बुनकर, तमिलनाडु में स्वर्णकार, केरल में निर्माण-कार्य में जुटे लोग सभी की बुरी हालत है। यह स्थिति केवल जनजातियों, स्त्रियों एवं अन्य लोगों की नहीं है। वे सदैव भुखमरी के शिकार रहे हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बाद ऐसी स्थिति हमेशा ही रही है। सरकार की गलत नीतियों, खराब खाद्य प्रबंधन और इस सरकार द्वारा अपनाई गई गलत विचारधारा के कारण स्थिति और अधिक खराब हुई है। सरकार को इस स्थिति से निपटने का रास्ता नहीं मालूम है।

महोदय, डा. स्वामीनाथन खाद्य प्रबंधन और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में एक सुविख्यात नेता हैं। कई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए उनके नाम पर विचार किया गया है। उन्होंने भारत में खाद्य असुरक्षा संबंधी एक मानचित्र तैयार किया है। इस मानचित्र को किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही जारी किया है। डा. स्वामीनाथन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन व्यवस्था खराब है। इसका आवश्यकता से अधिक विकेन्द्रीकरण किया गया है। खरीद प्रणाली केन्द्रीकृत है। भण्डारण व्यवस्था केन्द्रीकृत है और भारत जैसे विशाल देश में स्थिति इससे एकदम विपरीत होनी चाहिए। इसका आरंभ पारिवारिक स्तर से होना चाहिए। खाद्य प्रबंधन की मुख्य कड़ी स्त्री होनी चाहिए। यहां से आरंभ होकर वह ग्राम सभा स्तर अन्न भंडारों तक पहुंचना चाहिए, और तत्पश्चात् यह राज्य स्तर तक पहुंचना चाहिए और अंत में यह केन्द्रीय स्तर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यहां तो स्थिति पूर्णतया इसके विपरीत है।

महोदय, अगले प्रश्न का संबंध सामुदायिक अन्नागार आंदोलन से है। डा. स्वामीनाथन के अनुसार 'यह समय कल्पनाशील सामुदायिक अन्नागार आरंभ करने के लिए उपयुक्त है जिसमें 200 टन गेहूं अथवा चावल स्थानीय लोगों से एकत्र किया जा सके और आरंभ में सुदूर क्षेत्रों से रागी, ज्वार, बाजार, मकई को भी इसके साथ रखा जा सके। खाद्यान्नों को केन्द्रीय भंडारण गोदाम से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तक ले जाने में बहुत समय लग जाता है – पहले इसे मालडिब्बों द्वारा ले जाया जाता है और बाद में किसी स्थान पर इसे उतारा जाता है और फिर वहां से इसे ट्रक ले जाते हैं इसमें बहुत-सा समय लग जाता है। इस प्रकार खाद्यान्न उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। यह कोई नया सुझाव नहीं है। बल्कि यह सुझाव बहुत दिनों से सरकार के पास लंबित है कि कुछ ही महीनों के भीतर 25,000 खाद्यान्न बैंक स्थापित किये जाएं। उन्होंने कहा है, 'कुछ ही महीनों के भीतर' ये गोदाम स्थापित कर दिए जायेंगे। उन्होंने यह बात अप्रैल माह में कही थी।

स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। भुखमरी से हुई मौतों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट आनी शुरू हो गयीं थीं। अपने नाम को सार्थक करने वाली किसी भी सरकार को भारतीय कृषि को अपनी महानतम सेवा प्रदान करने वाले ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के आह्वान के प्रति कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से केवल पांच मिलियन टन खाद्यान्न की मांग की थी जिससे आरंभ में 25 ग्राम सभाओं में खाद्यान्न बैंक स्थापित किए जा सकते हैं और बाद में ऐसे अन्य 25 ग्राम सभा खाद्यान्न बैंक बनाये जा सकते हैं। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? सरकार ने आवश्यकता से अधिक केन्द्रीकृत वर्तमान प्रणाली के स्थान पर वास्तविकता आधारित प्रणाली लाने के लिए क्यों तत्परता नहीं दिखाई?

सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रणाली का प्रस्ताव किया था जिस पर चर्चा करने के लिए सरकार ने दिनांक 21 मई को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री सरकार द्वारा प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत प्रणाली से सहमत नहीं हुए। राज्यों को खरीद के लिए धन कहां से मिलेगा? यदि सरकार अपनी प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत प्रणाली को लागू करना चाहती है तो राज्यों को पांच वर्ष का संक्रमण काल प्रदान किया जाए ताकि वे स्वयं को नये ढांचे के अनुरूप ढाल सकें। उन्हें आवश्यक धनराशि दें। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को राज्यों को धन उपलब्ध कराने के लिए कहें। नहीं, सरकार का विचार इसका निगमीकरण का है, स्वयं को इस उत्तरदायित्व से मुक्त करने का है, और लोगों को कष्ट पहुंचाने का हैं और तत्पश्चात् उनके कष्टों के लिए राज्य सरकारों पर दोषारोपण का है।

लोगों को भुखमरी से बचाने का एक तरीका 'कार्य के लिए अनाज' कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। मैं यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं। मंत्री जी इस बात का दूसरा अर्थ न निकालें। मेरे सहयोगी यहां पर उपस्थित हैं। वर्ष 1978 में इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी तब प्रत्येक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल को नष्ट समझ लिया था। लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि वर्ष 1943 में संयुक्त बंगाल के दिनों के दौरान, बंगाल को 50 लाख लोगों की जान जाने के बाद भी बचाया जा सकता था लेकिन वर्ष 1973 में बंगाल का बचना असम्भव हो गया। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। हम उनके पास गये। हमारे उनके साथ कई मतभेद थे। फिर भी, बंगाल के लोग उन्हें आज भी उन सभी कार्यों के लिए याद करते हैं जो उन्होंने बंगाल के लिए किए। उन्होंने 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने यह वचन दिया कि वह पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, वह देंगे। मोरारजी देसाई के साथ हमारे मतभेद थे। फिर भी, इतिहास में यह लिखा हुआ है कि वह राजनैतिक मतभेदों को भुलाकर बंगाल की सहायता के लिए आगे आए, और इस प्रकार बंगाल बच गया।

बंगाल में वर्ष 2000 में एक भीषणतम बाढ़ आयी। फसल क्षति और अन्य सभी वस्तुओं को मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई। हमने सरकार से बार-बार 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू करने और अन्य उपाय करने की अपील की। यह अवसर यह सब बात कहने का नहीं है। लेकिन मैं बंगाल के लोगों के कष्ट को नहीं भूल सकता। लेकिन केन्द्र सरकार ने राज्य की सहायता नहीं की। उसने केवल 103 करोड़ रुपये दिए। राजनैतिक संबंधों को भूलकर सांसदों और संसद सदस्यों ने बार-बार अपील की। लेकिन भरत सरकार ने राज्य को कुछ भी नहीं दिया। तो भी क्या कोई यह कह सकता है कि स्थिति की गंभीरता के बावजूद पश्चिम बंगाल में भुखमरी से हुई मौत का एक भी मामला प्रकाश में आया हो?

यह पश्चिम बंगाल में ही संभव हो सका क्योंकि हमारे पास वहां पंचायती राज था जिसमें ग्राम सभा का नियन्त्रण मुख्य रूप से निचले स्तर के लोगों के हाथों में होता है। अफवाह फैलाने वाले लोगों की बात छोड़िए। हमें याद है कि राजीव गांधी जी ने ही, उनके साथ हमारे कई मतभेद थे – सॉल्ट लेक, कलकत्ता में पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया था। उन्होंने निडर होकर कहा था, ''मैं बंगाल की पंचायती प्रणाली की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मैं इसे आदर्श रूप में अपनाना चाहता हूं'' यह बात रिकार्ड में है।

[श्री रूपचंद पाल]

श्री मणिशंकर अय्यर ने प्रारूप तैयार किया था वह इस बात को जानते हैं।

महोदय, भले ही वे हमारी निंदा करें लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं। हम यह भी नहीं कहते कि हमने सभी कार्य ठीक ढंग से किये। हम भी गलती कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो गलती की है उसी के लिए हमारी निंदा की जानी चाहिए। इससे हमें सहायता मिलेगी लेकिन जब हम सही कार्य कर रहे हैं तो वे हमारी प्रशंसा क्यों नहीं करते और इन्हें जारी रखने की बात क्यों नहीं कहते...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: क्या मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न कर सकता हूं?

श्री रूपचन्द पाल: जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, वह आपकी बात से सहमत नहीं है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल के कथन के अलावा कार्यवाही-वत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाइं, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, यहां तक कि केरल में भी, इसकी राजधानी तिरुअनन्तपुरम के निकट भुखमरी से मौतें हुई हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केरल राज्य में जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित है वहां पर भी ऐसी मौतें हो रही हैं। केरल में संभवत: देश की सबसे अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सामाजिक-आर्थिक विकास के सन्दर्भ में केरल बहुत अधिक विकसित राज्य है। यह साक्षरता और महिला अधिकारिता के सन्दर्भ में अधिक उन्नत है। केरल 'बिमारू' राज्यों की तरह नहीं है।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, केरल के शहरी क्षेत्रों में भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं। इसी माह, अगस्त के दौरान केरल के विथनाड और अत्तापेड्डी क्षेत्रों में 21 आदिवासी लोग भुखमरी से मरे हैं।

जो कुछ हो रहा है उसका कारण उपेक्षापूर्ण और दिशाविहीन उदारीकरण की नीति है। लोगों की नौकरियां छूट रही है। मौटे तौर पर गणना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में 12 लाख से भी भी अधिक लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और संबंद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। गत दो वर्षों के दौरान 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन घटता जा रहा है। गत एक वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में कमी आयी है।

महोदय, इससे भी भयावह तथ्य यह है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत है जबकि खाद्यान्न उत्पादन की दर 1.5 प्रतिशत है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत में अकाल की स्थिति बार-बार उत्पन्न होगी।

हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। पोखरण-दो परीक्षणों के बाद, वे भारत में 9 प्रतिशत विकास दर का, भारत का महाशक्ति के रूप में उभरने का और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का महाशक्ति के रूप में और अन्य ऐसी ही बातों का दावा कर रहे थे।

जनसंख्या वृद्धि दर सीमा पार कर चुकी है। यह एक विरूपीकरण है जो गत दो वर्षों के दौरान हुआ है। हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र में अन्य कई उपायों के कारण हमने अपनी कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की है। लेकिन हो क्या रहा है? यह कम होता जा रहा है। एक वर्ष में आपके पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल उपलब्धता 12 मिलियन टन की है। जहां तक चावल का संबंध है, वर्ष 1995 में इसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 80.3 किलोग्राम थी। आज, यह 74 किलोग्राम है। वर्ष 1995 में गेहूं की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 63 किलोग्राम थी और अब यह 57 कि.ग्रा. है। वर्ष 1995 में, अन्य प्रकार के खाद्यान्नों की वार्षिक उपलब्धता 23.7 कि.ग्रा. थी और वर्ष 2000 में 21.9 कि.ग्रा. हो गयी। वर्ष 1995 में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता 180.80 कि.ग्रा. थी जो अब 167.2 कि.ग्रा. है। क्या गरीबी कम हो रही है? राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के अनुसार गरीबी बढ़ रही है लेकिन खाद्यान्नों की उपलब्धता अथवा खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। खाद्यान्न उत्पादन कम होता जा रहा है। कुप्रबंधन, गलत नीति और उदारीकरण की गलत नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको न केवल इस प्रणाली पर बल्कि इन सभी नीतियों पर भी पुनर्विचार करना होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी से निपटने का एक घटक है। इसके साथ-साथ, रोजगार आश्वासन योजना है। आप रोजगार आश्वासन योजना की उपेक्षा कर रहे हैं। रोजगार, गरीबी और भुखमरी का परस्पर संबंध है। जहां भी भुखमरी से मौत होंगी, वहां आप भोजन का अभाव पायेंगे जिसका कारण कुप्रबंधन और बेरोजगारी है। यह क्या हो रहा है?

क्या 'काम के बदले अनाज योजना को कार्यान्वित करना इतना सरल है? यदि आप यह कहते हैं कि आप इतना अधिक खाद्यान्न दे रहे हैं और नकद राशि देकर आप इसे खरीदने की बात कहते हैं तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जायेगा?। इसका व्यय कौन वहन करेगा? लोग लाइनों में खड़े रहते हैं चाहे वह उड़ीसा हो अथवा महाराष्ट्र अथवा गुजरात के जनजातीय क्षेत्र। मैं कुछ विशेष राज्यों का जिक्र नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं उनका उल्लेख कर सकता हूं। केवल 10 प्रतिशत लोग ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। सूर्योदय के पहले से लेकर दोपहर 12 बजे तक लाइनों में खड़े भूखे लोगों को यह जवाब सुनने को मिलता है कि काम नहीं है और वे वापस जा सकते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? दिन-प्रतिदिन वे गलत नीतियों के कारण पंक्तियों में खड़े नजर आते हैं। इसका कारण सरकार के असंगत विचार, समन्वय और नेतृत्व का अभाव है। केवल गलत नीतियां हैं। इन्हीं सब बातों के परिणामस्वरूप, वर्तमान गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है।

मैं सरकार से खाद्यान्न बैंकों के लिए कम-से-कम 5 मिलियन टन खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह करता हूं और राज्य सरकारों से इसे ग्राम सभा स्तर जैसे सबसे निचले स्तर पर वितरित करने के लिए कहता हूं। बिना किसी विलंब के तत्काल लोगों को भोजन उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है।

1 सितम्बर को एन.डी.सी. की बैठक बुलाई जाएगी। आप न केवल संबंधित राज्यों बल्कि अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर सकते हैं और इस स्थिति से निपटने का तरीका निकाल सकते हैं। कोई समाधान निकल सकता है। मैं पुन: यह बात कहता हूं कि एक वास्तविक विकेन्द्रीकृत प्रणाली, जैसा कि श्री एम.एस. स्वामीनाथन ने सुझाव दिया है, काफी हद तक देश की रक्षा कर सकती है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न उपलब्ध न होने की वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों को हो रही गंभीर समस्या के बारे में पुन: चर्चा कर रहे हैं। सभी राज्यों में भुखमरी व्याप्त है। कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में भुखमरी है और भुखमरी से लोगों की मौतें हो रही हैं।

उड़ीसा में गंभीर समस्या है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, और केरल में भुखमरी से मौत हो रहीं हैं। कुछ राज्यों में भा.ज.पा. का शासन है और कुछ राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का शासन है। इसका अर्थ है कि भूख और भुखमरी की दृष्टि से उनके कोई भेदभाव नहीं है। इसका मुख्य कारण काफी लम्बे समय से एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पिछले पचास वर्षों से अपनाई गई गलत नीतियां हैं। हमारे समक्ष यह स्थिति उत्पन्न जिसके कारण हो गयी है। हम अपने पिछले अनुभव से प्रणाली को ठीक करने और तत्पश्चात् उसे कार्यान्वित करना नहीं सीखा है।

हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे अन्नागार भरे हुए हैं और हमारे किसान खूब पैदावार कर रहे हैं। तो फिर भुखमरी से मौतें क्यों हो रही हैं? शहरी क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी ही घटनाएं हो रही है। इसकी कोई वजह तो होनी ही चाहिए। कुछ पण्डितों ने इसका उल्लेख किया है। काम के बदले अनाज, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी बहुत-सी योजनाएं और लाखों ऐसी ही अच्छी योजनाएं और हाल ही में अन्नपूर्णा योजना लागू की गयी है। हताशा में हम अनेक योजनाएं लागू कर रहे है लेकिन गरीबी ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। इसका क्या कारण हो सकता है? वस्तुत: होता यह है कि जहां वास्तव में भुखमरी है वहां तक खाद्यान्न पहुंच ही नहीं पाता।

जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण का आवश्यकता से अधिक केन्द्रीकरण हुआ है। अन्नागार कहीं और होते हैं और भूख से पीड़ित लोग कहीं और होते हैं। इनके बीच काफी दूरी है। बहुत से गांवों में मैंने यह देखा है कि उचित दर की दुकानों को चलाना सरल कार्य नहीं है।

सायं 7.55 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता है। कुछ राज्यों में कुछ स्थानों में यह मुख्य चिंता है। हो सकता है इसका कारण शासकीय तंत्र द्वारा परेशान किया जाना हो या इसमें जो कुछ भी लाभ दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है क्योंकि कोई भी व्यापारी परोपकार के लिए व्यापार नहीं करता है, वह व्यापार अपने लिए करता है। लेकिन अधिकतर दुकानें गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जा रही है, उन्हें सुपर बाजार या सहकारी स्टोर नहीं चला रहे है पूरे देश में सहकारी व्यवस्था मौजूद है, मंत्री जी आप उन स्थानों में

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करवा सकते है जहां सहकारी समितियों को इसका जिम्मा देना प्रभावी नहीं है, इसे कम से कम लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से तो किया ही जा सकता है, यहां, लाभ का आशय तो उभरकर आयेगा ही नहीं।

इनमें से कुछ योजनाओं का अत्यधिक प्रचार किया गया है, वर्ष 2000 के बजट में 65 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा की घोषणा की गई थी। इस योजना के द्वारा उन्हें 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जाता है। संक्षेप में यही एक योजना है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक आयु के कितने लोग या वरिष्ठ नागरिक इसे प्राप्त कर रहे हैं? आन्ध्र प्रदेश में मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। आपने इसमें सीमित मात्रा की व्यवस्था की यह उन सभी लोगों के लिए नहीं है जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्रत्येक गांव में राशन व्यवस्था के माध्यम से इसे बार किया है, इसलिए अन्य लोग आकर पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या किया गया है इसका कोई उत्तर नहीं है, यदि आप वास्तव में अन्नपूर्णा योजना का लाभ गरीब लोगों कमजोर लोगों और जो कार्य नहीं कर सकते तथा जो लोग बूढ़े है उन लोगों देना चाहते हैं तो आपको कुछ और करना होगा। मैं तो केवल व्यवस्था में गलतियां बता रहा हूं। इन गलतियां में सुधार करना होगा, आपको उन बूढ़े व्यक्तियों की जनगणना करनी होगी जो कि 65 वर्ष से अधिक के हैं जिनकी अर्जन क्षमता नहीं है और जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं है, तब ही इसका वितरण किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो भूख से होने वाली कुछ मौतों को बचाया जा सकता है। इस बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। हम सभी लोगों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं।

हम वृद्धावस्था पेंशन भी दे रहे हैं। यह सब भूख और भुखमरी के लिए दिया जाता है। हम 75 रु. प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में देते है, कितने राज्य नियमित रूप से इस धनराशि को वितरित कर रहे हैं?

आप पैसा भेज रहे हैं। लेकिन राज्य इसे नहीं बांटते। वे इसे दो या तीन महीने में एक बार बांटते हैं। ऐसे लोगों की अर्थ क्षमता कितनी होती है? क्या वे तीन महीने तक इन्तजार कर सकते? 75 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए कोई क्यों जाए? अगर एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी का नुकसान होता है तो वह अपना दाना-पानी नहीं खरीद पाता। दूर-दराज के अनुसूचित जातियां वाले क्षेत्रों में ऐसा होता है। ऐसा उन क्षेत्रों में अधिक होता है जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं। आखिर क्यों? वे कुछ जानते नहीं भोले-भाले हैं और मुख्य धारा से कटे हुए हैं। यदि उस दिन कुछ हो जाए तो वह भूखे रहते हैं। 75 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन भी उन्हें नियमित रूप से नहीं मिलती। कुछ राज्य पेंशन तभी बांटते हैं जब उनके पास पैसा होता है। हो सकता है कि मंत्री महोदय पैसा नियमित रूप से भेज रहे हों या न भी भेज रहे हों। इसकी जांच करनी होगी। हमारी अन्न नीति दीर्घावधि के लिए होनी चाहिए। अन्न के भंडार बदलते रहने चाहिए। हम बढ़-चढ़ कर बोलते हैं कि हमारे विभिन्न गोदामों में 60 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न भरा पड़ा है।

रात्रि 8.00 बजे

हमारे पास काफी बड़े भंडार है। मुझे इस बारे में संदेह है कि इसमें से हम कितने भंडार का उपयोग करते हैं। इसमें से कितना भंडार सड़ा-गला है और कितना अच्छी स्थिति में है? इसे सड़ने से बचाने के लिए क्या हम इसे रियायती दर पर नहीं दे सकते?

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ने एक योजना चलाई थी जिसकी तहत दो रुपये प्रति किलो चावल बेचा गया था। भंडार कम करने के लिए सरकार अब भी ऐसी योजना चला सकती है। हम, आज की तारीख में 15 करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज दे रहे हैं। भंडारों पर इस ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमें कुल लागत, ब्याज नुकसान, आदि की गणना करके पुराने भंडारों को बेचने का प्रयास करना चाहिए। जिस खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है उनके मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। केन्द्रीय वितरण प्रणाली के स्थान पर आपको किसी अन्य वितरण प्रणाली पर विचार करना चाहिए।

भंडारों को सुचारू बनाकर विभिन्न स्थलों पर उनका वितरण करना होगा। इससे हमें भंडारों के रख-रखाव, नियंत्रण और गुणवत्ता में सहायता मिलेगी। इन चीजों की जांच करनी होगी। मैं विभिन्न समितियों की रिपोर्टों से उद्धरण देना चाहता हूं। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें उपयोगी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, खरीद लागत, भंडारण लागत और ब्याज लागत उत्पाद की कुल लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज यह लागत 15 का 17 प्रतिशत से भी अधिक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें लागत घटानी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता भुखमरी का एक कारण है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है। हमारे पास खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार हैं। कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर खाद्यान्न उठाने के लिए दवाब बना रही हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यहां तक कि बिहार भी केंद्र सरकार पर खाद्यान्न उठाने के लिए दवाब बना रहा हैं। तो, आखिर दोष कहां है? तथ्य

यह है कि वितरण केंद्रों से खाद्यान्न गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। कुपोषण एक समस्या है। बच्चे देश का भविष्य है। गरीब परिवारों के स्कूल जाने वाले अधिकांश बच्चों को पोषक खाना नहीं मिलता है। गरीब परिवार की वास्तविकता यह है कि पिता कमाता है और पूरा परिवार उसकी आय पर पलता है। वे खाने के बगैर स्कूल जाते हैं और स्कूल से बगैर खाए घर आते हैं। सरकार को 'मिड-डे-मिल स्कीम' (मध्याह्न भोजन योजना) अनिवार्य बना देनी चाहिए। गरीब बच्चों को भी खाने दो। गरीब परिवारों के बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए मध्याह्न भोजन योजना एक अच्छा उपाय है।

गत कुछ वर्षों में हमारी प्रणाली की विफलता की एक लम्बी दासतां रही है। अब सूचना प्रौद्योगिकी हमारे पास है। कल भी हमने दूरसंचार प्रणाली पर चर्चा की। देश में हर जगह सूचना उपलब्ध है। सूचना प्राप्त होने पर, हम जहां कहीं भंडारों की आवश्यकता हो वहां उन्हें पहुंचा सकते है। तभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर बनेगी।

अब यहां लालफीता शाही है। मैं एक उदाहरण देता हूं अन्य राज्यों ने भी खाद्यान्नों की मांग की। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 6 लाख टन चावल की मांग की। लेकिन हम उन्हें खाद्यान्न नहीं भेज पाए। यहां इतने बड़े भंडार हैं, लेकिन हम केवल तीन लाख टन चावल ही भेज पाए हैं। और यह भी नौकरशाही के कारण सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंच सका है।

गत वर्ष पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बाढ़ आई, वर्ष 1978 में भी बाढ़ आई थी। श्री मोरारजी देसाई को आज क्यों याद किया जाता है? इसलिए, क्योंकि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। जब भुखमरी, भुख, सूखा या चक्रवात की स्थिति बने तो प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर खाना पहुंचना चाहिए। तभी यह प्रणाली काम करेगी। तभी भूख मिटेगी और भुखमरी से होने वाली मौतें रुकेंगी।

अब मैं वर्ष 2001-2002 की अनुदान मांगों के बारे में स्थायी समिति की 13वीं रिपोर्ट पर आता हूं। इसमें कहा गया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया जाना किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है क्योंकि भारतीय महाद्वीप में बड़े भंडार आ रहे हैं। किसान जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उनका लाभकारी मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। इसका असर दूर तक पड़ेगा। प्रोत्साहन देने की बजाय आप उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। किसान धीरे-धीरे ऐसी फसलें उगाने से परहेज करने लगेंगे। वे दूसरी फसलें उगाएंगे। यह प्रवृति खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि आप इस पहलू ध्यान दें। आप यह कभी न कहें कि देश में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है। भारत 100 करोड़ जनसंख्या वाला गरीब देश है। लेकिन हमारा उत्पादन केवल 200 मिलियन टन ही है। यदि आप औसत निकालें तो देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। यदि उनके पास कुछ खाने को है भी तो पूरा नहीं है। कृपया इस पहलू पर ध्यान दीजिए और किसानों को अधिक खाद्यान्न उगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यदि वे अधिक उत्पादन करेंगे तो यह स्वत: ही उनके लिए लाभकारी बन जाएगा। प्रति एकड़ खेती लागत मूल्य एक जैसी ही है।

पंजाब के किसान कभी भी अलाभकारी मूल्यों के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। वे और अधिक लाभकारी मूल्य की मांग कर सकते हैं। लेकिन देश के कई हिस्सों में उनका कहना है कि किसान गरीब होते जा रहे हैं। आपको आधुनिक तकनीक के द्वारा उत्पादन दोगुना करना चाहिए। आपको यह इजरायल से सीखना चाहिये। आप सूखे के बारे में बात करते हैं। सूखे में बहुत कम बारिश होती है। लेकिन वे चमत्कार करते हैं। वे अच्छा खाद्यान्न और अधिक मूल्य वाले खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। वे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिकलर सिंचाई और सिंचाई के विभिन्न तरीकों के द्वारा ऐसा करते हैं। वे फसल उत्पादन दोगुना कर लेते है। इस प्रणाली को अपनाकर आप किसानों को और उत्पादन करने के लिये उत्साहित कर सकते हैं ताकि इससे उनको लाभकारी-मूल्य मिल सके। अधिक खाद्यान्न का मतलब अधिक वितरण से है। अंतत: आप भूख और भुखमरी पर पूरी रोक लगाने में सक्षम हो सकेंगे। अगले तीन-चार सालों में उचित वितरण चैनल हेतु व्यापक योजना बनानी होगी ताकि देश में कोई भूखा न मरे।

हमारे जैसे इस देश में इस सूचना और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में केरल से लेकर जम्मू-कश्मीर तक देश के हर हिस्से में भुखमरी से मौतें हो रही हैं। जिसके कारण हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हमें इस स्थिति से बचना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में, आपसे अनुमति लेता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी गरीबों, किसानों, दलितों, शोषितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है और हमेशा उनके हित की बात करती है। चाहे हमें

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

संसद भवन में उनकी बात उठानी पड़े, विधान सभाओं में उठानी पड़े या चाहे सड़कों पर उनकी बात उठानी पड़े। हम लोग हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनके लिए संघर्ष करते हैं। जब भी इस पार्टी को मौका मिला, इसने गरीबों के लिए वह काम किया जो उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हो सका है। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने गरीबों और किसानों की समस्याओं को देखा। उन्होंने देखा कि गरीब किसान कर्जा ले लेता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कोई अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से वह कर्जा नहीं दे पाता है तो उसे 14 दिन तक हवालात में बंद कर दिया जाता है और उसे इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि मनुष्य नहीं उससे पशुवत व्यवहार होता है। इसलिए हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पहली और अंतिम बार किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश में माफ किया है। उन्होंने देखा कि जब तक किसानों को भरपूर सहायता नहीं मिलेगी, वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि किसान का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।

उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतिम छोर तक नहरों में पानी पहुंचा और उत्पादन बढ़ा और इतना उत्पादन बढ़ा कि किसान खुशहाल हुए। गांवों में पहली और अंतिम बार 18 घंटे बिजली समाजवादी पार्टी के शासन काल में दी गई। हमारी माताओं और बहनों को शौचालय न होने का दुख था। समाजवादी पार्टी के समय में शौचालय बनने शुरू हुए। हमारे नेता का लक्ष्य था कि पांच साल के अंदर कोई ऐसा गांव बाकी नहीं रहेगा जिसे सड़क, प्राइमरी स्कूल और गांवों की तरक्की के लिए जो आज की आवश्यकताएं हैं, उनसे जोड़ न दिया जाए। हमारे नेता का लक्ष्य था कि हर घर में एक बल्ब की रोशनी मुफ्त में दे दें। झोंपड़ी में रहने वालों के लिए हम निश्चित रूप से मकान दें दें। अधिक उम्र में जो गरीब किसान असहाय हो जाते हैं, उनके लिए किसान पेन्शन यदि किसी ने लागू की तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लागू की। उत्तर प्रदेश में किसान पेन्शन लागू हुई। प्रत्येक गरीब विधवाओं को विधवा पेन्शन और विकलांगों को सहायता प्रदान की गई।

सभापति महोदय, मैं कहने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं है। एक से एक अच्छा काम उस पीरियड में हुआ। किसान खुशहाल हुए। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था कि उधर बैठे हुए लोग और बी.एस.पी. की पार्टी ने विश्वासघात करके सरकार को गिराया और आज उत्तर प्रदेश भी बरबाद है।

अभी चर्चाएं हो रही थीं और उन्हें दुख हैं - सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आज अनाज के भंडार भरे हुए हैं, गेहूं का अकाल नहीं है, चावल का अकाल नहीं है, अकूत मात्रा में भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग भुख से मर रहे हैं। आज हमारी बहनों और बेटियों को क्या-क्या नहीं सहना पड़ रहा है। मजदूर आज मजबूत लोगों के हाथों में कैद हो चुके हैं। उन्हें अपनी बहनों और बेटियों को बेचना पड़ता है, भूख से पीड़ित लोगों को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है कि हम बच्चे को खिला नहीं पायेंगे और बच्चा मर जायेगा। ऐसी हालत में हम बच्चा दे देंगे तो वह वहां मजदूरी करेगा, बंधुआ मजदूर की तरह रहकर काम करेगा, लेकिन हमें खाना खाने को मिल जायेगा। इतनी परिस्थिति गड़बड़ हो गई है। चाहे केन्द्र में बैठी हुई सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, इसके लिए दोनो दोषी हैं। मैं दोनों को दोषी ठहराता हूं और यह बहुत बड़ा पाप है, देश का दुर्भाग्य है आजादी के पचास साल के बाद भी किसान आज भूखों मर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपनी बहनों और बेटियों को दूसरों के हाथों में गिरवी रखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यह कितने शर्म की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ रहा है कि गेहूं भरा पड़ा है और आप वितरण नहीं कर पा रहे हैं। लोग लूटने और खाने में लगे हैं। इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि किस कारण से आज यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान केन्द्र सरकार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के दबाव में और उनके चंगुल में फंस चुकी है और इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि उसका कोई विवेक नहीं रह गया है। उसकी कोई सोच नहीं रह गई है, उसकी कोई नीति नहीं रह गई है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीबों की विरोधी सरकार है। इसको गरीबों की चिन्ता नहीं है, अपना पेट भरने की चिन्ता है। मैं किसान हूं और मेरे पास खेती है। अगर हमें महंगा पानी मिलेगा, महंगा डीजल मिलेगा, महंगी खाद मिलेगी तो हम कैसे सस्ता उत्पादन करेंगे? इस सरकार ने डीजल का दाम बढ़ाया। आज किसान परेशान है। दो साल में डीजल के दाम तीन गुना बढ़ गए। दो साल में खाद का दाम बढ़ गया, खाद की सब्सिडी खत्म कर दी गई, किसानों को राहत नहीं दी गई। आज किसान चावल पैदा करता है, धान पैदा करता है, अगर सूखा पड़ गया तो उसका सारा धान बेकार हो गया, गेहूं बेकार हो गया। बाढ़ आ गई, जल भराव हो गया तो सारी फसलें सड़ गई। उसको एक पैसा नहीं मिला। जो दो-तीन रुपये किलो के हिसाब से उसका उत्पादन में खर्च हुआ तो, वह भी गया। अगर उत्पादन किया तो तीन रुपये किलो या 300 रुपये क्विंटल का भाव मिला। बेचा कितना गया? दो रुपये किलो उत्तर प्रदेश में बेचा गया। सरकार ने कहा कि हम चार रुपये किलो में खरीदेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कि कहीं भी केन्द्र में एक बोरा चावल इस रेट पर नहीं खरीदा गया। बिचौलियों के माध्यम से, इनकी पार्टी के जो बिचौलिये और दलाल थे, वे सीधे अधिकारियों से मिले हुए थे, वह भ्रष्ट

अधिकारियों के माध्यम से खरीदा गया। इस बार गेहूं का भंडारण भी इसी प्रकार से हुआ है। किसान 15 दिन तक उत्तर प्रदेश में लाइन लगाए हुए ट्रक लेकर पड़े रहते थे और अंत में मजबूर हो जाते थे कि हम गेहूं का क्या करें। तीन रुपये किलो में बेच दिया। सरकारी आंकड़ों में साढ़े छ: रुपये किलो में खरीदा जा रही है और किसान तीन रुपये किलो में बेच रहा है।

महोदय, यह सरकार कहती थी कि हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी लाएंगे, लेकिन पूरी तरह से विदेशियों के हाथों में ये आ गए हैं। विश्व बैंक ने कहा और वाजपेयी जी की सरकार को मजबूर होना पड़ा उनकी बातों को मानने के लिए इनमें विवेक नहीं रह गया है। गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। खाद पर सब्सिडी हटा दी गई, खाद्यान्नों पर सब्सिडी हटा दी गई। इस कारण दाम बढ़ते गए और खरीदने और बेचने के दाम में बहुत फर्क पड़ गया। नई स्कीमें चलाई गई कि गरीबों को मुफ्त में अनाज देंगे। हम गारंटी से कहते हैं कि गरीबों तक मुफ्त अनाज नहीं पहुंच पा रहा है।

सभापति जी, तमाम अखबारों में क्या-क्या खबरें निकल रही हैं लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। 26 दिसम्बर, 2000 को राष्ट्रीय सहारा में छपा – 'खाद्यान्नों के क्षमता से अधिक भंडारण के बावजूद भी उड़ीसा में लोग भूखे मरे, तथा छत्तीसगढ़ में दो जून की रोटी के लिए बच्चों को बेचा गया क्योंकि मां बच्चों को खाना नहीं दे पा रही थी।' इस देश में 143 जिले भूख की चपेट में आ गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा सब जगह लोग भूख से मर रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 20 दिसम्बर को बिजनेस स्टैन्डर्ड में राजस्थान में भूख से पीड़ितों के बारे में लिखा गया है। तमाम अखबारों की कटिंग मेरे पास हैं, मैं वह सब आपके सामने रख देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं गोदामों में सड़ नहीं रहा है। एफ.सी.आई. में करप्शन विद्यमान है। गेहूं बेचा जा रहा है इनके अधिकारियों द्वारा मगर सरकार उसको देख नहीं पा रही है और कह रही है कि गेहूं सड़ रहा है। अगर गेहूं सड़ रहा है तो खाद्य मंत्री जी यह बताएं कि उसके लिए दोषी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आपने आज तक क्या कार्रवाई की है? तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। खाद्य निगम को करोड़ों रुपये का चूना अफसर लगा रहे हैं, यह जनसत्ता में निकला है। यह सरकार बाज़ारवाद के अधीन फंस चुके हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों का गला रेत रही है, गरीबों को लूटने में लगी हुई है। इस सरकार को गरीबों की चिन्ता नहीं है, ये वित्तीय घाटा कम करना चाहते हैं और उसके लिए ये सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं। अगर सब्सिडी खत्म हो गई तो हम समझते हैं कि लोग बेहाल हो जाएंगे। अभी उड़ीसा की बात आई थी तो स्वांइ साहब चिढ़ गए थे। हम केवल उड़ीसा की बात नहीं करना चाहते, न हमारे नेता ने कहा था। हर जगह वही हालत है। द पायोनीयर में बड़े मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है:-

[अनुवाद]

भूख मिटाने के कारण बेची गई

उसके पिताजी मृत्यु के कगार पर थे और मां भूखी थी। इसलिए तीन साल की हेमा को निर्दयतापूर्वक 5000 रुपये में महाजन को बेच दिया गया। इस पैसे से उसके पिताजी बच सके और उसकी मां दूसरे दिन के लिए मुट्ठी भर अनाज खरीद सकी। क्या आप इसके लिए हेमा के मां-बाप को दोषी मानते हैं या उन पर दया आती है। क्या आप महाजन को गिरफ्तार करेंगे या उस महाजन को इस लड़की के उचित पालन-पोषण करने को अनिवार्य करेंगे? और उस लड़की के बारे में क्या कहें- अब तक वह लड़ी, उसका परिवार और सामाजिक ताना-बाना चौपट हो चुका है।

[हिन्दी]

मान्यवर, यह आशुतोष मिश्र ने लिखा है। यह बड़े खेद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, फिर उड़ीसा में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? जब कोई बात होती है, जब कांग्रेस की ओर से कोई आरोप लगाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि यह हमारा दोष नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दोष है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि यह हमारा दोष नहीं है। इस प्रकार से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं और एक दूसरे को चोर कह रही हैं। इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाकर हम देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्या इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, क्या इस सरकार में बैठे मंत्रियों की अपनी कोई समझ नहीं है? हर माल विदेशों से आ रहा है जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है।

मान्यवर, विदेशों से अनाज आ रहा है जबकि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1998 में 10 लाख टन गेहूं बाहर से खरीदा गया, 1999-2000 में 15 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात किया गया। 6 लाख टन गेहूं बंदरगाह में ही सड़ गया। मैं बताना चाहता हूं कि एक टन गेहूं के रख-रखाव पर 1800 रुपए खर्च होते हैं। इस देश में अनाज के रख-रखाव पर जो खर्च हो रहा है वह 4 करोड़ 7 हजार 500 रुपए खर्च हो रहे हैं। देश के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। यह पैसा इन लोगों का नहीं है। यह एन.डी.ए. की सरकार का पैसा नहीं है। यह पैसा देश की गरीब जनता का है।

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

रात्रि 8.22 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष, महोदय, हमारे नेता ने ठीक ही कहा कि अगर हमारा देश भूखा रहेगा, यदि हमारे देश की गरीब जनता भूखी रहेगी, तो एक दिन हमें आन्दोलन करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब भूखी जनता अनाज को लूट लेगी। जो अन्न कालाबाजारियों के जरिये, इनके बिचौलियों के माध्यम से बेचा जा रहा है वह हमें बर्दाश्त नहीं है। ये अरबों रुपए का घाटा दे रहे हैं। एफ.सी.आई. में लूट मची हुई है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। आज एफ.सी.आई. 300 करोड़ रुपए प्रति दिन का नुकसान देश का कर रही है। 1998-99 में 8 हजार 854 करोड़ रुपए की एफ.सी.आई. को सब्सिडी दी गई। इसी तरह 2350 करोड़ रुपए की सब्सिडी एफ.सी.आई. को बाद में और दी गई। यह सारा पैसा पानी में फेंका जा रहा है। यह सारा पैसा बेकार जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी तरह से इस सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और कहना चाहता हूं केन्द्र सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए क्योंकि हम अपनी गरीब जनता को भूखा मार रहे हैं और अनाज को बरबाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि भंडार भरे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारें नहीं उठा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म.प्र. के मुख्य मंत्री कहता हैं कि केन्द्र सरकार हमें अनाज नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री धरने पर बैठते हैं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को अनाज नहीं दे रही है। हर प्रदेश का मुख्य मंत्री यह कह रहा है कि केन्द्र सरकार हमको अनाज नहीं दे रही है और केन्द्र के मंत्री यह कह रहे हैं कि अनाज से हमारे भंडार भरे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश सरकारों को केन्द्र सरकार अनाज दे रही है या नहीं, लेकिन आज हर प्रदेश का मुख्य मंत्री यही कह रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री चिल्ला चिल्ला कर अखबारों में बयान दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को अनाज नहीं दे रही है। चलो, यह माना जा सकता है कि उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन उड़ीसा में तो इनकी अपनी पार्टी की सरकार है, फिर क्यों वहां लोग भूख से मर रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां क्यों लोग भूख से मर रहे हैं, यही मैं पूछना चाहता हूं?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह हाल है कि वहां एक-एक मंत्री एक-एक महीने में तीन-तीन लाख रुपए चाय पर खर्च करता है। खाने पर कितना खर्च होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगाएं। जब एक मंत्री तीन लाख रुपए की चाय पीएगा, तो प्रदेश की क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है। वहां 100 मंत्री हैं, इस प्रकार से तीन करोड़ रुपए प्रतिमास की तो वे चाय ही पी जाते हैं। यदि आज कुंभकर्ण जिंदा होता, तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियो के चाय के ख़र्च को देखकर वह भी शर्मा जाता। उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। देश में आज यदि कहीं किसान सबसे ज्यादा परेशान है, तो उत्तर प्रदेश में है। वहां किसान बर्बाद हो रहा है। पूरे प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। वहां किसानों को शोषण हो रहा है। बिजली बिलकुल फेल है। बिजली के यंत्रों की खरीद-फरोख्त में मुख्य मंत्री और वहां के मंत्री भी दलाली कर रहे थे। चार साल तक यह सिलसिला चलता रहा। जब हिस्सा कम मिला, तो झगड़ा हो गया और सारा भंडाभोड़ हो गया।

महोदय, वहां किसान बर्बाद हो रहा है। अब नई नीति बनाई गई है कि दूध डेनमार्क और नार्वे से मंगाया जाएगा। यह देश ही दूध का है। हमारी भी गाय और भैंसें हैं। अगर हम दूध विदेशों से मंगाने लगेंगे, तो यहां का दूध बर्बाद हो जाएगा।

फिर वही होगा कि हम बाहर से चावल मंगवा रहे हैं, गेहूं मंगवा रहे हैं, अपने भंडार में गेहूं और चावल भर कर सड़ा रहे हैं, हमको यह ख्याल नहीं है कि गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी सोच खत्म हो चुकी है। आप खाद और गेहूं के दाम बढ़ाना चाहते हैं, आप उसमें सब्सिडी खत्म करके किसानों तक जो चीज पहुंच सकती है, नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी वितरण प्रणाली में गलती है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए। प्रशासनिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार है, उसे यह सरकार दूर करने में अक्षम है, उसमें लिप्त हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार हो गई है। इस देश को दो प्रतिशत लोग लूट रहे हैं, 98 प्रतिशत जनता आज परेशान है, चाहे वह कर्मचारी हो, गरीब व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो। गांवों और शहरों में रहने वाले लोग भुखमरी के कगार पर हैं और यह सरकार कुछ नहीं करती। श्री शांता कुमार जी कभी-कभी कहते हैं कि हम गेहूं का क्या करें। कभी-कभी एफ.सी.आई. से भी बयान आ जाता है कि जो गेहूं सड़ गया है, उसे समुद्र में डाल दें। हम कहना चाहते हैं कि ये समुद्र के बहाने भंडार को बेच कर अपनी जेबें भरेंगे। हम एक मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराना चाहते, अटल जी की सरकार पूरी तरह भारतीय सरकार न होकर विदेशी सरकार हो गई है, विदेशों के इशारे पर चलने वाली सरकार हो गई है, जो अमरीका कहेगा यह सरकार वही करेगी, इसकी अपनी सोच नहीं है, अपनी समझ नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है। यह सरकार बिल्कुल सिद्धान्तहीन हो गई है। यह केवल झगड़ा-फसाद कराती है। इसे गरीब लोगों और किसानों से कोई मतलब नहीं है। राम के नाम पर दंगा करवा देंगे, देश का बंटवारा करने में तुल जाएंगे। झगड़ा और फसाद कराने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया।

इस सरकार ने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, इनके बजट में कोई योजना नहीं है, इनकी सोच में कोई योजना नहीं है। इनकी सोच है कि कितनी जल्दी हम भारत को फिर गुलाम बना दें। आज ये अपने लाभ के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए उतर कर खड़े हो चुके हैं। ये जब-जब भी आए हैं, राम का नाम लेकर आए हैं, राम का नाम लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं। इन्होंने झगड़ा-फसाद किया है। इन्होंने यह वायदा नहीं किया था कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे, हम देश के लिए कुछ सोचेंगे।

हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ गलतियां की हैं। हमारा संविधान बहुत अच्छा बना है, हम संविधान का बहुत आदर भी करते हैं लेकिन संविधान में कमी रह गई है। अगर संविधान में यह शब्द जोड़ दिया गया होता कि हर नागरिक को रोजी-रोटी पाने का अधिकार है, अगर संविधान में यह बात जोड़ दी गई होती कि हर नागरिक को मौलिक अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा मिलेगी तो अच्छा होता। आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी शिक्षा नीति पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार का ध्यान शिक्षा पर जा रहा था, वह समाप्त हो चुका है। आज अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वे अपने बच्चों को ऐडमिशन नहीं दिला सकते। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बारहवीं कक्षा तक शिक्षा माफ कर दी थी लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने सोच लिया कि हम गरीबों को शिक्षित नहीं होने देंगे, अगर गरीब पढ़ गया तो कहीं हमारी तरह न हो जाए। इन्होंने गरीब और पिछड़े लोगों को पढ़ाई से रोकने के लिए बारहवीं तक की मुफ्त शिक्षा पर फिर से पैसा लगा दिया है। हम मांग करते हैं कि इस देश के सब लोगों को, पूरी संसद को सोचना चाहिए, राज्य सरकारों, विधान मंडलों को सोचना चाहिए कि हमें मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से नौकरी का अधिकार मुफ्त होना चाहिए, जीने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हम मजबूर हो रहे हैं कि जहर खाकर मरें। मेरे लिए इससे भी बड़ी वेदना और पीड़ा यह है कि उन गरीब लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोक तिल-तिल करके मर रहे हैं। वे लोग भले हैं जो जहर खाकर मर रहे हैं लेकिन जो जहर नहीं पा रहे हैं, वे जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। बहुत अंतर है। एक तरफ अमीरी बढ़ती चली गई, आजादी के 54 साल बाद भी अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। आज गांवों में पानी की समस्या है, हम साफ पानी नहीं पा रहे हैं। आज गांवों में खाने की समस्या है, लोग झोंपड़ियों में रह कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई चिन्ता नहीं है। हवाई अड्डा सुन्दर बनेगा, महल सुन्दर बनेगा, हम विदेशियों से ज्यादा वार्ता करेंगे, विदेशों की नीतियों पर चलेंगे, उनके द्वारा बना हुआ सामान आएगा, यहां तक कि दूध, घी और मक्खन भी वहां से आएगा। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज इस सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इस देश में क्रान्ति होगी, अगर देश की जनता भूखी मरेगी तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी, यह ऐलान किया जाता है। हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ डाक्यूमेंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो विभिन्न अखबारों में छपे हैं, एफ.सी.आई. के भ्रष्टाचार के ऊपर छपा है। मेरे घर के पास पृथ्वीगंज हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर गेहूं का भण्डारण किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि 50 परसेंट गेहूं उसमें गायब हो चुका है। मैं गारण्टी के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी किसानों और गरीबों तक पहुंचाने की सरकार की योजना है, यह अमीरों के पास, लुटेरों के पास पहुंचाएगी, गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तंत्र में गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मसंतुष्टि भले ही कर लें कि हम गरीबों तक पहुंचा देंगे, लेकिन गरीबों तक केवल कागज में पहुंच रहा है। आज कोई भी योजना गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। गेहूं खरीद की योजना रखी गई, लेकिन गरीब का गेहूं नहीं खरीदा गया, एक किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया, गेहूं उसका खरीदा गया, जो कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एजेण्ट बैठा था। उसने तीन और चार रुपये किलो गेहूं खरीदा और तुरन्त जाकर उस बिचौलिये ने 6.50 रुपये किलो में बेचा। इसमें एक-एक आदमी का नाम उजागर हुआ, हर जिले के अखबार में छपा, लेकिन गूंगी बहरी सरकार ने उसको सुना नहीं और देखा नहीं। सरकार बड़ी खुशी से ऐलान करती है कि हमने इतना गेहूं खरीद लिया, करोड़ों टन गेहूं खरीद लिया, आज तक इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया, लेकिन गेहूं खरीद में चूना किसको लगा? सरकार को चूना लगा और गरीब को चूना लगा, जिसका गेहूं सस्ते दाम पर बिका। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यह सरकार जो बिल्कुल विदेशियों की नीति अपना रही है, या तो कह दे कि हम भारतवासी नहीं हैं, सरकार कह दे कि हम अमेरिका के प्रति वफादार हैं। वह दिन आयेगा, वह दिन हमें देखना पड़ेगा, हम और हमारी समाजवादी पार्टी के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। लोक मोर्चा बन चुका है, एक नई ताकत उभरकर आई है, हमें आन्दोलन और संघर्ष के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हम इसका विरोध करेंगे, जो इनकी विदेशी नीतियां बनती चली जा रही है। हम कहना चाहते हैं कि अगर इसको रोका नहीं गया, उधर के बैठे हुए लोगों में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इनके मोर्चे में शामिल हैं, वे शीघ्र से

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]
शीघ्र इनसे अलग हो जाइये, नहीं तो ये हमारे देश को गुलाम कर देंगे। ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में आई थी तो हम 200 वर्ष तक गुलाम रहे। आज सैंकड़ों-हजारों विदेशी कम्पनियां इस देश में आ रही हैं, इन्होंने खुले व्यापार की छूट दे दी है। भारत इतना विकसित देश नहीं है कि यूरोप और अमेरिका के आगे हम व्यापार में टिक सकें, हम चीन और जापान के सामने नहीं टिक सकते हैं। हमें अपनी स्वदेशी की नीति पर चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वदेशी पर जोर देती है, भारतीयता पर जोर देती है और हमारी पार्टी जोर देती है कि हम किसानों को ऊपर उठायें, गरीबों को ऊपर उठायें, हम पिछड़ों और दलितों को ऊपर उठायें, समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठायें और महिलाओं का विकास करें। हमारी पार्टी की नीति रही है कि हम प्रत्येक ब्लाक में एक लड़कियों का इण्डरमीडिएट स्कूल खोलें। इस सरकार ने न तो पढ़ाई के लिए कुछ किया है, न गरीबों के लिए किया है, इसलिए आज देश में भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। यह इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, इसे शर्म से डूबे मरना चाहिए कि आज देश की जनता भूख से मर रही है और गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। आज गोदामों में लूट मची हुई है, अनाज जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं तमाम अखबारों का उद्धरण भी देना चाहता हूं, इनको आप कृपया मंत्री जी के पास जरूर पहुंचा दीजिए। इसमें पूरी स्टोरी लिखी है, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कहां-कहां लड़कियां बेची गई हैं, कहां-कहां लोगों के जिस्म रोटी के लिए बेचे गये हैं, यह कितने दुर्भाग्य की बात है और सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे लोग केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, केवल अपनी भलाई में लगे हुए हैं। गरीबों की इनको कोई चिन्ता नहीं है। यह अखबार की कटिंग है, बाजारवाद में अनाज का भंडार कैद हो चुका है, भरपेट की नींद हो रही है।

मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात कन्क्लूड करना चाहता हूं। इस बारे में कितनी ही खबर छपने के लिए बाद भी सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत पड़ी। यह सरकार के लिए गलत बात है, इस संसद के लिए गलत बात है, जो चीज हमको यहां उठाने के लिए जनता ने चुना है, जिसके लिए हम जीतकर यहां आये हैं, वह बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़े कि भंडार भरे हुए हैं और गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट करे, इसके बाद भी सरकार को शर्म नहीं आती है। अगर जनता को आप रोजी-रोटी नहीं दे सकते हैं तो भूख से मरने के लिए उनको न छोड़ा जाये और अगर भूख से मरने के लिए छोड़ते हैं तो मैं इस सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं।

जिस प्रकार से देश में लोग भूख से मर रहे हैं, भूख की खातिर जिस्म बेच रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज किसानों की यह हालत हो गई है कि उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अब जाड़ा आने वाला है। वे लोग आग जलाकर अपना काम चलाते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिए तीन साल से क्या किया है? इसके साथ ही मैं इस सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी है कि आपके गोदामों में अनाज भरा हुआ है और गरीब को नहीं दे रहे हैं, तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इनके सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि वे सरकार से अलग हो जाएं और हमारे साथ आ जाएं, इनको सत्ता में न रहने दें, क्योंकि ये अमेरिका और विदेशियों के हाथ में बिक चुके हैं। जो विश्व बैंक कहेगा, वही ये करेंगे।

इतना ही कहकर मैं फिर से अपील करता हूं कि इन प्रश्नों का खुलासा होना चाहिए और सहयोगी दल इनके दबाव में न आकर गरीबों को देखें।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): उपाध्यक्ष जी, मैं अहिन्दी भाषी प्रांत से आता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ साथी श्री शिवराज पाटील ने हिन्दी में भाषण किया। वे हमारी वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए भाषण से मुझे भी उत्साह आया है और मैं भी हिन्दी में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष जी, माननीय शिवराज पाटील जी ने, रुपचन्द पाल जी ने और अभी-अभी श्री सी.एन. सिंह ने जोरदार भाषण दिया। उस सबमें एक ही बात थी कि भंडार भरे हुए हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं सरकारी पक्ष या विपक्ष किसी पर कोई दोष नहीं देना चाहता। मेरा एक अलग प्रश्न है। शिवराज पाटिल जी और सी.एन. सिंह जी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, गरीब लोगों को कैसे मदद पहुंचाएं। उसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो गेहूं और चावल पड़ा है, वह गरीब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है इस साल दे देंगे, फिर अगले साल क्या होगा, तब भी दे देंगे, उसके बाद फिर दे देंगे। हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है और ऐसे ही अगर रिलीफ बांटते रहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्पेचुंएशन ऑफ पोवर्टी। यह गरीबी को हटाना नहीं है। ऐसे हर साल कुछ-कुछ देकर अनंतकाल तक गरीब लोगों को गरीबी में रहने के लिए मजबूर करना है। सी.एन. सिंह जी बड़े जोरदार शब्दों में बोल रहे थे कि सब्सिडी कम की जा रही है, सरकार अनाज नहीं खरीद रही है। महोदय, सरकार चावल खरीदेगी, गेहूं खरीदेगी, बाकी सामान भी जो किसान द्वारा उत्पादित होता है, वह भी खरीदेगी, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य खुले बाजार में जो दाम है, उससे ज्यादा है। ज्यादा दाम पर खरीदेगी और सस्ते में बेचेगी, लोगों को मुफ्त में देगी। पिछले साल 9200 करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी में हमने दिए हैं। फिर

बोलते हैं कि किसान के लिए खेती करने के लिए पैसा नहीं है, रास्ते भी बनाने हैं, लेकिन पैसा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, लेकिन पैसा नहीं है। इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा, कौन देगा, अगर सारा पैसा सब्सिडी में ही चला जाएगा। चावल, केरोसिन आयल में सब्सिडी दे दें तो फिर राष्ट्र निर्माण करने के लिए पैसा कहां से आएगा। यही मेरा सवाल है। यही एक रास्ता नहीं है।

दो-तीन कारणों से वहां गरीबी है।...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): उपाध्यक्ष जी, सुबह 9 बजे से लोग यहां ड्यूटी पर हैं, स्टॉफ के खाने का तो कम से कम इन्तजाम करा दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रवि वर्मा, आपने इसकी सूचना मुझे पहले ही दे दी है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: हम बोलते हैं कि जिन लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, भूख से जो मर जाते हैं या मरने की हालत में हैं, क्या ऐसा है कि केन्द्र सरकार स्टेट्स को चावल नहीं भेज रही है, इसीलिए उनके पास चावल नहीं पहुंच रहा है? या सवाल ऐसा है कि स्टेट्स में हम बोलते हैं कि भंडार भरे हुए हैं, भंडारण का मतलब है कि केन्द्र सरकार के एफसीआई के भंडारण सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हैं, हर स्टेट में हैं। हर जगह में भंडार भरे हुए हैं तो चावल क्यों नहीं मिल रहा है? स्टेट्स को चावल उठाने में कष्ट क्यों हो रहा है? केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नही है जिससे कि वे जाकर लोगों के पास चावल पहुंचा दे। यह तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इसलिए यह बोलना कि केन्द्र सरकार चावल नहीं दे रही है, इसीलिए लोगों को चावल नहीं मिल रहा है, यह गलत है। चावल हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है रूपचंद पाल जी यह बोल रहे थे कि यह डिसैन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिए और जो डीसैन्ट्रेलाइजेशन की बात स्वामीनाथन जी बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि खाद्यान्न के भंडारण का सैन्ट्रैलाइजेशन हो रहा है लेकिन हमारी सरकार ने, श्री शांता कुमार जी ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया है कि आप खरीदो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खरीदने के लिए राजी नहीं है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता लेकिन मंत्री जी इस सवाल का उत्तर देंगे। सैन्ट्रेलाइजेशन को डी-सैन्ट्रेलाइजेशन करने के लिए इस सरकार ने कई बार कोशिश की है लेकिन राज्य सरकार इसको अपने आप खरीदने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए क्योंकि वे जानते हैं कि खरीदकर लोगों तक पहुंचाना सरल बात नहीं है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि तीन-चार कारणों से गरीबी बढ़ती जाती है। पहला कारण यह है कि गांवों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बीती भूमि कहते हैं, वह नहीं बना पा रहे हैं। पेड़ को काटकर सब समाप्त कर दिया जिसको लेकर हमारा इतना तर्क-वितर्क चल रहा है। केबीके डिस्ट्रिक्ट्स-कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिसे कई लोग इथोपिया भी कहते हैं। बाहर उड़ीसा के बारे में जैसा प्रचार हो रहा है और मैं जब गुस्सा हो गया था और मुलायम सिंह जी बोलते हैं कि दो हजार में, तीन हजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है। इसका कारण यह हो रहा है कि उड़ीसा में इंवेस्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। डर के मारे सब भागते जा रहे हैं कि उड़ीसा इथोपिया है और आप खुद ही कहते थे कि वहां खाने के लिए, पीने के कुछ नहीं है, हम वहां क्यों जाएंगे? वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई क्यों जाएगा? यह बात मत बोलिए। यह बात बोलने से हमारा काफी नुकसान हो रहा है। हमारे उड़ीसा की इज्जत जा रही है, इसीलिए वहां कोई नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि उड़ीसा के बारे में ऐसा मत बोलिए लेकिन उधर गरीबी है। उसका कारण यह है कि पेड़ को खत्म कर दिया। उड़ीसा में इसे ''पौडूचास'' कहा जाता है इसका मतलब है कि आदिवासी लोग जब जंगल को जला देते हैं, फिर उधर इस साल कुछ खेती की। इसके बाद उसको छोड़कर फिर जंगल में दूसरी जगह को जला देते हैं फिर उधर कुछ खेती की। इसी के चलते आज कोरापुट में जहां 90 प्रतिशत जमीन पर जंगल था, आज दस प्रतिशत जमीन पर ही जंगल है और वह भी ठीक से नहीं है। वहां शिक्षा भी नहीं है और लोगों की अपनी जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की कोई इच्छा भी नहीं है। उन्होंने अपने आपको भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और उन्होंने मान लिया है कि हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए हमें इस मानसकिता को बदलना पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले पचास साल से, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है, गरीबी को हटाना। लेकिन इसका उद्देश्य है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी देना पावर्टी ऐलिविएशन कार्यक्रम में ट्राइबल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है, वह यह सोचकर नहीं जाता है कि ट्रेनिंग लेकर कोई काम करेगा, रोजगार करेगा, रोजी-रोटी कमाएगा, वह

[श्री खारबेल स्वाइं]

यह सोचता है कि सरकार भत्ता दे रही है, तो वह भी 80-100 रुपया लेने के लिए जा रहा है। सरकार ने पहले आई आर डी पी योजना बनाई। बहुत लोग सांसदों के पास आकर कहते हैं कि ऋण नहीं मिल रहा है, दिलवा दीजिए। वह आपके पास ऋण लेने इसलिए नहीं आया है कि वह किसी काम में लगाएगा या पैसे को फिर वापिस करेगा। वह सोचता है कि कुछ-न-कुछ सरकार से सब ले रहे हैं, तो वह भी कुछ ले जाए। उसके लिए ऋण का यही मतलब है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इन सब बातों को देखे और योजनाओं को फर्स्ट-एड के रूप में न चलाए। सब्सिडी जिन लोगों को देनी है, उन्हीं को देनी चाहिए। सब्सिडी का पैसा ही अगर इनको दें, तो पांच हजार रुपए सबके पास चले जायें, लेकिन वह सब ब्लैक मार्केट में चला जाता है। इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने युवा मित्र श्री बिक्रम केशरी देव को इस विचारोत्तेजक चर्चा और श्री एम.ओ.एफ. फारुक को देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण हिस्सों में अनाज की अनुपलब्धता के कारण गरीबों के समक्ष आ रही समस्याओं के सन्दर्भ में चर्चा आरम्भ करने के लिये बधाई देता हूं।

महोदय, मैं अपने सहयोगी, रक्षा मंत्रालय में मुझसे पूर्व मंत्री और पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटील जिन्होंने इस चर्चा का स्तर इतनी विद्वतापूर्ण ढंग से उठाया के द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करता हूं।

हमें इस विषय पर विचार न केवल पूरी गंभीरता से करना है, बल्कि चर्चा पर हावी होने के लिए तुच्छ दलगत भावना से ऊपर उठकर करना है। लेकिन मुझे यह कहते हुये दुख है कि हमारी चर्चा मानक तक नहीं पहुंच पाई जो मानक शिवराज पाटील जी ने कायम किया है। कहा गया है कि जब रोम जल रहा था, उस समय नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। जब हिटलर ने मैगिनोट लाइन पार की, जो उसने पूछा कि क्या पेरिस जल रहा है। आज भारत में हमारे पेट जल रहे हैं।

यह देश को बर्बाद करने वाला गठबंधन है। यह एक सिद्धान्त विहीन विभिन्न दलों का ऐसा गुट है जो कि सभी राज्यों में सत्तारुढ़ है। मेरा मानना है कि हम सबको अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए क्योंकि पिछले पचास वर्षों से बार-बार इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बीते समय में जी रहे हैं लेकिन हम यह नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य और वर्तमान को किस दृष्टिकोण, इच्छा और दिशा की ओर ले जाना है।

पिछले तीन वर्षों में यहां बर्बादी, घोटाले और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। मेरे गृह राज्य में तीन मंत्री चुपचाप हटा दिये गये। मुझे इसका पता नहीं है। मुझे बताया गया है कि उन्हें भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया। हम पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से चक्रवात, सूखे या बाढ़ के कारण हुई मौतों, वंचन और भुखमरी पर चर्चा करते रहे हैं। कम से कम वित्त आयोग ने तो इसे राष्ट्रीय आपदा कहने की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यह अंग्रेजी शब्दों और भाषा का हेर-फेर है।

यदि यह एक राष्ट्रीय आपदा होती; यदि मेरा राज्य विशेष वर्ग प्राप्त होता; यदि वह राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई सीमावर्ती प्रदेश होता; यदि आधारभूत संरचना विकास होता और जनजातियों की बहुलता होती-तब शायद मेरे राज्य जैसे गरीब राज्य को भी 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋणराशि मिल सकती। महोदय परसों के दिन ही मैंने आंकड़े पेश किये थे। अत: मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। यहां, संसद में, केवल योजना आयोग के सूत्रों और वित्त आयोग के आदेशों का अनुमोदन भर होता है और इससे हम-जनता के 750 प्रतिनिधि-बिना समस्या का हल ढूंढे एक-दूसरे पर आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते।

कल हम यह कहें कि पिछले 54 वर्षों में हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मूल झारखंड प्रदेश-जो मेघालय से लेकर केरल के वैनाड़ वनों तक फैला हुआ है-के जनजाति-बहुल इलाकों की स्थिति के बारे में अवगत नहीं हैं अथवा कोई ध्यान ही नहीं रखते? जहां-जहां भी जनजातियां निवास करती रही हैं, वे स्थान झारखंड के मूल मानचित्र पर ही स्थित हैं। इन प्रदेशों की स्थिति होने के कारण हमें सदैव यहां बहस करने का अवसर मिलता है। ऐसा क्यों है कि हम इस समस्या के समाधानार्थ कोई नियोजन नहीं कर सके?

हम भारतीय दूसरे देशों की समृद्धि में अपना योगदान कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अमरीका के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 50 प्रतिशत जनशक्ति भारतीयों की हैं। 'नासा' में 50 प्रतिशत संख्या भारतीयों की है, 'ए.टी.एन.टी.' में भी आधा जनबल भारतीयों का ही है और कनाडा व ब्रिटेन में तो अब भारतीय लोग मंत्री भी बन चुके हैं और फिर भी हम यहां अपनी समस्याएं सुलझा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहां बाल गंगाधर तिलक हुए-संयोग की बात है कि वे हमारे साथी श्री शिवराज पाटील के गृह क्षेत्र से ही थे-जिन्होंने कहा था कि "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं।"

प्रो. रूपचन्द पाल डा. स्वामीनाथन की बात कर रहे थे जिन्हें 'गेहूं क्रांति' और 'हरित क्रांति' का श्रेय जाता है। एक और महिला हैं – डा. वंदना शिव। वह न तो भा.ज.पा. की हैं, न कांग्रेस की; न ही वह कम्युनिस्ट हैं और न ही समाजवादी। वह आम लोगों को लेकर एक आंदोलन कर रही हैं; उन लोगों को लेकर जो देश में 'अन्न स्वराज' चाह रहे हैं। उन्होंने सभी संसद-सदस्यों को एक ज्ञापन भेजकर इसकी गुहार की है। इस सरकार को खाद्य, कृषि, उत्पादकता, विश्व व्यापार संगठन और फिर 'गैट' सम्मेलनों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। यह भी देखा जाना है कि क्या उदारीकरण से हमारे कृषक-समाज और कृषि क्षेत्र पर कोई हानिकर प्रभाव हुआ है। इस सबमें विरोधाभास क्यों है? हमने उड़ीसा के सम्बन्ध में हमेशा विरोधाभास ही देखा है – कि सब तरह का भण्डार होने के बावजूद भी वहां गरीबी की स्थिति बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री को और विपक्ष के नेता को कितने को ज्ञापन दिये गये – जिन्होंने उन्हें, हमारे विचारार्थ उन पर यहां चर्चा करने के लिए भेज दिया है। संसद-सदस्यों वित्त आयोग, योजना आयोग और याचिका सम्बन्धी समिति को कितने ही ज्ञापन दिये गये पर इन सब ज्ञापनों की अनदेखी कर दी गई।

अन्यथा, आजादी के पचास से अधिक वर्ष गुजर जाने के बाद हम गरीबी की बात क्यों करते रहते? कुछ भी हो, आज यह स्थिति है। माननीय खाद्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह दर्शाने वाले सारे आंकड़े पेश किये गये हैं कि भण्डारों में कितना खाद्यान्न जमा है। फिर भी, एक के बाद एक सदस्यों ने यही कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक भुखमरी से मौतें हो रही हैं; बस, केरल ही एक अपवाद है जहां इस तरह भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई। कोई भी राज्य इससे बचा नहीं है। अर्थ यही है कि इस देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जहां इस तरह की मौतें न हुई हों। आज जो इस-सत्ता में है वह इसे माने या न माने: पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे माना हो या न मानो हो; सच तो यही है। यह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। बी.बी.सी. के संवाददाता इस बारे में लिख रहे हैं। कम्प्यूटर से सूचना डाउनलोड करें तो उसमें कहा जाता है कि जब तक शव-परीक्षण में यह जाहिर नहीं होता कि पेट में कुछ नहीं था, इसे भुखमरी से मौत नहीं कहा जा सकता। लेकिन, जैसा कि श्री बिक्रम केशरी देव कह रहे थे, लोग लगातार कुपोषण होने की वजह से मर रहे है और उनके शरीर में खून की कमी हो रही है। समस्या यह है कि अनाज खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। नग्न लक्षयन्द-सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ए.पी.एल. बी.पी.एल. आदि-ये सब काल्पनिक शब्द और खोखले सांचे हैं।

हम बड़े संतुष्ट हो गए हैं कि हमने योजनाएं चला दी हैं। हमने इन्हें राज्य सरकारों के जिम्मे कर दिया है। पिछले डेढ़ साल से 1999 के अक्टूबर मास से मैं लगातार देखता आ रहा हूं कि जब भी सूखे, बाढ़ या चक्रवात पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि अमुक दायित्व राज्य का है। केन्द्र सरकार इतनी दयनीय परिस्थिति में है। मैं तो एक माननीय मंत्री के विरुद्ध विशेषधिकार-हनन प्रस्ताव लाने वाला था। किन्तु दुर्भाग्य से परिवार में शोक हो जाने के कारण 27 अप्रैल को मैं सभा में उपस्थित नहीं हो पाया। सी.ए.जी. की रपट में धनराशि के अन्यत्र उपयोग, संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनागत राशि के दुर्विनियोग, चक्रवात-सहायता राशि तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट राशि के अन्यत्र उपयोग की बात की गई है। हम लोग संसद में हैं और स्वयं को इतना हताश अनुभव करते हैं। मेरे विद्वान मित्र, संविधानवेत्ता, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री शिवराज पाटील ने संविधान अनुच्छेदों से उद्धरण देकर यह दर्शाया कि केन्द्र का एक दायित्व होता है।

24 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि भारत संघ में कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। मैं वह बात उद्धृत नहीं करना चाहता। इस सब के बाद भी, हम इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्या भूल-चूक के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं रहा? सेना का एक बेचारा कैप्टन तोलोलिंग में 'टाइगर हिल्स' में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व ठीक से नहीं कर सका तो सेना ने उसका कोर्ट मार्शल किया। उसका नाम है – कैप्टन मनचंदा। उसकी रेजीमेंट ने दो 'परमवीर चक्र' अर्जित किये हैं। लेकिन यहां तो किसी की गरदन तक नहीं हिलती! निधियों के दुर्विनियोग पर किसी की गरदन तक नहीं हिलती। मेरे पास समाचार पत्र की एक कतरन है जिसमें कहा गया है कि मेरे अपने गृह राज्य में मिल-मालिक, लोक आपूर्ति अधिकारी, नौकरशाह और कई जगह तो राजनीतिज्ञ के बीच मिलीभगत है। खाद्य-माफिया चल रहा है। और हम यहां संसद में बैठकर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम राज्य विधान सभा में भी ऐसा ही करेंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। इनकी गरदनें तक नहीं हिलेंगी और लोग मरते रहेंगे। काशीपुर में वैसी घटना क्यों हुई? हमें उस पत्र की प्रतियां दी गई हैं जो मुख्य सचिव ने कलेक्टर को लिखा था और उसकी भी, जो कलेक्टर ने राजस्व आयुक्त तथा मुख्य सचिव को लिखा था। उड़ीसा के सभी संसद सदस्यों को वहां स्थानीय आयुक्त के पत्र की प्रतिलिपि मिली है। उसमें 'तकनीकी स्थितियों' का रोना रोया गया है। लोग वहां आम की गुठली पीसकर खा रहे हैं और यहां ये खाद्यान्न बेचना चाहते हैं। मेरे मित्र श्री खारबेल स्वाइं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की। हम इस खाद्यान्न को बाजार से क्रय करते हैं, दो वर्षों के लिए भण्डार में रखते हैं और फिर बहुत मूल्य पर बेचते हैं।

[श्री के.पी. सिंह देव]

रात्रि 9.00 बजे

महाराष्ट्र में भी यही हुआ, इस खाद्यान्न को मानव-उपयोग के योग्य नहीं पाया गया। इसीलिए इसे पशुचारे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसे मिल-मालिकों या दलालों द्वारा उठा लिया जाता है और सरकार द्वारा तय मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है। गरीब लोग, किसान लोग, उपभोक्ता या साधारणजन लोग ही बाजार पीड़ित होते हैं। दलाल और कुछ स्वार्थ साधक लोग मुनाफा कमाते हैं।

श्रीमान मंत्री महोदय, आपके पास 600 मिलियन टन खाद्यान्न है। लेकिन इसे लेने वाला कोई नहीं। आज स्थिति यह है कि किसान को औने-पौने दामों में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। क्योंकि सरकार उसे खरीद ही नहीं रही है। भारतीय खाद्य निगम बाजार में है ही नहीं। दस वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। 1987 में देश की सूखे की स्थिति बनी थी जो संभवतया शती का सबसे भीषण सूखा था। मेरे गृह राज्य सहित अनेक राज्य इससे पीड़ित हुए थे। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति-प्रबंधन व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि संयुक्त राष्ट्र के श्रम-सम्मेलन में, जिसमें भाग लेने के लिए श्री पी.ए. संगमा जेनेवा गए थे, यह कहकर भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई की इनका आपूर्ति-प्रबंधन इतना अच्छा है कि 1987 में शती का भीषणतम सूखा पड़ने के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वे ही सभी भारतीय यहां हैं। वे ही नौकरशाह यहां हैं। वे ही प्रशासन यहां हैं। यहां तक कि वे ही नियोजनकर्त्ता भी है। ऐसा कैसे हुआ कि स्वतंत्रता-पूर्व जिस भारत में एक सुई तक नही बनी, वह परमाणु बम, पनडुब्बियां, वायुमान और सभी कुछ बनाने लग गया? अभी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है। एक स्थिति यह थी कि हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं था। आज हम खाद्यान्न का निर्यात कर रहे हैं। हां, यह अवश्य एक विसंगति है कि हम दूसरे देशों को तो खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं है।

1985 में, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास 22 मिलियन टन खाद्यान्न का भण्डार है जो बफर-स्टॉक के लिए आवश्यक मात्रा से भी कहीं अधिक है। उन्होंने जानना चाहा कि हम इसे कम कीमत पर गरीब जनजातीय लोगों में वितरित क्यों नहीं कर देते। जनरल के. बलराम, को उस समय सेना के एडज्युटेन्ट जनरल थे, ने इसमें मदद की। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने इसमें मदद की। बस्तर में कोरापुट में और आंध्र प्रदेश के एजेंसी क्षेत्रों में हमने जनजातीय वर्गों के लोगों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कर सके। लोगों को भुखमरी से मरने से बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ राज्य पिछड़ गये हैं। पुरानी बंगाल प्रेसीडेंसी, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पिछड़े हुए हैं। योजना आयोग को अब अपनी कुंभकर्णा निद्रा के जागना चाहिये। क्या भारत में हमारे पास विचारशील मस्तिष्क नहीं है? हममे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी के विषय में लिखकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। डा. अमर्त्य सेन उसी जाधवपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, जिसमें मैं पढ़ा हूं। उन्होंने विकासात्मक अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी है। उनका कहना है कि इसे साध्य मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। उसमें उन्होंने बंगलादेश में तथा भारत में अपने निजी अनुभवों के बारे में लिखा है। उन्हें नोबल पुरस्कार मिला। इसके बाद भी हम अपनी जनता को दो जून का भोजन नहीं दे पा रहे हैं! और फिर हम इसका आयात भी तो नहीं कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हमने न सिर्फ आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वास की उपलब्धि की थी बल्कि यह भी सुनिश्चित किया था कि ऐसे क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं भी शुरू की जाएं।

श्री बिक्रम केशरी देव ने कोरापुट के लिए संशोधित दीर्घावधि योजना का उल्लेख किया जिसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ी धनराशि दी है। मैं आपको आठ पत्रों वाली सूची दिखाना चाहूंगा। आठ सभासद के.बी.के. जिलों से संबद्ध हैं। कहने का आशय यह है कि बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। संशोधित दीर्घावधि-योजना अभी शुरू भी नहीं हुई है। कोरापुट और काशीपुर में लोग मर रहे हैं। जब तक डा. गिरिधर गमांग मुख्यमंत्री थे, तब तक एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वह यहां भी योजना मंत्री रहे हैं। किन्तु वह केवल राज्य मंत्री थे। एक समय वह उपमंत्री, कल्याण विभाग थे। जब मैने ढेंकानाल जिले में आठ छात्रावासों की बात की तो उन्होंने मंजूरी दे दी। अब यहां वहां कुछ और छात्रावास खोलने की मंजूरी दे देने में क्या बड़ी बात हो गई? लोग क्यों मर रहे हैं। छात्रावास में रहने कौन जायेगा? पहले तो आप यह निश्चित कीजिये कि उन्हें दो जून भरपेट भोजन मिले!

1947 के पहले तक, कालाहांडी को एक समय पश्चिमी उड़ीसा का अन्न-भण्डार माना जाता था। वहां से रायपुर और विशाखापत्तनम तक चावल भेजा जाता था। ऐसा क्यों है कि आज वहां लोग विपलावस्था में रह रहे हैं? अखबारों में ऐसी खबरे क्यों आ रही हैं कि बच्चों को बेच तक दिया जा रहा है? ऐसा क्यों हो गया कि आज कोई उड़ीसा नहीं जाता? आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई हैं; वाणिज्य-व्यापार में गिरावट आ गई है। 1990 के दशक के दौरान वह प्रगतिशील था।

ऐसी निष्क्रियता की अवस्था क्यों है? बेरोजगारी चिंताजनक ढंग से बढ़ गई है; वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो मात्र खैरात पर ही जिंदा नहीं रह रहेंगे। योजना आयोग

को संभ्रमित नहीं होनी चाहिये। उसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए एक अशितंत्र तैयार करना चाहिये। चतुर्थिक विकास होगा तभी भारत मजबूत बन सकेगा। यदि उत्तर प्रदेश कमजोर होता है, बिहार कमजोर होता है, उड़ीसा कमजोर होता है या पश्चिम बंगाल कमजोर होता है–तो भारत भी कमजोर होता है। अत;, जो बात डा. वंदना शिव ने अपने पत्र में लिखी थी वही श्री रूपचन्द पाल ने उठयी है। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। खाद्य-सुरक्षा दी जाए और इसके लिए केन्द्रित और विकेंद्रीकृत आयोजना की जाए। यह मात्र जिला-स्तर पर ही न हो, बल्कि इसे ग्राम-स्तर पर लाया जाए। खाद्य-सुरक्षा राष्ट्रीय-सुरक्षा है।

अंत में मैं पीटर ठक्कर का कथन उद्धृत करूंगा, उन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च हस्ती कहा जाता है। मैंने इस बात को इंडियन एयरलाइन्स के विमान में यात्रा करते समय उनकी गृहपत्रिका 'स्वागत' में पढ़ा। वह कहते हैं कि प्रबंधन का पूरा भाष्य आम भारतीय गृहलक्ष्मी के चरित्र पर लिखा गया है।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अन्तर्गत हो रही इस चर्चा में गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न की अनुपलब्धता पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

एक तरफ तो बाढ़ है। दूसरी तरफ सूखा है। कहीं तो हम भारी मात्रा में उपज पाते हैं और कहीं देखते हैं कि फसल उगाने के लिए सहायक परिस्थितियां ही नहीं है। कृषि कार्य ठीक ढंग से नहीं हो जाता। जुताई-बुवाई में समस्याएं आती हैं। एक तरफ तो हम वैज्ञानिक प्रगति की डींगे हांकते हैं। दूसरी तरफ, पाते हैं कि पिछड़ापन है। यह भी सही है कि यह कम्प्यूटरों का युग है। भारत ने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

लोगों की बुनियादी समस्या यही है कि उन्हें पर्याप्त भोजन चाहिए। हम सभा के सभी लोग इस समस्या को संतोषजनक तरीके से सुलझाने में असफल रहे हैं। हम एक दूसरे के दोष ढूंढते रहे हैं। हमने जरूरतमंदों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। हमने भूख से पीड़ित लोगों की भावनाओं की उपेक्षा की है।

हम खाद्य-उत्पादन के क्षेत्र में हरित क्रांति जैसे अपने प्रयासों के जरिए आत्म-निर्भरता हासिल कर सकते थे। किन्तु वितरण के मोर्चे पर फिर असफल रहे। एक समय, जब हमारे पास खाद्यान्न भारी कमी थी हमने पी एल-480 के अन्तर्गत खाद्यान्न लिया। समुचित वितरण के लिये भुखमरी के समस्या का समाधान करने की बजाय, आलोचनाएं ज्यादा की जा रही हैं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आज हम पाते हैं कि अनेक राज्य किसानों को मुफ्त बिजली देना बन्द करने पर बाध्य हैं। अब इस बात पर आरोप लग रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कर ने की योजना के जरिये ही हम आत्म-निर्माण हासिल कर सकते हैं।

हमारे नेता और तमिलनाडु के बार बार मुख्यमंत्री रहे डा. कलैनार ने किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराए रहने की आवश्यकता पर बल दिया था। वह सदैव इसी बात को रेखांकित करते रहे हैं कि कृषिकार्य में कभी रुकावट न आये, कृषि-मजदूरों की प्रभाव पर मिलते रहे जिसके खाद्य-उत्पादन की सुनिश्चितता रहे। रोजगार की गारंटी देकर गरीबों का पालन-पोषण भलीभांति किया जा सकता है।

हमारी कृषि-अर्थव्यवस्था में गंगा-कावेरी लिंक नहर योजना जैसी दीर्घावधि-संदर्शी योजनाएं बहुत पहले ही शुरू को जानी चाहिए थीं। जब डा. के.एल. राव केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री थे, वह गंगा-कावेरी लिंक नहर योजना शुरू करने की वकालत करते रहे। बड़े निवेश की प्रतीक्षा में भारी खर्चा करते रहने की आवश्यकता बताने की बजाय, उन्होंने एक दूसरा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने तक दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को भोजन दिया जाता रहे और इन्हें उनकी मजदूरी के एवज में लिंक नहर के दोनों तरफ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करा दी जाए। तब से वर्षों गुजर गये! गंगा-कावेरी लिंक योजना ताक पर रख दी गई है।

यदि हमने उस योजना पर अमल किया होता तो, कहीं बाढ़, कहीं सूखे की स्थिति न बनती। आज भी हम वह विराट योजना शुरू कर सकते है संबंधित सिंचाई, सतत खाद्य-उत्पादन और रोजगार की अपार संभावनाएं सामने आयेंगी। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार और वर्तमान जल संसाधन मंत्री इस ओर ध्यान दें और गंगा-कावेरी लिंक योजना शुरू करने की ओर पुन: विचार करें।

दो वर्ष पहले की बात है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कतिपय गैर-सरकारी संगठनों ने वर्षाजल संचित करने में किसानों की मदद की जिससे खाद्य-उत्पादन बढ़ गया। किन्तु इस सभी किसानों तक यह संदेश पहुंचाने में असफल रहे हैं। यदि यह नई तकनीक अपनायी जाती तो हमारे देश के किसानों को फायदा होता।

हम पाते हैं कि देश में गरीबी और सूखा की स्थिति है, किन्तु इस पीड़ादायक समस्या का समाधान भी है, हर कोई केवल पेट लेकर ही पैदा नहीं हुआ है, उसे दो हाथ भी मिले हैं-जिनसे वह मेहनत कर सकता है और अपनी रोटी कमा सकता है।

हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं। किन्तु हमने समुचित रूप से इसका उपयोग नहीं किया है। ठण्डे पश्चिमी देशों में वो

[श्री ए.के.एस. विजयन]

ऐसी सुविधा नहीं, किन्तु एक उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण हम वर्ष भर फसल ले सकते हैं।

जब देखिए, जहां देखिए-गरीबी का विकृत चेहरा दिखाई देता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह कहना अनावश्यक है कि इसके लिए सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं अथवा प्रति परक यह व्यर्थ की चर्चा से उस व्यक्ति को तो कोई फायदा होने से रहा जो भूखा है। इस चर्चा से भूखे लोगों को शक्ति नहीं मिलेगी।

हर बार बजट पेश करते हैं। हम 20 प्रतिशत जनसंख्या पर अपने राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत भाग खर्च करते हैं। यह एकांगी तरीका भी अल्पाधिकार प्राप्त लोगों के विकास में आड़े आते हैं। हमें दीर्घावधि योजनाओं और संदर्शी योजनाओं की आवश्यकता है।

कम से कम अब से ही हम ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करें जो भूख से पीड़ित लोगों के लिए पर्याप्त भोजन मुफ्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। लोगों की पर्याप्त क्रय शक्ति हो - इसके लिए जनोन्मुखी योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को समन्वित उत्पादन और वितरण के जरिए पूरा किया जाना होगा। केवल तभी हम यह स्थिति - कि एक तरफ तो भूख है और दूसरी तरफ बदहजमी - हटा सकेंगे। हम स्वयं से यह पूछें कि क्या ऐसा संभव हो सकेगा? हम एक नवीन संकट के क्षेत्र में हैं। देश के एक हिस्से में जो होता है उसकी सूचना दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। इस प्रकार गरीबी को समाप्त करने के लिए एक व्यवहार्य समन्वित दृष्टिकोण बनाना संभव हो सकता है।

हमें, इस सम्मानित सभा के सदस्यों को, अपने मतभेद भुलाकर साथ बैठना होगा और निर्धनतम स्थिति में रह रहे लोगों के कल्याण हेतु संवेदनापूर्वक कार्य करना होगा। हम समुचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खाद्य-उत्पाद करने की दृष्टि से दीर्घावधिक योजनाएं बनाएं जबकि विशेषकर भूख से पीड़ित लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की तरफ भी ध्यान रखें।

इन्हीं शब्दों में हाथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। जिस समय श्री शिवराज पाटील सदन में बोल रहे थे, जिस ढंग से उन्होंने गरीबों की पीड़ा व्यथा और परेशानी को अपनी भाषा में, और सच कहा जाए जो अपने दल से ऊपर उठकर सदन में जिस तरह से भाव व्यक्त किये, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस देश में अन्न उत्पादन की अब कोई कमी नहीं रही गई है और किसान अपने बाहुबल पर दिन-प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इस सबके बावजूद भूख से मरने की घटना कभी न कभी चर्चा में आ जाती है और कभी मीडिया के माध्यम से सामने आ जाती हैं। जब यह चर्चा सामने आती है तो हम चिन्तित होते हैं और सदन में चर्चा करते हैं कि आखिर इतने विशाल देश में जहां सौ करोड़ के ऊपर आबादी हो गई है, किसान अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस देश के लोग परिश्रमी हैं, तकनीकी दृष्टि से भी इस देश के लोग काफी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इन सबके बावजूद देश में भुखमरी की स्थिति निश्चित तौर पर चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार भी समय-समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहती है और देश में कोई भूख से न मरे, इसके लिए सरकार चिन्तित रहती है और घोषणाएं भी करती है कि देश में भूख से मरने की स्थिति नहीं है। उसके बाद भी भूख से मरने की घटना प्रकाश में आती है। अन्न के भंडार भरे हुए हैं। देश में अन्न की कमी नहीं है। चावल और गेहूं हमारे भंडारों में सड़ रहा है। सदन में वितरण व्यवस्था पर चर्चा चली कि वितरण व्यवस्था राज्य सरकारों के जिम्मे होती है। इस तरह से राज्य और केन्द्र की जो भी चर्चा चलती है कि राज्य सरकारों के जिम्मे कौन से काम हैं और केन्द्र सरकार के जिम्मे कौन से काम हैं, इन दोनों की जो सीमाएं हैं और जो उनका सीमांकन किया गया है, मुझे लगता है कि इस सीमांकन के कारण उन गरीबों को परेशानी होती है जो भूख से मरते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पी.डी.एस. के माध्यम से सामान का वितरण होता है। यदि पी.डी.एस. के सामान गांवों तक पहुंच भी जाएं तो जो सामान पैसे से मिलता है, लेकिन गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वे उस सामान को ले पायें, तभी वे उस सामान को ले पायेंगे।

उनकी आर्थिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक वह उस दुकान से सामान लेने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक अगर गांव तक सामान पहुंचा भी देंगे तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बात तय है कि भुखमरी से जहां इस देश में मां अपने बच्चों को बेचकर उनका पेट भरने का काम करती है, वहीं इस देश में बहनें अपना शरीर का रोजगार करके भी अपने बच्चों को पालने का काम करती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन इसमें सुधार का आखिर कौन सा रास्ता हो सकता है - यह सोचने की आवश्यकता है। यह सदन चिन्तित है, हम सब लोग चिन्तित हैं। मैं मानता हूं कि इसमें खासकर दो-तीन बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग इस स्तर के हैं जो आदिवासी इलाकों में हैं, अति पिछड़े हैं, बिल्कुल असहाय हैं, कमजोर, उन इलाकों में प्रशिक्षण शिविर चलाने की जरूरत है और प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ जो आम जिन्दगी चलती है, हम जिन्दगी

की बात नहीं करते, हम यह बताना चाहते हैं कि जीवन स्तर कैसे आदमी का बने, जीने की राह क्या हो, आदमी अपनी जिन्दगी को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कैसे कर सके। हम मानते हैं कि जो अति पिछड़े इलाके हैं, वहां इसकी भी जानकारी नहीं है। एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आई कि बिहार सरकार ने मुझे पकड़कर हजारीबाग जेल में एक वर्ष तक रखा। उस जेल में ज्यादा आदिवासी बंद थे। एक आदिवासी की तबीयत खराब हो गई और उसके पेट में गर्मी और दर्द बना हुआ था। जेल का डाक्टर आया, उसको देखा और दवा लिखकर सुई देने की बात की। डाक्टर की दवा उसने नहीं ली और सुई लेने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि डाक्टर हमारी जान ले लेगा और उसने खुद अपनी दवा क्या की कि बेल का पत्ता तोड़ कर जिस तरह से मवेशी चबाते हैं, उसी तरह से चबाना शुरू किया और पानी पी लिया। हमने कहा कि दवा क्यों नहीं ली तो उसने कहा कि बेल का पत्ता पेट को ठंडा कर देगा और जब पेट ठंडा हो जाएगा तो अपने आप दर्द ठीक हो जोगा। उसको चिकित्सक और दवा पर भरोसा नहीं है। जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, जब तक उसे जीने की राह नहीं बताई जाएगी, जब तक वह जीने की राह तय नहीं कर पाएगा, तब तक आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, उसके जीवन स्तर में कोई सुधार होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मजदूर लोग देश में देहातों में बसते हैं, चाहे वह खेत मजदूरी करते हों या किसी उद्योग धंधे में मजदूरी करते हैं, जब मजदूर काम करके लौटते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई या असंतुलित होती है कि वह दिन भर में कुछ पैसे कमाकर आते हैं तो कहते हैं कि शरीर की थकान उतारने के लिए कोई नशा चाहिए। जब तक वह शराब या ताड़ी नहीं पीते हैं तो कहते हैं कि देह की थकान नहीं उतरेगी। जब तक उनको यह नहीं बताया जाएगा कि उनको ताड़ी या शराब से नुकसान होगा, इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, तब तक वह दिन भर कमाकर नशा करेंगे और आधा पेट भोजन करेंगे और सुबह के लिए रखेंगे कि कहीं किसी से मांगना न पड़ जाए। वैसी स्थिति में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनको जीवन की राह बतानी पड़ेगी। जब तक जीने की राह के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक सरकार कोई भी व्यवस्था कर ले इस देश में लोग भूख से मरते रहेंगे।

महोदय, इस देश में वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था है कि जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे, जिनके बाल-बच्चे नहीं हैं, खेत का साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, उनको हम 75 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से पेन्शन देते हैं जीविका चलाने के लिए। यानी 75 रुपये में एक महीने हम यदि किसी के भोजन के लिए देते हैं तो इसी से हम सोच सकते हैं कि ये 75 रुपये में एक महीना एक व्यक्ति कैसे अपनी जीविका चला सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 75 रुपए प्रति मास भी सरकार उन लोगों को देती है जिनके जीने का कोई साधन नहीं है। जब उसका कोई साधन नहीं है, तो 75 रुपए में तो पूरे महीने गुजारा हो नहीं सकता, वह भूख से तड़प कर मरेगा। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप यह योजना चलाते हैं और बूढ़े असहाय व्यक्ति को भूख से मरने नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें और साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। जहां तक सरकार की साधनों पर नियंत्रण करने की बात है, आज मैं खुले तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं और मैं किसी भी राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं किसी पर भी आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सत्य है कि राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर एक माफिया गिरोह बनाए हुए हैं और जो गरीबों का हिस्सा यहां से जाता है, उनके गांव तक, घर तक जाता है, वह वहां न पहुंच कर खुले बाजार में, काले बाजार में बिकता है। जिन लोगों को निगरानी करने के लिए रखा गया है, जो लोग देख-भाल और जांच करने के लिए रखे गए हैं, वे लोग ही गरीब लोगों के हिस्से को मारने का काम करते हैं। जो रखवाला है, वही चोरी में शामिल हो जाएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि गरीबों को राहत मिलेगी और गरीबों के मरने की घटना इस देश में नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी हैं जिनके चलते भी जो बिलकुल नीचे के तपके के लोग हैं, जो भुखमरी के शिकार हो हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। वैसे पता नहीं यह बात सदन के लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मन में भाव आ गया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जो आरक्षण की नीति चलती हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि आरक्षण का लाभ जो जातियों के आधार पर हुआ है, उस जाति में उन लोगों को मिलता है, जो उसके पात्र नहीं हैं और जो असल में उसके योग्य हैं, जो सही मायने में आरक्षण के हकदार हैं, उन लोगों को नहीं मिलता। इसलिए आरक्षण के मामले में भी यह सुधार हो जाए कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, जो मजबूत हो गए हैं, उनको सहायता नहीं मिले बल्कि सहायता और आरक्षण उनको मिले जो गरीब लोग हैं, जिनका सहारा नहीं है, जो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, जो अति गरीब हैं, गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिनको अभी तक साधनों का कोई लाभ नहीं मिला है, उन्हें मिले। जो गरीब लोग भूख के मारे मर गए हैं, उन्हें तो सुविधा नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल जाए, ताकि उसके बच्चे तो ठीक प्रकार से अपनी गुजर-बसर कर सकें और उसकी पीढ़ी सुधर जाए। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आरक्षण की नीति में कुछ सुधार किया जाए और कुछ सोच-समझकर कदम उठाए जाएं ताकि जो लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को

[श्री प्रभुनाथ सिंह]
लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर दिए जाने पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कषगम (एआईएडीएमके) पार्टी की ओर से मैं भारत के भुखे और जरूरतमंद लोगों के बारे में हो रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

महोदय, महान स्वतंत्रता सेनानी और तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती ने तमिल में एक गीत लिखा है:-

"थानी ओरु मनिथानुक्कु उनावलाएं निल
इनथा जगथिनाइ अजिथिडुवम"

इसका मतलब है कि यदि नागरिक को भोजन नहीं मिल सकता है, तो इस दुनिया को नष्ट हो जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी सुब्रह्मण्यम भारती-ने गीत में ऐसा ही कहा है। सुब्रह्मण्यम भारती के शताब्दी समारोह के अवसर पर मेरे स्वर्गीय नेता डा. एम.जी.आर. ने भारत के भुखमरी से पीड़ित युवकों का पोषण करने के लिए "पोषक आहार योजना" (न्युट्रिसस मील स्कीम) की घोषणा की थी।

अब मैं देख रहा हूं कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के लोग भुखों मर रहे हैं। लोगों की भुखमरी दूर करने के लिए राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? जब लोग रोटी मांगे तो आप उन्हें नहीं दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि उसने उच्च प्रौद्योगिकी में प्रगति की है, किन्तु वहां भुख से मौतें हो रही हैं। अन्य राज्य की अन्य क्षेत्रों में प्रगति की बात करते हैं किन्तु वहां भी भूख से मौतें हो रही है। यह भारत का एक अलग क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं।

महोदय, जैसाकि श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा है कि जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन की गारंटी प्रदान करना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्त्तव्य है। यह संविधान की ओर से दी गई गारंटी है, संवैधानिक कर्त्तव्य है और संवैधानिक बाध्यता है। यदि कोई नागरिक भूख से पीड़ित है तो यह सरकार का काम है कि वह उसे भोजन दे। सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे पास अन्न नहीं है।

अब खाद्यान्न के प्रचूर भंडार है। बफर स्टॉक है। मैं इस बात को उद्धृत करना चाहता हूं कि खाद्यान्न के निर्धारित बफर स्टॉक के मानदंडों के मुकाबले केन्द्रीय पूल में 1.07.2001 तक चावल और गेहूं का स्टॉक क्रमशः 227.51 और 389.20 लाख टन है। कुल स्टॉक 616.70 लाख टन है। इतनी मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता से लोग भुखमरी कैसे महसूस कर रहे हैं। लोग भूख से क्यों मरेंगे?

मैं बताना चाहता हूं कि जब कार्यपालिका ने जनता को निराश किया तो उच्चतम न्यायालय ने अपनी भूमिका निभाई थी। कार्यपालिका जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। कार्यपालिका में बैठे राजनेताओं ने इन राज्यों में भूखे गरीब लोगों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के दौरान कहा था, "आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बन्द पड़ी दुकानों को निश्चित रूप से खोलना चाहिए।" इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बंद पड़ी दुकानों का क्या हुआ? गोदाम चावल और गेहूं से भरे पड़े हैं। खाद्यान्न की उपलब्धता है। चावल और गेहूं खासकर सामग्रियां उपलब्ध हैं। यह सब किसके नियंत्रण में है। यह केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए, भूख से मौतें नहीं होती बशर्ते कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही सही निरीक्षण करती।

मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार ने वृद्धों वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की थी। प्रत्येक नागरिक कभी वरिष्ठ नागरिक होगा ही इस बात की गारंटी तभी है कि उन्हें प्रति माह 20 और 10 किलोग्राम के अनुपात में खाद्यान्न दिए जा सकते हैं। फिर सरकार ने इसके लाभार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत तक सीमित कर दी है। अस्सी प्रतिशत लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। सरकार के गोदामों में बफर स्टॉक है। फिर भी ये 20 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ है। मैंने ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वैंकैया नायडू से बात की थी। उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। सरकार ने इस योजना को 20 प्रतिशत लोगों तक सीमित कर रखा है। अर्थात् सरकार की शिथिलता, शासन चलाने में अक्षमता और खाद्यान्न प्रबंधन की अयोग्यता से ही इस तरह की बनावटी कमी पैदा हुई है।

खाद्यान्न की इस तरह की बनावटी कमी ही भूख से मौत का कारण है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जब लोग गरीबी से मरते हैं तो इसका एक कारण बेरोजगारी भी है। युवक बेरोजगार हैं और गरीबी का उन्मूलन नहीं किया गया है। आप के पास गरीबी

उन्मूलन के कार्यक्रम है। फिर इन कार्यक्रमों का क्या हुआ? सभी बुराइयों और अपराधों का कारण गरीबी है। लोगों के समाज में गलत ढंग से समायोजित के लिए जिम्मेदार सरकार है। जब स्टॉक प्रचूर मात्रा में था, तो सरकार ने अपनी आंखें बंदकर ली थी - मैं नहीं जानता कि यह अपराध है या उपेक्षा है।

माननीय मंत्री जी इस सभा में इस मुद्दे पर अक्सर प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं। उन्होंने 30.6.2001 तक एफ सी आई में संग्रहित गेहूं चावल और धान के स्टॉक का वर्षवार ब्यौरा दिया है। प्रथम दो वर्षों तक का स्टॉक 76,09,286 टन है; दो से तीन वर्षों तक का स्टॉक 23,51,752 टन रहा है और तीन से चार वर्षों तक का यह स्टॉक 9,37,090 टन है। ये खाद्यान्न स्टॉक के वर्षवार आंकड़े हैं। चार से पांच वर्षों में यह स्टॉक 2,24,470 टन का है। यह स्टॉक सड़ जाएगा। जब खाद्यान्न का यह वर्षवार बफर स्टॉक नष्ट होने जा रहा है तो जनता के लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। सरकार ने इन खाद्यान्नों को नष्ट कर दिया है और इसी की वजह से लोग भूखों मरे हैं।

हम कृषि उत्पादन में पीछे नहीं है। भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमें आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्टॉक भरपूर है किन्तु सरकार इससे लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। खाद्यान्न आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया है। गोदामों में बफर स्टॉक में पड़ा खाद्यान्न आम आदमी को नहीं मिल पाते। सरकार को इसके लिए जगना होगा, आंखे खोलनी होगी और लोगों का ख्याल रखना होगा।

हम अभी भुखे लोगों की बात कर रहे है जबकि सत्ता पक्ष की बेंचे खाली है। किसी की इस चर्चा में रुचि नहीं है। जब हमने विनिवेश की बात की थी तो पूरी भीड़ थी; जब हमने औद्योगिकीकरण की बात की थी तो लोग भरे हुए थे। उन चर्चा में सभा पूरी तरह भरी हुई थी।

भूख से होने वाली मौतों के लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। उसे 30 सितम्बर, 2001 तक चलने वाले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न के स्टॉक को आवंटित करना चाहिए। इस कार्यक्रम को जरूरतमंद लोगों के संतुष्ट होने तक सभी राज्यों में शुरू किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री 30 सितम्बर, 2001 की समय सीमा को आगे बढ़ाएं। उन्हें इसे चलाना चाहिए क्योंकि ये सब सूखा प्रवण राज्य हैं और प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाते हैं।

इन बफर स्टॉकों के मामले में न्यायपालिका कार्यपालिका का रूप धारण कर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज का भरपूर भंडार होने के बावजूद भूख से हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने सूखा प्रभावित छह राज्यों को एक सप्ताह के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बंद पड़ी दुकानों को चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा था। सरकार को चाहिए था कि वह उन राज्यों को एक सप्ताह के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को चालू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। उच्चतम न्यायालय की अवमानना न करते हुए, यह कार्यपालिका का कर्त्तव्य बनता है। दुकानों को खोलने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे। क्या सरकार न्यायालय के प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति उत्तरदायी है?

कार्यपालिका इस सभा के प्रति, इस संसद के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल रही है।

मुम्बई का एक बहुचर्चित मामला है - ओलगा टेल्लिस केस। सभी वकीलों को इस बारे में जानकारी है; मैं समझता हूं कि श्री शिवराज पाटील भी इस बारे में जानते हैं। जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 22 में गारंटी प्रदान की गई है। उन दिनों जीने के अधिकार की व्याख्या निवारक नजरबंदी के विरोध में की गई थी। ओलगा टेल्लिस मामले में इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह की गई थी। जीने के अधिकार में रहने और खाने के अधिकार को शामिल किया गया है। यह अधिकार भारत की प्रत्येक जनता को प्राप्त है। इस अधिकार को लागू करना, इसकी गारंटी प्रदान करना, जनता को इसके हनन के किसी भी प्रयास से रक्षा करना आदि केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है।

महोदय, सरकार ने राज्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया है। यदि सरकार ने इन सिद्धांतों का अनुसरण किया होता, तो ये राज्य प्रभावित नहीं हुए होते। संविधान के अन्य प्रावधानों पर निगाह डालने से पहले सरकार को इसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सरकार को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करनी होगी। यह केवल आर्थिक न्याय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय भी शामिल है। लोगों को समाज में ही रहना चाहिए। इस प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 तथा 47 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। तत्पश्चात् कम से कम इन छह भूखमरी से पीड़ित राज्यों को भोजन दिए जाने चाहिए। इन छह राज्यों की देखभाल सरकार द्वारा की जानी चाहिए विशेषकर इसलिए भी भूख नामक यह रोग इन राज्यों में कहीं क्रोध का रूप न धारण कर लें।

जहां तक हमारे राज्य का सवाल है, तो हम जनता की आशाओं के अनुरूप शासन कर रहे हैं। तमिलनाडु में चार बार के शासन काल में कभी भी-भूख से किसी की मौतें नहीं हुई। 1967

से वहां भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लोग बफर स्टॉक चोरी नहीं करते है।

हालांकि यह मामला भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय संसद के सदस्यों के रूप में हम श्री शिवराज पाटील, श्री रूपचन्द पाल और अन्य सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्त विचारों से सहमति व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों से सहमत हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को भोजन मिले। हम नहीं चाहते हैं कि लोग भूख की समस्या से जूझते रहें। उन्हें भोजन का अभाव नहीं होना चाहिए। यह इथियोपिया नहीं है। हमारे पास गेहूं और चावल का भंडार है। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। इतना बड़ा बफर स्टॉक होने के बावजूद भी यह सरकार अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रही है। फिर भी, सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए और अपने संवैधानिक दायित्वों का समुचित तरीके से पालन करना चाहिए।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा और न ही आप इसके लिए अनुमति देंगे। मैं समस्त चीजों पर दो भागों में चर्चा करूंगा।

जैसाकि आप जानते हैं कि आज की बहस उड़ीसा के काशीपुर ब्लॉक में कथित रूप से भूख से हुई मौत से संबंधित समाचार के आज और कल की प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने के परिणामस्वरूप छिड़ी है। चूंकि मैं उस राज्य से आता हूं इसलिए मैं समझता हूं कि यह मेरा पहला कर्त्तव्य बनता है कि मैं पूरी तस्वीर को साफ करूं।

महोदय, मेरी आशंका या मेरा अनुभव है कि एक सुनियोजित प्रयास के तहत राज्य की बहुत बुरी तस्वीर पेश की जा रही है, उस राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो राज्य में सत्ता संभालने के बाद गत 15 महीनों से विरासत में मिले राज्य के अति नाजुक हालात से निपटने का बेहतर प्रयास कर रही है।

महोदय, कल और आज सुबह मैंने फोन पर कुछ लोगों से और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी। मैं पूरे विश्वास के साथ साफ-साफ इस बात से इनकार करता हूं कि वहां भूख से कोई मौत हुई हो। लोग मरे हैं। परसों कुछ लोग मरे है और 15-20 लोग कुछ दिन पहले मरे हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय अधिकारी दल भेजा है। समुचित जांच-पड़ताल की गई है और काशीपुर ब्लॉक के कुछ गांवों में जो तथ्य सामने आए है उनसे पता चलता है कि वहां मौतें भूख से नहीं हुई है।

महोदय, यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां लोगों की कुछ विचित्र तरह के भोजन करने की आदत है। वे कुकुरमुत्ता का करी बनाते हैं। कुकुरमुत्ता मुख्य भोजन नहीं है। कभी-कभी यह कुकुरमुत्ता जहरीला हो जाता है। ये मौतें विषान्त भोजन से होती है। फिर भी, इस क्षेत्र के लोगों की आदत आम की गुठली का पाउडर और पेस्ट बनाकर खाने की है। वे इसे लम्बे समय तक संजों कर रखते है जिससे यह जहरीला हो जाता है। इसलिए ये मौतें संयोगवश होती है; विषाक्त भोजन करने से होती है, न कि किसी और कारणों से।

[हिन्दी]

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): लेकिन वहां उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तभी तो वे यह सब खा रहे हैं। मेन कारण तो यही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य: महोदय, यह उनका संसदीय क्षेत्र है। इस बीच आजादी के समय से सरकार द्वारा बहुत कुछ किया गया है। यद्यपि वहां 4000 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी और 500 और लोगों को यह पेंशन मुहैया करायी जा रही है। सुनिश्चित रोज़गार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। गत कई महीनों से टेस्ट रिलीफ वर्क्स भी चल रहे हैं। अत: यह कहना सही नहीं है कि लोग इसलिए मर रहे हैं कि उनके लिए करने को कोई काम नहीं है और खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं है।

महोदय, मैं जरा इस हालात की पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह संदर्भ से अलग नहीं है। यह अविभाजित कोरापुट जिला जिसका ब्लॉक मुख्यालय काशीपुर है, केबीके अर्थात् - अविभाजित कालाहांडी अविभाजित बोलंगीर और अविभाजित कोरापुट जिलों का भाग है। जब श्री नरसिम्हाराव प्रधान मंत्री थे और कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उस समय 5000 करोड़ रुपए की केबीके योजना की घोषणा की गई थी। मैं इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। मैं इस समस्त चीजों को राजनीति से ऊपर रखना चाहता हूं। यह मानवता से जुड़ी समस्या है। जैसाकि कालाहांडी के माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे, यह योजना शुरू ही नहीं की गई। उड़ीसा सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए दीर्घावधि कार्यक्रम भेजा था। मेरे विचार में इस समस्त केबीके योजना का नाम मात्र बदला गया है यह और कुछ नहीं बल्कि नियमित योजनाओं और कार्यक्रमों का पुलिंदा है। इसमें जोड़ा कुछ नहीं गया है। इसमें बस कुछ सौ करोड़ रुपए जोड़े गए हैं।

महोदय, आजादी के 53 वर्षों के बाद, हमें मालूम है कि वे लोग कौन है जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये वहीं लोग हैं जो काशीपुर ब्लॉक में भूखमरी से हुई मौतों पर हाय तौबा मचा रहे हैं। वे लोग इस राज्य पर शासन कर रहे थे, वे इस देश पर शासन कर रहे थे। उनके द्वारा कुछ ठोस नहीं किया गया।

प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कल 'शून्य काल' में भूखमरी से हुई मौतों का उल्लेख किया था और कई ऐसी बातें कही थी जिनसे यह चर्चा उभर कर आई है। मैं इस सभा को 1966 के इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 1966 में उड़ीसा में विशेषकर कोरापुट और कालाहांडी जिलों के क्षेत्रों में भयंकर अकाल जैसी स्थिति हुई थी। महोदया गांधी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था और उन पत्तियों को चख कर देखा जो आदिवासी लोग खाते थे। उस घटना के दशकों बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पुन: वर्ष-1987 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी के साथ उस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ने भी आदिवासियों के भोजन को चखा। वह घटना राष्ट्रीय अखबारों और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित हुई। बहुत सारी बातें उस समय कही गईं। किन्तु उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उड़ीसा के उस क्षेत्र में हालात दयनीय है। उड़ीसा निश्चय ही एक पिछड़ा राज्य है। जिस तरह के दयनीय हालात छतीसगढ़, मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग और देश के अन्य भागों में हैं उसी तरह के हालात उड़ीसा राज्य में है। इस बात से कतई इन्कार नहीं है कि राज्य में गरीबी है। किन्तु यह गरीबी कोई रातों रात नहीं पनपी है। मेरा मतलब है कि हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हमें कुछ क्षण के लिए राजनीति भावनाओं से ऊपर आना होगा और इसके कारणों की तलाश करनी होगी। स्वयं केन्द्र सरकार को भी इस समस्या में शामिल होना होगा। राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। पूरी समस्या पर यथार्थपरक विचार किया जाना चाहिए।

हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसकी असफलता पर बहस कर रहे हैं। कालाहांडी कोरापुट-बोलंगीर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कई दुकानें हैं। तथापि आरोप है कि लोगों को चावल नहीं मिल पाते हैं। क्योंक मैं पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटील का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। मैं उनसे सहमत हूं। मैं नहीं कहता कि गत पचास वर्षों के दौरान इस देश में कुछ नहीं किया गया है। हां, हरित क्रांति लाने में हम सफल जरूर रहे थे। इस तथ्य से इनकार नहीं है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की प्रचुरता है। किन्तु गत पचास वर्षों के दौरान हमने ऐसी कौन सी व्यवस्था विकसित की है जिससे खाद्यान्न की भुखमरी से मर रहे लोगों तक पहुंच सके। क्या इस स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेवार नहीं है जो इस देश में इतने लम्बे समय तक सत्ता में रहे हैं। गत पचास वर्षों के दौरान लोगों की खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? गत पचास वर्षों के दौरान सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दलित लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया है?

प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सकता है और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कई दुकानें भी स्थित हो सकती हैं, पर, जब तक हम लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ायेंगे तब तक भूखे लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से चावल और गेहूं नहीं पहुंच पायेगा। इसलिए, पूरी समस्या पर हमें नए सिरे से ध्यान देना होगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत खामियां हैं। कोरापुट जिले में भूख से मरने के समाचार आए थे। यह सम्बलपुर क्षेत्र से करीब 350 किमी. दूर है। वहां किसानों द्वारा 'रास्ता रोको' आंदोलन किया गया। किसानों द्वारा सड़क जाम कर दी गयी थी, सभा आयोजित की गई थी, और आत्म-दाह की धमकी दी गई थी यह सब इसलिए कि यह कमान क्षेत्र है और यहां प्रचुर मात्रा में उत्पादन होना है, पर उनके धान का कोई खरीददार नहीं हैं। वहां धान की विवशपूर्ण बिक्री हो रही है। मैंने अपने पत्र में माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। भारतीय खाद्य निगम भंडारण स्थान की कमी की दलील देकर इस पर कुंडली मार बैठ गयी हजारों-हजारों टन धान सड़कों पर और विभिन्न विपणन केन्द्रों में जमा कर दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम इसका खरीददार नहीं है, वहां ऐसी स्थिति है, दोष कहां हैं? हमें प्रणाली में जारी खामियों का पता लगाकर इसे हटाना है।

इसलिए, मेरा भारत सरकार के माननीय उपभोक्ता मामले के मंत्री से ओर माननीय कृषि मंत्री से ईमानदारीपूर्वक निवेदन है कि उन्हें पूरी समस्या पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। यदि हम सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें और संसद के प्रत्येक सत्र में सिर्फ इस अकाल के मुद्दे पर ही चर्चा करते रहेंगे तो इसका अंत नहीं होगा।

इसलिए, मैं भारत सरकार से बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धान की खरीद और विभिन्न विकासपरक श्रमोन्मुख एवं रोजगारोन्मुख कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संभव कदम उठाने का ईमानदारीपूर्वक अपील करता हूं। केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को विश्वास में ले और हमारे देश में जारी इस विकट समस्या पर नए सिरे से विचार करने हेतु शीघ्र ही सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाए।

यदि हम इन सभी समस्याओं के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और

[श्री प्रसन्न आचार्य]

खाद्यान्नों की कमी के कारण भूख से मरने वाले लोग हमें माफ नहीं करेंगे।

इसलिए, पुन: मैं भारत सरकार से इन समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर नए सिरे से विचार करने हेतु ईमानदार अपील करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री विक्रम केशरी देव को धन्यवाद देता हूं उन्होंने नियम 193 के तहत इस सदन में देश के विभिन्न भागों में अन्न की जो अनुपलब्धता है, उसके चलते भूख या भुखमरी है, उस चर्चा को सदन में उठाने का काम किया है। भूख और भुखमरी, ये दोनों अत्यंत ही संवेदनशील विषय है। भूख का प्रश्न यक्ष की तरह सम्पूर्ण देश एवं राष्ट्र के सामने खड़ा है, जब की आज अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। मंत्री जी उसका फीगर तो देंगे ही, 616 लाख 71 टन अनाज, चावल और गेहूं दोनों का मिला कर भरा पड़ा है।

महोदय, आज इस स्थिति में हम भूख पर सर्वोच्च सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय है। सरकार को घेरने और बचाने की दृष्टि से यदि इस विषय पर बहस होगी तो न समाज, राष्ट्र और न इस सदन के साथ न्याय होगा। सरकार को घेरने और बचाने के नजरिए से इस पर बहस नहीं हो रही है। मैं इसके लिए श्री शिवराज पाटील जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहस को दिशा देने और पटरी पर लाने का काम किया कि दलों से ऊपर उठ कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें, जो राष्ट्रीय समस्या भंडारण की है। एक तरफ भंडार भरा पड़ा है और दूसरी तरफ भुखमरी तथा भूख की समस्या हमारे सामने दरवाजा खटखटा रही है। ठीक है कुछ राज्यों का जिक्र आया है और श्री रूपचंद पाल जी ने स्वामीनाथन का जिक्र किया कि गांवों की खेती में पानी और मिट्टी का सही उपयोग करना होगा। भुखमरी का भविष्य में क्या होगा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यह बेसिक मिनिमम नीड्स हैं। सबसे बुनियादी जरूरत रोटी है। रोटी के विषय में महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, यंग इंडिया में 1926 में है।

रात्रि 9.54 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

मैं महात्मा जी की उक्ति उद्धृत करना चाहता हूं - "जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो और अपना पेट भरने के अलावा जिसकी कोई इच्छा न हो, उसका पेट ही उसका खुदा है, भगवान है, जो उसे रोटी दे दे वही उसका स्वामी है, उसी में वे भगवान का या खुदा का दर्शन करते हैं।" पाटील साहब ने विषय की गंभीरता को एक दिशा देने का काम किया। आज स्थिति क्या है। हम नहीं कहते हैं कि मंत्री जी कोई जादू या मंत्र चला कर इस समस्या का तुरंत हल निकाल लेंगे, ऐसा हम विश्वास नहीं करते, हमें ऐसा भरोसा भी नहीं है। इनकी अपनी सीमाएं हैं और राज्य सरकार का अपना काम है। पीडीएस का पूरा सिस्टम दो पहियों पर आधारित है।...*(व्यवधान)* मैं इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि देश में भोजन में अभाव में वास्तविक स्थिति क्या है।

इस व्यवस्था में आम आदमी जो उसकी औसत उम्र है वह पूरी नहीं कर पाता है। अगर उसकी औसत उम्र 90 वर्ष है तो वह 50-60 वर्ष की उम्र में ही मर जाता है। कारण क्या है? कारण साफ है कि उसे जितनी क्लोरीज का भोजन चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता है। प्रतिदिन जितने ग्राम दाल, चावल, गेहूं, घी और दूध चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाते हैं। हमारे देश में प्रतिदिन 2700 क्लोरीज का भोजन कितने व्यक्तियों को मिल पाता है? आजादी के 54 साल बीत जाने के बाद भी आज यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है और इस प्रश्न को मैं यहीं छोड़ता हूं। भूख के कारण व्यक्ति की औसत उम्र का लाभ यह देश नहीं उठा पा रहा है जिसके कारण देश के उत्पादन में, इस देश को मजबूत बनाने में उसके श्रम और ताकत का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं।

कहा जाता है कि गरीब के तन में भगवान बसता है लेकिन आज उसका तन पिघल रहा है क्योंकि इंसान रोटी के बिना नहीं रह सकता। राजनैतिक दल नारा दिया करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन कपड़े कम भी हों तो इंसान गुजारा चला लेता है लेकिन रोटी के बिना इंसान का गुजारा नहीं चल सकता है। इसलिए जहां रोटी होती है इंसान वहीं चला जाता है और इससे राजनैतिक संकट भी पैदा होता है। इसलिए रोटी की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है।

आज हम देखते हैं कि इंसान को गुस्सा तब आता है जब इंसान का खून जमीन पर गिर जाता है। जब आदमी पढ़ता है कि इतने आदमी नरसंहार में मर गये तो लोगों को गुस्सा आता है लेकिन जो भूख इंसान का खून बनने नहीं देती है और जो तंत्र भूख का इंतजाम नहीं कर पाता है, आज इंसान को इस तंत्र पर, उस व्यवस्था पर क्या गुस्सा नहीं आ रहा है? अगर आज फूड-सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में मुझे डर है कि इंसान फूड-राइट की ओर न चला जाए। आने वाले दिनों में इंसान का खून न बनने देने वाली व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा

हो तो मामला कहीं न कहीं चमकेगा, यह मेरी अपनी समझ की बात है।

आज भी हमारे घर-परिवारों में सबसे आखिर में कौन खाना खाता है? हो सकता है कि शहरों के कुछ एलीट वर्ग के परिवारों में महिलाएं मेज पर बैठकर साथ में खाना खा लेती हों लेकिन आज भी गांव में जहां कि भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या बसती है, भारत की आत्मा बसती है और जो असली भारत है, वहां पर महिलाएं आखिर में खाना खाती हैं। महिलाएं पहले पूरे परिवार को खिलाती हैं और फिर जो बचा रह जाता है उसी से गुजारा करती हैं और अगर कभी वह भी न मिले तो केवल पानी पीकर ही गुजारा कर लेती हैं। इस भूख के कारण उसके शरीर में पर्याप्त खून नहीं बनता है और जब वह किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वह अंधा या विकलांग पैदा होता है। यह बहुत ही खराब स्थिति आज हमारे सामने है। आज हमारे देश में गरीब महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार हैं और उसके कारण उनके होने वाले बच्चे भी विकलांग और अंधे पैदा होते हैं।

इसलिए मेरा आग्रह है कि भूख के खिलाफ एक संकल्प इस सदन में पारित होना चाहिए और भूख जो एक बेसिक आवश्यकता है वह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

रात्रि 10.00 बजे

53 साल की आजादी के बाद भी आज भूख से लोग मर रहे हैं। जहां कैश क्रॉप्स होती हैं वहां भी किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का काम गोदामों तक अनाज पहुंचाने का है। वितरण का काम दूसरे पहिए पर है और वह राज्य सरकार का काम है। उनका काम गांव, ताल्लुका और वार्ड तक पहुंचाने का है। कमजोर वर्ग के लोग भूखे पेट सोते हैं और वे आदिवासी, मेहनतकश लोग होते हैं। वे देश के लिए दौलत पैदा करते हैं। वे मकान बनाते हैं, हल चलाते हैं और घास काटते हैं। ऐसे लोग जो अनाज पैदा करते हैं उनके पेट में अनाज नहीं पहुंचता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्हें एक शाम खाना मिल जाता है तो सात दिन के बाद चावल के दर्शन होते हैं। एक शाम रोटी मिल जाती है तो वे दूसरी शाम सत्तू खा लेते हैं। वे मोटा अनाज खाते हैं। इसलिए हमारी फूड सिक्योरिटी फॉर दी वीकर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी जिम्मेदार है। प्रत्येक कमजोर वर्ग के लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। ऐसे फूड को उन तक कैसे पहुंचाया जाए, यह देखने की जरूरत है।

अभी पीडीएस की बहुत चर्चा हुई। आज गरीबों में असुरक्षा का भाव क्यों है? वह इसलिए है कि उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है। देश में 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लकड़ावाला एक्सपर्ट ग्रुप के तहत 1996-97 में सभी राज्यों का एक सर्वे हुआ था। उसके अनुसार 35.97 परसैंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज ऐसे लोगों की हालत क्या है? गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ और रोजगार के उतने अवसर प्राप्त नहीं हुए। मैं किसी दल या सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। उन गरीबों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी। ऐसे में वे कैसे अनाज खरीदेंगे? इसलिए मैंने उस समय भी प्रोटैस्ट किया था। मैंने वित्त मंत्री जी से उस समय अनुरोध किया था और उन्होंने व्यय आयोग बिठाया। उसने 32 पैसे घटा दिए। इकॉनोमिक कॉस्ट उतनी नहीं थी जितने दाम बढ़ गए लेकिन पीडीएस में मिलने वाले अनाज के दाम 1999-2000 में बढ़ा दिए। मार्किट में मिलने वाले अनाज के दाम कम हो गए और पीडीएस में मिलने वाले अनाज के दाम ज्यादा हो गए। इसलिए ऑफ-टेक घट गया। वह कितना घट गया? गरीबों को पीडीएस में मिलने वाले अनाज के फीगर्स मैं बताना चाहता हूं कि वे कितने घटे? सैंट्रल पूल में टोटल अनाज 616 लाख 71 हजार टन है। अप्रैल 2001 से 1 जुलाई 2001 तक बीपीएल में गेहूं का एलोकेशन 2882 हजार टन हुआ था। उसमें से ऑफ-टेक 887 हजार टन हुआ। एलोकेशन तीन महीने का अप्रैल से हुआ। मैं एक जुलाई 2001 से पहले की फीगर्स दे रहा हूं। आप एवरेज निकालिए कि ऑफ-टेक पहले कितना हुआ? वह 2000 में इतना घटा और इतना कम हो गया कि अप हो नहीं रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार ने यहां तक कोशिश की कि जल्दी-जल्दी ऑफ-टेक हो और उसने एक अंत्योदय अन्न योजना निकाली। 25 किलो दे दो और दो रुपए किलो में गेहूं, तीन रुपए किलो में चावल दे दो जिससे जल्दी-जल्दी ऑफ-टेक हो। चावल का 3730 हजार टन ऑफ-टेक हुआ। मैं 37 राज्यों का बता रहा हूं। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। 3730 हजार टन उठान चावल का हुआ। गेहूं का मैंने पहले बताया। इस कारण ऑफ-टेक लो हो गया। क्यों हो गया? देश के सामने भंडारण समस्या क्यों खड़ी हो गई? आज अभी सरप्लस फूड ग्रेन्स कितना है?

इस प्रकार टोटल स्टॉक गेहूं और चावल का 616 लाख 71 हजार टन है। अभी मेरे पास 373 लाख 41 हजार टन की फिगर्स हैं जो एक जुलाई, 2001 तक की है। उसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई। इस सरप्लस अनाज पर कितना खर्चा हो रहा है? पहले जब सरप्लस स्टाक 295 लाख टन था तो प्रतिदिन स्टोरेज खर्चा 18 करोड़ रुपये खर्च आता था जो अब बढ़कर 20 करोड़ रुपया हो गया होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं और इस बात को साबित करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने मार्च में जीरो बजटिंग की घोषणा की थी जिससे मैं सहमत नहीं था। इस मामले को श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, श्री येरननायडू और मैंने उठाया था और प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में एक एक्सपैंडिचर आयोग बनाने की घोषणा हुई थी।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

सभापति महोदय, भंडारण समस्या क्यों हुई? सरकार ने बी.पी.एल. पर 3 हजार करोड़ रुपये सबसिडी घटाने का काम किया जिससे जीरो बजटिंग होगी। आपने सबसिडी तो घटा दी लेकिन खर्चा कितना हुआ-सब मिलाकर यह 6 हजार करोड़ रुपया था लेकिन इस सबका क्या फायदा हुआ?

सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात और डैमेज्ड फूड के बारे में कहना चाहूंगा। एक जुलाई से पहले डैमेज्ड फूड एक लाख, 81 हजार, 728 टन था जो टी.पी.डी.एस. के लिये अलाउड नहीं था। उस पर बैन था। तब सब जगह हल्ला हो गया कि अनाज सड़ रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में चिन्ता व्यक्त की गई सुप्रीम कोर्ट में पी.आई.एल. दायर की गई। कार्यपालिका ने इसे कैसे समझा, मुझे नहीं मालूम लेकिन हम लोक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के फैक्ट्स रखे गये। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कहती है:

> "किसान और उपभोक्ता-दोनों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से जो किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, सरकार को चाहिये कि मनुष्यों के लिये पुराने खाद्यान्न का ढेर समाप्त करने के लिये तत्काल सभी भरसक प्रयास किये जायें।"

सभापति महोदय, सरकार को पूरी आजादी है कि इसके लिये कोई योजना बनाये और उसका डिस्पोजल करे और सड़े हुये अनाज से जगह खाली करे क्योंकि मार्च माह में रबी की नई फसल आने वाली है जबकि इस प्रकार का भ्रम पैदा किया गया कि जो अनाज 5-6 साल पुराना है, सरकार उसे समुद्र में फेंक रही है जैसे यह अनाज नहीं मिट्टी है। यदि सरकार कोई योजना बनाने में समर्थ है तो यह सुझाव दिया जा सकता है कि रबी का मौसम आने वाला है, इसके पहले भंडारण खाली करने के लिये खराब खाद्यान्न, जिसे न तो मनुष्य खा सकता है और न पशु खा सकते हैं, जहर है, उसे गहरे समुद्र में फेंकें ताकि नयी फसल को भंडागारण में रखा जा सके। समिति इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकती लेकिन सुझाव दे सकती है। सरकार का काम कार्यान्वयन करना है। हम अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं लेकिन जब कोई उपाय नहीं था, तब यह सुझाव व्यावहारिक रूप से दिया गया था।

इसे पता नहीं किस ढंग से दिया गया। कहा गया कि समुद्र में अनाज फेंका जा रहा है। इसका दुनिया में बड़ा भारी प्रचार हुआ। लेकिन यह नया अनाज नहीं है यह छः सात साल से रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें दोष किसका है। इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है। इसके लिए एफ.सी.आई. के गोदामों के इंचार्ज जिम्मेदार हैं। उनके कुप्रबंधन और मिसमैनेजमैन्ट के कारण ऐसा हुआ है। चूंकि वहां एफ.आई.एफ.ओ. का अनुपालन नहीं किया गया। एफ.आई.एफ.ओ. का मतलब का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो अनाज पहले आता है उसका जिस तेजी से पहले डिस्पोजल होना चाहिए उतनी तेजी से डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको और कष्ट दूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुप्रबंधन के कारण जो डैमेज्ड अनाज पड़ा हुआ है, उसका तुरंत निपटान किया जाना चाहिए। सरकार को युद्ध स्तर पर जो डैमज्ड खाते मैं अनाज है, उसे तुरंत निकालना चाहिए। हमारे पास भंडारण क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि भंडारण का स्थान खाली हो और जो खराब अनाज है, जो ह्यूमैन कन्जम्पशन के लायक अनाज नहीं है, उसका डिस्पोजल हो, ताकि अनाज का सही प्रोक्योरमैन्ट हो, उसे सही जगह मिले।

आज भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए साइंटिफिक गोदाम बनाने की जरूरत है, ताकि उसमें चूहों आदि के द्वारा स्टोरेज का लॉस न हो सके। उसके लिए बल्क स्टोरेज का एक प्रस्ताव आया था। इस बारे में माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस दिशा में क्या पहल की गई है। कई देशों से इस पर विचार हुआ था। फूड ग्रेन्स मूवमैन्ट के तहत जहां पी.डी.एस. है, जिन गरीब राज्यों में पी.डी.एस. का इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि में पी.डी.एस. का जो नैटवर्क होना चाहिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, जरूरतमंद लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। यह भी भुखमरी का एक कारण है। इसलिए हम चाहते हैं कि कमजोर लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, यह सरकार का संकल्प होना चाहिए और फूड सिक्युरिटी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। इस बारे में कांस्टीट्यूशन भी कहता है। इस जिम्मेदारी से भागने से गाड़ी नहीं चलेगी।

सभापति महोदय, हमें टिकाऊ खेती और फ्लोरीकल्चर पर जोर देना चाहिए, जहां साल में किसान दो बार, तीन बार फसल ले सकते हैं। वहां टिकाऊ खेती, पानी और मिट्टी का सही इस्तेमाल हो सके, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति महोदय, मैं श्री बिक्रम केशरीदेव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो सामयिक प्रसंग है जो आज बड़ी चिंता का विषय है, हास्यास्पद है और सरकार के लिए बहुत सोचनीय भी है, वह चर्चा के लिए सदन में लाये हैं। देहात में कहावत है- "धोबिया जल विच मत

प्यासा'' यानी कि जल में रहकर कोई पानी के बिना मरे। देश मे अन्न का भंडार है और लोग भूख से मर रहे हैं। जैसा अपनी सरकार का बचाव करते हुए श्री बिक्रम केशरी देव जी ने कहा कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं। ये दोनों बातें नहीं चल सकतीं। यह ऐसा विषय है, जिस पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण से हम इस विषय पर चर्चा करें तो शायद इसका फल निकलेगा और हम इस समस्या का निराकरण कर पायेंगे। यहां कहा गया कि ज्यादातर वे लोग भूख से मरते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सामान खरीदने की जिनकी स्थिति नहीं होती है।

भूख और गरीबी से वे इतने लाचार हो जाते हैं कि 'बुभुक्षतं किम् न करोति पापं', भूख में आदमी क्या पाप नहीं करता है, बच्चों को बेच देते हैं, अस्मिता को बेच देते हैं, कभी कभी भूख से आत्महत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं और कभी कभी क्रोध में दूसरों को भी मार डालते हैं। यह बहुत विचारणीय विषय है।

महोदय, मैं कहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उदार बनाइए। हर स्टेट में लाल कार्ड वालों को अन्न देने की व्यवस्था है लेकिन उनको मिलता नहीं है। जिन लोगों को लाल कार्ड देने की व्यवस्था है, अधिकतर वही लोग मरते हैं। देवेन्द्र जी फूड मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अनाज सड़ रहा है, हमने कृषि में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, किसान और खेतिहर मजदूरों ने इतना अन्न पैदा किया और इतना अनाज भंडारों में है, फिर भी सरकार की विफलता के कारण अनाज सड़ रहा है। अभी देवेन्द्र जी ने कहा कि जो पहले का अनाज जमा हो उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन जो कर्मचारी खाद्यान्न के गोदामों में रहते हैं, वे क्या करते हैं? वे पैसा लेकर अच्छा अनाज पहले निकाल देते हैं और जो अनाज वर्षों से सड़ा पड़ा है, उसको सड़ने देते हैं। यही वजह है कि उस खाद्यान्न को मवेशी भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई स्थाई व्यवस्था हो, हम सर्वे कराएं।

महोदय, शिवराज पाटिल जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें भी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती हैं। इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि सर्वे होना चाहिए और ऐसे इलाकों को चिह्नित कर लेना चाहिए, जैसे गुजरात और उड़ीसा के कुछ इलाके चिह्नित हैं जहां सूखे और बाढ़ से तबाही होती है और लोग मरते हैं। वैसे इलाकों में लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करा लेना चाहिए और यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को गारंटी देनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में लोग भूख से मरें, वैसे इलाकों का सर्वेक्षण कराकर उन इलाकों को चिह्नित करें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को भविष्य में ऐसे हालात पैदा न हों, इसके लिए उन इलाकों को चिह्नित कर लेना चाहिए और उसके लिए दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए।

जो गरीब लोग हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। खेत में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, वह काम नहीं कर पाते, उनके घरों में पैसे नहीं रहते, इसलिए वे भूख से मरते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम बनाकर वहां के लोगों का सर्वे कराकर उन्हें काम मुहैया कराया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना करे ताकि वे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सकें। अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से भी कुछ ऐसे अन्न का वितरण होना चाहिए। जब अनाज सड़ रहा है और आपके भंडार में जगह नहीं है तो कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

महोदय, जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में हमारे खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा यह भी सुझाव है कि यदि केन्द्र सरकार बढ़ती हुई आबादी पर रोक नहीं लगाएगी और कोई कारगर कानून नहीं बनाएगी तो कितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन एक दिन आएगा कि सड़कों पर वाहन नहीं चल पाएंगे, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खेती की जमीन घटेगी और लोग भूख से मरेंगे।

सभापति महोदय, सरकार के लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए कम से कम जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि विश्व में हमारी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, आजादी के पूर्व पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ा था। पं. जवाहर लाल नेहरू उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे। वे बंगाल गए और उन्होंने बंगाल के लोगों का आह्वान किया कि बंगाल के भाइयो और बहनो तुम भूख से तड़प-तड़प कर क्यों मर गए। तुम लोगों ने सरकारी गोदामों को क्यों नहीं लूट लिया। यह जवाहर लाल नेहरू जी का भाषण था। उसी अकाल पर केदार नाथ अग्रवाल ने एक कविता लिखी जिसे हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ा करते थे-

''बाप, बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर

धर्म, धीरज, प्राण खोकर

राष्ट्र सारा देखता है

बाप, बेटा बेचता है।''

[श्री रामानन्द सिंह]

यह दुर्भाग्य है कि बापू का चित्र हमारे सामने है, तीन गज की धोती पहने हुए और आजादी कि 53 वर्ष बाद भी आज हम इस देश में भुखमरी पर चर्चा कर रहे हैं। आज वही चित्र है जो केदार नाथ अग्रवाल ने लिखा था, क्या उससे भिन्न है? उड़ीसा के भाइयों की चर्चा की। यहां मध्य प्रदेश की मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केन्द्र राज्यों को दोष देंगे और राज्य सरकारों के मुख्य केन्द्र के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री अनशन पर बैठ गए। इस तरह से कोई राष्ट्र कैसे चलेगा।

रात्रि 10.23 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है, कांग्रेस पक्ष की ओर से श्री शिवराज पाटिल जी, जो इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं, वे न केवल कांग्रेस के बल्कि देश के एक चोटी के सम्मानित नेताओं में हम जिनकी इज्जत करते हैं, इस बहस को उन्होंने बहुत ही रचनात्मक ढंग से मोड़ा और एक बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया।

सभापति महोदय, विनोबा भावे जी ने 1967 में कहा था, तब मैं मध्य प्रदेश में विधायक था। मैंने उनका भाषण सुना-उन्होंने प्राथमिकताओं के बारे में कहा-पहला भुखिया, फिर दुखिया और फिर सुखिया-इसको दीवार में लिख दो। आज हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं - सैलूलर टेलीफोन, कंप्यूटर और भागती-दौड़ती दुनिया की आधुनिक सुख-सुविधा और इसमें गरीब तिरोहित हो जाता है। आजादी के 53 वर्ष बाद, इस देश में भूख से लोग मरें, जिस देश में 616 लाख टन गेहूं और चावल का भंडार हो, जहां आवश्यकता केवल 243 लाख टन की हो, लेकिन अन्न का भंडार 616 लाख टन का है। भारत सरकार अपनी ओर से कई योजनाओं के माध्यम से दिल खोल कर राज्य सरकारों को देने की बात कही है। गरीबी रेखा के नीचे बी.पी.एल. में 10 किलो अनाज प्रति माह मिलता था, पिछले वर्ष आपने घोषणा की थी 20 किलो की और अब तो 25 किलो की घोषणा कर दी और इसमें भी राज्य सरकारें पूरा खाद्यान्न नहीं उठा पातीं। यहां से 160 लाख टन रिलीज करने की बात करते हैं और उठता है केवल 90 लाख टन। आखिर यह कठिनाई कहां आ रही है? इसी तरह अन्त्योदय योजना में 5 करोड़ गरीबों को 25 किलो अनाज प्रतिमाह, प्रति परिवार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की केन्द्र ने घोषणा की है। मुझे आज जानकारी मिली कि कई प्रदेश इस योजना को लागू कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें हमारे अभागे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य भी हैं। अन्त्योदय योजना क्यों लागू नहीं हो रही है, क्या कठिनाई आ रही है? हमारे आदरणीय खाद्य मंत्री जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं जब मैं मध्य प्रदेश में मंत्री हुआ करता था। वे बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और साहित्यकार गरीबों के प्रति बड़ा हमदर्द होता, हृदयवान होता है।

क्या मैं जान सकता हूं कि अन्त्योदय योजना का अनाज मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहा है? क्या वहां से कोई इन्फौर्मेशन आई है? सारे देश में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत हम 65 वर्ष से ऊपर के बूढ़े लोगों को दस किलो अनाज प्रति माह देते हैं, यह योजना भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में लागू नहीं हो रही है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले सूखे से प्रभावित थे और हजारों लोग भूख से मर गए थे, यह यथार्थ है। सरकार भले ही विज्ञापन देकर अपनी वाह-वाही छपवाए लेकिन मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं कि सतना जिले के ग्राम चिरौरा में एक आदिवासी इसी वर्ष भूख से मर गया। मैंने श्रीमती मेनका गांधी को लिखित दिया। प्रतापपुर में वृद्धावस्था पेंशन की हालत यह है कि एक वृद्धा को छः महीने तक पेंशन नहीं मिली। यह आदिवासी महिला थी और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वहां के सरपंच ने उसका अंगूठा लगा कर पैसा निकाल लिया। थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज है। मेरा कहना है कि सतना, पन्ना आदि जो पुराने इलाके हैं, उनमें 3 प्रतिशत से भी कम सिंचाई है जबकि सारे भारत में सिंचाई 36 प्रतिशत और मध्य प्रदेश की 18 प्रतिशत है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप कनक्लूड कीजिए।

श्री रामानन्द सिंहः मध्य प्रदेश में भुखमरी की इतनी भयावह स्थिति रही है, आज भी है लेकिन वहां अन्त्योदय योजना का काम ही शुरू नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामानन्द सिंहः मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र राज्यों पर दोषारोपण करे और राज्य केन्द्र पर दोषारोपण करें, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत के संविधान में आर्थिक आपातकाल का प्रावधान है। जिस राज्य में भूख से सबसे ज्यादा मौत हो, उस राज्य में फाइनैंशियल इमरजैंसी लगाई जाए ताकि मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में से कटौती करके गरीबोन्मुखी योजनाओं के लिए खर्च किया जा सके। जिन राज्यों का ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैंडीचर 75 प्रतिशत से ज्यादा है, आज मध्य प्रदेश का प्रशासनिक खर्च 92.98 प्रतिशत है यानी केवल 7 प्रतिशत डैवलपमैंट के लिए है, ऐसे राज्य जिनका खर्च अनाप-शनाप है, वहां गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मनमाना दुरुपयोग हो रहा है। संविधान में एक बात तय

हो जाए कि जिन राज्यों का प्रशासनिक खर्च 75 प्रतिशत से ज्यादा होगा, उन राज्यों को आर्थिक इमरजैंसी की परिधि में लाया जाएगा।

शांता कुमार जी, आपका प्रयास है लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों की स्वायतता के नाम पर मनमानी चल रही है। उस पर कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* सरकार के लोग कहते हैं कि हम राज्यों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप सैंटर में बैठे हैं। आखिर सैंटर क्या कर रहा है? आप जवाब-तलब नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)* कोन्सटीट्यूशनल प्रोविजन नहीं डाल सकते। मेरी प्रार्थना है कि लोगों को भूख से बचाने के लिए कौन्सटीट्यूशन में प्रोवीजन करना चाहिए और केन्द्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन योजनाओं को इम्प्लीमैंट करिए। जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो, उन्हें फाइनैंशियल इमरजैंसी के तहत लाएं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री रामानन्द सिंह: आपका लाखों टन अनाज सड़ रहा है। दस-बीस लाख टन अनाज उनको दे दीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गरीब लोगों को अनाज मिले, इस पर विचार कीजिए। मुझे यही सुझाव देना है। धन्यवाद।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने पर मौका दिया।

अनाज का भंडार हमारे पास काफी है, गोदाम खाद्यान्नों से भरे हुए हैं, लेकिन यह हमारे देश की विडम्बना है कि हमारे गरीब लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। हम लोगों में क्षमता है, हमारे देश के लोगों ने, विशेषकर हमारे देश के किसानों ने हमारे देश में हरित क्रान्ति लाई है, हमें इस पर गर्व है। हमारे लोगों ने सरकार से सहयोग किया, जिस सहयोग के कारण हमारे भंडार आज अनाज से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी स्थिति लज्जाजनक है। लज्जाजनक इसलिए है कि अनाज होते हुए भी आज हमारे देश के लोग भूख से मर रहे हैं। यह किसी एक प्रान्त की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे देश की है। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने की आवश्यकता है। आज इस बहस में जो भुखमरी पर चर्चा हो रही है, यह तर्क-वितर्क करने का समय नहीं है, बल्कि सुझाव देने का वक्त है, इस समय आत्म-मंथन करने की आवश्यकता है। आज अगर सत्ता पक्ष वाले प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए आज हमारा जो ध्येय है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सुझाव दीजिए।

श्री जोवाकिम बखला: मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। सत्ता पक्ष के लोगों का यह कर्तव्य बनता है, उन्हें इस क्षेत्र में अगुवाई करनी पड़ेगी ताकि इस देश में आज जो लज्जाजनक स्थिति है कि अनाज होते हुए भी लोग भूखे मर रहे है, इस परिस्थिति का हम सामना कर सकें। सभी प्रान्तों में हमें समन्वय को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जो खामियां हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी राज्य है, इसमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। इसमें पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का सहयोग हमें चाहिए तो हम इस समस्या का निदान ढूंढ सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में इस समस्या का निदान हम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सहयोग लेकर कर रहे हैं ताकि भविष्य में पारदर्शिता का परिचय देकर भविष्य में जो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, उनका सामना करने के लिए हम पहले से तैयारी कर सकें, इसलिए मैं सत्ता पक्ष का, विशेषकर खाद्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हममें काबलियत है, हममें क्षमता है, हमें अनाज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनायें। इसमें हमें निगेटिव एप्रोच नहीं लेनी चाहिए, हमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए; हमें अवश्य सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए ताकि हम इस समस्या से निजात पा सकें, तब हम इस समस्या का निदान ढूंढेंगे। हमें यह मजबूत संकल्प लेकर आगे बढ़ाना है।

यही कहते हुए मैं अपना छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): सभापति जी, मैं खाद्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि यह समस्या बहुत गम्भीर है, इस पर गौर करना चाहिए। आज इस पर डिस्कशन हो रहा है, यह अच्छी बात है। हिन्दुस्तान में 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। एक सर्वे हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पांच परसेंट लोग दो वक्त का खाना नहीं खाते, इसलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। जो मर रहे हैं, इनकी बात सब ने की है, मैं समझता हूं कि यदि इस समस्या को हल करना है तो इसकी जो खामियां हैं, यदि पी.डी.एस. की खामियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए।...*(व्यवधान)* जो पी.डी.एस. का मामला बहुत गम्भीर है। आप नीचे जाकर देखिये, इसमें कितना करप्शन है। इसको दूर करने के लिए जब लोगों के पास अनाज पहुंचेगा, अभी वजीर साहब यहां नहीं है, दिल्ली का जो सुपर बाजार था, उसका चेयरमैन एक पंजाब का आदमी था, वह इसे लूटकर खा गया और लोंगोवाल टावर के नाम पर यहां करोड़ों रुपया खाया गया।

[श्री भान सिंह भौरा]

सी.बी.आई. की जांच हुई, लेकिन आज तक वह पकड़े नहीं गए। वजीर साहब आ गए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सुपर बाजार के चेयरमैन* थे। वे लाखों-करोड़ों रुपए खा गए। उनके खिलाफ सी.बी.आई. की जांच हुए, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय: नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री भान सिंह भौरा: जो खामिया है, उनको दूर करने से ही लोगों तक अनाज पहुंच सकेगा। मैं समझता हूं मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे और पी.डी.एस. को सख्ती से लागू कराकर लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विपक्ष की नेता और मेरी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कल उठाया गया यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुनः उनके प्रयास के कारण ही नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा निर्धारित की गई है। मैं केवल दो-तीन बिंदुों को ही यहां उठाउंगा; मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

राज्य और केन्द्र के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। जब अतिरिक्त भंडार उपलब्ध है तो प्रभावित लोगों तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए। भूख से मौत होना देश के लिए शर्मनाक है। हमें उस स्थिति को याद करना होगा जो 1965-66 में घटित हुई जब श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। सूखा के कारण देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उस समय, जब हमारी स्थिति खराब थी तब संयुक्त राज्य अमरीका ने थोड़ी सहायता स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराया था तो उन्होंने घोषणा की थी, ''हमें एक सप्ताह के लिए एक दिन में एक ही समय भोजन करना पड़ेगा और हमें नौ बजे के बाद बिजली इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। हम भोजन के लिए किसी को नहीं कहेंगे। हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे; हमें अपनी महत्ता और गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। हमें भीख नहीं मांगना चाहिए।'' सरकार ने विश्व में भारत की महत्ता और गरिमा बनाए रखने के लिए निर्णय लिया था।

आज, यह स्थिति नहीं है। हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इससे खाद्यान्नों के वितरण और राज्यों के साथ समन्वय कायम करने में सरकार की अक्षमता का पता चलता है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। यही सब हो रहा है। भूख से हो रही मौतों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में भारत की महत्ता और गरिमा गिरी है। इसलिए मैं दो सुझाव देना चाहूंगा।

आज भी, सरकार जहां खाद्यान्नों की नितांत आवश्यकता है, वहां खाद्यान्न पहुंचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई कर सकती है। उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शीघ्र बुलाकर स्थिति का पता लगाना चाहिए। केन्द्र सरकार को आगे आकर शीघ्र समाधान ढूंढने हेतु मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, मैं माननीय मंत्री श्री शांता कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने 3.79 लाख टन मक्के पर समर्थन मूल्य दिया है। नहीं तो, हमें व्यापारियों से उत्पादन लागत भी नहीं मिलेगा। व्यापारी प्रति क्विंटल 250 रुपये की मांग कर रहे हैं। 455 रुपये समर्थन मूल्य दिए जाने पर विक्रय मूल्य अब 405 रुपये है, इसलिए, उन्होंने किसानों की मदद की। भंडार में 20,000 टन और पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री से उन्हें भी निपटाने का निवेदन करूंगा क्योंकि यह भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण में है। इससे कर्नाटक के सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई तो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मे भी एक लाख टन जारी करने का आश्वासन दिया है।

इसे अभी भी जारी नहीं किया गया है और मैं आपसे उसे जारी करने का निवेदन करता हूं। सूखे के इस मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री को अभ्यावेदन देकर 903 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है। कुल उपलब्ध धनराशि मे से कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री एस.एस. कृष्णा बेहतर कार्य कर रहे हैं। यह भयानक सूखा है। पहले, हमने कर्नाटक में इस तरह का सूखा नहीं देखा और अब हम समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्री के निवेदन पर जितना जल्दी हो सके, विचार किया जाना चाहिए और धनराशि शीघ्र जारी की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति जी, मैं विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिंया गांधी जी और विक्रम देव साहब दोनों का धन्यवाद देता हूं। श्री शिवराज पाटील जी ने जो बातें रखी हैं, मैं मूलतः व्यवहारिक पक्ष की ओर जाना चाहता हूं। आजादी के बाद आंकड़ों पर बहस चलती रही है। राजनीतिकरण और चेहरे को बचाने के लिए ही इस सदन में और सदन के बाहर भरपूर आंकड़ों पर बहस चलती रहती है लेकिन व्यवहारिक

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पक्ष पर बहस नहीं हो पाती है। उड़ीसा में गरीब लोग भूख से मर गये, बिहार में पांच अल्पसंख्यक परिवार के यानी एक ही परिवार के पांच लोगों ने भूख से जान दे दी। जब लोग मर जाते हैं तो हम उनको खूब याद करते हैं लेकिन जिंदा रहते हुए जो लोग भूखे हैं, उनको हम न याद करते हैं, न हम उनकी वकालत करते हैं। जब बहुत से मजदूर मजदूरी के लिए निकलते हैं तो प्लेटफार्म पर ही कुछ का दम टूट जाता है। इस देश में सौ करोड़ लोग रहते हैं। उसमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों को मां दूध तक नहीं पिला पाती है। इसलिए इस देश में बहस व्यवहारिक नहीं है।

सभापति महोदयः आप सुझाव दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः आज़ादी के बाद इस देश की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं बनी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें इस दृष्टि से सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही लोग गरीब हुए और गरीबी के चलते उनकी जानें गई हैं। इसीलिए यदि आप व्यवहारिक पक्ष देखेंगे कि जिस राज्य या जिस क्षेत्र के लोगों ने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर ली, वहां गरीबी कम है। जब अंग्रेज देश में आये थे तो सबसे पहले उन्होंने हिन्दुस्तान की संस्कृति और भाषा पर ही चोट की थी। मुगलकाल से लेकर आज तक जिस राज्य और क्षेत्र के लोगों ने भाषा और संस्कृति की रक्षा संघर्ष करके कर ली, वहां आज गरीबी कम है और जिस राज्य के लोग ने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाये, वहां आज गरीबी ज्यादा है, जैसे बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं जो अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा नहीं कर पाये।

कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल जहां पर भाषा को मजबूती प्रदान की गई। वहां के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन शिक्षित हैं, इसलिए वहां भुखमरी से ज्यादा लोग नहीं मर सकते हैं। भाषा से मेरा मतलब है, आप बिहार में चले जाइए, वहां का मजदूर न हिन्दी में बोल सकता है और न अंग्रेजी में बोल सकता है। हम अपनी भाषा में बहस करना चाहें, तो हमें यह कहकर हटा दिया जाता है कि गंवार हैं...

सभापति महोदयः भाषा पर बहस नहीं है, यह नियम 193 के अधीन देश में विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की अनुपलब्धता पर बहस है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः खाद्यान्न तो देश में भरा हुआ है और सभी लोग उस पर बोले हैं, पक्ष और विपक्ष में बहुत बातें कही गई हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य के भीतर हीनता की भावना जगाकर गरीबी को मिटाना चाहें, तो नहीं मिटा सकते हैं। गरीबी नहीं मिट पाएगी। बहुसंख्यक लोगों को हम संगठित नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक कार्य करने वाले लोग प्रलोभन देकर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और ऐसे लोगों को हम संगठित नहीं कर पाते हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र में यदि मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे, तो लोग निश्चित रूप से शिक्षित हो पायेंगे और गरीबी दूर कर पायेंगे और उनके भीतर से हीनता की भावना समाप्त होगी।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कहते हैं, भारत कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर कृषि के मामले में भारत है। 70 फीसदी मजदूर कृषि पर आधारित हैं, लेकिन जिस भारत में कृषि के लिए कोई बजट न हो, जिस भारत में आधा परसेंट लोगों जो जहाज पर चढ़ते हैं, उनके लिए अरबो रुपयों का बजट होता है और तीन मिनट में दिल्ली में एक गाड़ी खरीदी जाती है, 1947 में 12 हजार गाड़ियां थी और आज 49 लाख गाड़ियां है तथा 29 लाख गाड़ियां केवल दिल्ली में हैं।

सभापति महोदयः अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः महोदय, मैं कहना चाहता हूं जिस देश में राजनेताओं का कृषि से संबंधित कोई मन्तव्य न हो, उस देश के गरीब मजदूरों पर बहस हो रही है। जिस देश में कृषि को सम्बल बनाने के लिए कोई व्यवस्था न हो। पान और बीड़ी बेचने वाला अपने सामान की कीमत स्वयं लगाता है और गांव में खेत-खलिहान में अनाज पैदा करने वाला, चाहे पांच किलो या पचास क्विंटल पैदा करने वाला हो, बाजार में जाकर अपने अनाज की कीमत भी नहीं लगा सकता है, उसको अपनी सम्पत्ति की कीमत लगाने का भी अधिकार नहीं है, मैं उस कृषि नीति को सही नहीं मानता हूं। इसलिए कृषि के क्षेत्र में कोई नई क्रान्ति नहीं हो सकती है।

महोदय, आपने भू-हदबंदी कानून लागू किया है। इस तरफ सरकार ने इस कानून को लगाया है, और दूसरी तरफ पांच लोगों के पास अरबो-खरबों रुपए रखने का अधिकार दे दिया है। देश के 70 प्रतिशत मजदूर, जो कृषि पर आधारित हैं, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस हिन्दुस्तान में जब तक अर्थ को संचित करने की ताकत भारत सरकार और यह सदन रोक नहीं लगाएगी, तब तक इस देश की गरीबी नहीं मिट सकती है। सम्पत्ति को डिसैन्ट्रलाइज (विकेन्द्रीकरण) करने की जरूरत है। गांवों में कोआपरेटिव सिस्टम लाने की जरूरत है।

गांवों में कोआपरेटिव सिस्टम लगाकर स्माल इंडस्ट्री और बिग इंडस्ट्री लगाने की बात करें। कृषि को भी तीन भागों में बांट कर

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

देश में नयी क्रांति लाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इस देश में 20-25 आदमी हैं, जिनके पास दुनिया का अपार धन है। ऐसी ताकत को निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके हाथ से धन निकाल कर गांवों के गरीबों में कोआपरेटिव सिस्टम से बांटे। जब तक यह सिस्टम लागू नहीं होगा तब तक देश में कोई क्रांति नहीं आ सकती...*(व्यवधान)*

आप जितना बोल लीजिए, आगे बैठने वाले लोग जितना ऊंचा बोल लीजिए, राजनीति कर लीजिए...*(व्यवधान)*सदन के बाहर जाकर अपना चेहरा बचा लीजिए लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी यही मानना है कि इस देश को बचाइए, देश के गरीब लोगों को बचाइए।...*(व्यवधान)* इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय, उड़ीसा में जो 19 लोग मारे गए, जिन पर उड़ीसा सरकार दावा कर रही है कि भुखमरी में नहीं मारे गए हैं। इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए एक टीम भेजी जाए, खास कर मंत्री जी का दौरा हो और जो दोषी हैं उसे सजा दी जाए।

इस सरकार ने भूख और भुखमरी दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लेकर आए। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम में एक करोड़ परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं तीन रुपए किलो चावल महीने में 25 किलो दिया जा रहा है, इसमें सरकार को करीब 2300 करोड़ सब्सिडी आएगी। लेकिन दुख की बात है कि 25.12.2000 को यह स्कीम एनाउंस करने के पश्चात 15 राज्यों ने - असम, दिल्ली, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु उत्तरांचल और अरुणाचल हैं। आज तक गरीब से गरीब लोगों को चिन्हित करके केन्द्र सरकार को नहीं भेजा है। इस स्कीम के माध्यम से हर महीने एक परिवार को करीब-करीब 200 रुपए का फायदा होता है। फूड फार वर्क दस राज्यों को, जहां पर ड्राउट और फ्लड आया था, जहां करीब 23 लाख टन अनाज फ्री ऑफ कास्ट अलाटमेंट किया गया था, जिसमें केवल 13 लाख टन लिफ्टिंग किया गया। फूड फार वर्क प्रोग्राम के माध्यम से जो सरकार फ्री फूड ग्रेंस देगी उसकी कीमत 2300 करोड़ होगी।

प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की कि 50 लाख टन फूड ग्रेन फ्री ऑफ कास्ट साल में बांटेंगे। अंत्योदय योजना स्कीम में अभी 15 प्रतिशत लोगों को मिलता है, उसे 30 प्रतिशत किया जाए। अन्नपूर्णा स्कीम में दस केजी से बढ़ा कर 20 केजी कर दिया जाए। मिड-डे मिल में तीन केजी राइस के बदले पूरा खाना दिया जाए। जो महिलाएं गरीब हैं, मेहनत का काम करती हैं, उन्हें अन्नपूर्णा योजना स्कीम में लाया जाए। बीपीएल क्राइटेरिया नौवें प्लान का बहुत गलत था, इसका दसवें प्लान में सुधार किया जाए। जिस फूडग्रेंस का एफसीआई के गोदाम में डेमेज हुआ, इसके लिए हर राज्य में एफसीआई की लोकल एमपीज़ की एक कमेटी बनाने की बात थी। इस सर्वप्रिय स्कीम में 11 आइटम्स हैं, मेरा कहना है कि जो हर दिन का जरूरत का समान है, उसे चालू किया जाए।

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): सभापति जी, 19 लोगों की मृत्यु कोई कम बात नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक कमेटी बनाकर भेजी जाए जो इस बात की जांच करें कि उनकी मृत्यु किस कारण और क्यों हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां स्टारवेशन से मौतें नहीं हुई हैं लेकिन वे वहां अनाज न होने के कारण आम की गुठलियां खा रहे थे, पत्ते खा रहे थे। इसलिए मैं माननीय शांता कुमार जी से विनती करूंगी कि वे वहां जाएं और उन लोगों के परिवार को एक-एक लाख रुपया देकर सहायता करें।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे मुद्दे पर बात करूंगी। प्रथमतः क्या सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि के भीतर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कोई सामुदायिक खाद्यान्न भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगे आएगी?

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपनी गत वर्ष की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख किया है। तथापि, इस संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

क्या सरकार राष्ट्रीय भंडारण नीति के बारे में खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर सप्लाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है?

देश में खाद्यान्नों के आयात में कमी लाने के लिए सरकार गेहूं पर 60 प्रतिशत और चावल पर 80 प्रतिशत शुल्क लगा सकती है।

इसी प्रकार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का छह सूत्रीय रणनीति के माध्यम से पुनर्गठन करने के लिए जिनमें पंचायती राज संस्थाओं और सतर्कता समिति के गठन के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षक प्रणाली की व्यवस्था भी शामिल है, क्या कदम उठाए गए हैं?

अत: सभापति महोदय, मेरा सरकार से विशेषत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से अनुरोध है कि भुखमरी से होने वाली मौतों पर मानवीय रूप से विचार करें और प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करें।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का पुन: सर्वे हो और जो अपंग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को दो-तीन रुपये किलो के भाव पर चावल, गेहूं, दाल वगैरह राशन में दिया जाए। दूसरा, जिस राज्य सरकार ने मृत्यु की रिपोर्ट नहीं दी है उनसे रिपोर्ट मांगी जाए और जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी जांच करके उनको विटामिन युक्त दाल, चावल, फल और फूड दिये जाएं। यही मुझे कहना था।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): माननीय सभापति जी, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा पर रात के 11.00 बजे तक माननीय सदस्य बैठे और बहुत रचनात्मक ढंग से चर्चा करके उन्होंने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं श्री बिक्रम केशरी देव जी का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा को उठाया और इस प्रस्ताव और देश की परिस्थिति पर अपने विचार प्रकट किये। मैं आदरणीय शिवराज जी पाटील का विशेष रूप से आभारी हूं क्योंकि जिस गरिमापूर्ण और रचनात्मक स्तर तक वे इस चर्चा को ले गये सचमुच में इस विषय पर जो कुछ कहना चाहिए था वह उन्होंने कह दिया और उन्होंने जो कुछ कहा वह पार्टी की दीवारों से बहुत ऊंचा उठकर कहा। सभापति जी, मुझे लगा कि उनके कहने के बाद और चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनसे कहूं कि हम और आप मिलकर हाथ से हाथ मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं और भूख को समाप्त करने के लिए इकट्ठा होकर काम करते हैं।

रात्रि 11.00 बजे

हम उनके आभारी हूं। सचमुच यह समस्या बहुत भारी है। मुझे लगता है कि रावी के किनारे ली गई शपथ अभी अधूरी है। स्वामी विवेकानन्द जी जैसे महान देशभक्त व्यक्ति घर-बार छोड़ कर मोक्ष लेने के लिए चले थे लेकिन इस देश की गरीबी को देख कर कन्याकुमारी की चट्टान पर खड़े होकर बोल पड़े कि है भगवान, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं कर लेता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपने आवाज उठायी है। उस पर चर्चा हुई है। आप जब भूख के बारे में कह रहे थे, आप जब गरीबी की वेदना को ह्रदय से प्रकट कर रहे थे तो मुझे नीरज की पंक्ति जरूर याद आई:

अन्न की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है।
भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालो,
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।

भूख क्या नहीं करती है? आज इस समस्या पर चिंतन और मनन हुआ। मैं आभारी हूं और मैं यह समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका कारण ढूंढे। अन्न का सदुपयोग करने में जो प्रयत्न सरकार कर रही है, उनमें हम सहयोग दें। हमारे प्रयत्नों में जहां कोई कमी है, आप बताएं, हम खुले दिल से आपके उन सुझावों पर विचार करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ बातों के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं। यहां कहा गया कि एपीएल को निकालने से भंडार भर गए और समस्या पैदा हो गई। एपीएल को इस व्यवस्था से हमने नहीं निकाला। पिछली नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्दर और उसे जो अंतिम रूप दिया, उसके अन्दर यह बात कही गई थी कि गरीबों पर ध्यान कम जा रहा है। अब यह सिस्टम यूनिवर्सल न होकर टारगेटिड होना चाहिए और सम्पन्न लोगों को धीरे-धीरे इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेंस जो 4-5 जुलाई 1996 को हुई, उसमें यह निर्णय हुआ। उसके बाद फूड मिनिस्टर्स की 7 अगस्त 1996 को बैठक हुई, उसमें यह बात आई। उसके बाद नेशनल डैवलपमैंट काउंसिल में यह निर्णय हुआ। हमारी सरकार के आने से पहले यूनिवर्सल सिस्टम टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया था। हम उस विचार से आज भी सहमत हैं। उसका उद्देश्य यह था कि 100 करोड़ लोगों की चिंता करते-करते हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं जिन की चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जो 36 करोड़ लोग हैं, उन पर ध्यान दें, पूरा ध्यान दें, उनकी मदद करें, इसलिए यह सिस्टम आया। मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो भावना थी, वह बिल्कुल ठीक थी। उसी ढंग से उस पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार के भंडार भरे पड़े हैं। यह देश का सौभाग्य है। कि आज अन्न के लिए देश मोहताज नहीं है। हमें किसी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं आदरणीय शिवराज पाटील जी को कहना चाहता हूं कि हम इस बात को समझते हैं कि यह स्थिति कैसे आई। इस स्थिति के लिए देश ने काम किया, आपकी पार्टी ने काम किया, ग्रो मोर फूड की योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं उस समय शुरू हुई। देश के किसानों ने मेहनत की। यह श्रेय उस समय की सरकारों को जाता है। यह श्रेय देश के किसानों को जाता है। हमने

[श्री शांता कुमार]

कभी यह बात नहीं कही कि पचास साल में कोई काम नही हुआ। जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपकी और आपकी सरकारों की हैं, उनसे आंखें ओझल नहीं की जा सकती हैं। देश का सौभाग्य है कि यहां भंडार भरे पड़े हैं और हम उनका सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक और बात कही कि हमने मुख्यमंत्रियों और बाकी लोगों से बात की या नहीं की? जो भावनाएं आपने आज व्यक्त की, वे भावनाएं इस सरकार की हैं।

हम उन्हीं भावनाओं से पिछले दो साल से काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों द्वारा एक सवाल यह उठाया गया कि क्या हमने बातचीत की?

अभी कुछ दिन पूर्व अन्य विषयों पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुये थे। मैंने उस समय मुख्यमंत्रियों के सामने एक बात रखी कि मैं फूड मिनिस्टर हूं लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश में 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और एक वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार एक परिवार को कम से कम प्रतिमाह 73 किलो अनाज जीवित रहने के लिए चाहिये लेकिन हम उन्हें केवल 20 किलो दे रहे हैं। वह 20 किलो अनाज कम दाम पर देते हैं जो दुकान पर ज्यादा मूल्य पर मिलता है यानी गेहूं 4.15 रुपये किलो और चावल 5.65 रुपये किलो। फिर ऑफ टेक 100 प्रतिशत आना चाहिये लेकिन 55 प्रतिशत क्यों आता है। यह पूरा उठना चाहिये, उन लोगों तक पहुंचना चाहिये और उसके बाद और मांग आनी चाहिये। मैंने उनसे पूछा कि पूरा अनाज क्यों नहीं उठता। इस प्रकार के कई प्रश्न मैंने उनके सामने रखे। फिर भी सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा कोशिशें कर रही है कि सभी की मदद की जाये।

सभापति महोदय, ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग बी.पी.एल. के लिये 160 लाख टन अनाज ऐलोकेट करते हैं, मिडडे मील्स के लिये 24 लाख टन ऐलोकेट करते हैं। इसी प्रकार पिछले साल 303 लाख टन अनाज का ऐलोकेशन हुआ लेकिन उसमें से सिर्फ 130 लाख टन उठाया गया। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि बाकी 173 लाख टन अनाज जिसमें कुछ मुफ्त भी है, कुछ सबसिडाइज्ड है, कुछ हाइली सबसिडाइज्ड है, जो गरीबों के लिये था, उन लोगों की भूख मिटाने के लिये था और राज्य सरकारों को ऐलोकेट कर दिया था, वह क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं वहां तक पहुंचा? इसके लिये हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिये। कहां कमी है, यह हमें बतायें तो हम उसे दूर करने के लिए तैयार हैं लेकिन पी.डी.एस. के लिये संयुक्त जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का काम अनाज प्रोक्योर करना है और वह हम कर रहे हैं। हमारा काम स्टोर करना है, वह हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकारों को ऐलोकेट करना है, वह हम कर रहे हैं। देश के अंदर 4 लाख 62 हजार राशन की दुकानें गांवों में हैं जिनमें सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके लिये संकल्प शक्ति चाहिये, यदि केन्द्र और राज्य सरकारें यह तय करें तो एक-एक गांव तक अन्न जा सकता है, भूख मिट सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, फूड फॉर वर्क के अंतर्गत सूखाग्रस्त दस प्रदेशों में लगभग 23 लाख टन अनाज मुफ्त दिया गया था लेकिन उसमें से केवल 13 लाख टन अनाज ही उठा है। हम चाहते हैं कि यह अनाज जल्दी उठे। जब अनाज मुफ्त दिया गया तो प्रदेशों में भूख से मरने की समस्या नहीं होनी चाहिये थी। अन्न मुफ्त दिया ताकि लोग काम करें और जब काम शुरू करें तो अनाज मिलेगा। इसके अलावा जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र या दूसरी समस्यायें हैं, वहां केन्द्र सरकार ने एक और निर्णय किया है कि उन प्रभावित क्षेत्रों में सभी को 20 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का अंतर खत्म करके जहां-जहां इस प्रकार की घोषणा की गई, वहां हमने उनको 32 लाख टन अनाज दिया है।

उड़ीसा स्टेट ने इमरजेन्सी फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत 823 टन की मांग की थी, वह हमने दे दिया। हमने कोशिश की है, हमने प्रयत्न किया है। ये सारी एलोकेशन जो हमने की, यह सारा का सारा अनाज 4 लाख 62 हजार दुकानों के द्वारा गांवों तक पहुंच गया होता तो भूख की समस्या इस प्रकार की न होती, जिस प्रकार आज है।

सभापति महोदय, मेरे सामने तीन रिपोर्ट्स हैं। मैं इन तीनों रिपोर्ट्स के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इनमें एक रिपोर्ट टाटा कन्सल्टेन्सी की है, जो बहुत पहले आई थी। जिसमें बहुत कुछ कहा गया था कि लगभग 30 प्रतिशत डाइवर्शन होता है। दूसरी रिपोर्ट मिड टर्म अप्रेजल प्लानिंग कमीशन ऑफ पी.डी.एस. की है और तीसरी रिपोर्ट सी एंड ए.जी. की रिपोर्ट ऑन पी.डी.आर. है। ये तीन रिपोर्ट्स मुख्य रूप से हैं, जिनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन इन तीनों रिपोर्ट्स के अंदर यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार प्रोक्योरमैन्ट नहीं कर रही है। इनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार स्टोर नहीं कर रही है। इनमें यह कहीं नहीं कहा गया कि केन्द्र सरकार प्रदेशों को नहीं दे रही है। इस व्यवस्था में हमारी तीन बातों की जिम्मेदारी है, उन तीनों बातों की कहीं आलोचना नहीं हुई। इतना जरूर कहा है कि ट्रांजिट लॉसेज ज्यादा होते हैं, स्टोरेज के लॉसेज ज्यादा होते हैं, यह जरूर हमारे बारे में कहा है। बाकी जो भी आलोचना है वह आगे जिस बात के बारे में हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। मैं यह कहकर

अपने आपको जिम्मेदारी से अलग नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहकर राज्यों की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि आलोचना करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सबको मिलकर-बैठकर समस्या का समाधान करना होगा। इसमें मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो भी सारी समीक्षा की गई, उस समीक्षा में जो केन्द्र सरकार के जिम्मे काम था, उसके संबंध में कोई किसी प्रकार की आलोचना नहीं की गई। कितनी बड़ी विडम्बना है कि इस देश के अंदर 18.2 हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन राशन कार्डों की संख्या 19 करोड़ 83 लाख है। इसमें 1 करोड़ 83 लाख राशन कार्ड्स या तो इल्लीगल हैं या बोगस हैं। सी.एंड ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड्स नहीं मिले हैं। हम निरन्तर राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि बोगस राशन कार्ड्स हटाइये, बोगस राशन कार्ड्स बनाने वालों को सजा दीजिए। वैरीफिकेशन करने वालों को पकड़िये। हमने कहा कि राशन कार्ड्स बनाने का काम सैक्शन-तीन एसेंशियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत करिये। इससे बड़ी विडम्बना इस देश में क्या हो सकती है कि एक तरफ सी.एंड ए.जी. कह रहे हैं कि बहुत से गरीब लोगों को राशन कार्ड्स नहीं मिले हैं तब तो राशन कार्ड्स की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए थी। लेकिन हालत क्या है 1 करोड़ 83 लाख राशन कार्ड्स इस देश में बोगस हैं, इल्लीगल हैं। ये किसने बनाये, अब मैं कहूं कि राज्य सरकारों ने इन्हें बनाया है। इसलिए राज्य सरकारों को इन कार्ड्स को खत्म करना होगा, इनकी चैकिंग करनी होगी। हम बार-बार कह रहे हैं कि जिनके राशन कार्डस नहीं बने हैं, उनके राशन कार्ड्स नहीं बने हैं, उनके राशन कार्ड्स बनाइये। हम बार-बार कह रहे हैं कि इन बोगस और गैरकानूनी राशन कार्ड्स को खत्म करिये। आपने कहा कि हम चैंक नहीं करते, 4 लाख 62 हजार दुकानें केन्द्र सरकार चैक नहीं कर सकती, करनी भी नहीं चाहिए। हमारे यहां संघीय फैडरल सिस्टम हैं। प्रदेशों में विधिवत निर्वाचित सरकारें हैं, वे हमारी सरकारें हैं, हमें उन पर भरोसा है। जो काम उन्हें करना है, उनसे ही कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जब कभी हमारे पास कोई शिकायत आई हैं तो हमने उसे जांचने की कोशिश की है। महोदय, मुझे एक पत्र शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से मिला, उसमें नीचे कोई नाम नहीं था। पत्र में मेरे ऊपर व्यंग किया गया था, लिखा बहुत भाषण देते हो पी.डी.एस. से गरीबों की मदद कर रहे हो, मेरे गांव के आसपास छः राशन की दुकाने हैं, जरा इनकी हालत को देखें। बिना नाम का पत्र था। उसमें सरकार को जो तरीका है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पत्र बड़े भावुकता भरे शब्दों में लिखा गया था। हमने एरिया ऑफिसर को भेजा कि जांच करके आओ।

जांच रिपोर्ट आई कि दुकानें हैं ही नहीं। कुछ दुकानें हैं, वह प्रधान के रिश्तेदारों या नौकरों के नाम पर हैं और एन्ट्री सारी फर्जी हैं और राशन नहीं दिया गया। बीपीएल के लोगों को पूछा तो कहा कि होली, दीवाली पर चीनी मिलती है। गेहूं, चावल कभी-कभी दो किलो या तीन किलो मिल जाते हैं। यह उन छः दुकानों की हालत थी। मैं लखनऊ गया था, वहां की सरकार से मैंने कहा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई की। वहां पर बहुत से लोगों को सस्पेन्ड किया, उन दुकानों को कैन्सेल किया। लेकिन जब हमारे ध्यान में आया, हमने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। आपको ध्यान में होगा कि अखबारों में एक दर्दनाक रिपोर्ट छपी थी इंडिया टुडे में कि महाराष्ट्र में शायद 2000 बच्चे कुपोषण से मर गए रिपोर्ट पढ़ी तो मन बड़ा व्यथित हुआ। मैं उस समय मुम्बई में था। मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने दिल्ली अपने मंत्रालय में फोन किया। एक-एक एरिया अफसर हर प्रदेश का इंचार्ज तय किया। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का एरिया अफसर आज ही चला जाए और जो नन्दुरबार जिला है, उसमें जाकर पूरी छानबीन करके रिपोर्ट दे। रिपोर्ट आई कि लार्ज स्केल डाइवर्शन हो रहा है। दो साल से राशन कार्ड दुकानदार ने अपने पास रखे हुए हैं, 20 किलो खाद्यान्न की जगह पांच किलो दिया जा रहा है, कोई रजिस्टर नहीं था, कई स्थानों पर पांच महीने से कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे भी गांव थे जहां दिसम्बर 2000 के बाद राशन उठाया ही नहीं गया और यह भी सूचना मिली, उन्होंने पता किया कि राशन इश्यु हुआ लेकिन दुकान तक नहीं पहुंचा। मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा। मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी भेजी और कहा कि ये 2000 बच्चे अगर कुपोषण से मरे हैं तो जिम्मेदारी तो मुझे और आपको लेनी होगी। सौ राशन की दुकानें वहां पर हैं, राशन गया है, सब्सिडी गई है, दुकानों तक राशन पहुंचा नहीं है। हमें कोशिश करनी होगी इन कमियों को दूर करने की, लेकिन इसमें जो मेरी जिम्मेदारी थी, हमने रिपोर्ट ली, पता किया, वहां अधिकारी गया और उसके बाद वहां के माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा। मुझे एकनॉलेजमेंट तो आई है, उसके बाद की कार्रवाई का मुझे कुछ मालूम नहीं है।

एक बात यह कही गई कि ऑफटेक क्यों नहीं है, बहुत घटा है। हमारे पास जो भंडार इकट्ठे हो गए उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फूड सिक्यूरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। किसान की मदद करने के लिए, लाभप्रद मूल्य देने के लिए हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक तय करते हैं और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक तय करते हैं तो किसान अधिक से अधिक अन्न हमें देना चाहता है, इसलिए हमारे भंडार भरे पड़े हैं। मैंने कहा कि टार्गेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम हो गया। एपीएल इकोनॉमिक कॉस्ट होने के कारण बाहर गया। यह ठीक है कि उसकी कॉस्ट 30

[श्री शांता कुमार]

प्रतिशत कम कर दी है लेकिन जो विचार-विमर्श पूरे देश ने किया, मुख्य मंत्रियों ने किया, एनडीसी में है, उसी के मुताबिक इसको बनाया गया। जो घटी है ऑफटेक, वह बीपीएल की नहीं घटी है। बीपीएल में 1997-98 में 43 लाख टन अनाज उठा था। 1998-99 में 59 लाख टन अनाज उठा। 1999-2000 में 70 लाख टन अनाज उठा। 2000-2001 में 95 लाख टन अनाज उठा। बीपीएल में ऑफटेक बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर आप हिसाब लगाएं कि जब 10 किलो प्रति परिवार था तो 43 लाख टन अनाज गया, जब 20 किलो हो गया तो 95 लाख टन अनाज गया - दुगुने से ज्यादा। तो बीपीएल का ऑफटेक घटा नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

फूड फॉर वर्क के अंतर्गत 10 सूखाग्रस्त प्रदेशों को इस समय तक 23,42,000 टन अनाज बिल्कुल मुफ्त दिया जा चुका है।

सभापति महोदय, फूड फॉर वर्क, शुरू करने के लिए अभी तक 13 लाख 20 हजार टन अनाज उठा है। बाकी धीरे-धीरे उठ रहा है, लेकिन जिन प्रदेशों को हमने 23 लाख टन अनाज मुफ्त दे दिया और वहां पर काम शुरू नहीं हुआ, अगर वहां पर झोंपड़ी में गरीब की आंख में आंसू हैं, अगर कोई भूखा है, तो उसमें तो भारत सरकार को कोई कसूर नहीं है। इतनी आर्थिक कठिन स्थिति में भी 23 लाख टन अनाज उन प्रदेशों को मुफ्त दे दिया और फिर भी राज्य सरकार वितरित न करे, तो उसमें केन्द्र सरकार का कोई दोष नहीं है।

सभापति जी, शायद यहां कर्नाटक की बात कही जा रही थी। कर्नाटक को भी हमने 1 लाख टन अनाज एलोकेट कर दिया है। जहां-जहां से मांग आती है, अनाज दिया जा रहा है। इतना अनाज बिलकुल मुफ्त में फूड फॉर वर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत, जल्दी कार्रवाई करने की दृष्टि से, पहले कभी नहीं दिया गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो राज्यों को करना है। जो राज्य जितना-जितना अन्न मांग रहा है, उसको उतना, बल्कि उससे ज्यादा दिया जा रहा है।

सभापति जी, आंध्र प्रदेश से 2 लाख टन की मांग आई थी। वहां का विचार कर के हमने 3 लाख टन अनाज दे दिया। आप कह रहे हैं कि अन्न हमारे पास है। अन्न है, तो अन्न देने में कोई कमी नहीं है। आज एक कड़वी सच्चाई यह है कि अनाज की कमी नहीं है, इंतजाम की कमी है। बात कड़वी है, कठोर है, लेकिन सच्ची है। अन्न देने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। जितना जो प्रदेश चाहे, हम उतना अन्न देने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय, सूखाग्रस्त प्रदेशों की जब मांग आई थी, तो ग्रुप आफ मिनिस्टर में चर्चा हुई और उन्होंने कहा, उनको दे दे और उनको कहा जाए कि यदि और जरूरत हो, तो और ले लें, लेकिन 23 लाख टन में 13 लाख टन ही माल उठा है। हम चाहते हैं कि यह उठे, जल्दी उठे और प्रदेश अपने-अपने राज्य में उसके वितरण की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि गरीबी और भूख, अगर कहीं है, तो सबके लिए चिन्ता का विषय है, लेकिन उसका केवल प्रचार न किया जाए। इस बारे में उड़ीसा के सांसदों ने ठीक कहा कि हम अपने देश की तस्वीर खराब न करें। इस देश की जनता 100 करोड़ है। कहीं पर कोई घटना इस प्रकार की होती है, उसको आउट आफ प्रपोर्शन प्रचारित करने से, दुनिया में संदेश अच्छा नहीं जाता।

सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में मेरे कांगड़ा जिले में भूख से होने वाली मौतों के समाचार आए। उनकी चर्चा इस माननीय सदन में भी हुई। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं-समाचार आया कि कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के जौंटा नामक स्थान पर अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति की भुखमरी के कारण मृत्यु हुई। हिमाचल में बड़े-बड़े समाचार छपे। मैंने जब स्वयं इसकी जांच की, प्रशासन ने जांच की, तो पता लगा कि वह मृत्यु भुखमरी के कारण नहीं हुई थी। उस व्यक्ति की 67 कनाल जमीन है, उसका अपना बगीचा है। उसकी पत्नि ने उसके पिता ने कहा कि वह जहर खाकर मरा है। वहां के प्रधान ने कहा कि वह जहर खा कर मरा है। उसने आत्महत्या किसी और कारण से की, लेकिन पूरे हिमाचल में 10 दिन तक चर्चा होती रही कि कांगड़ा जिले के अंदर भूख से मौत हुई। दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे घर से केवल 10 किलोमीटर दूर एक नौरा गांव का बहुत बड़ा समाचार छपा कि वहां का हंस राज भुखमरी से मर गया। पता किया, सरकार की यह रिपोर्ट आई है कि उसकी भी लगभग 8-10 कनाल भूमि है। एक गाय है, गाय दूध देती है, वह दूध बेचता है। परिवार ने चार दिन पहले 50 किलो गेहूं और 20 किलो चावल खरीदा था, जो उसके घर में था और मृत्यु होने से पहले उसने भरपेट भोजन किया था, लेकिन पूरे देश में खबर फैलाई गई कि हिमाचल में भुखमरी से मृत्यु हुई, कांगड़ा में भुखमरी से मृत्यु हुई।

सभापति महोदय, भुखमरी हो, भूख हो, तो दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन न हो, उसको प्रचारित करना, उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य का विषय है, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। उड़ीसा के बारे में समाचार आए हैं, लेकिन उड़ीसा के मुख्य सचिव ने 22 अगस्त और 29 अगस्त को दो पत्र खाद्य सचिव को लिखे हैं जिनमें यह साफ कहा है कि "भुखमरी से होने वाली मौत का कोई मामला नहीं है" साथ में उन्होंने जिला कलैक्टर रायगढ़ा जिसके अंदर काशीपुर नामक स्थान भी आता है, जहां की वे खबरे आई, वहां की रिपोर्ट भी भेजी है। उसके अनुसार-

'इन्हें किसी प्रकार से भुखमरी से होने वाली मौतें नहीं कहा जा सकता'। उड़ीसा सरकार के अनुसार ये मौतें फूड पॉयज़निंग से हुई। कलैक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने उस बयान का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि काशीपुरा में भुखमरी आने ही वाली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके बारे में कोई संदेह हो तो इसकी दुबारा जांच की जा सकती है। लेकिन सरकार, कलैक्टर और बाकी सब लोग एक वर्शन देते हैं, क्या आप उनसे सहमत होंगे कि उस वर्शन को भी एकदम हटा देना, उस पर विश्वास न करना - यह भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब इस प्रकार के समाचार आएं तो हम उनके बारे में ठीक ढंग से विचार करने की कोशिश करें।

मैंने कहा कि कई योजनाओं में बहुत सा धन और खाद्यान्न सरकार दे रही है। हमसे एक भी प्रदेश ने कभी मांग नहीं की कि इन योजनाओं के बावजूद वहां भुखमरी की हालत हो रही है, और अनाज दें। किसी प्रदेश ने आज तक मांग नहीं की। अगर हमारी इन योजनाओं के बावजूद कहीं पर स्थिति असाधारण है, उस प्रदेश को कहना चाहिए कि अगर आपने अनाज का इंतजाम नहीं किया तो यहां भुखमरी से मौत हो सकती हैं। एक भी प्रदेश ने हमें आज तक नहीं कहा। जहां-जहां अन्न मांगा, जिस-जिस बात के लिए मांगा उस-उस काम के लिए अन्न दिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस देश में 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसी में गरीब हैं, इसी में भुखमरी की शिकायतें आती हैं। इन सारे लोगों को दस किलो अनाज दिया जाता था, फिर बीस किलो किया गया और अब पच्चीस किलो प्रति परिवार, लेकिन इन 36 करोड़ लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता है, केवल 55 प्रतिशत ऑफ टेक है। जैसा मैंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आखिर में कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचता या गरीब अनाज तक नहीं पहुंचता - हम इसका इंतज़ाम करें। सरकार की योजनाओं में 36 करोड़ लोगों के लिए पच्चीस किलो अनाज़ है।

हमारे ध्यान में 1997 की एक रिपोर्ट आई थी। आपने जिस ढंग से भावुकता में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी ईमानदारी और भावुकता से सरकार काम कर रही है। 1997 में पहली बार ऐसा सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि देश में 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन वे सारे भूखे नहीं हैं। उसमें कहा गया कि 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन पूरी रोटी नहीं खाते, आधी-अधूरी रोटी खाकर सोते हैं। किसी के पास छः महीने का खाना होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता हैं। वह रिपोर्ट पढ़ कर मेरे दिल में उतना ही दुख हुआ जिस दुख से आपने भावना व्यक्त की। मैं उस रिपोर्ट को लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी के पास गया था। मैंने कहा कि 5 करोड़ लोग आधी-अधूरी रोटी खाकर सोते हैं। बच्चे मां से कहते होंगे-रोटी दो तो मां कहती होगी पूरी रोटी नहीं है, थोड़ी-थोड़ी रोटी खाकर सो जाओ। उन परिवारों पर क्या बीतता होगा? मेरे शब्द थे कि मुझे आज फूड मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को अपराधबोध लग रहा है। मैं फूड मिनिस्टर हूं, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और लोग घरो में भूखे सोते हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने बात रखी मैंने कहा कि इन 5 करोड़ लोगों के लिए हम कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं। हम सबसिडी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से अन्त्योदय योजना शुरू हुई। 2300 करोड़ रुपये की सबसिडी उस काम में दी गई। जो भावनाएं आपकी हैं, वहीं भावनाएं हमारी भी है। इन 5 करोड़ लोगों के लिए 19 प्रदेशों में योजना शुरू हो गई। हम बार-बार बाकी प्रदेशों को कह रहे हैं कि आप योजना शुरू कीजिए। मैंने अपने सहयोगी राज्य मंत्री श्री श्रीराम चौहान को कहा। उन्होंने प्रदेशों का दौरा किया। राजधानी में गए मैंने कहा कि आप जाइए, मुख्य मंत्री को कहिए कि योजना शुरू करें, बार-बार कहिए कि योजना शुरू कीजिए। शिकायत तो मुझे है कि हम अन्न देना चाहते हैं, अन्न उठ नहीं रहा है। अब इस योजना के अन्तर्गत हम दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल देना चाहते हैं। यह सब प्रदेशों में शुरू नहीं हुआ है। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 65 साल से ऊपर के वृद्धों को दस किलो अनाज मुफ्त देना चाहते हैं। वह पूरी तरह शुरू नहीं हुआ।

एक साल पहले हमने एक निर्णय किया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजना राज्य सरकार चलाती हो, कोई एन.जी.ओ. चलाता हो, नारी निकेतन हो, भिक्षुगृह हो, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का छात्रावास हो, उसके लिए हम बी.पी.एल. रेट पर अन्न देने को तैयार हैं। जहां-जहां से मांग आती है, हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अन्न के भंडार भरे हैं तो ए.पी.एल. के लिए भी हमने अपना भाव 30 परसेंट कम कर दिया है।

सूखा क्षेत्र के लिए 23 लाख रुपया दे दिया। इसके अलावा फूड फॉर वर्क के लिए एक साल पहले निर्णय किया था, बिल्कुल प्लैक्सिबिलिटी है, हमने राज्यों को कहा कि आप कोई विकास का काम कहीं भी शुरू करिये, फूड फॉर वर्क के अन्तर्गत जितना चाहे अन्न ले लीजिए, हम बी.पी.एल. रेट पर अन्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई राज्य आगे नहीं आया। शायद उनकी आर्थिक स्थिति के कारण ऐसा नहीं होगा। अब जो भावना आपने व्यक्त की, इसी भावना से अन्न हमारे पास है, कहीं पर कोई भूखा न रहे तो इसके लिए सम्पूर्ण रोजगार योजना शुरु की गई है, जिसमें 50 लाख टन अनाज पांच हजार करोड़ रुपयों का प्रदेशों को बिल्कुल मुफ्त दिया जायेगा कि फूड फॉर वर्क शुरू करिये और

[श्री शांता कुमार]

उसके द्वारा लोगों को काम दीजिए। मेरा कहना यह है कि इतनी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में गांव का हर कोई गरीब कहीं न कहीं आता है। ये योजनाएं यदि ठीक ढंग से चलें तो मैं समझता हूं कि भूख की, गरीबी, इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।

आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है। हमने दो साल के अन्दर कोशिश की है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने की, इस जोइंट रैस्पोंसिबिलिटी को राज्य और केन्द्र को मिलकर ठीक करना है और मैंने जैसा कहा कि देश में अन्न के भंडार भरे हैं। उस समय की सरकारों ने, किसानों ने बड़ी मेहनत की है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसी तरह यह पी.डी.एस. ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद शुरू हुआ था, लेकिन इसका यह रूप जो आपकी सरकार के समय दिया, यह देश के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जिस देश में दूरदराज के गांवों के अन्दर इतने अधिक गरीब लोग रहते हैं, उसमें यह सिस्टम बहुत बढ़िया हैं, उपयोगी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिस्टम फेल हो गया, यह भाषा मेरे मित्र न बोलें तो बहुत अच्छा होगा। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सिस्टम में कुछ कमियां हैं। टाटा कन्सलटेंसी के मुताबिक 30 प्रतिशत का डाइवर्शन कहा था, उसमें दो साल में बहुत कोशिश हुई है। इसके लिए राज्यों ने बहुत प्रयत्न किया है, मैंने स्वयं कुछ राज्यों में जाकर उनको बधाई दी है। इससे डाइवर्शन कम हुआ है। मैं समझता हूं कि कम से कम 80-85 प्रतिशत यह सिस्टम काम कर रहा है। यह कोई छोटा काम नहीं है। हम यह कहें कि कमियां हैं, मैं कमियां स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं नहीं कहता कि सिस्टम परफैक्ट है, लेकिन यह सिस्टम फेल हो गया, यह भाषा न बोलें। मेरा आपसे यह निवेदन है। कई बार यह भाषा बोली जाती है कि गोदाम भरे हुए हैं, अन्न सड़ रहा है। इससे दुनिया में क्या संदेश जाता है? 616 लाख टन में डैमेज एक लाख 80 हजार टन है और हम भाषा बोल रहे हैं कि सड़ रहा है, सारा खराब हो रहा है। मैं मानता हूं फूड कारपोरेशन में लापरवाही है, मैं मानता हूं कि फूड कारपोरेशन में भ्रष्टाचार है, लेकिन एक-एक मामले को हमने पकड़ने की कोशिश की है। बहुत से केसेज सी.बी.आई. में किये हैं और बड़ी सख्ती के साथ नौकरी से निकाला है, इन्क्वायरी हो रही है, सख्त कार्रवाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगभग तीन लाख कर्मचारी और अधिकारी फूड कारपोरेशन में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत योग्य लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ खराब लोग हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सारा अनाज सड़ रहा है, कृपया यह भाषा न बोलें, इससे गलत मैसेज जायेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि कई जगह गलती हुई है, कई जगह लापरवाही हुई है और स्थाई समिति के सदस्यों ने मुझे कहा कि वे कहीं पर गये, उन्होंने देखा, मैंने स्वयं देखा, मुझे एक बार टेलीफोन आया कि जरा लूनी का अपना गोदाम तो देखो तो मैं लोक सभा का सत्र छोड़कर वहां गया।

लूणी के गोदाम में जाकर देखा तो वहां लगभग तीन हजार टन चावल कई दिनों से पड़ा हुआ सड़ रहा था। चावल रखने पर भी हमारा खर्चा होता है। चावल पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा था और हमने उस पर सख्त कार्यवाही की। मैं स्वीकार करता हूं कई जगह ऐसी लापरवाही हुई है। जहां-जहां भी हमें इस बारे में रिपोर्ट आती है, हम सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने एक बात तय की है कि जहां अन्न खराब होता है, उसको तुरंत निकाल कर निश्चित समय में नीलाम किया जाए, खराब नहीं होने दिया जाए। इसके साथ ही जिम्मेदारी तय की जाए और उस अधिकारी की तनख्वाह से इसकी वसूली की जाए, क्योंकि यह देश का धन है। क्वालिटी के बारे में बहुत सख्त निर्णय हमने लिया है राज्य सरकारों से कहा गया है कि आप जब डिलीवरी लेते हैं तो हमारे गोदाम से बढ़िया अनाज लिया जाए। अगर हमारे अधिकारी आपको खराब देते हैं तो मत लें और हमें शिकायत करें। इसके लिए हमने जाइंट सैम्पलिंग का प्रोविजन किया है। अगर किसी राशन की दुकान में अनाज घटिया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे घटिया अनाज न लें। हमारे 1600 गोदाम हैं, हमें शिकायत करें कि फलां जगह घटिया अनाज है, हम उनको दूसरे गोदाम से दे देंगे। लेकिन किसी प्रकार से क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। हमने प्रोक्योर करते समय भी स्पेसिफिकेशन काफी सख्त कर दिए हैं और उनमें सुधार भी किया है। कई राज्य सरकारों ने शिकायत की है, हमने कहा कि आप पहले ही क्वालिटी को देख कर लें। हमारे पास रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशन का तीस लाख टन चावल पड़ा था, वह फेयर एवरेज क्वालिटी का था। इश्यू हो सकता था, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों ने शिकायत की तो हमने भी देखा। वैसे तो ठीक था, लेकिन कुछ कमी जरूर थी। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जंच नहीं रहा है। हमने निर्णय ले लिया कि यह तीस लाख टन चावल पी.डी.एस. में इश्यू नहीं होगा, नीलाम करेंगे। इससे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन हमने फैसला किया कि यह चावल पी.डी.एस. के माध्यम से राशन में नहीं जाएगा। इसलिए हमने सख्ती की है, क्वालिटी से भी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमने प्रदेश सरकारों से कहा है कि घटिया अन्न न खरीदें। अगर कोई देता है तो हमें शिकायत करें। इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो किसी भी दुकान पर घटिया राशन नहीं मिलेगा।

हमने जोनल मीटिंग की हैं। मैं खुद पूरे देश में घूमा हूं। एरिया आफिसर नियुक्त किए हैं, वे प्रदेशों में जाकर देखते हैं। हमने फ्लाइंग स्क्वैड भी बनाई हैं जहां से भी शिकायत आती है, वे उसको देखते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हमने

किया है। क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है, मिलजुलकर करना होगा। यह सिस्टम पूरे देश में फैला हुआ है। हमने प्रदेशों में रिजनल कंसलटेटिव कमेटी बनाई हैं। उसका अध्यक्ष वहां के एम.पी. को बनाया है। 30 स्थानों पर ऐसी कमेटीज बनाई गई हैं और अध्यक्ष वहां के एम.पी. बनाए गए हैं। हर प्रदेश के अंदर एक कमेटी होगी और एम.पी. उसका अध्यक्ष होगा। उसमें केन्द्र सरकार के अधिकारी भी होंगे, राज्य सरकार के भी होंगे। उस राज्य से उस कमेटी में कुछ लोग नॉमिनेट भी होंगे। यह कमेटी उस प्रदेश के अंदर एफ.सी.आई. के काम को देखेगी। इस तरह हमने केन्द्र और राज्य के बीच में एक नई कड़ी और एक नया मंच बनाया है। उसका नोटिफिकेशन हो गया है। यह हमने एक नया प्रयोग किया है। शीघ्र ही उसकी बैठकें भी होंगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी हो रहे हैं। यह हमने इसलिए बनाई हैं, ताकि इस सिस्टम में जो कमी है, वह दूर हो और सांसद वहां बैठ कर केन्द्र और राज्य के बीच जो गलतफहमी है, वह दूर करे और तालमेल बिठाने की जो जरूरत है, उसको पूरा करे।

उपभोक्ताओं को पता हो, वे जागरूक हों कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम अगले वर्ष 120 जिलों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जागरूकता कैम्प लगाएंगे। उनमें उस जिले के उपभोक्ताओं को उस दिन बुलाया जाएगा। कम से कम 200 परिवारों को, जो अन्त्योदय या बी.पी.एल. परिवार होंगे, उनको राशन कार्ड लेकर आने के लिए कहा जाएगा। वे जिला केन्द्र में आएं, उनके साथ केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठेंगे। वे उनसे पूछेंगे कि आपके पास राशन कार्ड हैं, पिछले साल आपको अन्न मिला या नहीं मिला। इस तरह एक प्रकार का सर्वे भी हो जाएगा।

हमने यह भी कहा है कि गरीब लोगों को गांव से जिले के केन्द्र पर लाने पर खर्च भारत सरकार देगी। ऐसे हर जिले के शिविर के लिए भारत सरकार 50,000 रुपये की ग्रान्ट दे रही है। उद्देश्य यह है कि हम जिले में जायें और यह सारे आयोजन कौन करेगा, वह यह कमेटी, जिसके अध्यक्ष मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा आयोजन होगा। 120 जिलों के अंदर गरीब उपभोक्ताओं को बुलाकर हम एजुकेट करेंगे और जहां कोई कमी है, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी बैठे होंगे, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बैठा होगा, 200 गरीब राशन कार्ड लेकर आएंगे, बैठेंगे विचार करेंगे और हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केन्द्र की सरकार असहाय नहीं है। हमने बहुत निर्देश जारी किये। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। गिला राज्य सरकारों से करना चाहता हूं। हमने छोटा सा सुझाव दिया था कि जिले का खाद्य अधिकारी जब जिले की दुकानों को एलोकेशन करे और मान लीजिए कि 200 दुकानें हैं, एलोकेशन की पत्र की एक कॉपी पंचायत को भेजे। हमने आदेश दिया कि पंचायतों को सोशल ऑडिट के रूप में राशन की दुकान के साथ जोड़ा जाये, चार्टर हो चुका है, हमने कहा कि एलोकेशन की चिट्ठी की कॉपी पंचायत को जाये। पंचायत-घर के बाहर बड़ा नोटिस बोर्ड लगाकर लिखा जाये कि इस गांव के लिए इस महीने इतना राशन आया। दूसरा आदेश हमने दिया कि राशन की दुकान के बाहर बड़ा नोटिस-बोर्ड लगाकर लिखा जाये कि इस महीने इस गांव की राशन की दुकान के लिए चीनी चावल इतना आया है लेकिन ये दो बातें भी आज तक नहीं हो पाई हैं। इसके लिए पैसे की जरूरत भी नहीं है।

चोरी कैसे होती है? गांव का गरीब आदमी राशन कार्ड लेकर दुकान पर जाता है और पूछता है कि मेरी चीनी कहां है? दुकानदार कहता है कि चीनी तो इस महीने आई नहीं है। वह दो-तीन बार जाकर राशन मांगता है लेकिन उसे राशन नहीं मिलता है। फिर गरीब आदमी गांव के दुकानदार से उधार लेता है और उधार के बोझ तले उसकी क्या हालत होती है, यह आप समझ सकते हैं। हमने कहा कि अगर सूचना दे दे, लिखकर लगा दे तो चोरी रुक जोगी लेकिन अब यह बात भी पूरे देश में नहीं हो पाई तो क्या मैं गिला भी न करूं राज्यों से? राज्य मेरे हैं, मुख्यमंत्री मेरे हैं, सब जगह आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। जहां इनका पालन हो रहा है, वहां इसके अच्छे सुखद परिणाम हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आपने जैसे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कोई निराशा का कारण नहीं है। आप सब का सहयोग और प्रदेशों का सहयोग हमारे साथ होना चाहिए लेकिन जो छोटे-छोटे निर्देश हैं, उनका पालन भी नहीं हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी से मैंने बात की है, कानून मंत्री जी से मैंने बात की है और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार बिल्कुल असहाय तो नहीं है। ये सारी बातें जिनसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मजबूत हो सकता है, ये बातें करने के लिए कि क्या कोई कानूनी बाध्यता लागू की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, पिछले दो महीने से बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और हम बहुत जल्दी इन सारी बातों को, इन सारे निर्देशों को इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में सक्षम हो सकते हैं। उनके लिए कानूनी बाध्यता लाने की भी कोशिश करेंगे। आपने यह बिल्कुल ठीक कहा कि एक समस्या यह भी है कि 25 किलो एक बार खरीदने की पर्चेजिंग पॉवर उसकी नहीं है, लेकिन हमने पहले आदेश दिया है कि दुकान पूरे महीने खुलनी चाहिए और गरीब आदमी जितनी बार चाहे, कम से कम चार बार उसको अनाज लेने की छूट होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि दुकानें दूर हैं, कम हैं, दुकानें कितनी खोलनी हैं और कैसे खोलनी है और क्या करना है, यह राज्य सरकार को करना है। वह अधिक दुकान यदि खोलना चाहते हैं तो वह खोल

[श्री शांता कुमार]

सकते हैं। भारत सरकार इस बारे में बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस सिस्टम को ठीक करना चाहती है और मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। 36 करोड़ गांव के लोगों तक और अब तो एपीएल के लिए भी हमने कीमत कम कर दी है। इन दुकानों के द्वारा यदि हम राशन को उपलब्ध कराते हैं तो अपने फर्ज की अदायगी भी होगी जो हम सबका एक सामूहिक निश्चय है कि कहीं पर भूख न हो, कहीं पर गरीबी न हो, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर धन्यवाद करूंगा कि आपने जो सुझाव दिये और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भावना आपने व्यक्त की है, उसी भावना से पिछले दो साल से हम काम कर रहे हैं और आगे जो आपने सुझाव दिये हैं, जो विश्वास और आश्वासन दिये हैं, उससे मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है।

राज्यों का सबका सहयोग हम लेने की कोशिश करेंगे और सहयोग मिलेगा। सब के सहयोग से हम इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 अगस्त, 2001/9 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

पी.एल.एस. – 48/19/28/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।